

(C) विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी : १९७३

विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण-योजना क अन्तर्गत भारत सरकार (शिक्षा तथा समाजकल्याण-मन्त्रालय) के शत-प्रतिशत अनुदान से विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित ।

प्रकाशित ग्रन्थ-सख्या . ४३

प्रथम संस्करण जनवरी १९७३

३०००

मूल्य :

पुस्तकालय संस्करण : २४.००

छात्र संस्करण . १७ ५०

प्रकाशक

विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

सम्मेलनभवन, पटना-३

मुद्रक :

रचना प्रेस,

पटना-६

समर्पण :-

माँ और बाबूजी

की

भादर

—अनन्त चौधरी

प्रस्तावना

शिक्षा-सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति-संकल्प के अनुपालन के रूप में विश्वविद्यालयों में उच्चतम स्तरों तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के लिए पाठ्य-सामग्री सुलभ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इन भाषाओं में विभिन्न विषयों के मानक ग्रन्थों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन की योजना परिचालित की है। इस योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखाए जा रहे हैं। यह कार्य भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से तथा अशतः केन्द्रीय अभिकरण द्वारा करा रही है। हिन्दी-भाषी राज्यों में इस योजना के परिचालन के लिए भारत सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना हुई है। बिहार में इस योजना का कार्यान्वयन बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के तत्त्वावधान में हो रहा है।

योजना के अन्तर्गत प्रकाश्य ग्रन्थों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ताकि भारत की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समान पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

प्रस्तुत ग्रन्थ 'नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी' डॉ० अनन्त चौधरी की मौलिक कृति है, जो भारत सरकार के शिक्षा तथा समाज-कल्याण मन्त्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जा रही है। यह ग्रन्थ विश्वविद्यालय-स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रन्थों के प्रकाशन-सम्बन्धी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायगा।

अक्षय कुमार

पटना

दिनांक ४ जनवरी १९७३

अध्यक्ष

बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

प्रकाशकीय वक्तव्य

प्रस्तुत ग्रन्थ 'नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी' पटना कॉलेज के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डॉ० अनन्त चौधरी की मौलिक कृति है। डॉ० चौधरी भाषाविज्ञान के अधीत विद्वान और एक अनुभवी लेखक हैं तथा पटना विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों से स्नातकोत्तर वर्गों में भाषाविज्ञान का अध्यापन कर रहे हैं। अतः आशा है, उनका यह ग्रन्थ विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

इस ग्रन्थ का मुद्रणकार्य रचना प्रेस, पटना-६ ने किया है। इसके आवरण-शिल्पी श्री वी० के० सेन तथा प्रूफ-संशोधक श्री हिमाशु श्रीवास्तव हैं। ये सभी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

पटना

दिनांक ४-१-१९७३

निदेशक

विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

लेखकीय वक्तव्य

हिन्दी में अभी तक भाषा, लिपि एवं वर्तनी विषयक चिन्तन साहित्य-चिन्तन की तुलना में बहुत कम हो पाया है। यह स्थिति हिन्दी भाषा एवं साहित्य दोनों ही के लिए अस्वास्थ्यकर सिद्ध हो रही है, क्योंकि, साहित्य का भाषा से और भाषा का लिपि एवं वर्तनी से समवाय सम्बन्ध होता है। लिपि भाषा के दृश्य प्रत्यक्षीकरण का माध्यम होती है और वर्तनी भाषा के लिप्यन्तरण का विधान। अतः माध्यम एवं विधान को निर्दोष एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किये विना न तो साहित्य का स्वस्थ विकास सम्भव हो सकता है और न भाषा का व्यापक प्रचार-प्रसार ही। प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में विद्वानों के द्वारा किये गये चिन्तन को यथा साध्य आगे बढ़ाने के मेरे प्रयास का प्रतिफल है।

पुस्तक में जिन अनेकानेक विद्वानों के ग्रन्थों एवं विचारों से सहायता ली गयी है, मैं उन सब के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। उनमें भी खासकर गुरुवर आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा जी का मैं विशेष आभारी हूँ, जिनके विचार मेरे लिए सदा प्रेरणा दायक सिद्ध होते रहे हैं।

इस पुस्तक के लेखन की मूल प्रेरणा मुझे गुरुवर डॉ० शिवनन्दन प्रसाद जी से मिली थी। उनका स्नेह विद्यार्थी-जीवन से ही मेरी सारस्वत-साधना का सम्बल रहा है। वस्तुतः इस पुस्तक को मुझसे लिखवा लेने से लेकर इसके प्रकाशन की व्यवस्था तक कर देने का सारा श्रेय उन्हीं को है। मैं मानता हूँ कि इस गुरुकृपा से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता।

खेद है कि लाख सावधानी बरतने पर भी, प्रेस में कुछ असामान्य एवं अप्रचलित मुद्रणाक्षरों (टाइप) के अभाव के कारण तथा कतिपय अन्यान्य कारणों से भी, ग्रन्थ में यत्र-तत्र कुछ भ्रान्तियाँ रह ही गयी हैं, जो ऐसे ग्रन्थों में नहीं रहनी चाहिए।

ग्रन्थ की वर्तनी, उद्धरणों को छोड़कर, प्रायः मेरे सिद्धान्तानुकूल है, जिसकी छूट देकर अकादमी के अधिकारियों ने विद्वज्जनोचित सदाशयता का परिचय दिया है। एतदर्थ मैं उन सब का आभारी हूँ।

मित्रों में डॉ० शोभाकान्त मिश्र, डॉ० काशीनाथ मिश्र, प्रो० पद्मनारायण, श्री हिमाशु श्रीवास्तव तथा श्रीमती उर्मिला चौधरी से मुझे जो अनेकविध सहायता मिली है, उसके लिए उन सब के प्रति आभार प्रदर्शन मैं आवश्यक नहीं मानता, क्योंकि उन सब पर मेरा सहज अधिकार है।

हिन्दी विभाग,

पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय

३ मार्च, १९७३ ई०

—अनन्त चौधरी

विषय-सूची

अध्याय-१

पृष्ठ संख्या

लिपि का स्वरूप एवं विकास क्रम

१-१३

लिपि का स्वरूप

१-३

लिपि की सामर्थ्य-सीमा

३-४

लिपि का उद्भव और विकास-क्रम

४-१३

[चित्रलिपि-७, आव-सङ्कृत लिपि-९
वर्णात्मक लिपि-११, अक्षरात्मक लिपि-१२]

अध्याय-२

भारत में लिपि-ज्ञान की प्राचीनता

१४-२५

अध्याय-३

भारतीय लिपियों का उद्भव और विकास

२६-४६

सैन्धव लिपि

२६-३२

ब्राह्मी लिपि

३२-४४

[सामान्य परिचय-३२, ब्राह्मी का उद्भव-स्रोत
-३४, ब्राह्मी की विशेषताएँ-४२, ब्राह्मी की
वर्ण-संख्या-४३]

खरोष्ठी लिपि

४५-४६

अध्याय-४

ब्राह्मी से उद्भूत परवर्ती लिपियाँ	४७-६१
ब्राह्मी की उत्तरीशैली से विकसित लिपियाँ	४८-५१
गुप्तलिपि-४८, कुटिल लिपि-४९, नागरी लिपि-४९, गारवा लिपि-५०, बङ्गला लिपि-५१]	
ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से उद्भूत लिपियाँ	५१-५४
[पश्चिमी लिपि-५२, मध्यप्रदेशी लिपि-५२, तेलुगू- कन्नडी लिपि-५२, ग्रन्थलिपि-५३, कलिङ्ग लिपि- ५३, तमिल लिपि-५३]	
ब्राह्मी से उद्भूत विदेशी लिपियाँ	५४-५९
[सिंहली लिपि-५४, माल्दिवी लिपि-५५, सीरो- मालावारी लिपि-५५, हिन्देशियायी लिपियाँ-५६, चम्पा लिपि-५७, ख्मेर लिपि-५७, वर्मीलिपियाँ- ५७, शान लिपियाँ-५८, स्यामी लिपि-५९, फिलीपाइन लिपि-५९]	
ब्राह्मी से उद्भूत प्रमुख भारतीय लिपियों की सारिणी	६०
ब्राह्मीवश की विदेशी लिपियों की सारिणी	६१

अध्याय-५

भारत का प्राचीन लिपियों का वाचन	६२-६५
गुप्त एव कुटिल लिपि के लेखों का वाचन	६२-६४
ब्राह्मी लिपि के लेखों का वाचन	६४-६५
संघव लिपि का वाचन	६५

अध्याय-६

नागरी नाम, स्वरूप और विशेषताएँ	६६-७५
नागरी के नामकरण का आधार	६६-६८
नागरी के अन्य नाम	६८-६९

नागरी का प्रारम्भिक स्वरूप	६९-९१
नागरी का आधुनिक स्वरूप	७१-७२
नागरी की विशेषताएँ	७२-७५

अध्याय—७

नागरी-अक्षरों एव अङ्गों का विकास	७६-६५
नागरी-अक्षरों का विकास-क्रम	७६-७७
नागरी-अक्षरों के विकास-क्रम की तालिका	७८
नागरी के स्वराक्षरों का विकास-क्रम	८७-८०
नागरी के व्यञ्जनाक्षरों का विकास-क्रम	८०-८८
नागरी अङ्गों का विकास	८९-९१
[प्राचीन शैली-८८, नवीन शैली-८९]	
नागरी अङ्गों के विकास की तालिका	९२
नागरी अङ्गों का विकास-क्रम	९२-९५

अध्याय—८

नागरी-विरोधी आन्दोलन	९६-११८
पृष्ठभूमि	९६-९८
नागरी-विरोधी आन्दोलन के मूल कारण	९८-९९
नागरी के विपक्ष में विरोधियों के आक्षेप	९९-१०१
नागरी-विरोधी आक्षेपों की समीक्षा	१०१-११८
[क्लिष्टता-१०१, लेखन की त्वरा-१०१, वर्णों की अधिकता-१०२, शिरोरेखा-१०२, अनावश्यक वर्ण-१०३, सन्दिग्ध वर्ण-१०४, क्ष, ञ, ञ-१०४, द्विविध वर्ण-१०६, अनुनासिकता, अनुस्वार और नासिक्य व्यञ्जन-१०६, र की रूप भिन्नता-१०८, वर्ण-संयोग की पद्धति-१०९, मात्राविधान-११०, टङ्कन-मुद्रण की सुविधा-११०, ह्रस्व इ की मात्रा का विधान-१११, अ की बारह- खड़ी की अवैज्ञानिकता-११३, ध्वनि-विश्लेषण की	

क्षमता-११५, लेखन में हाथ उठाने की वाध्यता-११६,
वर्ण की अपर्याप्तता-११६, प्राविधिक उपयोग की
योग्यता-११६, स्थान, श्रम एवं समय का व्यय-११७,
त्वरपूर्ण टङ्कन-यन्त्र का अभाव-११७]

अध्याय—९

नागरी-प्रचार-प्रसार-आन्दोलन .. ११९-११३

अध्याय—१०

नागरी-सुधार-आन्दोलन . १२४-१३७
नागरी लिपि के सुधार सम्बन्धी प्रमुख प्रस्ताव १२६-१३७

अध्याय—११

भारतीय आर्यभाषा-ध्वनिसमूह और नागरी-वर्णमाला ... १३८-१६८
हिन्दी-ध्वनिसमूह के पूर्वस्रोत का परिचय १३८-१३९
मूल भारोपीय ध्वनिसमूह और नागरी-वर्णमाला १३९-१४१
वैदिक-ध्वनिसमूह और नागरी-वर्णमाला १४१-१५८
संस्कृत-ध्वनिसमूह और नागरी-वर्णमाला १५९
पालि-ध्वनिसमूह और नागरी-वर्णमाला १५९-१६१
प्राकृत-ध्वनिसमूह और नागरी-वर्णमाला १६१-१६३
अपभ्रंश-ध्वनिसमूह और नागरी-वर्णमाला १६३-१६५
खड़ी बोली का ध्वनिसमूह और नागरी-वर्णमाला १६६-१६७
उपसहार १६८

अध्याय—१२

हिन्दी ध्वनिसमूह और नागरी-वर्णमाला . १६९-२०८
ध्वनि वैज्ञानिक विवेचन १६९-१७३
हिन्दी ध्वनियों के सूचक नागरी वर्णों का ध्वनिवैज्ञानिक परिचय १७४-२०८
[मूलस्वर-१७४, मिश्रस्वर-१८४, अनुनासिक स्वर-

१८५, स्पर्श व्यञ्जन · अलिजिह्वीय-१८८, कोमल तालव्य-१८९, मूर्द्धन्य-१८९, दन्त्य-१९०, ओष्ठ्य-१९१, स्पर्श-घर्षी व्यञ्जन : कठोर तालव्य-१९२, अनुनासिक व्यञ्जन-१९३, पार्श्विक व्यञ्जन-१९६, लुण्ठित प्रकम्पी व्यञ्जन १९७, उत्क्षिप्त व्यञ्जन-१९७, सङ्घर्षी व्यञ्जन-१९८, अन्तःस्थ-२०४, अयोग-वाह-२०५]

स्वनिम शास्त्रीय विवेचन

२०९-२११

हिन्दी-स्वनिम और नागरी-वर्णमाला

२११-२४५

[खण्डीय स्वनिम · स्वर स्वनिम-२११, व्यञ्जन स्वनिम-२११, उपरिखण्डीय स्वनिम-२१२, हिन्दी के खण्डीय स्वनिम और उनके सस्वनो का विवेचन-२१३, हिन्दी के उपरिखण्डीय स्वनिमो का विवेचन-२३८]

अध्याय—१३

नागरी लिपि का प्रतिमानीकरण

२४६-२६४

प्रतिमानीकरण की आवश्यकता

२४६-२४७

प्रतिमानीकरण के सम्बन्ध में कुछ ध्यातव्य बातें

२४७-२४९

हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी का प्रतिमानीकरण

२४९-२५५

हिन्दी के लिए प्रस्तावित मानक नागरी-अक्षर-माला

२५५-२६०

भारतीय भाषाओं की अन्तर्देशीय लिपि के रूप में नागरी

२६०-२६२

अन्तरराष्ट्रीय लिपि के रूप में नागरी

२६२-२६३

अन्तरराष्ट्रीय ध्वनिपरिषद् की नागरी वर्ण-तालिका

२६३-२६४

अध्याय—१४

हिन्दी-वर्तनी

... २६५ २७६

वर्तनी का स्वरूप-विवेचन

२६५-२६८

वर्तनी की अनेकरूपता

२६९-२७४

अध्याय—१५

हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन	...	२७५-३७२
सामान्य विवेचन		२७५-२७८
वावू छत्रधारी सिंह का 'लेखनियम'		२७८-२८३
पं० अम्बिकादत्त व्यास का 'विभक्ति-विभाग'		२८४-२९७
नागरी प्रचारिणी सभा के वर्तनी-विषयक निर्णय		२९७-३११
अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सङ्घ के सुझाव		३१२-३३३

[सुझावों का प्रारूप-३१२, प्रारूप पर विद्वानों की सम्मतियाँ : डॉ० नगेन्द्र-३१६, श्री रामलाल पुरी-३१६, वलराम शास्त्री-३१७, डॉ० इन्द्रनाथ मदान-३२३, श्री सुधीरचन्द्र मजूमदार-३२३, श्री देवनारायण द्विवेदी-३२४, श्री हर्षनारायण-३२५, ३२५, प० मु० डांगरे—३२६, गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्तशास्त्री ३२७, श्री कृष्ण विकल-३२९]

भारतीय हिन्दी परिषद् . वर्तनी की एकरूपता के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप		३३३-३३८
भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा नियुक्त वर्तनी-सन्निधि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी :		३३९-३४१
'हिन्दी की वर्तनी तथा गठन-विश्लेषण'—		३४१-३५४
डॉ० वावूराम सक्सेना		३५४-३५५
डॉ० भोजानाथ तिवारी		३५४-३५७
श्री राजेन्द्र द्विवेदी		३५७
डॉ० रमेशचन्द्र महरोत्रा		३५८-३५९
डॉ० सिपाराम तिवारी		३५९-३६४
डॉ० गोपाल राय		६६४-३७२
उपसंहार		३७२

अध्याय—१६

हिन्दी-वर्तनी का प्रतिमानीकरण	...	३७२-४२१
एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान		३७३

सामान्य परिचय	३७३-३७५
हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध समस्याएँ	३७६
१. नागरी-वर्णमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ	•• ३७६-३८३
२. उच्चारण-भिन्नता से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ	••• ३७६-३८५
३. संस्कृत शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ	•• ३८५-३९०
४. विदेशी शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ	•• ३९०-३९४
५. परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ	•• ३९४-३९६
६. व्याकरण से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ	•• ३९६-४०२
७. ध्वनिशास्त्र से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ	••• ४०२-४१०
८. लेखन-पद्धति से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ	•• ४१०-४१७
९. रचना-शैली से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ	••• ४१७-४१८
१०. वर्णोत्तर चिह्नों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ	••• ४१८-४२१
सन्दर्भ ग्रन्थ और उनकी सङ्केत-तालिका	•• ४२२-४२४
पारिभाषिक शब्दावली	••• ४२५-४३२

नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी



लिपि का स्वरूप एवं विकास-क्रम

लिपि का स्वरूप :

भाषा^१ को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाले यादृच्छिक वर्ण-प्रतीको की परम्परागत व्यवस्था लिपि कहलाती है ।

उपर्युक्त परिभाषा से प्रायः स्पष्ट है कि जिस प्रकार भाषा ध्वनियों की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार लिपि वर्णों की । जिस प्रकार भाषा में ध्वनि और अर्थ का सम्बन्ध नित्य नहीं, प्रत्युत यादृच्छिक एवं प्रतीकात्मक होता है, उसी प्रकार लिपि में वर्ण और ध्वनि का सम्बन्ध भी । जिस प्रकार भाषागत ध्वनि-व्यवस्था परम्परागत होती है, उसी प्रकार लिपिगत वर्ण-व्यवस्था भी । भाषा में जो स्थान ध्वनि का होता है, वही स्थान लिपि में वर्ण का है । लिपि भाषा को मूर्त स्थायित्व देती है और बदले में उससे सार्थकता पाती है । किन्तु, इतनी घनिष्ठता होने पर भी दोनो में प्रकृत या निर्वैकल्पिक सम्बन्ध नहीं होता । यो, व्यावहारिक दृष्टि से दोनो एक दूसरे के लिए नितान्त आवश्यक है, फिर भी लिपि के लिए जैसी अनिवार्यता भाषा की है, वैसी भाषा के लिए लिपि की नहीं । तात्पर्य यह कि भाषा लिपि के बिना भी रह सकती है, किन्तु, भाषा के बिना लिपि निरर्थक रेखाओं और बिन्दुओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं । फिर भी, यह नहीं भूलना होगा कि भाषा का समुचित विकास तभी सम्भव हुआ, जब उसे नाद-स्वरूप के साथ-साथ दृश्य-स्वरूप भी प्राप्त हुआ । वाणी का वह दृश्य-रूप ही लिपि है । लिपिगत

१. Language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates. B Bloch & G L Trager, Outline of Linguistic Analysis.

स्वरूप प्राप्त कर भाषा को मूढम विकास के साथ-साथ व्यापकता का भी वरदान मिल गया। वह देग-काल की सीमा से मुक्त हो गयी।

मनुष्य ने भाषा पहले और लिपि बाद में अर्जित की। फिर भी, सम्यता के विकास में लिपि की देन भाषा की देन से कम गौरवपूर्ण नहीं मानी जायगी। यह सच है कि मनुष्य ने महन्त्राविद्यो तक अपने ज्ञान एवं चिन्तनादि की उपलब्धियों को मौखिक परम्परा में ही सुरक्षित रक्खा, किन्तु उस मामर्थ्य की एक सीमा थी। भाषा के आविष्कार ने यदि मानव जाति के लिए वर्धता में सम्यता की ओर जाने वाले मार्ग का उद्घाटन किया, तो लिपि के आविष्कार ने दूसरी ओर उनके निरन्तर विकास की असीम सम्भावनाओं के द्वार को सदा-सदा के लिए उन्मुक्त कर दिया।^२ इस प्रकार लिपि का आविष्कार मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट आविष्कारों में से एक माना जा सकता है।

विद्वानों के अनुसार, चूँकि लेखन-कला की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति के वृत्त बाद हुई इस कारण, महन्त्राविद्यो तक मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति तो करता रहा, किन्तु, उनके संरक्षण का उनके पास कोई साधन नहीं था। इसका एक व्यापक दुष्परिणाम यह हुआ कि उस अन्धकार-युग में न जाने कितनी ऐसी जातियाँ अपनी भाषाओं के साथ विश्व के रङ्गमञ्च पर जायीं और विलीन हो गयीं, जिनका हम आज नाम तक नहीं जानते, और हमारा यह कि उन प्रागैतिहासिक युग की मानव-सम्यता के इतिहास-ज्ञान के लिए आज हमारे पास पृथ्वी के गर्भ में यत्र-तत्र पाये जाने वाले ध्वस्त महलों, भग्न मूर्तिका-पात्रों तथा शिलीभूत अस्थि-पञ्जरो आदि पर आधारित अटकलें एवं अनुमानों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्ष मार्ग या साधन नहीं।

जिस दिन मनुष्य ने भाषा को लिपिवद्ध कर उसे दृश्य-रूप प्रदान करने की

1. "It is true that much of the intellectual record of man's past was long preserved in the form of oral tradition but to the volume of such record there is a limit, while time and caprice alike work havoc in it"—Edward Glodd, 'The History of Alphabet', P 11
2. "The invention of writing alone made possible the passage from barbarism to civilisation and secured the continuous progress of the human race"—Ibid, P. 13

कला का ज्ञान अर्जित किया, उस दिन से उसके जीवन में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। उसी दिन से मनुष्य अपने ज्ञान-विज्ञान के सञ्चय और संरक्षण में यथार्थ रूप से प्रवृत्त हुआ, जिससे सभ्यता और संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास सम्भव हुआ। वास्तव में भाषा और लिखने की कला, ये दो ऐसी वस्तुएँ हैं, जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक् करती हैं और, जिनके सहारे वह निरन्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है।^१ यदि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो मनुष्य अपनी सभ्यता तथा ज्ञान-विज्ञान के विकास में आज कितने पीछे पड़ा होता, इसका अन्दाज लगाना मुश्किल है।

लिपि की सामर्थ्य-सीमा

भाषा की तरह ही लिपि का अभिव्यक्ति-क्षमता की भी एक सीमा होती है। जिस प्रकार उच्चरित भाषा के द्वारा भावों और विचारों की, उनकी सम्पूर्णता में तथा तदनु रूप तीव्रता के साथ, अभिव्यक्ति सम्भव नहीं होती, उसी प्रकार लिपि के द्वारा भी उच्चरित भाषा की—उसकी समस्त ध्वनि-भङ्गिमाओं के साथ—पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार, यदि उच्चरित भाषा की सीमाएँ हैं, तो लिखित भाषा की भी सीमाएँ कम नहीं हैं, बल्कि उच्चरित भाषा की अपेक्षा कुछ बढ़कर ही हैं। लिखित भाषा उच्चरित भाषा का स्थूल साङ्केतिक रूप है। स्थूल इसलिए कि भाषा के उच्चरित रूप में बल, तान, स्वर आदि के द्वारा अर्थ-सम्बन्धी जो विशेषताएँ लायी जाती हैं, वे लिखित भाषा में नहीं लायी जा सकती। कहाँ जोर से बोले, कहाँ धीरे से, कहाँ किस प्रकार के काकु का प्रयोग करे, कहाँ स्वर ऊँचा करे, कहाँ नीचा करे, यह सब लिखित भाषा में बताना असम्भवप्राय है। पाठक को अपनी ओर से ध्वनि-सम्बन्धी इन गुणों की कल्पना करनी पड़ती है। दूसरी बात इस प्रसङ्ग में स्मरण रखने की यह है कि जिस प्रकार ध्वनि और विचार का, या यों कहे कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध रूढ है, उनमें कोई यौक्तिक और निश्चित सम्बन्ध नहीं है, उसी प्रकार ध्वनि और उनके लिखित सङ्केत यानी वर्ण का सम्बन्ध भी रूढ एवं पारम्परिक ही है। यही कारण है कि जिस प्रकार विभिन्न भाषाओं में एक ही वस्तु के लिए विभिन्न शब्द हैं, उसी प्रकार एक ही ध्वनि के लिए विभिन्न लिपियों में विभिन्न लिपि-सङ्केत या वर्ण पाये जाते हैं।^२ यदि ध्वनि और वर्ण का सम्बन्ध नित्य या नैसर्गिक होता, तो एक ही ध्वनि के लिए भिन्न-भिन्न लिपियों में असमान वर्ण नहीं

१ डॉ० उद्दय नारायण तिवारी, हि० भा० उ० वि०, पृ० ५४६।

२ देवेन्द्रनाथ शर्मा, भाषा-विज्ञान की भूमिका, पृ० ३२८-२९।

होते, बल्कि उस स्थिति में संसार में केवल एक ही लिपि होती, अनेक लिपियों का प्रश्न ही नहीं उठता ।

लिपि का उद्भव और विकास-क्रम

भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न की तरह ही लिपि की उत्पत्ति का प्रश्न भी अभी तक कोई निश्चित एवं सर्वमान्य उत्तर नहीं पा सका है । जिस प्रकार भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक प्रकार के अनुमान किये हैं, जिनमें कोई भी पूर्णतः सर्वग्राह्य नहीं है, लगभग वही स्थिति लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी है ।

डॉ० सक्सेना ने लिपि की उत्पत्ति की परिस्थितियों तथा प्रक्रियाओं की चर्चा करते हुए लिखा है कि "मनुष्य अपने समय की विशेष घटनाओं की स्मृति छोड़ जाना चाहता है । उनका उल्लेख वह अपने पुत्र-पौत्रों से कर दे और वे अपने नानी-पोनों से, तो परम्परा से स्मृति वाकी रह सकती है । पर, सदा यह सम्भव नहीं कि उनके ये निकटस्थ सम्बन्धी उनके पास हों । यदि उनमें कोई बात अन्तःस्तल में छिपा रखी है और उसके बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो वह अपनी बात की स्थिति किस पर छोड़ जाय ? यदि वह उनको भी अपनी बात का भेद न बताकर दूरस्थ प्रेमी-जन के पास भेजना चाहता है, तो वह किस उपाय का अवलम्बन करे ? आज जब लेख, पत्र, तार, टेलीफोन आदि साधन मनुष्य को सुलभ हैं, तब इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करना अनर्गल-सा मालूम होता है । पर, जब ये साधन नहीं मौजूद रहें होंगे, तब क्या होता होगा ?

लिपि आदि साधनों के रहने पर भी स्मृति आदि के लिए अन्य साधनों का भी उपयोग चल सकता है । हनुमान जी रामचन्द्र जी की मुद्रिका दिखाकर ही सीता जी को यह विश्वास दिला सके कि वह उनके स्वामी के दूत थे । दुष्यन्त ने अपने नाम की अङ्घ्रि अङ्गूठी अभिज्ञानस्वरूप शकुन्तला के पास छोड़ दी थी, ऐसा कालिदास का प्रतिपादन है । आज भी गाढी-व्याह के न्योते के रूप में सुपारी भेजने का देश में रिवाज है । किसी की मृत्यु की सूचना जिस चिट्ठी द्वारा दी जाती है, उसमें एक कोना फाड़ दिया जाता है । यदि किसी बात को याद रखना जरूरी है और उसे भूल जाने का अन्देशा है, तो गाँठ बाँध ली जाती है । अपने देश में वर्षगाँठ भी निश्चय ही स्मृति के साधन-स्वरूप है । बच्चा कितने साल का हुआ, यह बात लोग में जली हुई गाँठों की सहायता से मालूम हो जाती है । कुछ देशों में, विचित्र रेखाओं में खींचित छठी को देखकर उन विभिन्न रेखाओं द्वारा स्मृति में आयी हुई बातों को दूत बना सकते थे ।

इस प्रकार, श्रोत्र-ग्राह्य शब्द का प्रतिरूप या उसकी सहायक कोई ऐसी चीज हुई, जो नेत्र-ग्राह्य हो। इस विषय में कुछ जातियों के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं। पेरू में कुइपु नाम की डोरियाँ होती थी। ये दो फुट से अधिक लम्बी होती थी। इनमें रग-विरगे धागे बँधे रहते थे। इन रगो और धागो में पड़ी हुई गाँठों से विविध अर्थों का सकेत हो जाता था, सफेद भाग से 'चाँदी' या 'शान्ति' का अर्थ निकाला जाता था, लाल से 'सोना' या 'युद्ध' का। इसी तरह मृगचर्म में रग-विरगे मोती-मूँगे आदि चीजे बाँधकर विविध अर्थों का बोध कराया जाता था। यह तरकीब उत्तरी अमरीका की कुछ जातियों में प्रचलित थी। ये तरकीबें सकेत-स्वरूप समझनी चाहिए, उसी प्रकार जैसे एक विघेप आकृति के अक्षरों से एक विघेप शब्द द्वारा किसी विशेष भाव का उद्बोध हो जाता है। भाव के ज्ञान के लिए, सकेत के पूर्वज्ञान की अपेक्षा अनिवार्य है। इस प्रकार के सकेतों के लिए किसी विघेप माध्यम की जरूरत नहीं।"^१

उपर्युक्त त्रिवेचन के पश्चात् डॉ० सक्सेना ने स्मृति-चित्रों से चित्र-सङ्केत, फिर भाव-सङ्केत और तदनन्तर वर्ण एवं अक्षर-सङ्केत का विकास-क्रम निर्धारित करते हुए लिखा कि "प्रथम सम्पूर्ण वात या वाक्य का बोध कराने वाले चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए उनके उद्बोधक सङ्केत, और इनसे अक्षर, लिपि के विकास में यह क्रम रहा।"^२

विवेच्य विषय पर डॉ० उदयनारायण तिवारी के मत भी प्रायः वे ही हैं, जो डॉ० सक्सेना के हैं। उन्होंने लिखा है कि "लिपि के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने वाले विद्वानों का अनुमान है कि भाषा की भाँति लिखने की कला की उत्पत्ति भी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ही हुई होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाओं अथवा तथ्यों के संरक्षण की अपेक्षा अपने निकट की वस्तुओं से सहानुभूति प्रकट करने के लिए ही गुहामानव ने सर्वप्रथम चित्रों का अङ्कन किया था। उत्तरपाषाण-काल के ऐसे अनेक चित्र विभिन्न देशों की कन्दराओं की भित्तियों पर मिले हैं। प्रतीकों द्वारा सन्देश भेजने की प्रथा भी अति प्राचीन काल से विभिन्न देशों में प्रचलित है। तिब्बती-चीनी सीमा पर जब किमी के पास मुर्गी का कलेजा उसकी चर्बी के तीन टुकड़ों एवं एक मिर्च के साथ लाल कागज में लपेटकर भेजा जाता है तो उसका अर्थ होता है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह प्रसिद्ध है कि महाराज शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने आगीवादि रूप में उनके पास घोड़े की थोड़ी लीद तथा प्रस्तर के टुकड़े भेजे थे। इससे तात्पर्य यह था कि तुम्हारे घोड़े तथा

१ डॉ० बाबूराम सक्सेना, सा० भा०, पृ० २४४-२४५।

२ उपरिवत्, पृ०-२४७।

दुर्ग सुरक्षित रहे, जिसमें तुम युद्ध में विजय प्राप्त करते रहो ।”^१ इस विवेचन के पश्चात् डॉ० उदयनारायण तिवारी ने भी ‘लिखने की कला का आद्यरूप’ चित्र-लिपि को माना है और फिर उससे क्रमशः भावलिपि तथा ध्वन्यात्मक अर्थात् अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपि का विकास प्रदर्शित किया है ।

लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यान्य आधुनिक विद्वानों ने भी भिन्न-भिन्न प्रकार में प्रायः उपर्युक्त विकासवादी सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया है । इस सम्बन्ध में हमारा सिद्धान्त लिपि की दिव्योत्पत्ति का है, जिसे हम दिव्योत्पत्ति-सिद्धान्त कह सकते हैं । इस सिद्धान्त का समर्थन मुख्यतः भारत के प्राचीन आचार्यों के कथन से होता है ।

भारत की परम्परागत मान्यता के अनुसार लिपि के आदि आविष्कर्ता ब्रह्मा थे । नारदस्मृति के अनुसार यदि ब्रह्मा ने लेखन-कला का आविष्कार नहीं किया होता, तो यह नमार अभी तक आज की जमी सुस्थिति में नहीं पहुँच सका होता ।^२ ब्रह्मा ने लेखन-कला का निर्माण क्यों किया, इसके सम्बन्ध में बृहस्पति का वचन है कि किन्नी वात को यदि मात्र छह महीने तक भी स्मरण रखने का प्रयास किया जाय, तो उन अत्पावधि में ही उसमें भ्रान्ति की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है । इसीलिए ब्रह्मा ने पुराकाल में ही पत्रों पर रेखाङ्कित किये जा सकने वाले अक्षरों का निर्माण किया ।^३ ब्रह्मा ने ब्रह्मा की एक ऐसी मूर्ति भी उपलब्ध है, जिसमें उनके हाथों में पत्रों का एक गट्टर दिखाया गया है ।^४ इसके अतिरिक्त वीणा-पुस्तकधारिणी वाग्देवी सरस्वती के स्वरूप की जो भारतीय कल्पना है, उससे भी लिपि की दिव्योत्पत्ति के विश्वास को बल मिलता है । सरस्वती की वीणा भाषा के ध्वनिमय स्वरूप की ओर सङ्केत करती है और पुस्तक लिपि के वर्णमय स्वरूप की ओर ।

किन्तु, वर्तमान युग के बुद्धिवादी विद्वानों के लिए लिपि या भाषा की दिव्योत्पत्ति के सिद्धान्त पर विश्वास करना सम्भव नहीं है । वे भाषा की तरह

१ डॉ० उदयनारायण तिवारी, हि० भा० २० वि०, पृ० ५४६-४६ ।

२ नागरिण्यद्यदि ब्रह्मा लिखित चक्षुस्तमम् ।

तत्रेयमस्य लोकस्य नामविध्यत् शुभा गतिः ॥—नारदस्मृति ।

३ पाण्डामिके तु समये भ्रान्तिः सञ्जायते यत् ।

द्याशाक्षराणि सृष्टानि पत्राह्वाण्यतः पुरा ॥—आह्निकतत्त्व एव ज्योतिस्तत्त्व में बृहस्पति का वचन ।

४ ‘दे० लि०, स्व० वि० और स०’ में रा० ना० दाण्डेकर का लेख, पृ० ६४ ।

ही लिपि को भी मानव-बुद्धि द्वारा अर्जित कला मानते हैं और उसकी व्याख्या विकासवाद के सिद्धान्त के आधार पर करते हैं।

विकासवादी सिद्धान्त के अनुसार लिपि के विकास की चार अवस्थाएँ मानी गयी हैं—(१) चित्रलिपि (पिक्टोग्रैफिक स्क्रिप्ट), (२) भाव-सङ्केत-लिपि (आइडिओग्रैफिक स्क्रिप्ट), (३) वर्णात्मक लिपि (अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट) तथा (४) अक्षरात्मक लिपि (सिलेबिक स्क्रिप्ट)। इनमें से प्रथम दो अवस्थाओं की लिपियों का सम्बन्ध भाषा से नहीं था, इसलिए लिपि की निर्धारित परिभाषा के अनुसार उन्हें लिपि की वास्तविक श्रेणी में परिगणित करना समीचीन नहीं। किन्तु, विद्वानों ने उन्हीं से अन्तिम दो अवस्थाओं की लिपियों के क्रमिक विकास की कल्पना की है और इसलिए उन्हें भी लिपि की श्रेणी में परिगणित कर लिया है।

चित्रलिपि —समार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाले अत्यन्त प्राचीन गिलाखण्ड काष्ठपट्टिका, पशु-चर्म, अस्थि तथा भोजपत्र पर अनेक कथाएँ चित्रों के रूप में उत्कीर्ण एवं चित्रित मिली हैं। उन्हीं के आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि 'लिखने की कला का आद्यरूप वास्तव में चित्रलिपि ही है'^२ पुरातन युग का आदिमानव सुनिश्चित लिपि के अभाव में अपने किसी भाव या कथा की अभिव्यक्ति के लिए सङ्केत के रूप में चित्रों की रचना तत्कालीन उपलब्ध उपादानों पर किया करता था। अमेरिका के लेक सुपीरियर के समीप की पर्वत-कन्दरा में प्राप्त एक शिलाखण्ड पर किङ्गफिशर की कथा ऐसी ही चित्रलिपि में उत्कीर्ण है।^३ इसी प्रकार अजमेर में सुरक्षित एक गिलाखण्ड पर किसी गोपाल की कहानी तथा सारनाथ के पत्थरों पर जातक-कथाओं का चित्रण एवं बुद्ध के उपदेश के सङ्केत चित्रलिपि में ही उत्कीर्ण हैं। अजन्ता के भित्तिचित्र भी इसी लिपि के नमूने हैं।

चित्रलिपि के स्वरूप तथा उनके गुण-दोषों का विवेचन करते हुए आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि "लिपि का प्राचीनतम और प्रारम्भिक रूप चित्रात्मक था अर्थात् मनुष्य जिस वस्तु को लिपिवद्ध करना चाहता था, उसका चित्र बना देता था। यदि पहाड़ को लिपिवद्ध करना हुआ, तो ऊँची-नीची रेखाएँ खींच दी, यदि 'मनुष्य' लिखना हुआ तो, रेखाओं की सहायता से उसकी आकृति अंकित कर

१ डॉ० उदयनारायण तिवारी, हि० भा० का उ० और वि०, पृ० ५४८।

२ डॉ० उदयनारायण तिवारी, हि० भा० उ० वि०, पृ० ५४७।

३ प० के० प्र० मि०, ना० अ० अ०, पृ० ३२।

दी। इसी तरह वृक्षों, पशुओं, पक्षियों आदि के भी चित्र खींच दिए जाते थे। स्थायित्व देने की भावना की तृप्ति तो चित्रलिपि में अवश्य हो जाती थी, किन्तु उसकी अनेक त्रुटियाँ थी :

(क) चित्रों की सहायता से वस्तुओं को अंकित करने में साकेतिक अनन्तता सबसे प्रमुख त्रुटि थी। जितनी वस्तुएँ अंकित करनी होती थी, उतने प्रकार के चित्र बनाने पड़ते थे। घोंडे के चित्र से हाथी का बोध नहीं हो सकता था और न पर्वत के चित्र में नदी का।

(ख) दूसरी त्रुटि यह थी कि प्रत्येक वस्तु के लिए पृथक् साकेत बनाने पड़ते थे। साकेतों की अनन्तता के साथ साकेतों का पार्श्वद्वय अनिवार्य रूप में मिला हुआ था।

(ग) चित्रलिपि का यह भी एक बड़ा दोष था कि उसमें स्थान बहुत घिरना था। 'बहु मनुष्य है' यह लिखने की अपेक्षा मनुष्य का चित्र बनाना, चाहे वह किन्तना भी छोटा क्यों न हो, सदा अधिक स्थान लेगा।

(घ) चित्रलिपि समयमाध्य भी थी। किसी वस्तु का चित्र बनाना बहुत जल्दी में सम्भव नहीं हो सकता। एक-दो चित्र बनाने ही तो किसी प्रकार काम चल भी सकता है, लेकिन जहाँ सब कुछ चित्रों की सहायता से ही अभिव्यक्त करना हो, वहाँ समय के अपव्यय की महज ही कल्पना की जा सकती है।

(ङ) समय-साध्यता का प्रभाव लेखन की गति पर पड़ना अनिवार्य है। चित्र बनाने में यदि समय अधिक लगता है, तो अनुपातत लिखने की गति में मन्दता रहेगी ही। जितनी तेजी में आज हम ध्वन्यात्मक लिपि में लिख सकते हैं, उतनी तेजी में चित्रलिपि में नहीं लिख सकते।

(च) चित्रलिपि की एक और बहुत बड़ी त्रुटि यह थी कि उसमें केवल स्थूल वस्तुओं का ही उल्लेख हो सकता था, सूक्ष्म अथवा अमूर्त वस्तुओं का नहीं। पर्वत, नदी, वृक्ष और पशु आदि का चित्र बना देना तो सम्भव है, किन्तु प्रेम, दया, करुणा और उत्साह आदि का नहीं।

चित्रलिपि में दोष तो अनेक थे, जैसा अभी हमने देखा, किन्तु एक गुण भी था और वह श्री उसकी सर्वव्याप्यता। आज भी ध्वन्यात्मक लिपियों में कोई शब्द लिखने पर उसे वहाँ समझ सकता है, जो उस भाषा और लिपि में परिचित हो। उदाहरणार्थ, देवनागरी लिपि में 'हाथी' शब्द लिखा देखकर इसका अर्थ वही समझ सकता है, जो देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा से परिचित हो। किन्तु, हाथी का

चित्र देखकर कोई भी हाथी का अर्थ समझ सकता है, चाहे वह रूसी बोलने वाला हो, चाहे फ्रासीसी, चाहे अंग्रेजी। कहने की आवश्यकता नहीं कि दोषों की तुलना में यह एक गुण नितान्त नगण्य था। स्वभावतः मनुष्य की बुद्धि किसी ऐसी लिपि के अनुसन्धान में अग्रसर हुई, जिसमें उपर्युक्त त्रुटियाँ कम-से-कम रहे।”^१

चित्रलिपि का प्रयोग प्रायः प्रत्येक देश में पाया जाता है। मिस्र, मैसे-पोटामिया, फोनेशिया, क्रीट, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, मध्य अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, चीन तथा भारत, सर्वत्र इसके प्राचीन अवशेष उपलब्ध हैं। “यदि चित्रों द्वारा ही भावों का व्यक्तीकरण होता रहता, तो भाषा-विभेद के रहते हुए भी एक जाति या देश के चित्रों से दूसरी जाति या देशवाले भी उन भावों का बोध कर लेते।”^२ किन्तु, चित्रलिपि मूढ भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अनुपयुक्त थी, उसमें लाघव तथा स्पष्टता का अभाव था। इन्हीं कारणों से मनुष्य दूसरे प्रकार की लिपि का अनुसन्धान करने को बाध्य हुआ।^३ यह कहा जा चुका है कि चित्रलिपि का सम्बन्ध भाषा के श्रव्यरूप से विल्कुल नहीं था, इस कारण वास्तविक अर्थ में इसे लिपि कहना भी युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होता। यद्यपि विद्वानों ने एक स्वर से इसे सभी लिपियों का आदिरूप घोषित किया है, किन्तु, आधुनिक या प्राचीन किसी भी व्वन्यात्मक लिपि से इसका वैज्ञानिक सामञ्जस्य स्थापित करना असम्भव है। अस्तु यह प्रश्न अभी भी विद्वानों के गम्भीर चिन्तन एवं शोध की अपेक्षा रखता है।

भाव-सङ्केत-लिपि —यह लिपि-विकास की दूसरी अवस्था मानी जाती है। इसका विकास चित्रलिपि से ही हुआ। डॉ० सक्सेना के अनुसार ‘चित्रों का खींचना आसान काम न था, समय भी काफी लगता था। धीरे-धीरे खराब खिंचे हुए चित्रों से भी काम चलता रहा। होते-होते ये चित्र अपने मूलरूप से बहुत दूर हट आये। अब इन सङ्केतों को देखकर ही मूल चित्रों का उद्बोध होता था और उनके द्वारा उनके भावों का। चित्रों की स्थिति तक, चाहे वे कितने भी बुरे खिंचे हुए हो, भावों का उद्बोध अन्य भाषा-भाषियों को भी हो जाता था। पर, अब सङ्केतों के कारण व्यक्तीकरण उन्हीं तक सीमित रह गया, जो उन सङ्केतों से अभिन्न थे।

१ देवेन्द्रनाथ शर्मा, भा० भू०, पृ० ३२६-३०।

२ डॉ० बाबूराम सक्सेना, सामान्य भाषा-विज्ञान, पृ० १६१।

३ न० चि० जो०, ‘लिपियों का शास्त्रीय विवेचन व विकास-क्रम,’ दे० ना० लि०, स्व० वि० और स०, पृ० १५६।

चित्र तक तो भाव और चित्र-सङ्केत में, देखने वालों को एक प्रकार का समवाय सम्बन्ध मालूम देता था, किन्तु अब तो केवल ऐसा सम्बन्ध रह गया, जो रुढ़ि पर आश्रित था।^१ इस प्रकार भाव-सङ्केत-लिपि चित्रलिपि की अपेक्षा एकदेशीय बन गयी। इसके सङ्केत चित्रलिपि की तरह वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर भावों का प्रतिनिधित्व करने थे।^२ इसीलिए, इसे भाव-सङ्केत-लिपि कहा गया है।

इस लिपि के प्रयोग के लिए मिस्र आदि कतिपय देशों में कीलों का उपयोग किया जाता था, इस कारण कुछ विद्वानों ने इसे कीललिपि भी कहा है। यह लिपि चित्रलिपि के समान ही श्रमसाध्य तथा मूढम भावों एवं विचारों के व्यक्तीकरण में अक्षम थी। इसमें स्पष्टता की मात्रा चित्रलिपि से भी कम थी। इस कारण मनुष्य पुनः क्रिन्ना नवीन लिपि के अनुसन्धान की ओर अग्रसर हुआ। डॉ० सक्सेना तथा अन्य कतिपय विद्वानों के अनुसार भाव-सङ्केत-लिपि में ही परवर्ती ध्वन्यात्मक लिपियों का विकास हुआ। उन्होंने लिखा है कि “जब रुढ़ि द्वारा स्थापित इस प्रकार के सङ्केत विशिष्ट भाषा-भाषी जाति या देश तक सीमित रह गये, तब इन सङ्केतों में विशिष्ट शब्दों (ध्वनि-समूहों) का ही उद्बोध होना स्वाभाविक था। इस प्रकार ये विशिष्ट सङ्केत, चित्र में इतनी दूर दूर आये कि केवल विशिष्ट ध्वनि-समूहों (ध्वन्यात्मक शब्दों) का बोध कराने लगे।”^३

डॉ० सक्सेना की उक्त स्थापना को स्वीकार करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि भाव-सङ्केत मूलतः चित्रों के अवशिष्ट थे, जिनका सम्बन्ध स्थूल वस्तुओं तथा भावों में था। इस कारण वे सङ्केत, चित्रों में चाहे कितनी भी दूर क्यों न चले गये हों तथा चित्रों में कितने भी भिन्न क्यों न दीखने लगे हों, मूलतः स्थूल वस्तुओं तथा स्थूल भावों के ही प्रतीक थे। उनका सम्बन्ध शब्दों या शब्द की ध्वनियों में जोड़ना तर्कसङ्गत नहीं प्रतीत होता। जिस प्रकार भाषा का सीधा सम्बन्ध भाव में होता है, उसी प्रकार भाव-सङ्केत-लिपि का भी सीधा सम्बन्ध भाव में था। उन दोनों (अर्थात् भाव-सङ्केत लिपि और भाव) के बीच भाषा के शब्दों या ध्वनियों की मध्यस्थता की कल्पना निराधार है। यदि ऐसा होता तो जिस प्रकार ध्वन्यात्मक लिपि में व्यक्त भावार्थ को बिना समझे भी हम उसे अवाच्य रूप से पढ़ सकने ह, उसी प्रकार भाव-सङ्केत-लिपि को भी बिना उसके भावों को समझे, अवाच्य

१ डॉ० वावूराम सक्सेना, सामान्य भाषा-विज्ञान, पृ० १६१-१६२।

२ डॉ० उदयनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, पृ० ५४७।

३ डॉ० वावूराम सक्सेना, सामान्य भाषा-विज्ञान, पृ० १६२।

रूप से पढा जा सकता था। किन्तु, भाव-सङ्केत लिपि में व्यक्त भाव को ध्वन्यात्मक लिपि की तरह पढकर नहीं, केवल देखकर ही समझा जाता है। अतः उसके लिए 'पढना' शब्द का प्रयोग भी उसी प्रकार भ्रामक है, जिस प्रकार 'लिपि' शब्द का प्रयोग। वास्तविक अर्थ में भाव-सङ्केत-लिपि 'लिपि' नहीं थी, क्योंकि इसका भी सम्बन्ध, चित्रलिपि के समान ही, भाषा के श्रव्यरूप से नहीं था। अतः लिपि-विकास के इस सिद्धान्त को स्वीकार करना कठिन है कि "प्रथम सम्पूर्ण वात या वाक्य का बोध कराने वाला एक चित्र, फिर वाक्य के विभिन्न स्थूल भावों के अलग-अलग चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए उनके उद्बोधक सङ्केत और इनसे अक्षर।"

विशुद्ध भाव-लिपि के नमूने उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों तथा मध्य-अफ्रीका के हब्शी लोगो से प्राप्त हुए हैं।^२ कीललिपि या कीलाक्षर के सर्वाधिक प्राचीन नमूने मिस्र में उपलब्ध हुए हैं।

वर्णात्मक लिपि — यद्यपि विद्वानों ने इसे लिपि-विकास की तीसरी अवस्था और किसी-किसी ने चौथी और अन्तिम अवस्था में परिगणित किया है, किन्तु लिपि के वास्तविक और आधुनिक अर्थ में यह लिपि की प्रथम अवस्था थी। इसका निर्माण भाषा की ध्वनियों के आधार पर हुआ था। इस कारण इसे ध्वन्यात्मक लिपि या ध्वनिलिपि भी कहा जा सकता है। इसमें भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग-अलग वर्ण प्रतीक निश्चित किये गये।^३ यहाँ आकर लिपि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भाषा के श्रव्य रूप अर्थात् ध्वनियों में जुड़ गया। इस कारण लिपि के यथार्थ स्वरूप का प्रारम्भ वास्तव में वर्णलिपि से ही माना जाना चाहिए।

लिपि के इतिहास में ध्वन्यात्मक लिपि का स्थान सबसे ऊँचा है। वास्तव में आज ध्वन्यात्मक लिपि ही भाषा की प्रतिरूपा है और लिखने की इस प्रणाली में, प्रत्येक वर्ण, भाषा की विशेष ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिपि के चिह्न-वस्तुतः, वस्तु अथवा भाव को नहीं द्योतित करते, अपितु ये ध्वनि अथवा ध्वनिसमूहों को प्रकट करते हैं। संक्षेप में इस प्रणाली में लिखित रूप, बोलने वाली भाषा का ही दूसरा रूप होता है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि-

१ डॉ० बाबूराम सक्सेना, (सा० मा० वि०, पृ० १६२-१६३)।

२ डॉ० उदय नारायण तिवारी हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, पृ० ५४८।

३ न० चि० जोगलेकर, लिपियों का शास्त्रीय विवेचन विकास-क्रम, दे० ना० लि० स्व० वि० और स०, पृ० १५८।

इनमें लिपि तथा भाषा एक दूसरे का अङ्ग बन जाती है और लिपि ही भाषा का प्रतिनिधित्व करने लगती है।^१

कुछ विद्वानों ने ध्वन्यात्मक लिपि को अक्षरात्मक और वर्णात्मक दो वर्गों में बाँटकर वर्णात्मक को अक्षरात्मक से भी श्रेष्ठ स्वीकार किया है।^२ किन्तु, यथार्थ सत्य इसके विपरीत है। अक्षरात्मक लिपि, वास्तव में, वर्णात्मक लिपि का अधिक परिष्कृत एवं पूर्ण रूप है। वर्णात्मक लिपि का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन आधुनिक रोमन लिपि में तथा अक्षरात्मक का देवनागरी लिपि में प्राप्त होता है।

वर्णात्मक तथा अक्षरात्मक लिपियों में अधिकांशतः समानता होने पर भी एक प्रमुख भिन्नता यह होती है कि वर्णात्मक लिपि का स्वरूप केवल ध्वनि-विश्लेषणात्मक होता है, मयोगात्मक नहीं, जबकि अक्षरात्मक लिपि में दोनों विशेषताएँ होती हैं। वर्णात्मक लिपि में स्वर और व्यञ्जन एक-दूसरे से अलग रहकर ही अपना सम्बन्ध व्यक्त करते हैं। इसमें दोनों के युक्त रूप को एकीकृत करने की क्षमता नहीं होती। अक्षरात्मक लिपि इसी दृष्टि से वर्णात्मक से श्रेष्ठ होती है। जब वर्णात्मक लिपि में सभी स्वर वर्णों के लिए अलग से मात्रा-चिह्न या भिन्न प्रतीक निश्चिन कर लिये गये तो वर्णात्मक लिपि का स्वरूप अक्षरात्मक हो गया।

अक्षरात्मक लिपि — लिपि के अद्यतन विकास-क्रम में अक्षरात्मक लिपि का स्थान सर्वोपरि है। यह वर्णात्मक लिपि का ही अधिक वैज्ञानिक एवं पूर्ण विकसित रूप है। वर्णात्मक लिपि के समान इसमें भी प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतन्त्र वर्ण तथा स्वर एवं व्यञ्जन के अलग-अलग वर्ग होते हैं। किन्तु वर्णात्मक लिपि में व्यञ्जन के माथ स्वर के संयुक्त रूप को एकीकृत कर स्वतन्त्र वर्ण के रूप में नहीं दिखलाया जा सकता। अक्षरात्मक लिपि की यह अपनी विशेषता होती है कि उनमें प्रत्येक स्वर की मात्रा तथा उस सूचित करने वाले स्वतन्त्र चिह्न निश्चित होते हैं, जिनके उपयोग से व्यञ्जन तथा स्वर के युक्त रूपों को एकीकृत कर स्वतन्त्र वर्णों के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार, आक्षरिक लिपि, ध्वनियों की स्वतन्त्र सत्ता का पृथक् सङ्केत देती हुई, उन्हें परस्पर युक्त दिखलाने में भी समर्थ होती है, जो गुण वर्णात्मक लिपि में नहीं होता। कुछ विद्वानों ने आक्षरिक लिपि पर यह आक्षेप लगाया है कि 'इसके द्वारा ध्वनि का विश्लेषण तनिक कठिनाई से होता

१ डॉ० उदयनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास, पृ० ५४८।

२. उपरिवत्।

है।^१ किन्तु, यह मान्यता नितान्त भ्रमपूर्ण है। आक्षरिक लिपि विग्लेपण तथा-सयोग दोनों ही में सरलतम वैज्ञानिक पद्धति का परिचय देती है। देवनागरी इसी-कोटि की लिपि है। अक्षरात्मक लिपि की विशेषताओं का विस्तृत परिचय देवनागरी की विशेषताओं के विवेचन के रूप में आगे दिया जायगा। यहाँ हम अति मक्षेप में इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख मात्र कर देना आवश्यक समझते हैं।

अक्षरात्मक लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र वर्ण होते हैं। इसमें प्रत्येक स्वर-वर्ण के लिए पृथक् से मात्रा-चिह्न निश्चित होते हैं, जिनके प्रयोग के द्वारा स्वरयुक्त व्यञ्जनो अर्थात् अक्षरो (सिलेबुल्स) को उच्चारणानुरूप लिपिवद्ध किया जा सकता है। उक्त गुण के कारण इसमें कम स्थान में अधिक शब्द लिखे जा सकते हैं। यह लिपि लेखन एव वाचन दोनों ही दृष्टियों से सरल होती है। यह ध्वन्यात्मक तथा स्वनिमात्मक प्रतिलेखन एव लिप्यन्तरण के उपयुक्त होती है। यह त्वरा-लेखन के अनुकूल होती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इसमें वर्णनात्मक लिपि की सारी विशेषताएँ तो होती ही हैं, साथ ही कुछ ऐसी विशेषताएँ भी होती हैं, जो उसमें नहीं पायी जाती।



अध्याय

: २ :

भारत में लिपि-ज्ञान की प्राचीनता

भारत में लेखन-कला का प्रारम्भ कब से हुआ, यह प्रश्न पिछले सौ वर्षों से अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय इतिहास-लेखकों एवं भाषाशास्त्रियों के लिए गम्भीर जोध एवं विवाद का विषय रहा है। फलतः इस सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण एवं रोचक ग्रन्थ सामने आये हैं, किन्तु मूल प्रश्न का प्रमाण-पुष्ट एवं सर्वमान्य उत्तर दिया जाना अद्यापि शेष ही है। अतः, यह प्रश्न अभी भी गहनतर जोध एवं पृथग्रहरहित विवेचन की अपेक्षा रखता है।

१९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक ऐसे विषयों की ओर किसी विद्वान का ध्यान नहीं गया था। सर्वप्रथम, १८७४ ई० में विलियम जोन्स के प्रयत्न से जब एशिया के इतिहास, शिल्प, भाषा, साहित्य आदि के शोध के लिए बङ्गाल में 'एशियाटिक सोसाइटी', नामक संस्था की स्थापना हुई, तब से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास और साहित्यादि के अनुसन्धान के साथ भारतीय लिपियों के सम्बन्ध में भी अध्ययन एवं चिन्तन का कार्य प्रारम्भ हुआ। १९वीं शताब्दी के अन्त तक भारतीय भाषा, साहित्य एवं इतिहास के अधिकार विदेशी अध्येताओं एवं पुरातत्त्ववेत्ताओं के द्वारा भारतीय लेखन-कला के सम्बन्ध में दो प्रकार की भ्रामक मान्यताओं का प्रचार होता रहा। प्रथम यह कि तीसरी-चौथी शताब्दी ई० पू० में पहले भारतवर्ष में लेखन-कला अज्ञात थी और उस समय तक का समस्त भारतीय वाङ्मय मौखिक परम्परा में ही सुरक्षित था, तथा द्वितीय यह कि भारत की प्राचीनतम लिपि अथोक के शिलालेखों में प्राप्त होने वाली ब्राह्मी लिपि है, जो किसी विदेशी लिपि से उत्पन्न हुई, अर्थात् भारतीयों ने विदेशियों से लेखन-कला का ज्ञान अर्जित किया।

उपर्युक्त भ्रामक मान्यताओं को जन्म देने वाले तथा उसका पोषण एवं प्रचार करने वाले विद्वानों में वृन्दर, मैक्समूलर, अल्फ्रेड मूलर, प्रिन्सेप, सेनार्ट,

विल्सन, हलवे, कस्ट, विलियम जोन्स, कॉप्प, लेप्सिअस, वेबर, वेनफी, पाँट, वेस्टर गार्ड, सायस, व्हिटनी, स्टिवेन्सन, पॉलगोल्ड स्मिथ, बर्नेल, लेनोर्मट, डीके, आइजक टेलर, एडवर्ड क्लॉड, राइस डेविड्स, बार्नेट, रफ्सन और डेविड डेरिङ्गर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। दूसरी ओर विदेशी विद्वानों में कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने उपर्युक्त मान्यताओं को भ्रामक बताते हुए उनके प्रति अपनी असहमति प्रकट की थी। ऐसे विद्वानों में डॉ० हुल्ग, डॉ० फ्लीट, एडवर्ड थॉमस, प्रो० डउसन जेनरल कनिङ्गम और प्रो० लासन आदि के नाम विशेष महत्त्व के अधिकारी हैं।

भारतीय विद्वानों में सर्वप्रथम महामहोपाध्याय पण्डित गीरीशङ्कर हीराचन्द ओझा ने एतद्विषयक अपना अद्वितीय पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' १८९४ ई० में प्रकाशित किया, जिसका दूसरा सशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण १९१८ ई० में प्रकाशित हुआ। अपने ग्रन्थ के द्वारा ओझा जी ने भारतीय लेखन-कला के सम्बन्ध में विदेशी पण्डितों की भ्रामक स्थापनाओं का सप्रमाण खण्डन किया, भारतीय लेखन-कला की प्राचीनता सिद्ध की तथा पाँचवी शताब्दी ई० पू० से लेकर आधुनिक युग तक की समस्त भारतीय लिपियों का चित्र देते हुए, उनका पारस्परिक सम्बन्ध एवं क्रमवद्ध इतिहास प्रस्तुत किया। यह ग्रन्थ आज भी अपनी पद्धति और प्रकार का अकेला ग्रन्थ है तथा हिन्दी के अन्यतम गौरवग्रन्थों में परिगणनीय है। इस ग्रन्थ (द्वितीय संस्करण, १९१८ ई०) के प्रकाशन के पश्चात् भारतीय लेखन-कला के सम्बन्ध में अनर्गल कल्पनाओं का युग समाप्त हो गया तथा चूलर आदि कतिपय विपक्षी विद्वानों को भी अपनी पूर्वमान्यताओं में सशोधन करने को विवश होना पडा।

उपर्युक्त प्रशस्ति का यह आगम कदापि नहीं है कि ओझा जी ने भारतीय लेखन-कला में सम्बद्ध सभी प्रश्नों के अन्तिम उत्तर दे दिये। वस्तुतः उनका अध्ययन इस दिशा में प्रामाणिक होते हुए भी प्रारम्भिक ही माना जायगा, क्योंकि इस विषय से सम्बद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर उनसे भी न बन पडा। उदाहरणार्थ, उन्होंने भारतीय लेखन-कला की प्राचीनता तो सिद्ध की, किन्तु वे यह नहीं बता सके कि उसका ठीक-ठीक प्रारम्भ कब से माना जाय। इसी प्रकार उन्होंने ब्राह्मी को 'भारतीय आयों का अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार' तो कहा, किन्तु, ई० पू० पाँचवी शताब्दी के पहले उसका क्या रूप था तथा प्रारम्भ में उसका विकास किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में वे कुछ भी बताने में असमर्थ रहे। इस प्रकार के और भी कई प्रश्न उठते हैं, जिनका पूर्ण समाधान उनके ग्रन्थ से नहीं होता। किन्तु, ओझा जी के अध्ययन की ये

सीमाएँ वस्तुतः उनकी अपनी न होकर उनके युग की सीमाएँ थीं। उन्होंने उस समय तक उपलब्ध एतद्विषयक सभी प्राचीन सामग्रियों का समुचित उपयोग किया था और उसी के आधार पर अपने निष्कर्ष दिये थे। उस समय जिन प्रश्नों से सम्बद्ध सामग्री तथा प्रमाणों का सर्वथा अभाव था, उनके सम्बन्ध में भला वे कोई निश्चित उत्तर दे भी कैसे सकते थे ?

ओझा जी के समय में आज तक, विभिन्न खुदाइयों एवं गोधों ने एतद्विषयक अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं, विचारों और साक्ष्यों को प्रकाश में लाया है; जिनके सहारे पूर्वापेक्षया अधिक निश्चित निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है। किन्तु, विद्वानों के द्वारा उपलब्ध सामग्री का समुचित उपयोग नहीं होने के कारण, इस विषय के अध्ययन की दिशा में अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। वास्तव में इस विषय का अध्ययन आज भी ओझा जी के अध्ययन से बहुत आगे नहीं बढ़ सका है। यहाँ हम प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में, प्रारम्भ से लेकर आज तक के विद्वानों के अध्ययन का सार-संक्षेप उपस्थित करते हुए, अपने निष्कर्षों को यथासाध्य स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।

१९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से लेकर वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक तक के अधिकांश यूरोपीय विद्वानों ने ई० पू० तीसरी-चौथी शताब्दी से पहले भारत में लेखन-कला के अस्तित्व का अभाव सिद्ध करने के लिए तरह-तरह की मिथ्या कल्पनाएँ की थीं। उन विद्वानों में अधिकांश का तर्क यह था कि चूँकि भारत में अशोक के शिलालेखों के पहले की लेखन-कला का कोई भी चिह्न या प्रमाण नहीं मिलता, इस कारण तीसरी-चौथी शताब्दी ई० पू० के पहले, भारतीय लेखन-कला का अस्तित्व नहीं स्वीकार किया जा सकता। उनकी मान्यता थी कि उसके पूर्व का समस्त भारतीय वाङ्मय मौखिक परम्परा में ही सुरक्षित रहता आया होगा। मैक्समूलर ने इस सम्बन्ध में प्रमाण देते हुए लिखा था—“मैं निश्चय के साथ कहता हूँ कि पाणिनि की परिभाषा में एक भी शब्द ऐसा नहीं है, जो यह सूचित करे कि लिखने की प्रणाली उसके पहले से थी।”^१ वर्नेल की कल्पना थी कि “फिनीशियन लोगों ने भारतवागियों ने लिखना सीखा और फिनीशियन अक्षरों का, जिनमें दक्षिणी अशोक लिपि (ब्राह्मी) बनी, भारतवर्ष में सम्भवतः ई० पू० ४०० से पहले प्रयोग नहीं हुआ।”^२ डॉ० अलफ्रेड मूलर के अनुसार “सिकन्दर के

✓ मैक्समूलर, हि० ए० स० लि०, पृ० २६२, एलाहाबाद से प्रकाशित।

२ वर्नेल, सा० ३० पे०, पृ० ६।

आक्रमण के समय यूनानी लोग जब भारत मे आये तो यहाँ वालो ने उन्ही से लिपि-ज्ञान अर्जित किया ।” इसी प्रकार अन्य विद्वानो ने भी अपनी-अपनी भ्रामक धारणाओ का प्रचार किया था, जिनका खण्डन वाद के भारतीय तथा कतिपय यूरोपीय विद्वानो ने भी किया ।

जहाँ तक मैक्समूलर की उपर्युक्त मान्यता का प्रश्न है, यह निस्मद्धोच कहा जा सकता है कि उन्होने पाणिनि के ‘अष्टाध्यायी’ का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन नहीं किया था । यदि किया होता, तो उन्हे उसमे लेखन-कला से सम्बन्ध रखने वाले अनेक शब्द और सङ्केत मिले होते । पाणिनि ने अपने ग्रन्थ मे लिपि, लिपि, लिपिकर तथा यवनानी शब्द का प्रयोग किया है ।^१ यवनानी का अर्थ कात्यायन^२ और पतञ्जलि^३ ने ‘यवनो की लिपि’ किया है । पाणिनि ने ‘स्वरित’ के चिह्न तथा ग्रन्थ शब्द का भी उल्लेख किया है ।^४ इतना ही नहीं, अष्टाध्यायी मे चौपायो के कानो पर स्रुव, स्वस्तिक आदि के अतिरिक्त पाँच तथा आठ के चिह्न बनाये जाने का भी उल्लेख है ।^५ ‘इससे स्पष्ट है कि भारत मे पाणिनि के बहुत पूर्व से लेखन-कला का प्रचार था, जिसके और भी अनेक प्रमाण मिलते है ।

पाणिनि से बहुत पूर्व यास्क ने ‘निरुक्त’ की रचना की थी, जिसमे औदुम्बरायण, क्रौष्टुकी, शतवलाक्ष, मौद्गल्य, शाकपूणि, शाकटायन, स्थौलाष्ठीवी, आग्रायण, औपमन्यव, और्णनाभ, कात्यक्य, कौत्स, गार्ग्य, गालव, चर्मशिरस्, तैर्यकि, वाष्प्रायणि और शाकल्य नामक वैयाकरणो तथा निरुक्तकारो के नामो एव मतो के उल्लेख मिलते है । इनमे से केवल गार्ग्य, शाकटायन, गालव और शाकल्य के नाम ‘अष्टाध्यायी’ मे मिलने है । इससे स्पष्ट अनुमान होता है कि पाणिनि और यास्क के पूर्व व्याकरण और निरुक्त के बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध रहे होंगे । यह सम्भव नहीं कि यास्क अथवा पाणिनि ने इतने आचार्यों के ग्रन्थो को कण्ठस्थ करने के पश्चात् उनका तारतम्य विचार कर अपने नये निरुक्त तथा व्याकरण की रचना की हो । यदि उस समय लेखन-कला न थी और न लिखित ग्रन्थ ही थे, तो क्या यास्क और पाणिनि ने इन सब आचार्यों के ग्रन्थो को वेद के सूक्तो की तरह कण्ठस्थ करने वाले विद्वानो को अपने सामने विठाकर, उनके मतो को सुनने के पश्चात्,

१ पाणिनि, अ० ३, २, २१, (दिवा विभा निशा) ४, १, ४६, (इन्द्र वरुण) ।

२ उपरिवत्, ४, १, ४६, पर वार्तिक—३ (यवनास्त्रिप्याम्) ।

३ उपरिवत्, पर प० भाष्य ।

४ उपरिवत्, १, ३, ११, (स्वरितेनाधिकार .) १, ३, ७५, ४, ३, ८७, आदि ।

५ उपरिवत्, ६, २, ११२, ।

अपने ग्रन्थों की रचना की होगी और तब फिर स्वयं उन्हें रटते और शिष्यों को रटाते गये होंगे ? इस तरह की कल्पना निश्चय ही मिथ्या कल्पना होगी ।

‘छान्दोग्य उपनिषद्’ में ‘अक्षर’ शब्द का प्रयोग मिलता है । उसमें ई, ऊ और ए स्वर क्रमशः ईकार, ऊकार और एकार शब्दों से सूचित किये गये हैं । उसमें स्वरों का सम्बन्ध इन्द्र से, ऊष्मन् का प्रजापति से और स्पृशं वर्णों का मृत्यु से बतलाया गया है ।^१ ‘ऐतरेय आरण्यक’ में ऊष्मन् और स्पर्श का-स्वर और अन्त म्थ का, व्यञ्जन और घोष का तथा णकार और पकार का क्रमशः नकार और सकार से भेद स्पष्ट किया गया है ।^२ इसके अतिरिक्त उसमें सन्धि का भी विवेचन है ।^३ ये सारी बातें ‘शाङ्खायन आरण्यक’ में भी हैं । इसी प्रकार ‘तैत्तिरीय उपनिषद्’ में वर्ण और मात्रा का विवेचन^४ है तथा ‘ऐतरेय ब्राह्मण’ में ऊँ अक्षर को अकार, उकार और मकार वर्णों के संयोग से बना हुआ बतलाया गया है ।^५

‘तैत्तिरीय संहिता’ में इन्द्र और वायु को एक ही सोमपात्र दिये जाने के कारण का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि पहले वाणी अस्पष्ट और अनियमित अर्थात् विना व्याकरण के थी । देवताओं ने इन्द्र से कहा कि तुम हमारे लिए इसका व्याकरण (नियम-बन्धन) कर दो । इन्द्र ने कहा कि इस कार्य के लिए मेरी यह धर्म है कि मेरे तथा वायु के लिए एक ही सोमपात्र नियत हो । देवताओं ने इसे स्वीकार कर लिया । तब इन्द्र ने वाणी को वीच से पकड़ कर व्याकृत (व्याकरण-युक्त, नियमबद्ध) किया ।^६ यही कथा ‘जतपथ ब्राह्मण’ में भी मिलती है, किन्तु उसमें वि + आ + कृ धातु के स्थान पर निर् + वच् धातु से बने हुए ‘निर्वचन’ तथा ‘निवृत्त’ शब्द प्रयोग में लाये गये हैं ।^७ इसके अनिर्वृत्त उममें वचन^८ तथा लिङ्गों के भेद^९ का भी विवेचन है ।

१ छान्दोग्य उपनिषद्, ३, २, १०। १, १३। २, २२, ३।

२ ऐतरेय आरण्यक, ३, २, १। २, २, ८, १। ३, २, ६।

३ उपनिषद् ३, १, ५।

४ तैत्तिरीय उपनिषद्, ३, १, १।

५ ऐतरेय ब्राह्मण, ५, ३०।

६ तैत्तिरीय संहिता. १, ४, ७।

७ जतपथ ब्राह्मण ८, १, १, १२, १५, १६।

८ उपनिषद् १३, ५, १, १८।

९ उपनिषद् १०, ५, १, २, १०, ५, १, १।

ये सभी ग्रन्थ यास्क और पाणिनि के पूर्व के माने जाते हैं^१। उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि उन दिनों यदि लेखन-कला का अभाव होता, तो व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों की चर्चा नहीं होती, क्योंकि जो जाति लिखना नहीं जानती, उसे व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान भी नहीं होता। व्याकरण की रचना तथा उसकी चर्चा लेखन-कला की उन्नत दशा में ही होती है। उसके लिए भाषा का समस्त साहित्य टटोलना पड़ता है तथा अनेक पारिभाषिक शब्दों की रचना करनी पड़ती है।^२ लिखना न जानने वाला जनसमुदाय अपनी भाषा के व्याकरण का सूक्ष्माति-सूक्ष्म विचार कर ले, यह कभी सम्भव नहीं हो सकता।^३

ऋग्वेद में गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुभ, बृहती, विराज, त्रिष्टुभ, जगती आदि छन्दों के नाम मिलते हैं।^४ वाजसनेयी संहिता में इनके अतिरिक्त पङ्क्ति छन्द का भी नाम मिलता है तथा द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा, पट्पदा, कुकुभ आदि छन्दों के भेद भी मिलते हैं।^५ अथर्ववेद में एक स्थान पर छन्दों की संख्या ११ लिखी है।^६ शतपथ ब्राह्मण में मुख्य छन्दों की संख्या ८ बतलायी गयी है।^७ इनके अतिरिक्त तैत्तिरीय संहिता^८, मैत्रायणी संहिता^९, काठक संहिता^{१०} तथा शतपथ ब्राह्मण^{११} में कई छन्दों के पादों तथा उनके अक्षरों की संख्या तक गिनायी गयी है। उपर्युक्त ग्रन्थों में छन्दों का सूक्ष्म विवेचन भी अति प्राचीन काल में भारतीय लेखन-कला के अस्तित्व का पुष्ट प्रमाण माना जा सकता है, क्योंकि लेखन-कला के अभाव में छन्दों का ऐसा वर्गीकरण, विश्लेषण एवं वर्णन कभी सम्भव नहीं माना जा सकता।

डॉ० सक्सेना ने लिखा है कि 'भारतीय आर्य अंकों को लिखना जानते थे, इस बात के तो और भी जोरदार सबूत हैं। ऋग्वेद में हजार 'अष्टकर्णी' गायों के

-
- १ ङा० वा० रा० स०, सा० भा० वि०, पृ० १६८।
 - २ गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि० मा०, पृ० १०।
 - ३ ङा० वा० रा० स०, सा० भा० वि०, पृ० १६६।
 - ४ ऋ० स०, १०, १४, १६, १०, १३२, ३४।
 - ५ वा० स०, ११, ८, १४, १६, २३, ३३, २८, १४, आदि।
 - ६ अथ० स०, ८, ६, १६।
 - ७ शतपथ० ब्रा०, ८, ३, ३, ६।
 - ८ तैत्ति० स०, ६, १, १, ६—७।
 - ९ मै० स०, १, ११, १०।
 - १० का० स०, १४, ४।
 - ११ शत० ब्रा०, ८, ३, ३।

दान का उल्लेख मिलता है^१। ऋषि नाभानेद्विष्ठ हजार अष्टकर्णी गौं दान करने के कारण राजा सार्वणि की स्तुति करते हैं।^२ वहाँ 'अष्टकर्णी' शब्द का अर्थ यही है कि जिमके कानपर आठ के अङ्क का चिह्न हो।

वैदिक काल में जूआ खेलने का प्रचार बहुत था, जिसमें चार पासे होते थे। उनके नाम कृत्, त्रेता, द्वापर और कलि थे^३। उनपर क्रमशः ४, ३, २, और १ अङ्क या उनके चिह्न लिखे या खुदे होते थे। चार के चिह्न वाला 'कृत' नामक पामा जिताने वाला होता था।^४ ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त जुआरी (कितव) के विलाप का है,^५ जिममें वह कहता है कि 'एकपर' पासे के कारण मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री खो दी। वहाँ 'एकपर' का अर्थ यही है कि जिम पर एक का चिह्न बना हो^६, अर्थात् हराने वाला 'कलि' नामक पामा। अथर्व वेद में जूए में जीत की प्रार्थना करने का एक सूक्त है^७, जिममें लिखा है कि मैंने तुममें 'सलिखित' अर्थात् जूए में जीत के हिमाव का लिखा हुआ धन और 'ससव' अर्थात् वाजी पर लगाया गया धन जीत लिया। इसमें स्पष्ट है कि उस समय जूए में जीत की राशि भी लिखी जाती थी। इसी प्रकार यजुर्वेद की वाजमनेयी संहिता के पुरुषमेव के प्रकरण में जहाँ भिन्न-भिन्न पेशेवाले बहुत से पुरुष गिनाये गये हैं, वहाँ 'गणक' का भी उल्लेख है^८। 'गणक' का अर्थ गणित करने वाला अर्थात् ज्योतिषी होता है। उसी में एक, दश, शत, सहस्र, अयुत (१००००), नियुत (१०००००), प्रयुत (१००००००), अर्बुद (१०००००००), न्यर्बुद (१००००००००), समुद्र (१०००००००००), मध्य (१००००००००००), अन्त (१०००००००००००) तथा परार्ध (१०००००००००००००) तक की संख्या दी गयी है।^९ ठीक ये ही संख्याएँ तैत्तिरीय संहिता में भी मिलती हैं।^{१०} शतपथ ब्राह्मण में समय-विभाग के विषय में लिखा है कि रात-दिन के ३० मुहूर्त, १ मुहूर्त के १५ क्षिप्र, एक क्षिप्र के १५ एतहि, एक एतहि के १५

१ ङॉ० वा० रा० स० सा० भा० वि०, पृ० १६६।

२ अ० स०, १०, ६२, ७।

३ पेत० त्रा०, ७, १५।

४ छान्द० स०, ४, १, ४, ६।

५ ऋ० स०, १०, ३४।

६ पाणिनि, अ०, २, १, १०।

७ अथ०, स०, ७, ५०, (५२), ७, ५०, (५२) ५।

८ यजु० वाज० स०, २०, ३०।

९ उपरिक्त, १७, २।

१० तै० स०, ४, ४०, ११, ४, ७, २, २०, १।

इदानी और १ इरानी के १५ प्राण होते हैं।^१ लेखन-कला के अभाव में सख्याओं की ऐसी सूक्ष्म गणना की कल्पना भी सम्भव नहीं है।

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त महाभारत^२, स्मृति^३ (धर्मशास्त्र), कौटिल्य के अर्थशास्त्र^४ तथा वात्सायन के कामसूत्र^५ में भी लेखन-कला की प्राचीनता के साक्ष्य मिलते हैं।

बौद्धों के 'शील' (सुतन्त के प्रथम खण्ड का प्रथम अध्याय) ग्रन्थ में बौद्ध साधुओं के लिए अनेक निषेधों में 'अक्खरिका' खेल का भी निषेध है। इस खेल में खेलने वालों को अपनी पीठ पर या आकाश में उँगली से लिखा हुआ अक्षर बूझना पड़ता था। डॉ० राइम डेविड्स ने इस ग्रन्थ के सङ्ग्रह का समय ई० पू० ४५० के आस-पास माना है^६, किन्तु बौद्ध विद्वान 'शील' को स्वयं बुद्ध का वचन मानते हैं। 'विनयपिटक' में लेखन-कला की प्रशंसा की गयी है तथा उसमें बौद्ध आर्याओं के लिए सांसारिक कलाओं के सीखने का निषेध होने पर भी लेखन-कला सीखने की आज्ञा दी गयी है।^७ 'जातक' में व्यक्तिगत तथा राजकीय पत्रों, ऋण लेने वालों की तहरीरों, पुस्तक तथा कुटुम्ब सम्बन्धी आवश्यकीय विषयों, राजकीय आदेशों तथा धर्म के नियमों को अन्य उपकरणों के अतिरिक्त स्वर्ण-पत्र पर खुदवाये जाने के उल्लेख मिलते हैं। जातक में वर्णित समाज ई० पू० छठी शताब्दी से भी पहले का है। 'महावग्ग' ('विनयपिटक' का एक ग्रन्थ) में लेखा (लिखना), गणना (पहाडा) और रूप (हिसाब) की पढाई का, ललित विस्तर^८ में बुद्ध का लिपिशाला में जाकर अध्यापक विश्वामित्र से चन्दन की पाटी पर सोने के वणक (कलम) से लिखना सीखने के वृत्तान्त का वर्णन है।

ओझा जी ने उपर्युक्त बौद्ध ग्रन्थों का उल्लेख करने के पश्चात् लिखा है कि "उपर्युक्त उल्लेख ई० पू० छठी शताब्दी के आसपास की दशा के बोधक हैं और उनसे पाया जाता है कि उस समय लिखने का प्रचार एक साधारण बात थी।

१ शत० ब्रा०, १२, ३, २, १।

२ महाभारत, आदि पर्व, १, ११२।

३ वशिष्ठ धर्मसूत्र, १६, १०, १४-१५, मनुस्मृति, ८, १६८।

४ कौ० अर्थशास्त्र, १, ५, २, १, १२, ८, १, १६, ६, २, ६, २८।

५ वा० कामसूत्र, पृ० ३३, ४५, २३८।

६ डे०, बु० इ०, पृ० १०७।

७ उपरिक्त, पृ० १०८।

८ ललित विस्तर, अ० १०, पृ० १८१-८५, (अँगरेजी अनुवाद)।

स्त्रियाँ और वच्चे भी लिखना जानते थे और पढाई ठीक वैसी ही थी जैसी कि अबतक हमारे यहाँ की देहाती पाठशालाओं की है, जिनमें लिखना, पढ़ी-पढ़ाडा और हिसाब पढाये जाते हैं। जब हमारे यहाँ की प्रारम्भिक पढाई का ढङ्ग ई० पू० छठी शताब्दी से अबतक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ज्यों का त्यों चला आया है, तब क्या आश्चर्य है कि बुद्ध के समय भी बहुत पूर्ववर्ती काल से वैसा ही चला आ रहा हो।”

भारतीय लेखन-कला की अति प्राचीनता के उपर्युक्त प्रागैतिहासिक कालीन प्रमाणों के अतिरिक्त ऐतिहासिक प्रमाणों का भी अभाव नहीं है। ई० पू० ३२६ में जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ उसका एक सेनापति ‘निआर्कस’ नामक व्यक्ति भी था। ‘निआर्कस’ ने ‘इण्डिका’ नामक अपने विवरण-ग्रन्थ में भारतीयों के द्वारा रई से कागज बनाने का उल्लेख किया है^२। इसी प्रकार ई० पू० ३०६ के आसपास सीरियाके बादशाह सेल्युकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चन्द्रगुप्त के दरवार में पाटलिपुत्र भेजा था। मेगास्थनीज ने अपने ‘भारत-वर्णन’ में लिखा है—“यहाँ दस-दस स्टेडिया^३ पर पापाण लगे हैं^४, जिनसे बर्मशालाओं का तथा दूरी का पता चलता है। नये वर्ष के दिन भावी फल (पञ्चाङ्ग) सुनाया जाता है^५। जन्मपत्र बनाने के लिए जन्म-समय लिखा जाता है^६ और न्याय ‘स्मृति’ के अनुसार होता है^७।” ये समस्त प्रमाण सूचित करते हैं कि भारतीय लेखन-कला अत्यन्त प्राचीन काल में ही पूर्ण विकास की अवस्था में पहुँच चुकी थी।

अब हम ‘मौखिक परम्परा के द्वारा प्राचीन साहित्य के संरक्षण’ सम्बन्धी यूरोपीय विद्वानों की भ्रामक धारणा पर संक्षेप में विचार करें। यह सत्य है कि वेद मौखिक पद्धति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते गये। किन्तु उनके मौखिक पठन-पाठन का कारण यह नहीं था कि उनकी लिखित प्रतियाँ उपलब्ध नहीं थी, बल्कि उसके पीछे आर्य ऋषियों की यह वैज्ञानिक धारणा थी कि

१ गौ० हो० च० ओ० भा० प्रा० लि० भा०, पृ० ६।

२ मैक्समूलर, हि० ए० स० लि०, पृ० ३६७। वूलर, इ० पे०, पृ० ६।

३ एक स्टेडियम ६०६ फीट ९ इंच का होता है, स्टेडिया स्टेडियम का बहुवचन है।

४ इ० मे०, पृ० १२५-२६।

५ उपरिवत् पृ० ६१।

६ उपरिवत् पृ० १२६।

७ इ०, इ० पे०, पृ० ६।

गुरु-मुख से उन्हें सीखे बिना उच्चारण या पाठ की शुद्धता तथा ऋचाओं की वैदिक शक्ति का रक्षण नहीं हो सकता^१। यज्ञ में वेद के मन्त्रों के शुद्ध प्रयोग की बड़ी आवश्यकता थी। इसलिए उनका शुद्ध उच्चारण गुरु के मुख से ही सीखा जाता था जिससे कि पाठ में उच्चारण की अशुद्धि न हो, जो यजमान के नाश के लिए वज्र की तरह समर्थ मानी जाती थी।^२ वैदिक लोग, इसी कारण, न केवल मन्त्रों को, अपितु उनके पदपाठ, दो-दो पद मिलाकर क्रमपाठ तथा पदों के उलट-फेर से घन, जटा आदि पाठों को भी स्वरसहित कण्ठस्थ करते थे। लिखित पुस्तक से पढ़ना निषिद्ध था।^३ लिखित पुस्तक से पढ़ने वाला अधम पाठक माना जाता था। किन्तु वेद की लिखित प्रतियाँ विस्मृति में सहायता के लिए अवश्य रहती थी और व्याख्यान, टीका, व्याकरण, निरुक्त, प्रातिशाख्य आदि में सुभीते के लिए उनका उपयोग होता था। आज भी जो विद्या मुखस्थ हो, वही विद्या विद्या मानी जाती है।^४ इन्हीं कारणों से आर्यों में मस्तिष्क और स्मृति को भी पुस्तकालय समझने की परिपाटी हो गयी तथा अनेक विषयों के ग्रन्थ मूत्रवद्ध गौली में लिखे गये, ताकि वे कण्ठस्थ किये जा सकें। यहाँ तक कि अङ्कगणित एवं बीजगणित के नियम और उदाहरण भी श्लोकों में लिखे गये।^५

इस सम्बन्ध में डॉ० सक्सेना ने अपना निष्कर्ष देते हुए लिखा है कि “श्रुति को मौखिक सम्प्रदाय से स्थिर रखने के उपाय के कारण यह समझ लेना कि लिखने की कला का अज्ञान था, ठीक नहीं। आज भी कितनी ही चीजों को याद कर रखने का चलन है, यद्यपि लिखना भी साथ-साथ मालूम है। इस विवरण से यही एक निष्कर्ष सम्भव है कि भारतीय आर्य लोगों को लिखने की कला काफी प्राचीन काल से मालूम थी। यदि ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल के सूक्तों को ई० पू० १२०० का भी मान लिया जाय, तो उस समय भी यह कला भारतीयों को ज्ञात थी।”^६

१ रा० ना० दाण्डेकर, दे० लि० स्व० वि० स०, पृ० ६५।

२ दुष्ट शब्द. स्वरतो वर्णती वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थं माह।

सवाग्वज्जो यजमान हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु. स्वरतोऽपराधात् ॥-पत०, महा०, प्र० आ०

३ कुमारिल का तत्रवार्तिक, १, ३।

४ पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्त गत धनम्।

कार्यकाले तु सम्प्राप्ते न सा विद्या न तद्धनम्।--चाणक्य।

५ गौ० हो० च० ओ०, भा० प्रा० लि० मा०, पृ० १३-१५।

६ डॉ० वा० रा० स०, सा० भा० वि० पृ० १६८-६९।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि भारत में लेखन-कला का प्रचार वैदिक युग में भी था और भारत का प्राचीन वाङ्मय न केवल मौखिक परम्परा, अपितु लिखित परम्परा में भी सुरक्षित रहता आया था। इस निष्कर्ष की पुष्टि अनेक यूरोपीय पण्डितों के कथन से भी होती है। रॉय ने लिखा है कि “लिखने का प्रचार भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही होना चाहिए, क्योंकि यदि वेदों के लिखित ग्रन्थ विद्यमान न होते तो कोई पुरुष प्राणिव्याख्य न बना सकता।”^१ वॉथलिङ्क के अनुसार “मेरे मत में साहित्य के प्रचार में लिखने का उपयोग नहीं होता था, परन्तु नये ग्रन्थों के बनाने में इसको काम में लेते थे। ग्रन्थकार अपना ग्रन्थ लिखकर बनाता, परन्तु फिर उसे या तो स्वयं कण्ठस्थ कर लेता या औरों को कण्ठस्थ करा देता।”^२ इसी प्रकार वूलर ने, जो पहले भारतीय लेखन-कला की प्राचीनता तथा भारतीयता का विरोधी था, लिखा है “इस अनुमान को रोकने के लिए कोई कारण नहीं है कि वैदिक समय में भी लिखित पुस्तकें मौखिक शिक्षा और दूसरे अवसरों पर सहायता के लिए काम में ली जाती थी।^३ अभी-अभी मिले हुए प्रमाणों से मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि भारतवर्ष में लिपि के प्रवेश का समय ई० पू० की दसवीं शताब्दी या उससे भी पूर्व स्थिर करना होगा।”^४

यहाँ जिज्ञासुओं के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि भारतवर्ष में लेखन-कला का प्रचार वैदिक युग में भी था, तो हमें उस प्राचीन युग के ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ कहीं मिलनी क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर ओझा जी के अनुसार यह है कि “भोजपत्र, ताडपत्र या कागज पर लिखी हुई पुस्तकें हजारों वर्ष तक नहीं रह सकती, विशेषतः भारतवर्ष की जलवायु में। परन्तु पत्थर या धातु पर खुदे हुए अक्षर ब्रह्म समय तक बच सकते हैं।”^५ यह कथन नितान्त सत्य है। हमारे देश में भोजपत्र, ताडपत्र तथा कागज आदि पर प्राचीन लेखन-कला के प्रमाण चाहे भले ही उपलब्ध न हों, किन्तु धातु तथा पत्थरों पर खुदे सप्तर के प्राचीनतम लिपि-चिह्नों के नमूने उपलब्ध हो चुके हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण हड़प्पा और मोहञ्जोदड़ों की खुदाइयों से प्राप्त होने वाले, ई० पू० लगभग ४००० वर्ष पहले की ‘मिन्वु घाटी

१ गौ० ही० आ०, भा० प्रा० लि०, पृ० १५।

२ गोल्डस्ट्रॉकर के ‘मानव कल्पसूत्र’ के अंगरेजी स० की भूमिका, पृ० ६६।

३ वू० ड० पे०, पृ० ८।

४ उपरिबद्ध पृ० १७।

५ गौ० ही० आ०, भा० प्रा० लि०, पृ० २।

सभ्यता' के अवशिष्ट लिपि-चिह्न हैं। ये लिपि-चिह्न ससार के समस्त उपलब्ध लिपि-चिह्नों से प्राचीन हैं। इनके प्राप्त होने के पूर्व, भारत में ई० पू० पाँचवीं शताब्दी तक की ही लेखन-कला के नमूने उपलब्ध थे, जिनके आधार पर यूरोपीय विद्वानों ने तरह-तरह की भ्रान्त स्थापनाएँ दी थीं। किन्तु, इसके उपलब्ध होने के बाद से भारत, लिपि-ज्ञान की प्राचीनता की दृष्टि से भी, ससार के अन्य सभी राष्ट्रों में असन्दिग्ध रूप से अग्रणी स्वीकार किया जाने लगा है।



अध्याय

: ३ .

भारतीय लिपियों का उद्भव और विकास

सैन्धव लिपि

भारत में उपलब्ध प्राचीन लिपियों में सर्वाधिक प्राचीन लिपि सिन्धु-घाटी की लिपि है, जिसे हम सैन्धव लिपि की सजा से भी अभिहित कर सकते हैं। विद्वानों के अनुसार उक्त लिपि आज से लगभग चार हजार वर्ष पहले की है। उस लिपि का पता सिन्धु-घाटी के हड़प्पा, मोहंजोदड़ो आदि भिन्न-भिन्न स्थानों की खुदाई के परिणामस्वरूप प्राप्त विभिन्न सामग्रियों के ऊपर अङ्कित लेखों से चला। उसके पूर्व तक भारत की प्राचीनतम लिपि के रूप में ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की गणना होती थी, क्योंकि इन लिपियों के लेखों का पता विद्वानों को सैन्धव लिपि के लेखों के प्राप्त होने के पहले ही लग चुका था। किन्तु जब सैन्धव लिपि के लेख प्रकाश में आये, तो ब्राह्मी एवं खरोष्ठी से भारत की प्राचीनतम लिपि होने का गौरव छिन गया। अब लोग, निर्विवाद रूप से, सैन्धव लिपि को भारत में प्राप्त होनेवाली लिपियों में प्राचीनतम मानते हैं।

सिन्धु-घाटी के हड़प्पा तथा मोहंजोदड़ो नामक विभिन्न स्थानों की खुदाई से ई० पू० लगभग चार हजार वर्ष पहले की भारतीय सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे इतिहास-ज्ञान में क्रांति मच गयी है। विदेशी विद्वान अवतक भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य और लिपि आदि के इतिहास के सम्बन्ध में जिन भ्रान्त धारणाओं का प्रचार करते रहे हैं, उन सब की सन्दिग्धता स्पष्ट हो गयी है तथा उनके सम्बन्ध में पुनर्मूल्याङ्कन के द्वारा नये प्रामाणिक निष्कर्षों पर पहुँचना अनिवार्य हो गया है।

हड़प्पा पञ्जाव के माँण्टगोमरी जिले में तथा मोहञ्जोदडो सिन्ध प्रान्त के लरकाना जिले में है। हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज मैसन ने १८२० ई० में की थी। १८५३ ई० में कनिङ्गम ने इस स्थान का अध्ययन किया तथा १८७५ ई० में यहाँ की कतिपय सीलों का प्रकाशन हुआ। १९२० ई० में राखालदास वनर्जी ने इसके सम्बन्ध में शोधकार्य किया। बाद में सर जॉन मार्शल के तत्त्वावधान में १९२१ ई० से दयाराम साहनी ने खुदाई का कार्य प्रारम्भ कराया तथा १९२६ ई० से १९३१ ई० तक माधवस्वरूप वत्स की देखरेख में यहाँ महत्त्वपूर्ण खुदाई हुई। इसी बीच मार्शल, एस० लैंगडन, एस० स्मिथ तथा सी० जे० गैड ने १९३१ ई० में मोहञ्जोदडो तथा सिन्धु-घाटी-सभ्यता के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया तथा १९३७-३८ ई० में जे० एच० मैकी ने, १९२७ ई० से १९३१ ई० के बीच तक की खुदाई का परिणाम प्रकाशित किया।^१

डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार—“एक से अधिक मजिल वाले और भूगर्भ के अन्दर से पानी आदि जाने के लिए बनी नालियों वाले, ईंट के बने घरों वाले सुयोजित नगर, विस्तृत रूप से प्रचारित लेखन-कला, विभिन्न रूपों में चित्रित और अलंकृत मृत्तिकापात्र, मृतदेहों के सस्कार की विचित्र प्रणालियाँ सुसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक (बच्चों की गुडियों तक) तमाम साज-सामग्री वाली एक अत्यन्त उच्च एवं विकसित सभ्यता का सिन्ध के मोहञ्जोदडो तथा अन्य स्थानों में, तथा दक्षिण पञ्जाव के हड़प्पा में पता चला, जिसने समस्त विश्व के विद्वज्जनों को अत्यन्त आश्चर्यचकित कर डाला। और जब यह कहा गया कि प्रकाश में आयी हुई यह सभ्यता वैदिक आर्यों से सम्बन्धित न होकर आर्यों के आगमन से पहले के किन्हीं अनार्यजनों से सम्बन्ध रखती थी, तब तो भारतीय विद्वानों के विस्मयपूर्ण अचम्भे का ठिकाना न रहा।”^२

उपर्युक्त स्थानों से प्राप्त महत्त्वपूर्ण वस्तुओं में अनेक ऐसी मुद्राएँ भी हैं, जिनपर वृषभ, महिष तथा वारहमिञ्चा-जैसे जानवरों के अत्यन्त सुन्दर चित्र अङ्कित हैं तथा तत्कालीन लिपि में अङ्कित लेख भी हैं। इन मुद्राओं पर अङ्कित लिपि अभी तक विद्वानों के लिए एक पहेली है। सुमेरीय सभ्यता तथा लिपि के विशेषज्ञ लैंगडन, स्मिथ तथा गैड आदि विद्वानों ने इसे पढ़ने में पर्याप्त समय लगाया, किन्तु, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। गैड तथा स्मिथ के अनुसार

१ डॉ० उ० ना० ति०, हि० भा० का ज० और वि०, पृ० ५५०-५१।

२ डॉ० सु० कु० च०, भा० आ० और हि०, पृ० ५६।

यहाँ की लिपि के प्रतीको की संख्या ३९६ है, किन्तु लैंगडन तथा हण्टर के अनुसार यह संख्या २८८ तथा २५३ है।^१

डॉ० चटर्जी के अनुसार 'इस लिपि में विकास की विभिन्न कक्षाएँ द्रष्टव्य हैं, यथा चित्र, चित्रलिपि और अक्षरलिपि।^२ डॉ० उदयनारायण तिवारी के अनुसार 'लगभग ३०० प्रतीको सहित सिन्धु-घाटी की लिपि न तो वर्णात्मक प्रतीत होती है और न अक्षरात्मक ही, यह विगुह्य भावात्मक लिपि भी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतीको की संख्या अत्यल्प है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अगो में यह ध्वन्यात्मक (सम्भवत अक्षरात्मक) है और इसमें निर्णायक चिह्न भी है।^३ डेविड डेरिङ्गर के अनुसार यह भाव-ध्वनि-सन्धि (ट्राञ्जिगनल) लिपि है।^४ इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी इसे भाव-सङ्केतात्मक एवं ध्वनि-सङ्केतात्मक लिपियों की मध्य अवस्था की लिपि कहा है। किन्तु ध्वन्यात्मक या ध्वनि-सङ्केत-मूलक (वर्णात्मक, अक्षरात्मक) लिपियों का विकास क्रमशः चित्र और भाव-सङ्केत-लिपि से हुआ या स्वतन्त्र रूप से हुआ, यह प्रश्न स्वयं विवादग्रस्त है। ऐसी स्थिति में सिन्धु-घाटी-लिपि को भावमूलक और अक्षरात्मक लिपि के बीच की कड़ी कहना उचित नहीं है। वह सम्भवत अक्षरात्मक लिपि का आदि रूप है, जिसमें ब्राह्मी के रूप का पूर्वाभास सा दृष्टिगोचर होता है।

सिन्धुघाटी सभ्यता के सम्बन्ध में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इतिहासज्ञ, पुरातत्त्ववेत्ता एवं तुलनात्मक भाषाशास्त्र तथा लिपिशास्त्र के पण्डित उमका सम्बन्ध किसी जातिविशेष से स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं।^५ कोई उमका सम्बन्ध द्रविडों में जोड़ता है^६ तां कोई सुमेरी जातियों से।^७ आर्यों के

१ डॉ० २० ना० ति०, हि० भा० का २० और वि०, पृ० ५५०-५१।

२ डॉ० सु० कृ० च०, भा० आ० और हि०, पृ० ५६।

३ डॉ० २० ना० ति०, हि० भा० का २० और वि०, पृ० ५५१।

४ डेविड डेरिङ्गर, अल्फावेट।

५ डॉ० सु० कृ० च०, भा० आ० और हि०, पृ० ५६।—“मोहञ्जोदड़ों तथा अन्य स्थानों के शोध, एवं हडप्पा की खुदाई और वहाँ से प्राप्त उपकरणों का नये सिरे से प्रागैतिहासिक अध्ययन के कारण भारत के सांस्कृतिक तथा भाषाविषयक इतिहास का नया ही मार्ग हमारे सामने खुल गया।”

६ हेरॉस, माशेल आदि अनेक विद्वान।

७ प्ल० ९० वैडल, डॉ० प्राणनाथ आदि विद्वान।

मूल निवास के प्रश्न की तरह इस प्रश्न को भी विद्वानों ने भ्रामक अटकलों का अखाड़ा बना दिया है, क्योंकि दोनों प्रश्न किसी एक ही बिन्दु पर परस्पर आवद्ध हैं। इस सम्बन्ध में अधिकांश विद्वान केवल एक बात सुनिश्चित विश्वास के साथ कहते पाये जाते हैं कि यह (सिन्धुघाटी की) सभ्यता और चाहे जिसकी भी रही हो, आर्यों की नहीं थी।^१ उन विद्वानों के लिए इस प्रसङ्ग में 'विधि' से अधिक 'निषेध' का ही महत्त्व है। इसका प्रत्यक्ष कारण यह प्रतीत होता है कि यदि वे इसे स्वीकार लेते हैं कि वह सभ्यता आर्यों की थी तो आर्यों के मूलनिवास, भाषा, साहित्य, लिपि, सभ्यता, संस्कृति आदि के इतिहास से सम्बन्धित, उनकी तथा उनके गुरुजनों की आज तक की समस्त स्थापनाओं का हवामहल क्षणमात्र में भूमिसात् हो जायगा।

एच० हेरॉस, जॉन मार्शल आदि कतिपय विद्वानों ने सम्भवतः अपनी भेदनीति के आधार पर द्रविड़ों को सिन्धुघाटी-सभ्यता का जनक बताकर आर्य-द्रविड़ एकता तथा भारतीय राष्ट्रियता के मूल पर ही गहरा आघात किया है, जिसके भयावह परिणाम सभी ओर प्रत्यक्ष होने लगे हैं। हेरॉस की मान्यता के सम्बन्ध में डॉ० चटर्जी का कहना है कि "यह अनुमान सही है या गलत, इसका अन्तिम निर्णय तो तभी हो सकेगा, जब हम मोहञ्जोदड़ों की लिपि को पढ़ सकेंगे और जब वहाँ की भाषा आधुनिक द्रविड़ भाषाओं की जननी या उनका एक आद्यरूप सिद्ध हो जायगी, परन्तु इसी अनुमान के सहारे मोहञ्जोदड़ों के लेखों में सीधे प्राचीन तमिल पढ़ने लगना, जैसे पादरी हेरॉस साहब कर रहे हैं, विल्कुल युक्तिसंगत न होगा।"^२ किन्तु उसी पुस्तक में अन्यत्र स्वयं डॉ० चटर्जी ने, स्वतोव्याघात पूर्ण कथन की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार, उत्तरी भारत के मैदानों में द्रविड़ों का प्राचीन निवास स्वीकार कर^३ हेरॉस की मान्यता का ही प्रकारान्तर से समर्थन किया है।

भारतीय इतिहास साक्षी है कि उत्तरी भारत आर्यों का और दक्षिण भारत द्रविड़ों का आदिकाल से ही निवास-स्थान रहा है। सर्वप्रथम, सम्भवतः, अगस्त्य ऋषि और फिर राम के सत्प्रयत्नों से दोनों जातियाँ एक दूसरे के निकट सम्पर्क में

१ डॉ० वा० रा० स०, सा० भा० वि०, ० १६७। "विद्वानों का बहुमत इस पक्ष का है कि यह सारी सामग्री ऐसी सभ्यता की स्रोतक है जिसका वैदिक आर्य सभ्यतासे कोई सम्बन्ध नहीं।"

२ डॉ० सु० कु० च०, भा० आ० और हि०, पृ० ५६।

३ डॉ० सु० कु० च०, भा० आ० हि०, पृ० ५६। "जब आर्य आये, तब उत्तरी भारत के मैदानों में द्रविड़ और निषादजन निवास करते थे।"

आयी और तबसे भारत की अखण्ड राष्ट्रीयता का सूत्रपात हुआ ।^१ ऐसा कही भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिसमें दोनों के बीच शत्रुता या सङ्घर्ष की कल्पना की जा सके । आर्यों के द्वारा सिन्धु-घाटी से द्रविड़ों को पराजित कर भगाये जाने की कल्पना निराधार, भ्रान्तिमूलक तथा दोनों जातियों के बीच फूट डालने वाली है, जिस पर विश्वास करना सत्य का गला घोटने के समान अनुचित है ।

प० किंगोरीदास वाजपेयी के अनुसार “देव और द्रविड़ ‘सह अस्तित्व’ के सिद्धान्त के आधार पर मजे से रहते थे । देवों में वर्णव्यवस्था थी, द्रविड़ों में नहीं । द्रविड़ सब एक थे और हैं । ब्राह्मण कुछ इधर से उधर गये, जिनके अगुआ अगस्त्य ऋषि थे । दुर्लभ्य विन्ध्याटवी पार करके इधर से उधर पहुँच कर बस जाना जीवट का कार्य था । अगस्त्य ने तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण बनाया और चिकित्साशास्त्र की शिक्षा दी । दक्षिण में आयुर्वेद का ‘अगस्त्य सम्प्रदाय’ आज भी प्रसिद्ध है । उधर की समृद्धि इधर आती थी, यानी परस्पर सहयोग था । ‘पञ्चजना.’ शब्द का ऋग्वेद में अस्तित्व उसी समय की हमारी राष्ट्रीय एकता का सूचक है । ‘पञ्चजना’ में आर्यों के चार वर्णों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पाँचवाँ स्थान द्रविड़ों के प्रतिनिधि का ही था, जिसका परिचय यास्क ने अपने ‘निरुक्त’ में ‘चत्वारो वर्णा, पञ्चथो निपाद’ कहकर दिया है । विदेशी इतिहासकारों ने ‘वेरुनाट’, ‘पणि’ और ‘शिश्नदेवा’ आदि शब्दों का द्रविड़ पडक गलत अर्थ लगाकर आर्य-द्रविड़ सङ्घर्ष की मनगढन्त कहानी का प्रचार किया है । इतिहासकारों की उस कल्पित आग में आज सचमुच लोग झुलस रहे हैं । इसका इलाज है, सही स्थिति प्रकट करना ।”^२

कुछ दूसरे विद्वानों ने, जिनमें एल० ए० वैडेल आदि के नाम आते हैं, यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सिन्धु-घाटी में ई० पू० ४००० वर्ष पहले सुमेरी लोग रहते थे और उन्हीं की भाषा तथा लिपि वहाँ प्रचलित थी । अतः सिन्धु घाटी की लिपि सुमेरी लिपि से विकसित हुई होगी । यह कल्पना भी हेरॉस की कल्पना की तरह ही निराधार है ।

वस्तुतः सिन्धु घाटी की सभ्यता भारतीय आर्यों की ही वह समन्वयवादी तथा सहअस्तित्ववादी सभ्यता थी, जिसमें द्रविड़ तत्त्व के अतिरिक्त अन्यान्य विदेशी

१ प० लक्ष्मोषर, द होम ऑफ द आर्य, पृ० १०० ।

२ प० कि० दा० वा०, माध्यम, जनवरी १९६५, पृ० ६५ ।

एव विजातीय सभ्यतागत एव सांस्कृतिक तत्त्वों का समाहार था। तत्कालीन आर्यों में उन दिनों सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा वैचारिक, किसी भी प्रकार की सङ्कीर्ण कट्टरता नहीं आयी थी। उनके भाव, विचार तथा कार्य सभी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के व्यापक सिद्धान्त पर आधारित थे। इसीलिए हमें सिन्धु-घाटी-सभ्यता के भग्नावशेषों में आर्य-सभ्यता के अतिरिक्त विदेशी एव विजातीय सभ्यता के तत्त्व भी वर्तमान मिलते हैं।

{ भारतीय विद्वानों में प्रो० दीक्षित, डॉ० राजवली पाण्डेय, डॉ० चटर्जी, डॉ० उदयनारायण तिवारी और डॉ० भोलानाथ तिवारी आदि अनेक व्यक्तियों ने सिन्धुघाटी-लिपि से ब्राह्मी का सादृश्य स्वीकार करते हुए इस बात की सम्भावना व्यक्त की है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति उसी से हुई होगी। } 'दीक्षित जी के अनुसार प्राचीन एलामाइट, सुमेरी तथा मिस्री लिपि से इस लिपि का साम्य इस कारण है कि इन तीनों ही देशों में लिपि भारत से ही गयी है।' डॉ० राजवली पाण्डेय ने भी यही बात कही है^१। डॉ० चटर्जी ने लिखा है—“सिन्धु-पजाव-लिपि के बहुत से वर्ण, मौर्यकालीन ब्राह्मी के चतुर्थ और तृतीय गताब्दी ई० पू० के प्राचीन रूपों से मिलते-जुलते हैं, तथा यह सादृश्य प्रचुर एव आश्चर्यजनक है। इस प्रकार सिन्धुपजाव-लिपि का उद्भव चाहे कही से भी हुआ हो, यह बात बहुत सम्भव प्रतीत होती है कि इसी लिपि से भारत की राष्ट्रीय लिपि तथा आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी ब्राह्मी का उद्भव हुआ।”^२ डॉ० उदयनारायण तिवारी के अनुसार 'यह तर्क ठीक नहीं है कि ब्राह्मी की उत्पत्ति सिन्धुघाटी-लिपि से नहीं हो सकती।’^३ डॉ० भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि “१९५६ ई० में इन पक्तियों के लेखक (डॉ० भो० ना० ति०) ने सिन्धुघाटी की लिपि के साथ ब्राह्मी का तुलनात्मक अव्ययन किया था और निष्कर्षतः यह मत व्यक्त किया था कि ब्राह्मी लिपि सिन्धुघाटी की लिपि से सम्बद्ध है।”^४

उपर्युक्त विद्वानों के साक्ष्य पर हम यह बात विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि यदि ब्राह्मी लिपि आर्यों की थी, तो उसको जन्म देने वाली सिन्धुघाटी की लिपि भी निश्चय ही आर्यों की लिपि रही होगी, जो ससार की सभी उपलब्ध प्राचीन

१ दीक्षित, प्रो० हि० सि० ऑफ इ० वै०, पृ० ४६

२ डॉ० रा० व० पा०, इ० पै०, पृ० ३८, ३९।

३ डॉ० सु० कु० च०, भा० छा० और हि०, पृ० ५८।

४ डॉ० उ० ना० ति०, हि० भा० का उ० और वि०, पृ० ५६१।

५ डॉ० भा० ना० ति०, दे० ना० लि०, उ० वि० और स०, पृ० २४०

लिपियों से प्राचीनतर है। थैरा द्वीप से प्राप्त ग्रीक लिपि के प्राचीनतम लेख ई० पू० नवीं शताब्दी के हैं। अरमीनी के प्राचीनतम लेख ई० पू० ८०० के हैं। इसी प्रकार अरबी और ब्राह्मी के प्राचीनतम लेख ई० पू० पाँचवीं शताब्दी के और खरोष्ठी के ई० पू० तीसरी शताब्दी के हैं।^१ इन सब से प्राचीन सिन्धु घाटी लिपि के लेख विद्वानों के अनुसार ई० पू० ३५०० से ४००० वर्ष तक के माने गये हैं।

इस प्रकार सैन्धव लिपि की उपलब्धि ने, अन्य क्षेत्रों के समान लेखन-कला के क्षेत्र में भी विश्व में भारतीय ज्ञान की सर्वाधिक प्राचीनता पर मुहर लगा दी है। अगर कभी इस लिपि का सफल वाचन सम्भव हुआ, तो यह भी सम्भव है कि यह लिपि न केवल ब्राह्मी का, अपितु ससार की कतिपय अन्य प्राचीन लिपियों का भी उद्गमत्रोत प्रमाणित हो।

ब्राह्मी लिपि

सामान्य परिचय — ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से लगभग ३५० ई० तक प्राप्त होने वाले भारतीय शिलालेखों की उस लिपि का नाम ब्राह्मी है, जो बाँयी ओर से दाँयी ओर लिखी (या खोदी) गयी है। हमारे देश में मिलने वाले अधिकांश प्राचीन शिलालेख मौर्यवंशी सम्राट् अशोक के समय के, अर्थात् ई० पू० तीसरी शताब्दी के आसपास के हैं। इसके पूर्व के (सिन्धुघाटी से प्राप्त लेखों के अतिरिक्त) केवल दो लेख अभी तक उपलब्ध हो सके हैं। उनमें से एक अजमेर जिले के बडली नामक गाँव से प्राप्त हुआ, जो स्तम्भ पर खुदे हुए लेख का टुकड़ा है। इसका समय विद्वानों ने ४८३ वर्ष ई० पू० निश्चित किया है।^२ दूसरा लेख नेपाल के पिप्रावा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो एक स्तूप के भीतर से मिले हुए पात्र पर खुदा हुआ है। इसका समय विद्वानों के अनुसार बुद्ध के निर्वाणकाल के कुछ पश्चात् अर्थात् ४८७ वर्ष ई० पू० के कुछ बाद का होना चाहिए।^३ अभी तक ब्राह्मी लिपि के ये ही दो प्राचीनतम नमूने उपलब्ध हैं। अशोककालीन लेखों से इन दोनों लेखों के अक्षरों में कोई विषेय अन्तर नहीं है।

१, ई० पू० तीसरी शताब्दी से लेकर लगभग ३०० ई० तक के शिलालेखों को देखने से यह पता चलता है कि उस समय भारत में दो प्रकार की लिपियाँ

१ ङाँ० वा० रा० स०, सा० भा० वि०, पृ० २६४-६५।

२ गौ० श० ही० ओ०, भा० प्रा० लि० भा०, पृ० २।

३ उपरिक्त।

प्रचलित थी। एक बायी ओर से दायी ओर लिखी जाती थी, जिसका नाम ब्राह्मी था और दूसरी दायी ओर से बायी ओर लिखी जाती थी, जिसे लोग खरोष्ठी कहते थे। खरोष्ठी का प्रचार मुख्य रूप से केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश में था, किन्तु ब्राह्मी सम्पूर्ण देश में प्रचलित होने के कारण, एक प्रकार से तत्कालीन भारतवर्ष की राष्ट्रीय लिपि थी।^१

खरोष्ठी के सम्बन्ध में विद्वानों की निश्चित धारणा है कि वह विदेशी लिपि थी और उसका विकास सेमिटिक अरमइक् लिपि से हुआ था।^२ ओझाजी के अनुसार "सम्भव है कि ईरानियों के राजत्व काल में उनके अधीन के हिन्दुस्तान के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि अरमइक् का प्रवेश हुआ हो और उसी से खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ हो, जैसे कि मुसलमानों के राज्य के समय फारसी का, जो उनकी राजकीय लिपि थी, इस देश में प्रवेश हुआ और उसमें कुछ वर्ण बढ़ाने में उर्दू लिपि बनी।"^३ इसका प्रचार ई० पू० तीसरी शताब्दी से लेकर लगभग ३०० ई० तक भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में रहा। उसके पश्चात् इस प्रदेश में भी ब्राह्मी से विकसित लिपियों का प्रचार हो गया।^४

यूरोपीय विद्वानों ने ब्राह्मी के लिए 'पाली', 'इण्डियन पाली', 'साउथ अशोक' और 'लाट्लिपि' आदि अनेक नामों का प्रयोग किया है, किन्तु ब्राह्मी का 'ब्राह्मी' नाम अत्यन्त प्राचीन है। इसके अनेक प्रमाण प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रन्थों में उपलब्ध हैं। जैनों के 'पुनर्वणसूत्र' और 'समवायाङ्गसूत्र' में १८ लिपियों के नाम मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम 'वभी' (ब्राह्मी) का है। 'भगवतीसूत्र' में सर्वप्रथम 'वभी' (ब्राह्मी) लिपि को नमस्कार^५ करके सूत्र का आरम्भ किया गया है। बौद्धों के संस्कृत ग्रन्थ 'ललितविस्तर'^६ में ६४ लिपियों के नामों की सूची दी गयी है, जिनमें सबसे पहला नाम ब्राह्मी का है। चीन में रचे गये बौद्ध विश्वकोष 'फा युअन चु लिन्' में, जिसका रचना-काल ६६८ ई० माना जाता है^७ भिन्न-भिन्न

१ डॉ० धी० व०, हि० भा० का इ०, पृ० ८४।

२ उपरिवत्।

३ गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ३५।

४ डॉ० धी० व०, हि० भा० का इ०, पृ० ८४-८५।

५ 'नमो वभीए लिपि'।

६ 'ललितविस्तर' में बुद्ध का चरित्र वर्णित है। यह ग्रन्थ कब रचा गया, यह निश्चित नहीं है, किन्तु इसका चीनी अनुवाद ३०८ ई० में हुआ। —ओझा।

७ गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० १८।

लिपियों के वर्णन-प्रसङ्ग में लिखा है कि “लिखने की कला का शोध तीन दैवी शक्ति वाले आचार्यों ने किया, उनमें से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिसकी लिपि (ब्राह्मी) वाई ओर से दाहिनी ओर पढ़ी जाती है। उसके बाद क्रिअ-लु (अर्थात् खरोष्ठ) है, जिसकी लिपि दाहिनी ओर से वाई ओर पढ़ी जाती है और सबसे कम महत्त्व का त्सकी है, जिसकी लिपि (चीनी) ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ी जाती है। ब्रह्मा और खरोष्ठ भारतवर्ष में हुए और त्सकी चीन में। ब्रह्मा और खरोष्ठ ने अपनी लिपियाँ देवलोक से पाई और त्सकी ने अपनी लिपि पक्षी आदि के पैरों के चिह्नों पर से बनाई।”^१ उपर्युक्त प्रमाणों से ब्राह्मी के नाम की प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है।

ब्राह्मी के नामकरण के आधार के सम्बन्ध में कई प्रकार के अनुमान मिलते हैं। भारत तथा चीन की प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्राह्मी के आदि निर्माता आचार्य ब्रह्मा थे, अतः उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम ‘ब्राह्मी’ पड़ा। दूसरे अनुमान के अनुसार ब्राह्मी लिपि का सम्बन्ध साक्षर ब्राह्मणों से होने के कारण इसका नाम ब्राह्मी पड़ा। डॉ० राजवल्ली पाण्डेय के अनुसार आर्यों ने ब्रह्मज्ञान (वेद) की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया था, इसीलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ा। इन विभिन्न अनुमानों में कौन-सा अनुमान सही है, यह कहना कठिन है।

ब्राह्मी का उद्भव-स्रोत

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर बीसवीं शताब्दी की प्रारम्भिक कई दशाब्दियों तक ब्राह्मी लिपि का उद्भव-स्रोत यूरोपीय एवं भारतीय विद्वानों के लिए एक अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न बना हुआ था। आज हम जिस सहजता एवं विश्वास के साथ ब्राह्मी लिपि को भारतीय आर्यों का स्वतन्त्र एवं मौलिक आविष्कार कहने की स्थिति में हैं, यह स्थिति पहले नहीं थी। प्रारम्भ में यूरोपीय विद्वानों की यह निश्चित धारणा थी कि प्राचीन काल में (ई० पू० तीसरी-चौथी शताब्दी तक) भारतीयों को लेखन-कला का ज्ञान नहीं था।^२ इस धारणा को प्रमाणसिद्ध करने के लिए किसी विदेशी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति प्रमाणित करना उनके लिए अनिवार्य था। इस कारण ब्राह्मी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनलोगों ने तरह तरह की अटकलें लगायीं तथा अनेक विदेशी लिपियों से उसका सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया।

१ ३० पृ, सिद्ध ३४, पृ० २१।

२ इस प्रश्न की चर्चा पहले की जा चुकी है।

प्रिन्सेप, सेनार्ट तथा विल्सन ने यूनानी और फिनीशियन से ब्राह्मी के उद्भव की कल्पना की।^१ हेलेवे ने लिखा कि ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है, जिसके आठ व्यञ्जन तो ई० पू० चौथी शताब्दी की अरमइक् से, छह व्यञ्जन, दो प्राथमिक स्वर, सभी मध्यवर्ती स्वर और अनुस्वार 'आरिअनोपाली' (अर्थात् खरोष्ठी) से तथा पाँच व्यञ्जन और तीन प्राथमिक स्वर यूनानी से लिये गये हैं। यह मिश्रण ई० पू० ३२५ के आसपास अर्थात् सिकन्दर के आक्रमण के बाद हुआ।^२ कस्ट के अनुसार एशिया के पश्चिम में रहने वाले फिनीशियन लोग ई० पू० की आठवीं शताब्दी में लिखना जानते थे। उनका वाणिज्य-सम्बन्ध भारत के साथ रहने तथा उन्हीं के अक्षरों से ग्रीक, रोमन तथा सेमिटिक भाषाओं के अक्षर बनने से अनुमान होता है कि ब्राह्मी लिपि भी फिनीशियन से बनी होगी।^३

इसी प्रकार सर विलियम जोन्स ने जब सेमिटिक से ब्राह्मी की उत्पत्ति का अनुमान किया, तो काप्प और लेप्सिअस ने तुरत उसका अनुमोदन किया।^४ फिर वेवर ने सेमिटिक और ब्राह्मी अक्षरों के बीच कुछ समानता की स्थापना कर जोन्स के अनुमान को प्रमाणपुष्ट घोषित किया,^५ जिसका समर्थन वेनफी, पाँट, वेस्टरगार्ड, मैक्समूलर, फेडरिक मूलर, सायस एव ह्विटनी आदि अनेक विद्वानों ने थोड़े-बहुत सन्देह के साथ किया।^६

स्टिवेन्सन का अनुमान था कि ब्राह्मी लिपि या तो फिनीशियन से बनी है या मिश्र के अक्षरों से।^७ पॉल गोल्डस्मिथ का अनुमान इन सबमें निराला था। उसके अनुसार फिनीशियन अक्षरों से पहले सिलोन की लिपि बनी और तब उससे ब्राह्मी उद्भूत हुई।^८ किन्तु, इसका खण्डन करते हुए मूलर ने लिखा कि सिलोन में लिखने का प्रचार भारत के बाद हुआ।^९ इसी प्रकार जन बर्नेल ने फिनीशियन से निकले अरमइक् अक्षरों से ब्राह्मी की उत्पत्ति का अनुमान किया^{१०} तो आइ जक

१ इ० एं०, जिन्द ३५, पृ० २५३।

२ ज० ए०, १८८५ ई०, पृ० २६८।

३ ज० रॉ० ए० सो०, जिन्द १६, पृ० ३२६, ३५६।

४ इ० एं०, जि० ३५, पृ० २५३।

५ Indische skizzen पृ० २२५-२५०।

६ इ० एं०, जि० ३५, पृ० २५३।

७ ज० वॉ० व० रॉ० ए० सो०, जि० ३, पृ० ७५।

८ एकेडमी, ६ जनवरी, १८७७ ई०।

९ मू०, रि० ए० इ० सी०, पृ० २४।

१० ब०, सा० इ० पे०, पृ० ६।

टेलर ने अरमडक से ब्राह्मी को नितान्त भिन्न बताते हुए वर्नेल की स्थापना की असत्यता घोषित की।^१

लेनोर्मण्ट की कल्पना थी कि फिनीशियन अक्षरो से अरब के हिमिअरेटिक अक्षर बने और फिर उन्ही अक्षरो से ब्राह्मी के अक्षरो का विकास हुआ।^२ डीके की कल्पना थी कि असीरिया की कील लिपि (क्युनिफॉर्म) से प्राचीन दक्षिणी सेमिटिक-लिपि का विकास हुआ, फिर दक्षिणी सेमिटिक लिपि के ही किसी रूप से ब्राह्मी तथा हिमिअरेटिक दोनों का जन्म हुआ।^३ आइजक टेलर ने डीके का समर्थन करते हुए लिखा है कि “ब्राह्मी लिपि किसी अज्ञात दक्षिणी सेमिटिक लिपि से निकली होगी। वह वास्तव में किस लिपि से निकली, यह अबतक मालूम नहीं हुआ, पर ‘ओमन’, ‘हड्रमाण्ट’ या ‘ओर्मज’^४ आदि के खँडहरो में उस मूल लिपि का पता एक न एक दिन अवश्य लगेगा।”^५

एडवर्ड क्लॉड के अनुसार फिनीशियन से सेवियन का और सेवियन से ब्राह्मी का उद्भव हुआ।^६ प्रो० रप्सन ने भी फिनीशियन से ही ब्राह्मी का विकास सम्भव माना।^७ इस प्रकार अधिकांश विद्वानों की धारणा यही थी कि ब्राह्मी की उत्पत्ति फिनीशियन से हुई।

उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त ब्राह्मी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे अधिक भ्रान्त मान्यताओं का प्रचार करने वालों में वूलर का नाम आता है। वूलर का एतद्विषयक ‘ऑरिजिन ऑफ द ब्राह्म अल्फाबेट’ नामक ग्रन्थ १८९५ ई० में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में उसने वेवर की मान्यता का अनुसरण करते हुए यह कहा कि ब्राह्मी के वाइस अक्षर उत्तरी सेमिटिक से और गेप प्राचीन फिनीशियन से लिये गये हैं। किन्तु सेमिटिक, फिनीशियन तथा ब्राह्मी में साम्य की स्थापना करने में असफल होने पर वूलर को तरह-तरह के निराधार अनुमान करने पड़े। उदाहरणार्थ-

१. टे० आ०, जि० २, पृ० ३१३।

२. एसे ऑन फिनीशियन अल्फाबेट, जि० १, पृ० १५०।

३. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft BandXXXI 398 ff

४. ये अरु और ईरान के विभिन्न स्थानों के नाम हैं।

५. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० १६।

६. ए० क्लॉड, स्टोरी ऑफ दी अल्फाबेट, पृ० २०७।

७. ए० ३०, पृ० १७-१८।

उसने लिखा कि “हिन्दुओ ने सेमिटिक अक्षरो को उलट दिया है अर्थात् ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया है, कही आडा कर दिया है और कोणो को खोल दिया है।”^१ किन्तु बूलर का काम जब इतने से भी नहीं चला, तो उसने यह भी कल्पना कर ली कि “ब्राह्मी पहले दायी ओर से बायी ओर लिखी जाती थी, बाद मे उसे लोग बायी ओर से दायी ओर लिखने लगे। इसके कारण सेमिटिक अक्षरो का ब्राह्मी मे रख ही बदल गया।”^२ इस प्रकार बूलर ने और भी इस तरह की अनेक बेतुकी अटकलें लगायी, जिनके सम्बन्ध मे ओझा जी ने लिखा है कि ऐसी अटकलो से तो दुनिया की किसी भी लिपि की उत्पत्ति किसी दूसरी लिपि से सिद्ध हो सकती है^३। किन्तु इतना होने पर भी मैकडॉनेल्ड^४ तथा वार्नेट^५ आदि विद्वानो ने बूलर का समर्थन किया।

डॉ० राइस डेविड्स ने उपर्युक्त सभी मतों को अस्वीकार करते हुए अपनी निराली स्थापना दी कि “मैं यह मानने का साहस करता हूँ कि इन भिन्न-भिन्न बोधो के एकीकरण के लिए केवल यही कल्पना हो सकती है कि ब्राह्मी लिपि के अक्षर न तो उत्तरी और न दक्षिणी सेमिटिक अक्षरो से बने हैं, किन्तु उन अक्षरो से, जिनसे उत्तरी और दक्षिणी सेमिटिक अक्षर स्वयं बने हैं, अर्थात् युफ्रेटिस नदी की वादी की सेमिटिक से पूर्व की किसी लिपि से।”^६

उपर्युक्त सभी यूरोपीय विद्वानो की अनर्गल मान्यताओ का सम्यक् विवेचन करने के पश्चात् महामहोपाध्याय प० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा ने लिखा है—“इस प्रकार यूरोपियन विद्वान ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए हिअरेटिक, क्युनिफार्म, फिनीशियन, हिमिअरेटिक, अरमइक् एव खरोष्ठी आदि मे से अपनी-अपनी रचि के अनुसार किसी न किसी की शरण लेते हैं। आइजक टेलर इनमे से किसी मे भी ब्राह्मी से समानता न देखकर ‘ओमन’, ‘हड्डमाड’ या ‘ओर्मज’ के खड्डहरो मे से किसी नयी लिपि के मिलने की राह देखते हैं और डॉ० राइस डेविड्स युफ्रेटिस नदी की वादी मे से सेमिटिक लिपियो से पूर्व की किमी अज्ञात

१. वू०, इ० पे०, पृ० ११।

२. वही।

३. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० २५।

४. मै०, हि० स० लि०, पृ० १६।

५. वा०, ए० इ०, पृ० २२५।

६. डे० वू० इ०, पृ० ११४।

लिपि का पता लगाकर उपर्युक्त भिन्न-भिन्न मतों का एकीकरण करने की आशा करते हैं। यदि उपर्युक्त लिपियों में से किसी एक की भी ब्राह्मी के साथ कुछ वास्तविक समानता होती, तो सर्वथा इतने भिन्न मत नहीं होते। जिस लिपि से समानता पायी जाती, उसी को सब स्वीकार कर लेते। परन्तु ऐसा न होना ही उपर्युक्त भिन्न-भिन्न कल्पनाओं का मूल हुआ, जो साथ ही साथ उन कल्पनाओं में हठधर्मी का होना प्रकट करता है।”

अन्त में ओझा जी ने अपना निष्कर्ष व्यक्त करते हुए लिखा है—“ब्राह्मी लिपि के अक्षर न तो फिनीशियन या किसी अन्य लिपि में निकले हैं और न उसकी वारिं ओर में दहिनी ओर लिखने की प्रणाली किसी और लिपि से बदल कर बनायी गयी है। यह भारतवर्ष के आर्यों का अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। इसकी प्राचीनता और सर्वांग सुन्दरता के कारण, चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा देवता माना जाकर इसका नाम ब्राह्मी पडा, चाहे साक्षर ममाज ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण यह ब्राह्मी कहलायी हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि इसका फिनीशियन आदि से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।”^२

ओझा जी के अतिरिक्त अनेक यूरोपीय विद्वानों ने भी ब्राह्मी के भारतीय उद्गम-स्रोत के प्रति अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त की है तथा अपने सजातीय विद्वानों के मत का खण्डन किया है। ‘एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका’ में ब्राह्मी का परिचय देने वाले विद्वान लेखक ने वूलर की आलोचना करते हुए लिखा है—“वूलर का कथन यद्यपि पाण्डित्यपूर्ण और चतुराई से भरा हुआ है, तो भी यह मानना पडता है कि वह अधिक निश्चय नहीं दिलाता। इस लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ, इसका निर्णय निश्चिन्त रूप से करने के पहले इसके प्राचीन इतिहास के और भी प्रमाणों को ढूँढना आवश्यक है और ऐसे प्रमाण मिल सकेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं।”^३ इसी प्रकार डॉ० हुल्स^४ और डॉ० फ्लीट^५ ने भी वूलर के मत को निराधार प्रमाणित किया है।

एडवर्ड थॉमस ने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया है कि “ब्राह्मी अक्षर भारतवर्षियों के ही बनाये हुए हैं और उनकी सरलता से उनके बनाने वालों की

१. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० २० ।

२. उपरिवत् पृ० २८-२९ ।

३. प० वि०, जिल्द २३, पृ० ६०३ ।

४. ड० ए०, जिल्द २६, पृ० ३३६ ।

५. वू०, इ० पे० के अंगरेजी अनुवाद की भूमिका, प० ३-४ ।

बड़ी बुद्धिमानी प्रकट होती है।”^१ प्रो० डासन के अनुसार ब्राह्मी लिपि की विशेषताएँ सब तरह से विदेशी उत्पत्ति से उसकी स्वतन्त्रता प्रकट करती हैं और विश्वास के साथ आग्रहपूर्वक यह कहा जा सकता है कि सब तर्क और अनुमान उसके स्वतन्त्र आविष्कार ही होने के पक्ष में हैं।”^२ जेनरल कनिङ्गम ने अपना विश्वास व्यक्त करते हुए लिखा है—कि “ब्राह्मी लिपि भारतवासियों की निर्माण की हुई स्वतन्त्र लिपि है।”^३ प्रो० लासन का भी मत इसी प्रकार का है।^४

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन का अन्तिम निष्कर्ष संक्षेप में यही है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार भारतवर्ष में भारतीय आर्यों के ही द्वारा हुआ। किन्तु उसका आविष्कार कब हुआ, उसका प्रारम्भिक रूप कैसा था तथा ई० पू० पाँचवीं शताब्दी के पहले तक उसके विकास-क्रम के कितने और कौन-कौन से सोपान थे, इन सारे प्रश्नों पर उपर्युक्त विवेचन से कोई भी प्रकाश नहीं पड़ता।

डॉ० राधे श्याम शास्त्री ने देवनागरी वर्णों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कल्पना की है, उसे यदि हम ब्राह्मी वर्णों के लिए ही मान लें, तो उनके अनुसार “देवताओं की मूर्तियाँ बनाने के पूर्व उनकी उपासना साकेतिक चिह्नों के द्वारा होती थी, जो कई त्रिकोण या चक्रों आदि से बने हुए यन्त्रों के, जो ‘देवनगर’ कहलाते थे, मध्य में लिखे जाते थे। ‘देवनगर’ के मध्य में लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के साकेतिक चिह्न कालान्तर में उन-उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और ‘देवनगर’ के मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम ‘देवनागरी’ हुआ।”^५ इस मत के सम्बन्ध में ओझा जी ने लिखा है कि “यह लेख बड़ी गवेषणा से लिखा गया है और युक्तियुक्त अवश्य है, परन्तु जब तक यह सिद्ध न हो कि जिन-जिन तान्त्रिक पुस्तकों से अवतरण उद्धृत किये गये हैं, वे वैदिक साहित्य के समय के पहले के या कम से कम मौर्यकाल के पहले के हैं, तबतक उनका मत स्वीकार नहीं किया जा सकता।”^६

इसी प्रकार वाबू जगन्मोहन वर्मा ने एक लेख^७ में यह बताने का प्रयास किया है कि वैदिक चित्रलिपि या उससे निकली साङ्केतिक लिपि से ब्राह्मी का विकास

१ न्यू० क्राँ०, १८८३ ई०, नवम्बर ३।

२ ज० राँ० ए० सो०, १८८१ ई०, पृ० १०२ और इ० ए०, जि० ३५, पृ० २५३।

३ क०, क्वा० ए० इ, जि० १, पृ० ५२।

४ इ० अ०, द्वि० स०, पृ० १००६, १८६७ ई०।

५ इ० ए०, जिब्द ३५, पृ० २५३-६७, २७०-६०, ३११ से २४।

६ गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ३०।

७. सरस्वती, १९१६ ई० से १९१५ ई० तक के कई अङ्कों में यह लेख पूरा हुआ है।

हुआ। उन्होंने यह भी लिखा है कि वैदिक आर्यों की भाषा तथा लिपि में मूर्धन्य व्वनि एव वर्ण नहीं थे। वे अनार्यों से लिये गये।^१ इन स्थापनाओं के सम्बन्ध में ओझा जी ने लिखा है कि “इस लेख में कल्पित वैदिक चित्रलिपि के अनेक मनमाने चित्रों का अनुमान कर उनमें भिन्न-भिन्न अक्षरों के विकास की जो कल्पना की गयी है, उसमें एक भी अक्षर की उत्पत्ति के लिए कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं दिया गया। ऐसी दशा में उनकी कल्पना रोचक होने पर भी स्वीकार करने योग्य नहीं। इसी प्रकार अपने दूसरे मत के प्रमाण में वर्मा जी ने लिखा है कि “पारसी आर्यों की वर्णमाला में मूर्धन्य वर्णों का सर्वथा अभाव है।”^२ ...किन्तु पारसी आर्यों के यहाँ केवल मूर्धन्य वर्ण का ही नहीं, अपितु छ, भ, ल, वर्ण भी नहीं है और वैदिक या सस्कृत में ज्ञ से प्रारम्भ होनेवाला कोई धातु या शब्द भी नहीं है, तो क्या छ, भ, ल और ज्ञ वर्ण भी अनार्यों से लिये गये? इसके अतिरिक्त वैदिक या सस्कृत में ट, ड, ढ और ण से प्रारम्भ होनेवाले अनेक धातु हैं तथा ऐसे हजारों शब्द हैं, जिनमें मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग हुआ है, जैसे, ट से टक्, टल्, टिक्, टिप्, टीक और ट्वल, ड से डन्, डव्, डम्, डभ्, डिप्, डिम् और डी तथा ढ से ढाक् आदि। पाणिनि ने भी धातुपाठ में बहुत से धातु ण से आरम्भ होने वाले माने हैं।^३ ग्रीक आर्यों की भाषा में ट और ड हैं, त और द नहीं। सेमिटिक अनार्यों की लिपियों में मूर्धन्य वर्णों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। इसी से ग्रीकों ने फिनीशियन अक्षर ताव (त) से टाओ (ट) और दालेथ (द) से डेल्टा (ड) बनाया। ऐसी दशा में जगन्मोहन वर्मा की स्थापना मान्य नहीं हो सकती।^३ इस प्रकार ओझा जी ने अपने ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण के काल (१९१८ ई०) तक उपलब्ध सभी प्रमाणों और मतों का सम्यक् विवेचन किया है।

ओझा जी के समय तक ब्राह्मी के पूर्वरूप के निर्धारण के उपर्युक्त कोई भी सामग्री प्रकाश में नहीं आयी थी। इस कारण उसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना उनके लिए कठिन था। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी विवशता व्यक्त करते हुए लिखा है—“हिन्दुस्तान का प्राचीन इतिहास अभी तक घने अधकार में छिपा हुआ है। प्राचीन इतिहास का शोध अभी हमारे यहाँ आरम्भिक अवस्था में है। तो भी उसमें जितना कुछ मालूम हुआ है, वह बड़े महत्त्व का है, परन्तु अधिक प्राचीन

१ उपरिष्ठ।

२ पा०, अ० ६, १, ६५, (णो न.)। ८, ४, १८, (रपसर्गादसमात्तेऽपि णोप देशस्यः।)

३. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ३०-३१।

काल के अवशेषों तक वह नहीं पहुँच सका है। जितने प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन शिलालेखों के अक्षरों की शैली और चाहे साहित्य के उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि लेखन-कला अपनी प्रौढावस्था में थी। उसके आरम्भिक विकास के समय का पता नहीं चलता। ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कैसे हुआ और जिस परिष्कृत रूप में हम उसे पाते हैं, उस रूप में वह किन-किन परिवर्तनों के बाद पहुँची। मिस्र आदि में जैसे भावों के संकेत रूप चित्र हुए और वे शब्दों के संकेत होकर उनसे अक्षरों के संकेत बने, इस तरह यहाँ भी किसी चित्रलिपि से ब्राह्मी लिपि बनी, या प्रारम्भ से ही ध्वनि के सूचक चिह्न बना लिये गये, यह कुछ निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। निश्चय के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहाँ तक मिलते हैं, वहाँ तक ब्राह्मी लिपि अपनी प्रौढावस्था में पूर्ण व्यवहार में आती हुई मिलती है और उसका किसी बाहरी स्रोत या प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता।”

ब्राह्मी के पूर्व स्रोत पर प्रकाश डालने वाला जो एकमात्र साधन, ओझा जी के ग्रन्थ ‘भारतीय प्राचीन लिपिमाला’ (द्वि० सं० १९१८ ई०) के पश्चात् उपलब्ध हुआ है, वह है सिन्धुघाटी-सभ्यता-काल की लिपि, जिसका विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है।^२ यद्यपि इस लिपि का वाचन अभी सम्भव नहीं हो सका है, किन्तु अनेक भारतीय विद्वानों ने ब्राह्मी के कतिपय अक्षरों से साम्य रखने वाले इसके अक्षरों को देखकर यह अनुमान व्यक्त किया है कि ब्राह्मी का उद्भव सिन्धुघाटी-लिपि से ही हुआ होगा।^३ किन्तु इस अनुमान को सर्वमान्य सत्य का रूप देने के लिए भारत को किसी दूसरे प्रिन्सेप^४ के जन्म की प्रतीक्षा है।

सिन्धुघाटी लिपि के काल से ई० पू० पाँचवीं शताब्दी के ब्राह्मी काल तक के लगभग तीन हजार वर्षों की अवधि को भारतीय लेखन-कला के इतिहास की दृष्टि से ‘अन्धकार युग’ कहा जा सकता है। इस अवधि में सिन्धुघाटी-लिपि में कैसे-कैसे परिवर्तन हुए और किस प्रकार वह लिपि ब्राह्मी की स्थिति में पहुँची, यह बताने का हमारे पास आज कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। इसका अन्तिम उत्तर भविष्य की

१ गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ३२-३३

२ देखिए पृ० २६

३ प्रिन्सेप नामक विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों का सफल वाचन किया था तथा ब्राह्मी के सभी अक्षरों को पहले-पहल पहचाना था। इस सम्बन्ध में विशेष वर्णन के लिए देखिए अध्याय-५।

४. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० २६

खोजों और खुदाइयों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। किन्तु ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक ब्राह्मी का विकास जिन-जिन रूपों में हुआ, उन सबका प्रामाणिक इतिहास विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। इस कारण इस अढाई हजार वर्षों की अवधि को भारतीय लेखन-कला के इतिहास का 'प्रकाश-युग' कहा जा सकता है।

ब्राह्मी की विशेषताएँ

ब्राह्मी अपने युग की सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं आदर्श लिपि थी। यही कारण था कि खरोष्ठी आदि अनेक लिपियों के वर्तमान रहने पर भी बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रचारकों एवं विद्वानों ने इसे ही अपने धर्मों के प्रचार एवं ग्रन्थों के निर्माण का माध्यम बनाया था तथा लिपियों की सूची में इसके नाम को प्रथम स्थान दिया था। यह तथ्य निश्चय ही चकित कर देने वाला है कि उपर्युक्त दोनों धार्मिक सम्प्रदायों ने, जहाँ हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों की भाषा संस्कृत से सर्वथा परहेज रखने का प्रयास किया, वहीं हिन्दुओं की लिपि ब्राह्मी को उन्होंने सहर्ष गले लगाया। यह ब्राह्मी की लोक-प्रियता और सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

विद्वानों के अनुसार आदर्श लिपि में यह गुण होना चाहिए कि उसमें प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण के लिए अक्षन्दिग्व सङ्केत हो, जिससे जो बोला जाय, वह ठीक वैसे ही लिखा जाय और जो लिखा जाय, वह ठीक वैसे ही पढ़ा जाय। उच्चरित ध्वनि एवं लिखित वर्ण के इस सम्बन्ध-निर्वाह की दृष्टि से, विद्वानों के मतानुसार ब्राह्मी अत्यन्त पूर्ण एवं आदर्श लिपि थी। ओझा जी ने इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हुए लिखा है कि "इसमें स्वर एवं व्यञ्जन पूरे हैं और स्वरों में ह्रस्व-दीर्घ के लिए तथा अनुस्वार एवं विसर्ग के लिए उपयुक्त सकेत न्यारे-न्यारे हैं। व्यञ्जन भी उच्चारण के स्थानों के अनुसार वैज्ञानिक क्रम से जमाये गये हैं। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और आर्य-भाषा की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इसमें किसी प्रकार के सशोषण या परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है। व्यञ्जनों के साथ स्वरों के संयोग को मात्रा के चिह्नों से प्रकट करने की इसमें ऐसी विशेषता है, जो किसी और लिपि में नहीं है। साहित्य और सभ्यता की अति उच्च अवस्था में ही ऐसी लिपि का विकास हो सकता है।"

ब्राह्मी लिपि का परिचय देते हुए महामहोपाध्याय प० गौरीगङ्गार हीराचन्द्र ओझा ने लिखा है कि “मनुष्य की बुद्धि के सबसे बड़े महत्त्व के दो कार्य, भारतीय ब्राह्मी लिपि और वर्तमान गैली के अंको की कल्पना है। इस बीसवीं शताब्दी में भी हम ससार की बड़ी उन्नतिशील जातियों की लिपियों की तरफ देखते हैं, तो उनमें उन्नति की गंध भी नहीं पायी जाती। कही तो ध्वनि और उनके सूचक चिह्नो (अक्षरो) में साम्य नहीं है, जिससे एक ही चिह्न से एक से अधिक ध्वनियाँ प्रकट होती हैं और कही एक ही ध्वनि के लिए एक से अधिक चिह्नो का व्यवहार होता है और अक्षरो के लिए कोई शास्त्रीय क्रम ही नहीं। कही लिपि वर्णात्मक नहीं, किन्तु चित्रात्मक ही है। ये लिपियाँ मनुष्य जाति के ज्ञान की प्रारम्भिक दशा की निर्माण-स्थिति से अबतक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकी, परन्तु भारतवर्ष की लिपि हजारों वर्ष पहले भी इतनी उच्चकोटि को पहुँच गयी थी कि उसकी उत्तमता की कुछ भी समानता ससार भर की कोई दूसरी लिपि अबतक नहीं कर सकती।

इसमें प्रत्येक आर्यध्वनि के लिए अलग-अलग चिह्न होने से जैसा बोला जावे, वैसा ही लिखा जाता है और जैसा लिखा जावे, वैसा ही पढा जाता है तथा वर्णक्रम वैज्ञानिक रीति से स्थिर किया गया है। यह उत्तमता किसी अन्य लिपि में नहीं है।”

ब्राह्मी लिपि बायी ओर से दायी ओर लिखी जाती थी। इसके अक्षर प्रायः सीधे होते थे। अधिकांश अक्षरो के अन्त में तथा कुछ के प्रारम्भ और अन्त दोनों स्थानों में सीधी रेखाएँ जुड़ी होती थी। किन्तु, केवल प्रारम्भ में सीधी रेखा से युक्त अक्षरो का उसमें नितान्त अभाव था। इस प्रकार उसमें नियमित रेखाओं से वर्ण-रचना की प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

ब्राह्मी लिपि संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं के लिए लगभग ३५० ई० पू० से लेकर लगभग ३५० ई० तक केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु कतिपय अन्य पड़ोसी देशों में भी व्यवहृत होती थी। इससे उसके सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व की कल्पना सहज ही की जा सकती है।

ब्राह्मी की वर्ण-संख्या

वैदिक काल में ब्राह्मी लिपि में निम्नलिखित ध्वनियों या अक्षरों के निम्न वर्ण थे—

ह्रस्व-	अ	इ	उ	ऋ	ॠ
दीर्घ-	आ	ई	ऊ	ऋ	(ल ?)
प्लुत-	आ३	ई३	ऊ३	ऋ३	(ल३ ?)
मन्ध्यक्षर- दीर्घ	ए	ऐ	ओ	औ	
मन्ध्यक्षर प्लुत-	ए३	ऐ३	ओ३	औ३	

अयोगवाह—अनुस्वार— ँ (ग्वम् या गु)

विसर्ग—

जिह्वाभूलीय^१— क ख

उपध्मानीय^२— प फ

व्यञ्जन—

म्पर्ग—क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
			ळ ^३	ळ्ह ^४
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
अन्त स्थ—य	र	ल	व	
ऊर्ध्वमन—श	ष	स	ह	
यम ^५ —कुं	खुं	गु	घु	

इस प्रकार वैदिक ध्वनियों के लिए ब्राह्मी में अधिक से अधिक ६४ वर्ण थे। आगे चलकर प्राकृत ध्वनियों के लिए ब्राह्मी में केवल ४६-४७ वर्ण व्यवहार में रह गये। ओझा जी के अनुसार क्ष और ज का विकास बाद में हुआ, जिन्हें वौद्धों ने सिद्ध मानुषकाओं में परिगणित कर लिया। ञ का विकास आधुनिक है।

१. क और ख के पहले विसर्ग का विलक्षण उच्चारण होता था, जिसे जिह्वाभूलीय कहते थे।
२. प और फ के पहले विसर्ग का विलक्षण उच्चारण होता था, जिसे उपध्मानीय कहते थे।
३. दो स्वरों के बीच ढ का उच्चारण ळ होता था।
४. दो स्वरों के बीच ढ का उच्चारण ळ्ह होता था।
५. वर्णों के पहले चार वर्णों का जब किसी वर्ण के पाँचवें वर्ण से संयोग होता है, तब उन अनुनासिक वर्ण के पहले वैदिक काल में एक विलक्षण ध्वनि होती थी, जिसे यम कहा जाता था।

खरोष्ठी लिपि

भारत की प्राचीन लिपियों में ब्राह्मी के साथ खरोष्ठी का भी नाम आता है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसे वैक्ट्रियन, पाली, अरिअनोपाली, उत्तरी अशोक, काबुलियन और गान्धार आदि अनेक भिन्न-भिन्न नामों से भी अभिहित किया है। खरोष्ठी ई० पू० तीसरी शताब्दी में भारतवर्ष के उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश के आसपास पञ्जाब के गान्धार प्रदेश में प्रचलित थी, जो मौर्यवशी राजा अशोक के शाहवाजगढी और मानसेरा के लेखों से सिद्ध है। अशोक के पूर्व का कोई शिलालेख इस लिपि में उपलब्ध नहीं है, किन्तु, ईरानियों के अनेक चाँदी के मोटे सिक्कों पर ब्राह्मी अथवा खरोष्ठी के एक-एक अक्षर का ठप्पा लगा मिलता है, जिसमें अनुमान किया जाता है कि पञ्जाब की तरफ चलने वाले ये ईरानी सिक्के सम्भवतः सिकन्दर के पूर्व के अर्थात् ई० पू० चौथी शताब्दी के हों।

अशोक के शासन-काल के पश्चात् इस लिपि का प्रचार अधिकांशतः विदेशी राजाओं के सिक्कों तथा शिलालेखों आदि में मिलता है। सिक्कों में यूनानी, शक-क्षत्रप, पार्थियन, कतिपय कुशानवशी राजा तथा औटुम्बर आदि एतद्देशीय वंशों के राजाओं के सिक्कों पर के दूसरी तरफ के प्राकृत-लेख इस लिपि में मिलते हैं।

खरोष्ठी के शिलालेख तथा ताम्रलेखादि ब्राह्मी की अपेक्षा बहुत ही थोड़े और बहुधा बहुत छोटे-छोटे मिले हैं, जो शक, क्षत्रप, पार्थियन तथा कुशानवशी राजाओं के समय के हैं। उनमें से अनेक लेखों में तो राजाओं के नाम मिलते हैं, किन्तु अनेक में साधारण पुरुषों के ही नाम हैं। वे अधिकांशतः बौद्ध स्तूपों में रक्खे हुए पत्थर आदि के पात्रों और सोने, चाँदी या ताँबे के पात्रों पर अथवा चट्टानों, शिलाओं या मूर्तियों के आसन पर खुदे हुए मिले हैं। उनमें से अधिकांश गान्धार प्रदेश में और वहाँ भी विशेषकर तक्षशिला और चारसडा (पुष्कलावती) से मिले हैं। पञ्जाब के बाहर अफगानिस्तान में बर्डक तथा हिड्डा आदि स्थानों से।

खरोष्ठी फारसी की तरह दाहिनी ओर से बायीं ओर लिखी जाती थी और इसके ग्यारह वर्ण—क, ज, , द, न, ब, य, र, व, ष, स और ह समान उच्चारणवाले अरमइक् अक्षरों से मिलते-जुलते हैं।

खरोष्ठी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ओझाजी ने अनुमान किया है कि “सम्भव है कि ईरानियों के राजत्वकाल में उनके अधीन के हिन्दुस्तान के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि अरमइक् का प्रवेश हुआ हो और उसी से खरोष्ठी लिपि का उद्भव इस देश में हुआ हो, जैसे कि मुसलमानों के राज्य के समय फारसी लिपि का, जो-

उनकी राजकीय लिपि थी, इस देग में प्रवेग हुआ और उसमें कुछ वर्ण बढ़ाने से उर्दू लिपि बनी ।”

खरोष्ठी लिपि के जितने लेख मिले हैं, उनसे पाया जाता है कि उसमें स्वरों तथा उनकी मात्राओं में ह्रस्व-दीर्घ का भेद न था । सयुक्ताक्षर बहुत कम होते थे, जिनका रूप अस्पष्ट और भ्रमोत्पादक होता था ।

खरोष्ठी लिपि का प्रचार लगभग तीसरी शताब्दी तक पञ्जाब के आसपास था, किन्तु बाद में उसका स्थान, उन स्थानों में भी, ब्राह्मी ने ही ले लिया । तदनन्तर खरोष्ठी का अस्तित्व इस देग में समाप्त हो गया ।



ब्राह्मी से उद्भूत परवर्ती लिपियाँ

भाषा के समान ही लिपि में भी निरन्तर कुछ न कुछ परिवर्तन, चाहे वह प्रारम्भ में अत्यन्त सूक्ष्म या नगण्य ही क्यों न प्रतीत हो, होते ही रहते हैं, जो शताब्दियों के बाद स्पष्ट होते हैं। ब्राह्मी भी एक व्यापक जन-समाज की लिपि थी, इस कारण, वह भी परिवर्तनों से मुक्त नहीं रह सकी। ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से लेकर लगभग ३५० ई० तक के ब्राह्मी वर्णों में कोई विशेष अन्तर नहीं प्रतीत होता। किन्तु, उसके बाद के लेखों में ब्राह्मी के वर्णों में पूर्वापेक्षया स्पष्ट अन्तर परिलक्षित होने लगता है। ओझाजी ने लिखा है कि “हस्तलिखित लिपियों में सर्वत्र दूरी समय के साथ और लेखक की रुचि के अनुसार परिवर्तन हुआ करता है। ब्राह्मी में भी समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ और उससे कई लिपियाँ निकली, जिनके अक्षर मूल अक्षरों में बिल्कुल बदल गये। जिनको प्राचीन लिपियों का परिचय नहीं है, वे सहसा यह स्वीकार न करेंगे कि हमारे देश की नागरी, शारदा, गुरुमुखी, बगला, उडिया, तेलगू, कन्नड़ी, ग्रन्थ, तमिल आदि समस्त वर्तमान लिपियाँ एक ही मूललिपि ब्राह्मी से निकली हैं।”

चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्राह्मी दो प्रमुख शैलियों में विभक्त हो गयी, जिन्हें विद्वानों ने उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली कहकर पुकारा है। उत्तरी-शैली का प्रचार प्रायः विन्ध्य पर्वत के उत्तर में तथा दक्षिणी शैली का प्रचार मुख्य रूप से उसके दक्षिण में हुआ। यो कहीं-कहीं उत्तर में दक्षिणी तथा दक्षिण में उत्तरी-शैली के लेख भी मिलते हैं। उत्तर भारत की सभी परवर्ती लिपियाँ ब्राह्मी की उत्तरी शैली से तथा दक्षिण भारत की सभी परवर्ती लिपियाँ दक्षिणी शैली से विकसित हुई हैं। कालक्रम में इन दोनों शैलियों से विकसित होनेवाली भिन्न-

भिन्न लिपियों में परस्पर इतना अन्तर हो गया है कि आज बिना सीखे, न तो उत्तर वाले दक्षिण की किसी लिपि को पढ़ सकते हैं और न दक्षिण वाले उत्तर की किसी लिपि को ।

ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपियाँ

गुप्तलिपि — चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्राह्मी की उत्तरी शैली में जिम नवीन लिपि का जन्म हुआ, उसका नाम 'गुप्तलिपि' रखा गया है । गुप्तलिपि (अर्थात् गुप्तकालीन ब्राह्मी) का स्वरूप प्राचीन ब्राह्मी में स्पष्टतः भिन्न है । उसमें मात्राओं के चिह्न नये रूपों में परिवर्तित हो चुके हैं । उसके अनेक वर्णों की आकृति नागरी के वर्णों में मिलती-जुलती दृष्टिगोचर होती है । उदाहरणार्थ, ल, क, ग, च, ड, ढ, त, द, प, भ, ल, तथा फ के रूपों में दोनों में पर्याप्त समता है । गुप्तलिपि में वर्णों की शिरोरेखा का प्रयोग स्पष्ट रूप से मिलता है ।

इस लिपि का प्रचार चौथी से पाँचवीं शताब्दी तक सम्पूर्ण उत्तर भारतवर्ष में था । उस समय, चूँकि भारत में गुप्तवंशी सम्राटों का राज्य था, इस कारणवश उस युग की लिपि का नामकरण भी उन्हीं के वंश के नाम के आधार पर किया गया है । इस लिपि के नमूने गुप्तवंशी राजाओं के शिलालेखों तथा दानपत्रादि में मिलते हैं । तत्कालीन धर्मप्रचारकों एवं व्यापारियों के द्वारा इस लिपि का प्रचार मध्य एशिया तक हुआ, जिससे प्राचीन खोतानी, ईरानी तथा तोखारी आदि लिपियाँ विकसित हुईं ।^१ छठी शताब्दी में इसी की पश्चिमी उपशाखा से 'सिद्धमात्रिका' लिपि का विकास हुआ, जिसके अक्षर न्यूनकोण के आकार के थे । बूलर ने इसी कारण उसे 'न्यूनकोणीयलिपि' की संज्ञा दी है । बोवगया में प्राप्त ५८८-८९ ई० का प्रसिद्ध लेख इसी 'सिद्धमात्रिका' लिपि में है ।

ओझा जी के अनुसार "गुप्तों के समय में कई अक्षरों की आकृतियाँ नागरी से कुछ-कुछ मिलती हुई होने लगीं । सिरों के चिह्न, जो पहले बहुत छोटे थे, बढ़कर कुछ लम्बे बनने लगे और स्वरों की मात्राओं के प्राचीन चिह्न लुप्त होकर नये रूपों में परिणत हो गये हैं ।"^२ डॉ० उदयनारायण तिवारी ने सम्भवतः ओझाजी के इसी कथन के आधार पर भ्रम में यह समझ लिया है कि नागरी लिपि तथा

१. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ६० ।

२. डॉ० २०, ना० ति०, हि० भा० का २० और वि०, पृ० १६३ ।

३. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ६० ।

शारदा लिपि का जन्म गुप्त लिपि से ही हुआ,^१ जो वास्तव में सही नहीं है। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि या 'कुटिलाक्षर' का विकास हुआ और तब उसी कुटिल लिपि से नागरी तथा शारदा विकसित हुई।^२

कुटिल लिपि .—छठी शताब्दी तक आते-आते गुप्तलिपि भी बहुत अधिक परिवर्तित हो गयी, इस कारण उसके परिवर्तित रूप का ही दूसरा नाम 'कुटिल लिपि' पडा। ओझाजी के अनुसार "कुटिल लिपि में अक्षरों की खड़ी रेखाएँ नीचे की तरफ वायी ओर मुड़ी हुई होती हैं और स्वरों की मात्राएँ अधिक टेढ़ी-मेढ़ी तथा लम्बी होती हैं, इसी से उसका नाम कुटिल लिपि पडा।"^३ इस लिपि के लिए देवल गाँव से मिली हुई ९९२ ई० की प्रशस्ति^४ में 'कुटिलाक्षर' शब्द का (कुटिलक्षाराणि विदुषा तक्षादिव्याभिधानेन), 'विक्रमाङ्कदेवचरित' में 'कुटिल लिपि' शब्द का (नो कायस्थै कुटिललिपिभिर्नोविटैश्चाटुदक्षै)^५ तथा मेवाड के गुहिलवंशी राजा अपराजित की ६६१ ई० की प्रशस्ति में 'विकटाक्षर' शब्द का (यशोभटेन पूर्णो यमुत्कीर्णा विकटाक्षरा)^६ प्रयोग मिलता है। इससे स्पष्ट है कि इसका नाम पर्याप्त प्राचीन है। इस लिपि के नमूने यशोधर्मन, हर्ष, अशुवर्मन, शिलादित्य, आदित्य सेन आदि अनेक राजाओं के शिलालेखों तथा दानपत्रादि में मिलते हैं।^७ इस लिपि का प्रचार छठी शताब्दी से लगभग नवी शताब्दी तक सम्पूर्ण उत्तर भारत में था।

इसी कुटिल लिपि से देवनागरी या नागरी तथा शारदा लिपि का विकास हुआ। शारदा से कश्मीरी, टाकरी, गुरुमुखी, और लहदा आदि अनेक वर्तमान लिपियों का तथा प्राचीन नागरी से बङ्गला, गुजराती, कैथी, महाजनी, उडिया, नेपाली तथा वर्तमान नागरी (देवनागरी) आदि उत्तर भारत की सभी आधुनिक लिपियों का जन्म हुआ।^८

नागरी लिपि :—नागरी लिपि का उद्भव आठवी-नवी शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से हुआ। उत्तर में इसका प्रचार नवी शताब्दी के अन्त से मिलता है,

१. डॉ० उ०, ना० ति०, हि० भा० का उ०, और वि०, पृ० ५६४।

२. डॉ० धी० व०, हि० भा० का इ०, पृ० ८६।

३. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ६२।

४. प० इ०, जिल्द १ पृ० ८१।

५. प० इ०, जिल्द ४, पृ० ३२।

६. उपरिबत्।

७. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ६२-६३।

८. डॉ० धी० व० हि० भा० का० इ०, पृ० ८६।

किन्तु दक्षिण में इसका प्रचार आठवीं शताब्दी के आसपास से ही होना पाया जाता है। दक्षिण के राष्ट्रकूट (राठौड़) वंशी राजा दन्तिदुर्ग के सामनगढ से मिले हुए ७५४ ई० के दानपत्र की लिपि नागरी ही है। दक्षिण में इसको नन्दि नागरी कहते हैं।

प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से वङ्गला लिपि निकली। नागरी से विकसित अन्य लिपियों में कथी, महाजनी, राजस्थानी तथा गुजराती विशेष उल्लेखनीय हैं।

वर्तमान काल में भारतवर्ष की आर्य लिपियों में नागरी का प्रचार सबसे अधिक है। इसी प्रकार दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतवर्ष के अधिकांश प्रदेशों में इसका प्रचार रहा है। वङ्गाल में भी दसवीं शताब्दी तक तो यही लिपि रही, बाद में इसी के परिवर्तित रूप से वहाँ वङ्गला लिपि का विकास हुआ। पञ्जाब और कश्मीर में इसकी वहन शारदा का प्रचार दसवीं शताब्दी के आसपास से हुआ। नागरी से विकसित अन्य लिपियों में कथी, तिरहुता, गुजराती, महाजनी, मालवी तथा मोठी विशेष उल्लेखनीय हैं। दक्षिण के भिन्न-भिन्न विभागों में, जहाँ तेलुगू, कन्नड़ी, ग्रन्थ तथा तमिल का प्रचार था, वहाँ भी उन सबके साथ इसका आदर बना रहा। विजयनगर के राजाओं के दानपत्रों की नागरी लिपि 'नन्दि नागरी' कहलाती है और अब तक दक्षिण में संस्कृत-पुस्तकों के लिखने में उसका प्रचार है।^१

नागरी लिपि का विस्तृत विवेचन आगे स्वतन्त्र अध्याय में किया जायगा।

शारदा लिपि.—इसका उद्भव और प्रचार भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों अर्थात् कश्मीर और पञ्जाब में आठवीं शताब्दी के आसपास हुआ था। आठवीं शताब्दी के राजा मेरु वर्मा के लेखों से पता चलता है कि उस समय तक पञ्जाब में कुटिल लिपि का ही प्रचार था। आगे चलकर उन्नीसे शारदा लिपि का उद्भव हुआ। शारदा लिपि के अब तक जितने लेख मिले हैं, उनमें सर्वाधिक प्राचीन लेख सराहं (चम्बा राज्य) की प्रगुस्ति है, जो दसवीं शताब्दी के आसपास की है। आगे चलकर शारदा लिपि से ही कश्चवारी सिरमौरी, कोछी, वर्तमान कश्मीरी, टक्करी या टाकरी, चम्बा, मण्डेआली, जौनसारी, कुल्लुई, लण्डा तथा डोगरी, आदि लिपियों का विकास हुआ।

“पहले शारदा लिपि के लेख बहुत कम प्रसिद्धि में आये थे। १९०४ ई० तक तो एक भी लेख की प्रतिकृति प्रसिद्ध नहीं हुई थी, परन्तु सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डॉ० फोजल ने १९११ ई० में बड़े श्रम के साथ चम्बा राज्य के शिलालेख और दानपत्रों का बड़ा सङ्ग्रह करके ‘एण्टिक्विटीज ऑफ चम्बा स्टेट’ नामक अपूर्व ग्रन्थ प्रकाशित किया, जिसमें प्राचीन लिपियों के अभ्यासियों के लिए शारदा लिपि की अमूल्य सामग्री है।”^१

बङ्गला लिपि—बङ्गला लिपि का विकास नागरी की पूर्वी शाखा से दसवीं शताब्दी के आसपास हुआ। बङ्गाल के स्तम्भ पर खुदे हुए नारायण पाल के समय के लेख में, जो दसवीं शताब्दी का है, बङ्गला की ओर स्पष्ट झुकाव दीखता है। उसी से नेपाल की ११ वीं शताब्दी के बाद की लिपि असमिया, मनीपुरी, वर्तमान बङ्गला, मैथिली तथा उडिया आदि लिपियों का विकास हुआ।

नारायण पाल के लेखों में पुरानी नागरी के केवल ‘ए’, ‘ख’ आदि कुछ अक्षरों में बङ्गला की ओर झुकाव नजर आता है। ग्यारहवीं शताब्दी के पालवशी राजा विजयपाल के देवपारा के लेख में ए, ख, ज्ञ, त, म, र, ल और स में नागरी से थोड़ी सी भिन्नता है और कामरूप के वैद्यदेव के दानपत्र, आमाम से मिले हुए ब्रह्मभेन्द्र के दानपत्र और हस्त्राकोल के लेख की लिपियों में से प्रत्येक को नागरी से मिलाया जाय तो अ, इ, ई, ऋ, ए, ऐ, ख, घ, झ, ज्ञ, ट, थ, प, फ, र, श और ष में अन्तर पाया जाता है। इस प्रकार नागरी की लेखन-शैली में क्रमशः परिवर्तन होते-होते वर्तमान बङ्गला लिपि बनी।^२

ब्राह्मी को दक्षिणी शैली से उद्भूत लिपियाँ

दक्षिण भारत की लिपियाँ प्राचीन ब्राह्मी की उस दक्षिणी शैली से विकसित हुई हैं, जो क्षत्रप और आन्ध्रवशी राजाओं के समय के लेखों में तथा उनके कुछ पीछे के दक्षिण की नासिक, कार्ली आदि गुफाओं के लेखों में पाया जाता है।

दक्षिणी शैली की लिपियों में (१) पश्चिमी, (२) मध्यप्रदेशी, (३) तेलुगू-कन्नडी, (४) ग्रन्थ लिपि, (५) कलिङ्ग लिपि तथा (६) तमिल लिपि प्रधान हैं।

दक्षिणी शैली की लिपियों में घ, प, फ, ष और स उनके पुराने रूपों के अनुसार ऊपर से खुले हुए होते हैं। ल की खड़ी लकीर प्रायः ऊपर की ओर

१. ओम्का, प्रा० भा० लि०, पृ० ७४।

२. ओम्का, प्रा० भा० लि०, पृ० ७७।

से वायी और मुडकर नीचे झुकी हुई रहती है और अ, आ, ई, क, ज और र अक्षरो की खड़ी लकीरो तथा उ, ऊ और ऋ की मात्राओं के नीचे के अंग वायी तरफ मुडकर घुमाव के साथ ऊपर बढे हुए रहते हैं। यही ऊपर की ओर बढा हुआ अंग समय के साथ और ऊपर बढ कर सिर तक पहुँचने लगा, जिससे तेलुगु-कन्नडी तथा ग्रन्थ आदि लिपियों में अ, आ, ई, क, ज और र की आकृतियाँ मूल अक्षरो से विलकुल विलक्षण हो गयी। इसके अतिरिक्त दक्षिण के लेखक अपने अक्षरो में सुन्दरता लाने के विचार से खड़ी और आड़ी लकीरो को बक्र या खमदार बनाने लगे तथा उनके प्रारम्भ, मध्य और अन्त में कहीं-कहीं ग्रन्थियाँ भी बनायी जाने लगी। इन्हीं कारणों से दक्षिण की लिपियों के वर्तमान अक्षर उनके मूल ब्राह्मी अक्षरों से बहुत ही विलक्षण बन गये।

दक्षिणी गौली से विकसित प्रमुख लिपियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है.—

(१) पश्चिमी लिपि

पश्चिमी लिपि पाँचवी से नवी शताब्दी तक गुजरात, काठियावाड, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोकण और हैदराबाद के कुछ भागों में प्रचलित थी। उस पर उत्तरी वर्णों का भी पर्याप्त प्रभाव था। उसके लेख भडौंच के गुर्जरवणियों तथा गुजरात के चालुक्यों और कलचुरियों के शिलालेखों एवं दानपत्रों में उपलब्ध हैं।

(२) मध्यप्रदेशी लिपि

मध्यप्रदेशी लिपि का प्रचार बुन्देलखण्ड, मध्यप्रदेश, हैदराबाद के उत्तरी भाग तथा मंसूर के कुछ भागों में पाँचवी शताब्दी से नवी शताब्दी तक रहा। उसके अक्षरों की आकृति प्रायः समकोण की तरह हुआ करती थी और उनके सिर के ऊपर चाँकोर जैसे आकार होते थे। उक्त लिपि के लेखों के नमूने वाकाटकवशी राजाओं तथा महाकोशल के सोमवशी राजाओं के शिलालेखों एवं दानपत्रों में मिलते हैं।

३ तेलुगु कन्नडी लिपि

तेलुगु-कन्नडी लिपि का प्रचार बम्बई, हैदराबाद के दक्षिणी भाग, मंसूर और मद्रास के पूर्वोत्तरी भाग में पाँचवी से दसवी शताब्दी तक था। आगे चलकर उसी

लिपि से लगभग चौदहवीं शताब्दी के आसपास आधुनिक तेलुगू और कन्नड़ी लिपियों का विकास हुआ। उक्त लिपि के प्राचीन नमूने चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के शिलालेखों एवं दानपत्रों में उपलब्ध हैं।

(४) ग्रन्थ लिपि

ग्रन्थ लिपि का विकास सातवीं शताब्दी के आसपास ब्राह्मी की दक्षिणी शाखा से मद्रास तथा ट्रावनकोर में हुआ। उक्त राज्यों में यह लिपि मुख्यतः संस्कृत-ग्रन्थों के लेखन-कार्य में प्रयुक्त होती रही है। सम्भव है कि संस्कृत-ग्रन्थों में प्रयुक्त होने के कारण ही इसका नाम ग्रन्थ लिपि पड़ा हो। इसके प्राचीन नमूने पल्लव, पाण्ड्य तथा चोल राजाओं के लेखों तथा दानपत्रों में उपलब्ध हैं। लगभग तेरहवीं शताब्दी के आसपास प्राचीन ग्रन्थ लिपि से आधुनिक ग्रन्थ लिपि का विकास हुआ। फिर पन्द्रहवीं शताब्दी तक आते-आते इसका विकास दो स्रोतों में विभक्त हो गया, जिनमें से एक को ब्राह्मिक तथा दूसरे को जैन लिपि की सजा से अभिहित किया जाता है। ग्रन्थ लिपि से विकसित अन्य लिपियों में तुलु तथा मलयालम लिपि विशेष उल्लेखनीय हैं।

(५) कलिङ्ग लिपि

कलिङ्ग लिपि मद्रास के चिकाकोल और गञ्जाम के मध्य भाग में लगभग सातवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक प्रचलित थी। उस लिपि पर मध्य प्रदेशी लिपि तथा तेलुगू-कन्नड़ी लिपि का पर्याप्त प्रभाव था। उसके अक्षरों के शीर्ष भाग में भरे हुए चौकोर चित्र होते थे तथा अक्षरों का आकार समकोणात्मक होता था। कलिङ्ग-लिपि के नमूने पूर्वी गङ्गावशी राजाओं के लेखों में उपलब्ध हैं। उक्त लिपि का प्रचार सम्भवतः ग्यारहवीं शताब्दी के बाद समाप्त हो गया। उससे किसी ऐसी नयी लिपि का भी विकास नहीं हुआ, जिसमें उसकी कुछ विशेषताएँ निहित होतीं।

(६) तमिल लिपि

तमिल लिपि का उद्भव लगभग पाँचवीं-छठी शताब्दी में ब्राह्मी की शाखा से हुआ। उसका प्रचार-क्षेत्र मुख्यतः मद्रास प्रदेश रहा है, जहाँ वह ५ के साथ-साथ प्रचलित रही है। तमिल लिपि में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का अभाव होने के कारण संस्कृत का लेखन उसमें सम्भव नहीं था।

भाषा के ग्रन्थों, लेखों आदि के लिए तो तमिल लिपि का प्रयोग होता था, किन्तु केवल संस्कृत-ग्रन्थों के लेखन में ग्रन्थ लिपि का ही प्रयोग होता था। इस प्रकार, साथ-साथ प्रचलन होने के कारण तमिल लिपि पर ग्रन्थ लिपि का भी कुछ प्रभाव पड़ा।

लगभग चौदहवीं शताब्दी के आसपास प्राचीन तमिल लिपि से आधुनिक तमिल लिपि का विकास हुआ। आधुनिक तमिल लिपि का व्यवहार मद्रास प्रदेश में तमिल भाषा के लेखन-कार्य में होता है। उसमें अन्य स्वर वर्णों के अतिरिक्त ह्रस्व ए तथा ओ के लिए भी स्वतन्त्र वर्ण हैं। व्यञ्जन वर्ण केवल अट्टारह हैं।

प्राचीन तमिल लिपि से सातवीं शताब्दी के आसपास एक अन्य लिपि भी विकसित हुई, जिसे वट्टेलुत्तु लिपि कहते हैं। वर्नेन के अनुसार वट्टेलुत्तु लिपि तमिल लिपि का पूर्वरूप थी, किन्तु, प० गौरीगङ्गार हीराचन्द्र ओझा के अनुसार वट्टेलुत्तु तमिल से कोई भिन्न लिपि नहीं, अपितु उसी का घसीट रूप है। कुछ विद्वान वट्टेलुत्तु को तमिल से भिन्न लिपि मानते हैं।

अध्याय के अन्त में ब्राह्मी से उद्भूत भारतीय लिपियों की सारणी दी गयी है।

ब्राह्मी से उद्भूत विदेशी लिपियाँ

ब्राह्मी से उद्भूत उन मुख्य लिपियों का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका है, जिनका प्रचार-क्षेत्र भारतवर्ष रहा है। उनके अतिरिक्त ब्राह्मी से विकसित अनेक लिपियाँ बौद्ध धर्म तथा उसके प्रचारकों के साथ-साथ भारतवर्ष की सीमा के बाहर के देशों में भी गयीं, जहाँ आज तक उनका तथा उनसे विकसित अन्यान्य आधुनिक लिपियों का प्रचार है। ब्राह्मी से उद्भूत उन विदेशी लिपियों में १. सिंहली लिपि, २. माल्दिवी लिपि, ३. सीरो-मालावारी लिपि, ४. हिन्देसियाई लिपियाँ, ५. चम्पा लिपि, ६. ख्मेर लिपि, ७. बर्मी लिपि, ८. शान लिपि, ९. स्यामी लिपि तथा १०. फिलीपाइनी लिपि विशेष उल्लेखनीय हैं।

ब्राह्मी से उद्भूत उपर्युक्त विदेशी लिपियों तथा उनसे विकसित प्रमुख वर्तमान लिपियों का अति संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है.—

(१) सिंहली लिपि

विद्वानों के अनुसार लङ्का में ब्राह्मी लिपि का प्रवेश ई० पू० चौथी शताब्दी के पहले ही हुआ था। आगे चलकर ई० पू० तीसरी शताब्दी में उसी से सिंहली लिपि विकसित हुई। डिरिङ्गर के अनुसार वहाँ सिंहली के विकास की चार अवस्थाएँ

रही है। ई० पू० तीसरी शताब्दी से ई० सन् चौथी शताब्दी तक की सिंहली को उन्होंने पालि-प्राकृत-सिंहली कहा है। फिर उसी से पूर्वी सिंहली का विकास हुआ, जिसका प्रचारकाल पाँचवीं से आठवीं शताब्दी तक माना गया है। पूर्वी सिंहली से आगे चलकर मध्य सिंहली का विकास हुआ, जो नवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक प्रचलित रही और फिर तेरहवीं शताब्दी के आसपास उसी से आधुनिक सिंहली का विकास हुआ, जो आज तक प्रचलित है।

आधुनिक सिंहली पर ग्रन्थ लिपि का प्रचुर प्रभाव है। उसमें कुल मिलाकर ५४ वर्ण हैं। आधुनिक सिंहली लिपि दो प्रकार की है, जिनमें एक इलु लिपि तथा दूसरी मिश्र लिपि कहलाती है। इलु लिपि प्रायः कविता लिखने में ही प्रयुक्त होती है। उसमें प्राचीन ध्वनियों के लिए तो वर्ण हैं, किन्तु कतिपय आधुनिक ध्वनियों के लिए स्वतन्त्र वर्णों का अभाव है। दूसरी ओर मिश्र लिपि में आधुनिक ध्वनियों के लिए भी स्वतन्त्र वर्ण हैं, इसलिए उसका उपयोग सिंहली भाषा के गद्य तथा पद्य दोनों के लिए होता है। उसमें प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के वर्ण हैं, इसीलिए उसे मिश्र लिपि कहा जाता है।

(२) माल्दिवी लिपि

इस लिपि का प्रचार भारत महासागर के माल्दिव द्वीप में है। इसके प्राचीनतम नमूने ग्यारहवीं शताब्दी तक के प्राप्त हुए हैं। इसके प्राचीनतम रूप का नाम 'एवेला अकुरु' था, जो तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी तक प्रचलित था। फिर उसी से 'दिवेश अकुरु' नामक लिपि विकसित हुई, जिसका प्रचार लगभग अठारहवीं शताब्दी तक रहा। उसके दो रूप थे, जिनमें से एक के अक्षर अलग-अलग लिखे जाते थे और दूसरे के मिलाकर। अठारहवीं शताब्दी के आसपास 'दिवेश अकुरु' से 'गाबुली ताना' लिपि का विकास हुआ, जो वर्तमान समय में उक्त सम्पूर्ण द्वीप की लिपि है। उस पर अरबी तथा सिंहली लिपि का भी प्रभाव है। उसके कई स्थानीय भेद भी हैं।

(३) सीरो-मालावारी लिपि

सीरो-मालावारी लिपि का प्रचार सीरिया तथा मालावार में है। उसके प्राचीनतम नमूने दसवीं शताब्दी तक के उपलब्ध हैं, जिनको देखने से यह अनुमान होता है कि उसका विकास गुप्तकालीन ब्राह्मी से हुआ होगा, क्योंकि दोनों के कतिपय वर्णों के आकार में स्पष्ट साम्य दीखता है। किन्तु, वर्णर के अनुसार सीरो-

मालावारी लिपि का विकास बृहस्पति से हुआ। सीरो-मालावारी लिपि का वर्तमान रूप उसके प्राचीन रूप में पर्याप्त भिन्न हो चुका है, जो वहाँ के निवासियों के द्वारा उक्त लिपि के आधुनिकीकरण का परिणाम है।

(८) हिन्दोपियाई लिपियाँ

वर्तमान समय में हिन्दोपिया में जो तो मुख्यतः अरबी तथा रोमन लिपि का प्रचार है, किन्तु वहाँ के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अभी भी कुछ ऐसी लिपियाँ प्रचलित हैं, जो निश्चित रूप से ब्राह्मी के वंश की कही जा सकती हैं। उन लिपियों में (क) माड्ग्यान लिपि, (ख) कावि लिपि, (ग) वटक लिपि, (घ) लाम्पाङ्ग-रेज्जाङ्ग लिपि, (ङ) मेलेत्रिज लिपि तथा (च) बुगी लिपि विशेष उल्लेखनीय हैं।

(क) माड्ग्यान लिपि का प्रचार कुछ शताब्दी पूर्व बोनियो में था। वहाँ से उपलब्ध प्राचीन शिलालेखों की भाँसा संस्कृत तथा लिपि माड्ग्यान है, जिसे देखने में ऐसा प्रतिभासित होता है कि उसका विकास निश्चित रूप में ब्राह्मी की क्रिमी भारतीय शाखा से हुआ होगा। वर्तमान समय में बोनियो में 'दयाक्स लिपि' का प्रचलन है।

(ख) कावि लिपि का प्रयोग जावा में, वहाँ की भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के लिए होता है। उसके प्राचीनतम लेख आठवीं शताब्दी तक के उपलब्ध हुए हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कावि लिपि का विकास प्राचीन ग्रन्थ लिपि से हुआ। किन्तु डॉ० ब्राण्ड्स का मत है कि उक्त लिपि का विकास लगभग आठवीं शताब्दी में गुजरातियों के जावा जाने के परिणामस्वरूप उन्हीं की लिपि से हुआ। कावि के प्राचीन रूप के उदाहरण पन्द्रहवीं शताब्दी तक के मिलते हैं। तदनन्तर सोलहवीं शताब्दी में प्राचीन कावि में मध्य कावि या जावेनीज लिपि का विकास हुआ और फिर अठारहवीं शताब्दी के आसपास मध्य कावि से आधुनिक कावि या जावेनीज लिपि विकसित हुई। वर्तमान समय में आधुनिक कावि में कई क्षेत्रीय लिपियाँ भी विकसित हुई हैं, जिनमें क्रामाडङ्गल, वासाकेदातन तथा डूंगोको उल्लेखनीय हैं।

(ग) वटक लिपि का प्रचार सुमात्रा में, वहाँ के मूलनिवासियों के बीच है, जो वटक जाति के हैं। विद्वानों के अनुसार वटक लिपि कावि लिपि से ही विकसित है, किन्तु अब दोनों में पर्याप्त भिन्नता आ गयी है। उक्त लिपि पृष्ठ के नीचे से प्रारम्भ करके ऊपरी सिरे तक बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती है।

(घ) लाम्पाङ्ग-रेज्जाङ्ग लिपि सुमात्रा के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में वहाँ के

हिन्दुओं के बीच प्रचलित है। विद्वानों के अनुसार उक्त लिपि भी प्राचीन कावि से ही विकसित है।

(ड) सेलिब्रिज लिपि का प्रचार सेलिब्रिज द्वीप में है। वह वुगी भाषा की एक क्षेत्रीय बोली के लिखने के लिए प्रयुक्त होती है। विद्वानों के अनुसार उसका विकास कावि लिपि से वटक लिपि के माध्यम से हुआ है।

(च) वुगी लिपि का व्यवहार सेलिब्रिज में वुगी भाषा के लेखन के लिए होता है। यह लिपि भी कावि लिपि से ही विकसित है तथा आधुनिक हिन्देमियाई लिपियों में अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक है।

(५) चम्पा लिपि

इसका प्रकार चम्पाद्वीप तथा कम्बोडिया में है। यह लिपि आठवीं शताब्दी में ही पूर्णतः विकसित हो चुकी थी, जो इसके प्राचीनतम लेख तीसरी शताब्दी तक के उपलब्ध हैं। इस लिपि पर दक्षिण भारत की लिपियों, मुख्यतः मध्यप्रदेशी लिपि का पर्याप्त प्रभाव है। पहले यह लिपि बायीं से दायीं ओर लिखी जाती थी, किन्तु वर्तमान समय में मुसलिम प्रभाव के कारण कुछ लोगों के द्वारा यह दायीं से बायीं ओर भी लिखी जाती है। आजकल यह लिपि अखरन्नाह के नाम से अभिहित की जाती है। इसके दो मुख्य रूप प्रचलित हैं, जिनमें से एक का प्रचलन अन्नाम में और दूसरे का कम्बोडिया में है। चम्पा लिपि के अन्य भेदों में 'अखररिक', 'अखर अतुओ' तथा 'अखर योक' विशेष उल्लेखनीय हैं।

(६) ख्मेर लिपि

इस लिपि का प्रचार-क्षेत्र भी कम्बोडिया ही है। इसका ग्रन्थ लिपि से बहुत अधिक साम्य है। इसके प्राचीनतम नमूने सातवीं शताब्दी तक के उपलब्ध हैं। यह अपने आधुनिक रूप में 'अखर मीङ्ग' के नाम से ख्यात है। ख्मेर लिपि के एक दूसरे रूप का नाम 'अखर मूल' है।

(७) बर्मी लिपियाँ

बर्मा में अनेक जातियों एवं भाषाओं के लोगों का निवास होने के कारण, यहाँ अनेक प्रकार की लिपियाँ भी प्रचलित हैं। उनमें (क) बर्मी लिपि, (ख) म्यानलिपि, (ग) प्यू लिपि तथा (घ) करेन लिपि विशेष प्रसिद्ध हैं।

(क) वर्मी लिपि का प्रचार-क्षेत्र वर्मा है, जो इसके नाम से ही स्पष्ट है। वहाँ के अधिकांश निवासी प्रायः इसी लिपि का व्यवहार करते हैं। इस लिपि के वर्ण पालि के हैं। वर्तमान समय में इस लिपि के दो रूप प्रचलन में हैं, जिनमें से एक का उपयोग केवल प्रस्तर-खण्डों पर लिखने के लिए होता है, जिसका नाम 'किउसा लिपि' है और दूसरे का प्रयोग बौद्ध धर्म के ग्रन्थों के लेखन में होता है, जिसका नाम 'पालि लिपि' है। 'किउसा लिपि' से ही विकसित एक अन्य लिपि का नाम 'चाल्टी लिपि' है, जिसका व्यवहार मुद्रण के लिए भी होता है।

(ख) मानलिपि भी वर्मा की ही लिपि है। इस पर ग्रन्थ लिपि का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसके प्राचीनतम नमूने वारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक के उपलब्ध हैं। वर्मा में इस लिपि का प्रयोग प्रायः उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है, जो चम्पा या कम्बोडिया से वहाँ जाकर वसे हैं।

(ग) प्यू लिपि वर्मा की प्यू जाति की लिपि है। इसका प्रयोग प्रायः तिव्वती-वर्मी शाखा की एक भाषा को लिखने के लिए होता रहा है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन प्रायः नहीं के बराबर रह गया है।

(घ) करेन लिपि वर्मा की करेन जाति के लोगों की लिपि रही है। इसका आविष्कार १८३२ ई० के आसपास मिशनरियों के द्वारा हुआ। करेन जाति की एक और लिपि थी, जो चम्पा लिपि पर आधारित थी। किन्तु, अब वह प्रायः लुप्त हो गयी है।

वर्मा की अन्य लिपियों में 'ताङ्ग्यू' तथा 'येन्नो' उल्लेखनीय हैं।

(८) ज्ञान लिपियाँ

म्याम की 'थाई' भाषा तथा उमकी बोलियों के लिए 'लाओ' लिपि, 'लू' लिपि, 'कुन लिपि', 'अहामी' लिपि, 'खाम्ती' लिपि तथा 'एतोनिया' लिपि का व्यवहार होता है।

उपर्युक्त लिपियों में 'लाओ' लिपि 'ज्ञान' शाखा की प्राचीनतम लिपि है, जिसका विकास ग्यारहवीं शताब्दी में 'मान' लिपि में हुआ था। आधुनिक 'लाओ' पर 'वर्मी' लिपि का कुछ प्रभाव है। दक्षिणी चीन की 'मीक्याङ्ग' नदी की पहाड़ी घाटियों में रहनेवाले 'मोमो' जाति के लोग भी प्रायः 'लाओ' लिपि को ही प्रयोग में लाते हैं।

ब्राह्मी से उद्भूत परवर्ती लिपियाँ

ब्रिटिश शान स्टेट मे थर्ड लोगो के अतिरिक्त जो लोग रहते है, वे 'लू' तथा 'कुन' बोलियाँ बोलते है और उन बोलियों के लिए 'लू' एव 'कू' नामक लिपियो का व्यवहार करते हैं। ये लिपियाँ 'लाओ' से साम्य रखती हैं।

अहामी लिपि का प्रयोग शान की एक बोली के लिए होता था, जो अब लुप्त हो चुकी है। परन्तु, वर्मा के पश्चिमी तट पर आज भी कुछ लोग इन लिपि का व्यवहार करते है। इसी प्रकार खाम्ती लिपि का प्रयोग वर्मा के ऊपरी-भागो मे होता है। आसाम के गिबसागर जिले का जो भाग वर्मा मे है, वहाँ- 'एतोनिया' लिपि का प्रयोग होता है। ये सभी लिपियाँ ब्राह्मी की वंश-परम्परा की ही है।

(९) स्यामी लिपि

स्यामी लिपि का विकास तेरहवीं शताब्दी के अन्त मे 'स्मेर' लिपि के आधार-पर 'सिहली पालि' मे हुआ। इस पर ग्रन्थ लिपि का भी प्रभाव है। इस लिपि मे स्वर-वर्णों की संख्या तीस है। यह स्याम की सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि है। इसका प्रयोग मुद्रण, टङ्कन तथा लेखन सब मे होता है।


(१०) फिलीपाइन लिपि

फिलीपाइन की लिपियो मे 'तोगालाग' तथा 'ताग्वानुआ' विशेष उल्लेखनीय-हैं। किन्तु अब धीरे-धीरे इन लिपियो के स्थान पर रोमन लिपि का प्रचार बढ़ता-जा रहा है।


ब्राह्मी-वंश-परम्परा की विदेशी लिपियो मे उपर्युक्त लिपियो के अतिरिक्त-और भी अनेक लिपियाँ आती है। किन्तु, उनके सम्बन्ध मे विद्वानो मे मतभेद नहीं-है, उदाहरणार्थ—'कोरियाई' और 'बोलीई' आदि ऐसी ही लिपियाँ है। सम्भव है, आधुनिक अनुसन्धानो के फलस्वरूप और भी ऐसी विदेशी लिपियाँ निकल आयें, जिनका ब्राह्मी के साथ सम्बन्ध जोडा जा सके। आगे ब्राह्मी से उद्भूत भारतीय-तथा विदेशी लिपियो की सारिणी दी जा रही है।

ब्राह्मी से उद्भूत प्रमुख भारतीय लिपियाँ

ब्राह्मी



ब्राह्मी-वंश की विदेशी लिपियाँ



अध्याय

: ५ :

भारत की प्राचीन लिपियों का वाचन

गुप्त एव कुटिल लिपि के लेखों का वाचन

आधुनिक युग के यूरोपीय विद्वानों के द्वारा प्राचीन भारतीय लिपियों के अभिलेखों के वाचन का इतिहास जितना रोचक है, उतना ही शिक्षाप्रद भी है। यह आश्चर्य से अधिक लज्जा की बात है कि भारतीय पण्डितों को अपने पूर्वजों की लिपि तक विम्वृत हो गयी थी। इस बात के कई प्रमाण हैं कि १४वीं शताब्दी के पहले ही भारतीय लोग ब्राह्मी, गुप्त तथा कुटिल लिपियों को भूल चुके थे।

१३५६ ई० में दिल्ली के मुलतान फिरोजशाह तुगलक ने बड़े उत्साह के साथ टोपरा (पञ्जाब) तथा मेरठ से अगोके के लेखों वाले दो विशाल स्तम्भ उठवा कर असाधारण श्रम से दिल्ली मँगवाया। उनमें से एक को उसने फिरोजशाह के कटरे में तथा दूसरे को कुञ्क शिकार (शिकारमहल) के पास खड़ा करवाया, जो आज भी रिज नामक पहाड़ी पर गदर की यादगार के पास वर्तमान है। उसने उन स्तम्भों के लेखों का आशय जानने के लिए देश के बहुत सारे विद्वानों को एकत्र किया, किन्तु किसी को उन लेखों के पढ़ने में सफलता नहीं मिली।^१ कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने भी उक्त लेखों का आशय जानने की उत्कट इच्छा प्रकट की थी। परन्तु उस समय एक भी विद्वान ऐसा न निकला, जो उन लेखों को पढ़कर बादशाह की इच्छा की पूर्ति करता।

आधुनिक युग में, १५ जनवरी, १७८४ ई० में सर विलियम जोन्स की प्रेरणा में एशिया के प्राचीन इतिहास-मन्वन्वी शोध के निमित्त जब 'एसिएटिक नोसाइटी' की स्थापना हुई, तो भारतीय शिलालेखों की ओर भी विद्वानों का ध्यान गया।

१७८५ ई० में चार्ल्स विल्किन्स ने दिनाजपुर जिले के बदाल नामक स्थान के पास मिले हुए एक स्तम्भ का लेख पढ़ा^१। यह लेख बङ्गाल के राजा नारायण पाल के समय का था। उसी वर्ष प० राधाकान्त शर्मा ने टोपरावाले अशोककालीन स्तम्भ के ऊपर खुदे हुए अजमेर के चौहान राजा अन्नल्लदेव के पुत्र वीमलदेव (विग्रहराज चौथे) के तीन लेख पढ़े,^२ जिनमें से एक सवत् १२२०, वैशाख शुक्ति १५ का है। उसी वर्ष जे० एच० हैरिङ्गटन ने बोध गया के पास वाली 'नागार्जुनी' और 'वरावर' की गुफाओं में उपर्युक्त लेखों से अधिक पुराने मौखरी वंश के राजा अनन्त वर्मन के तीन लेख पाये, जिनकी लिपि गुप्तों के समय के लेखों की लिपि से मिलती-जुलती थी। चार्ल्स विल्किन्स ने १७८५ ई० से १७८९ ई० तक कठोर श्रम एवं साधना के पश्चात् उन तीनों लेखों को पढ़ लिया, जिसके फलस्वरूप गुप्त लिपि की लगभग आधी वर्णमाला की पहचान लोगों को हो गयी।

१८१८ ई० से १८२३ ई० तक कर्नल जेम्स टॉड ने राजपुताना तथा काठियावाड़ में कई प्राचीन लेखों का पता लगाया। उनमें से सातवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी तक के कई लेखों को टॉड के गुरु यतिज्ञानचन्द्र ने पढ़े, जिनका साराश टॉड के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'राजस्थान' में प्रकाशित हुआ। १८२८ ई० में वी० जी० वेविङ्गटन ने मामलपुर के कई संस्कृत एवं तमिल भाषा के प्राचीन लेखों को पढ़कर उनकी वर्णमाला तैयार की। इसी प्रकार १८३३ ई० में वाल्टर इलियट ने प्राचीन कन्नड़ी के कई लेखों को पढ़ कर उसकी वर्णमाला बनायी।

१८३४ ई० में कप्तान ट्रायर ने प्रयाग के अशोककालीन स्तम्भ पर खुदे हुए गुप्तवशी राजा समुद्रगुप्त के लेख का कुछ अंश पढ़ा^३। फिर उसी वर्ष डॉ० मिल ने उसे पूरा पढ़ कर, १८३७ ई० में भिटारी के स्तम्भ पर का स्कन्दगुप्त का लेख भी पढ़ लिया^४। १८३५ ई० में डब्लू० एच० वार्थन ने वल्लभी के कई दानपत्र पढ़े।^५ १८३७ में जेम्स प्रिन्सेप ने दिल्ली, कहाऊँ तथा एरण के स्तम्भों और साँची तथा अमरावती के स्तूपों, साथ ही गिरनार की चट्टान वाले गुप्त लिपि के सभी लेखों को पढ़ने में सफलता पायी।^६

-
- १ इ० एँ०, जिल्द २, पृ० १६१-६४।
 - २ इ० एँ०, जिल्द १६, पृ० २१८।
 - ३ ज० ए० सो० व०, जिल्द ३, पृ० ११८।
 - ४ उपरिवत्, जिल्द ६, पृ० १।
 - ५ उपरिवत्, जिल्द ४, पृ० ४७७।
 ६. उपरिवत्, जिल्द ६, पृ० २१८, २४५।

इस प्रकार कप्तान ट्रायर, डॉ० मिल तथा जेम्स प्रिन्सेप के कठोर अध्यवसाय से चार्ल्स विल्किन्स की गुप्त लिपि की अबूरी वर्णमाला पूरी हो गयी, जिसके फलस्वरूप गुप्तवशी राजाओं के समय के सभी गिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्को को पढ़ने में सुगमता हो गयी। किन्तु अभी गुप्त लिपि में प्राचीनतर ब्राह्मी लिपि के लेखों का अध्ययन बाकी था।

ब्राह्मी लिपि के लेखों का वाचन

ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि से अधिक प्राचीन थी, इस कारण ब्राह्मी लिपि के लेखों का पढ़ा जाना अपेक्षया अधिक दुस्तर कार्य था। १७९५ ई० में सर चार्ल्स मेथ्ये ने एलोरा की गुफाओं के अनेक छोटे-छोटे लेखों की छापे तैयार कर सर विलियम जोन्स के पास भेजी। जोन्स ने उन्हें विल्फर्ड के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। विल्फर्ड ने एक भारतीय पण्डित से उन लेखों को पढ़ने में सहायता ली, किन्तु वह पण्डित स्वयं उस लिपि से अनभिज्ञ था। इस कारण, उसने विल्फर्ड को घोंखा देकर वृत्तता से उन लेखों का मनमाना पाठ तैयार कर दे दिया। विल्फर्ड ने उन्हीं ही सही समझकर उमका अँगरेजी अनुवाद जोन्स के पास भेज दिया। कई वर्षों तक लोग उसे ही सही समझते रहे, किन्तु बाद में उसका पोल खुल गया।

१८३४-३५ ई० में जेम्स प्रिन्सेप ने इलाहाबाद, रविया और मथिआ के स्तम्भों पर के लेखों की छापे मँगवायी और उनको दिल्ली के लेखों से मिलाकर यह देवना चाहा कि उनमें कोई शब्द एक समान है कि नहीं। किन्तु, मिलाने पर वे चारों लेख एक ही प्रमाणित हुए। इससे प्रिन्सेप का उत्साह बढ़ा। उसने गुप्त लिपि के अक्षरों से मिला-मिला कर जब उन लेखों के अक्षरों को पहचानना प्रारम्भ किया, तो उसने पाया कि गुप्त लिपि के समान ही उनमें भी मात्राओं के पृथक्-पृथक् पाँच चिह्न हैं। इनके बाद उसने अक्षरों को पहचान-पहचान कर लिखना प्रारम्भ किया, जिसमें कई अक्षर पहचान में आ गये। प्रिन्सेप की तरह जेम्स स्टिवेन्सन ने भी प्रयत्नपूर्वक क, ज, व और प अक्षरों को पहचानने में सफलता पायी।

प्रिन्सेप और स्टिवेन्सन के समान ही लासेन भी इस कार्य में जुटा हुआ था। १८३६ ई० में उसने एक वैक्ट्रियन ग्रीक सिक्के पर इन्हीं अक्षरों में 'अगर्थोक्लिस' नामक इण्डोवैक्ट्रियन राजा का नाम पढ़ा। वैक्ट्रिया के ग्रीक राजकर्ताओं ने अपने सिक्कों पर ग्रीक दन्तकथाएँ छापी थीं, साथ ही सिक्के की दूसरी ओर ब्राह्मी लिपि में उमका आशय भी छापा था। दो लिपियों के ये सिक्के ब्राह्मी लिपि का रहस्य खोलने की विलक्षण कुञ्जियाँ सिद्ध हुए। उनके आधार पर लासेन ने ब्राह्मी के

कई अक्षरों को पहचानने में सफलता पायी। किन्तु, तब भी उसके कतिपय अक्षर अभी पहचानने को शेष थे।

अन्त में, १८३७ ई० में प्रिन्सेप ने साँची के स्तूपों से सम्बन्ध रखने वाले स्तम्भों आदि पर खुदे हुए लेखों की छापी को एकत्र कर बड़े परिश्रम एवं लगन के साथ ब्राह्मी के सभी अक्षरों की वर्णमाला तैयार की। उसके आधार पर दिल्ली, एलाहाबाद, साँची, मथिआ, रधिआ, गिरनार और धौली आदि सभी स्थानों के लेख सुगमतापूर्वक पढ़ लिये गये। इससे यह भी प्रमाणित हो गया कि उक्त ब्राह्मी लेखों की भाषा संस्कृत न होकर अलग-अलग स्थानों की तत्कालीन प्रचलित प्राकृत थी। इस प्रकार प्रिन्सेप आदि विद्वानों के कठोर श्रम एवं सच्ची लगन से लगभग दौ-ढाई हजार वर्ष पूर्व की भारतीय लिपि ब्राह्मी का लुप्त स्वरूप प्रकाश में आया तथा उस लिपि के प्राचीन लेखों का वाचन सम्भव हुआ। इन विद्वानों के नाम भारतीयों के द्वारा चिरकाल तक आदर के साथ स्मरण किये जायेंगे।

सैन्धव लिपि का वाचन

सिन्धुघाटी के विभिन्न स्थानों की खुदाई का प्रारम्भ यो तो १८२० ई० में ही, मैसन के द्वारा हुआ, किन्तु विशेष महत्वपूर्ण खुदाई १९२० ई० में १९३४ ई० के बीच हुई। उस अवधि में वहाँ के दो स्थानों, मोहज्जोदडो तथा हडप्पा में अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएँ मिली, जिनमें वे सिक्के भी हैं, जिनपर उस काल की लिपि के लेख हैं। उन लेखों को पढ़ने का प्रयास अनेक विद्वानों के द्वारा किया जा चुका है, किन्तु अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल सकी है। उन विद्वानों में गैड, स्मिथ, लैड्गन और हण्टर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। हेरॉस नामक पादरी ने उस लिपि को तमिल लिपि से सम्बद्ध बताकर मनमाने ढङ्ग से उसके वाचन का हास्यास्पद प्रयास किया था, किन्तु उसका प्रयत्न भी निष्फल रहा। हेरॉस के प्रसङ्ग में अचानक उस भारतीय पण्डित का स्मरण हो आता है, जिसने ब्राह्मी के वाचन के क्रम में विल्फर्ड को धोखा दिया था। अभी लोग सिन्धुघाटी की लिपि के सम्बन्ध में तरह-तरह की अटकल लगाने में ही व्यस्त हैं। उसपर जितना जमकर कार्य होना चाहिए, नहीं हो सका है।

अध्याय

: ६ :

नागरी : नाम, स्वरूप और विशेषताएँ

नागरी के नामकरण का आधार

‘देवनागरी’ अथवा ‘नागरी’ नाम की सार्थकता तथा आवार के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के मत पाये जाते हैं। ओझा जी के मतानुसार ‘नागरी’ नाम कव से प्रसिद्धि में आया, यह निश्चित नहीं, परन्तु तान्त्रिक-काल में ‘नागर’ नाम प्रचलित था। ‘नित्यापोडशिकार्णव’ की ‘सेनुवन्व’ नामक टीका का कर्ता भास्करानन्द एकार का त्रिकोण रूप ‘नागर’ (नागरी) लिपि में होना बताता है—‘कोणत्रयवदुद्भवो लेखो यस्य नत् । नागरलिप्या साम्प्रदायिकैरेकारस्य त्रिकोणकार तयैव लेखनात् ।’ ‘वातुलागम’ की टीका में लिखा है कि शिवमन्त्र (ह्रीं) के अक्षरो से शिव की मूर्ति केवल नागर (नागरी) लिपि से बन सकती है, दूसरी लिपियों से नहीं बन सकती^२—‘शिवमन्त्रान्मृत्युं द्वारकृतिः नागरलिपिरुद्धारयित यज्यते । व्यतिरिक्त-लिपिभिर्नोद्धारयित यज्यते ।’^३ इसमें इतना तो स्पष्ट है कि प्राचीन तान्त्रिक युग में ‘देवनागरी’ के लिए ‘नागर’ नाम प्रचलित था। किन्तु यह नाम क्यों पड़ा, इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

इस सम्बन्ध में राधेश्याम शास्त्री का मत है कि “देवताओं की मूर्तियाँ बनने के पूर्व उनकी उपासना साकेतिक चिह्नो द्वारा होती थी, जो कई त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने हुए यंत्र के, जो ‘देवनगर’ कहलाता था—मध्य में लिखे जाते थे। ‘देवनगर’ के मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के साकेतिक चिह्न कालान्तर में

१ ६० पं०, जिल्द ३५, पृ० २८३

२ ६० पं०, जिल्द ३५, पृ० २७६ ।

३. गो० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० १८ ।

उन-उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और 'देवनागर' के मध्य उनका स्थान होने के कारण उनका नाम 'देवनागरी' हुआ।^१ इस मत के सम्बन्ध में ओझा जी ने लिखा है कि 'वह लेख बड़ी गवेषणा के साथ लिखा गया है और भुक्तिगुस्त अवश्य है, परन्तु जबतक यह सिद्ध न हो कि जिन-जिन तान्त्रिक पुस्तकों से अद्यतन उद्धृत किये गये हैं, वे वैदिक साहित्य के समय के पहले के, या कम-से-कम गौरीपाल से पहले के हैं, तबतक हम उनका मत स्वीकार नहीं कर सकते।'^२

कुछ विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि का सर्वप्रथम सम्बन्ध नागर ब्राह्मणों से था, इस कारण यह लिपि नागरी कहलायी। किन्तु, इस मान्यता का कोई भी ऐतिहासिक आधार या प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे स्वीकार करना उचित नहीं प्रतीत होता।

कतिपय विद्वानों ने बौद्धों के ग्रन्थ 'ललितविस्तर' में उल्लिखित नागलिपि को नागरी से अभिन्न मानकर यह अनुमान प्रकट किया है कि 'नागलिपि' शब्द से ही 'नागरीलिपि' शब्द बना होगा। किन्तु, डॉ० एन० डी० वानेंट के अनुसार उक्त दोनों लिपियों में कोई सम्बन्ध नहीं।^३ इसके अतिरिक्त, 'नागलिपि' शब्द से 'नागरी लिपि' शब्द की रचना के समर्थन में कोई तर्क भी नहीं दीखता।

इस सम्बन्ध में एक मत यह है कि प्रारम्भ में नागरी लिपि का प्रयोग नगरों में ही होता था, इस कारण नगर की लिपि 'नागरी' कहलाने लगी।^४ यह मत कुछ तर्कसङ्गत तो अवश्य है, किन्तु, इसे भी पूर्णतः प्रामाणिक नहीं स्वीकार किया जा सकता।

कुछ विद्वानों का यह भी अनुमान है कि जबसे देववाणी सरकृत ऋग्वेद में लिखी जाने लगी, तभी से इसका नाम 'देवनागरी' पड़ा। इस मान्यता में 'देव' शब्द की सार्थकता पर तो कुछ प्रकाश पड़ता है, किन्तु 'नागरी' शब्द की सार्थकता स्पष्ट नहीं होती।

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इस लिपि के लिए देवनागरी या नागरी नाम पडने के कारण वास्तव में अनिश्चित है।^५ इसी प्रकार डॉ० बाबूराम मन्गेना ने

१. इ० एं०. जिब्द ३५, पृ० २५३—६७, २७०—८०, ३११-२४।

२. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ३० में उद्धृत।

३. डॉ० ए० ना० ति०, हि० भा० का ए० और वि०, पृ० ५६६।

४. डॉ० धी० व०, हि० भा० का इ०, पृ० ८६।

५. उपरिचत।

लिया है कि नागरी नाम की व्युत्पत्ति का अभी तक निश्चय नहीं हो सका है।^१ इस सम्बन्ध में अन्य विद्वानों के मत भी लगभग इसी प्रकार के हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा अनुमान यह है कि आठवीं-नवीं शताब्दी में कुटिल लिपि का सर्वप्रथम परिष्कार पाटलिपुत्र नगर के नागरों अर्थात् चतुर पण्डितों के द्वारा हुआ होगा। उस युग में 'नगर' शब्द पाटलिपुत्र के लिए पर्याय बन गया था, इस कारण 'नगर' कहने से लोग पाटलिपुत्र का ही अर्थ ग्रहण करते थे। इस प्रकार पाटलिपुत्र नगर के नागरों अर्थात् चतुर पण्डितों ने कुटिल लिपि का जो परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया होगा, उसे कुटिल लिपि के विपरीत सब प्रकार से सुन्दर, पूर्ण एवं लेखन के उपयुक्त समझकर जनसमाज ने 'नागरी' (अर्थात् 'नगर' के नागरों की सर्वगुण आगरी लिपि) कहकर सम्मानित किया होगा। फिर जब पण्डितों ने देववाणी के आर्षग्रन्थों को प्राचीन लिपि से हटाकर, इस नवीन लिपि में ढाला होगा, तो 'देववाणी' के साम्य पर इस लिपि को भी 'देवनागरी' कहा जाने लगा होगा। इस अनुमान के अनुसार प्रारम्भ से इस लिपि का नाम 'नागरी' ही रहा होगा और बाद में 'देवनागरी' पड़ा होगा।

नागरी के अन्य नाम

नागरी को प्रायः देवनागरी, नागर, देवनागर, लोकनागरी तथा हिन्दी लिपि भी कहा जाता है। इन नामों के अतिरिक्त नागरी की एक विशेष शैली का नाम नन्दिनागरी भी है, जिसका प्रयोग भारत के दक्षिणी प्रान्तों में मुख्यतः संस्कृत लिखने के लिए प्रायः आठवीं-नवीं शताब्दी में ही होता आया है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

नागरी के उपर्युक्त विभिन्न नामों में 'नागरी' नाम ही सर्वाधिक लोकप्रसिद्ध है। यह 'देवनागरी' का पूर्वरूप या सक्षिप्त रूप है, जो छोटा और सुन्दर होने के कारण लोगों को विशेष प्रिय रहा है। सम्भव है 'देवनागरी' का मूल नाम 'नागरी' ही रहा हो और जब इसमें देववाणी संस्कृत का वाङ्मय लिप्यन्तरित किया गया हो, तो विशिष्टता की सूचना देने के लिए पण्डितों ने इसके पूर्व 'देव' शब्द जोड़ दिया हो।

नागरी के लिए 'नागर' और 'देवनागर' नामों का प्रयोग प्राचीन तन्त्र-साहित्य में मिलता है। किन्तु तान्त्रिकाचार्यों ने 'नागरी' और 'देवनागरी' जैसे

स्त्रीलिङ्ग नामो को पुलिङ्ग मे बदल कर 'नागर' और 'देवनागर' कयो कर दिया, यह अभी तक अज्ञात है। कुछ विद्वान अभी भी विशिष्टता-प्रदर्शन की भावना से प्रेरित होकर इन नामो का प्रयोग करते पाये जाते हैं, किन्तु ऐसे लोग बहुत ही कम है।

[नागरी को 'लोकनागरी' नाम देने का श्रेय आचार्य विनोवा भावे को है। इस नवीन नाम के द्वारा उन्होने यह सङ्केत देने का प्रयास किया है कि आज देवनागरी किसी जाति, वर्ग, भाषा या प्रान्त विशेष की लिपि नहीं, अपितु वह सम्पूर्ण राष्ट्र या लोक की जनसामान्य लिपि बन चुकी है। यह नाम उपयुक्त तो है, किन्तु 'नागरी' एव 'देवनागरी' का प्रचलन इतना प्राचीन हो चुका है कि अब उनके स्थान पर किसी अन्य नाम का लोकग्राह्य बन पाना सम्भव नहीं प्रतीत होता।

नागरी को इधर कुछ वर्षों से कुछ लोग, 'हिन्दी-लिपि' भी कहने लगे हैं, किन्तु यह नाम भ्रामक है। नागरी मे हिन्दी ही नहीं, अन्य भाषाएँ भी लिखी जाती है। इसलिए, उसे हिन्दी-लिपि कहना अनुचित है। इसके अतिरिक्त हिन्दी, भाषा का नाम है, लिपि का नहीं, अतः भाषा के नाम को लिपि का नाम समझ बैठना अज्ञान का सूचक कहा जायगा। किसी भाषाविशेष का किसी लिपिविशेष से परम्परागत सम्बन्ध होने पर भी नित्य या प्रकृत सम्बन्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति मे भाषा के नाम के आधार पर लिपि का नामकरण बुद्धि-दारिद्र्य का सूचक है। भारतीय आयों ने ऐसी भूल कभी नहीं की। अतः जो लोग 'नागरी' के लिए 'हिन्दी लिपि' शब्द का प्रयोग चलाना चाहते है, उन्हें इस तथ्य का समुचित ज्ञान होना चाहिए।

नागरी का प्रारम्भिक स्वरूप

13 [नागरी के प्रारम्भिक स्वरूप का उद्भव आठवी-नवी शताब्दी के बीच कुटिल लिपि से हुआ। इसका उद्भव उत्तरी भारत मे हुआ, किन्तु इसके प्राचीनतम लेख भारत के दक्षिणी प्रान्तो मे मिले है। इससे स्पष्ट है कि देवनागरी जन्म के साथ ही उत्तर से दक्षिण तक फैल गयी थी। यह इसकी लोकप्रियता का एक ज्वलन्त प्रमाण है। उत्तरी भारत मे देवनागरी का कोई भी लेख दसवी शताब्दी के पूर्व का नहीं मिलता, किन्तु दक्षिणी भारत मे आठवी शताब्दी के लेख भी उपलब्ध हुए हैं। उदाहरणार्थ, देवनागरी के प्राचीनतम लेख सर्वप्रथम राष्ट्रकूट वंश के राजा दन्तिदुर्ग के सामनगढ^१ मे मिले हुए ७५४ ई० के दानपत्र मे, उसके बाद राष्ट्रकूट के

१ इ० पं०, जिन्द ११, पृ० ११०-११३।

२ उपरिक्त, जिन्द ८, पृ० १८६-१८७।

राजा गोविन्द राज द्वितीय के घुलिया से मिले ७८० ई० के दानपत्र मे, फिर पैठण^१ और वणीगाँव^२ से मिले हुए राष्ट्रकूट के राजा गोविन्द तृतीय के ७९४ ई० एवं ८०८ ई० के दानपत्रो मे और तदन्तर राष्ट्रकूट के राजा ध्रुवराज^३, अमोघवर्ष^४ और उसके शिलारवणी सामन्त पुल्लशक्ति^५ के क्रमश ८३५ ई०, ८४३ ई० तथा ८५१ ई० के दानपत्रो मे उपलब्ध है। ओझा जी के अनुसार “इस प्रकार नागरी लिपि आठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विस्तृत रूप मे लिखी हुई मिलती है। परन्तु उसमे पहले भी उसका व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि गुजरात के गुर्जरवशी राजा जयभट तृतीय के ७०६ ई० के दानपत्र^६ मे, जो दक्षिणी गौली की पश्चिमी लिपि मे है, उक्त राजा के हस्ताक्षर ‘स्वहस्तो मम श्रीजयभटस्य’ नागरी लिपि मे ही है।”^७ इसी प्रकार देवगिरि के यादवो^८ एवं विजयनगर के राजाओ^९ के दानपत्रो मे भी इस लिपि का प्रयोग मिलता है। दक्षिण की नागरी लिपि ‘नन्दिनागरी’ के नाम से प्रसिद्ध है और अवतक दक्षिण मे संस्कृत पुस्तको के लिखने मे उसका प्रचार^{१०} है।

उत्तर भारत मे प्राचीन नागरी का सबसे प्राचीन रूप कर्नाज के प्रतिहारवशी राजा महेन्द्रपाल प्रथम के दिघवा दवौली के ८६८ ई० के दानपत्र^{११} मे प्राप्त होता है। उसके बाद के अनेक शिलालेखो एवं दानपत्रादि मे उसके नमूने उपलब्ध हैं।^{१२} प्राचीन देवनागरी का परिचय देते हुए ओझा जी ने लिखा है कि “दसवीं शताब्दी की, उत्तरी भारतवर्ष की नागरी लिपि मे कुटिल लिपि की नाई अ, आ, व, प, म, य, ष और स के सिर दो अशो से विभक्त मिलते हैं, परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी मे ये दोनो अश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है जितनी कि अक्षर की चौड़ाई होती है। ग्यारहवीं शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी से मिलती-जुलती है और

१ वही, जि० ३, पृ० १०६-१०७।

२ वही, जि० ११, पृ० १५८-१६१।

३ वही, जि० १४, पृ० २००-२०१।

४ वही, जि० १३, पृ० १३४-१३६।

५ वही, जि० २, पृ० २५८।

६ गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ७०।

७ इ० ए०, जि० १, पृ० ३४१-३४४।

८ वही, जि० ३, पृ० ३७-३९।

९ टॉ० घी० व०, हि० भा० का इ०, पृ० ८६।

१० इ० ए०, जि० १५ पृ० ११२ के पास का प्लेट।

११ गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० ६६।

बारहवीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गयी है। केवल इ और घ में ही कहीं पुरानापन नजर आता है। बारहवीं शताब्दी से लगाकर अबतक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली आती है, तो भी लेखन-शैली और देश-भेद से कुछ अन्तर रह ही जाता है।^१

दसवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच, इसी प्राचीन नागरी से उत्तर भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का जन्म हुआ, जिनमें से एक लिपि वर्तमान देवनागरी या नागरी भी है, जो अपने व्यापक प्रचार एवं अपनी विशिष्ट वैज्ञानिक विशेषताओं के कारण वर्तमान युग में भारत की राष्ट्रलिपि बनी हुई है।

नागरी का आधुनिक स्वरूप

आधुनिक नागरी दसवीं शताब्दी ई० की प्राचीन नागरी का ही विकसित रूप है।^२ इसे वर्तमान रूप बारहवीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। जिस प्रकार संस्कृत से हिन्दी के विकास के मध्य प्राकृत और अपभ्रंश के दो मुख्य सोपान हैं, उसी प्रकार ब्राह्मी से नागरी के विकास के मध्य भी गुप्त लिपि एवं कुटिल लिपि के दो मुख्य सोपान हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो भारतीय आर्यभाषा और भारतीय आर्य लिपि, दोनों का विकास साथ-साथ होता आया हो।

नागरी का वर्तमान स्वरूप शताब्दियों के प्रयोग पर आधारित क्रमिक विकास का प्रतिफल है। यह अपने जन्म के साथ ही संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के अतिरिक्त आधुनिक मराठी तथा हिन्दी-जैसी समृद्ध भाषाओं की सवाहिका बन गयी। यह भारतीय मनीषा का अपूर्व शोध एवं समस्त भारतीय चिन्तन-परम्परा की प्रधान संरक्षिका है। आठवीं-नवीं शताब्दी से लेकर आज तक दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक इसका व्यापक प्रचार, इसकी अनुपम जनप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। १०१७ ई० में महमूदपुर (लाहौर) से महमूद गजनवी ने एक चाँदी का ऐसा सिक्का चलाया था, जिसकी एक पीठ पर नागरी लिपि में "अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार नृपति महमूद" और दूसरी ओर "अयम् टकम् महमदपुर घटिले हिजरियेन सवति ४१८", छपा था। स्पष्ट है कि महमूद गजनवी ने इसकी लोक-प्रियता देखकर ही इसे अपने सिक्के पर स्थान दिया होगा।

१ उपरिक्त, पृ० ६६-७०।

२ इ० ए०, जि० ३५, प० २८३।

नागरी की विशेषताएँ

यो तो अपनी मन्तान के ही समान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही भाषा और लिपि सर्वाधिक सुन्दर और प्रिय प्रतीत होती है, किन्तु तटस्थ, पूर्वाग्रह रहित एव उदार दृष्टि वाले व्यक्ति इस स्वाभाविक किन्तु परिहार्य मोह से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य का वर्ण करते हैं। विश्व के ऐसे अधिकांश विद्वानों की यही मान्यता है कि नागरी ससार की समस्त वर्तमान लिपियों से अधिक वैज्ञानिक है। आइजक पिटमैन, जिन्होंने शीघ्रलिपि (फोनोग्राफी) का अनुमन्धान किया था, का कथन है कि "ससार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एक मात्र देवनागरी ही।" इसी प्रकार मोनियर विलियम्स ने लिखा है कि "देवनागरी में यद्यपि Z और F (ज और फ) के लिए वर्ण नहीं हैं, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एव सन्तुलित है।" यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ज और फ के नीचे विन्दी (नुक्ता) के प्रयोग के द्वारा देवनागरी के उपर्युक्त तथाकथित अभाव तथा इस प्रकार के अन्य कतिपय वर्णों के अभाव की भी पूर्ति कर दी गयी है।

जिन गुणों ने नागरी को विश्व की सर्वाधिक पूर्ण और सन्तुलित लिपि होने की योग्यता और गौरव प्रदान किया है, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं.—

(१) यह भाषान्तर्गत आनेवाले अधिक से अधिक ध्वनि-चिह्नो (वर्णों) में सम्पन्न है।

(२) इसकी वर्णमाला में स्वर एव व्यञ्जन का वर्गीकरण ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति से उच्चारण-स्थान एव प्रयत्नों के आधार पर किया गया है।

1 If in the world we have any alphabet, the most perfect it is those Hindi ones—Pitman दे० लि० स्व० वि० स०—पृ० ४९० (पुरुषोत्तमदास टण्डन द्वारा लोकसभा में दिये गये भाषण से सङ्कलित)।

2. This although deficient in two important symbols (represented in the Roman Z and F), is on the whole the most perfect and symmetrical of known alphabets. The Hindus hold that it came directly from the gods (whence its name), and truly its wonderful adaptation to the symmetry of the Sacred Sanskrit seems almost to raise it above the level of human inventions—Monier Williams. उपरिक्त।

(३) इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग-अलग ऐसे स्वतन्त्र वर्ण हैं, जिनमें परस्पर भ्रम की कोई सम्भावना नहीं।

(४) इसका वर्तमान स्वरूप युगो के प्रयोग पर आधारित है, इस कारण इसे दीर्घ परम्परा का बल प्राप्त है।

(५) इसकी वर्णमाला और वर्तनी को सीख लेने पर शब्दों का हिज्जे (स्पेलिंग) अर्थात् वर्तनी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल शब्दों का शुद्ध उच्चारण जानने ही से उन्हें शुद्ध-शुद्ध लिखा जा सकता है।

(६) ब्राह्मी की उत्तराधिकारिणी होने के कारण समस्त आधुनिक भारतीय लिपियों से इसका यत्किञ्चित् साम्य है।

(७) इसमें जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है और जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है।

(८) इसमें प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतन्त्र मात्रा-चिह्न निश्चित हैं, जिनके प्रयोग के द्वारा स्वरयुक्त व्यञ्जनो अर्थात् अक्षरो (सिलेबुल्स) को उच्चारण के अनुरूप ही स्वतन्त्र अक्षरो में लिपिबद्ध किया जा सकता है।

(९) उपर्युक्त आठवें गुण के कारण इसमें कम स्थान में अधिक शब्द लिखे जा सकते हैं।

(१०) इस लिपि में लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य होता है।

(११) यह लेखन एवं वाचन दोनों ही दृष्टियों से सरल एवं सहज है।

(१२) इसका रूप अत्यन्त नेत्राकर्षक है।

(१३) यह त्वरा-लेखन के अनुकूल है।

(१४) राष्ट्र का प्राचीनतम वैभवशाली वाङ्मय इसी में लिपिबद्ध है।

(१५) यह वेदवाणी से सम्बद्ध होने के कारण शास्त्रपूत है।

(१६) यह वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण सरलता से सीखने योग्य है।

(१७) यत्किञ्चित् अपेक्षित परिवर्धन कर देने पर ससार कोई भी भाषा इसके माध्यम से सफलतापूर्वक लिखी जा सकती है।

(१८) यह भारत की अन्तर्देशीय लिपि तो है ही, साथ ही उपर्युक्त सत्रहवें गुण के कारण अन्तरराष्ट्रीय लिपि बनाये जाने के भी योग्य है।

(१९) इस पर किसी भाषाविशेष का एकाधिपत्य नहीं है। यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, महाराष्ट्री, नेपाली आदि अनेक भाषाओं की लिपि है और अन्य किसी भी भाषा की लिपि हो सकती है।

(२०) यह अक्षरात्मक लिपि है और लिपि के अद्यतन विकास की अन्तिम कड़ी है।

(२१) इसके प्रत्येक वर्ण का सर्वत्र एक ही उच्चारण होता है।

(२२) इसमें विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए तो अलग-अलग स्वतन्त्र वर्ण (ङ्, ञ्, ण्, न्, म्,) हैं ही, जो इतनी सख्या में ससार की किमी भी अन्य लिपि में नहीं है, साथ ही विभिन्न मात्रा में स्वरों के नासिक्यीकरण (नेजेलाइजेशन) के लिए, अनुस्वार और चन्द्रविन्दु जैसे अयोगवाहो की उपस्थिति इसकी ध्वनि वैज्ञानिक पूर्णता को पराकाष्ठा तक पहुँचा देती है।

(२३) इसमें संयुक्त वर्ण-रचना की विलक्षण क्षमता है, जो इसके वैज्ञानिक संतुलन एवं पूर्णता का ज्वलन्त प्रमाण है।

(२४) यह ध्वन्यात्मक तथा स्वनिमात्मक प्रतिलेखन एवं लिप्यन्तरण (फोनेटिक ऐण्ड फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्शन और ट्रान्सलिट्रेशन) के पर्याप्त अनुकूल है।

(२५) इस लिपि में लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए अनुमान या अटकल से कहीं भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(२६) इसके वर्णों में रोमन वर्णों के समान छोटे-बड़े (कैपिटल और स्माल) वर्णों के अलग-अलग रूप की उलझन नहीं है। इस कारण लेखन, मुद्रण एवं टिप्पण, सबमें इसके वर्ण सर्वत्र (आदि-मध्य-अन्त में) एक समान रहते हैं।

(२७) भारतीय साहित्य में कुछ ऐसे रूप विकसित हुए हैं, जो केवल देवनागरी में ही लिखे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, चित्रालङ्कारों के पद्मवन्ध, खड्गवन्ध, मुरजवन्ध, गोमूत्रिकावन्ध आदि किसी अन्य लिपि में नहीं लिखे जा सकते। इसी प्रकार गतागत छन्द का विन्यास भी देवनागरी में ही सम्भव है।^१ उदाहरणार्थ केयव दाम का निम्नलिखित छन्द द्रष्टव्य है, जो किसी भी ओर से (अर्थात् बायें में दायें या दायें में बायें) पढ़ा जा सकता है—

मा मम मोह मजै वन वीन नवीन वजै सह मोम समा ।

मार लतानि वनावति मारि रिसाति वनावनि ताल रमा ॥

मानव ही रहि मोरद मोद दमोदर मोहि रही वनमा ।
माल वनी वल केसवदास सदा वसकेल वनी वलमा ॥

(२८) अक्षरो के समान देवनागरी अङ्को को लेकर भी अनेक चमत्कारपूर्ण कविताएँ लिखी गयी है, जो अन्य अङ्को मे सम्भव नहीं है।^१ उदाहरणार्थ, निम्नलिखित पक्तियों का स्वारस्य अन्य अङ्को मे नहीं रह सकता—

दम्पति के रस-रीति मे तनिक भयो रस-रीस ।
अब ही रह्यो तिरसठ छन मे भयो छतीस ॥
घट्यो मान तेंतिस भयो पय पिय मानो नाहि ।
हूँ छतीस छाछठ भयो पुनि तिरसठ छन माहि ॥

(२९) भारतीय वाङ्मय की एक अति महत्त्वपूर्ण शाखा तन्त्र है, जिसकी बहुत सारी बातें देवनागरी के ही वर्ण-विन्यास पर निर्भर है। अन्य कोई भी लिपि-तन्त्र के उस क्षेत्र मे देवनागरी का स्थान नहीं ले सकती।^२

(३०) प्राविधिक और वैज्ञानिक उपयोग की दृष्टि से भी देवनागरी सर्वथा उपयुक्त लिपि है। यह दूसरी बात है कि इन क्षेत्रो मे इसके लिए अभी अपेक्षित प्रयत्न नहीं हुए है, जिसका प्रमुख कारण सरकार की उपेक्षा-नीति एव तटस्थता के साथ-ही-साथ अंगरेजी-समर्थक हिन्दी-विरोधियों का सामूहिक षड्यन्त्र भी है।

उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त देवनागरी मे और भी अनेकानेक छोटी-मोटी विशेषताएँ ढूँढी जा सकती हैं।



१ दे० ना० श०, रा० हि०; स० स०, पृ० १३२ ।

२ उपरिखत् ।

अध्याय

७.

नागरी-अक्षरों एवं अक्षरों का विकास

नागरी-अक्षरों का विकास-क्रम'

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि नागरी का मूल स्रोत ब्राह्मी से सम्बद्ध है अर्थात् नागरी ब्राह्मी-वश-परम्परा की लिपि है। फलतः, ब्राह्मी-अक्षरों से नागरी-अक्षरों के वर्तमान स्वरूप के विकास की एक मुदीर्घ अविच्छिन्न परम्परा रही है। यहाँ हमारा उद्देश्य यही स्पष्ट करना है कि आवुनिक नागरी-अक्षर प्राचीन ब्राह्मी-अक्षरों से किन-किन रूपों में विकसित होकर वर्तमान अवस्था तक पहुँचे हैं।

उपर्युक्त विषय का विवेचन करते हुए, प० गीरीशङ्कर हीराचन्द ओझा ने लिखा है कि मनुष्य अपनी रचना में सदा परिवर्तनशील होता है, इसी से मनुष्य की निर्माण की हुई समस्त वस्तुओं में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। समाज की समस्त लिपियों में मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार के पूर्व समय के साथ बहुत कुछ अन्तर पाया जाता है और यही दशा हमारी नागरी लिपि की भी हुई है। मध्य एशिया, जापान आदि से मिले हुए नागरी लिपि के थोड़े से प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों एवं हमारे यहाँ से मिले हुए असंख्य प्राचीन गिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा सिक्कों की नागरी लिपि में आज वर्तमान नागरी लिपि में बड़ा अन्तर है, जो समय के साथ

१. प्रस्तुत विवेचन प० गीरीशङ्कर हीराचन्द ओझा के नागरी अक्षरों और अक्षरों की शीर्षक निबन्ध का सारांश है।

क्रमश होता गया है। जिन्हें प्राचीन नागरी लिपि का बोध न हो, ऐसे विद्वानों के सम्मुख यदि अशोक के लेख का फोटो रख दिया जाय, तो वे उसकी लिपि को कभी नागरी न कहेंगे। इतना ही नहीं, अपितु वे इस बात को भी स्वीकार न करेंगे कि उसी विलक्षण लिपि में परिवर्तन होते-होते हमारी वर्तमान नागरी बनी है।

आधुनिक नागरी का मूल अर्थात् प्राचीनतम रूप अशोक के शिलालेखों की लिपि में मिलता है, जो विक्रम सम्वत् से लगभग २०० वर्ष पूर्व के है और काठियावाड़ से उड़ीसा तक तथा नेपाल की तराई से मैसूर तक के अनेक स्थानों में मिले हैं। अशोक के समय वह लिपि सम्पूर्ण भारतवर्ष में उसी प्रकार प्रचलित थी, जिस प्रकार इस समय नागरी लिपि एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई है। अशोक के पूर्व नागरी का क्या रूप था और उसमें कैसे-कैसे परिवर्तन होने के पश्चात् वह उस स्थिति तक पहुँची, यह जानने का अबतक कोई निश्चित साधन उपलब्ध नहीं हो सका है। अशोक के पूर्व का अबतक एक ही लेख मिल सका है, जो नेपाल की तराई के पिप्रावा नामक स्थान में शाक्य जाति के लोगों के बनाये हुए बौद्ध-स्तूप के भीतर रक्खे हुए छोटे से पत्थर के पात्र पर एक ही पक्ति में खुदा है। उसमें नागरी लिपि के केवल १४ अक्षरों के प्राचीन रूप मिलते हैं। उसमें और अशोक के लेखों की लिपि में केवल इतना अन्तर है कि उक्त लेख में दीर्घ स्वर-चिह्नों का अभाव है। इस कारण, अभी हमें अशोक के समय की लिपि को ही नागरी के उद्भव का मूल मानना होगा।

नागरी-अक्षरों के विकास-क्रम की तालिका को तुलनात्मक दृष्टि से ध्यानपूर्वक देखने पर, यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अशोक के लेखों की लिपि के अक्षर, वर्तमान नागरी-अक्षरों की तुलना में अधिक सरल थे। उनमें शीर्ष-रेखा का अभाव था। किन्तु, आगे चलकर त्वरापूर्ण, धारावाहिक लेखन तथा अक्षरों को नेत्राकर्षक बनाने के निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप लेखकों के हाथ से उन मूल अक्षरों की आकृति में शनै-शनै अनेकविध रूपान्तर होते गये, जिसके फलस्वरूप उस एक ही मूल लिपि के अक्षरों से अनेकानेक आधुनिक लिपियों के अक्षरों का विकास हुआ, जिनमें नागरी के अक्षर भी हैं।

अशोककालीन लिपि में जिन रूपान्तरों के पश्चात् वर्तमान नागरी लिपि के स्वरूप का निर्माण हुआ है, उसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ नागरी-अक्षरों के विकास-क्रम की एक तालिका दी जा रही है, जिसमें नागरी के प्रत्येक अक्षर का अशोककालीन रूप तथा उसके समस्त रूपान्तर, जो समय-समय पर हुए, दिये गये हैं। तदन्तर उन रूपान्तरों का संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया गया है।

नागरी-अक्षरों के विकास-क्रम की तालिका

अ = ४	४	४	अ	अ	अ	अ	द = ५	५	५	२	२	६	६
आ = ४	४	४	आ	आ	आ	आ	ध = ०	०	०	४	४		
इ = ५	५	५	इ	इ	इ	इ	ढ = १	१	१	न			
उ = ६	६	६	उ	उ	उ	उ	प = ७	७	७	प			
ए = ७	७	७	ए	ए	ए	ए	फ = ८	८	८	फ			
क = ८	८	८	क	क	क	क	ब = ९	९	९	ब			
ख = ९	९	९	ख	ख	ख	ख	भ = १०	१०	१०	भ			
ग = १०	१०	१०	ग	ग	ग	ग	म = ११	११	११	म			
घ = ११	११	११	घ	घ	घ	घ	य = १२	१२	१२	य			
ङ = १२	१२	१२	ङ	ङ	ङ	ङ	र = १३	१३	१३	र			
च = १३	१३	१३	च	च	च	च	ल = १४	१४	१४	ल			
छ = १४	१४	१४	छ	छ	छ	छ	व = १५	१५	१५	व			
ज = १५	१५	१५	ज	ज	ज	ज	श = १६	१६	१६	श			
झ = १६	१६	१६	झ	झ	झ	झ	ष = १७	१७	१७	ष			
ञ = १७	१७	१७	ञ	ञ	ञ	ञ	स = १८	१८	१८	स			
ट = १८	१८	१८	ट	ट	ट	ट	ह = १९	१९	१९	ह			
ठ = १९	१९	१९	ठ	ठ	ठ	ठ	ळ = २०	२०	२०	ळ			
ड = २०	२०	२०	ड	ड	ड	ड	क्ष = २१	२१	२१	क्ष			
ढ = २१	२१	२१	ढ	ढ	ढ	ढ	ज्ञ = २२	२२	२२	ज्ञ			
ण = २२	२२	२२	ण	ण	ण	ण	का = २३	२३	२३	का			
त = २३	२३	२३	त	त	त	त	कि = २४	२४	२४	कि			
थ = २४	२४	२४	थ	थ	थ	थ	की = २५	२५	२५	की			
							कु = २६	२६	२६	कु			
							कू = २७	२७	२७	कू			
							कै = २८	२८	२८	कै			

नागरी के स्वराक्षरों का विकास-क्रम

अ—नागरी-अक्षरों के विकास-क्रम की तालिका में उपस्थित प्रत्येक अक्षर का पहला रूप अगोक के गिला-लेखों से गृहीत है। अ का पहला रूप काठियावाड में स्थित गिरनार पर्वत के निकट की एक चट्टान पर खुदे हुए अगोककालीन लेख से लिया गया है। दूसरा रूप कुगनवशी राजाओं के दूसरी शताब्दी के आसपास के लेखों में, उच्छकल्प के महाराज गर्वनाग के छठी शताब्दी के ताम्रपत्र में तथा मेवाड के गुहिलवशी राजा अपराजित के सातवी-शताब्दी के लेखों में उपलब्ध है। इसमें सिर अर्थात् शीर्ष रेखा देने का प्रयत्न स्पष्ट परिलक्षित होता है। प्रारम्भ में अक्षरों के सिर बहुत छोटे बनते थे, परन्तु आगे चलकर पूरे अक्षर पर बनने लगे। अनुमान है कि प्रारम्भ में अक्षरों पर शीर्षरेखा देने का प्रयत्न उन्हें मुन्दर बनाने के उद्देश्य में किया गया होगा। तीसरे रूप का दूसरे रूप से बहुत कुछ साम्य है। दोनों में भिन्नता केवल इतनी है कि दूसरे रूप की बायीं ओर के अंग में मुन्दरता लाने की दृष्टि में जो घुमाव टाटा गया है, उसका सम्बन्ध मूल अक्षर से टूट गया है। चौथे

और पाँचवे रूप में अ की दाहिनी तरफ की खड़ी लकीर को सुन्दर बनाने की चेष्टा दीखती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्षर की आकृति में पहले की अपेक्षा अधिक अन्तर दृष्टिगोचर होता है। ये रूप लगभग नवीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक के लेखों तथा हस्तलिखित ग्रन्थों में मिलते हैं। कतिपय जैन लेखकों तो अभी तक, प्रत्येक खड़ी पाई के अन्त में, सुन्दरता लाने के उद्देश्य से हलन्त-चिह्न जैसा चिह्न लगा देते हैं।

अ—अ के इस रूप का प्रचार पहले केवल दक्षिण में अधिक था, किन्तु लेखन में अधिक सुगम होने के कारण अब प्रायः इसी रूप का पूरे देश में प्रचलन है। इसका विकास अ के तीसरे रूप को उसकी वास्तविक स्थिति में रखते हुए उसे अधिक सुन्दर बनाने के प्रयत्न का परिणाम है। इसके चौथे और पाँचवें रूपों की उपस्थिति अनेक प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा हस्तलिखित पुस्तकों में पायी जाती है।^१

इ—इसका पहला रूप अशोककालीन शिलालेखों का है। दूसरा रूप गुप्त चवथी राजा समुद्रगुप्त के एलाहाबाद के चौथी शताब्दी के लेख में तथा तीसरा स्कन्दगुप्त के समय के छठी शताब्दी के कुमाऊँ वाले लेख में मिलता है। इस रूप में इ की बिन्दियों पर सिर बनाने का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। चौथा रूप हैहय चवथी राजा जाजल्यदेव के बारहवीं शताब्दी के लेख में तथा कई हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों में पाया जाता है। पाँचवाँ रूप तेरहवीं शताब्दी के आसपास के शिलालेखों तथा हस्तलिखित पुस्तकों में मिलता है। यह रूप वर्तमान इ से बहुत कुछ मिलता-जुलता हुआ सा है।

उ—इसका पहला रूप अशोककालीन शिलालेखों से गृहीत है। दूसरा रूप कुशनवशी राजाओं के लेखों में मिलता है। इस रूप में सिर बनाने का प्रयत्न स्पष्ट दीखता है तथा नीचे की आड़ी लकीर के अन्तिम अक्ष को सुन्दर बनाने के प्रयत्न में कुछ नीचे झुकाया गया है। उसी झुकाव को कुछ और बढ़ा देने से चौथे रूप का विकास हुआ है, जिसकी उपस्थिति अनेक प्राचीन लेखों तथा हस्तलिखित पुस्तकों में है।^२

ए—इसका पहला रूप अशोककालीन शिलालेखों में उपलब्ध है। दूसरे रूप में त्रिकोण को इस प्रकार उलटा गया है कि उसके ऊपर की ओर सिर

१. प० गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपत्र—५, १२, १६, १७, १८।

२. उपरिबद्ध, लिपिपत्र—५, १२, १३।

(अर्थात् गिरोरेखा) जैसा दिखाई पड़ता है। यह रूप समुद्रगुप्त के लेख में तथा कई अन्य लेखों में भी मिलता है।^१ तीसरे और चौथे रूप में त्रिकोण की आकृति इस प्रकार की हो गयी है कि वह वर्तमान ग जैसा प्रतीत होता है। उक्त रूप मन्दसौर में प्राप्त राजा यशोवर्म के छठी शताब्दी के लेख में, मारवाड़ के पडिहार राजा कक्कुक के नवीं शताब्दी के लेख में तथा कई अन्य लेखों में मिलते हैं। पाँचवाँ रूप जिसका वर्तमान ए में बहुत अधिक साम्य है, राठीड़ राजा गोविन्दराज तृतीय के नवीं शताब्दी के, परमार राजा वाक्पति राज मुञ्ज के दसवीं शताब्दी के तथा कलचुरी राजा कर्णदेव के ग्यारहवीं शताब्दी के ताम्रपत्रों तथा लेखों में मिलता है।

नागरी के व्यञ्जनाक्षरों का विकास-क्रम

क—इसका पहला रूप अगोककालीन शिलालेखों से गृहीत है। दूसरे रूप में गिरोरेखा बनाने का प्रयास है तथा बीच की आड़ी लकीर को झुका दिया गया है।^२ तीसरे रूप में बीच की लकीर को कुछ और अधिक झुका दिया गया है। यह रूप कलचुरी राजा कर्णदेव के ताम्रपत्र में मिलता है। चौथा तथा पाँचवाँ रूप अनेक शिलालेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में पाया जाता है।^३

ख—इसका पहला रूप अगोककालीन शिलालेखों का है। दूसरा रूप कुशनवंशी राजाओं के लेखों में तथा गिरनार पर्वत के पास चट्टान पर खुदे हुए क्षत्रवश के राजा उद्रदामा के दूसरी शताब्दी के लेख में मिलता है।^४ तीसरे रूप में गिरोरेखा बनाने के कारण अक्षर दो खण्डों में बँट गया है, जिनमें से प्रथम खण्ड मुन्दर बनाने के प्रयास में 'र' के समान तथा दूसरा खण्ड 'व' के समान बन गया है।^५

ग—इसका प्रथम रूप अगोककालीन है। दूसरा रूप मथुरा के क्षत्रप राजा मुदान और राजा नहपान के दामाद शक उपवदास के लेखों में तथा कई अन्य लेखों में भी मिलता है। इस रूप में ऊपर के कोण के स्थान में वक्रता पायी जाती है। इसी रूप के ऊपर गिरोरेखा देने तथा पहली खड़ी पाई को बायीं तरफ मोड़ देने

१ उपरिक्त, लिपिपत्र—३, १२, १३।

२ उपरिक्त, लिपिपत्र—३, ५, ६।

३ उपरिक्त, लिपिपत्र—१३, १६, १७।

४ उपरिक्त, लिपिपत्र—२।

५ उपरिक्त, लिपिपत्र—१२, १३, १६।

से तीसरे रूप की उत्पत्ति हुई है, जो वर्तमान ग से मिलता-जुलता दृष्टिगोचर होता है ।^१ इस प्रकार ख की तरह ग के रूपान्तरों का मुख्य कारण भी शिरोरेखा देने का प्रयत्न ही है ।

घ—इसका पहला रूप अशोक के शिलालेखों में उपलब्ध है । दूसरा रूप मालवा के राजा यशोधर्म के मन्दसौर के लेख में मिलता है । दूसरे रूप में शिरोरेखा देने का प्रयत्न स्पष्ट है तथा दायी ओर की दोनों ऊर्ध्व रेखाओं की उँचाई भी बढ़ायी गयी है ।^२ इसी रूप में शिरोरेखा को पूर्ण करने तथा त्वरापूर्ण लेखन के योग्य बनाने के प्रयास में अक्षर को कुछ टेढ़ा लिखने के परिणामस्वरूप तीसरे रूप का विकास हुआ, जिससे क्रमशः चौथा तथा पाँचवाँ रूप बना, जो वर्तमान घ के प्रायः समान है ।

ङ—यह अक्षर अशोक के किसी लेख में उपलब्ध नहीं है । यह पहले-पहल कुशनवशी राजाओं के लेखों में केवल सयुक्ताक्षरों में मिलता है । इसका प्रथम रूप समुद्रगुप्त के एक लेख के सयुक्ताक्षर से गृहीत है । परवर्ती काल में इसके नीचे के हिस्से की गोलाई में वृद्धि होती गयी और इसकी आकृति ङ से मिलने लगी । तब इसको उससे भिन्न बनाने के लिए इसके सिर के अन्त में गाँठ लगायी जाने लगी, जो कहीं चतुरस्र, कहीं गोल और कहीं त्रिकोण से साम्य रखती है ।^३ इस गाँठ का प्रादुर्भाव आठवीं शताब्दी के आसपास होना माना जाता है । आगे चलकर वही गाँठ बिन्दी के रूप में अक्षर के मध्यभाग में लगायी जाने लगी, जिसके परिणामस्वरूप इसके वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ ।

च—इसका पहला रूप अशोककालीन शिला-लेखों में मिलता है । दूसरे रूप में सिर के अतिरिक्त बायी ओर के नीचे के हिस्से में नोक सी बन गयी है । तीसरे रूप में वर्तमान च की आकृति झलकती सी है, जो चौथे रूप में आकर पूर्णतः स्पष्ट हो गयी है ।^४

छ—इसका पहला रूप अशोककालीन शिला-लेखों में मिलता है । दूसरे रूप में खड़ी पाई वृत्त को पार कर बाहर निकल गयी है ।^५ इस रूप में शिरोरेखा का प्रयास स्पष्ट है । तीसरा रूप कर्नाज के गहरवार (राठौर) वंशी प्रसिद्ध

१ प० गौ० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपत्र—६, १२ ।

२ उपरिवत्, लिपिपत्र—५, १ ।

३ उपरिवत्, लिपिपत्र—६, १३, २१, २३, २४ ।

४ उपरिवत्, लिपिपत्र—२, ४, ८, ९, १६, १७, १६, २० ।

५ उपरिवत्, लिपिपत्र—१६ ।

राजा जयचन्द्र के वारहवीं शताब्दी के लेख में तथा मालवा के परमार वंशी महाकुमार उदयवर्मा के १२०० ई० के ताम्रपत्र में मिलता है। आगे के रूप इसी रूप में विकसित हैं।

ज—इसका प्रथम रूप अशोक-कालीन शिला-लेखों से लिया गया है। दूसरे रूप में शिरोरेखा बनाने का प्रयत्न है तथा नीचे के हिस्से को मुन्दर बनाने के लिए कुछ आगे बढ़ाकर नीचे झुकाया गया है।^१ उसी हिस्से को बायीं ओर मोड़ने से तीसरे रूप की उत्पत्ति हुई है।^२ चौथा तथा पाँचवाँ रूप आधुनिक ज से विल्कुल मिलता-जुलता सा है।^३ ये सारे रूप अनेक प्राचीन लेखों तथा हस्तलिखित पोथियों में उपलब्ध हैं।

झ—इसका पहला रूप अशोक-कालीन है। यह अक्षर प्राचीन लेखादि में बहुत कम मिलता है। इसका दूसरा रूप ब्राह्मण राजा शिवगण के कनसर्वा (कोटा से कुछ दूर) के ७३८ ई० के लेख में और तीसरा राठौर राजा गोविन्दराज तृतीय के ८०७ ई० के ताम्रपत्र में मिलता है। दूसरे तथा तीसरे रूप में शिरोरेखा बनाने की चेष्टा दीखती है। चौथा रूप झ से मिलता हुआ है। जँनियों की पुस्तकों में प्रायः इसी रूप का प्रयोग मिलता है, तथा राजपुताने में प्रायः यही रूप लिखा जाता है।

ञ—यह ञ विशेषकर दक्षिण में प्रचलित है। इसके प्रारम्भिक तीन रूप पूर्वविवेचित झ के पहले दो रूपों के समान हैं। तीसरे रूप के निचले हिस्से में गाँठ लगाने से चौथा रूप बना है, जो प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में कहीं-कहीं मिलता है।

वर्तमान नागरी में ञ का जो रूप प्रचलित है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निश्चित पता नहीं है, क्योंकि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में उसका प्रयोग कहीं नहीं मिलता।

ञ—यह वर्ण संस्कृत के लेखों में प्रायः सयुक्ताक्षरों में ही पाया जाता है। इसका पूरा रूप प्राकृत लेखों में मिलता है। इसका प्रथम रूप अशोककालीन है। दूसरा रूप मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा अपराजित के समय के ५३१ ई० के लेख में^४

१. प० गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपत्र—५, ६।

२. उपरिवत्, लिपिपत्र—११, १२।

३. उपरिवत्, लिपिपत्र—१३।

४. उपरिवत्, लिपिपत्र—११।

तथा तीसरा कुमारगुप्त के समय के मन्दसौर के लेख मे^१ मिलता है। तीसरे रूप की दायी ओर की खड़ी पाई को ऊपर की ओर उठाने से चौथा रूप बना है, जिसका वर्तमान ज्ञ से बहुत कुछ साम्य है।

ट—इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखो से लिया गया है। दूसरा रूप पहले से साम्य रखता है। उसमे शिरोरेखा बनाने के प्रयत्न के कारण ऊपर के हिस्से मे कुछ परिवर्तन मालूम होता है।^२ तीसरा और चौथा रूप, जो वर्तमान ट से विल्कुल मिलता-जुलता सा है,^३ अनेक प्राचीन लेखो मे उपलब्ध है।

ठ—इसका पहला रूप अशोक-कालीन है। दूसरे रूप की उत्पत्ति केवल शिरोरेखा देने के प्रयत्न के फलस्वरूप हुई है, यो सामान्यतः पहले तथा दूसरे रूप मे कोई अन्तर नहीं है।^४ तीसरे रूप मे ऊपर शिरोरेखा के प्रयोग के कारण तथा नीचे वृत्ताकार हिस्से के बीच मे छोटी सी खड़ी पाई देने के कारण वर्तमान ठ का विकास हुआ है।^५

ड—ड का यह रूप मुख्यतः प्राचीन जैन पुस्तको मे मिलता है। राजपुताने मे अभी भी ड के इस रूप का प्रचलन है। इसका पहला रूप अशोक के शिलालेखो मे मिलता है। दूसरे रूप मे नीचे का हिस्सा कुछ दाहिनी ओर बढ़ाया गया है, जिसका कारण त्वरापूर्ण लेखन का प्रभाव माना जा सकता है। इससे मिलता-जुलता रूप उडीसा की हाथी गुफा मे, जो कटक से कुछ दूर पर स्थित है, खुदे हुए जैन राजा खारवेल के लेख मे पाया जाता है, जो दूसरी शताब्दी ई० पू० के आसपास का है। दूसरे रूप को सुन्दर बनाने या त्वरा से लिखने के प्रयत्न-स्वरूप तीसरे और चौथे रूपो का विकास हुआ है।^६ पाँचवे रूप का विवेच्य ड से बहुत कुछ साम्य है।^७

ड—इसके प्रारम्भिक चार रूप तो पूर्व विवेचित ड के समान ही हैं। पाँच वे

१ प० गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपत्र—४ ।

२. उपरिवत्, लिपिपत्र—३, ४, ७, ८ ।

३. उपरिवत्, लिपिपत्र—१ ।

४. उपरिवत्, लिपिपत्र—७ ।

५. उपरिवत्, लिपिपत्र—१३, १७, १६ ।

६. उपरिवत्, लिपिपत्र—८ ।

७. उपरिवत्, लिपिपत्र—११ ।

रूप में मध्य का घुमाव बढ़ा देने के कारण उसकी आकृति वर्तमान ड के समान बन गयी है।^१

ढ—वर्तमान नागरी लिपि की वर्णमाला में एकमात्र ढ ही ऐसा वर्ण है, जो अपने प्राचीन रूप में अबतक बना हुआ है। इसपर केवल शिरोरेखा का अंश बढ़ा का है। इसका पहला रूप अशोक-कालीन है तथा परवर्ती रूप अनेक लेखों तथा हस्तलिखित पोथियों में मिलते हैं।

ण—इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों में मिलता है। दूसरा तथा तीसरा रूप कुगनवशी राजाओं के लेखों में मिलता है। चौथे से छठे तक के रूप अनेक लेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में उपलब्ध हैं।^२ छठे रूप के ऊपर शिरोरेखा बढ़ा देने से वर्तमान ण का रूप बना है।

ण—ण का यह रूप दक्षिण में पहले ही से विघेप प्रचलित रहा है, किन्तु अब इसका प्रचलन पूरे देश में हो चुका है। इसके पाँचवें रूप तक का विकास पूर्व-विवेचन ण के समान ही है और इसका वर्तमान रूप पाँचवें रूप में शिरोरेखा जोड़ देने तथा दाहिनी ओर के घुमाव को नीचे तक बढ़ा देने से बना है।

त—इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों में मिलता है। दूसरे रूप में शिरोरेखा की उपस्थिति स्पष्ट है। यह रूप अनेक लेखों में उपलब्ध है। इसी दूसरे रूप से तीसरा रूप विकसित है, जो वर्तमान त के बिल्कुल समान है।^३

थ—इसका प्रारम्भिक रूप अशोक-कालीन लेखों में उपलब्ध है। दूसरा रूप समुद्रगुप्त के लेख में मिलता है। तीसरे से पाँचवें तक के रूप अनेक लेखों में मिलते हैं।^४ पाँचवें रूप से वर्तमान थ का विकास हुआ है।

द—इसका पहला रूप अशोक-कालीन है और दूसरा रूप भी अशोक के ही, मद्रास हाते के गञ्जाम जिले में स्थित, जोगड के लेख में तथा एलाहाबाद से ३२ मील दूर यमुना-तट पर स्थित पभोसा के लेख में मिलता है, जो दूसरी शताब्दी ई० पू० का है। तीसरा रूप कुगनवशी राजाओं के लेखों में तथा चौथा रूप अनेक

१. प० गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र—२८, २६।

२. उपरिवत्, लिपिपत्र—३, ५, ६, १०, ११, १२, १३, १६, १८।

३. उपरिवत् लिपिपत्र—११।

४. उपरिवत्, लिपिपत्र—४, ५, ६, १२, १३, १६, १८, १९, २०।

लेखा एव प्राचीन हस्तलिखित पुस्तको मे मिलता है ।^१ पाँचवाँ रूप वर्तमान द के प्रायः समान ही है ।

घ—इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखो मे मिलता है । दूसरा रूप कन्नौज के प्रतिहार राजा भोजदेव के ग्वालियर वाले लेख मे मिलता है, जिसका समय ८७६ ई० है । यह रूप पीलीभीत से २० मील पर स्थित देवलगाँव की ९९२ ई० की प्रशस्ति मे भी उपलब्ध है । तीसरा रूप कन्नौज के राठौर राजा जयचन्द्र के ११७५ ई० के ताम्र-पत्र मे मिलता है । चौथा रूप वर्तमान घ जैसा ही है ।^२

न—इसका पहला रूप अशोक-कालीन शिला-लेखो मे मिलता है । दूसरा रूप क्षत्रप राजा रुद्रदामा के लेख से गृहीत है ।^३ तीसरा रूप राजानक लक्ष्मण चन्द्र के समय के वैद्यनाथ के लेख मे मिलता है, जो ८०४ ई० का है । चौथा रूप तीसरे से विकसित है, जो वर्तमान न के समान ही है ।

प—इसका प्रारम्भिक रूप अशोक के शिला-लेखो मे उपलब्ध है । दूसरे रूप मे शिरोरेखा देने का प्रयत्न है । तीसरा रूप अनेक लेखो तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तको मे पाया जाता है ।^४ इसी से वर्तमान प का रूप विकसित हुआ है ।

फ—इसका पहला रूप अशोककालीन है । दूसरा रूप प्राय पहले के ही समान है, केवल उसमे शिरोरेखा देने का प्रयास दीखता है । तीसरा रूप समुद्रगुप्त के लेख से लिया गया है । चौथा रूप त्वरा-लेखन के परिणामस्वरूप तीसरे रूप से ही विकसित है । यह रूप अनेक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तको मे उपलब्ध है । पाँचवाँ रूप चौथे के ही समान है और उसी से वर्तमान रूप का विकास हुआ है ।

ब—इसका प्रारम्भिक रूप अशोक के लेखो मे मिलता है । दूसरा रूप राजा यशोधर्म के लेख^५ तथा कई अन्य लेखो मे भी मिलता है ।^६ तीसरा रूप कुछ लेखो मे प के समान^७ और कुछ मे व के समान पाया जाता है । इसको उक्त वर्णों से भिन्न बनाने के लिए इसके बीच मे विन्दी का प्रयोग होने लगा, जिससे चौथा रूप

१ ५० गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र—३, ६, १३ ।

२ उपरिवत्, लिपि-पत्र—३, ६, १३ ।

३. उपरिवत्, लिपि-पत्र—२ ।

४. उपरिवत्, लिपि-पत्र—३, ११, १२, १७, १८ ।

५ उपरिवत्, लिपि-पत्र—५ ।

६. उपरिवत्, लिपि-पत्र—११, १३ ।

७ उपरिवत्, लिपि-पत्र—१८ ।

वना। पाँचवाँ रूप चौथे के प्रायः समान ही है, जो गुजरात के सोलङ्की राजा भीमदेव के १०२९ ई० के एक ताम्रपत्र में मिलता है।

भ—इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखों से लिया गया है। दूसरा रूप कुशनवशी राजाओं के लेखों में मिलता है। तीसरा रूप गुप्तवंश के राजा स्कन्दगुप्त के इन्दौर से मिले हुए ताम्रपत्र में मिलता है, जो ४६५ ई० का है। चौथा रूप तीसरे के प्रायः समान ही है। इसी से वर्तमान भ का विकास हुआ है।

म—इसका प्रारम्भिक रूप अशोक के शिलालेखों में उपलब्ध है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे रूपों का विकास शिरोरेखा देने के प्रयत्न के फलस्वरूप हुआ है। चौथा रूप वर्तमान म के प्रायः समान ही है।

य—इसके प्रारम्भिक दो रूप अशोक के शिला-लेखों में मिलते हैं। दूसरे रूप को कलम उठाये बिना लिखने के प्रयत्न के फलस्वरूप तीसरे रूप का विकास हुआ है। चौथा रूप वर्तमान य के प्रायः समान ही है।

र—इसका पहला रूप अशोक-कालीन है। दूसरे रूप का विकास पहले रूप की खड़ी पाई के अन्त को सुन्दर बनाने के उद्देश्य से, दाहिनी ओर कुछ नीचे की तरफ झुकाने से हुआ है। यह रूप वीर श्रमण महानामन् के ५०८ ई० के लेख में पाया जाता है। तीसरा रूप वर्तमान र के समान ही है।

ल—इसका प्रारम्भिक रूप अशोक के लेखों में मिलता है। दूसरा रूप हूण-वशी राजा तोरमाण के लेख में उपलब्ध है, जो ५०० ई० के आसपास का है। तीसरा रूप कई लेखों में पाया जाता है। इसी को अधिक सुन्दर बनाने के प्रयत्न के फलस्वरूप चौथे रूप का उद्भव हुआ। पाँचवाँ रूप वर्तमान ल के समान ही है।

व—इसका पहला रूप अशोक-कालीन है। उसी को बिना कलम उठाये लिखने के प्रयास से दूसरे रूप की उत्पत्ति हुई।^२ फिर दूसरे के नीचे के हिस्से में सुन्दरता लाने के प्रयत्न से परवर्ती रूपों का विकास हुआ।^३

श—इसका पहला रूप अशोक-कालीन है। इसी से दूसरे रूप का विकास हुआ। दूसरे रूप से ही क्रमशः तीसरा और चौथा रूप विकसित है। ये रूप अनेक

१. प० गौ० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र—६, ११, १२।

२. उपरिवत्, लिपि-पत्र—४।

३. उपरिवत्, लिपि-पत्र—११, १२, १३, १६।

लेखो मे मिलते है ।^१ पाँचवाँ रूप भी कई लेखो तथा हस्तलिखित पुस्तको मे उपलब्ध है । इसी से छठे रूप का विकास हुआ है ।^२ इसके विभिन्न रूपो के विकास मे शिरोरेखा का प्रयोग तथा वर्ण को सुन्दर बनाने के प्रयत्न ही मुख्य कारण रहे है ।

प—यह वर्ण अगोक के लेखो मे नही मिलता । इसका पहला रूप मेवाड मे स्थित घोसुण्डा के शिला-लेखो से लिया गया है, जो ई० पू० दूसरी शताब्दी का है । दूसरा रूप पहले से विकसित है और तीसरा कई लेखो मे मिलता है ।^३

स—इसका पहला रूप अशोक के शिला-लेखो मे मिलता है । दूसरा रूप पहले के समान ही है । तीसरा रूप समुद्रगुप्त के लेखो से लिया गया है^४ और चौथा रूप कई अन्य लेखो मे मिलता है ।^५ इसके विभिन्न रूपो के विकास मे शिरोरेखा का प्रयोग तथा सुन्दर बनाने के प्रयास ही मुख्य कारण रहे है ।

ह—इसका पहला रूप अशोककालीन शिला-लेखो मे गृहीत है । दूसरा रूप पहले के समान ही है । तीसरा रूप उच्छकल्प के महाराज शर्वनाथ के ताम्रपत्र से लिया गया है, जिसका समय ४६३ ई० है । चौथा रूप तीसरे रूप से विकसित है ।^६ पाँचवाँ और छठा रूप अनेक लेखो तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तको मे पाया जाता है ।

ट—इसका पहला रूप रुद्रदामा के लेख से लिया गया है ।^७ दूसरा रूप दक्षिण के सोलङ्कियो के नवी गताब्दी से लेकर ग्यारहवी शताब्दी तक के लेखो मे पाया जाता है । तीसरा रूप दूसरे से मिलता-जुलता हुआ ही है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस अक्षर का प्रयोग वेदो के अतिरिक्त सस्कृत साहित्य मे अन्यत्र नही मिलता । किन्तु सस्कृत के शिलालेखो मे इसका प्रयोग ल या ड के स्थानो मे यत्र-तत्र मिलता है । दक्षिण के शिला-लेखो मे इसका प्रयोग अधिक मिलता है । आज भी गुजरात से लगातार कन्याकुमारी तक इस अक्षर का प्रयोग भाषण तथा लेखन, दोनो मे, सर्वत्र होता है । राजपुताने मे यह बोला तो जाता है, किन्तु लिखा नही

१. प० गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र—३ ।

२. उपरिवत्, लिपि-पत्र—१३, १५ ।

३. उपरिवत्, लिपि-पत्र—१६, १७, १८, १९ ।

४. उपरिवत्, लिपि-पत्र—३० ।

५. उपरिवत्, लिपि-पत्र—५, ६, १२, १३ ।

६. उपरिवत्, लिपि-पत्र—४, ५, ६, १३, १६ ।

७. उपरिवत्, लिपि-पत्र—२ ।

जाता। वहाँ इसके स्थान पर लेखन में ल का प्रयोग किया जाता है, जो सर्वथा अनुपयुक्त है।

ध—यह मन्ध्यक्षर है, जो क् और प की सन्धि से बना है। दसवीं शताब्दी तक के शिला-लेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों तथा पुस्तकों में इसके दोनों वर्ण अन्यान्य सयुक्ताक्षरों की तरह ही मिलाकर लिखे जाते थे। परन्तु पीछे के लेखकों के द्वारा इसका रूप ऐसा विलक्षण बना दिया गया कि इसमें इसके मयोगियों के रूप का कहीं लेश भी नहीं बचा। इसका पहला रूप क्षत्रप राजा सोडसास (सुदाम) के मथुरा के लेख से लिया गया है। दूसरा रूप पहले में मिलता-जुलता है तथा तीसरा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में सर्वत्र मिलता है।

ज—यह भी ध की तरह ही एक मन्ध्यक्षर है, जो ज् और ञ की सन्धि से बना है। इसका पहला रूप रुद्रदामा के लेख में मिलता है। दूसरा रूप पहले से मिलता-जुलता है तथा अन्तिम दो रूप प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में सर्वत्र मिलते हैं।

उपस्थित नारिणी ने प्रायः यह भी स्पष्ट हो जाता है कि व्यञ्जनों के साथ जुड़ने वाले मात्रा-चिह्नों अर्थात् स्वर-चिह्नों की उत्पत्ति कैसे हुई।

देवनागरी अक्षरों का विकास

देवनागरी लिपि के समान देवनागरी अक्षर भी ब्राह्मी के प्राचीन अक्षरों के विकसित रूप हैं। प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों तथा हस्तलिखित ग्रन्थों को देखने में पता चलता है कि लिपियों के समान ही प्राचीन एवं अर्वाचीन अक्षरों में भी अन्तर है। यह अन्तर केवल आकृतिगत नहीं है, अपितु उनके लिखने की पद्धति में भी है। वर्तमान समय में जैसे १ से ९ तक अक्षर और शून्य, इन दस चिह्नों में अक्षरविद्या का सम्पूर्ण कार्य चलता है, ऐसा प्राचीन काल में नहीं था। उस समय शून्य का व्यवहार नहीं होता था और दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के लिए अलग-अलग चिह्न निश्चिन्त थे। अक्षरों की इस शैली को विद्वानों ने प्राचीन शैली तथा जिनमें शून्य का व्यवहार होता है, उसे नवीन शैली की संज्ञा दी है।^२

प्राचीन शैली — प्राचीन शैली में १ से ९ तक के अक्षरों के लिए नौ चिह्न, १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० और ९० के लिए अलग-अलग नौ चिह्न

१. प० गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपिपत्र-२।

२. उपरिक्त, पृ० १०३।

और १०० तथा १००० के लिए दो चिह्न, कुल मिला कर बीस स्वतन्त्र चिह्न नियत थे। इन बीस चिह्नों से ९९९९९ तक की संख्या लिखी जा सकती थी। लाख, करोड़, अरब आदि के लिए जो चिह्न थे, उनका पता अबतक नहीं लग सका है।

डा० वॉल ने भारतवर्ष की प्राचीन शैली के अङ्को की उत्पत्ति मिश्र के डिमोटिक अङ्को से मानी है।^१ वेले ने उन अङ्को के क्रम को मिश्र के हिरोग्लिफिक अङ्को से प्रभावित माना है तथा अधिकांश अङ्कों की उत्पत्ति फिनीशियन, वैक्ट्रियन तथा अक्केडियन अङ्को से मानी है।^२ वूलर का अनुमान है कि वे अङ्क मिश्र के हिरेटिक अङ्को से उत्पन्न हुए।^३

प० गौ० ही० ओझा ने उपर्युक्त विद्वानों की मान्यताओं का सप्रमाण खण्डन करते हुए यह सिद्ध किया है कि 'प्राचीन शैली के भारतीय अङ्क भारतीय आर्यों के द्वारा स्वतन्त्र रूप से निर्माण किये हुए हैं'।^४

नवीन शैली — नवीन शैली के अङ्क-क्रम में १ से ९ तक के लिए नौ अङ्क और एक शून्य (०) है। इन्हीं दस चिह्नों से अङ्क-विद्या का समस्त व्यापार चलता है। इस शैली में प्राचीन शैली के समान प्रत्येक अङ्क केवल नियत संख्या का ही सूचक नहीं है, अपितु प्रत्येक अङ्क इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि प्रत्येक स्थान पर आ सकता है और स्थान के अनुसार दाहिनी ओर से बाँयी ओर हटने पर प्रत्येक अङ्क का स्थानीय मूल्य दसगुना बढ़ता जाता है। इसी कारण इस संख्या-सूचक क्रम को दशगुणोत्तर संख्या कहते हैं। इस समय सम्पूर्ण संसार में यही अङ्क-क्रम प्रचलित है।^५

इस अङ्क-क्रम का भारत में कब से प्रचलन हुआ, इसका ठीक-ठीक पता नहीं है। प्राचीन शिला-लेखों तथा दानपत्रों में ई०सन् की छठी शताब्दी तक के आस-पास तक प्राचीन शैली के ही अङ्क खुदे या लिखे हुए मिलते हैं। परन्तु ज्योतिष ग्रन्थों में छठी शताब्दी के बहुत पहले से ही इस शैली के प्रमाण मिलते हैं। ५०५ ई० में लिखित बराहमिहिर के 'पञ्चसिद्धान्तिका' नामक ग्रन्थ में सर्वत्र नवीन शैली के अङ्को का ही प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट है कि पाँचवी शताब्दी में नवीन

१. व०, सा० ३० पे०, पृ० ६५।

२. ज० रॉ० ए० सो० (न्यू सिरीज), जि० १४, पृ० ३३५ से, जि० १५, पृ० १ से।

३. वू०, ३० पे०, पृ० ८२।

४. गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, पृ० १११-११४।

५. उपरिक्त पृ० ११५।

गैली के अङ्को का प्रचलन सर्वसाधारण में तो था, किन्तु शिलालेखों एवं दानपत्रों में प्राचीन गैली के ही अङ्कों का प्रयोग होता था।^१ इसका कारण, सम्भवतः गून्य को अमङ्गल-मूचक चिह्न मानने का विश्वास रहा हो, जो हिन्दुओं में आज भी कम या अधिक मात्रा में वर्तमान है।

बराहमिहिर ने 'पञ्च सिद्धान्तिका' में पुलिग, रोमक, वशिष्ठ, सौर (सूर्य) और पितामह, इन पाँच के सिद्धान्तग्रन्थों का करण रूप से और लाटाचार्य, सिहाचार्य, सहाचार्य के गुरु, आर्यभट्ट, ब्रह्मस्मि तथा विजय नन्दिन के नाम एवं मतों का अनेक स्थलों पर विवेक रूप से उल्लेख किया है। दुर्भाग्य से इस समय आर्यभट्ट के अतिरिक्त अन्य किसी भी आचार्य के ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। उपर्युक्त सभी आचार्य पाँचवीं शताब्दी के बहुत पूर्व हुए थे।^२

कुछ गताब्दी पूर्व पञ्जाब के बखशाली नामक गाँव में भोजपत्र पर लिखा एक ग्रन्थ जमीन के नीचे से मिला था, जिसमें नवीन गैली के अङ्कों का उपयोग किया गया है। हॉर्नली ने उसका रचना-काल तीसरी या चौथी गताब्दी माना है।^३ ब्लनर ने इसके सम्बन्ध में लिखा है कि यदि हॉर्नली का अनुमान ठीक हो तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नवीन गैली के अङ्कों के निर्माण का समय ई० सन् के प्रारम्भ या उसके भी पूर्व का होगा।^४

गून्य की योजना के द्वारा नौ अङ्कों से गणितशास्त्र को सरल करने वाली गैली के अङ्कों का सर्वप्रथम आविष्कार तथा प्रचार किस आचार्य के द्वारा हुआ, इसका आज तक भी पता नहीं चल सका है। किन्तु यह निश्चित है कि नवीन गैली के अङ्कों की मृष्टि भारतवर्ष में ही हुई। बाद में अरब वालों ने भारत से यह अङ्क-क्रम नीखा और फिर अरब से सम्पूर्ण यूरोप में इसका प्रचार हुआ।^५

१. उपरिवत् ।

२. उपरिवत् ।

३. ५० पृ०, जि० ७, पृ० २६ ।

४. वू० इ० पे०, पृ० ८२ ।

५. The so-called Arabic numerals are probably of Indian origin, having been brought by Arab Traders from the east, and introduced by them into Spain in the middle ages, whence they spread over Europe, coming into use in England perhaps about the eleventh century But

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' के अनुसार—“यह सर्वथा निस्संशय कहा जा सकता है कि हमारे (अँगरेजी के) दशगुणोत्तर अङ्क-क्रम की उत्पत्ति भारतीय है। सम्भवतः खगोल सम्बन्धी उन सारणियों के साथ, जिनको एक भारतीय राजदूत ने ७७३ ई० में भारत से बगदाद लाया था, भारतवासियों से उसका प्रवेश अरब में हुआ। वस्तुतः ई० सन् की नवीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान अबुजफर मुहम्मद अल खारिजी ने अरबी में उक्त क्रम का विवेचन किया और उसी समय से उसका प्रचार अरब में बढ़ने लगा। यूरोप में शून्यसहित यह सम्पूर्ण अङ्क-क्रम बारहवीं शताब्दी में अरब वालों से लिया गया।”^१

अल्वेरुनी ने भारत सम्बन्धी तहकीकात की अपनी अरबी पुस्तक में, जो १०३० ई० के आसपास की है, लिखा है—“हिन्दू लोग अपनी वर्णमाला के अक्षरों को अङ्कों के स्थान में काम में नहीं लाते जैसे कि हम हिब्रू वर्णमाला के क्रम से अरबी अक्षरों को काम में लाते हैं। हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्से में जिस प्रकार अक्षरों की आकृतियाँ भिन्न हैं, उसी प्रकार सख्यासूचक चिह्नों की भी, जिनको अङ्क कहते हैं, भिन्नता है। जिन अङ्कों को हम काम में लाते हैं, वे हिन्दुओं के सबसे सुन्दर अङ्कों से लिये गये हैं। जिन भिन्न-भिन्न जातियों से मेरा सम्पर्क रहा उन सबकी भाषाओं के सख्या-सूचक क्रम के नामों का मैंने अध्ययन किया है, जिससे मालूम हुआ है कि कोई जाति हजार से आगे नहीं जानती। अपने अङ्क-क्रम में हजार से अधिक सख्या जानने वाले केवल हिन्दू ही हैं। वे सख्यासूचक क्रम को १८ वें स्थान तक ले जाते हैं, जिसको पराद्ध कहते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखकर यह बतलाया है कि इस विषय में हिन्दू हमसे कितने आगे बढ़े हुए हैं।”^२

उपर्युक्त ऐतिहासिक प्रमाण इस तथ्य को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान शैली के अङ्क-क्रम का जन्म भारत में ही हुआ। प्राचीन ब्राह्मी अङ्कों से आधुनिक देवनागरी अङ्कों के विकास-क्रम का स्वरूप क्या और कैसा था, यह अङ्कों के विकास-क्रम की निम्नाङ्कित सारिणी से स्पष्ट होगा।

whether India invented them, or borrowed them from Greek or other traders from the west, is unknown. Edward Clodd, The story of Alphabet, P. 209.

१ Encyclopaedia Britannica, vol 17 P 626

२ सा० अ० इ०, जि० १, पृ० १७४-१७७।

द्वैवनागरी अङ्कों के विकास को तालिका :

१	-	-	१	१	१	१	१
२	-	=	२	२	२		
३	-	≡	३	३	३		
४	-	+	४	४	४	४	
५	-	५	५	५	५		
६	-	६	६	६			
७	-	७	७	७	७		
८	-	८	८	८	८	८	८
९	-	९	९	९	९	९	९

नागरी अङ्कों का विकास-क्रम —

१—इसका पहला रूप पूना जिले के नानाघाट तथा दक्षिण में नासिक आदि की गुफाओं में खुदे हुए आन्ध्रमृत्यु सातवाहन तथा अन्य क्षत्रिय राजा के गिला-लेखों में, मथुरा तथा उसके आसपास के प्रदेशों में प्राप्त क्षत्रिय एवं कुशन वंशी राजाओं के गिला-लेखों में तथा मालवा, गुजरात, राजपुताना आदि पर राज्य करने वाले क्षत्रिय राजाओं के पुराने सिक्कों में मिलता है।^२ ईसवी सन् की चौथी शताब्दी के आसपास तक १ अङ्क प्रायः अपने पहले रूप में ही लिखा जाता था, आजकल भी व्यापारी लोग खाता-वही में रुपये के अङ्कों के वाद आने का अङ्क इसी रूप में लिखते हैं। १ का दूसरा रूप गुप्तवंशी राजाओं के गिला-लेखों, ईसवी सन् की छठी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक के वल्लभी राजाओं के ताम्रपत्रों^३ तथा आठवीं शताब्दी के आसपास लिखे गये नेपाली गिला-लेखों में पाया जाता है। इस रूप में पाया जाने वाला घुमाव अङ्क को सुन्दर बनाने तथा त्वरापूर्ण लेखन के अनुकूल बनाने के प्रयत्न का परिणाम है। दूसरे रूप के आरम्भ के हिस्से में छोटी सी गाँठ लगाकर घुमाव बढ़ाने के प्रयत्न के फलस्वरूप तीसरे रूप का विकास हुआ है। यह रूप 'वात्रर मनुस्क्रिप्ट' से लिया गया है। तीसरे रूप के अन्त के हिस्से को नीचे की ओर बढ़ाने में चौथे रूप का विकास हुआ है। यह रूप ग्यारहवीं शताब्दी तक के अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों में मिलता है। इसका विकास क्रमशः पाँचवें और छठे रूपों में हुआ है, जो वर्तमान १ के प्रायः समान ही है।

२—इसका पहला रूप दो आड़ी लकीरों का था। उसी में क्रमशः सुन्दरता लेखन की सुगमता तथा त्वरा लाने के उपक्रम के फलस्वरूप परवर्ती रूपों का विकास

२. प० गी० हो० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र—४१।

३. उपरिक्त।

हुआ । तीसरा रूप 'वावर मँनुस्क्रिप्ट' में मिलता है । तीसरे रूप के अन्तिमाक्ष के परस्पर मिल जाने से चौथा रूप विकसित हुआ है । २ का वर्तमान घुण्डीदार रूप-लेखनी को विना उठाये लिखने के प्रयास का परिणाम है, जो अनेक शिला-लेखो, ताम्रपत्रो तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तको में पाया जाता है ।

३—इसका प्रारम्भिक रूप पहले तीन आड़ी लकीरो का था, जिनमें घुमाव-डालने से दूसरा रूप तथा प्रारम्भ के अक्ष में छोटी-छोटी सी गाँठ बनाने से तीसरा रूप विकसित हुआ । तीसरा रूप वर्तमान रूप के प्रायः समान ही है । इसके विभिन्न-रूपों के विकास के मूल में सुन्दरता लाने के प्रयत्न तथा त्वरापूर्ण लेखन के अनुकूल-रूप प्रदान करने के प्रयत्न मुख्य कारण के रूप में वर्तमान रहे हैं ।

४—इसका पहला रूप देहरादून में कालसी के निकट मौर्यवशी राजा अशोक के तेरहवीं धर्माज्ञा वाले शिला-लेख में मिलता है । यह रूप अशोक-कालीन नागरी के क अक्षर के रूप से साम्य रखता है । दूसरा रूप दक्षिण के नानाघाट तथा अन्य स्थानों के शिला-लेखों में मिलता है ।^१ तीसरा रूप क्षत्रिय वशी राजाओं के सिक्कों में पाया जाता है, जिसमें नीचे की तरफ की खड़ी लकीर के अन्त में घुमाव डाला गया है । त्वरापूर्ण लेखन के प्रयत्न में उमी घुमाव को गाँठ का रूप देने तथा बीच की आड़ी लकीर के साथ उसको मिला देने से चौथे रूप का विकास हुआ है, जो ४ के वर्तमान रूप से बहुत अधिक साम्य रखता है । यह रूप दसवीं शताब्दी के आसपास की अनेक हस्तलिखित पुस्तकों में पाया जाता है ।^२

५—इसका पहला रूप आन्ध्र-भृत्यों तथा क्षत्रिय राजाओं के लेखों में मिलता है ।^३ दूसरा रूप गुप्तवशी राजाओं के शिला-लेखों में पाया जाता है, जिसमें खड़ी पाई को कुछ टेढ़ा बनाकर सुन्दरता लाने का प्रयत्न किया गया है । तीसरा रूप नेपाल के शिला-लेखों तथा प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में मिलता है । चौथा तथा पाँचवाँ रूप नवी तथा दसवीं शताब्दी के लेखों में पाया जाता है ।^४ ये रूप नागरी के वर्तमान ५ के रूप के समान ही हैं । इस समय देश में ५ के पाचवे तथा छठे, दोनों रूपों का प्रचलन है ।

६—इसका पहला रूप बिहार के गाहाबाद जिले के सहसराम के लेख में तथा

१. प० गौ० ही० ओ०, भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र—४१ ।

२. उपरिवत् ।

३. उपरिवत्, लिपि-पत्र—४१ ।

४. उपरिवत् ।

जबलपुर जिले के रूपनाथ के लेखो मे उपलब्ध है । इस रूप का वर्तमान ६ के रूप मे पर्याप्त साम्य है । इसके दूसरे रूप का विकास पहले रूप से ही हुआ है, जो मथुरा और उसके आसपास पाये जाने वाले शिला-लेखो मे मिलता है ।^१ तीसरा रूप दूसरे रूप के प्रायः समान ही है, जो काठियावाड के हडाला से मिले हुए कन्नौज के प्रतिहार वशी राजा महिपाल के ९४१ ई० के ताम्रपत्र से लिया गया है ।

७—इसका प्रारम्भिक रूप आन्ध्रभृत्य वशी राजाओ के शिला-लेखों से लिया गया है ।^२ दूसरा रूप क्षत्रिय वशी राजाओ के सिक्को मे पाया जाता है ।^३ इस रूप मे खड़ी पाई के निचले हिस्से को वायी ओर घुमाव दिया गया है । उसी घुमाव को कुछ और बढ़ाने से तीसरा और चौथा रूप विकसित हुआ है । ये दोनो रूप क्षत्रिय राजाओ के सिक्को तथा बलभी राजाओ के ताम्रपत्रो मे मिलते हैं । इसी रूप से ७ के वर्तमान रूप का विकास हुआ है ।

८—इसका पहला रूप आन्ध्रभृत्य वशी राजाओ के लेखो मे मिलता है ।^४ दूसरा तथा तीसरा रूप गुप्तवशी राजाओ के लेखो मे पाया जाता है ।^५ तीसरे रूप से ही चौथा रूप विकसित है । तीसरे रूप के निचले हिस्से के घुमाव को वायी ओर से दायी ओर कर देने से चौथा रूप बना है, जिससे वर्तमान ८ का रूप विकसित हुआ है ।

९—इसका पहला तथा दूसरा रूप आन्ध्रभृत्यो के लेखो मे मिलता है ।^६ तीसरा रूप क्षत्रिय राजाओ के सिक्को मे पाया जाता है । त्वरापूर्ण लेखन के परिणाम स्वरूप तीसरे रूप से चौथे रूप का विकास हुआ है । चौथा रूप गुप्तवशी राजाओ के लेखो मे मिलता है । चौथे रूप में वायी ओर के निचले हिस्से की गोलाई बढ़ा देने से पाँचवें रूप का विकास हुआ है, जिसका वर्तमान ९ से कुछ साम्य है । यह रूप दसवीं शताब्दी के लेखो मे पाया जाता है । इसी से छठे रूप का विकास हुआ है, जिसका प्रयोग अभी भी लोग कही-कही करते हैं । इसी रूप से वर्तमान ९ का रूप विकसित है ।

१ प० गो० ही० ओ०, , भा० प्रा० लि०, लिपि-पत्र-४१ ।

२ उपरिवत् ।

३ उपरिवत् ।

४. उपरिवत्, लिपि-पत्र—४१ ।

५. उपरिवत् ।

६ उपरिवत् ।

६—यह ६ का ही भिन्न रूप है । इसका पहला और दूसरा रूप ८ के पहले तथा दूसरे रूपों के ही समान है । तीसरे रूप में ऊपर के हिस्से में गाँठ लगा दी गयी है । त्वरापूर्ण लेखन के कारण इसी रूप से चौथा रूप विकसित हुआ है, जो ९ के वर्तमान रूप के समान है ।

हम ऊपर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि नागरी अङ्को में शून्य (०) का प्रयोग छठी शताब्दी तक के शिला-लेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों या हस्तलेखों में नहीं मिलता । छठी शताब्दी से शून्य का प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि उसके पूर्व नागरी अङ्क प्राचीन पद्धति से ही लिखे जाते थे, जिसमें शून्य के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी, नवीन पद्धति के अङ्कों का लेखन, जिसमें शून्य का प्रयोग होता है, बाद में प्रचलित हुआ ।

अध्याय

: ८ :

नागरी-विरोधी आन्दोलन

पृष्ठभूमि —

अंगरेज लोग भारत में अपने शासन के प्रारम्भिक काल से ही, रोमन-लिपि के व्यापक प्रचार के लिए उतना ही प्रयत्नशील रहे, जितना अपने धर्म, साहित्य, सम्यता एवं भाषा के प्रचार के लिए। मेकॉले की १८८३ ई० वाली घोषणा ने अंगरेजों की इस मुनिश्चय योजना को विल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वे भारतीयों के केवल रङ्ग और रक्त को ही भारतीय रहने देना चाहते थे। नागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रचार भी उनकी इसी योजना का एक अङ्ग था, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में, आगे चलकर, सम्पूर्ण देश में देवनागरी लिपि के प्रचार का आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। यहाँ संक्षेप में उन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाल देना आवश्यक है।

अंगरेजी भाषा एवं साहित्य के व्यापक प्रचार के साथ, यों तो रोमन लिपि का प्रचार स्वतः हो ही रहा था, किन्तु अंगरेज लोग मात्र इतने से सन्तुष्ट नहीं थे। वे भारत की विभिन्न भाषाओं की भिन्न-भिन्न लिपियों के स्थान पर भी रोमन लिपि को ही प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इस प्रकार वे समस्त भारतीय लिपियों का सर्वनाश करने पर तुले हुए थे।

अपने उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन लोगों ने साम-द्राम-भय-भेद आदि सभी प्रकार की नीतियों का उपयोग किया। धर्म-प्रचारक पादरी हो या पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश हो या फौजी अफसर, कोई भी अंगरेज तथा उनके फरमावरदार भारतीय, चाहे वे किसी भी विभाग या क्षेत्र के क्यों न हों, रोमन लिपि के गुणगान को प्रभु-भजन के समान ही अपना परम कर्तव्य समझते थे। रोमन-प्रचार के लिए पुस्तकें छापीं गयीं, लेख लिखे गये, भाषण दिये गये, गोष्ठियाँ

आयोजित हुई और इस प्रकार भारत के हजारों शिक्षित दासानुदासों के मन में यह धारणा बद्धमूल कर दी गयी कि रोमन लिपि ससार की अद्वितीय लिपि है।

दूसरी ओर, रोमन की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उस पर आधारित टिंकन, मुद्रण, दूरालेखन (टेलीप्रिन्टर), तार (मोर्सकोड), शीघ्रलिपि (शौटहैण्ड), सङ्केत-शब्द (कोड वर्ड्स) आदि अनेक प्रकार के यान्त्रिक तथा प्राविधिक उपकरणों के अस्त्रों से सज्जित कर, उसे लोगों के समक्ष उपस्थित किया गया। फिर भला उमका लोहा कौन नहीं मानता? चकाचौंध में पडकर सरल भारतीयों ने रोमन के अस्त्रों की शक्ति को ही उसकी भुजा की शक्ति मान ली, अलङ्कारों को ही आकृति का सौन्दर्य समझ लिया। परिणाम स्वरूप, भारत के अनेक ख्यातनाम भाषाशास्त्रियों, शिक्षाविशारदों एवं उच्च पदासीन व्यक्तियों ने रोमन-प्रचार का झण्डा अपने स्वामी अंगरेजों के हाथ से अपने हाथ में ले लिया और विना गम्भीरता पूर्वक सोचे-समझे, देवनागरी के विरुद्ध रोमन का खुलेआम प्रचार करने के लिए, कृतसङ्कल्प हो, रणक्षेत्र में कूद पड़े।^१

उस तूफानी विजय-अभियान में रोमन लिपि के सम्मुख दो प्रचण्ड समस्याएँ थीं, एक संस्कृत साहित्य के लिप्यन्तरण की और दूसरी देवनागरी लिपि के उन्मूलन की।

भारत की अन्य लिपियों को अपदस्थ कर उनका स्थान स्वयं लेने के पूर्व रोमन लिपि के लिए संस्कृत साहित्य के लिप्यन्तरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, क्योंकि वही उसकी योग्यता की कसौटी थी। यह परीक्षा वास्तव में रोमन की आन्तरिक योग्यता की परीक्षा थी। इसमें उसे अपने अस्त्र-शस्त्र से कोई विशेष सहायता नहीं मिल सकती थी। यदि इस परीक्षा में रोमन सफल हो जाती, अर्थात् यदि उसमें प्राचीन वैदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश के वाङ्मय का लिप्यन्तरण सम्भव हो जाता तो प्रायः यह निश्चित था कि वह भारत की अन्यान्य आधुनिक भाषाओं की एकमात्र सफल लिपि के रूप में इस देश में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाती। किन्तु इस परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण हो गयी। वैदिकी, संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं की ध्वन्यात्मक विविधताओं एवं विशिष्टताओं के

१ डॉ० सु० कु० चटर्जी ने १९३५ ई० में कलकत्ता वि० वि० के जर्नल, डिपार्टमेंट ऑफ़ लेटर्स के भाग २७ में 'रोमन अल्फाबेट फॉर इण्डिया' शीर्षक एक निबन्ध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने भारत की समस्त भाषाओं के लिए रोमन लिपि का प्रयोग उचित बताया था तथा रोमन में सबके लिखने की प्रणाली बतायी थी।

सम्मुख परास्त होकर उसे घुटने टेक देने पड़े। इस प्रकार उसके समर्थकों का समस्त भारतीय लिपियों के स्थान पर उसे प्रतिष्ठित देखने का सङ्कल्प, बहुत कुछ प्रारम्भ में ही गिथिल पडने लगा। किन्तु, मात्र इतने से वे हारकर बैठ जाने वाले जीव नहीं थे।

अब उन लोगो ने रोमन की योग्यता प्रमाणित करने के लिए दूसरे मोर्चे पर सङ्घर्ष की तैयारी की। जो कार्य वे प्रत्यक्ष रचनात्मक पद्धति से नहीं कर सके, उसे अब परोक्ष व्यवसात्मक पद्धति से साधना चाहा। अपनी समस्त शक्ति एवं उपलब्ध साधनों से सुसज्जित होकर रोमन के पक्षधरो ने सङ्घबद्ध रूप से देवनागरी के विरुद्ध प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया। चारों ओर से अभेद्य व्यूह बनाकर उन प्रोत्सिक्त व्यक्तियों ने देवनागरी पर तीक्ष्ण कुतर्क-वाणों की अजन्म वर्षा प्रारम्भ कर दी। देवनागरी, जो वैदिकी, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश जैसी समृद्ध प्राचीन भाषाओं की नितान्त मक्षम वाहिका रह चुकी थी तथा जो हिन्दी, मराठी, नेपाली आदि अनेक विकासोन्मुख आधुनिक भाषाओं की सफल लिपि थी, इतना ही नहीं, बल्कि जो हजारों वर्ष से प्रतिकूल स्थितियों के बीच रहने पर भी अपनी योग्यता एवं वैज्ञानिक स्वरूप के कारण धीरे-धीरे सम्पूर्ण देश में स्वतः व्याप्त होकर राष्ट्रलिपि के रूप में घोषित किये जाने की सम्भावनाओं से भरी थी, उसे रोमन के पक्षधरो ने समवेत स्वर से नितान्त अयोग्य, अवैज्ञानिक एवं सर्वथा त्याज्य लिपि घोषित किया। इसके मूल में कई प्रकार के कारण वर्तमान थे, जो संक्षेप में आगे दिये जा रहे हैं।

नागरी-विरोधी आन्दोलन के मूल कारण —

जिन कारणों से प्रेरित होकर रोमन के पक्षधर देवनागरी का विरोध कर रहे थे (या आज भी कर रहे हैं), वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं —

- (१) अँगरेजी भाषा एवं रोमन लिपि के प्रति अतिरिक्त मोह।
- (२) हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि के प्रति ईर्ष्या-द्वेष के भाव।
- (३) प्रान्तीयता की सङ्कीर्ण मनोवृत्ति।
- (४) राष्ट्रीयतावादी उदार दृष्टिकोण का अभाव।
- (५) तटस्थ विवेचन-शक्ति का अभाव।
- (६) देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक-विकास-क्रम से अनभिज्ञता।
- (७) दाननामूनक मस्कार के कारण स्वदेश एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रति पटी हुई हीनभावना की ग्रन्थि।

- (८) विशिष्टता-प्रदर्शन एव आत्मप्रचार को क्षुद्र प्रवृत्ति ।
 (९) ध्वनि-विज्ञान एव लिपि-विज्ञान का अपर्याप्त ज्ञान ।
 (१०) अँगरेजों को अपनी चाटुकारिता से प्रसन्न रखने की नीति ।

नागरी के विरुद्ध प्रचार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रायः इन्हीं कारणों में से किसी एक या एकाधिक से प्रेरित और प्रभावित हो रहा था (और आज भी हो रहा है)।

नागरी के विपक्ष में विरोधियों के आक्षेप :—

नागरी को रोमन से हीन प्रमाणित करने के लिए नागरी-विरोधी विद्वानों के द्वारा आज तक प्रायः जितने तर्क दिये गये हैं, वे सक्षेप में निम्नलिखित हैं :—

- (१) नागरी रोमन की अपेक्षा अधिक क्लिष्ट लिपि है ।
 (२) नागरी के लेखन में रोमन के समान त्वरा सम्भव नहीं है ।
 (३) नागरी में वर्णों की संख्या अधिक है, इसलिए उसे सीखने में तथा उसके टङ्कन, मुद्रण आदि में कठिनाई होती है ।
 (४) नागरी में शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलङ्करण के रूप में होता है, इससे लेखन में अतिरिक्त श्रम पडता है ।
 (५) नागरी में अनेक ऐसे अनावश्यक वर्ण हैं, जिनका शुद्ध उच्चारण सम्भव नहीं, इसलिए वे वर्ण अन्य वर्णों के समान उच्चरित होते हैं, जैसे—ऋ, ॠ, लृ, ल, ञ, ष आदि ।

(६) नागरी के कई वर्णों के रूपों में इतना साम्य है कि एक से दूसरे का भ्रम हो जाता है, जैसे—ख से रव का, घ से घ का, भ से म का आदि । इन सन्दिग्ध वर्णों के कारण देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि नहीं कहा जा सकता ।

(७) नागरी में कई सयुक्त वर्णों के लिए अलग से स्वतन्त्र वर्ण हैं, जो अनावश्यक हैं और जिनसे व्यर्थ ही वर्णों की संख्या बढ़ती है, जैसे कष के लिए क्ष, त्र के लिए त्र तथा ज्ज के लिए ज्ञ ।

(८) नागरी में कई वर्णों के लिए दो-दो रूप प्रचलित हैं, जिनसे अनावश्यक ही उलझनों उत्पन्न होती हैं, जैसे—अ-अ्र, ऋ-ॠ, ऋ-ॠ, ण-ण और क्ष-क्ष ।

(९) नागरी में अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु के प्रयोग का कोई भी निश्चित नियम नहीं है । कही तो पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग होता है . जैसे—चाँद, साँस आदि में और कही केवल बिन्दु का, जिससे वहाँ अनुस्वार का भ्रम होने लगता है; जैसे—मे, मैं आदि में । इसी प्रकार अनुस्वार एव अनुनासिक व्यञ्जनो के प्रयोग

मे बाँवली है, कोई पण्डित, चञ्चल, अङ्गद, चन्दन और सम्बन्ध लिखता है तो कोई पंडित, चचल, अगद, चदन और संवध ।

(१०) नागरी मे र के चार रूप है—र, ४, / और ८ । यह विविधता तथा इनके प्रयोगों के विधान नितान्त अवैज्ञानिक है ।

(११) नागरी मे वर्णों को सयुक्त करने की कोई निश्चित पद्धति नहीं है । कभी वर्णों का सयोग आमने-सामने होता है, जैसे क्क, क्ख, च्च, च्छ आदि और कभी ऊपर-नीचे, जैसे—ट्ट, ड्ड आदि । कभी-कभी तो कोई वर्ण अन्य वर्णों के ठीक माये पर जा विराजता है, जैसे—कर्म, वर्म आदि मे र् ।

(१२) नागरी मे स्वरो के लिए स्वतन्त्र वर्ण के अतिरिक्त अलग से मात्रा-चिह्न होने के कारण एक स्वर के लिए दो-दो चिह्न स्मरण रखने पडते हैं, जैसे—आ—ा, इ—ि, ई—ी, उ—ु, ऊ—ू, ए—े, ऐ—ै, ओ—ो और औ—ी ।

(१३) नागरी मे मात्राएँ वर्ण के चारो ओर लगती है, जो टङ्कन-मुद्रण आदि के लिए असुविधाजनक तथा अवैज्ञानिक है ।

(१४) नागरी मे इ की मात्रा (ि) वर्ण के पहले लगती है, जो ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त है ।

(१५) नागरी मे अ के अतिरिक्त अन्य स्वरो के लिए स्वतन्त्र वर्ण अनावश्यक है, क्योंकि अ मे मात्रा लगाकर सबका काम चल सकता है, जैसे—आ, अि, औ, अु, अू, अे, अै, ओ और औ ।

(१६) नागरी लिपि ध्वनि-विश्लेषण की दृष्टि मे रोमन के समान वैज्ञानिक नहीं है ।

(१७) नागरी-लेखन मे बार-बार हाथ उठाना पडता है, कभी मात्रा-प्रयोग के लिए, कभी शिरोरेखा देने के लिए, कभी अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु लगाने के लिए और कभी विराम-चिह्न के लिए । इसलिए इसमे अधिक श्रम पडता है और गति मन्द हो जाती है ।

(१८) नागरी मे कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं की अनेक ध्वनियों के लिए वर्णों का अभाव है ।

(१९) नागरी का स्वरूप कोड वर्ड्स (सङ्केत-शब्द), शीघ्रलिपि (शीट्टैण्ड), तार (मोर्मकोट) तथा दूरालेखन (टेलीप्रिण्टर) आदि के अनुकूल नहीं है ।

(२०) नागरी के मुद्रण मे अधिक समय, श्रम, स्थान और व्यय लगता है । इसमें एक पंक्ति के लिए तीन पक्तियाँ नग्नयित करनी पडती है । साथ ही इसमें नय प्रकार का मुद्रण सम्भव नहीं है ।

(२१) नागरी में रोमन के समान त्वरा वाले टङ्कन-यन्त्र का निर्माण सम्भव नहीं। इसके टङ्कन में अधिक समय, श्रम, स्थान और व्यय लगता है।

नागरी-विरोधी आक्षेपों की समीक्षा —

(१) क्लिष्टता

यह आरोप किसी भी प्रकार सर्वमान्य नहीं हो सकता कि नागरी रोमन की तुलना में अधिक क्लिष्ट लिपि है। लिपि की क्लिष्टता या सरलता बहुत कुछ व्यक्ति एवं अभ्यास मापेक्ष होती है। अनभिज्ञ एवं अनभ्यस्त व्यक्ति को सरल लिपि भी क्लिष्ट प्रतीत होती है, किन्तु अभिज्ञ एवं अभ्यस्त व्यक्ति के लिए क्लिष्ट लिपि भी सरल बन जाती है। जिन्हे रोमन के साथ देवनागरी का भी सम्यक् ज्ञान है, वे कभी भी देवनागरी को रोमन से अधिक क्लिष्ट नहीं स्वीकार करेगे। एक दूसरी बात यह भी है कि नागरी रोमन के समान वर्णात्मक न होकर उससे अधिक विकसित अवस्था की अक्षरात्मक लिपि है। इसमें उच्चरित ध्वनि-समूहों को रोमन की तरह वर्ण-क्रम में नहीं, अपितु अक्षरक्रम में (सिल्लेविकली) अधिक सन्तुलित एवं वैज्ञानिक पद्धति से पूर्ण विशुद्धतापूर्वक लिपिवद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए यदि यह रोमन से कुछ जटिल प्रतीत होती है तो इसका एक मात्र कारण इसमें रोमन की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिकता का निर्वाह है। इस प्रकार थोड़ी सी क्लिष्टता के कारण यदि यह रोमन से अधिक वैज्ञानिक, पूर्ण, सन्तुलित एवं विशुद्ध है तो यह इसका दोष नहीं, बल्कि सभी दृष्टियों से वरेण्य गुण है।

(२) लेखन की त्वरा

लेखन की त्वरा भी लिपि से अधिक लिखने वाले की क्षमता पर निर्भर करती है। प्रत्येक लिपि में कुछ तीव्रगतिशील एवं कुछ मन्दगतिशील लिखने वाले हुआ ही करते हैं। तेज लिखने वाला व्यक्ति किसी भी लिपि में समान तेजी प्रदर्शित कर सकता है, किन्तु मन्द लिखनेवाले के लिए कोई भी लिपि त्वरा नहीं दे सकती। इसीलिए अनेक व्यक्ति रोमन में भी घोघे की चाल चलते पाये जाते हैं और दूसरी ओर अनेक व्यक्ति नागरी में भी मिगुजेट की उडान भरते देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस तर्क को स्वीकार करने का कोई भी विशेष कारण उपलब्ध नहीं है कि देवनागरी लिपि में रोमन के समान त्वरा सम्भव नहीं है।

(३) वर्णों की अधिकता

यदि नागरी में वर्णों के सख्याधिक्य को दोष मान लिया जाय तो उसके साथ ही संस्कृत में ध्वनियों के सख्याधिक्य को भी उसका दोष मानना होगा। स्पष्ट ही यह एक असङ्गत और अनर्गल आरोप है। किसी लिपि की वर्ण-सख्या उससे सम्बद्ध भाषा की ध्वनि-सख्या पर निर्भर करती है। लिपि की वैज्ञानिकता की यह पहली शर्त है कि उसमें सम्बद्ध भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतन्त्र वर्ण हो। इस दृष्टि से रोमन एक नितान्त अवैज्ञानिक लिपि है, जिसे वर्नार्ड शॉ जैसे व्यक्ति ने भी स्वीकार किया है। रोमन में एक-एक ध्वनि के लिए कई-कई वर्णों को एक साथ मिलाना पड़ता है, साथ ही उसमें ध्वनि एवं वर्ण का परस्पर कोई निश्चित सम्बन्ध है ही नहीं। रोमन का एक वर्ण कभी-कभी पाँच-पाँच ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ पाया जाता है। इसके विपरीत नागरी में कहीं भी इस प्रकार का दोष नहीं है। नागरी में वर्णों का सख्याधिक्य, उससे सम्बद्ध वैदिकी, संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, मराठी आदि अनेक भाषाओं की ध्वनियों के सख्याधिक्य पर निर्भर है। अतः यह उसका दोष नहीं, वैज्ञानिकता का प्रमाण है। यदि इस वैज्ञानिक अनिवार्यता के कारण उसे सीखने या टङ्कन-मुद्रणादि में कुछ अधिक कठिनाई भी होती है तो इसके लिए नागरी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(४) शिरोरेखा

नागरी में शिरोरेखा का प्रयोग, मात्र अलङ्कारण के उद्देश्य से नहीं होता। उसके और भी कई उद्देश्य हैं, जैसे—(क) शिरोरेखा के माध्यम से अनेक वर्णों का परस्पर पार्थक्य सूचित किया जाता है, उदाहरणार्थ—घ-घ, भ-भ आदि। घ और भ के ऊपर के दोनों छोर शिरोरेखा से सम्बद्ध नहीं किये जाते, किन्तु घ और भ के ऊपर के दोनों छोर सम्बद्ध कर दिये जाते हैं। यदि शिरोरेखा का प्रयोग न किया जाय तो ये वर्ण परस्पर सन्दिग्ध और भ्रमोत्पादक बन जायेंगे। (ख) शिरोरेखा के प्रयोग से लेखन में शब्दों का परस्पर पार्थक्य सूचित किया जाता है। शिरोरेखा के अभाव में शब्दों को परस्पर मटाकर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि उन स्थिति में पूर्ववर्ती शब्द के अन्तिम वर्ण परवर्ती शब्द के प्रारम्भिक वर्णों के साथ मिलकर भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कम ला कर को कोई कमलाकर तथा महा देव को कोई महादेव पढ़ सकता है। शिरोरेखा शब्दों को अलग-अलग रखकर घन प्रकार के भ्रम की सम्भावना को दूर करती है। यदि कोई यह कहे कि यह कार्य

तो शब्दों को अलग-अलग लिखने से भी हो सकता है, जैसा कि रोमन में होता है, तो उसका उत्तर यह है कि उस स्थिति में अधिक स्थान (स्पेस) लगेगा, जिससे व्यय में वृद्धि हो जायगी। (ग) शिरोरेखा समस्त पदों को स्पष्ट करने का कार्य भी करती है। उसके अभाव में लम्बे-लम्बे समस्त पद, जैसाकि बाणभट्ट आदि संस्कृत लेखकों और कवियों के ग्रन्थों में मिलते हैं, दुर्बोध और भ्रमोत्पादक बन जायेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिरोरेखा को अनावश्यक अलङ्कार कहना, एक नितान्त असङ्गत एवं भ्रामक प्रचार करना है। वस्तुतः देवनागरी को वैज्ञानिक रूप देने में बहुत कुछ शिरोरेखा का भी योगदान है।

(५) अनावश्यक वर्ण

नागरी के ऋ, ॠ, लृ, ल, ष और ञ् वर्ण आधुनिक भारतीय भाषाओं की ध्वनियों की दृष्टि से अनावश्यक बतलाये जाते हैं। इनमें जहाँ तक ष और ञ् का प्रश्न है, इनसे सम्बद्ध ध्वनियाँ, क्रमशः मूर्धन्य तथा तालव्य व्यञ्जनो के पूर्व आधुनिक भाषाओं में भी श्रुतिगोचर होती हैं। इस कारण सूक्ष्म ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उक्त वर्णों को व्यतिरिक्त नहीं माना जा सकता। हाँ, ऋ, ॠ, तथा लृ, ल का स्वरत्व आज निश्चय ही लुप्त हो चुका है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नागरी का सम्बन्ध वैदिकी, संस्कृत आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं से भी है, जिनमें इन वर्णों से सम्बद्ध ध्वनियाँ वर्तमान थीं। उन भाषाओं के सभी ग्रन्थों में इन वर्णों का प्रयोग मिलता है। ऐसी स्थिति में आधुनिक भाषाओं की दृष्टि से अनावश्यक समझकर इन वर्णों का बहिष्कार नहीं किया जा सकता और न इन्हें अनावश्यक ही कहा जा सकता है। आधुनिक भाषाओं में भी प्राचीन भाषाओं से गृहीत तत्सम शब्दों में इन वर्णों का प्रयोग सर्वत्र होता है। प्रधानतः वैदिक साहित्य की दृष्टि से तो ये सबके सब वर्ण अनिवार्य हैं। यदि इन वर्णों को आज अनावश्यक समझकर देवनागरी 'वर्णमाला' से अलग कर दिया जाय तो कुछ दिनों के बाद वैदिक तथा संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन सिन्धुघाटी-लिपि तथा ब्राह्मी लिपि के लेखों के समान ही दुस्तर हो जायगा। इसलिए आज लोग इन वर्णों का शुद्ध उच्चारण जाने या न जानें, जब तक इन वर्णों से युक्त भारत की प्राचीन भाषाओं का वाङ्मय वर्तमान रहेगा और उनके अध्ययन-अध्यापन की उपयोगिता बनी रहेगी, तब तक नागरी वर्णमाला के अन्तर्गत इन वर्णों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

(६) सन्दिग्ध वर्ण

नागरी के ख वर्ण में रव की सन्दिग्धता का आरोप सैद्धान्तिक दृष्टि से एक सीमा तक सही माना जा सकता है। क्योंकि उसका स्वरूप पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। किन्तु व्यवहार में वस्तुतः कभी किसी को ख से रव का भ्रम होता नहीं। इस प्रकार के एकाध सन्दिग्ध वर्ण प्रायः प्रत्येक लिपि में पाये जाते हैं। रोमन में भी e-c और u-v वर्णों के युग्म इसी प्रकार के हैं, जिनके लिखित रूप में प्रत्यक्षतः कोई विवेक अन्तर नहीं प्रतीत होता और लोग पढते समय प्रायः अनुमान से ही इन वर्णों को पहचानते हैं। इसी प्रकार अरबी-फारसी लिपि में तो ऐसे सन्दिग्ध वर्णों की भरमार है।

नागरी में व घ और भ म की पारस्परिक सन्दिग्धता का आरोप बिल्कुल असङ्गत है। यह पहले भी बताया जा चुका है कि इन तथाकथित सन्दिग्ध वर्णों का पारस्परिक पार्थक्य गिरोरेखा के माध्यम से स्पष्ट रूप से सूचित हो जाता है। व में ऊपर के दोनों छोर गिरोरेखा में परस्पर सम्बद्ध नहीं किये जाते, किन्तु घ के दोनों छोर गिरोरेखा में सम्बद्ध रहते हैं। इसी प्रकार भ के ऊपर के दोनों छोर भी परस्पर गिरोरेखा से असम्बद्ध और म के दोनों छोर सम्बद्ध रहते हैं। इतना अन्तर उन वर्णों के पारस्परिक पार्थक्य को सूचित करने के लिए पर्याप्त है। उनमें न तो भ्रम की कोई सम्भावना है और न आज तक किसी को भ्रम हुआ है। इस प्रकार इन वर्णों में सन्दिग्धता का आरोप करना, एक काल्पनिक भ्रम का अनुचित प्रचार करना है।

(७) क्ष, ञ, ज्ञ

नागरी के क्ष, ञ और ज्ञ वर्णों के स्वरूप एवं अनिवार्यता पर अलग-अलग विचार करना अधिक समीचीन होगा।

क्ष.—यह क् और प के संयुक्त रूप का स्वतन्त्र चिह्न माना जाता है। इसके सम्बन्ध में प्रश्न उठता है कि यदि यह क् और प के संयुक्त रूप को ही प्रकट करता है तो उसके लिए इस स्वतन्त्र चिह्न की क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार अन्य संयुक्त वर्ण देवनागरी में लिखे जाते हैं, उसी प्रकार क्प भी क्यों नहीं लिखा जाय? व्यर्थ ही एक अलग स्वतन्त्र वर्ण रखकर वर्णों की संख्या में वृद्धि करने से क्या लाभ है? यहाँ मोचना यह है कि क्या हमारे पूर्वजों ने व्यर्थ ही इस वर्ण का निर्माण किया? निश्चय ही ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो अर्धमात्रा-

लाघव को पुत्र-जन्म के समान हर्षप्रद समझते थे, उनके सम्बन्ध में हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। वास्तविक तथ्य यह है कि क्ष ध्वनि में क् और प व्यञ्जनो के उच्चारण के प्रयत्न तत्सम्बन्धी उच्चारण-स्थानों पर विल्कुल साथ-साथ (साइमल-टेनियसली) होते हैं और प्रयत्न की समाप्ति भी साथ-साथ होती है, जिसके फल-स्वरूप दोनों व्यञ्जन अ स्वर से युक्त होकर विल्कुल एक साथ उच्चरित होते हैं। उनमें कोई किसी के आगे-पीछे नहीं होता अर्थात् दोनों में पूर्वापर सम्बन्ध नहीं, साहचर्य सम्बन्ध है। इसलिए लिपि में एक को पहले और दूसरे को बाद में लिखकर वष के रूप में सयुक्त दिखाना अवैज्ञानिक होता, जिससे बचने के लिए ही इस स्वतन्त्र चर्ण क्ष का निर्माण किया गया। इस प्रकार क्ष हमारे विद्वान पूर्वजों के ध्वनि-विज्ञान एवं लिपि-विज्ञान सम्बन्धी पूर्णतम ज्ञान का विलक्षण प्रमाण है। क्ष का शुद्ध उच्चारण, इसके विशिष्ट ध्वन्यात्मक स्वरूप के कारण, पहले ही से सामान्य अशिक्षितों के लिए कठिन रहा है, जिसके फलस्वरूप म० भा० आ० के शब्दों में यह ध्वनि ख, छ आदि ध्वनियों में परिवर्तित हो गयी। किन्तु संस्कृत में यह सदा अपने शुद्ध मूलरूप में सुरक्षित रही। इसलिए वर्णमाला में भी यह सदा स्वतन्त्र चर्ण के रूप में वर्तमान रही। हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त होनेवाले तत्सम शब्दों में आज भी इस ध्वनि का शुद्धरूप में प्रयोग होता है, जैसे—क्षत्रिय, लक्षण, पक्ष आदि। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्ष वस्तुतः कप का प्रतिरूप नहीं है, बल्कि एक स्वतन्त्र ध्वनि के लिए एक स्वतन्त्र वर्ण है, जिसका उसी रूप में रहना अनिवार्य है। यह सन्ध्यक्षर है, सयुक्ताक्षर नहीं।

त्र.—यह कोई नितान्त स्वतन्त्र वर्ण नहीं है, अपितु त्त्र का ही सुविधाजनक विकसित रूप है। त्र का त्र के रूप में विकास का मुख्य कारण प्रयत्न लाघव है। त के पेट में '∧' (र्) लगाने में कितनी अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है, यह कोई भी व्यक्ति स्वयं लिखकर ही समझ सकता है। सावधानी रखने पर भी प्रायः त के बाँयें छोर का '∧' वाले अक्षर से मिल जाने की सम्भावना बनी ही रहती है, जिससे इसका रूप कुछ-कुछ विकृत व या अपरिचित वर्ण के समान लगने लगता है। इसी सन्दिग्धता से तथा असुविधा से बचने के लिए त्र के त अक्षर की बाँयी ओर के छोर को नीचे न मोड़कर सीधा करके (न) लिखने की प्रवृत्ति चल पड़ी जिससे त्र रूप का विकास हुआ। त के इस (न) रूप को हम सयुक्त त्र में भी देख सकते हैं। इस प्रकार यदि त्र में त के भिन्न रूप 'न' को यदि हम अमान्य ठहराते हैं तो फिर सयुक्त त्र में जो प्रथम 'न' है उसका रूप क्या होगा? इससे त्र रूप की उपयोगिता एवं अनिवार्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है।

ज —क्ष के समान ही ज भी सयुक्ताक्षर नहीं, सन्ध्यक्षर है, अतः इसका भी स्वतन्त्र वर्ण के रूप में रहना अनिवार्य है। ज में ज् और ज्ञ के उच्चारण प्रयत्न एक ही साथ होते हैं। इस कारण इन दोनों में भी पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है, साहचर्य-सम्बन्ध है। अतः इन दोनों को भी आमने-सामने (ज्ज) या ऊपर-नीचे (ज्ज) लिखना 'ज' ध्वनि के उच्चारण की दृष्टि से वैज्ञानिक नहीं होता। इसीलिए प्राचीन आर्यों ने ज जैसे स्वतन्त्र वर्ण का निर्माण किया। इसका शुद्ध उच्चारण भी क्ष के शुद्ध उच्चारण के समान ही सबके लिए सहज नहीं था। आज भी भिन्न भिन्न प्रान्तों के लोग इसका उच्चारण भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं, जैसे—ज्ज, ग्य, ग्य, ग्न आदि। ऐसी स्थिति में ज को यदि सयुक्त वर्ण के रूप में दिखाया जाय तो कही भी एकरूपता नहीं रहेगी। उपर्युक्त कारणों से ज्ञ का स्वतन्त्र वर्ण के रूप में रखना देवनागरी के लिए अनिवार्य है।

(९) द्विविध वर्ण

नागरी लिपि का प्रयोग इसके जन्म काल से ही एकाधिक भाषाओं के लिए अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में होता रहा है, जिसके फलस्वरूप इसके कुछ वर्णों में यत्किञ्चित् भिन्नता आ गयी है, जिससे उनके द्विविध रूप मिलते हैं, जैसे—अ-अ, छ-छ, झ-झ, ण-ण और क्ष-क्ष। ऐसा होना स्वाभाविक है। इन वर्णों में झ-झ के अतिरिक्त और किसी भी वर्ण का रूप इतना असमान नहीं है कि पहचानने में कठिनाई हो। इसके विपरीत रोमन लिपि में तो प्रत्येक वर्ण के कम से कम दो, प्रायः विलकुल असमान रूप पाये जाते हैं। किसी-किसी वर्ण के तो दो से भी अधिक विलकुल असमान रूप हैं, जैसे—R-r, F-f आदि। इसकी तुलना में देवनागरी वर्णों की उपर्युक्त असमानता को असमानता कहना भी अनुचित है। यों, एकरूपता लाने के लिए उपर्युक्त वर्णों के विभिन्न रूपों में से एक-एक रूप को मानक मानकर उनका प्रयोग करना अधिक वाञ्छनीय है, जैसा करने का भारत सरकार ने निर्णय किया भी है।

(९) अनुनासिकता, अनुस्वार और नासिक्य व्यञ्जन

नागरी में अनुनासिकता (चन्द्रविन्दु), अनुस्वार और नासिक्य व्यञ्जनों के प्रयोग के लिए कोई सुनिश्चित नियम नहीं है, ऐसा आरोप निराधार है। यहाँ इन तीनों पर अलग-अलग विचार करना उचित होगा।

अनुनासिकता या चन्द्रविन्दु (¨) —यह स्वर की अनुनासिकता का चिह्न है, जो सदा स्वर या स्वरयुक्त व्यञ्जन के साथ प्रयुक्त होता है। इसके प्रयोग का

अभी प्रचलित नियम यह है कि जिन वर्णों के ऊपर स्वर की मात्रा नहीं लगती, वहाँ पूरे चन्द्रविन्दु का प्रयोग होता है, जैसे—हँसी, चाँद, साँस, पूँछ आदि, और जिन वर्णों के ऊपर स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है, वहाँ चन्द्रविन्दु के केवल विन्दु अक्षर का प्रयोग किया जाता है, यथा—सिँचाई, भीगना, भँट, भँस, चोच, चौकना आदि। चन्द्रविन्दु के केवल विन्दु अक्षर के प्रयोग को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे अनुस्वार का भ्रम उत्पन्न होता है। सिंह, हिंसा, किंशुक और सिँचाई, भीगना, भँट में केवल लिपि के आवार पर अनुस्वार और चन्द्रविन्दु का अन्तर करना सम्भव नहीं, क्योंकि सबके ऊपर स्वर की मात्रा और विन्दु का प्रयोग हुआ है। यहाँ, यदि कोई व्यक्ति इन शब्दों से परिचित नहीं है, तो उसे कैसे यह बतलाया जायगा कि कौन-सा विन्दु अनुस्वार का है और कौन चन्द्रविन्दु का। इसीलिए प्राचीन लेखक चन्द्रविन्दु के स्थान पर सर्वत्र पूरे चन्द्रविन्दु का प्रयोग करते थे, चाहे वर्ण के ऊपर स्वर की मात्रा हो या नहीं, जैसे—मँ, मेँ, भँट भँन आदि। इसके विपरीत आधुनिक कई लेखकों ने चन्द्रविन्दु का पूर्णतः वहिष्कार ही कर दिया है और चन्द्रविन्दु तथा अनुस्वार दोनों के लिए समान रूप से विन्दु का प्रयोग करने लगे हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से उचित यह था कि लोम ऊपर मात्रा लगने वाले वर्ण में भी पूरे चन्द्रविन्दु का प्रयोग करते, उसके बदले पूरे चन्द्रविन्दु को ही सम्पूर्ण लिपि से वहिष्कृत कर देने का उपक्रम किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति घोर अवैज्ञानिक है। अनुस्वार और चन्द्रविन्दु वस्तुतः दो पृथक्-पृथक् अर्थभेदक ध्वनियाँ अर्थात् स्वनिम (फोनीम) हैं, जैसे—हस-हँस, आदि में। इस कारण लिपि में दोनों के लिए स्वतन्त्र चिह्नों की अनिवार्यता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि अनुस्वार, के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार और चन्द्रविन्दु के स्थान पर सर्वत्र पूरे चन्द्रविन्दु का प्रयोग हो। दुर्भाग्य से वर्तमान युग में ऊपर मात्रा वाले वर्णों के साथ चन्द्रविन्दु के स्थान पर केवल विन्दु का प्रयोग इतने व्यापक एवं निरपवाद रूप में प्रचलित हो गया है कि अब अशुद्ध होने पर भी इसका निराकरण शीघ्र सम्भव नहीं प्रतीत होता। किन्तु, यह है वैज्ञानिकता के प्रतिकूल, इसे स्वीकारने में सङ्कोच नहीं किया जा सकता।

अनुस्वार.—यह नासिक्य अयोगवाह है, अर्थात् विना किसी स्वर ध्वनि के कन्धे का सहारा लिए यह न तो उच्चरित हो सकता है और न विना किसी वर्ण के सहारे लिखा जा सकता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह स्वर या व्यञ्जन किसी में भी योग नहीं पाता फिर भी कार्य वहन करता है। इसका उच्चारण स्वर के पश्चात् और व्यञ्जन के पूर्व होता है; इसीलिए लिपि में

वैसे ही प्रदर्शित भी किया जाता है। यह केवल अन्त स्थ और ऊष्म ध्वनियों के पूर्व ही शुद्ध रूप से उच्चरित हो सकता है और इसीलिए उन्हीं वर्णों के पूर्व आता भी है। जैसे—मयम, सरचना, मलाप, मवाद, वग, द्र पट्टा, हस, सिंह आदि में। कुछ वर्णों से हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं में वर्गीय पञ्चमो (ड्, ज्, ण्, न् और म्) के स्थान पर भी सर्वत्र अनुस्वार के ही प्रयोग की प्रथा चल पड़ी है। यह ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से अशुद्ध है, जिससे लिपि की वैज्ञानिकता नष्ट होती है, यो सुविधा चाहे जितनी हो।

नासिक्य स्पर्श या वर्गीय पञ्चम —देवनागरी में ड्, ज्, ण्, न्, और म् क्रमशः कण्ठ या कोमल तालु, तालु, मूर्धा, दाँत तथा ओठ, इन पाँच स्थानों से उच्चरित स्पर्श नासिक्य व्यञ्जनो के सूचक वर्ण हैं, जो अनुनासिकता सूचक चन्द्रविन्दु (°) तथा अनुस्वार () में नितान्त भिन्न हैं। इन्हें वर्गीय पञ्चम भी कहते हैं। इनका प्रयोग सयुक्ताक्षरो में अपने-अपने वर्ग के व्यञ्जनों के पूर्व हाता है, जहाँ इनका स्थान अनुस्वार या चन्द्रविन्दु नहीं ले सकते। किन्तु, इधर कुछ वर्णों में सयुक्ताक्षरो में इनके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रचलन हो गया है, जो ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है, यो सुविधा उसमें चाहे जितनी हो।

इस प्रकार चन्द्रविन्दु, अनुस्वार तथा नासिक्य वर्णों के प्रयोग के नियम देवनागरी में विल्कुल निश्चित हैं। फिर भी यदि लोग इन नियमों का पालन नहीं करें तो यह उनका दोष है, लिपि का नहीं।

(१०) र की रूप-भिन्नता

नागरी में र के चार नहीं, केवल दो ही मूल रूप होते हैं, —एक र् और दूसरा कोणात्मक र्। रेफ (°) वस्तुतः कोणात्मक र् का ही सुविधाजनक अर्धवृत्ताकार रूप है, जो प्रयत्नलाघव का परिणाम है। इन दोनों रूपों में से र् रूप सदा स्वतन्त्र रूप में स्वरयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है और कोणात्मक रूप (°) सयुक्ताक्षरो में व्यवहृत होता है। किमी व्यञ्जन के पूर्व आने पर र् का कोणात्मक रूप (°) उम व्यञ्जन की शिरोरेखा के ऊपर तिरछे होकर लगता है, जिसे रेफ कहते हैं। पहले रेफ का रूप कोणात्मक (°) ही था। बाद में लेखन में त्वरा लाने के लिए यह अर्धवृत्ताकार (°) बन गया। इस प्रकार रेफ कोणात्मक ' ° ' का ही प्रतिरूप है। इसी प्रकार जब र् के पूर्व कोई व्यञ्जन आता है, तब कोणात्मक ' ° ' उम व्यञ्जन के नीचे जुड़ जाता है। अगर व्यञ्जन वर्ण खड़ी पाई वाला होता

है तो कोणात्मक ' ' का अगला छोर उस व्यञ्जन की खड़ी पाई में मिल जाता है, जैसे—प्र, त्र, म्र, घ्र आदि में, और यदि व्यञ्जन वर्ण खड़ी पाई वाला नहीं होता तो कोणात्मक ' ' अपने पूर्ण स्वरूप में उस व्यञ्जन के नीचे जुड़ जाता है, जैसे—ट्र, ठ्र, ड्र, ढ्र आदि में। इसमें स्पष्ट है कि र के दो ही रूप देवनागरी में हैं। वे दोनों ही रूप अति प्राचीन हैं। देवनागरी से उद्भूत कुछ अन्य निगियो, जैसे, कैथी आदि में र का कोणात्मक ' ' रूप ही स्वतन्त्र वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। देवनागरी में कोणात्मक रूप की उपयोगिता केवल सयुक्ताक्षरों के लिए है। र का अपना स्वरूप सयुक्ताक्षर के उपयुक्त नहीं है, इसीलिए उनके दूसरे कोणात्मक रूप का निर्माण हुआ था। व्यञ्जन के पूर्व आने वाले र् को रेफ के रूप में शिरोरेखा ऊपर लगाये जाने का कारण उनके स्वरूप में ही निहित है। जगता मय्य ही कुछ ऐसा है कि उसे व्यञ्जन के पूर्व रेफ के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के सुविधाजनक रूप में नहीं जोड़ा जा सकता। इसीलिए प्राचीन काल से ही यह शिरोरेखा के ऊपर रेफ रूप (°) में जुड़ता आया है। इस प्रकार देवनागरी में र के दोनो रूप तथा उनके उपयोग की पद्धति नितान्त वैज्ञानिक है। देवनागरी के विपरीत रोमन में तो अनावश्यक रूप से र के R, r, r तीन रूप हैं। ऐसी स्थिति में देवनागरी को रोमन से हीन कैसे कहा जा सकता है ?

(११) वर्ण-संयोग की पद्धति

नागरी में वर्णों को परस्पर सयुक्त करने की पद्धति पूर्णतः ध्वनि वैज्ञानिक है। इसमें ध्वनियों के उच्चारण-क्रम के अनुसार ही वर्णों का संयोजन होता है। ध्वनियाँ जिस क्रम में उच्चरित होती हैं, उसी क्रम में लिखी जाती हैं और जिस क्रम में लिखी जाती हैं, उसी क्रम में पढ़ी जाती हैं। वर्णों को सुविधा के अनुसार आमने-सामने या ऊपर-नीचे सयुक्त किया जाता है। जब वर्ण ऊपर-नीचे के क्रम में सयुक्त होते हैं तो उनका रूप ज्यो का त्यो रखा जाता है, जैसे—ट्र, ड्र आदि। किन्तु जब वर्ण आमने-सामने सयुक्त होते हैं तो—(क) जिनके अन्त में खड़ी पाई रहती है, उनमें से खड़ी पाई निकाल दी जाती है, जैसे—ह, र, घ, च, ज आदि, और (ख) जिनके मध्य में खड़ी पाई रहती है, उनमें खड़ी पाई के बाद का अक्षर छोटा कर दिया जाता है, जैसे—क, फ आदि। जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती, उन्हें सदा ऊपर-नीचे क्रम में सयुक्त किया जाता है, किन्तु खड़ी पाई वाले वर्णों को सुविधानुसार दोनों क्रमों में (आमने-सामने और ऊपर-नीचे) सयुक्त किया जा सकता है। सयुक्ताक्षरों में र का रूप सदा कोणवत् (°) रहता है। यह जब

पहले आता है तो रेफ के रूप में ऊपर जुड़ता है और यदि अन्त में उच्चरित होता है तो खड़ी पाई वाले वर्णों में आगे का अक्षर मिलाकर युक्त होता है, जैसे—प्रेम, त्राण, क्रम, व्याघ्र आदि में और विना खड़ी पाई वाले वर्णों में पूरे रूप में नीचे जुड़ता है, जैसे ट्राम, ड्राम आदि में। हलन्त चिह्न लगाकर वर्णों को संयुक्त करने की पद्धति सहिता और सन्धि के नियमों की दृष्टि से अवैज्ञानिक है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नागरी पर, वर्णों को संयुक्त करने की निश्चित पद्धति के अभाव का आरोप निराधार है। इसमें तो एक स्वर के साथ चार-चार व्यञ्जन तक संयुक्त होकर एक अक्षर बनाते हैं, जैसे—कात्स्न्य, चत्स्य आदि।

(१२) मात्रा-विधान

मात्राओं का विधान नागरी लिपि की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। इसी के कारण वह वर्णात्मक लिपियों से अधिक विकसित दशा की वैज्ञानिक लिपि बन सकी है। देवनागरी के स्वरूप की अक्षरात्मकता मात्राओं के स्तम्भों पर ही टिकी हुई है। मात्राएँ स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं। वे विभिन्न स्वरों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अवर्णात्मक चिह्न हैं, जो व्यञ्जनों के साथ जुड़कर अपने से सम्बद्ध स्वरों की उपस्थिति सूचित करते हैं तथा व्यञ्जनों को अक्षरात्मक (सिलेबिक) रूप देते हैं। इस प्रकार देवनागरी के लिए मात्राओं का महत्त्व सर्वोपरि है।

किसी लिपि के ऐसे महत्त्वपूर्ण उपयोगी अङ्ग को अनावश्यक बोझ समझना, विवेक का पूर्ण दारिद्र्य प्रकट करना है। जिन्हें नागरी के स्वर वर्ण एवं मात्रा-चिह्न के दो भिन्न रूपों को देखकर उसमें कठिनाई का आभास मिलता है, उन्हें एक दृष्टि रोमन पर भी डाल लेनी चाहिए जिसमें न केवल स्वर, अपितु व्यञ्जनों के लिए भी अनिवार्यतः दो, और कहीं-कहीं तीन-चार तक रूप मिलते हैं, जिनकी प्रत्यक्षतः कोई भी उपयोगिता नहीं है।

(१३) टंकन-मुद्रण की सुविधा

लिपि का सबसे पहला उपयोग लेखन के लिए होता है। टंकन, मुद्रण आदि में उसका सम्बन्ध वाद का है। जहाँ तक लेखन या हाथ से लिखने का सम्बन्ध है, मात्राएँ किसी और लगे, उसमें श्रम में अन्तर नहीं पड़ता। टंकन, मुद्रण आदि प्राविधिक उपयोगों में यदि मात्राओं के कारण कुछ कठिनाई होती भी है तो केवल इसलिए कि नागरी के संयुक्त वर्णों के निर्माण का अभी तक समुचित प्रयास नहीं

किया गया। इस कारण, जो दोष सरकार तथा समाज का है, उसके लिए लिपि को दोषी ठहराना न्यायसङ्गत नहीं। यो, जहाँ थोड़ी सी असुविधा उठा लेने से वैज्ञानिकता की रक्षा होती हो, वहाँ उस असुविधा को असुविधा मानना ही भूल है।

(१४) ह्रस्व 'इ' की मात्रा (i) का विधान —

यह खेद से अधिक आश्चर्य की बात है कि इस देश के शत-प्रतिशत विद्वानों ने वर्ण के पीछे लगायी जाने वाली 'इ' की मात्रा 'i' के विधान को एक स्वर से अवैज्ञानिक घोषित किया है। इसका एकमात्र कारण नागरी के अक्षरात्मक स्वरूप की विशेषताओं के सूक्ष्म ज्ञान का अभाव कहा जा सकता है। मात्रा-चिह्नों के सम्बन्ध में यह सभी जानते हैं कि वे स्वतन्त्र वर्ण नहीं, अपितु स्वर-वर्णों के ऐमे कल्पित चिह्न हैं, जो व्यञ्जन वर्णों के साथ युक्त होकर उनमें अपने से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति की सूचना देते हैं। मात्रा चिह्नों के प्रयोग की पद्धति साङ्केतिक है। वे वर्ण के किस ओर लगते हैं, इसका कोई महत्त्व नहीं होता। वे चाहे वर्ण के जिस ओर भी लगे, प्रत्येक स्थिति में वे उस वर्ण में अपने से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति के सूचक होते हैं। इस कारण मात्रा के स्थान को ही, उससे सम्बद्ध स्वर का स्थान मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। यदि ऐसा होता तो मात्राएँ वर्ण के चारों ओर न आकर केवल वर्ण के बाद आती, जिस प्रकार वर्णात्मक लिपि में मात्रा का कार्य करने वाले स्वर आते हैं। अतः स्पष्ट है कि महत्त्व केवल मात्रा के सङ्केत का होता है, उसके स्थान का नहीं। यदि विद्वानों की समझ में इतनी सी बात आ गयी होती, तो वे 'इ' की मात्रा के प्रयोग की पद्धति को कभी अवैज्ञानिक नहीं कहते।

थोड़ी देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाय कि मात्रा का स्थान ही स्वर की उपस्थिति का भी स्थान होता है, तो उस स्थिति में केवल इ की मात्रा को ही नहीं, ए और ऐ की मात्राओं को भी अवैज्ञानिक मानना होगा, जो वर्ण के ऊपर ही विराजमान रहती हैं, जैसे—के और कै। ये मात्राएँ चूँकि वर्ण के ऊपर अर्थात् वर्ण के पूर्व ही आती हैं, इसलिए इनसे सम्बद्ध स्वरों का उच्चारण भी नीचे के व्यञ्जनों के उच्चारण के पूर्व ही होना चाहिए, क्योंकि यही तर्क इ की मात्रा को वर्ण के पूर्व लगाये जाने के विपक्ष में भी दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मात्राओं को तोड़कर ध्वनि-विश्लेषण करने से के = एक् और कै = ऐक् होगा, जिसे मानने को कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि मात्राओं के स्थान को स्वर की उपस्थिति का स्थान नहीं स्वीकारा जा सकता।

उपर्युक्त स्थापना को सिद्ध करने के लिए अन्य लिपियों से भी प्रमाण दिये

जा सकते हैं, उदाहरणार्थ—वँगला लिपि को लें, जो देवनागरी के समान ही आक्षरिक और उसी से उद्भूत भी है। वँगला में इ के अतिरिक्त ए और ऐ की मात्राएँ भी वर्ण के पूर्व ही लगती हैं। यदि मात्राओं के स्थान का महत्त्व होता तो नागरी में वँगला में जाकर ए और ऐ की मात्राओं का इस प्रकार स्थान-परिवर्तन सम्भव नहीं होता। इससे सिद्ध है कि मात्राएँ वर्ण से अलग, स्वर की उपस्थिति के स्थान का सङ्केत नहीं दे सकती हैं।

स्वयं नागरी में ही इस स्थापना की सत्यता को प्रमाणित करने वाले कई प्रमाण मिलते हैं, उदाहरणार्थ उ और ऊ की मात्रा पर विचार करें। ये मात्राएँ अन्य वर्णों के साथ जहाँ उनके नीचे लगती हैं, जैसे कु, कू आदि में, वही र के नीचे नहीं लगकर उसके पेट में लगती हैं, जैसे—रु और रू। यदि मात्राएँ अपने-अपने स्थानों के कारण सार्थक होती तो भिन्न-भिन्न वर्णों के साथ उनका हमेशा किसी एक ही स्थान में संयोग होता, भिन्न-भिन्न स्थानों में नहीं। अतः यह एक प्रत्यक्ष सत्य है कि मात्रा के स्थान का कोई भी महत्त्व नहीं होता।

यहाँ संक्षेप में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि मात्राओं को वर्ण के चतुर्दिक् लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका एकमात्र कारण उनकी संख्या का अभाव है। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों के लिए स्वतन्त्र मात्रा-चिह्न हैं, जिनकी संख्या ऋ, ॠ, लृ, लृ तथा अनुस्वार-चन्द्रविन्दु को लेकर १५ होती है। इतने चिह्नों का प्रयोग वर्ण में केवल एक या दो ओर में किसी भी प्रकार सम्भव नहीं था। वैसे करने में अनेक प्रकार के भ्रम तथा सन्देहों के उत्पन्न होने की सम्भावना थी। इसीलिए स्पष्टता और सुविधा को ध्यान में रखकर मात्रा-चिह्नों के प्रयोग का स्थान वर्ण के चारों ओर नियत किया गया, क्योंकि ये मात्राएँ सङ्केत चिह्नमात्र थीं, वर्ण नहीं। देवनागरी को अक्षरात्मक रूप देने के लिए मात्राओं के इस वैज्ञानिक विधान में प्राचीन भारतीय विद्वानों ने जितनी सूक्ष्म दृष्टि, वैज्ञानिकता तथा व्यावहारिकता का परिचय दिया है, उसे देखकर लिपि का कोई भी मर्मज्ञ श्रद्धावन्त हो सकता है। इसके 'नागर' या 'नागरी' नाम की सार्थकता का यह भी एक कारण है। ऐसी वैज्ञानिक लिपि के विरुद्ध उँगली उठाने के पूर्व विद्वानों को अपने ज्ञान की पूँजी टटोल लेनी चाहिए।

एतद्विषयक उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के निष्कर्ष को सूत्ररूप में निम्नलिखित प्रकार में रखा जा सकता है—

(क) मात्राएँ स्वतन्त्र स्वर वर्ण नहीं हैं, स्वर वर्णों के सङ्केतात्मक सूक्ष्म चिह्न हैं। (ख) मात्राएँ जिस वर्ण में लगती हैं, उसमें अपने से सम्बद्ध स्वर की

उपस्थिति का सङ्केत देती है। (ग) मात्राओं के प्रयोग की पद्धति साङ्केतिक है। (घ) मात्राओं के अपने स्थान का महत्त्व नहीं होता। (ङ) मात्रा का अपना स्थान, उससे सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति के स्थान का सूचक नहीं होता (च) मात्रा जिम वर्ण में लगती है, उससे सङ्केतित स्वर की उपस्थिति उसी वर्ण में होती है। (छ) विश्लेषण करने पर मात्रा द्वारा सङ्केतित स्वर सदा सम्बद्ध वर्ण के पश्चात् रखा जाता है, जैसे—चन्द्रिका = च् + अ + न् + द् + र् + इ + क + आ। (ज) वर्ण से अलग किये जाने पर मात्रा का अपना रूप लुप्त हो जाता है और उसमें सम्बद्ध स्वर उस वर्ण के पश्चात् प्रकट हो जाता है। (झ) सुविधा तथा स्पष्टता के लिए मात्राएँ वर्ण के चारों ओर पूर्व निश्चित स्थानों पर लगायी जाती हैं।

नागरी के मात्रा-विधान की उपर्युक्त विशिष्टताओं को समझ लेने के बाद कोई भी व्यक्ति 'इ' की मात्रा या किसी भी अन्य स्वर की मात्रा के प्रयोग की पद्धति को अवैज्ञानिक कहने की भूल नहीं कर सकता। मात्राओं की यह साङ्केतिक पद्धति देवनागरी के अक्षरात्मक स्वरूप की एक ऐसी विशेषता है, जो उसे सभार की अन्यान्य सभी लिपियों से अधिक विकसित, सन्तुलित एवं श्रेष्ठ प्रमाणित करती है।

(१५) 'अ' की बारहखड़ी की अवैज्ञानिकता

कुछ विद्वानों का ऐसा सोचना स्वाभाविक है कि जब अ में मात्रा लगाकर आ, ओ और औ बन सकते हैं तो फिर अि, अी, अु, अू, अे और अै भी क्यों नहीं बन सकते? किन्तु, विचार करने पर स्पष्ट होगा कि यह तर्क ऊपर से जितना निर्दोष प्रतीत होता है, उतना वास्तव में है नहीं। सच पूछा जाय तो आ, ओ और औ में भी केवल आ और औ अदोष हैं, अन्यथा ओ के लिए भी कोई स्वतन्त्र वर्ण ही होना चाहिए, और जैसा कि ओझा जी तथा अन्य विद्वानों ने लिखा है कि प्राचीन काल में ओ के लिए स्वतन्त्र वर्ण था भी, जो बाद में किसी अज्ञात कारण से लुप्त हो गया। पुराने हस्तलिखित ग्रन्थों में कहीं-कहीं ओ के लिए ओ रूप मिलता है, जो सन्धि-नियम की दृष्टि से शुद्ध भी है, किन्तु नागरी के आधुनिक रूप में प्रचलित ओ, किसी भी दृष्टि से शुद्ध और वैज्ञानिक नहीं है, यह बात नीचे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगी।

नागरी के निर्माताओं ने मात्रा-चिह्नों के लिए जो लक्षण और कार्य स्थिर किये थे, उन्हें ध्यान में रखने पर, अ में मात्रा लगाकर स्वरों का स्वरूप निर्मित

करने में उनके सम्मुख विश्लेषण की वैज्ञानिकता तथा सन्धि-नियमों के निर्वाह की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। उस निरूपण पर केवल आ और औ रूप ही शुद्ध ठहरते थे। इसलिए इन दोनों को तो इसी रूप में रखा गया, किन्तु ओप के लिए स्वतन्त्र वर्ण निर्मित किये गये। ओ के सम्बन्ध में हम पहले बता चुके हैं कि उसका प्राचीन शुद्ध रूप ओ था, जो बाद में वर्तमान अशुद्ध रूप ओ में, सम्भवतः ओ के साम्य पर परिवर्तित हो गया।

अब हम इस तथ्य पर विचार करें कि अ में मात्रा लगाकर अन्य स्वरवर्णों की रूप-रचना में कौन सी अशुद्धि बाधा बनती थी। यह हम पहले भी बता चुके हैं कि मात्राएँ स्वरवर्णों के सङ्केत-चिह्न हैं और ये चिह्न जिस किसी भी वर्ण में लगते हैं, उसमें अपने से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति सङ्केतित करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि ध्वनि-विश्लेषण के क्रम में मात्रा का अपना रूप नुप्त हो जाता है और उससे सम्बद्ध स्वरवर्ण, उस वर्ण के परे आ जाता है, जिसके साथ वह मात्रा जुड़ी रहती है, जैसे—चिन्तन = च् + इ + न् + त् + अ + न् + अ। यह वैज्ञानिकता की माँग है कि मात्रा के सम्बन्ध में इन नियमों का सर्वत्र पालन हो। इस दृष्टि से अ में मात्रा लगाकर स्वर-वर्णों के जो रूप निष्पन्न होते हैं, उनमें ने अधिकांश विश्लेषण को कसौटी पर सन्धि-नियमों की दृष्टि से अपेक्षित परिणाम नहीं उत्पन्न करने, जो निम्नलिखित विश्लेषण को ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट होगा—

आ — (अ + ा) = अ + आ = आ	दीर्घसन्धि
अि — (अ + ि) = अ + इ = अे	गुण " "
अी — (अ + ि) = अ + ई = अै	" " "
अु — (अ + ु) = अ + उ = अो	" " "
अू — (अ + ू) = अ + ऊ = अौ	" " "
अे — (अ + े) = अ + ए = अै	वृद्धि " "
अै — (अ + ै) = अ + ऐ = अै	" " "
अो — (अ + ो) = अ + ओ = औ	" " "
अौ — (अ + ौ) = अ + औ = औ	" " "

नागरी स्वरों के उपर्युक्त विश्लेषण में सन्धि-नियम की दृष्टि से केवल आ, अै और औ के न्त ही शुद्ध ठहरने हैं। ऐसी स्थिति में देवनागरी के निर्माताओं के लिए आ, अै और औ के अनिश्चित अन्य सभी स्वरों के लिए स्वतन्त्र वर्ण बनाना अनिवार्य था। उन्हींलिए उन्होंने प्रायः प्रत्येक के लिए स्वतन्त्र वर्ण की रचना की।

यदि अ मे मात्रा-प्रयोग के द्वारा सभी स्वरवर्णों का निर्माण वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध होता, तो वे निश्चय ही इतने अबोध नहीं थे कि वर्णमाला में अनावश्यक स्वतन्त्र वर्णों की जमघट लगाते। अ का रूप शुद्ध होते हुए भी सम्भवतः इसलिए नहीं स्वीकार किया गया कि वर्णानुक्रम में इसका स्थान ए के बाद पड़ता था, अतः इसके लिए वैकल्पिक रूप ऐ सम्भव था। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि नागरी में वर्तमान ओ के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरवर्णों के रूप वैज्ञानिक एवं अनिवार्य हैं।

(१५) ध्वनि-विश्लेषण की क्षमता

नागरी के मात्रा-चिह्नों के साङ्केतिक स्वरूप तथा उनकी कार्यगत विशेषताओं के सम्यक् ज्ञान के अभाव के कारण अनेक विख्यात भाषाशास्त्रियों ने भी इस पर यह भ्रामक आरोप लगाया है कि इसमें रोमन के समान ध्वनि-विश्लेषण की क्षमता नहीं है। एक विद्वान^१ ने इस आरोप को सिद्ध करने के लिए 'चन्द्रिका' शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया है—च् + अ + ि + न् + द् + र् + क् + आ। उन्हें नागरी के स्वरूप का इतना भी ज्ञान नहीं है कि इसमें विश्लेषण के क्रम में मात्रा-चिह्न का लोप हो जाता है और उससे सम्बद्ध स्वरवर्ण उस वर्ण या वर्ण-समूह के बाद प्रदर्शित होता है, जिसके साथ वह मात्रा जुड़ी रहती है, जैसे—चन्द्रिका = च् + अ + न् + द् + र् + इ + क् + आ। इसी तरह अनेक विद्वान यह नहीं जानते कि देवनागरी के मात्रा-चिह्न वर्ण नहीं हैं, अपितु स्वर वर्णों के ऐसे सङ्केत-सूचक चिह्न मात्र हैं, जो जिस वर्ण में जुड़ते हैं, उसी वर्ण में अपने से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति की सूचना देते हैं, न कि उस स्थान में, जहाँ वे स्वयं रहते हैं। यदि देवनागरी की मात्रा की इस साङ्केतिक कार्य-पद्धति का ज्ञान विद्वानों को रहता, तो वे कदापि इसकी विश्लेषण-क्षमता पर सन्देह नहीं करते। सच पूछा जाय तो नागरी लिपि विश्लेषण एवं सयोजन, दोनों ही दृष्टियों से, सप्तर की अद्वितीय लिपि है। इससे अधिक वैज्ञानिक विश्लेषण अन्य किसी भी लिपि में सम्भव नहीं। रोमन लिपि, जिसमें चन्द्रिका, चान्द्रिका, चान्द्रिक तथा चन्द्रिक इन चारों में कोई भिन्नता नहीं प्रदर्शित की जा सकती तथा सबको एक ही प्रकार से CHANDRIKA लिखा जाता है, तथा जिसमें वर्नीड शॉ के अनुसार फिश (FISH) और घोट्टी (GHOTI) दोनों के समान उच्चारण सम्भव है, उससे देवनागरी जैसी वैज्ञानिक लिपि को किसी भी दृष्टि से हीन बताना अपने ही अज्ञान का प्रदर्शन करना है।

(१७) लेखन में हाथ उठाने की बाधिता

संसार में ऐसी कोई भी लिपि नहीं, जिसमें लिखते समय हाथ न उठाना पड़ता हो। रोमन में भी टी (t) को काटने के लिए, आइ (i) पर बिन्दु देने के लिए तथा अनेक विराम-चिह्नों आदि के प्रयोग के लिए बार-बार हाथ उठाना ही पड़ता है। फिर इसे देवनागरी का ही दोष कैसे कहा जा सकता है? जहाँ तक हाथ उठाने के कारण लिखने में मन्दता का प्रश्न है, यह तर्क नितान्त भ्रममूलक है। लिपि में बाधा या मन्दता हाथ उठाने से नहीं आती। उर्दू में नुक्तों की अधिकता के कारण जितनी बार हाथ उठाना पड़ता है, उतनी बार गायद ही किसी लिपि में उठाना पड़ता हो। किन्तु लिखने वाले उसमें भी बिल्कुल आशुलिपि के समान द्रुतगति से लिखते हैं। अतः देवनागरी के विरुद्ध यह आरोप निराधार है कि उसमें अधिक बार हाथ उठाने से लिखने की त्वरा में कमी आती है।

(१८) वर्ण की अपर्याप्तता

यह किसी भी लिपि के लिए सम्भव नहीं है कि उसमें संसार की सभी भाषाओं की ध्वनियों के लिए स्वतन्त्र वर्ण हो। किसी लिपि का सम्बन्ध जिस भाषा में होता है, उसमें उन्हीं की ध्वनियों के सूचक वर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देवनागरी में हिन्दीतर भाषाओं की कतिपय ध्वनियों के लिए वर्ण नहीं हैं, तो यह इनका दोष नहीं माना जा सकता। जैसे-जैसे इसका सम्बन्ध अन्य भाषाओं से बढ़ता जायगा, वैसे-वैसे इसमें आवश्यकतानुसार नयी ध्वनियों के लिए वर्ण भी बढ़ते जायेंगे। अभी भी संसार की जितनी ध्वन्यात्मक लिपियाँ हैं, उनमें सबसे अधिक ध्वनियों के लिए वर्ण देवनागरी में ही हैं।

(१९) प्राविधिक उपयोग की योग्यता

यह कहना कि नागरी का स्वरूप 'कोडवर्ड्स' (सङ्केत शब्द), शॉर्ट हैण्ड (शीघ्रलिपि), मोर्सकोड (तार) तथा टेलीप्रिण्टर (दूरालेखन) आदि प्राविधिक उपयोगों के अनुकूल नहीं है, तर्क नहीं, कुतर्क है। वर्तमान दशाब्दी में आकर तो इन आरोपों की व्यर्थता स्वतः प्रमाणित हो गयी है, जबकि देवनागरी के इन या ऐसे अधिकांश अभावों की पूर्ति हो चुकी है और दोष की भी होने ही वाली है।

(२०) स्थान, श्रम एव समय का व्यय

मागरी के विपक्ष में ऐसा मानने का कोई भी सैद्धान्तिक या व्यावहारिक कारण नहीं है कि इसके मुद्रण में रोमन की अपेक्षा अधिक स्थान, श्रम एवं समय का व्यय होता है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि देवनागरी में तिमञ्जला सङ्ग्रथन करना पड़ता है—अर्थात् एक पक्ति छापने के लिए तीन पक्तियाँ सङ्ग्रथित करनी पड़ती हैं, मध्य की पक्ति मुख्य रूप से वर्ण के लिए और ऊपर-नीचे की मात्राओं के लिए। इस कारण इसमें अधिक स्थान, श्रम और समय का व्यय लगता है। यह आरोप लगाने वाले प्रायः यह भूल जाते हैं कि देवनागरी में यदि मात्राओं के कारण ऊपर-नीचे का स्थान घिरता है, तो रोमन में मात्राओं के लिए प्रयुक्त होने वाले स्वरवर्णों के लिए आग्ने-सामने का। देवनागरी में जितना एक वर्ण के स्थान में लिखा जाता है, उतने के लिए रोमन में कभी-कभी सात वर्णों का स्थान लगता है, जैसे—ग्रू—THROUGH आदि। ऐसे भी सामान्यतः रोमन में देवनागरी से अधिक स्थान लगता है, जैसे—नॉलेज—KNOWLEDGE, क्यू—QUEUE आदि। इस प्रकार देवनागरी में यदि मात्राओं के कारण कुछ अधिक स्थान लगता भी है, तो वर्ण-संयोजन की पद्धति तथा एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होने के कारण बहुत अधिक स्थान की वचत भी होती है। सब मिलाकर देवनागरी में रोमन से अधिक स्थान लगने की बात व्यर्थ प्रमाणित होती है। जहाँ तक श्रम और समय का प्रश्न है, कुछ लोग देवनागरी के वर्णाधिक्य, मात्रा-चिह्न तथा संयोजन-पद्धति के कारण सङ्ग्रथन में अधिक श्रम की कल्पना करते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि रोमन में बड़े-छोटे (कैपिटल और स्मॉल) वर्णों को मिलाकर उनकी अनिवार्य संख्या ५२ होती है। तब इतना सही है कि देवनागरी में मुद्राओं (टाइपो) की संख्या रोमन से अधिक लगती है, किन्तु यह इसकी उस पूर्ण वैज्ञानिकता की माँग है, जो रोमन में कभी आ ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त यह मानने को कोई भी प्रकाशक या प्रेस-मालिक प्रस्तुत नहीं हो सकता कि रोमन की पुस्तकों से देवनागरी की पुस्तकों की छपाई में अधिक व्यय लगता है, यो विपक्षी चाहे जो कहे।

(२१) त्वरापूर्ण टङ्कन-यन्त्र का अभाव

मागरी में यदि रोमन के समान त्वरा वाले टङ्कन-यन्त्र का अभाव है, तो वह इसलिए नहीं कि देवनागरी का स्वरूप उसके प्रतिकूल है, बल्कि इसलिए कि इसके अनुरूप मुद्रीपटल वाले टङ्कन-यन्त्र के निर्माण का पहले कभी प्रयास नहीं किया

गया । आज तक प्राविधिक दृष्टि से देवनागरी की जो भी उपलब्धियाँ हैं, वे सब गैर सरकारी सस्थाओं और व्यक्तियों के प्रयास के फलस्वरूप ही ।^१ अतः सरकार और देवनागरी-विपक्षियों के दोष को देवनागरी का दोष मानना कथमपि उचित नहीं है ।



नागरी-प्रचार-प्रसार-आन्दोलन

रोमन लिपि के समर्थकों के द्वारा प्रचारित नागरी-विरोधी आन्दोलन की प्रतिक्रिया ने देश में दो और अन्य प्रकार के आन्दोलनों को जन्म दिया, जिनमें से एक था 'नागरी-प्रचार-प्रसार-आन्दोलन' और दूसरा था 'नागरी-सुधार-आन्दोलन'। आगे चलकर इनमें से प्रथम का परिणाम नागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा के उत्थान की दृष्टि से जितना ही अधिक साधक और हितकर प्रमाणित हुआ, दूसरे का उतना ही अधिक बाधक और अहितकर। इस कथन की सत्यता आगे के विवेचन से स्वतः स्पष्ट तथा प्रमाणित हो जायगी। इस अध्याय में 'नागरी-प्रचार-प्रसार-आन्दोलन' का मात्र सक्षिप्त परिचय देना ही मेरा अभीष्ट है। 'नागरी-सुधार-आन्दोलन' का विवेचन आगे के अध्याय में किया जायगा।

भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि के प्रयोग का प्रस्ताव उस समय लोगों के सम्मुख आया, जबकि सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय जागरण की लहर व्याप्त हो चुकी थी। इस कारण मुट्ठी भर स्वार्थी एवं सङ्कीर्ण प्रान्तीयतावादी मनोवृत्ति वाले रोमन-समर्थक भारतीयों के अतिरिक्त प्रायः सबने उस प्रस्ताव का विरोध किया। उस समय कुछ दूरदर्शी महापुरुषों ने किसी एक समर्थ भारतीय भाषा तथा लिपि के सूत्र में समस्त भारतीय प्रान्तों को निबद्ध कर राष्ट्र की भावात्मक तथा सांस्कृतिक एकता की नींव को मुदृढ करने की लोक-हितकारी योजना बनायी। इस कार्य के लिए, बहुत चिन्तन-मनन के पश्चात्, उन लोगों ने अन्त में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि को ही योग्य ठहराया। इसके बाद हिन्दी तथा अहिन्दी, दोनों तरह के प्रान्तों ने उन राष्ट्रप्रेमी पुरुषार्थियों ने हिन्दी और नागरी का पक्ष लेकर रोमन के विरुद्ध इसके व्यापक प्रचार एवं प्रसार का प्रयत्न प्रारम्भ किया।

अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में नागरी लिपि के प्रचार का प्रयत्न दो रूपों में हुआ, एक तो हिन्दी के प्रचार के माध्यम से हिन्दी की अपनी लिपि के रूप में और दूसरे हिन्दीतर भाषाओं के लिए प्रस्तावित सार्वदेशिक लिपि के रूप में।

हिन्दी प्रचार के माध्यम से नागरी के प्रचार का प्रयत्न करने वाले प्रारम्भिक महापुरुषों में सम्भवतः सबसे पहला नाम बङ्गाल के राजा राममोहन राय का आता है। उन्होंने १८२६ ई० में ही अपने पत्र 'बङ्गदूत' में, जो हिन्दी, अँगरेजी, बँगला और फ़ारसी लिपियों में छपता था, स्वयं हिन्दी में लिखना तथा दूसरों को हिन्दी में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना प्रारम्भ कर दिया था। दूसरे महापुरुष महर्षि दयानन्द सरस्वती थे, जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, किन्तु उन्होंने अपना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि में लिखकर प्रकाशित कराया। इन महापुरुषों ने आज से सैंकड़ों वर्ष पूर्व हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि को, भारत की राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार कर, आशुतोष हिमाचल उसके प्रचार एवं प्रसार का प्रयत्न किया था। इनके पञ्चानु केसवचन्द्र सेन, भूदेव मुखर्जी, महात्मा हसराम, स्वामी श्रद्धानन्द, लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक, महामना प० मदनमोहन मालवीय, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, महात्मा गाँधी, काका कालेलकर, पुरुषोत्तमदास टण्डन, विनोबा भावे आदि सैंकड़ों राष्ट्रहितैषियों ने देश की राजनैतिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक एकता के लिए हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि को सम्पूर्ण देश के लिए अनिवार्य घोषित किया तथा उसके अन्तरप्रान्तीय प्रचार एवं प्रसार का प्रयत्न किया।

भारत की समस्त हिन्दीतर भाषाओं के लिए नागरी लिपि के प्रयोग का प्रस्ताव रखने वाले उदारचेता राष्ट्रप्रेमियों में कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश श्री शारदाचरण मित्र का नाम, देवनागरी-प्रचार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अङ्कित होने योग्य है। उन्होंने १९०५ ई० में ही अपने अकाट्य तर्कों से देशवासियों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया था कि "अब भारत में एक लिपि के व्यवहार एवं उनके आवेतु हिमाचल प्रसार का समय आ गया है और वह लिपि देवनागरी के अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं हो सकती।" उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु लद्दा, ब्रह्मदेश, चीन, जापान, जावा सुमात्रा आदि देशों एवं द्वीपों में भी देवनागरी लिपि के प्रचार का प्रस्ताव रखा था तथा उसको कार्यरूप में परिणत करने की योजना भी बनायी थी।

१९०५ ई० मे ना० प्र० स० काशी के द्वारा आयोजित एक परिपद् मे भाषण देते हुए लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक ने कहा था कि "कुछ लोगो ने यह सुझाया है कि हम सब रोमन लिपि अपना लें। सज्जनो ! मेरी दृष्टि मे यह सुझाव गेखचिल्ली का सा है। रोमन वर्णमाला और रोमन लिपि अत्यन्त दोषपूर्ण है और जिन ध्वनियो का हम प्रयोग कर सकते हैं, उन्हे लिखने मे नितान्त असमर्थ है।" ' उन्होने देवनागरी-प्रचार के आन्दोलन को राष्ट्रीय आन्दोलन की सज्ञा देते हुए कहा था कि "यह आन्दोलन उत्तर भारत मे केवल एक सर्वसामान्य लिपि के प्रचार के लिए नही है, यह तो उस बृहत्तर आन्दोलन का एक अङ्ग है, जिसे मैं राष्ट्रीय आन्दोलन कहूँगा।"२ "यदि भारत मे सभी आर्य एव अनार्य परिवार की भाषाओ के लिए एक लिपि हो, तो भारतीय जनता की एकता और ज्ञान का अन्तरप्रान्तीय आदान-प्रदान सुगम हो जायगा। देवनागरी लिपि के द्वारा मराठी की तरह गुजराती, बङ्गाली आदि भाषाएँ लिखना सम्भव होगा, तो देश के विषय का बहुत कार्य सुलभ हो जायगा।"३

भारत के लिए एकमात्र सर्वमान्य लिपि के रूप मे नागरी के प्रस्तावको एव प्रचारको मे महात्मा गाँधी का अत्यन्त विशिष्ट स्थान है। वे सभी दृष्टियो से आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ कर्णधार तथा महानतम प्रभावशाली नेता थे, इस कारण उनके विचारो का महत्त्व किसी भी क्षेत्र मे सर्वोपरि होता था। प्रारम्भ मे कुछ विशेष कारणो से, वे देवनागरी के साथ उर्दू लिपि के प्रचार को भी अनिवार्य मानते थे, जैसा कि १९१७ ई० मे भडौँच मे हुए 'गुजरात शिक्षा परिपद्' के अधिवेशन तथा १९१८ ई० मे इन्दौर मे हुए 'साहित्य सम्मेलन' के अधिवेशन के उनके भाषणो से स्पष्ट होता है। किन्तु, उनका यह दृढ विश्वास था कि उर्दू या ससार की कोई भी अन्य लिपि नागरी के सम्मुख भारत मे अधिक समय तक टिक नही सकती। इसी विश्वास के बल पर उन्होने इन्दौर के 'साहित्य सम्मेलन' के अधिवेशन मे कहा था कि "मुसलमान भाई उर्दू मे ही लिखेंगे। हिन्दू बहुत करके नागरी लिपि मे लिखेंगे। राष्ट्र मे दोनो लिपियो को स्थान मिलना चाहिए। उसमे कुछ कठिनाई नही है। अन्त मे जिस लिपि मे ज्यादा सरलता होगी, उसकी विजय होगी।" २१-७-१९२७ ई० के 'नवजीवन' मे उन्होने लिखा था कि "सचमुच मेरा यह दृढ विश्वास है कि भारत की तमाम भाषाओ के लिए

१ दे० लि० स० वि० स०—पृ० २०।

२ उपरिवत्, पृ० १९।

३. न० चि० के०, तिलक चरित्र, पृ० ४४, १।

एक ही लिपि का होना फायदेमन्द है और वह लिपि देवनागरी ही हो सकती है ।” रोमन का विरोध करते हुए ३-४-१९३७ ई० के ‘हरिजन सेवक’ में उन्होंने लिखा था कि “कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम भी यूरोप की रोमन लिपि को ग्रहण कर लें । लेकिन फिर वाद-विवाद के बाद यह विचार बन चुका है कि हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है और कोई नहीं । उर्दू को उसका प्रतिस्पर्धी बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्दू या रोमन किसी में भी वैसी सम्पूर्णता या ध्वन्यात्मकता नहीं है, जैसी देवनागरी में है ।” ३-७-१९३७ ई० के ‘हरिजन सेवक’ में स्पष्ट शब्दों में उन्होंने यह घोषणा की कि “रोमन लिपि न तो हिन्दुस्तान की सामान्य लिपि हो सकती है और न होनी चाहिए ।” इसी प्रकार जब असम में कुछ जातियों को देवनागरी की जगह रोमन में शिक्षा देने की आयोजना बनी, तो गाँधी जी ने १८-२-१९३९ ई० के ‘हरिजन सेवक’ में लिखा कि “मुझे मालूम हुआ है कि असम में कुछ जातियों को देवनागरी लिपि की जगह रोमन लिपि में लिखना-पढ़ना सिखाया जा रहा है । मैं अपनी राय जाहिर कर ही चुका हूँ कि अगर हिन्दुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली कोई लिपि है तो वह देवनागरी ही, भले ही उसमें मुधार की गु जाड़ग हो या न हो । शुद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जबतक मुसलमान भाई अपनी राजी से देवनागरी लिपि की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते, तबतक उर्दू या फारसी लिपि जल्द जारी रहेगी । इन दो लिपियों के साथ रोमन का मेल नहीं बैठता । रोमन के समर्थक तो इन दोनों को रद्द कर देने की राय देंगे, किन्तु विज्ञान तथा भावना दोनों दृष्टियों में रोमन लिपि नहीं चल सकती ।” इसी प्रकार १९४२ ई० में ‘हिन्दू विश्वविद्यालय’ काशी के दीक्षान्त भाषण में जापानियों का दृष्टान्त देते हुए उन्होंने कहा था कि “जापानी लिपि बहुत कठिन है, फिर भी जापानियों ने रोमन लिपि को कभी नहीं अपनाया । उनकी सारी तालीम जापानी लिपि और जापानी ज़बान में दी जाती है ।”

शारदाचरण मित्र एवं गाँधी जी के समान ही देश के जिन अन्य सैकड़ों विद्वानों ने नागरी को भारत की एकमात्र सर्वमान्य लिपि के रूप में प्रचारित एवं प्रसारित करने का यत्न किया, उनके नाम कभी भुलाये नहीं जा सकते ।

हिन्दी के साथ नागरी के अन्तरप्रान्तीय प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विद्वानों के द्वारा देश में अनेक मस्थाओं की स्थापना हुई, अनेक समितियाँ बनी तथा अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया । मस्थाओं में काशी की ‘नागरी

प्रचारिणी सभा' सम्भवत सर्वाधिक प्राचीन है, जिसकी सस्थापना जुलाई, १८९३ ई० में हुई थी। इसका सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य देवनागरी लिपि का प्रचार करना ही था, जो इसके नाम से स्वतः स्पष्ट है। इसके पश्चात् १० अक्टूबर, १९१० ई० में 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' प्रयाग की, १९१८ ई० में 'हिन्दी-प्रचार-सभा', मद्रास की, १९३६ ई० में 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति', वर्धा की तथा इसी प्रकार की अनेक छोटी-बड़ी सस्थाओं की, सारे देश में स्थापना होती रही, जिनके द्वारा हिन्दी के साथ-साथ नागरी लिपि के व्यापक प्रचार को समुचित प्रोत्साहन एवं गति मिली।

हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रचार की दृष्टि से यो तो सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएँ निकली, किन्तु, हिन्दीतर भाषाओं की लिपि के रूप में देवनागरी को प्रस्तावित एवं प्रचारित करने वाली पत्र-पत्रिकाओं में श्री शारदाचरण मित्र की 'देवनागर' नामक मासिक पत्रिका का स्थान सर्वोपरि है। १९०७ ई० में श्री शारदाचरण मित्र ने इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया था। इसमें भिन्न-भिन्न भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि में छपा करते थे। उन्हीं की देखादेखी कलकत्ते के प्रसिद्ध अँगरेजी मासिक 'मॉडर्न रिव्यू' और बँगला 'प्रवामी' के यगस्वी सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी ने भी 'चतुर्भाषी' नामक एक पत्र निकाला था, जिसमें हिन्दी, गुजराती, मराठी और बँगला, इन चारों भाषाओं के लेख देवनागरी में प्रकाशित होते थे। दुर्भाग्य से ये पत्र-पत्रिकाएँ अकाल में ही कालकवलित हो गयीं। देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् १९५३ ई० में राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के सरक्षकत्व में अस्तित्व में 'देवनागर' का त्रैमासिक पत्रिका के रूप में पुनः प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, किन्तु वह अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। इन पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त ऐसी और भी सैकड़ों पत्र-पत्रिकाओं ने देवनागरी के प्रचार-कार्य को आगे बढ़ाया, जिन सब का विवरण स्वतन्त्र शोध का विषय है।

इस प्रकार रोमन लिपि की चञ्चल से भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए तथा भारत की राष्ट्रीय, राजनैतिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक एकता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए देश के प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के द्वारा नागरी लिपि के प्रचार एवं प्रसार का पवित्र अनुष्ठान प्रारम्भ किया गया। आज उसी का फल है कि नागरी भारतीय सविधान में राष्ट्र लिपि के पद पर आसीन है तथा देश के कोने-कोने में वह व्याप्त है। फिर भी उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति अभी नहीं हो पायी है। यह देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी कुछ रोमन-समर्थक यहाँ बचे हुए हैं, जो अनेक कारणों से, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, नागरी का विरोध अपना परम कर्तव्य समझते हैं, किन्तु भविष्य में उनकी पराजय निश्चित है।

अध्याय

: १० .

नागरी-सुधार-आन्दोलन

यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि रोमन लिपि के समर्थको द्वारा नागरी पर आरोपित अधिकांश आक्षेप निराधार और भ्रामक थे, किन्तु वे इतनी बार और इतने प्रकार से दुहराये गये थे कि अनेक नागरी-समर्थको ने भी, बिना नाम्भीरनापूर्वक विचार किये ही, उन्हें सत्य मान लिया तथा नागरी को उन मिथ्या कल्पित त्रुटियों और दोषों से गीघ्र मुक्त करने को आतुरतापूर्वक प्रयत्नशील हो उठे। इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश में नागरी-सुधार-आन्दोलन की एक हवा सी बह गयी।

किन्तु, नागरी-सुधार-आन्दोलन के मूल में केवल उपर्युक्त कारण को ही मान लेना समीचीन नहीं होगा। निश्चय ही उसके मूल में कतिपय अन्य गौण स्थितियाँ भी थीं। उदाहरणार्थ, जब नागरी में लिखित हिन्दी, भारत की राजभाषा घोषित की गयी और तदनु रूप उत्तर प्रदेश, विहार, पञ्जाब, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की प्रादेशिक सरकारों ने इसे गीघ्रातिगीघ्र शासन-व्यवस्था में व्यवहृत करने का निर्णय लिया, तब यह आवश्यक हो गया कि परिवर्तित परिस्थितियों तथा यान्त्रिक साधनों के अनुकूल इन लिपि में कुछ ऐसे सुधार किये जायँ, जिससे यह अपनी प्राचीनता, सरलता, सुन्दरता तथा वैज्ञानिकता का निर्वाह करते हुए कतिपय नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी समर्थ हो सके।

यदि सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया जाय, तो पता चलेगा कि नागरी लिपि में सुधार की जो प्रारम्भिक आवश्यकताएँ उभरी, वे अँगरेजी के टङ्कन-यन्त्र के अनुकूल नागरी को बनाने के प्रयास के कारण। सुधार की अधिकांश योजनाएँ अपने मूल रूप में टङ्कन-यन्त्र में सम्बद्ध हैं और सुधारकों में प्रायः अधिकांश ने यही प्रयोग किया कि टङ्कन-यन्त्र के अनुकूल लिपि में कैसे परिवर्तन लाये जायँ। होना यह

चाहिए था कि नागरी के अनुकूल टङ्कन-यन्त्र बनते, जबकि प्रयास टङ्कन-यन्त्र के अनुकूल नागरी लिपि में सुधार लाने का हुआ ।

इससे स्पष्ट है कि यह आन्दोलन बहुलाश में उचित तथा सुविचारित नहीं था; क्योंकि इसमें गम्भीर वैज्ञानिक दृष्टि तथा दूरदर्शिता का नितान्त अभाव था । इस आधार पर इसे आवेगमूलक प्रतिक्रियावादी आन्दोलन कहना अनुचित या असङ्गत नहीं माना जायगा । अपने आधारभूत दोषों के कारण ही यह आन्दोलन अन्त में असफल प्रमाणित हुआ, किन्तु इसके दुष्परिणामों से नागरी वञ्चित नहीं रह सकी । आज भिन्न-भिन्न प्रान्तों की विभिन्न साहित्यिक सस्थाओं तथा व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित शताधिक पुस्तकों में पायी जाने वाली नागरी के स्वरूप की अनेकरूपता हमारी उपर्युक्त स्थापना का प्रत्यक्ष प्रमाण है । नागरी के स्वरूप की यह अनेकरूपता, सम्भव है कि भविष्य में इसे कई शाखाओं में विभक्त कर दे और फिर उनसे कई नयी-नयी लिपियाँ उत्पन्न हो जायँ, किन्तु उससे नागरी की अपनी ही शक्ति क्षीण होती जायगी । अगर कहीं ऐसा हुआ, तो भविष्य में उसका समस्त दोष देवनागरी लिपि के इन सुधारकों के मथे ही मढ़ा जायगा ।

हमारे उपर्युक्त आक्षेप का आशय यह कदापि नहीं है कि नागरी लिपि सर्वथा निर्दोष है और उसमें किसी प्रकार के परिष्करण या परिवर्धन की सम्भावना ही नहीं सकती । हमारा मन्तव्य यह भी नहीं है कि नागरी-सुधार से सम्बन्ध रखने वाले सबके सब विद्वान अनधिकारी और अयोग्य थे या कि उनके हृदय में देवनागरी के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था या नहीं है । हमारा निवेदन मात्र इतना है कि देवनागरी के स्वरूप में सुधार की योजना बनाते समय तथा विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव रखते समय विद्वानों ने अपेक्षित मात्रा में गम्भीरता, वैज्ञानिक दृष्टि तथा चिन्तन-मनन से काम नहीं लिया और न ही उससे होने वाले परिणामों पर ही ध्यान दिया । इस कार्य में जो अतिरिक्त शीघ्रता बरती गयी, वह उचित नहीं थी ।

जहाँ तक नागरी के स्वरूपगत दोषों का प्रश्न है, यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि इसमें 'ओ' स्वर और 'ख' व्यञ्जन के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे अवैज्ञानिक और निवार्य कहा जा सके । किन्तु, दुर्भाग्य से इन सुधारकों में कई ऐसे व्यक्ति भी थे, जो न तो नागरी के इतिहास एवं परम्परा से परिचित थे और न वर्णात्मक तथा अक्षरात्मक लिपि के अन्तर को ही जानते थे ।^१ फलतः

लोगों ने रोमन-समर्थकों द्वारा आरोपित निराधार कल्पित दोषों को भी सत्य समझ लिया। हाँ, प्राविधिक दृष्टि से निश्चय ही रोमन के समान देवनागरी में टक्कन, मुद्रण, दूरालेखन (टेलीप्रिण्टर), तार (मोर्सकोड) आदि की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। किन्तु यह दोष देवनागरी का नहीं, अपितु सरकार और लोगों की उपेक्षानीति का था। इसके लिए आवश्यकता थी नागरी लिपि के लिए अनुकूल यन्त्र-निर्माण तथा निर्मित यन्त्रों में मुद्रार के आन्दोलन की, न कि नागरी लिपि में मुद्रार की। किन्तु, उम समय यह छोटी सी बात भी लोगों की समझ में नहीं आयी और वे वस्त्र को शरीर के अनुरूप बनाने के बदले शरीर को ही वस्त्र के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करने लगे। इसका परिणाम वही हुआ जो इस स्थिति में प्रायः हुआ करता है, अर्थात् शरीर तो वस्त्र के अनुकूल नहीं ही बन सका, हाँ काट-छाँट के प्रयत्न में वह बहुत-कुछ विकलाङ्ग और विकृत अवश्य हो गया, जिसे उस रूप में पहचानने में सामान्य जनवर्ग ने अस्वीकार कर दिया। सारे सुधार प्रस्तावकों के ग्रन्थों तक ही सीमित रहे, अन्यत्र नागरी अपने पूर्व निश्चित रूप में ही चलती रही।

उपर्युक्त स्थिति का सङ्केत देते हुए डॉ० उदयनारायण तिवारी ने लिखा है कि नागरी लिपि के सुधार का कार्य यहाँ उस समय प्रारम्भ हुआ था, जब देश परतन्त्र था और जब राज-कार्य में न तो नागरी का व्यवहार आवश्यक था और न वह राष्ट्रलिपि के रूप में ही स्वीकृत थी। उस समय चारों ओर यह आवाज सुनाई पड़ती थी कि नागरी, टाइपराइटर के लिए अयोग्य है, इसके लिखने में गति नहीं है और इमकी छपाई में भी गिथिलता है। इवर सविधान द्वारा नागरी के राष्ट्रलिपि घोषित होते ही विना किसी प्रकार के सुधार के ही इसमें टेलीप्रिण्टर तथा मोर्सकोड का आविष्कार हो गया और कई ऐसे टाइपराइटर भी बन गये, जिन्हें पर्याप्त मुद्रार हुआ और सफल कहा जा सकता है।^१ इससे स्पष्ट है कि नागरी का स्वरूप इन यन्त्रों के प्रतिकूल नहीं, स्थितियाँ प्रतिकूल थी।

नागरी लिपि के सुधार सम्बन्धी प्रमुख प्रस्ताव

नागरी लिपि में मुद्रार के लिए विभिन्न सस्थाओं, समितियों तथा व्यक्तियों के द्वारा प्रारम्भ से अद्यावधि सुधार सम्बन्धी जितने और जो-जो प्रस्ताव उपस्थित किये गये, उनका विस्तृत विवेचन नहीं करके, केवल मञ्जूर में मक्का उल्लेख मात्र कर देना ही यहाँ मेरा अभी-ट है।

^१ भा० २० ना० ति०, हि० भा० २० डि०, पृ० ५८०।

नागरी के स्वरूप में सुधार का प्रस्ताव रखने वाली में महाराष्ट्र के सावरकर बन्धुओं के नाम सम्भवतः सर्वप्रथम आते हैं।^१ उनलोगों ने १९३५ ई० के पूर्व ही देवनागरी के विभिन्न स्वरों के स्थान पर स्वर की बारहखड़ी (अ, आ, इ, ई, ए, ओ, औ, ए, ओ, आदि) को प्रचलित करने का प्रस्ताव देश के सम्मुख रक्खा था, जिसे मराठी समाचारपत्रों में पहले-पहल व्यावहारिक रूप मिला था। बाद में अनेक समितियों तथा व्यक्तियों के द्वारा भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग का २४ वाँ अधिवेशन महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में इन्दौर में हुआ था। उस अधिवेशन में गाँधी जी की प्रेरणा से, काका कालेलकर के सयोजन में, एक देवनागरी लिपि-सुधार-उपसमिति सङ्गठित हुई थी, जिसमें सदस्य के रूप में गाँरीशङ्कर हीराचन्द्र ओझा, ए० सी० ब्रुलनर, सुनीति-कुमार चटर्जी, बाबूराम सक्सेना, श्री हरिजी गोविल, श्री पिशरोटी, किशोरीलाल मशरवाला तथा शङ्कर रामचन्द्र दान्ते मनोनीत हुए थे। इस समिति की बैठकें कई वर्षों तक चली थीं। कई बैठकों में विशेष आमन्त्रित विद्वानों के रूप में श्री लक्ष्मण-स्वरूप, श्री रघुवीर, मुकुन्ददास गुप्त, केदारनाथ, पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री रणजीत, सीताराम पण्डित तथा यशवन्तराव दान्ते भी सम्मिलित हुए थे।^२

इस समिति के समक्ष देवनागरी लिपि-सुधार के ६ मूलभूत सिद्धान्त थे—
(१) लेखन, मुद्रण तथा टङ्कन में सर्वत्र लिपि का एक रूप हो, (२) प्रस्तावित लिपि वर्तमान लिपि से अधिक भिन्न नहीं हो, (३) लिपि के वैज्ञानिक स्वरूप में परिवर्तन न किया जाय, (४) प्रत्येक स्वर के लिए एक ही चिह्न हो, (५) प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतन्त्र वर्ग हो तथा (६) एक ध्वनि के लिए दो चिह्न नहीं हो।^३

कई वर्षों के निरन्तर उद्योग के पश्चात् इस समिति ने ५ अक्टूबर, १९४१ ई० की बैठक में^४ निम्नलिखित १४ प्रस्ताव पारित किये :—

(१) लेखन में शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। मुद्रण में शिरोरेखा का प्रयोग रहे, किन्तु छोटे अक्षरों में जहाँ शिरोरेखा के प्रयोग से छपाई में अस्पष्टता आती हो, वहाँ शिरोरेखा का प्रयोग नहीं भी हो सकता है।

१. डॉ० उ० ना० ति०, हि० भा० उ० वि०, पृ० ५८०।

२. का० श०, हि० स०, पृ० ४८।

३. दे० लि० सत्र० वि० स०, पृ० ३४७।

४. उपरिक्त।

(२) प्रत्येक वर्ण ध्वनि के उच्चारण-क्रमानुसार लिखा जाय ।

(क) जबतक कोई सन्तोपजनक रूप सामने नहीं आता, तब तक 'ड' की मात्रा (f) वर्तमान पद्धति से ही लिखी जाय, यथा—शिर ।

(ख) ए, ऐ, ओ और औ की मात्राएँ वर्ण के ठीक ऊपर न लगाकर, दाहिनी ओर जरा हटाकर, वर्तमान पद्धति के अनुसार ऊपर लगायी जायँ, जैसे—देवता, दैवता, दैवत, अलिा, औरत ।

(ग) उ, ऊ, तथा ऋ की मात्राएँ अक्षर के बाद आयँ और पक्ति में ही लिखी जायँ, यथा—कुटिल, पूजा, सृष्टि ।

(घ) अनुस्वार और अनुनासिक के चिह्न भी अक्षर के बाद ऊपर लिखे जायँ, यथा—अ श ।

(ङ) रेफ में व्यञ्जन होनेवाला अर्द्ध 'र' उच्चारण-क्रम से योग्य जगह पर लिखा जाय, यथा—वर्म ।

(च) मयुक्ताक्षर में द्वितीय 'र' सामान्य रूप से लिखा जाय, जैसे—प्र, तर ।

(छ) सयुक्ताक्षर में भी, सर्वत्र, वर्ण उच्चारण-क्रम से एक के पीछे एक लिखे जायँ, यथा—द्वारका (द्वारका नहीं), विद्वत्ता (विद्वत्ता नहीं) ।

(३) स्वरो और मात्राओं में समानता तथा सामञ्जस्य करने के लिए इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए और ऐ के वर्तमान रूप को छोड़कर केवल 'अ' में ही इन स्वरो की मात्राएँ लगाकर इन स्वरो के मूल स्वरूप का बोध कराया जाय अर्थात् अ की चारहखड़ी की जाय, यथा—अ, आ, अि, औ, अु, अृ, अृ, अे, अै, ओ, औ, अ, अः ।

(४) दक्षिण की लिपियों के स्वरो में ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ के स्वरूप आते हैं । उनके लिए मात्रा इस प्रकार लगायी जाय, यथा—अँ, औँ ।

(५) पूर्ण अनुस्वार के स्थान पर '०' लगाया जाय और अनुनासिक के लिए केवल विन्दी ' ' लिखी जाय, यथा सि०ह, चाद । व्यञ्जन के पूर्व हलन्त 'ह्र, ज्ञ, ण, न्, म्' की जगह पर, जहाँ प्रतिकूलता न हो (यथा वाङ्मय, तन्मय), अनुस्वार लिखा जाय, यथा—च०चल, प०थ, प०प आदि ।

(६) मुद्रण में, अक्षरों के नीचे बायी ओर यदि अनुकूल स्थान पर विन्दी लगायी जाय तो उसका अभिप्राय होगा कि उस अक्षर की ध्वनि, उस अक्षर की मूल ध्वनि में भिन्न है । उस ध्वनि का निर्णय प्रचलन के अनुसार होगा, यथा—फारमी क, ख, ग, ज और फ, मराठी च, सिन्धी ज आदि ।

(७) विराम-चिह्न, आजकल सब भारतीय भाषाओं में जैसे प्रचलित हैं, वैसे ही कायम रखे जायँ । पूर्ण विराम का चिह्न पाई '।' रहे ।

(८) अङ्कों के स्वरूप इस प्रकार रहे—१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ० ।

(९) वर्तमान ख के स्वरूप में परिवर्तन करना आवश्यक है । उसके स्थान पर गुजराती 'प्प' स्वीकार किया जाय ।

(१०) अ, झ, ण की जगह बम्बई के अ, झ, ण रखे जायँ और ल, श की जगह हिन्दी के रूप ल, श रखे जायँ । क्ष का क्प रूप प्रचलित किया जाय । बीजगणित आदि वैज्ञानिक साहित्य में सज्ञा-रूप में क्ष आ सकता है ।

(११) मराठी, गुजराती, कन्नड, तेलुगू आदि भाषाओं में विशिष्ट ध्वनि के लिए जो ङ अक्षर प्रयुक्त होता है, वही रखा जाय । उसे ड या ल से व्यक्त न किया जाय ।

(१२) ज्ञ के उच्चारण में प्रान्तीय भिन्नता होने से उसका रूप जैसा है, वैसा ही रखा जाय ।

(१३) सयुक्त अक्षरों को बनाने के लिए, जिन वर्णों के अन्त में खड़ी पाई है; जैसे—ख, ग, घ, च, ज, ञ, ण, त, थ, ध, न, प, व, भ, म, य, ल, व, श, ष, स, उनका सयोज्य-रूप खड़ी पाई हटाकर समझा जाय, यथा—ख, ग, घ, च, ज, ञ, ण, त, थ, ध आदि । क और फ का वर्तमान सयोज्य रूप क्, फ स्वीकृत किया जाय । जिन अक्षरों के अन्त में खड़ी पाई नहीं है, उनका सयोज्य रूप सयोजक चिह्न (-) लगा कर समझा जाय । सयोजक चिह्न पिछले अक्षर से मिला रहे, यथा—विद-या, विट-ठल, उच्छ-वास, बुड-ढा, ब्रह-मा ।

(१४) शिरोरेखा हटाकर लिखने में भ और ध को म और घ से पृथक् करने के हेतु भ और घ में गुजराती की तरह घुण्डी लगायी जाय, यथा—भ, ध ।

उपर्युक्त प्रस्तावों में से कुछ (जैसे दूसरे का ख, ग, घ, ड और छ तथा तेरहवें का उत्तरार्द्ध) में केवल टङ्कन-मुद्रण की सुविधा पर ध्यान दिया गया था, लिपि की वैज्ञानिकता तथा लेखन की व्यावहारिकता पर नहीं । कुछ प्रस्तावों (जैसे ४, ६, और ११) का सम्बन्ध किसी प्रकार के सुधार से न होकर वर्ण-वृद्धि से था, जो देवनागरी से असम्बद्ध भाषाओं की कतिपय विशिष्ट ध्वनियों के लिए प्रस्तावित चिह्न थे । कुछ प्रस्ताव (पहला, पाँचवें का उत्तरार्द्ध तथा दसवें का उत्तरार्द्ध) स्वयं अपने-आप में अनियमित होने के कारण अवैज्ञानिक थे तथा अनेकरूपता को जन्म देने वाले थे । कई प्रस्तावों (जैसे—८, ७, ८, १२ और १३ के पूर्वार्द्ध) में

देवनागरी के लिए कुछ भी नया सुझाव नहीं दिया गया था। वे गुण इसमें पहले ही से स्वयं समाहित हो गये थे। कुछ प्रस्तावों (जैसे—५, ९ और १३ के उत्तरार्द्ध) में वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से काम नहीं लिया गया था और कुछ प्रस्तावों (जैसे १ का (क) और ८) से देवनागरी के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रस्तावकों की अनभिज्ञता प्रकट होती थी। इन्हीं कारणों से नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी के तत्कालीन सदस्यों तथा देश के अन्यान्य विद्वानों ने इन प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया तथा राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्धा के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्यत्र सम्भवतः कहीं भी इन्हें व्यावहारिक रूप नहीं मिला।

१९३७-३८ ई० के आमपास ही प० राहुल साकृत्यायन ने भी नागरी लिपि-सुधार सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव रखे थे, जैसे—अ की वारहखड़ी का प्रयोग, प के स्थान पर श, र के सभी रूपों के लिए केवल र, ड के स्थान पर ळ, ध और ञ के स्थान पर क्रमशः ऋग और ञ्ज तथा सयोज्य अक्षरों के नीचे ' ' चिह्न का प्रयोग। १९३८ ई० में विहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से दिया गया उनका भाषण इन सुधारों के अनुसार ही छपा था। किन्तु वाद में उन्होंने स्वयं इन सुधारों को व्यर्थ समझकर त्याग दिया।^१

१९४५ ई० में काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा ने देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकताओं का अनुभव करके एक लिपि-उपसमिति का सङ्गठन किया था। उस समिति ने अपने प्रथम अविवेचन में देवनागरी लिपि में सुधार और पुनः संस्कार के लिए कई सिद्धान्त निश्चित किये, जैसे—(क) भारतीय तथा विदेशी भाषाओं की उन विशेष ध्वनियों के लिए देवनागरी में वर्ण या सङ्केत-चिह्न स्थिर करना, जिनके लिए पहले से कोई वर्ण नहीं है, ताकि देवनागरी में मसाल की सभी भाषाएँ लिखी जा सकें, (ख) लिपि के प्रचलित रूप से प्रतिसंस्कृत लिपि का यथा-सम्भव अपार्यव्यवस्था रचना, (ग) सयुक्त वर्णों को ऐमा आकार देना कि पहचानने में भ्रान्ति न हो, (घ) देवनागरी के सौन्दर्य को सुरक्षित रखना तथा (ङ) देवनागरी-सुधार सम्बन्धी पहले के सभी प्रस्तावों पर विचार करना।

इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए देश के प्रमुख पत्रों में यह प्रार्थना प्रकाशित की गयी कि इस दिशा में कार्य करने वाले सज्जन और सस्थाएँ अपने-अपने प्रयत्न की सूचना और मामूली समिति के पास भेजने की कृपा करें^२। इसके

१. जामेश्वर शर्मा, हि० म०, पृ० ४७।

२. दे० लि० स्व० वि० स०, पृ० ३७२।

फलस्वरूप श्री श्रीनिवास, डा० पन्नालाल, डा० गोरख प्रसाद, विनोवा भावे, कृपानाथ मिश्र, एम० डी० मनोहर, भोलानाथ शर्मा, मोतीलाल गुट्टू, जगन्नाथ जोशी, छोटेलाल शर्मा, रा० र० खाण्डलकर, कामता प्रसाद सागरीय, अवधनन्दन, रामकृष्ण चौधरी, सुशील राम, गोपाल गणेश दुबे, बी० एस० कोलाकर आदि पचासो व्यक्तियों ने तरह-तरह के प्रस्ताव उपस्थित किये। इनमें से अधिकांश व्यक्तियों ने अपने सुझावों में मुख्य रूप से टङ्कन-मुद्रण सम्बन्धी सुविधाओं को ही ध्यान में रखा था, देवनागरी की ऐतिहासिक परम्परा और उसके अक्षरात्मक स्वरूप को नहीं। श्री श्रीनिवास का प्रस्ताव सर्वाधिक अनोखा था। उन्होंने देवनागरी के लिए जो वर्णमाला प्रस्तुत की थी, उसके अधिकांश वर्ण तथा सभी मात्राएँ प्रचलित वर्णों एवं मात्राओं से नितान्त भिन्न थी। डा० पन्नालाल ने ई की मात्रा (ि) को ई की मात्रा (ि) के समान ही वर्ण के आगे कुछ छोटा करके लगाने का सुझाव रखा था, यथा—की (कि)। शेष सभी व्यक्तियों के लगभग सारे-के-सारे प्रस्ताव, काका कालेलकर-समिति के प्रस्तावों के ही समान थे। सभा की लिपि-समिति ने श्री श्रीनिवास के प्रस्ताव को आगे चलकर आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति के सम्मुख रखा था, किन्तु वह अस्वीकृत हो गया। इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों के सुझावों को भी कोई मान्यता नहीं मिल सकी।

३१ जुलाई, सन् १९४७ ई० में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक देवनागरी-लिपि-सुधार-समिति का सङ्गठन किया, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्रदेव हुए। डा० धीरेन्द्र वर्मा, प० रामशङ्कर द्विवेदी, प० चन्द्रशेखर शास्त्री, प० भाऊ शास्त्री ब्रह्म तथा डा० मङ्गलदेव शास्त्री उस समिति के सदस्य मनोनीत हुए और प० श्री नारायण चतुर्वेदी को उसका मन्त्री नियोजित किया गया। इस समिति को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से निम्नलिखित ५ आदेश मिले थे.—(१) समिति नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तावित प्रतिसंस्कार के सुझावों की परीक्षा करे, (२) सङ्ग्रथन, टङ्कन तथा साधारण व्यवहार के लिए इसकी उपयुक्तता का विवरण प्रस्तुत करे, (३) सस्कृत के लिए इसकी उपयुक्तता का विवरण प्रस्तुत करे, (४) प्रचलित देवनागरी लिपि में परिवर्तन की वाञ्छनीयता पर विचार करे और (५) परिवर्तित लिपि में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लिखे जाने की सुविधा और उपयुक्तता पर विचार करे।

इस समिति ने विभिन्न विद्वानों के प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और अधिकांश सुझावों की अनुपयुक्तता सिद्ध की। श्री श्रीनिवास के प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए समिति ने यह निर्णय दिया कि 'स्वरो की आकृति के विषय

मे जिस एकरूपता की आवश्यकता का अनुभव श्रीनिवास जी ने किया है, उसकी उपयोगिता समिति आवश्यक नहीं समझती। जबतक व्याकरण-विज्ञान के आधार पर विभिन्न स्वरों की स्वतन्त्र सत्ता मानते रहेगे, तबतक उनका विभिन्न रूपों में प्रकट किया जाना भी वैज्ञानिक और सरल होगा। समिति अ, इ, उ की स्वतन्त्र सत्ता मानती है और ए को भी स्वतन्त्र रूप से लिखा जाना आवश्यक समझती है। 'मात्रा-विधान के सम्बन्ध में समिति नागरी के प्रचलित मात्रा-विधान को ही उत्तम समझती है।' इसी प्रकार प्रत्येक अल्पप्राण वर्ण में एक समान चिह्न लगाकर उसका महाप्राण बनाने के सुझाव को भी समिति ने अमान्य ठहराया। डा० पन्नालाल के सुझावों में से इ की मात्रा को वर्ण के आगे लगाये जाने वाले सुझाव को समिति ने मात्रा के रूप में किञ्चित् परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया, किन्तु उनके अन्य सुझावों को अस्वीकृत कर दिया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों के प्रस्ताव को समिति ने प्रायः अनुपयुक्त घोषित किया। यो, मुद्रण एवं टङ्कन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समिति ने काका कालेलकर की समिति के कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा।

इस समिति की कुल नौ बैठकें हुईं और उसका पूरा विवरण २१ मई, १९४९ ई० को अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होकर सरकार के पास भेज दिया गया।^१ समिति के प्रस्ताव निषेधात्मक और स्वीकारात्मक, दो वर्गों में विभक्त थे।

निषेधात्मक प्रस्ताव :—(१) श्रीनिवास जी के एकमात्रिक और द्विमात्रिक आदि स्वरों के भेद समिति को मान्य नहीं हो सकते। (२) अ की वारहखड़ी नहीं बनायी जा सकती। (३) इ की मात्रा को छोड़कर अन्य मात्राओं के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन न किया जाय। (४) किसी व्यञ्जन के नीचे कोई दूसरा व्यञ्जन वर्ण न लगाया जाय। (५) केवल मशीन की सुविधा के लिए नागरी लिपि में कोई अवाञ्छनीय परिवर्तन न किया जाय।

स्वीकारात्मक प्रस्ताव :—समिति के स्वीकारात्मक प्रस्ताव भी दो प्रकार के सुझावों में विभक्त थे—१ सिद्धान्तगत और २. रूपगत।

सिद्धान्तगत सुझाव . इस प्रकार थे—(१) मुद्रण और टङ्कन की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार मात्राओं को थोड़ा हटा कर केवल दाहिनी ओर ही बगल में ऊपर-नीचे लगाया जाय, जैसे—कै के यो, संपूर्ण आदि। (२) शुद्ध अनुस्वार के

१ कामेश्वर शर्मा, हि० स०, पृ० ५५।

स्थान पर ' ° ' (शून्य) लगाया जाय । व्यञ्जन के हलन्त ड्, ञ्, ण्, न्, म् की जगह पर जहाँ प्रतिकूलता न हो (यथा—वाङ्मय, तन्मय), अनुस्वार चिह्न ' ° ' शून्य लगाया जाय, जैसे—हंस (पक्षी) । अनुनासिक स्वर के लिए बिन्दी ' ° ' का प्रयोग हो, जैसे—हसना । (३) शिरोरेखा लगायी जाय । (४) ऋ, लृ की मात्राएँ भी अन्य मात्राओ के समान थोडा हटाकर दाहिनी ओर नीचे लगायी जायँ, जैसे—कृपा । (५) जिन वर्णों का उत्तरार्द्ध खड़ी पाई युक्त है, उनका आधा रूप, खड़ी पाई निकालकर बनाया जाय, जैसे—र, र, ङ, च आदि । (६) जिन वर्णों का उत्तरार्द्ध खड़ी पाई युक्त नहीं है, उनका आधा रूप, क और फ को छोडकर, हल चिह्न ' ° ' मात्राओ के समान ही, बगल मे नीचे की ओर लगा कर बनाया जाय, जैसे—ड्, छ्, ट्, द् आदि । (७) ह्रस्व इ की मात्रा भी दाहिनी ओर लगायी जाय ।

वर्णों के रूपगत सुझाव इस प्रकार थे—(१) स्वरो मे अ का रूप अ रहेगा । (२) व्यञ्जनों मे छ, झ, ञ, ध, भ र, ल और ह के रूप क्रमश छ, झ, ण, ध, भ, त्र, ल और ह रहेंगे । ह्रस्व इ की मात्रा (ि) का रूप ी होगा । (४) क्ष और त्र के स्थान पर ष और त्र से काम लिया जायगा । (५) विशेष अक्षर अ ऊँ तथा लृ होंगे । (६) विरामचिह्न यथासम्भव वे सब ले लिये जायँ, जो इस समय अंगरेजी (रोमन) मे प्रचलित हैं । केवल पूर्णविराम के लिए खड़ी पाई स्वीकार की जाय, यथा—। - — , , । ? ।

आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति के उपयुक्त सुझावो के अनुसार देवनागरी की वर्णमाला का निम्नलिखित रूप होता—

अङ्क	—१	२	३	४	५	६	७	८	९	०					
स्वर	—	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ	ऋ	लृ	अँ	अ
मात्राएँ	—	।	ि	ी	,	्	ँ	ो	ी	ृ	ृ	ँ	ँ		
व्यञ्जन	—	क	ख	ग	घ	ङ									
		च	छ	ज	झ	ञ									
		ट	ठ	ड	ढ	ण									
		त	थ	द	ध	न									
		प	फ	ब	भ	म									
		य	र	ल	व	श	ष	स	ह	ज्ञ					

विशेष वर्ण —ऊँ, अ्र, ल

काका कालेलकर की समिति के प्रस्तावों के साथ यदि आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति के प्रस्तावों को मिलाकर देखा जाय, तो यह स्पष्ट परिलक्षित होगा कि स्वर वर्णों के स्वरूप को छोड़कर अन्य अधिकांश बातों में दोनों समान ही हैं।

आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति के सुझावों को प्राप्त कर लेने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने २९ नवम्बर, १९५३ ई० में विभिन्न राज्यों के मन्त्रियों तथा विशिष्ट विद्वानों की एक सभा लखनऊ में की। इस सभा के अध्यक्ष तत्कालीन उपराष्ट्रपति डा० रावाकृष्णन, स्वागताध्यक्ष उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पन्त तथा उद्घाटनकर्त्ता उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी थे। इस सभा में १०० से अधिक विशिष्ट प्रतिनिधि, १४ मुख्य मन्त्री तथा ४० अन्य मन्त्रियों ने भाग लिया था।^१ सभा का मुख्य उद्देश्य आचार्य नरेन्द्रदेव-समिति के प्रस्तावों पर निर्णय लेना तथा देवनागरी लिपि के लिए एक सर्वमान्य संगोषित रूप उपस्थित करना था। पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् सभा ने निम्नलिखित सुझावों को मान्यता प्रदान की—

(१) नागरी के सभी परम्परागत स्वर-वर्ण ज्यों के त्यों रहे, केवल 'अ' के स्थान पर अ रूप प्रयोग में लाया जाय।

(२) मात्राएँ पूर्ववत् रहे, केवल इ की मात्रा दाहिनी ओर लगायी जाय और उसका रूप '२' हो, जैसे— की (कि)।

(३) अङ्क पूर्ववत् रहे, केवल ६ का रूप ९ हो।

(४) पूर्णविराम के अतिरिक्त सभी विराम-चिह्न अंगरेजी के समान रहे। पूर्णविराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग हो। अंगरेजी का कोलन चिह्न (:) प्रयुक्त न हो।

(५) अनुस्वार और चन्द्रविन्दु (अनुनासिक) के रूप परम्परागत ही रहे, यथा— 'ँ' और 'ँ'।

(६) व्यञ्जनो में ख, छ, झ, रा, व, भ, ल, च, और त्र के बदले क्रमशः ख, छ, झ, ञ, व, भ, ल, क्ष और त्र रूप का प्रयोग हो। र का रूप र ही रहे, ङ नहीं। शेष व्यञ्जन पूर्ववत् रहे।

(७) मराठी का ळ वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया जाय।

(८) शिरोरेखा का प्रयोग हो।

(९) सयुक्ताक्षर दो प्रकार से बनाये जायँ—(क) जहाँ सम्भव हो खड़ी पाई को हटाकर या (ख) सयोज्य वर्ण में हलन्त चिह्न (,) लगाकर। क, फ और ह के सयोज्य रूप पूर्ववत् रहे।

१९५५ ई० में भारत सरकार ने लखनऊ सभा के उपर्युक्त सुझावों को स्वीकार कर लिया तथा राज्य सरकारों से देवनागरी के इसी सशोधित रूप को प्रयोग में लाने का आग्रह किया। किन्तु, राज्य सरकारों ने इन सशोधनों को पूर्ण रूप से स्वीकारने में अन्यमनस्कता प्रदर्शित की तथा हिन्दी भाषी प्रान्तों ने भी इनके प्रति पूर्ण उदासीनता का भाव प्रकट किया। विशेषतः इ की मात्रा तथा र के साथ सयुक्त वर्णों के रूप को देख कर लोग बुरी तरह भडकते थे, जैसे—कीसान (किसान), प्रेम (प्रेम) आदि। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अक्टूबर १९५७ ई० में एक और सम्मेलन बुलाया, जिसने राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन के निश्चयों में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने की सिफारिश की।

१९५९ ई० के अगस्त महीने में भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने देवनागरी के सशोधनों को अन्तिम रूप देने के लिए देश के विशेषज्ञों तथा शिक्षा मन्त्रियों के दो सम्मेलन बुलाये। इन दोनों सम्मेलनों ने राज्य-मन्त्रि-सम्मेलन के कई सशोधनों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये तथा देवनागरी की वर्णमाला को निम्नलिखित रूप प्रदान किया.—

स्वर — अ आ इ ई उ ऊ ऋ लृ ए ऐ ओ औ अ अ ।

मात्राएँ — । ि ि ७ ७ ७ ७ ७ ि ि ि ि ि ि ि ि ।

व्यञ्जन — क ख ग घ ङ ।

च छ ज झ ञ ।

ट ठ ड ढ ण ।

त थ द ध न ।

प फ ब भ म ।

य र ल व श ष स ह, ङ ङ ङ, क्ष त्र ज श्र ।

अङ्क — १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ० ।

अन्य प्रस्ताव :—हिन्दी में ऋ-ल का प्रयोग नहीं होता, अतः इन्हे स्वरोँ में सम्मिलित न किया जाय। खड़ी पाई वाले व्यञ्जनों का सयुक्त रूप खड़ी

पाई हटाकर ही बनाया जाय। क और फ के सयुक्ताक्षर बनाने का परम्परागत ढङ्ग ही प्रचलित रहे। ड, छ, ट, ठ, ड, ढ और द में हल् चिह्न (्) लगाकर ही उन्हें सयुक्त किया जाय। र के परम्परागत सभी रूप ज्यों के त्यों रहे, यथा—राष्ट्र, धर्म, प्रेम। थ्र का परम्परागत रूप ही रहे। त्र के स्थान पर त्र का प्रयोग किया जाय। ह में हल् चिह्न लगाकर भी उसे सयुक्त किया जा सकता है। संस्कृत में सयुक्ताक्षर की पुरानी शैली भी काम में लायी जा सकती है। गिरोरेखा का प्रयोग हो। पूर्णविराम के अतिरिक्त अन्य सभी विराम-चिह्न अँगरेजी के अनुसार रहें। विसर्ग के चिह्न को त्री कोलन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाय। पूर्णविराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग हो। अनुस्वार तथा अनुनासिक दोनों के लिए प्राचीन चिह्नों का ही प्रयोग हो और दोनों प्रचलित रहे।

यह सशोधन प्रायः आज तक के सरकारी सशोधनों में अन्तिम था और भारत सरकार अपने कार्यालयों में अभी इसी सशोधित रूप का व्यवहार करती है।

नागरी लिपि के परम्परागत रूप के साथ यदि इस अन्तिम सशोधित रूप को मिलाकर देखा जाय, तो स्पष्ट हो जायगा कि इस सशोधित देवनागरी लिपि में व, भ और त्र के रूप किञ्चित् भिन्न हैं तथा एक नया वर्ण ऋ जुड़ गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं दीखता। ये सामान्य परिवर्तन भी केवल सरकारी कार्यों में कुछ हद तक भले ही मान्य हुए हो, जनता ने इन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। फलतः आज भी व्यापक जनवर्ग देवनागरी के परम्परागत रूप का ही प्रयोग कर रहा है, जो हमारी पूर्वोल्लिखित स्थापना का स्पष्ट प्रमाण है कि देवनागरी-सुधार-आन्दोलन अन्ततः असफल रहा। साथ ही देश के विभिन्न भागों में अ की वारहखड़ी, व-भ-र के भिन्न-भिन्न रूपों के प्रयोग तथा अनुस्वार-अनुनासिक चिह्नों की अनेकरूपता आदि के कारण यत्र-तत्र देवनागरी के जो अनेक प्रकार के रूप प्रचलित हो गये हैं, वे हमारी उपर्युक्त दूसरी स्थापना के प्रमाण हैं कि देवनागरी-सुधार-आन्दोलन देवनागरी लिपि के उत्थान की दृष्टि से साधक और हिनकर न होकर बाधक तथा अहितकर ही सिद्ध हुआ। आज देवनागरी की यह अनेकरूपता ही उसके विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, जो मूलतः सुधार-आन्दोलन की देन है।

नागरी का सम्बन्ध भारत की प्राचीनतम भाषाओं तथा उनके सुदीर्घ परम्परागत विशाल वाङ्मय के अतिरिक्त ममय माक्षर जन-समाज से है। अतः, नागरी में किसी प्रकार का आकस्मिक परिवर्तन लाने के पूर्व कम से कम दो अति-

चार्यताओ की पूर्ति करनी होगी, जिनमे प्रथम है सम्पूर्ण प्राचीन वाङ्मय का सशोधित लिपि मे लिप्यन्तरण, और दूसरी है समग्र साक्षर समाज की अनुमति और समर्थन । हमारी दृष्टि मे इन दोनो मे से कोई भी बात सम्भव नहीं है, इस कारण नागरी लिपि का विकास उसकी आवश्यकताओ के अनुसार अपनी स्वाभाविक गति से ही होगा, उसमे कोई आकस्मिक परिवर्तन लाना न तो वाञ्छनीय है और न हितकर ही ।



अध्याय

: ११ :

भारतीय आर्यभाषा-ध्वनि-समूह और नागरी-वर्णमाला

हिन्दी ध्वनि-समूह के पूर्वस्रोत का परिचय

हिन्दी की अधिकांश ध्वनियाँ भारतीय आर्यभाषा-स्रोत से आयी हैं। शेष ध्वनियों में से कुछ तो नितान्त नवीन हैं, जिनका विकास वर्तमान युग में हुआ है और कुछ विदेशी स्रोत की हैं, जो मुख्यतः अरबी, फारसी तथा अँगरेजी के तत्सम ऋण शब्दों के साथ हिन्दी में प्रविष्ट हो गयी हैं। इस प्रकार हिन्दी ध्वनि-समूह का पूर्वस्रोत उपर्युक्त तीन भागों में विभक्त है। इस आधार पर हिन्दी ध्वनि-समूह को भी तीन पृथक् भागों में बाँटा जा सकता है : यथा—(१) भारतीय आर्यभाषा-स्रोत से आगत ध्वनियाँ, (२) आधुनिक काल में विकसित नवीन ध्वनियाँ और (३) विदेशी स्रोत से गृहीत ध्वनियाँ। हिन्दी की ध्वनि-व्यवस्था के निर्माण में इन तीनों ही स्रोतों की ध्वनियों का योगदान है, किन्तु उसका मूलाधार भारतीय आर्यभाषा स्रोत से आगत ध्वनियाँ ही हैं। अतः हिन्दी ध्वनि-समूह का सम्यक् विवेचन करने के लिए पहले उसके मूलाधार आर्यस्रोत अर्थात् वैदिक परम्परा की भारतीय आर्यभाषाओं के ध्वनि-समूहों का पूर्वापर क्रम से विवेचन कर देना आवश्यक है।

हिन्दी आर्यपरिवार अर्थात् भारोपीय परिवार की एक प्रमुख आधुनिक भाषा है। इस परिवार की ज्ञात भाषाओं में वैदिक सर्वाधिक प्राचीन है, जिसका प्राचीनतम परिनिष्ठन सप्त ऋग्वेद में सुरक्षित है। ऋग्वेद के पूर्व का न तो अब किसी देश में कोई लिखित साहित्य उपलब्ध है और न भाषा सम्बन्धी कोई अन्य साधन ही। इसलिए आज वैदिक की जननी अर्थात् तथाकथित मूल भारोपीय

भाषा के यथार्थ स्वरूप का प्रामाणिक विवेचन सम्भव नहीं रह गया है। फिर भी कुछ पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों ने इस परिवार की प्राचीन भाषाओं के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर मूल भारोपीय के कल्पित रूप के पुनर्निर्माण का विलक्षण प्रयास किया है। किन्तु, प्रत्यक्ष एवं निश्चित प्रमाणों के अभाव में तथा अनेक अन्यान्य असङ्गतियों के कारण उन विद्वानों के एतद्विषयक अनुमानाश्रित निष्कर्ष असन्दिग्ध नहीं माने जाते। फिर भी, उन निष्कर्षों की उपयोगिता एवं महत्त्व को सर्वथा अस्वीकारा भी नहीं जा सकता। मुख्यतः आर्य परिवार की भाषाओं की ध्वनि-व्यवस्था के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के सन्दर्भ में उनका विशेष उपयोग एवं महत्त्व है। अतः हिन्दी ध्वनि-समूह के पूर्वस्रोत के विवेचन-प्रसङ्ग में भी पहले मूल भारोपीय के पुनर्निर्मित कल्पित ध्वनि-समूह का नागरी वर्णमाला के माध्यम से संक्षेप में परिचय दे देना अनुचित नहीं होगा। तदनन्तर हम पूर्वापर क्रम से भारतीय आर्यभाषाओं के ध्वनि-समूहों का नागरी वर्णमाला के माध्यम से संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। उक्त भाषाओं की जिन ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नहीं है, उनको व्यक्त करने के लिए लगभग-समान वर्णों के साथ अतिरिक्त चिह्नों का या एकाधिक वर्णों के संयोग का उपयोग किया जायगा।

मूलभारोपीय ध्वनि-समूह और नागरी-वर्णमाला

मूल स्वर—अति ह्रस्व या उदासीन—अ

ह्रस्व—अ ए ओ

दीर्घ—आ ए ओ

अन्त स्थ स्वर—ह्रस्व—इ उ ऋ लृ न म

दीर्घ—ई ऊ ऋ लृ न म

मिश्र स्वर—ह्रस्व—अइ अउ अऋ अलृ अन अम

एइ एउ एऋ एलृ एन एम

ओइ ओउ ओऋ ओलृ ओन ओम

दीर्घ—आइ आउ आऋ आलृ आन आम

एइ एउ एऋ एलृ एन एम

ओइ ओउ ओऋ ओलृ ओन ओम

व्यञ्जन—स्पर्श—कण्ठ तालव्य —क्व् ख्व् ग्व् घ्व् (डव्)

पश्चकण्ठ्य —क् ख् ग् घ् (ङ्)

कण्ठोष्ठ्य —क्व् ख्व् ग्व् घ्व् (ङ्व्)

दन्त्य या वत्स्य —त् थ् द घ् न्

ओष्ठ्य —प् फ् ब् भ् म्

अन्त स्य व्यञ्जन—य् व् र् ल् न् म्

उष्म—स् (ज)

सङ्घर्षी—(ह्) (थ्) (घ्)

ऊपर कोष्ठको के भीतर लिखे गये वर्णों से सम्बद्ध ध्वनियाँ या तो सन्दिग्ध हैं या मस्वन ।

प्रारम्भ मे पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों की धारणा थी कि मूलभाषा के स्वर एव व्यञ्जन, दोनों ही, सस्कृत मे सुरक्षित हैं, किन्तु परवर्ती भाषाशास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि मूलभाषा के स्वर तो ग्रीक एव लैटिन मे सुरक्षित हैं और व्यञ्जन सस्कृत मे । यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि वैदिक के प्राचीनतम उपलब्ध रूप (ऋग्वेद) से ग्रीक के प्राचीनतम उपलब्ध रूप (होमर के काव्य) मे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी न्यूनातिन्यून प्रायः हजार वर्ष का अन्तर है । ऐसी स्थिति मे मूल भाषा की ध्वनियों का, चाहे वे स्वर ही क्यों न हों, वैदिक की अपेक्षा ग्रीक मे अधिक सुरक्षित मानना तथा उसके आधार पर मूलभाषा के रूप का पुनर्निर्माण करना युक्तिसङ्गत नहीं प्रतीत होता । किन्तु यह विषय गहन शोध एव विवाद का है, इसलिए यहाँ मूलभारोपीय ध्वनियों के सम्बन्ध मे विद्वानों के द्वारा उल्लिखित कुछ विशेषताओं की ओर मात्र सङ्केत कर देना ही पर्याप्त होगा ।

मूलभारोपीय के अतिह्रस्व या उदासीन स्वर अ के तत्कालीन शुद्ध उच्चारण का आज ठीक पता नहीं है, जो विद्वानों के अनुसार वैदिक तथा सस्कृत मे अ एव इ मे परिणत हो गया ।^१ अ-ए-ओ तथा आ-ए-ओ क्रमशः अ तथा आ मे परिणत हों गये ।^२ इ-ई तथा उ-ऊ स्वर मूल के प्रायः समान ही बने रहे । इसी तरह ऋ तो वैदिक एव सस्कृत मे प्रायः मूल के समान ही बना रहा, किन्तु लृ प्रायः

१. मूल* पतेर्, स० पितृ, ग्री० पतेर्, लै० पतेर ।

२. मूल* अगो, स० अजामि, ग्री० अगो, लै० अगो । मूल* एस्ति, स० अस्ति, ग्री० एस्ति, लै० एस्त् । मूल* गेमोष्, स० दमः, ग्री० होमोस, लै० होमुस । मूल* भ्रातेर्, स० भ्रातृ, ग्री० फ्रातेर्, लै० फ्रातेर् । मूल धे, स० दधामि, ग्री० टिथेमि । मूल* टोनम्, स० दानम्, लै० टोनम् ।

ऋ मे बदल गया ।^१ अन्त-स्थ न म किसी शाखा में सुरक्षित नहीं है । वैदिक एवं-संस्कृत में उनके ह्रस्व एव दीर्घ रूप क्रमशः अ तथा आ में परिणत हो गये ।^२ शेष-अन्त-स्थ ध्वनियाँ प्रायः मूलरूप में ही बनी रहीं, किन्तु य् र् ल् व् विभिन्न स्थितियों में क्रमशः इ उ ऋ लृ का रूप भी धारण करते दृष्टिगोचर होते हैं ।

व्यञ्जनो में कण्ठतालव्य क्य् स० में स् या श् के रूस में, ग्य् ज् में,^३ घ्य् ह् में^४ तथा कण्ठोष्ठ्य ध्वनियाँ प्रायः तालव्य (चवर्ग) में परिणत हो गयीं ।^५ शेष व्यञ्जन ध्वनियाँ प्रायः मूल के समान ही बनी रहीं ।

मूलभारोपीय में दो या अधिक व्यञ्जन एक साथ आ सकते थे, पर दो या अधिक मूलस्वर एक साथ नहीं । अन्त स्थ ध्वनियाँ स्वर एव व्यञ्जन दोनों ही के साथ आ सकती थी । अनुनासिक स्वरों का प्रायः अभाव था । समीकरण आदि-सन्धिनियम भी अस्तित्व में थे । सामान्यतः दो व्यञ्जनो के संयोग में यदि दूसरा सघोष हो तो दोनों सघोष और यदि दूसरा अघोष हो तो दोनों अघोष हो जाते थे । मिश्र-स्वर मूल एव अन्त स्थो के स्वरीय रूपों के योग से बनते थे ।

वैदिक ध्वनि-समूह और नागरी वर्णमाला

वैदिक ध्वनियों की संख्या के सम्बन्ध में प्राचीन वैयाकरणों में मतैक्य नहीं है । वा० प्रा० ८, १-१५ के अनुसार उनकी संख्या ६५ है, जिनमें २३ स्वर एव ४२ व्यञ्जन माने गये हैं ।^६ किन्तु वा० प्रा० ८, २९-३० में यह स्वीकार किया गया है कि माध्यन्दिन शाखा में ळ, ळह, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, नासिक्य तथा

१. मूल* कृद, स० शृद, ग्री० कर्दिअ, लै० कोर्दिस ।

मूल* व्लकोस, स० वृक*, ग्री० लुकास ।

२. मूल* कमतोम्, स० शतम्, ग्री० हेकटोन्, लै० केण्टम् ।

मूल* न्मृतोस, स० अमृत, ग्री० अम्त्रोतस् ।

३. मूल* ग्येनोस, स० जनस्, ग्री० गेनोस, लै० गेनुस् ।

४. मूल* पध्योम्, स० अहम्, ग्री० एगो, लै० एगो ।

५. मूल* क्वे, स० च, ग्री० ते, लै० के ।

६. अ आ आ३ इ ई ई३ उ ऊ ऊ३ ऋ ऋ ऋ३ लृ लृ लृ३ ए ए३ ओ ओ३ ऐ ऐ३ औ औ३; क् ख् ग् घ् ङ्, च् छ् ज् झ् ञ्, ट् ठ् ड् ढ् ण्; त् थ् द् ध् न्; प् फ् ब् भ् म्; य् र् लृ व्, श् ष् स् ह्, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, विसर्जनीय, नासिक्य तथा चार यम ।

दीर्घ लृकार नहीं मिलते हैं और वा० प्रा० २, ५०-५४ में उल्लिखित सात प्लुतो को छोड़कर अन्य प्लुत स्वर भी नहीं मिलते हैं।^१

शिक्षाग्रन्थो में वैदिक ध्वनियों की संख्या ६३ अथवा ६४ मानी गयी है। पा० शि० के अनुसार—‘त्रिपष्टिश्चतु पष्टिर्वा वर्णा सम्भवतो (पाभे० शम्भुमते) मता । प्राकृते सस्कृते चापि स्वय प्रोक्ता स्वयम्भुवा ॥३॥ स्वराविंशतिरेकश्च स्पर्शाना पञ्चविंशतिः । यादयञ्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा. स्मृताः ॥४॥’ व० प्र० शि० १०-१५ (शि० स० पृ० ११८), षोडशश्लोकी शिक्षा २ (शि० स० पृ० १६४) और कौटिल्य के अर्थशास्त्र (२, १०, १५) में भी ध्वनियों की संख्या ६३ मानी गयी है। पा० शि० की पञ्जिकावृत्ति^२ और उसी में उद्धृत औदब्रजि^३ का मत है कि ह्रस्व तथा दीर्घ के भेद से दो अनुस्वार मानने से ध्वनियों की संख्या ६४ हो जाती है।

तौ० प्रा० में^४ त्रिभाष्यरत्न के अनुसार ६० ध्वनियाँ स्वीकृत हैं, जिनमें १६ स्वर (अ आ आ३ इ ई ई३ उ ऊ ऊ३ ऋ ऋ लृ ए ऐ ओ औ) और ४४ व्यञ्जन (२५ स्पर्श, ४ अन्त स्य, ६ ऊष्म, अनुस्वार, विसर्जनीय, नासिक्य, ४ यम और स्वरभक्ति) हैं। ऋ० प्रा० में ८ समानाक्षर और ४ सन्ध्यक्षर, कुल १२ स्वर माने गये हैं^५ तथा अनुस्वार को स्वर एवं व्यञ्जन दोनों कहा गया है।^६ उसमें लृकार की गणना स्वरों में नहीं की गयी है तथा व्यञ्जनों में २५ स्पर्श, चार अन्त.स्य तथा ८ ऊष्म बताये गये हैं।^७ ऊष्म में श् प् स् ह् के अतिरिक्त विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा अनुस्वार भी सम्मिलित हैं।

पाणिनि के शिवसूत्र में पाँच ह्रस्व समानाक्षर और चार सन्ध्यक्षरों की गणना स्वर में की गयी है और व्यञ्जनों में अयोगवाह को परिगणित नहीं किया

- १ ‘त्रयोविंशतिन्ध्वन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तकैः । द्वाचत्वारिंशद् व्यञ्जनानि तावान्वर्ष सयहः ॥’ वा० प्रा० ८, २८ ।
२. ‘‘तस्मिन् रहल जिह्वामूलीयोपध्मानीयनासिक्या न सन्ति माध्यन्दिनानाम् ॥२६॥ लृकारोदायः प्लुतारचोक्तवर्जम्’’ ॥३०॥
३. ‘‘चतुःपष्टिः कथम् ? अनुस्वारौ विसर्गश्चेति पाठान्तरात् । कथं पुनरनुस्वार द्वयम् ? द्वस्वदीर्घ भेदेनेतिब्रूम ।’’
- ४ ‘‘अनुस्वाराव आ इत्यनुस्वारौ द्वस्वादीर्घोदीर्घाद्ग्नस्वो वर्णौ’’ इति ।
- ५ म० प्रा०—१, १-६; १, ३४, ८, ५; २, ५२; १३, १६; २२, १२-१५ ।
- ६ ऋ० प्रा० १, १-३ ।
- ७ उपनिषद्, १, ५ ।

गया है। किन्तु उनके सवर्णग्राहक सूत्र (१, १, ६९) से दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक आदि सभी गृहीत हो जाते हैं।

प्राचीन वैयाकरणों की ही तरह आधुनिक वैयाकरणों एवं भाषाशास्त्रियों में भी वैदिक ध्वनियों की सख्या के सम्बन्ध में परस्पर मतैक्य नहीं है। किन्तु इस बात से सभी सहमत हैं कि प्लुत, स्वरभक्ति एवं अनुनासिक स्वरों की गणना स्वतन्त्र ध्वनियों के रूप में अनावश्यक है। अन्य ध्वनियों में लृ^१, ऌ^२, ऍह^३, यम^४ एवं नासिक्य^५ विवादग्रस्त हैं और शेष निर्विवाद हैं। आधुनिक विद्वानों में से कुछ ने विवादग्रस्त ध्वनियों में से एक, कुछ ने दो, कुछ ने तीन, कुछ ने चार और कुछ ने सबको स्वतन्त्र ध्वनि मानने का आग्रह प्रदर्शित किया है। इसीलिए भिन्न-भिन्न विद्वानों के अनुसार वैदिक ध्वनियों की सख्या प्रायः ५१ से ५५ तक ठहरती है। देवनागरी लिपि में उन ध्वनियों को निम्नलिखित ढङ्ग से प्रकट किया जाता है—

१. ऋ० प्रा०; १, ६-१०।

२. पतञ्जलि ने पा० १, १. ६ तथा ६, १, १० पर भाष्य करते हुए होतृ+लृकार के सवर्ण दीर्घ के उदाहरण में केवल ऋ का दीर्घ दिखाया है, लृ का नहीं। इसी आधार पर काशिकाकार जयादित्य ने लिखा है—लृवर्णस्य दीर्घान सन्ति।” परवर्ती अनेक वैयाकरणों ने इसका समर्थन किया है।

३. ऋ० में दो स्वरों के मध्य ङ के लिए ञ और ङ के लिए ञह लिखा गया है। ऋ० प्रा० १, ५२ में कहा गया है—द्वयोश्चास्य स्वरयोर्मध्येत्य सपद्यते स ङकारो ङकारः। ञहकारतामेति स एव चास्य ङकारः सन्नुभ्रमणा सप्रयुक्तः॥ इ ङा सा ङहा चात्र निदर्शनानि वीड्वङ्ग इत्येतदवग्रहेण।—वा० प्रा० ४, १४४—द्वो लृहावेकेषाम्॥

४. यमों का व्याख्यान भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है। शट्टोजिदीक्षित के अनुसार वर्गों के आद्य चार वर्णों में से किसी एक से परे यदि कोई पञ्चम वर्ण आये तो उनके मध्य पूर्व वर्ण के सदृश जो ध्वनि होती है, उसे 'यम' कहते हैं। ऋ० प्रा० के अनुसार अनुनासिक स्पर्शों से पूर्व आनेवाले अनुनासिक स्पर्श को यमापत्ति होती है। कुछ प्रातिशाख्यकार यम को एक आगम मानते हैं। अ० प्रा० १, ६६। कुछ के अनुसार अनुनासिक स्पर्श की आशिक अनुनासिक ध्वनि ही वास्तव में यम है। वा० प्रा० ४, १६३; ८, २४।

५. कुछ आचार्य पूर्ववर्ती हकार तथा परवर्ती अनुनासिक स्पर्श के बीच एक नासिक्य ध्वनि का आगम मानते हैं, यथा—अहनाम। अ० प्रा० १, १०० “हकारान्नासिक्येन”। तै० प्रा० २१, १४—“हकारान्नणमपरान्नासिक्यम्”। वा० प्रा० ८, १३—हुँ इति नासिक्य”। महाभाष्य १, १, २ में नासिक्य की गणना अयोगवाहों में की गयी है।

१—स्वर —

- (क) मूलस्वर या समानाक्षर—ह्रस्व—अ इ उ ऋ लृ ।
दीर्घ—आ ई ऊ ऋ (ल) ।
(ख) सयुक्तस्वर या मन्ध्यक्षर—ए ओ ऐ औ ।^६

२—व्यञ्जन :—

- (क) स्पर्श—कण्ठ्य—क् ख् ग् घ् ङ् ।
तालव्य—च् छ् ज् झ् ञ् ।
मूर्वन्य—ट् ठ् ड् (ळ्) ढ् (ळ्ह) ण् ।
दन्त्य—त् थ् द् ध् न् ।
ओष्ठ्य—प् फ् ब् भ् म् ।
(ख) अन्तस्थ—य् र् ल् व् ।
(ग) ऊष्म—श् प् स् ह् ।
(घ) अयोगवाह—विसर्जनीय^१, जिह्वामूलीय^२, उपध्मानीय^३, अनुस्वार^४,
(यम) तथा (नासिक्य) ।

उपर्युक्त ५५ वैदिक ध्वनियो मे जिन पाँच को विवादग्रस्त समझकर ऊपर कोष्ठबद्ध रूप मे प्रस्तुत किया गया है, उनमे से लृ का प्रयोग प्रायः सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय मे केवल बलृप मे मिलता है, ळ और ळ्ह कमशः ड् और ढ् के विकार मात्र है और यम तथा नासिक्य ऐसी आशिक ध्वनियाँ है, जिनके लिखित आकार भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति मे इनमे से किसी को भी स्वतन्त्र ध्वनि मानना समीचीन नहीं प्रतीत होता। निष्कर्षतः वैदिक ध्वनियो की सख्या कुल ५० रह जाती है। उनमे भी जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय प्रायः पराश्रित ही है, जिन्हे विसर्गवर्गीय संस्वन कहना शायद अनुपयुक्त नहीं माना जायगा।

उपर्युक्त वैदिक ध्वनियाँ मुख्यतः उसके साहित्यिक रूप से सम्बन्ध रखती है। सम्भव है कि वैदिक की तत्कालीन बोलियों की ध्वनियाँ भी इन्ही के समीप रही हों; किन्तु उनमे निश्चय ही कुछ भिन्न ध्वनियाँ भी रही होगी, जिनके सम्बन्ध मे आज निश्चित रूप मे कुछ कहा जाना सम्भव नहीं है।

१. (ः) ।

२. (ँ क, ँ) ।

३. (ँ प, ँ क) ।

४. (ँ) ।

वैदिक ध्वनियों का जैसा उच्चारण आजकल प्रचलित है, वैदिक युग में ठीक ऐसा ही नहीं था। ध्वनिशास्त्रीय दृष्टि से शिक्षा, प्रातिशाख्य, व्याकरण, वैदिक-परम्परा तथा तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर वैदिक ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण के सम्बन्ध में जो तथ्य आज उपलब्ध हैं, वे सधोष में इस प्रकार हैं —

(क) समानाक्षर या मूलस्वर

अ—अनेक पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वैदिक अ ध्वनि मूल भारोपीय अँ एँ ओँ का प्रतिनिधित्व करती है^१, यथा—वै० अज्र (खेत)—लै० अँजर—अ० एकर, वै० अस्ति (है)—लै० एँस्त, वै० अवि (भेड़)—लै० ओँविस।

इसके अतिरिक्त अ ध्वनि मूलभाषा के सधोष नासिक्य के स्थान पर भी आती है, जहाँ यह अनुदात्त अक्षर (अन् अम्) के ह्रसित रूप का प्रतिनिधित्व करती है, यथा—वै० असि—लै० एँन्सिस, वै० शतम्—लै० केँन्तुम् आदि।

इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है। प्रातिशाख्यो में इसका आभ्यन्तर प्रयत्न संवृत माना गया है,^२ किन्तु विद्वानों का अनुमान है कि मन्त्रों के रचना-काल में इसका आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत रहा होगा, क्योंकि मन्त्रों के छन्द को ठीक रखने के लिए ऋक्संहिता में ए ओ के पश्चात् अ का सन्निवेश आवश्यक हो जाता है।

आ—यह ध्वनि मूलभारोपीय आ ए ओ का प्रतिनिधित्व करती है, यथा—वै० मानृ—लै० मातेर, वै० सामि (आधा)—लै० सेमि, वै० आस् (मुख)—लै० ओस् आदि।

सन्धि में यह ध्वनि दो अकारों के एकादेश को प्रकट करती है, यथा—इह + अस्ति = इहास्ति। अ के सदृश यह प्रायः सधोष नासिक्य के स्थान पर भी आती है, यथा—खन् से खात, जन् से जात इत्यादि।

इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ तथा आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है। अ० प्रा० (१, ३५) ने इसके प्रयत्न को विवृततम कहा है।

इ ई—ये दोनों ध्वनियाँ मूलभारोपीय की क्रमशः ह्रस्व-दीर्घ इ ई का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन दोनों का उच्चारण-स्थान तालु एवं आभ्यन्तर प्रयत्न संवृत है। सन्धि में ई दो इकारों का एकादेश प्रकट करती है।

१ वाकरनागल; 'अल्टिडिसे ग्रामेटिक'—१, पृ० ४। मैकडॉनेल, वै० ग्रा० पृ० ७।

२ अ० प्रा० १, ३६। वा० प्रा० १, ७२। अ० ८, ४, ६८।

उ ऊ—ये दोनो ध्वनियाँ मूलभारोपीय के क्रमशः ह्रस्व-दीर्घ उ ऊ का प्रति-निवृत्त करती है। इनका उच्चारण-स्थान ओष्ठ तथा आभ्यन्तर प्रयत्न सवृत है। तै० प्रा० (२, २४) के अनुसार इसके उच्चारण में ओष्ठ उपसहृत होकर आगे की ओर निकले होते हैं।

ऋ ऌ—इनके उच्चारण के सम्बन्ध में आचार्यों के बीच बहुत मतभेद है। ऋ० प्रा० (१, ४१) के अनुसार ये सभी जिह्वामूलीय हैं। किन्तु तै० प्रा० (२, १८) का मत है कि इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वर्सों से उपसहृत होता है। दूमरी ओर पा० जि० (१७) ऋकार को मूर्धन्य और ऌकार को दन्त्य मानती है—“स्युर्मुवन्त्या ऋटुरपा दन्त्या ऌतुलसाः स्मृताः।” किन्तु पा० १, १, ९ का वार्तिक प्रातिशाख्यो के इस मत का समर्थन करता है कि इन दोनो स्वरो का उच्चारण-स्थान एक ही है, इसीलिए ये सवर्ण कहे गये हैं—“ऋकारलृकारोः सवर्णसजा वक्तव्या।”

पाञ्चात्य विद्वानों की धारणा है कि ऋ तथा लृ क्रमशः र् तथा लृ की स्वरीभूत (वोकेलाइज्ड) ध्वनियाँ थीं। जिह्वाग्रन्थो तथा प्रातिशाख्यो में इसीलिए इन्हे क्रमशः र् तथा लृ के अश-रूप में स्वीकार किया गया है। लृ का प्रयोग वैदिक काल में भी बहुत सीमित था। केवल वलृप से बने कुछ तिङन्त एव कृदन्त रूपों में इसका प्रयोग मिलता है।

ऋ का प्रयोग उत्तर भारत में प्रायः रि के सदृश और दक्षिण में प्रायः रु के सदृश किया जाता रहा है। ऋ० प्रा० (१४, ३८) में ऋकार के सरेफ उकार सदृश उच्चारण को एक दोष माना गया है। प्राचीन पाण्डुलिपियों तथा विदेशी भाषाओं में लिखे गये मन्कृत-शब्दों के उच्चारण से ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में ऋ का उच्चारण अशत रि के सदृश होता था। किन्तु, उत्तरकालीन भारतीय भाषाओं में ऋ के स्थान पर इकार तथा उकार वाली ध्वनियों के विकास में प्रमाणित होता है कि अति प्राचीनकाल से ऋ के उच्चारण में दोनो प्रकार की प्रवृत्तियाँ वर्तमान रही हैं, यथा—घृत—धी, वृद्ध—बूढ़। कतिपय वैदिक शाखाओं में ऋ का उच्चारण रे के सदृश भी होता था। कान्यायनोक्ता स्वरभक्ति लक्षण परिशिष्टा जिह्वा (जि० म० पृ० १७४) में उल्लेख है—“हल्युक्त—ऋकारस्तु नेकारश्चन्दमि स्मृत। पितृणामिति पितृणामित्यादि च निदर्शनम्।”

(ख) मिश्र स्वर या सन्ध्यक्षर

ए ओ ऐ औ—प्रातिशाख्यो में इन्हें सन्ध्यक्षर (डिफथाड्स) कहा गया है। पाणिनीयतन्त्र में ए ओ (तथा अ) गुणसज्ञक तथा ऐ ओ (तथा आ) वृद्धिसज्ञक है। इन चारों का आभ्यन्तर प्रयत्न सामान्यतः विवृत माना गया है। ऋ० प्रा० (१, ४२—४७) के अनुसार ए ऐ का उच्चारण-स्थान तालु और ओ औ का कण्ठ माना गया है। किन्तु ऋ० प्रा० (१३, १८) में यह भी कहा गया है कि कतिपय आचार्य सन्ध्यक्षरों को सन्ध्यानि अर्थात् सन्धि से उत्पन्न मानते हैं, तदनुसार प्रत्येक सन्ध्यक्षर के उच्चारण-स्थान दो हैं। पा० शि० ए ऐ को कण्ठतालव्य और ओ औ को कण्ठोष्ठज मानती है। अ० प्रा० (१, ४०-४१) के अनुसार ए ओ की वृत्ति एकवर्ण के सदृश है, किन्तु ऐ औ की उनसे भिन्न है। इससे तथा अन्यान्य प्रातिशाख्यो से ज्ञात होता है कि प्रातिशाख्य-काल में ए ओ का उच्चारण प्रायः मूल-स्वर के रूप में होने लगा था। किन्तु मूलतः ये सन्ध्यक्षर ही थे; क्योंकि अ के साथ इ तथा उ की सन्धि से क्रमशः ए और ओ बनते हैं। आजकल ऐ औ का उच्चारण प्रायः अइ अउ के सदृश होता है और सम्भवतः प्रातिशाख्यो के काल में भी प्रायः इसी प्रकार का था। परन्तु ऐ औ मूलतः क्रमशः आइ आउ का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि सन्धि में ऐ औ से क्रमशः आय् आव् बनते हैं।

(ग) अनुनासिक स्वर

स्वरो के शुद्ध रूप के अतिरिक्त अँ अाँ ईँ ईँ आदि रूप भी वैदिक भाषा में प्रचलित थे। इन अनुनासिक स्वरो का उच्चारण इनके अपने मुख्य स्थान तथा नासिका द्वारा किया जाता है। इसका समर्थन ऋ० प्रा० (१३, २०); अ० प्रा० (१, २७), वा० प्रा० (१, ७५), अष्टाध्यायी (१. १ ८) आदि भी करते हैं।

(घ) स्वरावस्था-विकृति या अपश्रुति

भारोपीय भाषाओं में सुबन्त, तिडन्त, कृदन्त तथा तद्धित रूपों की रचना में मूलस्वरो की अवस्था में कई प्रकार के विकार होते हैं। इस स्वरावस्था-विकृति के लिए जर्मन भाषा में अब्लाउट, अँगरेजी में वोवेल ग्रेडेशन तथा भारतीय विद्वानों के द्वारा अपश्रुति शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत वैयाकरण अति प्राचीनकाल में भी इस प्रकार की स्वरावस्था-विकृति से परिचित थे और उन लोगों ने इस सम्बन्ध में गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण आदि सज्ञाओं का प्रयोग किया था। पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों तथा संस्कृत वैयाकरणों के दृष्टिकोण में मुख्य भेद यह है

कि सस्कृत वैयाकरण स्वरो की ह्रस्वावस्था (इ उ ऋ लृ) को साधारण अवस्था (नॉर्मल ग्रेड) मानकर उसके आधार पर ह्रासावस्था (लो ग्रेड) तथा वृद्धि-अवस्था (लेन्थेण्ड ग्रेड) आदि का विवेचन करते हैं।^१ इसके विपरीत पाश्चात्य भाषाशास्त्री गुण (अ ए ओ अर् अल्) को साधारण अवस्था मानकर उसके आधार पर ह्रासावस्था (ह्रस्व) तथा वृद्धि-अवस्था का विवेचन करते हैं। इस पक्ष के समर्थन में उनकी प्रधान युक्ति यह है कि स्वरावस्था-विकृति मुख्यतः उदात्त स्वर के स्थान-परिवर्तन के कारण होती है, क्योंकि उदात्त ही पद का प्रमुख स्वर माना जाता है। जबतक किसी पूर्ण अक्षर पर उदात्त स्वर रहता है, तबतक वह अक्षर अविकृत रहता है। परन्तु जब उदात्त के स्थान-परिवर्तन के कारण अक्षर अनुदात्त हो जाता है, तब वह ह्रासावस्था (लो ग्रेड) को प्राप्त होता है। यथा—साधारण अवस्था (नॉर्मल ग्रेड) में 'जि' धातु से जेतुम्, जयति, वृद्धि अवस्था (लेन्थेण्ड ग्रेड) में अजैषम्, जैषु और ह्रासावस्था (लो ग्रेड) में जित।

सस्कृत वैयाकरणों ने यद्यपि इ उ ऋ लृ को साधारण अवस्था मानकर गुण, वृद्धि आदि का व्याख्यान किया है, तथापि गुण और उदात्त का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध उनकी दृष्टि से ओझल नहीं था। पाणिनि ने (३, ४, ७८, ९२) धातुओं से परे आनेवाले उन प्रत्ययों को जो धातु के इ उ ऋ को गुण करते हैं पित् किया है, यथा गप्, तिप्, सिप्, मिप् और लोट् के उत्तम पुरुष का आद् आगम। फिर ३, १, ४ में पाणिनि ने पित् प्रत्यय को अनुदात्त बताकर पद के उदात्त का स्थान धातु के गुण अक्षर पर निश्चित कर दिया है। इसी प्रकार बहुत से अन्य उदाहरण भी मिलते हैं।

वैदिक भाषा के अनेक सुवन्त, तिडन्त, तद्धित तथा कृदन्त रूपों में स्वरों की उदात्तता के स्थानान्तरण होने पर निम्नलिखित प्रकार की स्वरावस्था-विकृतियाँ पायी जाती हैं —

(१) तिडन्त तथा कृदन्त रूपों में ए ओ अर् अल् का क्रमशः इ उ ऋ लृ के रूप में ह्रास, यथा—एमि—इमः, आप्नोमि—आप्नुम, ददर्श—ददृशु तथा कल्पते—कल्पे।

सस्कृत वैयाकरणों ने उपर्युक्त उदाहरणों में मूल अक्षर इ उ ऋ लृ के आधार पर गुण अक्षर ए ओ अर् अल् का विवेचन किया है।^२

१. पा० १ १. ३।

२. पा० ७, ३, ८४-८६।

(२) ए ओ अर् (गुण) की ऐ औ आर् के रूप में वृद्धि, यथा—जि से जैषु, यु से यौमि, कृ से कारक आदि ।

(३) गुण (ए ओ अर्) तथा वृद्धि (ऐ औ आर्), दोनों प्रकार के स्वरो का क्रमग- ई ऊ ईर्-ऊर् के रूप में ह्रास, यथा—भी से विभेमि (गुण) और विभाय (वृद्धि) की तुलना में भीत, ह्वे से होम और जुहाव की तुलना में हूत, स्त से तस्तरे और तस्तार की तुलना में स्तीर्ण और प से पिपति तथा पपार की तुलना में पूर्ण आदि ।

(४) समास या सम्बोधन में ई ऊ ईर्-ऊर् का क्रमशः इ उ ऋ के रूप में ह्रास, यथा—समास में शी से निशिता, सू से सूतिका की तुलना में सुपुति, स्त से स्तीर्ण की तुलना में अस्तृत । इसी तरह सम्बोधन में देवी से देवि तथा स्वश्रू से स्वश्रु आदि ।

(५) य व र का क्रमशः इ उ ऋ के रूप में सम्प्रसारण या ह्रास, यथा—यज् से इयाज की तुलना में इष्ट, वश् से वष्टि की तुलना में उश्मसि तथा ग्रह से जग्रह की तुलना में जगृह ।

(६) या वा रा का क्रमशः ई ऊ ईर् के रूप में ह्रास, यथा—प्याय् से प्यायते की तुलना में पीन, स्वाद् से स्वादते की तुलना में सुषूदति तथा दीर्घ की तुलना में द्राघीयस् आदि ।

(७) गुण रूप अ का ह्रासावस्था में कहीं-कहीं लोप हो जाता है, यथा—अस् से बने अस्ति की तुलना में सन्ति, गम् से बने जगाम की तुलना में जग्मु आदि ।

(८) पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों के अनुसार कुछ धातुओं में आ गुण अर्थात् साधारण अवस्था (नार्मल ग्रेड) का प्रतिनिधि माना जाता है । उसका ह्रास प्रायः इ, सादृश्य के कारण कहीं-कहीं ई तथा गौण उदात्त स्वर के साथ कहीं-कहीं अ के रूप में भी पाया जाता है, यथा—स्था से बने स्था की तुलना में स्थित, पा से बने पातवे की तुलना में पीत तथा गाहते की तुलना में गहन या गह्वर आदि ।

(९) ऐ का ह्रास ई के रूप में, यथा—गै से गायति की तुलना में गीत, श्यै से श्यायते की तुलना में शीत या शीन आदि ।

(१०) औ का ह्रास ऊ के रूप में, यथा—धावति (धोता है) की तुलना में धूत (धोया गया) तथा धावति (भागता है) की तुलना में धूम (धुँआँ) आदि ।

व्यञ्जन समूह

(क) कण्ठ्य स्पर्श—वैदिक भाषा के कण्ठ्य स्पर्श प्रायः मूलभारोपीय के मध्य कण्ठ्य स्पर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ वैदिक कण्ठ्य स्पर्श मूल भारोपीय के मूल कण्ठ्य स्पर्शों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं; यथा—वै० कः, लै० क्विस, वै० गौ०, ग्री० वीस आदि। कुछ विशेष परिस्थितियों से वैदिक कण्ठ्य-स्पर्श तालव्य ध्वनियों के स्थान पर भी आते हैं, यथा—दिक्षु आदि के क्ष् (क्+प्) में मूलतः ग् तथा स् का संयोग है, और श् के स्थान पर क् बनने से सन्धि के परिणामस्वरूप स् का मूर्धन्य हो गया है। इसी प्रकार वाक् इत्यादि रूपों में च् के स्थान पर क् आता है। कुछ रूपों में सकारादि प्रत्ययों से पूर्व ष् के स्थान पर भी क् आता है, यथा—द्विष से द्विक्षत् आदि।

ऋ० प्रा० (१, ४१), वा० प्रा० (१, ६५), पा० शि० (१८) आदि के अनुसार कवर्ग का उच्चारण-स्थान जिह्वामूल है। किन्तु तै० प्रा० (२, ३५) ने जिह्वामूल को कवर्ग का करण और हनुमूल को स्थान माना है—“हनुमूले जिह्वामूलेन कवर्गे स्पर्शयति। ह्रिट्नी, एलेन आदि पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों ने भी जिह्वामूल को करण ही माना है। चन्द्रगोमी, भट्टोजिदीक्षित आदि ने हनुमूल के बदले कण्ठ को कवर्ग का स्थान माना है। यही मत प्रायः अधिक प्रचलित है। इस वर्ग की ध्वनियों का संक्षिप्त ध्वनिवैज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है —

क्—यह कण्ठ्य, स्पर्श, विचार-श्वास-अघोष एव अल्पप्राण ध्वनि है।

ख्—यह कण्ठ्य, स्पर्श, विचार-श्वास-अघोष एव महाप्राण ध्वनि है।

ग्—यह कण्ठ्य, स्पर्श, सवार-नाद-घोष एव अल्पप्राण ध्वनि है।

घ्—यह कण्ठ्य, स्पर्श, सवार-नाद-घोष एव महाप्राण ध्वनि है।

ङ्—यह कण्ठ्य, स्पर्श, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण एव अनुनासिक ध्वनि है। इसका प्रयोग प्रायः कवर्गीय स्पर्शों के ही पूर्व होता है। अन्यत्र तभी आता है, जहाँ किसी कवर्गीय ध्वनि का लोप हुआ हो।

(ख) तालव्य स्पर्श—इस वर्ग की ध्वनियों का विकास मूल भारोपीय के तालुकण्ठ्य स्पर्शों एव कण्ठ्य स्पर्शों से माना जाता है। विकास-क्रम की दृष्टि से वैदिक तालव्य व्यञ्जनों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है—पूर्वकालीन तालव्य और उत्तरकालीन तालव्य। छ् ग् और कुछ रूपों में प्रयुक्त ज् ह्, 'पूर्व-

१ वैदिक छ् मूलभारोपीय तालुकण्ठ्य महाप्राण घोष 'ध्य' का प्रतिनिधि माना जाता है।

कालीन तालव्य माने जाते हैं। च् और कुछ अन्य रूपों में प्रयुक्त ज् तथा ह् उत्तरकालीन तालव्य माने जाते हैं। पदान्त में अथवा स्पर्शों से पूर्व मूर्धन्य में परिणत होनेवाले ज् तथा ह् पूर्वकालीन तालव्य माने जाते हैं, यथा—यज् से इष्ट (युज् + क्त), लिह् से लीढ (लिह् + क्त)। पदान्त में तथा स्पर्शों से पूर्व कण्ठ्य स्पर्शों में परिणत होने वाले ज् तथा ह् उत्तरकालीन तालव्य माने जाते हैं, यथा—युज् से युक्त (युज् + क्त), दुह् से दुग्ध (दुह् + क्त)।

पूर्वकालीन तालव्यो (छ् श् ज् ह्) का विकास मूलभारोपीय के तालु कण्ठ्य स्पर्शों से माना जाता है। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार प्रथम तालव्यीकरण मूलभारोपीय से भारत-इरानियन के पृथक् होने से पूर्व तथा द्वितीय तालव्यीकरण पृथक् होने के पश्चात् हुआ। उत्तरकालीन तालव्यो (च् ज् ह्) का विकास मूलभारोपीय की मध्य कण्ठ्य ध्वनियों से माना जाता है। वैदिक भाषा में झ् का प्रयोग बहुत कम मिलता है, ज् कभी पद के प्रारम्भ में नहीं आता तथा कोई भी तालव्य व्यञ्जन पदान्त में नहीं आता।^१

प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा वैयाकरणों के अनुसार चवर्ग का स्थान तालु है तथा करण जिह्वा का मध्यभाग है।^२ इस वर्ग के व्यञ्जनों की ध्वनिवैज्ञानिक विशेषताएँ सक्षेप में निम्नलिखित हैं —

- च्—तालव्य, विदार-श्वास-अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
- छ्—तालव्य, विदार-श्वास-अघोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
- ज्—तालव्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
- झ्—तालव्य, सवार-नाद-घोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
- ञ्—तालव्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, अनुनासिक स्पर्श ध्वनि है।

(ग) मूर्धन्य स्पर्श—वैदिक भाषा में मूर्धन्य स्पर्शों का प्रयोग बहुत कम मिलता है। ये ध्वनियाँ प्रायः शब्द के मध्य या अन्त में ही आती हैं। इनसे प्रारम्भ होनेवाले शब्द वैदिक में अति विरल हैं। ण् कभी पद के आदि या अन्त में नहीं आता। ळ ळ्ह क्रमशः ड ढ के स्थान पर केवल स्वरों के मध्य ऋग्वेद में प्रयुक्त होते हैं।

वैदिक मूर्धन्य ध्वनियों का विकास प्रायः स् श् ज् ह् मूलध्वनियों के विकार का परिणाम माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह विकार प्राचीन

१ ऋ० प्रा० १२, १; अ० प्रा० १, ७; वा० प्रा० १, ८५।

२ अ० प्रा० १, २१—तालव्याना मध्यजिह्वम्। ऋ० प्रा० १, ४२, वा० प्रा० १, ६६।

आर्यभाषा पर द्रविड प्रभाव के कारण उत्पन्न हुआ। भारत-ईरानी में मूर्धन्य ध्वनियाँ नहीं थीं। वैदिक भाषा में स् ग् ज् में विकार के परिणामस्वरूप प् प्रकट होता है और प् के परे आनेवाले दन्त्य स्पर्शों के विकार के परिणामस्वरूप अन्य मूर्धन्य स्पर्श प्रकट होते हैं, यथा—वृष्टि (वृप् + क्तिन्), दुष्टर (दुस् + तर) वृष्टि (वग् + ति), मृष्ट (मृज् + क्त), राष्ट्र (राज् + त्र)। इसी तरह अनेक शब्दों में पूर्ववर्ती र् ऋ ऋ के प्रभाव से न का ग् में परिवर्तन होता है। मूर्धन्य स्पर्शों का मक्षिप्त ध्वनिवैज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है —

- ट्—मूर्धन्य, विवार-श्वास-अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
 ठ्—मूर्धन्य, विवार-श्वास-अघोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
 ड्—मूर्धन्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
 ढ्—मूर्धन्य, सवार-नाद-घोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
 ण्—मूर्धन्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, अनुनासिक स्पर्श ध्वनि है।

टवर्ग का स्थान मूर्धा और करण जिह्वाग्र है। कुछ प्रातिगाह्यो के अनुसार टवर्ग के उच्चारण के समय वक्ता जिह्वा को पीछे की ओर मोड़कर जिह्वाग्र में मूर्धा का स्पर्श करता है।^१ पाश्चात्य ध्वनिशास्त्रियों ने भी मूर्धन्य स्पर्शों को प्रतिवेष्टित (रेट्रोफ्लेक्स) ध्वनियाँ कहा है। छ एक प्रकार का मूर्धन्य लकार है, और उसी का महाप्राण ङ् ह वनता है। यथा—इच्छा, अपाङ् ह आदि।

(घ) दन्त्यस्पर्श—वैदिक दन्त्यस्पर्श प्राय मूलभारोपीय दन्त्य स्पर्शों का प्रतिनिधित्व करने हैं। वैदिक में इनका प्रचुर प्रयोग मिलता है। दन्त्य स्पर्शों का मक्षिप्त ध्वनिवैज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है —

- त्—दन्त्य, विवार-श्वास-अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
 थ्—दन्त्य, विवार-श्वास-अघोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
 द्—दन्त्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
 ध्—दन्त्य, सवार-नाद-घोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है।
 न्—दन्त्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, अनुनासिक स्पर्श ध्वनि है।

वैदिक में अन्य अनुनासिक स्पर्शों की अपेक्षा न् का प्रयोग सबसे अधिक मिलता है। यह पद के आदि, मध्य तथा अन्त सभी स्थितियों में प्रयुक्त होता है।

१ पा० ८, २, ३६; ८, ३, ५६-७७।

२. अ० प्रा० १, २२—मूर्धन्याना जिह्वाग्रं प्रतिवेष्टितम्। तै० प्रा० २, ४७। बा० प्र० १, ७८।

दन्त्य स्पर्शों का स्थान दन्तमूल तथा करण जिह्वाग्र (जिह्वान्त) है ।^१ किन्तु कुछ प्रातिशाख्यो में इनका स्थान दन्त माना गया है ।^२

(ड) ओष्ठ्य स्पर्श—वैदिक ओष्ठ्य स्पर्श प्रायः मूलभारोपीय ओष्ठ्य स्पर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं । केवल व् के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का मत है कि यह मूलभारोपीय की मूलध्वनि का प्रतिनिधित्व नहीं करता और सम्भवतः भ् अथवा प् का विकारज है, यथा—भू से वभूव, रभ् से रब्ध तथा अप् से अब्ज इत्यादि । ओष्ठ्य स्पर्शों का स्थान उत्तरोष्ठ और करण अधरोष्ठ है । ओष्ठ्य स्पर्शों का सक्षिप्त ध्वनिवैज्ञानिक परिचय निम्नलिखित है —

प्—ओष्ठ्य, विवार-श्वास-अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है ।

फ्—ओष्ठ्य, विवार-श्वास-अघोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है ।

व्—ओष्ठ्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, स्पर्श ध्वनि है ।

भ्—ओष्ठ्य, सवार-नाद-घोष, महाप्राण, स्पर्श ध्वनि है ।

म्—ओष्ठ्य, सवार-नाद-घोष, अल्पप्राण, अनुनासिक स्पर्श ध्वनि है । न् की तरह म् का प्रयोग भी पद के आदि, मध्य तथा अन्त सभी स्थितियों में होता है ।

(च) अन्त.स्थ—य् र् ल् व् की अन्त.स्थ सज्ञा की सार्थकता प्रकट करते हुए ऋ० प्रा० १, ९ के भाष्य में उवट ने कहा है—“स्पर्शोष्मणामन्तर्मध्ये तिष्ठन्ती-स्यन्त.स्था”, अर्थात् स्पर्श एव ऊष्मो के मध्य स्थित होने के कारण ये अन्त.स्थ कहे जाते हैं । कुछेक विद्वानों का मत है कि ये ध्वनियाँ केवल पद-मध्य (अन्त) प्रयुक्त होती हैं, इसलिए अन्त स्थ कही जाती है । व्हिटनी ने इसे अस्वीकार करते हुए यह सुझाव दिया है कि प्रयत्न की दृष्टि से स्वरो तथा व्यञ्जनो के मध्य की ध्वनियाँ होने के कारण ये अन्त स्थ कहलाती है ।^३ स्वरसन्धि में य् व् र् ल् क्रमशः इ उ ऋ लृ के स्थान पर आते हैं और अनेक परिस्थितियों में इन स्वरो का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसके अतिरिक्त य् व् र् ल् के सम्प्रसारण क्रमशः इ उ ऋ लृ हैं । इससे स्पष्ट है कि अन्त स्थो का इन स्वरो से विशेष सम्बन्ध है । वैदिक अन्त स्थ प्रायः अपने अनुरूप भारोपीय अन्त.स्थो से ही विकसित माने जाते हैं । इनकी ध्वनिवैज्ञानिक विशेषताएँ संक्षेप में निम्नलिखित हैं ।—

१ ऋ० प्रा० १ ४४—“दन्तमूलोयस्तु तकारवर्गः ।” तै० प्रा० २, ३८—जिह्वाग्रेण तवर्गे दन्तमूलेषु ।”

२. (पृ० पृ०)—अ० प्रा० १, २४—“दन्त्याना जिह्वाग्र प्रस्तीर्णम् ।” वा० प्रा० १, ७६ ।

३ स० प्रा०, पृ० १८, वे० ग्रा०, स्टु० पृ० १०, फो० इ० ए० इ०, एलेन—पृ० २६ ।

य्—इसका उच्चारण-स्थान तालु है। तौ० प्रा० (२, ४०) के अनुसार इसके उच्चारण में जिह्वा के मध्यभाग के किनारों से तालु का स्पर्श किया जाता है। प्रतीत होता है कि कालान्तर में कतिपय यजुर्वेदी यकार का उच्चारण जकार के समान करने लगे थे। इसीलिए या० शि० का मत है कि पादादि, पदादि, सयोग तथा अवग्रह में ज और अन्यत्र य माना जाता है।^१ लेखवद्ध संहिता में अनेक स्थलों पर य् का उचित उच्चारण ड्य् माना जाता है।

जिन वैदिक शब्दों में य् इकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वहाँ यह मूलभारोपीय य् का प्रतिनिधि है, यथा—स० युवन्, लौ० युवनिस। इसी तरह वैदिक य् कहीं-कहीं मूलभारोपीय सधोपतालव्य ऊष्म का प्रतिनिधित्व करता है। किन्तु वैदिक भाषा में प्रयुक्त सभी यकार का अभी तक समुचित तुलनात्मक समाधान नहीं हुआ है, यथा—यूयम, भूयिष्ठ आदि। ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से यह तालव्य, घोप, अल्पप्राण, ईपत्स्पृष्ट अन्तःस्थ ध्वनि है।

व्—इसके उच्चारण-स्थान के सम्बन्ध में मतभेद है। ऋ० प्रा० (१, ४७) तथा वा० प्रा० (१, ७०) के अनुसार इसका स्थान ओष्ठ है। किन्तु वा० प्रा० (१, ८१) दन्ताग्र को ओष्ठ्य वकार का करण मानता है। तौ० प्रा० (२, ४३) का मत है कि ओष्ठान्तो एव दांतो से वकार का उच्चारण किया जाता है—“ओष्ठान्ताभ्या दन्तैर्वकारे। शिक्षाग्रन्थो तथा व्याकरणो मे इसे दन्तोष्ठ्य ध्वनि कहा गया है। लेखवद्ध वैदिक संहिताओं में अनेक स्थलों पर इसका उचित उच्चारण उव् माना गया है। यह मूल भारोपीय व् का प्रतिनिधि है, यथा स० अवि, ग्री० आँविस् आदि। यह दन्तोष्ठ्य, घोप, अल्पप्राण, ईपत्स्पृष्ट, अन्तःस्थ ध्वनि है।

र्—अनेक प्रातिशाख्यों एवं शिक्षा-ग्रन्थों में र् का स्थान दन्तमूल माना गया है।^२ कतिपय आचार्य इसका स्थान वस्व को मानते हैं।^३ किन्तु, अनेक विद्वानों का मत है कि र् के प्रभाव से त् का ण् में परिणत होना रेफ के मूर्धन्यत्व का ज्ञापक है।^४ बहूत में वैदिक शब्दों में र् मूलभारोपीय र् का प्रतिनिधित्व करता

१ या० शि० १४०—“पादादौ च पदादौ च सययोगावग्रहेषु च। ज. शब्द इति विज्ञेयो योऽन्य म य इति स्मृतः।

२ वा० प्रा० १, ६८,—“रा दन्त मूले”। अ० प्रा० १, २८—“रेफस्यदन्तमूलानि”। या० शि० २१२ (शि० ४० पृ० ३३) “एका दन्तमूलीयोरैफ”। वा० प्रा० शि० (शि० ४० पृ० ११५)—“रेफस्य दन्तमूलोत्थो जिहास्रेण विधीयते”।

३ ऋ० प्रा० १, ६६—“रेफ वस्वमके”।

४ वा० शि० १७, आदि० शि० १, १३-१८; सि० कौ० (पृ० १७) आदि।

है; यथा—सं० भर, ग्री० फेरो, लै० फेरो, सं० रघिर, ग्री० एरुप्रॉस आदि । किन्तु, अनेकत्र यह मूल भारोपीय ल् का प्रतिनिधि है । यह मूर्धन्य, घोष, अल्पप्राण ईषत्स्पृष्ट, अन्त-स्थ ध्वनि है ।

ल्—ऋ० प्रा० (१, ४५) तथा तै० प्रा० (२, ४२) के अनुसार इसका स्थान दन्तमूल है । किन्तु वा० प्रा० (१, ६९), पा० शि० (१७) आदि के अनुसार लृकार का उच्चारण-स्थान दन्त है । बहुत से वैदिक शब्दों में ल् मूलभारोपीय ल् का प्रतिनिधित्व करता है, यथा—म० लोक्, लै० लुकुस् आदि । यह दन्त्य, घोष, अल्पप्राण, ईषत्स्पृष्ट, अन्त स्थ ध्वनि मानी जाती है ।

ऋग्वेद के प्रारम्भिक ९ मण्डलों में जिन शब्दों में र् का प्रयोग मिलता है, उन्हीं शब्दों में दशम मण्डल में र् के स्थान पर प्रायः ल् प्रयुक्त हुआ है, यथा—ऋच्, रभ्, रोमन् आदि के स्थान पर क्रमशः म्लुच्, लभ्, लोमन् आदि । इससे प्रतीत होता है कि दशम मण्डल के रचनाकाल तक आते-आते र् के स्थान पर ल् के प्रयोग की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी । किन्तु, उत्तरकालीन भाषा में कहीं-कहीं र् तथा ल् का प्रयोग साथ-साथ चलता रहा, यथा—शुक्र-शुक्ल, मिश्र-मिश्रल आदि । रेफ के वैकल्पिक तत्त्व के सम्बन्ध में वार्तिककार ने भी कतिपय शब्दों की परिगणना की है ।^१ इन ध्वनियों के प्रयोग में इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण कालान्तर में “रलयोरभेदः” या “रलयोरेकत्वस्मरणम्” (पा० ८, २, १८ पर काशिका) जैसी उक्तियों का प्रचलन हुआ । कुछ पश्चात्य विद्वानों का मत है कि भा० आ० भा० का तीन शाखाओं में विकास हुआ, जिनमें एक में र् ध्वनि ही रही, दूसरे में र् और ल् और तीसरे में र् के स्थान पर केवल ल् ध्वनि रही । श्रीर, श्रील तथा श्लील में एक ही शब्द के तीन रूपों से यह कथन स्पष्ट हो जाता है ।

(छ) ऊष्म—ऋ० प्रा० (१, १०) के भाष्य में उवट ने कहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में ऊष्म वायु निःसृत हो, वे ऊष्म हैं । इसी सूत्र में श् ष् स् ह् के अतिरिक्त विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा अनुस्वार को भी ऊष्म माना गया है, किन्तु वा० प्रा० (८, १६, १७), सिद्धान्त कौमुदी तथा अन्य अनेक वैयाकरणों ने केवल श् ष् स् ह् को ऊष्म माना है । इनमें केवल ह् घोष है और शेष अघोष ।

१. पा० ८, २, १८ पर वार्तिक (काशिका)—“बालमूललध्वसुरालमहगुलीनां वा रो लमापध्यत इति वक्तव्यम् ॥ कपिलकादीनां सज्ञाछन्दसोर्वा रो लमापध्यत इच्छि वक्तव्यम्” ॥ पा० ८, २, १८-२२ ।

ग्—यह मूल भारोपीय क्य् ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। स् से पूर्व एव कही-कही पदान्त में ग् के स्थान पर क् हो जाना इसके मूल कण्ठ्यत्व का ही परिचायक है, यथा—दिग् से दिक, दृश् से द्रक्ष्यति तथा अद्राक्षीत आदि। प्रातिगाख्यो, शिक्षाओ तथा वैयाकरणो के अनुसार ग् तालव्य, अघोप, महाप्राण ईपद्विवृत, ऊष्म ध्वनि है।

प्—मूर्धन्य स्पर्शों की भाँति प् को भी कतिपय पाञ्चात्य विद्वानो ने मूल-ध्वनि से विकसित नहीं मानकर अन्य ध्वनियो के विकार से उत्पन्न माना है। कुछ शब्दों में पूर्वकालीन तालव्य ग् तथा ज् के स्थान पर प् प्रकट होता है, यथा—नग् से नष्ट, मृज् से मृष्ट आदि। अ आ से भिन्न स्वर तथा क् र् से परे आने वाले न् के स्थान प् हो जाता है, यथा—अग्निपु, अत्कुपु आदि। यह मूर्धन्य, अघोप, महाप्राण ऊष्म ध्वनि है। शुक्ल यजुर्वेदी शिक्षाग्रन्थो में दिये गये नियमो से जात होता है कि उनकी रचना के पूर्व प् का ख् के समान उच्चारण करने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो चुकी थी।^१

स्—यह मूलभारोपीय स् का प्रतिनिधित्व करता है, यथा—वै० सन, लै० सेसनेकम, वै० स, गौ० सा आदि। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सन्धि में न् कही ग् कही प् में परिणत हो जाता है। स् और ल् का उच्चारण-स्थान प्रायः सभी एक ही मानते हैं, इसलिए ल् के स्थान के सम्बन्ध में जो विवाद है, वही इसके सम्बन्ध में भी है। सामान्यतः इसे दन्त्य, अघोप, महाप्राण, ईपद्विवृत ऊष्म ध्वनि माना जाता है।

ह्—तालव्य व्यञ्जनो के विवेचन के प्रसङ्ग में यह बतलाया जा चुका है कि कुछ वैदिक शब्दों में ह् पूर्वकालीन तालव्य है और कुछ में उत्तरकालीन तालव्य। पूर्वकालीन तालव्य ह् मूलभारोपीय व्य् का प्रतिनिधित्व करता है और विशेष परिस्थितियों में मूर्धन्य में परिणत हो जाता है, यथा—वह् से वहति के अतिरिक्त चोदुम् (वह् + तुमुन्), उट (वह् + क्त) आदि। उत्तरकालीन तालव्य हकार मूलभारोपीय की उष्म ध् ध्वनि का प्रतिनिधि है, जो द्वितीय तालव्यीकरण के कारण तालव्य में परिणत हो गयी। इसीलिए विशेष परिस्थितियों में इस हकार के स्थान पर कण्ठ्य स्पर्श प्रकट होता है यथा—हन् से हन्ति तथा हत के साथ घ्नन्ति, आदि।

अधिकांश प्रातिगाख्य, शिक्षा ग्रन्थ एव वैयाकरण ह् का स्थान कण्ठ मानते

१ (पृ० पृ०)—द्वितीया लघुमाध्यन्दिनीय शिक्षा (शि० सं० पृ० ११४—“पकारस्य खकारः स्याद् दृक्योमेतु नो धन्वे”। के० शि०, सूत्र ३—“प खण्डुमृतेच।”

हैं, परन्तु ऋ० प्रा० (१, ४०) के अनुसार ह् तथा विसर्ग का स्थान उरस् है । तै० प्रा० (२, ४७) कहता है कि कतिपय आचार्यों के मतानुसार हकार का स्थान वही है, जो उसके पूर्ववर्ती स्वर के आदिम भाग का है । सामान्यतः ह् कण्ठ्य, घोष, महाप्राण, ईषद्विवृत, ऊष्म ध्वनि है ।

(ज) अयोगवाह^१

विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय—पाणिनि (८, ३, १५) के अनुसार खर् (ख फ छ ठ थ च ट त क प श प स) से पूर्व तथा अवसान मे विसर्जनीय र् का प्रतिनिधित्व करता है । क् ख् से पूर्व विसर्जनीय के स्थान पर जिह्वामूलीय और प् फ् से पूर्व उपध्मानीय हो जाता है । परन्तु, ये दोनो वैकल्पिक है और सहिताओ मे इनके स्थान पर अधिकतर विसर्जनीय ही लिखा जाता है । पाणिनि के अनुमार कुछ परिस्थितियो मे विसर्जनीय के स्थान पर स् या प् भी आते हैं, परन्तु पाश्चात्य विद्वान विसर्जनीय को र् के अतिरिक्त स् का भी प्रतिनिधि मानते हैं ।^२ विसर्जनीय और ह् का उच्चारण-स्थान एक ही है, जिह्वामूलीय का जिह्वा-मूल तथा उपध्मानीय का ओष्ठ है ।

अनुस्वार तथा अनुनासिक—शिक्षाग्रन्थो के अनुसार अनुस्वार स्वरो पर आश्रित रहने वाली ध्वनि है । पा० शि० ५ पर पञ्जिका टीका मे कहा गया है—“स्वरमनु भवतीत्यनुस्वार, (स्वरम्) अनु अकाराद्यनुगमनेनानुस्वार . । वक्ष्यति च ‘दन्त्यमूल स्वराननु’ इति” । अतएव, अनेक विद्वान अनुस्वार के लिए अनुगामी ध्वनि (आफ्टर साउंड) सज्ञा का प्रयोग करते हैं । अनुस्वार का समीचीन प्रयोग-क्षेत्र अन्त स्थ एव ऊष्मो से पूर्व ही है ।^३ परन्तु, अनुस्वार-चिह्न के लिखने की सुविधा के कारण इसके प्रयोग का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता रहा है । प्राचीनकाल मे-

१. महाभाष्य, १, १, २ में (पञ्चम शिवसुप पर) पतञ्जलि की उक्ति है—“के पुनर-योगवाहाः ? विसर्जनीय—जिह्वामूलीयोपध्मानीयानुस्वारानुनासिक्य यमाः । कथ पुनरयोगवाहा ? यदुक्ता वहन्त्यनुपदिष्टाश्च शिष्यन्ते ।” इस अंश पर कैथट का कथन है,—अयुक्ताप्रत्याहार लक्षणेन ।” पा० शि० १६ पर पञ्जिका वृत्ति—“नविध्यते योगः सयोगो वर्णान्तरेण येषा ते अयोगवाहाः ।” वा० प्रा० ८, १८ पर उवटभाष्य—“अकारादिना वर्णसमाम्नायेन्य सहिताः सन्त एते वहन्त्यात्मलाभ प्राप्नुवन्त्ययोग-वाहाः ।”

२. बाकरनागल, अखिं० ग्रा० १, पृ० २५६ । मैक्डॉनेल, वे० ग्रा० पृ० ५४ ।

३. पा० शि०, २३ ।

ही स्पर्शों से पूर्व आनेवाले अनुनासिक स्पर्शों के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग होने लगा था और कालान्तर में अनुस्वार ने अनुनासिक के स्थान पर भी अधिकार जमा लिया। इस सम्बन्ध में अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देनेवाले पाणिनीय सूत्रों (८, ३, ४, ८, ४, ५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया। यहाँ तक कि आगे चलकर प्राकृत वैयाकरणों ने स्वरो से पूर्व भी अनुस्वार का विधान कर दिया है।

ऋ० प्रा० (१, ५) के अनुसार अनुस्वार स्वर तथा व्यञ्जन दोनों हैं। किन्तु तै० प्रा० (२, ३०) के वैदिकाभरणभाष्य में ऋ० प्रा० के मत का निराकरण करके यह स्थापित किया गया है कि यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में अनुस्वार केवल व्यञ्जन है और इसका उच्चारण अर्द्धगकार के सदृश है। इस सम्बन्ध में डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा का मत है कि तै० प्रा० (१, ३२-३४) के नियमानुसार अनुस्वार का स्वरूप पूर्णतः व्यञ्जनात्मक नहीं है; क्योंकि इन नियमों में ह्रस्व स्वर के समान अनुस्वार का काल भी एकमात्रा माना गया है। वा० प्रा० (४, १४८-४९) पूर्ववर्ती स्वर तथा अनुस्वार का काल दो मात्रा मानते हुए कहता है कि ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार का काल डेढ़ मात्रा और ह्रस्व स्वर का अर्द्धमात्रा है तथा दीर्घ स्वर के साथ अनुस्वार का काल अर्द्धमात्रा एवं दीर्घस्वर का काल डेढ़ मात्रा है।

ऋ० प्रा०, वा० प्रा०, तै० प्रा०, शिक्षाग्रन्थों, सि० कौ० तथा अनेक वैयाकरणों के अनुसार, अनुनासिक और अनुस्वार एक दूसरे से भिन्न हैं। अनुस्वार केवल व्यञ्जनों से पूर्व और अनुनासिक स्वरो से पूर्व तथा अवसान में भी आ सकता है। मुखनासिका दोनों में जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिकत्व स्वरो का गुण है, वह कोई पृथक् ध्वनि नहीं है। किन्तु, अनुस्वार एक नासिक्य ध्वनि है। ऋ० प्रा० (१३, ११) के अनुसार अनुस्वार का प्रयत्न अम्पृष्ट तथा स्थित है। प्राचीन पाण्डुलिपियों में कहीं-कहीं अनुस्वार और अनुनासिक के लिए समान चिह्न के प्रयोग की प्रवृत्ति को देखकर अनेक पाश्चात्य वैयाकरणों ने दोनों में अभेद स्थापित करने का प्रयास किया है^१, किन्तु अनुस्वार एवं अनुनासिक के स्वरूप तथा वास्तविक प्रयोग-क्षेत्र के विषय में किसी प्रकार की भ्रान्ति के लिए अवकाश नहीं है। अनुस्वार का उच्चारण-स्थान नासिका है।

१. डॉ० मि० व०, कि० स्ट०, पृ० १११।

२. द्विदन्ता, म० प्रा०, पृ० २१। मैकडॉनेल, वें० ग्रा० (स्ट०) पृ० १७।

संस्कृत-ध्वनि-समूह और नागरी-वर्णमाला

संस्कृत में कुल मिलाकर निम्नलिखित ४८ ध्वनियों की उपस्थिति मानी गयी है —

स्वर—ह्रस्व—अ इ उ ऋ लृ

दीर्घ—आ ई ऊ ऋ ए ओ

मिश्र—ऐ औ

व्यञ्जन—स्पर्श—क् ख् ग् घ् ङ्

—च् छ् ज् झ् ञ्

—ट् ठ् ड् ढ् ण्

—त् थ् द् ध् न्

—प् फ् ब् भ् म्

अन्त स्थ —य् र् ल् व्

ऊष्म—श् ष् स् ह्

अयोगवाह—विसर्ग () एवं अनुस्वार () ।

ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से वैदिक एव संस्कृत ध्वनि-व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं—(वैदिक की ऌ, ॠ, उपध्मानीय एव जिह्वामूलीय ध्वनियाँ संस्कृत तक आते-आते प्रायः लुप्त हो गयीं । (२) संस्कृत ऋ, ॠ तथा लृ का उच्चारण प्रायेण शुद्ध स्वर के समान नहीं रह गया । (३) वैदिक मिश्र स्वर ऐ औ संस्कृत में आकर मूलस्वर की तरह उच्चरित होने लगे । (४) मिश्र ऐ औ का उच्चारण आइ आउ की तरह नहीं रह कर अइ अउ की तरह होने लगा । (५) तवर्गी व्यञ्जन एव लृ, ल, स दन्त्यमूलीय या वत्स्य नहीं रहकर दन्त्य बन गये । (६) अन्य ध्वनियों के स्थान भी वैदिककालीन अपने पूर्व निश्चित केन्द्र से किञ्चित् आगे बढ़े । (७) व् मुख्यरूप से दन्तोष्ठ्य बन गया । (८) स्वरों के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा ऋत उच्चारण प्रायः समाप्त हो गये ।

उपर्युक्त अन्तर के अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी बातों में संस्कृत ध्वनि-समूह वैदिक ध्वनि-समूह के समान ही बना रहा ।

पालि-ध्वनि-समूह और नागरी वर्णमाला

पालि के प्राचीन वैयाकरणों ने पालि में ४१ से ४७ तक ध्वनियाँ मानी

थी ।' इस सम्बन्ध में प्रायः आधुनिक भाषाशास्त्रियों के मत भी समान नहीं हैं । सामान्यतः, पालि में निम्नलिखित ध्वनियाँ स्वीकृत हैं—

स्वर—	ह्रस्व—	अ	इ	उ	ए	ओ
	दीर्घ—	आ	ई	ऊ	ऐ	औ
व्यञ्जन—	स्पर्श—	क्	ख्	ग्	घ्	ङ्
		च्	छ्	ज्	झ्	ञ्
		ट्	ठ्	ड् (ढ)	ढ् (ढ्ह)	ण्
		त्	थ्	द्	ध्	न्
		प्	फ्	ब्	भ्	म्
	अन्तस्थ—	य्	र्	ल्	व्	
	ऊष्म—	स्	ह्			
	अयोगवाह—	अनुस्वार (जिसे पालि वैयाकरणों ने 'निग्गहीत' की सजा दी है ।)				

कुछेक आधुनिक विद्वानों ने पालि में दो प्रकार की य् ध्वनियाँ तथा तीन प्रकार की व् ध्वनियाँ मानी हैं^२, जिनको स्वीकार कर लेने पर पालि ध्वनियों की संख्या ४७ तक पहुँच जाती है ।

ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृत एवं पालि-ध्वनि-व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं—(१) पालि में संस्कृत के ऋ, ॠ, लृ, ऐ और औ स्वरों का प्रायः लोप हो गया था । संस्कृत ऋ के स्थान पर पालि में प्रायः अ, इ, उ मिलते हैं, यथा—हृदय-हृदय, ऋण-इण, ऋजु-उजु । किन्तु कहीं-कहीं ऋ का र् अश भी सुरक्षित मिलता है, यथा—ऋग्वेद—, इस्वेद, वृक्ष—व्वक्ष, प्रवृत्त—परुत्त, आदि । संस्कृत लृ का स्थान पालि उ ने ले लिया । यथा—वलृप्त-कुत्त, वलृप्ति-कुत्ति । इसी प्रकार संस्कृत ऐ औ का स्थान क्रमशः पालि ए, ओ ने ले लिया, यथा—चैत्यगिरि-चेतियगिरि, गौतम-गौतम, आदि । (२) पालि में ए, ओ दो ऐमे ह्रस्व स्वर मिलते हैं, जो संस्कृत में नहीं थे । स्मरणीय है कि ये स्वर मूलभारोपीय में वर्त्तमान थे । पालि में इन स्वरों की स्थिति का मुख्य कारण म्वराघात के स्थान पर वलाघात की प्रवृत्ति का बढ़ना था । वलाघात के कारण

१. "अवखरापा दरो एरुवत्तालीस—कच्चायन । "अमादयो तितालिस वण्णा"—१/१ भोग्गलान ।

२. भो० ना० ति०, 'हिन्दी भाषा', पृ० ६५ ।

पालि में सयुक्त व्यञ्जनो के पूर्व आने वाले दीर्घ स्वर ह्रस्व हो गये^१, यथा—
मैत्री-मेत्ती, ओष्ठ-ओट्ठ, आदि । (३) वैदिक की तरह पालि में भी दो स्वरो के बीच आने वाले ड, ढ व्यञ्जन क्रमशः ढ, ढ्ह के रूप में उच्चरित होते थे । स्मरणीय है कि संस्कृत में ये व्यञ्जन नहीं पाये जाते । (४) संस्कृत श ष स के स्थान पर पालि में केवल स बच गया । (५) पालि में विसर्ग का प्रयोग नहीं मिलता । पदान्त में आनेवाला विसर्ग पूर्ववर्ती अ से मिलकर प्रायः ओ में परिवर्तित हो जाता है, अन्यत्र उसका लोप हो जाता है । (६) पालि में अनुस्वार स्वतन्त्र ध्वनि है, जिसे पालि वैयाकरणों ने 'निग्गहीत' की सजा दी है ।^२

पालि की शेष ध्वनियाँ प्रायः संस्कृत के समान ही थी ।

प्राकृत-ध्वनि-समूह और नागरी वर्णमाला

प्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में से केवल उन्हीं का विवेचन किया है, जिनका प्रसार एव प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत था, साथ ही जिन्हे साहित्यिक उत्कर्ष भी प्राप्त हो चुका था । शेष गौण प्राकृत बोलियों में से अधिकांश का नामोल्लेख भी कहीं नहीं मिलता है । हिन्दी के पूर्ववर्ती स्रोत से सम्बद्ध कुरु जनपद की प्राकृत, जिसे कौरवी प्राकृत कहना अनुपयुक्त नहीं होगा; सम्भवतः ऐसी ही गौण बोली थी । आज उसका न तो कोई लिखित साहित्य उपलब्ध है और न उसके ध्वनि-समूह आदि की प्रामाणिक जानकारी के लिए कोई दूसरा निश्चित ठोस आधार ही । किन्तु, अनुमान किया जाता है कि उसका ध्वनि-समूह प्रायः आसपास की प्राकृतों के समान ही रहा होगा । इस दृष्टि से सभी ज्ञात प्राकृतों के एकत्र ध्वनि-समूह को निम्नलिखित रूप में उपस्थित किया जा सकता है । कोष्ठकबद्ध वर्णों से सम्बद्ध ध्वनियाँ किसी प्राकृत में थीं और किसी में नहीं थीं ।

स्वर—ह्रस्व—अ इ उ ए ओ

दीर्घ—आ ई ऊ ए ओ

१. देवनागरी में ह्रस्व ए ओ के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण लिखित साहित्य में इनके स्थान पर प्रायः ए ओ का ही प्रयोग मिलता है, जो दीर्घ स्वरों के सूचक वर्ण हैं ।
२. अनुस्वार-चिन्ह लेखन सुविधा के कारण संस्कृतकाल में ही परसवर्ण के रूप में प्रयुक्त होने लगा था । पालि में भी अनुस्वार का प्रयोग स्वतन्त्र ध्वनि-चिन्ह के अतिरिक्त परसवर्ण के रूप में हुआ ।

व्यञ्जन—स्पर्ग—क् ख् ग् घ् (ङ्)
 च् छ् ज् झ् (ञ्)
 ट् ठ् ड् (ळ्) ढ् (ळ्ह्) ण्
 त् थ् द् ध् (न्)
 प् फ् ब् भ् म्

अन्त स्थ—(य्) र् ल् व्

ऊर्ध्व—(ग्) (प्) स् ह्

अयोगवाह—अनुस्वार ()

आचार्य भरत ने (ना० शा० १७, ७ मे) 'प्राकृतयुक्ति' से प्राकृत की चर्णमाला के विषय में कहा था—

एओआरपराणि अ अआरपरं अ पाअए णत्थि ।

वसआरमज्झिमाइ अ कचवग्गणिहणाइ ॥

अभिनवगुप्त की व्याख्या के अनुसार ऐ, औ, ऋ, ॠ, लृ, ल विसर्जनीय, ज्, प्, ड्, ञ्, और न्, ये १२ वर्ण प्राकृत में नहीं थे। भरत ने अकार पर अर्थात् विसर्ग को हटाकर यह ध्वनित किया था कि संस्कृत वर्णमाला में प्राकृत तक आते-आते स्वरों के बाद अनुस्वार अ और विसर्ग अ का भी समावेश हो गया था। प्राकृत में विसर्ग का अभाव हो गया। हेमचन्द्र (८, १, १ की प्रकाशिका वृत्ति) ने भी "ऋ-ॠ-लृ-ल-ऐ-औ-ङ्-ञ-श-प विसर्जनीय प्लुतवर्जो वर्णसमाम्नायो लोकादवगन्तव्य" में भरत की स्थापनाओं को ही दुहराया।^१ किन्तु भरत एवं हेमचन्द्र के उपर्युक्त कथन प्राकृत के सभी क्षेत्रीय रूपों के लिए सर्वांशत सही नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ड्, ञ्, ज्, प् और न् प्राकृत के कई रूपों में अलग-अलग प्रयुक्त मिलते हैं।

पालि-ध्वनि-समूह से प्राकृत-ध्वनि-समूह की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में पर्याप्त समानता है, यथा—पालि की तरह प्राकृतों में भी ऐ, औ, ऋ, ॠ तथा लृ स्वरों का अभाव है। पालि की तरह प्राकृतों में भी ए ओ दो ह्रस्व स्वर हैं।^२ पालि की तरह प्राकृतों में भी विसर्ग का अभाव है। कहीं-कहीं प्राकृतों में ळ ळ्ह ध्वनियाँ भी मिलती हैं।

१ भा० वीरेन्द्र श्रौवास्तव, अपभ्रंश भाषा का अध्ययन, पृ० ४५ से उद्धृत।

२ देवनागरी में ह्रस्व ए ओ के लिए स्वतन्त्र चिह्न नहीं होने के कारण प्राकृत के लिखित साहित्य में इनके लिए भी प्रायः ए ओ का ही प्रयोग मिलता है।

किन्तु, कुछेक वातो मे कुछ प्राकृतो पालि से भिन्नता भी रखती है । यथा—
 (१) पश्चिमोत्तरी प्राकृत मे श् ष् स् तीनों का, पँशाची मे श् प् का तथा मागधी मे केवल श् का प्रयोग मिलता है । शेष प्राकृतो मे पालि की तरह ही केवल स् का प्रयोग मिलता है । (२) प्राकृतो मे र् तथा ल् मे और य् तथा ज् मे स्थान-विनिमय की विशेष प्रवृत्ति मिलती है । आद्य य् प्रायः ज् हो जाता है, किन्तु मागधी मे ज् का भी य् हो जाता है । (३) प्राकृतो मे न् का विकास प्रायः ण् के रूप मे हुआ है ।

अपभ्र श-ध्वनि-समूह और नागरी वर्णमाला

पूर्ववर्ती वैयाकरणो ने प्राकृत की तरह ही अपभ्र श के भी अनेकानेक क्षेत्रीय रूपो मे से सामान्यतः उन्ही का विवेचन किया है, जिनमे न्यूनाधिक साहित्य रचा गया था । शेष अपभ्र शो की जानकारी के लिए आज प्रामाणिक सामग्री का नितान्त अभाव है । हिन्दी के पूर्ववर्ती स्रोत से सम्बद्ध कुरुजनपद की अपभ्र श कौरवी, जिसका विकास उसी क्षेत्र की कौरवी प्राकृत से हुआ था, उन्ही अपभ्र शो मे से थी, जिनका कोई साहित्य नहीं था । ऐसी स्थिति मे कौरवी अपभ्र श के ध्वनि-समूह का प्रामाणिक विवेचन प्रायः असम्भव सा है । किन्तु, अनुमान है कि उसकी ध्वनि-व्यवस्था बहुत कुछ उसके आसपास की अपभ्र शो की ध्वनि-व्यवस्था के समान ही रही होगी । इस दृष्टि से विभिन्न अपभ्र शो के निम्नलिखित एकत्र ध्वनि-समूह पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है ।

स्वर—ह्रस्व—अ इ उ ए ओ

दीर्घ—आ ई ऊ ए ओ

सन्दिग्ध—(ऋ)

व्यञ्जन—स्पर्श—क् ख् ग् घ्
 च् छ् ज् झ्
 ट् ठ् ड् ढ् ण्
 त् थ् द् ध् न्
 प् फ् ब् भ् म्

अन्त स्थ—य् र् ल् व्

ऊष्म—स् ह्

अयोगवाह—अनुस्वार ()

सन्दिग्ध—(ङ्) (ञ्) (ऌ) (ड्) (ढ्) (श)

अपभ्रंश की ध्वनि-व्यवस्था प्रायः प्राकृत के समान ही बनी रही, साथ ही उसकी अनुलेखन पद्धति में भी कोई अन्तर नहीं आया। ह्रस्व स्वर ए ओ के लिए स्वतन्त्र वर्ण नहीं होने के कारण अपभ्रंश में उनके स्थान पर क्रमशः इ उ वर्णों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, जिसका प्रभाव उच्चरित रूप पर भी पड़ा। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि अपभ्रंश में अ का उच्चारण भी सवृत एव विवृत दो रूपों में होता था, किन्तु अनुलेखन पद्धति की रूढ़िवादिता के कारण लिखित साहित्य में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता।^१

ऋ का प्रयोग संस्कृत में भी प्रायः कम ही होता था^२, किन्तु प्राकृत में तो उसका स्वरवत् उच्चारण बिल्कुल समाप्त ही हो गया। इसीलिए प्राकृत वैयाकरणों ने वर्णमाला में इसका परिगणन भी नहीं किया। अपभ्रंश के भी भाषित रूप में ऋ स्वर का अस्तित्व नहीं था, किन्तु उसके लिखित साहित्य में ऋ वर्ण का प्रयोग प्राकृत की अपेक्षा अधिक मिलता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि लोकभाषा में सम्भवतः ऋ का स्वरवत् प्रयोग कहीं-कहीं अवशिष्ट रह गया था। हेमचन्द्र ने ८, ४, ३२९ के तनु-तृणु, सुकिदु-सुकुदु के उदाहरणों में, ८, ४, ३३६ के दोहे के 'गृहणइ' प्रयोग में तथा ८, ४, ३५० के दोहे के 'धृण' प्रयोग में ऋकार रहने दिया है। इसी प्रकार रामशर्मा तर्कवागीश^३ तथा मार्कण्डेय^४ ने ब्राह्मण से भृत्यादिगण से अन्यत्र ऋ का उच्चारण स्वीकार किया है। आधुनिक विद्वानों में डॉ० तगारे ने भी अपभ्रंश में ऋ की कथञ्चित् स्थिति स्वीकार की है, परन्तु उन्होंने इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में ही माना है।^५ डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने अपने शोधप्रबन्ध में इस सम्बन्ध में निष्कर्ष देते हुए लिखा है कि "संस्कृत तत्सम या कुछ तद्भव ऋण शब्दों को छोड़कर अन्यत्र अपभ्रंश में ऋ का (अ, इ, उ, ए, अर, एवं रि में) परिवर्तन हो जाता है। अतः, सामान्यतया अपभ्रंश में ऋ का अभाव ही है।"^६

१ डॉ० २० ना० ति; हि० भा० उ० वि०, पृ० १२५। डॉ० भो० ना० ति०; हि० भा०, पृ० ६८।

२. ऋकारस्य स्वरूप प्रयोग—महाभाष्य द्वितीयाहिनिक में ऋलृक् सूत्र की व्याख्या पर कैभट की उक्ति।

३ "भृत्यापरेपुर—ऋताविह तु प्रकृत्या"—प्राकृतकल्पतरु; ३, ३, २।

४ प्राह्नसर्षस्व; १८, १।

५. हि० भा० अप०, पृ० २३।

६. डॉ० वी० श्रीवास्तव, अपभ्रंश भाषा का अध्ययन, पृ० ४८।

अपभ्रंश में स्वरों के अनुनासिक रूप का प्रयोग प्रचलित था, किन्तु अनुनासिक व्यञ्जनो में ड्, ज् एव न् के प्रयोग के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। अपभ्रंश साहित्य के लिखित रूप में कही इनका प्रयोग मिलता है और कही नहीं मिलता है। श्री भायाणी ने अपभ्रंश में इन तीनों का अस्तित्व स्वीकार किया है और तदनुसार अपने द्वारा सम्पादित 'पउमचरिउ' और 'कीर्त्तिलता' आदि ग्रन्थों के मुद्रण में इनका प्रयोग भी कराया है। इन तीनों में से न् तो निश्चय ही अपभ्रंश में वर्तमान था, किन्तु इसका प्रयोग अपभ्रंश की प्रारम्भिक अवस्था में कम तथा उत्तरावस्था में अधिक हुआ। हेमचन्द्र ने भी अपनी वर्णमाला में नकार का बहिष्कार नहीं किया है। किन्तु ड्, ज् के स्थान पर अधिकांश विद्वानों ने अनुस्वार का ही अस्तित्व स्वीकार किया है।^१ इस सम्बन्ध में मेरी धारणा यह है कि कण्ठ्य एव तालव्य स्पर्शों के पूर्व अनुस्वार का उच्चारण अन्त स्थो एव ऊष्मो से पूर्व के अपने वास्तविक उच्चारण से भिन्न होता है। ऐसी स्थिति में अपभ्रंश में भी कण्ठ्य एव तालव्य स्पर्शों से पूर्व आनेवाले अनुस्वार को क्रमशः ड् एव ज् का प्रतिनिधि मानना ही उचित है।

अपभ्रंश के लिखित साहित्य में ड ढ वर्णों का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता है, किन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भाषित रूप में इनसे सम्बद्ध ध्वनियाँ वर्तमान थीं। उन दिनों चूँकि ड् ढ् के नीचे बिन्दी लगाकर उक्त ध्वनियों को सूचित करने की प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी, इसीलिए लिखित साहित्य में उनके स्थान पर ड् ढ् का ही प्रयोग मिलता है।^२ कुछ विद्वानों ने महाराष्ट्री, पँशाची, मागधी तथा शौरसेनी के भी कुछ भागों में ळ् ळ्ह ध्वनियों का अस्तित्व स्वीकार किया है।^३ डॉ० तगारे ने प्राच्य अपभ्रंश में श् का अस्तित्व भी स्वीकार किया है,^४ किन्तु, अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश में मुख्यतः दो ही ऊष्म—स् और ह् की उपस्थिति का समर्थन किया है।

यहाँ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अपभ्रंश में र् ल् अन्त स्थो का उच्चारण प्रायः स्पर्श व्यञ्जनो के समान तथा ण्ह, ण्ह्, र्ह्, एव ल्ह् का उच्चारण सयुक्त व्यञ्जनो की अपेक्षा प्रायः महाप्राण स्पर्श के समान होने लगा था।

१. डॉ० वी० श्रीवास्तव; अपभ्रंश भाषा का अध्ययन, पृ० ८०-८१, ८४-८६।

२. उपरिवत्, पृ० १०७।

३. डॉ० भो० ना० ति, हि० भा०, पृ० ६८।

४. डॉ० तगारे; हि० ग्रा० अप०, पृ० २६।

खड़ी बोली का ध्वनि-समूह और नागरी-वर्णमाला

यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि हिन्दी की जननी खड़ीबोली का जन्म कुरु जनपद की कौरवी अपभ्रंश से हुआ था। अनुमान है कि प्रारम्भ में खड़ी बोली के स्थान पर 'कौरवी बोली' या 'कुरुवी बोली' शब्द का ही प्रयोग होता रहा होगा, किन्तु आगे चलकर पञ्जाबी की महाप्राणीकरण-प्रवृत्ति के प्रभाव से कौरवी या कुरुवी की आदि 'क्' ध्वनि 'ख्' में परिवर्तित हो गयी, जिससे 'कौरवी' या 'कुरुवी' का अर्थ 'खड़ी' के रूप में विकास हुआ, यथा—कौरवी या कुरुवी→खडवी→खड़ी। इस प्रकार 'खड़ी बोली' शब्द वास्तव में कौरवी या कुरुवी बोली का ही रूपान्तर है। खड़ी बोली आज भी अपने जन्मक्षेत्र रामपुर राज्य, मुरादाबाद, विजनीर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला तथा कलसिया और पटियाला रियासत के पूरबी भाग में ग्रामीणों के बीच प्रचलित है। इसका मानक रूप विजनीर में पाया जाता है। शेष स्थानों में इस पर निकटवर्ती अन्य बोलियों की छाया स्पष्ट परिलक्षित होती है, जिससे इसके कई किञ्चित् भिन्न स्थानीय रूप हो गये हैं। किन्तु, मूल ध्वनियों की दृष्टि से उन रूपों में प्रायः विशेष अन्तर नहीं पाया जाता। इसका ध्वनि-समूह निम्नलिखित है —

स्वर—	ह्रस्व—अ	इ	उ	ए	ओ	
	दीर्घ—आ	ई	ऊ	ए	ओ	ऐ औ
व्यञ्जन—स्पर्श—	क्	ख्	ग्	घ्	(ङ्)	
	च्	छ्	ज्	झ्	(ञ्)	
	ट्	ठ्	ड् (ड्)	ढ् (ढ्)	ण्	
	त्	थ्	द्	ध्	न्	
	प्	फ्	ब्	भ्	म्	
अन्त स्थ—	य्	र्	ल्	व्		
उपम—	स्	ह्				
अयोगवाह—	अनुस्वार (ँ)					

खड़ी बोली के लिखित रूप में यद्यपि ऐ, औ का प्रयोग होता है, किन्तु भाषित रूप में उनका उच्चारण क्रमशः ए ओ के समान होता है, यथा—पैर का

पेर, है का हे, और का ओर, आदि ।^१ ऋ प्राय सर्वत्र रि के रूप में लिखा एवं बोला जाता है । कुछ विद्वानों के अनुसार कतिपय विशेष स्थितियों में शब्दों में अ का उच्चारण ह्रस्वाद्ध अ की तरह तथा आ का उच्चारण अँगरेजी आँ की तरह होता है,^२ किन्तु ये ध्वनियाँ स्वनिमात्मक नहीं हैं । खड़ी बोली में पाये जाने वाले सभी स्वर अनुनासिक रूप में भी व्यवहृत होते हैं ।

खड़ी बोली में ध्वनियों के द्वित्व की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है तथा द्वित्व के पूर्व के दीर्घ स्वर प्राय ह्रस्व में परिवर्तित होते दिखाई पड़ते हैं, यथा— वेटा का वेट्टा, रोटी का रोट्टी आदि । अ स्वर में यह परिवर्तन प्राय नहीं देखा जाता ।^३

खड़ी बोली के नासिक्य व्यञ्जनो में से ण् न् म् का प्रयोग तो स्वतन्त्र रूप में होता है, किन्तु ड् ञ् का नहीं । इन दोनों के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार का ही प्रयोग देखा जाता है । इस कारण विद्वानों ने खड़ी बोली में ड् ञ् के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है । किन्तु, जैसा कि हम अपभ्रंश आदि के प्रसङ्ग में पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अनुस्वार का (अन्त स्थो एव ऊँमी से पूर्व का) प्रकृत उच्चारण स्पर्शों से पूर्व के उच्चारण से सदा ही भिन्न होता है । अतः खड़ी बोली में भी कण्ठ्य एव तालव्य व्यञ्जनो से पूर्व आनेवाले अनुस्वार को क्रमशः ड् एव ञ् का ही प्रतिनिधि मानना अधिक समीचीन एव वैज्ञानिक प्रतीत होता है । यो, अनुस्वार अपने प्रकृत रूप में भी खड़ी बोली में खूब प्रयुक्त होता है, जहाँ वह अन्त स्थ एव ऊँम ध्वनियों के पूर्व या पदान्त में आता है ।

खड़ी बोली में स्वरमध्यग ड् एव ढ् प्राय ड् एव ढ् के रूप में उच्चरित होते हैं । किन्तु ऊपरी दोआब के कुछ हिस्से में प्राय ऐसा नहीं होता ।^४ इसी तरह ण्ह्, न्ह्, म्ह्, य्ह्, र्ह्, ल्ह्, वह् महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग भी इसमें खूब मिलता है, जिनका उच्चारण सयुक्त ध्वनि की अपेक्षा मूलध्वनि के अधिक निकट कहा जा सकता है ।^५ इसमें विसर्ग, श् एव ष् का अभाव है ।

१ द्रष्टव्य—ग्रियर्सन; लि० स० इ०, वोल्यूम ६, भाग १, पृ० २१३ । डॉ० उ० ना० ति; हि० भा० उ० वि०, ० २३० । डॉ० भो० ना० ति०, हि० भा०, प० १८७ ।

२ डॉ० भो० ना० ति, हि० भा०, पृ० १८७ ।

३ ग्रियर्सन, लि० स० इ० वो० ६ भाग १, प० २१३ । डॉ० उ० ना० ति०, हि० भा० उ० वि०, पृ० २३१ । डॉ० भो० ना० ति०, हि० भा०, पृ० १८७ ।

४. उपरिवत् ।

५ डॉ० भो० ना० ति०; हि० भा०, पृ० १८८ ।

उपसहार—भारतीय आर्यभाषाओं के उपर्युक्त ध्वनि-समूहों का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन करने पर मुख्यतः तीन तथ्य सामने आते हैं :—(१) वैदिक की ही अविकाश ध्वनियाँ कालक्रम से परिवर्तित होती हुई संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश होकर खड़ी बोली और अन्यान्य आधुनिक आर्यभाषाओं में आयी हैं। (२) उपर्युक्त किसी भी भाषा में जननी भाषा की सभी ध्वनियाँ तद्वत् गृहीत नहीं हुई हैं। (३) प्रत्येक नवीन भाषा के विकास के साथ अनेक नवीन ध्वनियाँ भी विकसित होती रही हैं, साथ ही अनेक ध्वनियाँ विस्मृत होकर पीछे भी छूटती गयी हैं।

किन्तु, हिन्दी के वर्तमान परिनिष्ठित रूप की स्थिति म० भा० आ० से सर्वथा भिन्न एवं असामान्य है। इसमें प्रा० भा० आ० की अविकाश ध्वनियाँ यदि एक ओर परम्परा-क्रम से विकसित होती हुई आयी हैं, तो दूसरी ओर कतिपय ऐसी ध्वनियाँ, जो म० भा० आ० में गृहीत नहीं हुई थी, वे भी संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ प्रविष्ट हो गयी हैं। हिन्दी ध्वनि-समूह की इस असामान्य स्थिति का विम्बित विवेचन आगे यथास्थान प्रस्तुत किया जायगा।



हिन्दी-ध्वनि-समूह और नागरी-वर्णमाला

१ ध्वनिवैज्ञानिक विवेचन

किसी भी भाषा में जितनी ध्वनियाँ होती हैं, वे सभी अर्थभेदक नहीं होती। यही कारण है कि भाषा के लेखन में सभी ध्वनियों के लिए स्वतन्त्र वर्णों की अपेक्षा नहीं होती, केवल उन्हीं ध्वनियों के लिए होती है, जो अर्थभेदक हुआ करती हैं। किन्तु, भाषा के ध्वनिवैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से प्रत्येक ध्वनि का अपना विशिष्ट महत्त्व होता है, इसलिए प्रत्येक ध्वनि का विवेचन भी आवश्यक माना जाता है।

यहाँ हमारा उद्देश्य परिनिष्ठित हिन्दी के वर्तमान भाषित स्वरूप का ध्वनि वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करके उसमें उपलब्ध सभी ध्वनियों का नागरी वर्णों के माध्यम से परिचय देना तथा प्रत्येक का ध्वनिवैज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट करना है।

परिनिष्ठित हिन्दी के वर्तमान भाषित स्वरूप का आधुनिक वर्णनात्मक प्रविधि से सूक्ष्म ध्वनिवैज्ञानिक अध्ययन-विश्लेषण करने पर मुझे इसमें कुल मिलाकर ८३ ध्वनियाँ मिली हैं, जिन्हें स्वर^१, व्यञ्जन^२, अन्त स्थ^३ एवं अयोगवाह^४ की

१ द्रष्टव्य :—पा० १, २, २६ पर महाभाष्य—“अन्वर्थं खल्वपि निर्ध्वनम् । स्वयं राजन्ते इति त्वराः, अन्वग्भवति व्यञ्जनमिति ।” पा० शि० ४ पर पञ्जिकावृत्ति—स्व् शब्दोपतापयोः स्वर्यते शब्द्व्यतेऽनेन व्यञ्जनमिति करणेऽन्प्रत्ययः ।” विशेष द्रष्टव्यः : (a) K C Chatterji, Technical terms and technique of Sanskrit Grammar, 1948, 'Svara and Vyanjana', Pp. 184-189.

चार व्यापक ध्वनि-श्रेणियाँ हैं वर्गबद्ध किया जा सकता है। उनमें ३० स्वर,

(b) W. S Allen, Phon. Anc Ind. 1953. 'Vowels and Consonants' PP. 24-26 (C) B Block & G. L. Trager; Outline of Linguistic Analysis, 1942, 'The classification of speech sounds'—"A Vowel is a sound for whose production the oral passage is unobstructed, so that the air current can flow from the lungs to the lips and beyond without being stopped, without having to squeeze through a narrow constriction, without being deflected from the median line of its channel, and without causing any of the supraglottal organs to vibrate, it is typically but not necessarily voiced"—Chap II

२. उपरिक्त, 'द्रष्टव्य' विशेष द्रष्टव्य, (a) and (b), (c) "A Consonant is a sound for whose production the air current is completely stopped by an occlusion of the larynx or the oral passage, or is forced to squeeze through a narrow constriction, or is deflected from the median line of its channel through a lateral opening or causes one of the supraglottal organs to vibrate. B Block & G. L. Trager
- ३ वह ध्वनि जिसके उच्चारण में कण ध्रुव स्वरों की सीमा से ऊपर चला जाता है, किन्तु सक्षर्पि व्यञ्जनों की सीमा से नीचे ही रहता है। अन्तःस्थ के सम्बन्ध में भारत के प्राचीन ध्वनिविदों का विवेचन कुछ भिन्न है: द्रष्टव्य—W. S. Allen Phon. Anc. Ind 'Semi vowel' PP. 27-32. K C Chatterji, Technical terms and technique of Sanskrit Grammar, PP 231-234
- ४ महाभाष्य, १ १ २ (पञ्चम शिवसूत्र पर)—"कथं पुनरयोगवादाः ? यद्युक्ता बहन्त्यनुपदिष्टारच श्रूयन्ते ।" इस श्रग पर कैयट का कथन—"अयुक्ताः प्रत्याहारलक्षणेन ।" पा० शि० १६ पर पत्रिका—"न विद्वयते-योगः सयोगो वर्णान्तरेण येषां ते अयोगवादाः ।" विशेष द्रष्टव्य :—K C Chatterji, Technical terms and technique of Sanskrit Grammar, Ayogavaha, PP 215-219. W. S Allen Phon Anc Ind PP 16-17

जिनमे १५ मूलस्वर^१, २ मिश्रस्वर^२ तथा १३ अनुनासिक^३ स्वर है, ४४ व्यञ्जन,
जिनमे ४२ मूल व्यञ्जन^४ तथा २ मिश्र व्यञ्जन^५ हैं, ३ अन्त स्थ, जिनमे २
अर्द्धस्वर^६ और १ अर्द्धव्यञ्जन^७ है तथा ६ अयोगवाह, जिनमे १ विसर्ग^८ तथा
५ नासिक्य अर्थात् अनुस्वार^९ वर्गीय ध्वनियाँ है, सम्मिलित है ।

ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी की उपर्युक्त सभी ध्वनियाँ परस्पर भिन्न
तो हैं, किन्तु वे सभी अर्थभेदक नहीं है । उनमे से अनेक ध्वनियाँ पृथक्-पृथक्
स्वनिमो (ध्वनिग्रामो) के सस्वन मात्र है, जिनपर आगे यथास्थान विस्तार से
प्रकाश डाला जायगा ।

१. जिसमें किसी अन्य स्वर की श्रुति न हो ।

२. 'Diphthong', Daniel jones, An outline of English Phonetics, Cambridge, 1956, § 219-224

कुछ विद्वानों ने इसके स्थान पर 'सयुक्त स्वर' शब्द का प्रयोग किया है जो समीचीन
नहीं है । इस पर आगे यथास्थान विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जायगा ।

३. "मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः ।"—अ० १, १८ ।

४. जिसमें किसी अन्य व्यञ्जन की श्रुति न हो ।

५. एक ही वार दो भिन्न व्यञ्जनों के युगपत् (साइमलटेनियस) उच्चारण के प्रयास के
फलस्वरूप, दोनो के वदले जो तीसरा व्यञ्जन उच्चरित होता है, उदे ही मिश्र व्यञ्जन
कहते है । ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से इसके उच्चारण की प्रक्रिया व्यञ्जनसंयोग तथा
व्यञ्जनद्वित्व दोनों ही से भिन्न और कठिन है । इस पर आगे यथास्थान विस्तार
से प्रकाश डाला जायगा ।

६ वह अन्तस्थ ध्वनि जिसमें व्यञ्जनात्मक अक्ष की अपेक्षा स्वरात्मक अक्ष ही अधिक हो ।

७ वह अन्तस्थ ध्वनि, जिसमें स्वरात्मक अक्ष की अपेक्षा व्यञ्जनात्मक अक्ष ही अधिक
हो ।

८ तै० प्रा०, २, ४८—"पूर्वान्तस्थानो विसर्जनीयः ।" पा० शि० २२—"अयोगवाहा
विज्ञेयाऽश्रयस्थान भागिनः ।" काकल्य सङ्घर्षी अघोष महाप्राण अयोगवाह ध्वनि ।

९. ऋ० प्रा० १, ४८—"नासिक्य यमानुस्वारान् (नासिक्यान्)।" वा० प्रा० १, ७४—
"यमानुस्वार नासिक्याना नासिके ।" पा० शि० २२—अनुस्वार यमाना च नासिका-
स्थानमुच्यते ।" सि० कौ०, ५० १७—"नासिकानुस्वारस्य ।" का० १, १, १६—
"अ० इत्यनुस्वार । दुर्गटीका— 'अनुस्वर्यते सलीन शब्दयते इत्यनुस्वारः ।' कविराजः—
"अनुशब्दः सश्लेषे । पूर्ववर्णेन सश्लिष्टिर्यथा स्यात् तथा उच्चार्यते ।" अनुस्वार के
सम्बन्ध मे प्राचीन ध्वनिविदों में बहुत प्रकार के मतान्तर रहे हैं । द्रष्टव्य—K. C

Chatterji, Technical terms and technique of Sanskrit Gram-
mar P 219-223

यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि हिन्दी की ध्वनियों में से अधिकांश परम्परागत भारतीय आर्यभाषा-स्रोत की हैं, कुछ विदेशी ऋण शब्दों के साथ हिन्दी में प्रविष्ट हो गयी हैं और कुछ आधुनिक काल में विकसित नवीन ध्वनियाँ हैं।

नागरी में हिन्दी की उक्त सभी ध्वनियों के लिए पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं; इस कारण यहाँ नागरी वर्णों के माध्यम से हिन्दी ध्वनियों को उपस्थित करने के प्रसङ्ग में, जिन ध्वनियों के लिए नागरी में वर्ण नहीं हैं, उनके लिए लगभग उनके समान ध्वनियों के सूचक वर्णों के साथ कुछ विशेष चिह्न, यथा ऊपर चन्द्र (~) या नीचे विन्दु () का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हिन्दी ध्वनि-समूह को नागरी वर्णों के माध्यम से निम्नलिखित क्रम में उपस्थित किया जा सकता है।

(१) स्वर

(क) मूल स्वर

उदासीन ह्रस्व—[अ]

ह्रस्व— [अ इ उ ए ओ]

दीर्घ— [आ ई ऊ ए ओ ऐ. एँ औँ अँ]

(ख) मिश्र स्वर

दीर्घ— [ऐ औँ]

(ग) अनुनासिक स्वर

उदासीन ह्रस्व—[अँ]

ह्रस्व— [अँ इँ उँ एँ ओँ]

दीर्घ— [आँ ईँ ऊँ एँ ओँ ऐँ औँ अँ]

•सूचना—(१) हिन्दी में विदेशी स्रोत से आगत दीर्घ स्वर [एँ] तथा [औँ] के एव भारतीय आर्य भाषा-स्रोत से आगत मिश्र दीर्घ स्वर [ऐ] तथा [औँ] के अनुनासिक रूप प्रायः नहीं मिलते।

•सूचना—(२) हिन्दी के भाषित रूप में संस्कृत स्वर [ऋ] तथा [ॠ] का उच्चारण क्रमशः स्वरयुक्त व्यञ्जन [रि] तथा [री] के रूप में और [ऌ] तथा [ॡ] का उच्चारण क्रमशः स्वरयुक्त संयुक्त-व्यञ्जन [लि] तथा [ली] के रूप में होता है। अतः इनमें से किसी को भी ध्वनिवैज्ञानिक आधार पर हिन्दी का स्वर मानना समीचीन नहीं है। इसीलिए इनकी गणना हिन्दी-स्वरों के साथ नहीं की गयी है।

(२) व्यञ्जन

(क) मूल व्यञ्जन

(१) स्पर्श—

अलिजिह्वीय—[क]

कोमल तालव्य—[क् ख् ग् घ्]

मूर्धन्य— [ट् ठ् ड् ढ्]

दन्त्य-वत्स्य— [त् थ् द् ध्]

ओष्ठ्य— [प् फ् ब् भ्]

(२) स्पर्श घर्षी—

कठोर तालव्य—[च् छ् ज् झ्]

(३) अनुनासिक— [ङ् ण् ण् न्ह् म् म्ह् ज्ञ्]

(४) पार्श्वक— [ल् ल्ह्]

(५) लुण्ठित प्रकम्पी—[र्]

(६) उत्क्षिप्त— [ड् ढ्]

(७) सङ्घर्षी— [ह् ख् ग् श् प् स् ज् फ्]:

(ख) मिश्र व्यञ्जन —[क्ष् ज्ञ्]

(३) अयोगवाह

विसर्ग (काकल्य)—[]

अनुस्वार वर्गीय (नासिक्य)

१ [] कण्ठयीकृत

२ [] तालव्यीकृत

३ [] मूर्धन्यीकृत

४ [] वत्स्यीकृत

५ [] ओष्ठ्यीकृत

(४) अप्त स्थ

अर्द्ध स्वर— [य् व्]

अर्द्ध व्यञ्जन— [व्]

हिन्दी ध्वनियों के सूचक नागरी वर्णों का ध्वनिवैज्ञानिक परिचय

मूलस्वर

१. [अ] अर्द्धविवृत मध्य अपूर्णोच्चरित अतिह्रस्व उदासीन स्वर^१। स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [अ] से ऊपर और कुछ आगे है। हिन्दी का यह उदासीन [अ] सहस्रा मूलभारोपीय भाषा के उदासीन [अ] का स्मरण दिला देता है, जिसे पाञ्चात्य भाषाशास्त्रियों ने 'श्वा' की सजा दी है। सम्भव है, लोकभाषा-त्रोट में वहता हुआ वही 'श्वा' हिन्दी के इस उदासीन [अ] का भी मूल हो। किन्तु, इस अनुमान को जब तक प्रमाणपुष्ट ऐतिहासिक आधार नहीं मिल जाता, तबतक हिन्दी के इस उदासीन [अ] को आधुनिक काल में विकसित नवीन ध्वनियों के ही साथ परिगणित करना समीचीन है।

ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से ह्रस्व [अ] एव उदासीन [अ] में मुख्य भिन्नता यह है कि पहले के उच्चारण में वाग्निद्रियाँ आद्यन्त पूर्ण सचेष्ट रहती हैं, किन्तु दूसरे के उच्चारणान्त में प्रायः गिथिल अथवा उदासीन सी हो जाती हैं। इन स्थितियों का प्रभाव उक्त दोनों ध्वनियों पर कई रूपों में परिलक्षित होता है, यथा—ह्रस्व [अ] पूर्णोच्चरित, पूर्ण श्रुत्य, बलाघात वहन करने में समर्थ तथा मवल आक्षरिक स्वर है, किन्तु उदासीन [अ] अपूर्णोच्चरित, अपूर्ण श्रुत्य, बलाघात वहन करने में अक्षम तथा निर्बल आक्षरिक स्वर है। इन कुछेक असमानताओं के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में दोनों स्वर ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से प्रायः समान हैं। इस प्रकार उदासीन [अ] वास्तव में ह्रस्व [अ] का ही निर्बल एव अपूर्णोच्चरित उदासीन रूप है।

हिन्दी-शब्दों में उदासीन [अ]—(१) व्यञ्जन रहित स्वतन्त्र अक्षर के रूप में नहीं आता, (२) आदि में या आद्यक्षर में नहीं आता, (३) मयुक्त व्यञ्जनों के पूर्व या परे नहीं आता तथा (४) बलाघातयुक्त अक्षर में नहीं आता। यह सदा असयुक्त व्यञ्जन के साथ बलाघातरहित अक्षर के रूप में केवल निम्नलिखित स्थितियों में आता है.—

१. हार्नलो ने पूरबी हिन्दी में इस उदासीन अ की उपस्थिति मानते हुए लिखा है—

“The neutral vowel is the shortest possible vocal utterance, and very obscure in its character”—A Comparative Grammar of the Gaurdian languages etc., A. F. Rudolf Hoerule, 1830, P. 4., § 4.

आदि मे या आद्यक्षर मे—नही आता ।

मध्य मे —दो बलाघातयुक्त अक्षरो के बीच के असयुक्ताक्षर मे जबकि परवर्ती अक्षर भी असयुक्ताक्षर ही हो, यथा—जनता, कितना, भारती, अपना, अनवन, डाकघर, सुन्दरतम, चञ्चलपन आदि मे ।

अन्त मे —केवल असयुक्ताक्षर मे, यथा—अब, हम, रात, एक राम, कमल, चन्दन, अचानक आदि मे । एकाक्षरी शब्दो मे नही आता ।

सूचना :—(१) भाषाशास्त्रियो ने हिन्दी की बोलियो तथा अन्यान्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओ मे तो उदासीन अ की उपस्थिति स्वीकार की है', किन्तु परिनिष्ठित हिन्दी मे इसकी उपस्थिति की चर्चा अद्यावधि किसी ने नही की है ।

सूचना —(२) उदासीन [अ] के लिए हिन्दी की लिपि नागरी मे कोई वर्ण नही है, क्योंकि यह कभी व्यञ्जन से अलग स्वतन्त्र अक्षर के रूप मे नही आता ।^२

विशेष टिप्पणी —ऊपर हमने हिन्दी शब्दो के अन्तर्गत जिन स्थानो और स्थितियो मे उदासीन अ की उपस्थिति निर्धारित की है, उन स्थानो एव स्थितियो मे हिन्दी के अनेक वैयाकरणो तथा भाषाशास्त्रियो ने स्वरत्व का प्राय. लोप या अभाव माना है ।^३ इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि हिन्दी वैयाकरणो तथा भाषाशास्त्रियो की इस मान्यता का सूत्रपात सर्वप्रथम उन्नीसवी शताब्दी मे हिन्दी

१ द्र० (क) ए० एफ० आर० हार्नली, ए कम्पे० ग्रा० गॉ० ले०, पृ० ३, § ३ ।

(ख) डा० वा० स०, ए० अ० § ६६ ।

(ग) डा० धी० व०, हि० इ० § ३० ।

(घ) बेली, पञ्जाबी फोनेटिक रीडर—भू० पृ० १४ ।

(ङ) डॉ० भो० ना० ति०, हि० भा०, स० २, पृ० २२ ।

2. The neutral vowel requires no initial form as it never occurs in the beginning Hoernli, A Comp. Gram etc P 3 § 3

३ (क) डा० धी०, हि० इ०, § १२ ।

(ख) डा० उ० ना० ति०, हि० उ० वि०, § १४ (!) ।

(ग) डा० भो० ना० ति०, हि० भा०, खड २, पृ० २१-२२ ।

(घ) का० प्र० गु०, हि० व्या०, § ४० । (ङ) डा० आ० श०, वे० ग्रा०, § ५१-५२ ।

पर कार्य करने वाले कुछ पाञ्चात्य भाषाशास्त्रियों^१ तथा वैयाकरणों^२ के द्वारा किया गया था। तब से लेकर आज तक यह मान्यता, समुचित परीक्षण के बिना ही भारतीय वैयाकरणों एवं भाषाशास्त्रियों के द्वारा निर्विरोध तथा अन्ध समर्थन प्राप्त करती आयी है। यहाँ तक कि वर्तमान पीढ़ी के भाषाशास्त्रियों ने इसे एक निश्चित नियम का ही रूप दे डाला है।

किन्तु, हिन्दी के भाषित रूप में उपलब्ध ध्वनियों का आधुनिक ध्वनि-शास्त्रीय पद्धति से सूक्ष्म अध्ययन-मनन एवं चिन्तन के पश्चात् मैं जिम निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, उसके आधार पर अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन पूज्य वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों की उपर्युक्त मान्यता के प्रति अपनी विनम्र, किन्तु दृढ़ असहमति प्रकट करने को बाध्य हूँ। मेरा यह निश्चित मत है कि वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों ने हिन्दी गद्यों के अन्तर्गत, जिन स्थानों एवं स्थितियों में, अ के स्वरत्व-लोप का अथवा उसके अभाव का विवेचन किया है, वहाँ वस्तुतः स्वरत्व का लोप नहीं, उदासीन अ की उपस्थिति है। इसके अतिरिक्त अपने अध्ययन के क्रम में मैंने यह भी पाया है कि हिन्दी में उदासीन अ की उपस्थिति केवल उन्हीं स्थानों में नहीं है, जहाँ भाषाशास्त्रियों ने अ के स्वरत्व का लोप या अभाव माना है, बल्कि वह हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत के समस्त व्यञ्जनान्त तत्सम शब्दों, यथा—भगवान्, विद्वान्, महान्, सम्राट्, परिपद्, सुहृद्, जगत्, पृथक् आदि के अन्त में भी सुनाई पड़ता है।

इस प्रकार हिन्दी में एक ओर यदि अन्त्य अ का उदासीनीकरण हुआ है, तो दूसरी ओर व्यञ्जनान्त शब्दों के अन्त में उदासीन अ का आगम भी। ऐसी स्थिति में हिन्दी वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों की यह मान्यता समीचीन नहीं है कि हिन्दी में अकारान्त शब्दों का व्यञ्जनान्त उच्चारण होता है।

इस सम्बन्ध में इस बात के अनेक ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं, जिनसे सिद्ध किया जा सकता है कि स्वयं वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों को भी अपनी उक्त मान्यता के प्रति पूर्ण आस्था नहीं रही है। उदाहरणार्थ, यहाँ एक रोचक प्रमाण डा० श्रीरेन्द्र वर्मा के 'हिन्दी भाषा का इतिहास' से उपस्थित किया जाता है। श्रद्धेय वर्मा जी ने अपने ग्रन्थ में अ का वितरण स्पष्ट करते हुए स्पष्ट शब्दों में अपनी यह मान्यता व्यक्त की है कि कुछ अपवादों को छोड़कर शेष स्थितियों में

१. बोम्म, क० ग्रा०, § ४६।

२. केशव, हि० ग्रा०, § १४, पृ० १०।

हिन्दी में शब्द या शब्दांश के अन्त में आने वाले अ का उच्चारण नहीं होता है ।^१ किन्तु उसी ग्रन्थ में जब वे अ का इतिहास प्रस्तुत करने चले हैं, तो वहाँ उन्होंने हिन्दी के सभी अकारान्त शब्दों में अन्त्य अ की उपस्थिति स्वीकार कर ली है ।^२ प्रायः यही स्थिति अन्यान्य भाषाशास्त्रियों एवं वैयाकरणों की भी है । इस प्रकार भाषाशास्त्रियों की मनस्थिति की यह दुविधा तथा उनके सिद्धान्त एवं व्यवहार का यह वैपम्य इस बात का एक पुष्ट प्रमाण है कि उनके भीतर अपनी उक्त मान्यता के प्रति पूर्ण आस्था नहीं रही है ।

सम्भवतः यही कारण है कि आज तक हिन्दी-लेखन में किसी के द्वारा वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों की उक्त मान्यता का पालन नहीं किया गया । इतना ही नहीं, स्वयं वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों ने भी अपने ग्रन्थों में प्रायः उदाहरणों को छोड़कर अन्यत्र अपनी मान्यता को व्यावहारिक रूप नहीं दिया है । यह एक दूसरा प्रमाण है, जिससे हमारी उपर्युक्त स्थापना की पुष्टि होती है ।

हिन्दी में अकारान्त शब्दों को व्यञ्जनान्त मान लेने में कई अन्य व्यावहारिक तथा व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी हैं, जिनकी ओर भाषाशास्त्रियों का ध्यान नहीं गया है । उदाहरणार्थ, यह सर्वविदित है कि संस्कृत के सन्धि-नियम मूलतः ध्वनि-वैज्ञानिक नियमों पर आधारित हैं । यही कारण है कि उन नियमों में से अधिकांश अन्यान्य भाषाओं के लिए भी समान रूप से सत्य हैं । हिन्दी के सन्दर्भ में तो उनका और भी विशेष महत्त्व है, क्योंकि हिन्दी-शब्द-समूह का मूलस्रोत संस्कृत है । हिन्दी में संस्कृत से गृहीत शब्दों का विश्लेषण संस्कृत के सन्धि-नियमों पर ही आधारित है । ऐसी स्थिति में यदि हिन्दी में प्रयुक्त अकारान्त शब्दों को व्यञ्जनान्त मान लिया जाय, तो ऐसे अनेक समस्त पद, जिनका पूर्व खण्ड अकारान्त हो, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, सिद्ध और व्याख्येय नहीं रह जायेंगे । यहाँ तक कि सिद्धिदाता 'गणेश' को भी सन्धि-नियम के अनुसार 'गणीश' (गण् + ईश) बनना पड़ेगा । इसी प्रकार परमार्थ, देवेन्द्र और सुरेश, आदि को भी क्रमशः परमर्थ, देविन्द्र और सुरीश आदि बोलना और लिखना पड़ेगा । स्पष्ट है कि ये रूप

१. डा० धी० व०, हि० इ०, § ३० ।

२. 'अन्त्य अ का उच्चारण साहित्यिक हिन्दी में प्रायः नहीं होता, किन्तु बोलियों में यह कुछ-कुछ अब भी चला आता है । इन उदाहरणों में अन्त्य अ का होना मान लिया गया है ।—डा० धी० व०; हि० इ०, § ८६ की पादटिप्पणी ।

परिनिष्ठित हिन्दी के लिए कभी ग्राह्य नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में हिन्दी के अकारान्त शब्दों को स्वरान्त कैसे माना जा सकता है ?

डॉ० आर्येन्द्र शर्मा ने हिन्दी में पदान्त अ के लोप को सिद्ध करने तथा हिन्दी-लेखन में उसके तद्दत् प्रयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से अभी, तभी, डाग्वर, एगारी, आम्सेर, पण्डिज्जी, पहुँज्जाना, माड्डाला, डवल्लाओ जैसे शब्दों को उपस्थित करते हुए यह तर्क दिया है कि इन शब्दों के प्रथम खण्ड के शब्द, यथा—अव, तव, डाक, एक, आव, पण्डित, पहुँच, मार और इधर के अन्त में यदि स्वर की उपस्थिति होती तो वाद के खण्डों, यथा—ही, ही, घर, गाड़ी, सेर, जी, जाना, डाला और लाओ के आदि व्यञ्जन से उनकी वैसी सन्धि सम्भव नहीं थी, जैसी उपर्युक्त शब्दों में पायी जाती है।^१

उक्त मान्यता के सम्बन्ध में सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर जिन शब्दों को उदाहरत किया गया है, उनमें से 'अभी' और 'तभी' को छोड़कर शेष शब्दों का उपर्युक्त उच्चारण केवल शीघ्रता से बोलने की स्थिति में ही होता है, जो असामान्य स्थिति है। इसीलिए वे शब्द परिनिष्ठित हिन्दी में उपर्युक्त रूपों में गृहीत नहीं हैं। तब प्रश्न उठता है कि आखिर शीघ्रता से बोलने की स्थिति में ही नहीं, किन्तु वैसी सन्धि हुई कैसे ? उत्तर सरल है। दो समस्यानीय या निकट-स्थानीय व्यञ्जनों के बीच उदासीन अ का, शीघ्रता से बोलने की असामान्य स्थिति में, अनुच्चरित रह जाना ध्वनि-वैज्ञानिक अनिवार्यता है। इसीलिए उपर्युक्त शब्दों में वैसी सन्धि सम्भव होती है। किन्तु सामान्य स्थिति में लोग डाकघर, एक गाड़ी, आवमेर, पण्डित जी, पहुँच जाना, मार डाला, इधर लाओ ही बोलते और लिखते हैं तथा ये ही रूप परिनिष्ठित हिन्दी में गृहीत भी हैं।

किन्तु जहाँ तक 'अभी', 'तभी' जैसे शब्दों का प्रश्न है, इनमें स्थिति दूसरी है। इनमें अल्पप्राण एव युद्ध महाप्राण व्यञ्जनों के बीच (यथा—अव + ही, तव + ही) स्थित उदासीन अ के लोप का कारण महाप्राण व्यञ्जन की महाप्राणता है। हिन्दी में तो ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध हैं, जिनमें महाप्राण व्यञ्जन के पूर्व या दो महाप्राणों के मध्य आने पर 'आ' जैसे दीर्घ स्वर तक का लोप हो जाना है, यथा—यहाँ + ही = यही, वहाँ + ही = वही आदि। ऐसी स्थिति में उदासीन अ जैसे दुर्बल स्वर की भला क्या हस्ती है ? अतः 'अभी', 'तभी' जैसे रूपों को देखकर 'अव', 'तव' जैसे शब्दों को व्यञ्जान्त मान लेना उचित नहीं है।

निष्कर्ष के रूप के कहा जा सकता है कि हिन्दी में व्यञ्जनान्त शब्दों या शब्दांशों का नितान्त अभाव है। हिन्दी वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों ने जिन स्थितियों में 'अ' के लोप या अनुच्चरित रह जाने की कल्पना की है, उनमें वस्तुतः स्वर का लोप नहीं, अपितु उदासीन 'अ' की उपस्थिति है, जिसको पहचानने का अभी तक विद्वानों के द्वारा समुचित प्रयास नहीं किया गया।

२ [अ] अर्द्धविवृत मध्य ह्रस्व स्वर।

स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [अ] से नीचे और कुछ पीछे है।

यह भारतीय आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है। उदासीन [अ] से इसकी भिन्नता की कुछ चर्चा ऊपर ही चुकी है। इसके सम्बन्ध में अन्य उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं —

(१) [अ] केवल बलाघातयुक्त अक्षरों या सयुक्ताक्षरों में आता है, और [अ] केवल बलाघातरहित अक्षरों में, यथा—^१मज्दूर के म में अ, और ज तथा र में अ है। इसी प्रकार चन्दन के च और न्द में [अ] है, और न में [अ]।

(२) आद्याक्षरों में सदा [अ] आता है, [अ] कभी नहीं, यथा,—स्वराक्षर के रूप में—अब, अपना आदि में, व्यञ्जनाक्षरों में—कब, सपना आदि में।

(३) मध्याक्षरों में [अ] केवल बलाघातरहित अक्षरों के पूर्व या सयुक्ताक्षरों के पूर्व तथा सयुक्ताक्षरों में आता है। यथा—सरलपन् के स, र, प में तथा अलक्तक के अ, ल, क्त में। उक्त स्थितियों में अ कभी नहीं आता।

(४) शब्दान्त में [अ] केवल सयुक्ताक्षरों में ही आता है, यथा—सत्य, चन्द्र, विश्व, रक्त आदि में। अन्यत्र अ आता है।

(५) एकाक्षरी अकारान्त शब्दों में सदा [अ] आता है, यथा—न, व आदि में।

३ [आ]—विवृत पश्च दीर्घ स्वर।

यह भारतीय आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है। इसके उच्चारण में मुखविवर सामान्यतः पूर्ण विवृतावस्था में रहता है तथा जिह्वा नीचे सटी रहती है। किन्तु जिह्वा का पिछला भाग भीतर की ओर ऊपर उठ जाता है। ओठ अ के उच्चारण की अपेक्षा अधिक खुल जाते हैं, किन्तु विस्तृत या गोलाकृत नहीं होते। हिन्दी-शब्दों में आ का ह्रस्व रूप नहीं पाया जाता, किन्तु जिस शब्द में दो

आकारान्त अक्षर साथ-साथ आते हैं, उनमें से पहले का उच्चारण दूसरे की अपेक्षा किञ्चित् अल्पदीर्घ सुनाई पड़ता है^१ यथा—चाचा, मामा, दादा आदि में ।

मूचना.—संस्कृत व्याकरणानुसार दीर्घ सन्धि के अन्तर्गत अ+अ=आ होता है, यथा—राम+अवतार=रामावतार । इसी आधार पर भारतीय वैयाकरण अतिप्राचीन काल में आ को अ का दीर्घ रूप और अ को आ का ह्रस्व रूप भी मानते आये हैं, किन्तु हिन्दी अ तथा आ में केवल मात्रा का ही नहीं, स्थानादि का भी अन्तर है, जो दोनों के ध्वनि-वैज्ञानिक परिचय से स्पष्ट है ।

यह शब्द के आदि, मध्य एवं अन्त सभी स्थानों में आता है, यथा—आग, आघा, आशा, आकाश, सुहाना, मसाला आदि में ।

४. [इ]—सवृत अग्र प्रसृत ह्रस्व स्वर ।

स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ई] से कुछ नीचे और पीछे है ।

यह भारतीय आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है । यह शब्दों के आदि, मध्य एवं अन्त सभी स्थानों में आता है, यथा—इसे, इतना, इतिहास, अधिक, कविता, लौकिक, कवि, रवि, छवि, कपि आदि में ।

मूचना —हिन्दी में इकारान्त तद्भव शब्दों का प्रायः अभाव है । पदान्त में इ स्वर प्रायः म० तत्सम शब्दों में ही पाया जाता है । इससे स्पष्ट है कि हिन्दी की प्रवृत्ति इकारान्तता की ओर नहीं है ।

५. [ई]—सवृत अग्र प्रसृत दीर्घ स्वर ।

स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान मानस्वर [ई] में कुछ नीचे है ।

यह भारतीय आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है । यह शब्दों के आदि, मध्य एवं अन्त सभी स्थानों में आता है, यथा—ईश, ईद, ईश्वर, रईस, भतीजा, अघोन, भाई, भलाई, हाथी आदि में ।

मूचना —संस्कृत दीर्घस्वरसन्धि-नियम के अनुसार इ+इ=ई होता है, यथा—कवि+इन्द्र=कवीन्द्र । इसी आधार पर वैयाकरण इ और ई में केवल ह्रस्व-दीर्घ मात्रा का अन्तर मानते आये हैं । किन्तु ध्वनि-वैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी ई

१. इसी प्रवृत्ति के कारण हिन्दी में चाचा, मामा, दादा आदि से क्रमशः चच्चा, मम्मा-दद्दा, आदि रूप विकसित हुए हैं ।

का स्थान इ की अपेक्षा कुछ ऊपर और बाहर की ओर है, जो स्वर-त्रिकोण को देखने से स्पष्ट हो जाता है। अत इ और ई में केवल मात्रा-भेद ही नहीं, स्थान-भेद भी माना जाना चाहिए।

६. [उ]—संवृत पश्च वर्तुल ह्रस्व स्वर।

स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ऊ] से कुछ नीचे और आगे है।

यह भारतीय आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है। यह शब्दों के आदि, मध्य एवं अन्त, सभी स्थानों में आता है, यथा—उबाल, उसका, उल्लू, आकुल; नूपुर, राउत, भानु, मधु, पशु आदि में।

सूचना—पदान्त में उ केवल स० तत्सम शब्दों में आता है, तद्भव शब्दों में नहीं। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी की प्रवृत्ति उकारान्तता की ओर नहीं है।

७. [ऊ]—संवृत पश्च वर्तुल दीर्घ स्वर।

स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान मान स्वर [ऊ] से कुछ नीचे है।

यह भारतीय आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है। यह शब्दों के आदि, मध्य एवं अन्त सभी स्थानों में आता है, यथा—ऊखल, ऊसर, ऊर्मि, बबूल, सन्दूक, अछूत, ताऊ, चाकू, आलू आदि में।

सूचना—संस्कृत के दीर्घस्वर-सन्धि-नियम के अनुसार उ + उ = ऊ हो जाता है, यथा—विधु + उदय = विधूदय। इसी आधार पर वैयाकरण उ और ऊ में केवल ह्रस्व-दीर्घ मात्रा का अन्तर मानते आये हैं। किन्तु, ध्वनि-वैज्ञानिक दृष्टि से उ का स्थान ऊ की अपेक्षा नीचे तथा मध्योन्मुख है, जो स्वर-त्रिकोण को देखने से स्पष्ट हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी उ और ऊ में केवल मात्रा का ही नहीं, स्थान का भी अन्तर है।

८. [ए]—अर्द्धसंवृत अग्र प्रसृत ह्रस्व स्वर।

स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ए] से कुछ नीचे और पीछे है।

आर्यभाषा-स्रोत में इस स्वर का विकास पालि-काल में हुआ था। इसके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ए की अपेक्षा कुछ अधिक नीचे तथा केन्द्राभिमुख रहता है। कुछ भाषाशास्त्रियों ने इसकी उपस्थिति केवल हिन्दी की बोलियों में

मानी है' किन्तु इसका प्रयोग साहित्यिक हिन्दी में प्रचलित है। यह केवल शब्द के प्रथम अक्षर में आता है, यथा—खेलाना, देखाना, खेतिहर, वेतिया, मेहमान, केवाला, एतवार, एकरार आदि में।

सूचना.—नागरी में ए के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण वैयाकरणों ने अनेक स्थितियों में ए के स्थान पर इ आदेश किया है। इस कारण व्यवहार में लोग विकल्प से अनेक शब्दों में ए की जगह प्रायः इ ही लिखते एवं बोलते हैं, यथा—इकन्नी, इकाई, इक्कीस, इकतालिस आदि। किन्तु एकारान्त अक्षर वाली द्विकर्मक क्रियाओं एवं प्रेरणार्थक क्रियाओं में यह नियम सर्वत्र लागू नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ :—खेलाना—खेलवाना, देखाना—देखवाना आदि में ए के स्थान पर इ कर देने से अर्थ में भिन्नता आ जायगी। इसी प्रकार खेतिहर, वेतिया जैसे शब्दों में ए की जगह इ का प्रयोग हो ही नहीं सकता।

६. [ए]—अर्द्धसंवृत अग्र प्रसृत दीर्घ स्वर।

इसका स्थान मानस्वर [ए] से कुछ नीचे तथा हिन्दी [ए] से कुछ ऊपर और आगे है। इसके उच्चारण में ओठ [ए] के उच्चारण की अपेक्षा अधिक प्रसृत होता है। यह भारतीय आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है। हिन्दी में यह शब्द के आदि, मध्य तथा अन्त सभी स्थानों में आता है, यथा—एक, केसर, अकेला, नकेल, सवेरा, हरे, हटवे, खतवे, आगे, पीछे आदि में।

१० [ओ]—अर्द्धसंवृत पश्च वर्तुल ह्रस्व स्वर।

स्वर-त्रिकोण में इसका स्थान [ओ] से कुछ नीचे और आगे है।

आर्यभाषा-स्रोत में इस स्वर का विकास पालि-काल में हुआ था। अनेक विद्वानों ने हिन्दी की कतिपय बोलियाँ में तो इसकी उपस्थिति मानी है^१, किन्तु परिनिष्ठित हिन्दी में भी यह स्वर वर्तमान है, इस बात का समुचित उल्लेख प्रायः किसी ने नहीं किया है।^२ यह स्वर तद्भव तथा विदेशी ऋणशब्दों के आदि और

१. टा० फी० व०, हि० इ० § २६।

२. टा० फी० व०, हि० इ०, § १७।

३. भा० ना० ति० ने 'हिन्दी भाषा' पृ० २५ में इस स्वर को परिनिष्ठित हिन्दी में भी स्पष्टित माना है।

मध्य में आता है' यथा—ओसारा, ओहार, ओढना (सजा), ओढनी, बोलाना, जोडाना, कोतवाल, रोजगार, गोदना (संजा), लोकनी, (सजा) आदि में ।

नागरी में इस स्वर के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण हिन्दी-लेखन में इसके स्थान पर दीर्घ [ओ] के लिए प्रयुक्त 'ओ' का ही प्रयोग होता है ।

११. [ओ]—अर्द्धसंवृत पश्च वतुल दीर्घ स्वर ।

इसका स्थान मानस्वर [ओ] से कुछ नीचे तथा हिन्दी [ओ] से कुछ ऊपर और पीछे है । यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत स्वर है । हिन्दी में यह शब्द के आदि, मध्य तथा अन्त, सभी स्थानों में आता है, यथा—ओस, ओज, ओल, ओजस्वी, कोमल, गोवर, भूगोल, कठोर, सहोदर, कोदो, भादो, सरसो आदि में ।

१२ [ऐ]—अर्द्धविवृत अग्र प्रसृत दीर्घ स्वर ।

यह आधुनिक काल में विकसित एक नवीन स्वर है । पश्चिमी प्रान्तों में इसका उच्चारण शुद्ध मूल स्वर की तरह होता है, किन्तु पूरबी प्रान्तों में कहीं-कहीं इसका उच्चारण मिश्र स्वर [अए] की तरह भी होता है । पञ्जाबी^१ तथा वङ्गला^२ में भी यह मूलस्वर ही माना गया है । हिन्दी में यह मुख्यतः तद्भव शब्दों में ही आता है । यह शब्दों के आदि तथा मध्य में आता है, यथा—ऐसा, ऐनक, ऐब, कैसा, पैर, मैल, विगडैल आदि में । अन्त में यह केवल एकाक्षरी शब्दों में ही आता है, यथा—कै, जै, है आदि में ।

सूचना —डा० धीरेन्द्र वर्मा ने ऐ को हिन्दी में संयुक्त स्वर माना है,^३ कादरी,^४ डा० उदयनारायण तिवारी,^५ डा० भोलानाथ तिवारी^६ आदि ने इसे मूल स्वर कहा है । देवनागरी में इसके लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान पर हिन्दी-लेखन में ऐ वर्ण का ही प्रयोग होता है

१ बेली, पञ्जाबी फोनेटिक रीडर, पृ० xiv

२ चौ०, बे० लै०, § १४० ।

३ डा० धी० व०, हि० इ०, § २८ ।

४ कादरी, हि० फो०, § ५१ ।

५ डा० उ० ना० ति०, हि० उ० वि०, § १६ ।

६ डा० भो० ना० ति०, हि० भा०, पृ० २६ ।

१३. [एँ]—अर्द्धविवृत अग्र प्रसृत अल्प दीर्घ स्वर ।

इसका उच्चारण [.ऐ] की अपेक्षा अल्पदीर्घ होता है । यह विदेशी स्रोत से आगत स्वर है और केवल अँगरेजी में गृहीत कुछेक ऋण शब्दों के आद्यक्षर में आता है, यथा—एटम, ऐक्टर, ऐकशन, पैटन, कैप्टन । देवनागरी में इसके लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान पर प्रायः ऐ का ही प्रयोग होता है ।

१४. [औ]—अर्द्धविवृत पश्च वतुल दीर्घ स्वर ।

यह आधुनिक काल में विकसित नवीन स्वर है । पश्चिमी प्रान्तों में इसका उच्चारण शुद्ध मूलस्वर की तरह होता है, किन्तु पूरबी प्रान्तों में कहीं-कहीं इसका उच्चारण मिश्र स्वर [अओ] की तरह भी होता है । यह मुख्यतः तद्भव तथा अरबी-फारसी में गृहीत ऋण शब्दों के आदि एव मध्य में आता है, यथा—और, औरत, औषड़, औसत, कौर, गौर, तौर, मौजू, कचौड़ी, सुडौल आदि में । शब्दों के अन्त में यह केवल एकाक्षरी शब्दों में ही आता है, यथा—जौ, छौ, नौ, पौ, मौ आदि में । देवनागरी में इसके लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान में औ का ही प्रयोग प्रचलित है ।

१५. [ऑ]—अर्द्धविवृत पश्च वतुल दीर्घ स्वर ।

यह हिन्दी में गृहीत अँगरेजी ऋण शब्दों के आद्यक्षर में आता है, यथा—ऑफिस, ऑलिस, लॉड्स हॉल, ऑर्डर, वॉल, कॉन्फ्रेंस आदि में । इसके लिए देवनागरी में ऑ तथा औ दोनों ही वर्णों का, विकल्प में, प्रयोग प्रचलित है ।

मिश्र स्वर

१. [ऐ]—नवृत्तोन्मुख-अर्द्धविवृत अग्रोन्मुख-मध्यप्रसृत आरोही मिश्र दीर्घस्वर । इसमें अ एव इ का मिश्रण है । इसके उच्चारण में जित्वा अ के स्थान में इ के स्थान की ओर जानी हुई बीच में ही रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप उक्त दोनों स्वरों में भिन्न, किन्तु उन्हीं के मिश्रण में निष्पन्न एक भिन्न स्वर ऐ अर्थात् अइ का उच्चारण होता है । अनेक भाषाशास्त्रियों ने इसे सयुक्त स्वर कहा है, जो ध्वनि-वैज्ञानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है, क्योंकि मिश्रण में मयोग की ग्विति भिन्न होती है ।^२

१. डॉ० श्री० व०, हि० इ०, § ३३ । डॉ० श्री० ना० त्रि, हि० भा०, पृ० २७ ।

२. मिश्रण में युगपत् और संयोग में पूर्वा पर उच्चारण होता है ।

हिन्दी में यह मुख्यतः सस्कृत तत्सम तथा कुछ विदेशी ऋण शब्दों के आदि एव मध्य में आता है, यथा—ऐक्य, ऐश्वर्य, कैवल्य, वैद्य, वैयाकरण, ऐयार, ऐयाश आदि में।

२. [औ]—सवृतोन्मुख-अर्द्धविवृत पश्चोन्मुख-मध्यवर्तुल आरोही मिश्र दीर्घ स्वर। इसमें अ और उ का मिश्रण है। इसके उच्चारण में जिह्वा अ के स्थान से उ के स्थान की ओर जाती हुई बीच में ही रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप उक्त दोनों स्वरो से भिन्न किन्तु उन्हीं के मिश्रण से निष्पन्न एक भिन्न स्वर औ अर्थात् अउ का उच्चारण होता है। अनेक भाषाशास्त्रियों ने इसे सयुक्त स्वर कहा है जो ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है, क्योंकि मिश्रण से सयोग की स्थिति भिन्न होती है जो पहले बताया जा चुका है।

हिन्दी में यह मुख्यतः सस्कृत तत्सम शब्दों के आदि एव मध्य में आता है, यथा—औचित्य, औदार्य, औपधि, औपचारिक, औदिक, और्ध्व, और्ध्व आदि में।

सूचना — [ऐ] एव [औ] का मिश्रस्वर के रूप में शुद्ध उच्चारण सुशिक्षितों के द्वारा ही होता है। सामान्य लोगों की भाषा में इन स्वरो का उच्चारण क्रमशः अइ एव अउ अथवा अए एव अऔ सयुक्त स्वरो की तरह होता है। सम्भवतः इसीलिए कुछ भाषाशास्त्रियों ने उपर्युक्त स्वरो को सयुक्त स्वर कहा है।

अनुनासिक स्वर

शब्द-स्तर पर हिन्दी-स्वरो की अनुनासिकता की दो स्थितियाँ पायी जाती हैं—(१) अनुनासिक व्यञ्जन के प्रभाव से उत्पन्न अनुनासिकता और (२) स्वतन्त्र अनुनासिकता। यहाँ संक्षेप में उक्त दोनों स्थितियों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

(१) जब किसी शब्द में एक या अधिक अनुनासिक व्यञ्जन आते हैं, तो उनके प्रभाव से प्रायः पूर्ववर्ती तथा परवर्ती स्वर भी अनुनासिक बन जाते हैं, यथा—मँनँ, कौँनँ, कौँमँ, कौँनँनँ, खौँनँ, चँमँडा, कौँमँनौँ, मँकौँनँ, मँखौँनँ, नौँक,

नाँच आदि मे ।^१ किन्तु कई स्थितियों मे अनुनासिक व्यञ्जन अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती स्वरों को अनुनासिक बनाने मे समर्थ नहीं भी होते, यथा—नाव, नाला, माला, विनायक, विमल आदि मे ।

यहाँ प्रश्न यह उठना है कि अनुनासिक व्यञ्जनों का प्रभाव किन-किन स्थितियों मे पूर्ववर्ती तथा परवर्ती स्वरों पर पडता है, और किन-किन स्थितियों मे नहीं पडता है ? इसके सम्बन्ध मे शोध करने पर मैंने पाया है कि हिन्दी इस विषय मे सर्वत्र कुछ नियमों का पालन करती है, जो निम्नलिखित हैं —

(क) जब अनुनासिक व्यञ्जन का पूर्ववर्ती स्वर किसी अन्त-स्थ या घोष व्यञ्जन से युक्त रहता है, तो उस पर अनुनासिक व्यञ्जन का प्रभाव प्रायः नहीं पडता, यथा—राणों, लाभों, लानँत, यमँ, यानँ, वाणँ, विमल, विनायक, गामँ, गमँ, जमँनाँ, जामुँनँ, दानँ, बमँ, वनाव आदि मे ।

(ख) जब अनुनासिक व्यञ्जनयुक्त स्वर के परे कोई अन्त-स्थ, अथवा घोष व्यञ्जन या कोई स्वर रहता है, तो अनुनासिक व्यञ्जन का प्रभाव उसके साथ रहने वाले स्वर पर नहीं पडता, यथा—[नर, नारा, नाला, मेला, माया, मवाद, मेवा, विमल, विनायक, नाव, नागा, निगाह, नाजायज, निडर, नाद, नीवू, महादेव, मेघ माधव, मेढक, माघ, नाई] आदि मे ।

सूचना.—उपर्युक्त स्थितियों मे यदि कही किसी स्वर मे अनुनासिकता पायी भी जाती है, तो वह अनुनासिक व्यञ्जन के प्रभाव के कारण नहीं, अपितु स्वतन्त्र रूप से ही, यथा—नीद, माँग आदि मे ।

(ग) उपर्युक्त दोनों स्थितियों को छोडकर अन्य सभी स्थितियों मे अनुनासिक व्यञ्जन अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती स्वरों को अनुनासिक बना देता है, यथा—[नाँक, काँनँ, माँनँ, माँय, नाँका, माँता, नाँच, मँछली, नाँटक, मँठ, नाँता, नाँध, माँप, नाँमँ, नाँशा, नँशा, आँनँ] आदि मे ।

सूचना—(१) अनुनासिक व्यञ्जन से प्रभावापन्न अनुनासिकता हिन्दी-शब्दों मे अर्थभेदक नहीं है । यही कारण है कि हिन्दी-लेखन मे इस श्रेणी की अनुनासिकता सूचित करने के लिए बहुत कम ही शब्दों मे अनुनासिक चिह्न चन्द्रविन्दु [~] या विन्दु का प्रयोग होता है, यथा—मँ, मे आदि मे । शेष अविकाश शब्दों के

^१ हिन्दी-लेखन में इस स्थिति की अनुनासिकता को सूचित करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

उच्चारण में अनुनासिक ध्वनि के स्पष्टश्रुत होने पर भी उसके लिए अनुनासिक चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाता, यथा—नाक, कान, मान, माता आदि में।

सूचना (ii) उपर्युक्त विषय और अधिक गम्भीर शोध की अपेक्षा रखता है। यहाँ मैंने इस दिशा में प्रसङ्गवश सङ्कोत मात्र दिया है।

(२) हिन्दी-स्वरो में अनुनासिकता की दूसरी स्थिति वह है, जहाँ वह किसी अनुनासिक व्यञ्जन के प्रभाव से उत्पन्न नहीं होकर स्वतन्त्र रूप से आती है, यथा—आँख, पाँख, साँप, हँसी, आँसू, गँवार, सोठ, बुँदेली, ऊँघना, विंदिया, गँद आदि में।

सूचना :—(i) इस श्रेणी की अनुनासिकता प्रायः अर्थभेदक होती है, इस कारण उसको सूचित करने के लिए अनुनासिक चिह्न का सर्वत्र प्रयोग किया जाता है।

सूचना :—(ii) हिन्दी-लेखन में जिन स्वरो की मात्रा ऊपर लगती है, उनकी अनुनासिकता को सूचित करने के लिए मात्रा के ऊपर केवल विन्दु का प्रयोग किया जाता है, किन्तु जिन स्वरो की मात्रा ऊपर नहीं लगती, उनकी अनुनासिकता को सूचित करने के लिए चन्द्रविन्दु का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग अनुनासिकता को सूचित करने के लिए सर्वत्र केवल विन्दु का ही प्रयोग करते हैं, जो नितान्त अनुचित है, क्योंकि इससे लेखन की वैज्ञानिकता नष्ट होती है।

परिनिष्ठित हिन्दी में अधिकांश निरनुनासिक स्वरो के अनुनासिक रूप भी पाये जाते हैं। अनुनासिक स्वरो के उच्चारण में स्थान तो वे ही रहते हैं, किन्तु कोमल तालु और अलिजिह्वा के कुछ नीचे झुक जाने से थोड़ी हवा नासिकाविवर के मार्ग से भी बाहर निकलती है, जिसके परिणामस्वरूप स्वर में अनुनासिकता का समावेश हो जाता है। हिन्दी में निरनुनासिक स्वर से अनुनासिक स्वर सर्वथा भिन्न है, क्योंकि अनुनासिकता के कारण शब्द और अर्थ दोनों ही में अन्तर आ जाता है। किन्तु, जहाँ अनुनासिकता अनुनासिक व्यञ्जन पर आश्रित होती है, वहाँ उक्त भेद नहीं होता और न इस श्रेणी की अनुनासिकता को लेखन में सूचित ही किया जाता है, किन्तु भाषण में वह स्पष्ट सुनाई पड़ती है।

हिन्दी में उपलब्ध अनुनासिक स्वर निम्नलिखित हैं.—

अनुनासिक स्वर	उच्चरित रूप	लिखित रूप
१ अँ	[मँँ, नाँँ, तँँ] आदि	मन, नाम, तन आदि।
२ अँँ	[हँँसी, अँँघेरा, मँँठ] आदि	हँँसी, अँँघेरा, मँँठ आदि ॥

३	आं	[चाँद, आँसू, माँनं] आदि	चाँद, आँसू, मान आदि ।
४	इँ	[पिँजड़ा, विँदिया, इँनं] आदि	पिजड़ा, विदिया, इन आदि ।
५	ईँ	[ईँट, सीँचना, मीँनार] आदि	ईं ट, सीचना, मीनार आदि ।
६	उँ	[उँचाई, मुँघाना, उँनँका]	उँचाई, सुँघाना, उनका आदि ।
७	ऊँ	[ऊँट, ऊँचा, नूँतनं] आदि	ऊँट, ऊँचा, नूतन आदि ।
८	एँ	[फेँटानाँ, मेँटानाँ] आदि	फेंटाना, मेंटाना आदि ।।
९.	एँ	[गेँद, वातेँ, फेँनं] आदि	गेंद, वातें फेन आदि ।।
१०	ऐँ	[ऐँठनाँ, भैँस, ऐनँक] आदि	ऐँठना, भैँस, ऐनक आदि ।
११	ओँ	[खोँचानाँ, मोँटरी] आदि	खोचाना, मोटरी आदि ।
१२	ओँ	[सोँठ, गोँद, मोँटा] आदि	सोठ, गोद, मोटा आदि ।
१३	औँ	[साँफ, लौँङ्, कौँनं] आदि	साँफ, लौंग, कौन आदि ।

सूचना .—हिन्दी में विदेशी स्वर ऐँ और औँ तथा मिश्र स्वर ऐ और औ के अनुनासिक रूप प्रायः नहीं मिलते ।

व्यञ्जन

स्पर्श व्यञ्जन

अलिजिह्वीय—

[क.]—अल्पप्राण अघोष अलिजिह्वीय स्पर्श व्यञ्जन ।

यह विदेशी ध्वनि है । इसकी उपस्थिति मुख्यतः हिन्दी में गृहीत अरबी-फारसी के तत्सम ऋण शब्दों में ही पायी जाती है । इसका शुद्ध उच्चारण विशेषतः उक्त भाषाओं के ज्ञाता अथवा उर्दू की जानकारी रखनेवाले विद्वानों के मुख से ही सुना जाता है । सामान्य हिन्दी भाषी इसके स्थान पर क ही बोलते एवं लिखते हैं । इसके उच्चारण में जिह्वामूल अलिजिह्वा के साथ कोमल तानु के पिछले भाग का स्पर्श करता है । कुछ भाषाशास्त्रियों ने इसे जिह्वामूलीय व्यञ्जन कहा है^१, किन्तु जिह्वामूल इसका करण है, स्थान नहीं । इसके उच्चारण का स्थान अलिजिह्वा तथा कोमलतानु का पश्चभाग है । इसलिए इसे अलिजिह्वीय कहना ही अधिक उपयुक्त है । यह विदेशी शब्दों के आदि तथा मध्य में आता है, यथा—ज़दम, कानून, काबिन, ताक़त, मुकाम, शौकीन, वक़्त, ताक़, शौक आदि में ।

१ टा० भो० व०, हि० ३०, पृ० ३६ ।

टा० भो० ना० ति० हि० भा०, पृ० ३१ ।

कोमल तालव्य

[क]—अल्पप्राण अघोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन ।

यह आर्यभाषा स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । सस्कृत में यह कण्ठ्य-व्यञ्जन था, किन्तु हिन्दी तक आते-आते यह कोमल तालव्य बन गया है । इसके उच्चारण में जिह्वापश्च कोमलतालु का स्पर्श करता है । हिन्दी में यह मुख्यतः शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, किन्तु कुछ सस्कृत तत्सम शब्दों में अन्त में भी आता है । यथा—कम, काम, कितना, थकान, अकेला, नाक, चतुर्दिक, सम्यक्, वाक् आदि में ।

[ख] महाप्राण अघोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन ।

यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । हिन्दी में यह शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है । यथा—खलिहान, खाट, खेत देखना, सुख, भूख आदि में ।

[ग] अल्पप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन ।

यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । हिन्दी में यह शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—गति, गात, गीत, गुड, गोह, नगर, आग, रोग आदि में ।

[घ] महाप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन ।

यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । हिन्दी में यह शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—घर, घाट, घूँट, सघन, बाघ, राघव, रघुनाथ आदि में ।

मूर्द्धन्य

[ट] अल्पप्राण अघोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन ।

यह भारतीय आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है ।^१ इसके तथा-

१ अनेक भाषाशास्त्रियों के अनुसार मूर्द्धन्य व्यञ्जन भारोपीय काल के नहीं है; बल्कि आर्यों के भारत में आने पर अनार्यों के सम्पर्क से इनका व्यवहार प्रा० भा० आ० में होने लग्

इम वर्ग के अन्य व्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वान्त को उलट कर उसके निचले हिस्से से कठोरतालु के मध्य से लेकर मूर्द्धा तक के स्थान का स्पर्श किया जाता है। इम प्रकार हिन्दी में इस वर्ग की ध्वनियाँ शुद्ध मूर्द्धान्य नहीं रहकर मूर्द्धान्य-तालव्य बन चुकी हैं, किन्तु परिचयार्थ इन्हें अभी तक मूर्द्धान्य ही कहा जा रहा है। ट् हिन्दी शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, किन्तु कुछेक संस्कृत तत्सम शब्दों में अन्त में भी, यद्यपि हिन्दी में उनका उच्चारण वास्तव में उदासीन अ् से युक्त होता है, यथा—टीला, टोला, टाल, टका, टेक, आटा, कटुता, खाट, हाट; सम्राट्, विराट् आदि में।

[ठ्]—महाप्राण अधोप मूर्द्धान्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन :

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—ठग, ठकेरा, ठीक, कठोर, काठ, सोठ आदि में।

[ड्]—अल्पप्राण घोष मूर्द्धान्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन।

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—डमरू, डाल, डर, डोर, हड्डी, पण्डा, आडम्बर, सुडौल, रेडियो आदि में।

[ढ्]—महाप्राण घोष मूर्द्धान्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन।

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—ढकना, ढाल, ढोल, ढीला, वेढव, ठण्डा, औढर आदि में।

दन्त्य

[त्]—अल्पप्राण अधोप दन्त्य वर्त्म स्पर्श व्यञ्जन।

यह आर्यभाषा-श्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है। इसके तथा इस वर्ग के अन्य व्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वान्त ऊपरी दन्तपक्ष के साथ वर्त्म का भी हल्का स्पर्श करता है, इस कारण इस वर्ग के व्यञ्जन हिन्दी में वास्तव में दन्त्य-वर्त्म्य हैं, किन्तु इनका परिचय दन्त्य कहकर ही दिया जाता है। हिन्दी शब्दों में त् केवल आदि तथा मध्य में आता है, किन्तु संस्कृत तत्सम शब्दों में अन्त में भी; यद्यपि उनका भी हिन्दी उच्चारण उदासीन अ् युक्त ही होता है, यथा—तव, ताला, नीन, तेल, तान, रान, वात, छाता, नाती; वन्, साक्षात् सन्, शरद् आदि हैं।

या। क्रिन्त् आर्य का आगमन बाहर से भारतवर्ष में हुआ या वे यहीं से बाहर गये, यह विषय अभी भी विवादस्पद है। इनके प्रतिरिक्त मूर्द्धान्य व्यञ्जनों को उदात्तियति वेशों में भी मिलती है; इस कारण इनके सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से अभी यह मान लेना उचित नहीं है कि वे आर्य परिवार के नहीं हैं।

हिन्दी व्रति-समूह और नागरी-वर्णमाला

[य्]—महाप्राण अघोष दन्त्य वत्स्यं स्पर्श व्यञ्जन ।

यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । हिन्दी में यह शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—यन, घाली, धाती, थोड़ा; रथ, कथा, साथी, आदि में ।

[व्]—अल्पप्राण घोष दन्त्य वत्स्यं स्पर्श व्यञ्जन ।

यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा—दम, दान, दान, दूध, दिन, देन, दोना; चाँद, याद, सलाद, बाद, दादा, दीदी, भादो, यदि, यादव, वादुर, बादल आदि में । यह संस्कृत तत्सम शब्दों के अन्त में भी आता है, यथा—परिपद्, विद् आदि में ।

[घ्]—महाप्राण घोष दन्त्य वत्स्यं स्पर्श व्यञ्जन ।

यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—घन, घान, घोरज, घूनी, घोसा, घेना, धोल, साघ, आघा, समघी आदि में ।

ओष्ठ्य

[प्]—अल्पप्राण घोष दन्त्य वत्स्यं स्पर्श व्यञ्जन ।

यह तथा इस वर्ग के सभी व्यञ्जन आर्यभाषा-स्रोत के हैं । इस वर्ग के व्यञ्जनों के उच्चारण में नीचे का ओठ ऊपर के ओठ का स्पर्श करता है, इसीलिए इस वर्ग के व्यञ्जन द्वयोष्ठ्य भी कहे जाते हैं । प् हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—पलक, पत्र, पान, पिता, पुत्र, पोता, पेड़, अपना, सपना, कपड़ा, आप, पापी आदि में ।

[फ्]—महाप्राण अघोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन ।

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—फल, फाल, फूल, फेन, फोडा, सफल, डफली, साफ, नफा आदि में ।

[ब्]—अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन ।

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है; यथा—बड़ा, बादल, बीस, बुनना, बोना, अबीर, सब, अब आदि में ।

[न]—महाप्राण अघोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन ।

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—भलाई, भाला, भीतर, भूल, डाभ, समा, अभी, लोभ आदि में ।

स्पर्शघर्षी व्यञ्जन^१

कठोरतालव्य

[च]—अल्पप्राण अघोष कठोरतालव्य स्पर्शघर्षी व्यञ्जन ।

यह तथा डम वर्ग के अन्य व्यञ्जन आर्यभाषा-स्रोत के परम्परागत व्यञ्जन हैं ।^२ वैदिक तथा संस्कृत में इस वर्ग के व्यञ्जन शुद्ध स्पर्श थे तथा इनका उच्चारण-स्थान कोमल तालु था, किन्तु हिन्दी में ये स्पर्शघर्षी हो गये हैं और इनका उच्चारण-स्थान कठोर तालु का अग्रभाग है । इनके उच्चारण में जिह्वाग्र कठोरतालु के अगले भाग का कुछ रगड़ के साथ स्पर्श करता है । च् हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—चन्दन, चाल, चिकना, चुम्बन, चोट, चौथा, नाच, चाचा, चमचा, कचौड़ी, वच्चा आदि में ।

[छ]—महाप्राण अघोष कठोरतालव्य स्पर्शघर्षी व्यञ्जन ।

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—छल, छाता, छीक, छोटा, कछुआ, मछली, रीछ आदि में ।

[ज]—अल्पप्राण अघोष कठोरतालव्य स्पर्शघर्षी व्यञ्जन ।

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—जल, जाल, जीत, जूता, जोड़, तेज, पूजा, राजा आदि में ।

१. डा० सु० कृ० च०, वे० फो०, § १६।

कादरी, हि० फो०, पृ० ८०।

डा० वा० स० ए० अ०, पृ० ३०।

डा० घो० व०, हि० इ०, पृ० १:७।

२. भाषाशास्त्रियों की मान्यता है कि चवर्गी व्यञ्जन मूलभारोपीय में नहीं थे । इनका विकास आगे चलकर द्ववर्गी व्यञ्जनों से हुआ । किन्तु वैदिक में इस वर्ग के व्यञ्जनों का उल्लेख नहीं, इतिहास में इन आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन कहा है ।

[झ]—महाप्राण घोष कठोरतालम्य स्पर्शघर्षो व्यञ्जन ।

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—झरना, झाल, झील, झूला, वाँझ, मझला, साँझ आदि में ।

अनुनासिक व्यञ्जन

अनुनासिक व्यञ्जनों के उच्चारण में अन्य प्रयत्नों के अतिरिक्त कोमल तालु अलिजिह्वा सहित नीचे झुक आता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ हवा कण्ठ में होकर नासिका-विवर में घुसकर विशेष प्रकार की मधुर गूँज उत्पन्न करती हुई नासिकाछिद्र के मार्ग से बाहर निकलती है, और कुछ हवा व्यञ्जन के साथ उच्चरित होने वाले स्वर के साथ मुख-विवर से बाहर निकलती है । इस प्रकार अनुनासिक व्यञ्जनों के उच्चारण में मुख के साथ नासिका भी उच्चारण-स्थान का कार्य करती है ।^१

अनुनासिक स्वर एवं अनुनासिक व्यञ्जन में इस दृष्टि में मुख्य अन्तर यह है कि अनुनासिक स्वर के उच्चारण में कोमलतालु बहुत कम नीचे झुकता है, जिसमें बहुत कम हवा नासिका-विवर में जाती है और बहुत हल्की गूँज उत्पन्न करती है, किन्तु अनुनासिक व्यञ्जन के उच्चारण में स्पर्श प्रयत्न के साथ कोमलतालु उतना अधिक नीचे झुक आता है कि भीतर से मुख-विवर में हवा के प्रवेश का मार्ग प्रायः अवरुद्ध हो जाता है, जिससे अधिक हवा नासिका-विवर में घुसकर अधिक गूँज उत्पन्न करती है ।

अनुनासिक व्यञ्जन के साथ जब अनुनासिक स्वर का भी उच्चारण करना होता है, तो उस स्थिति में व्यञ्जन के उच्चारण के समय स्पर्श प्रयत्न के साथ पहले कोमलतालु नीचे झुककर मुख-विवर से हवा के निकलने के मार्ग को प्रायः बन्द कर देता है और फिर स्वर के उच्चारण के लिए जब वह ऊपर उठता है, उस समय भी वह कुछ नीचे ही झुका रहता है, जिससे कुछ हवा नासिका-विवर में प्रवेश कर स्वर को भी अनुनासिक बना देती है । इसके विपरीत, अनुनासिक व्यञ्जन के साथ यदि निरनुनासिक स्वर का उच्चारण करना होता है, तो व्यञ्जन के उच्चारण के साथ ही कोमलतालु पूरा ऊपर उठकर नासिका-विवर के मार्ग को इस प्रकार बन्द कर देता है कि उसमें हवा का प्रवेश न हो सके । इसी के परिणामस्वरूप निरनुनासिक स्वर का उच्चारण सम्भव होता है । हिन्दी में आठ अनुनासिक व्यञ्जन हैं —

१ मुखनासिकाबचनोऽनुनासिकः, पा०, अ०, १. १ द. ।

[ड्]—अल्पप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन ।

कुछ भाषाशास्त्रियों ने इसे कण्ठ्य व्यञ्जन कहा है, किन्तु हिन्दी में यह वास्तव में कोमलतालव्य ही है । इसके उच्चारण में जिह्वापञ्च कोमलतालु के पिछले भाग का स्पर्श करता है । हिन्दी में यह शब्द के केवल मध्य में आता है, यथा—सङ्गम, अङ्क, कङ्कन, गङ्ग, सङ्ग, वाङ्मय, पराङ्मुख, आदि में ।

सूचना (1) हिन्दी-लेखन में ड् जब कवर्गी व्यञ्जन के पूर्व आता है तो उसके स्थान पर विकल्प से अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग किया जाता है, यथा—सगम, अक, मघ, गख आदि ।

सूचना (11) हिन्दी के तद्भव शब्दों में जब ग् के पूर्व अनुनासिक ध्वनि आती है, तो उच्चारण में ग् के स्थान पर ङ् सुनाई पड़ता है, यथा—माँगना, पलङ्ग, लौंग, ताँगा, माँग, सङ्ग, रँगना आदि के स्थान पर क्रमशः माडना, पलड, लौट, ताडा, माड, मट, रडता आदि । किन्तु लेखन में अभी इस परिवर्तन को मान्यता नहीं मिली है ।

[ण्]—अल्पप्राण घोष मूर्द्धन्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन ।

यह हिन्दी में प्रयुक्त सभी प्रकार के शब्दों के मध्य में केवल ट् ठ् ड् ढ् के पूर्व आता है । यह यद्यपि उच्चारण में [न्] के समान सुनाई पड़ता है, किन्तु [न्] दन्त्य व्यञ्जन है और यह मूर्द्धन्य । इसी प्रकार यह [ण्] से भिन्न है, क्योंकि [ण्] प्रतिवेष्टित स्पर्श ध्वनि है और यह मात्र स्पर्श । यह निम्नलिखित शब्दों में उपलब्ध है—कण्टक, कण्ठ, मण्डप, ठण्डा, अण्डा, कण्टोल, चाण्डाल, मुण्डन आदि में । हिन्दी लेखन में इसके स्थान पर प्रायः अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग किया जाता है ।

सूचना—मेरा अनुमान है कि उपर्युक्त स्थितियों में ण् का उच्चारण प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० में भी [ण्] के समान ही होता रहा होगा, [ण्] के समान नहीं । इसी आधार पर मैंने [ण्] को भारतीय आर्य भाषा-शास्त्रों में आगत ध्वनियों के साथ रखा है ।

[म्]—अल्पप्राण घोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन ।

यह मुख्यतः मन्त्रित तत्पम शब्दों के मध्य में केवल स्वर, अन्तम्य तथा [म्]

एव [ण्] के पूर्व आता है। लेखन में इसके स्थान पर भी ण् वर्ण का ही प्रयोग होता है, यथा—प्रणय, परिणय, प्रणाम, प्रणीत, प्रणेत, प्राणी, रण, स्वर्ण, अरण्य, पुण्य, कण्व, मृण्मय, विषण्ण, आदि में।

[न्]—अल्पप्राण घोष दन्तप्रवत्स्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन।

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, किन्तु तत्सम शब्दों में अन्त में भी आता है, यद्यपि हिन्दी उच्चारण में वहाँ भी न् के साथ ऊदासीन अ की उपस्थिति पायी जाती है, यथा—नगर, नमक, नाव, नेता, नौकरी, धान, पान, मखान, कानून, विद्वान्, भगवान् आदि में।

सूचना.—हिन्दी-लेखन में न् जब किसी दन्त्य व्यञ्जन के पूर्व आता है, तो उसके स्थान पर विकल्प से प्रायः अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग किया जाता है, यथा—सुन्दर, चन्दन, यन्त्र, कुन्तल, कन्धा, मन्थर आदि के स्थान पर क्रमशः सुंदर, चदन, यत्र, कु तल, कधा, मथर, आदि।

[न्ह्] महाप्राण घोष दन्तप्रवत्स्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन।

यह न् का वैसे ही महाप्राण रूप है जैसा घ् द् का। यह हिन्दी में शब्दों के केवल मध्य में आता है, यथा—उन्हे, कन्हैया, चीन्हना, रीन्हना आदि में।

सूचना.—हिन्दी में न् और ह् का सयुक्त रूप भी मिलता है, किन्तु उसका उच्चारण महाप्राण न्ह् से भिन्न होता है, यथा—नन्हाँ, चिन्ह (चिह्न के स्थान में) आदि में। नागरी में महाप्राण न्ह् के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसे भी सयुक्त न्ह् की तरह ही लिखा जाता है।

[म्]—अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन।

यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा, मन, माला, मेला, मीत, मूल्य, कोमल, कामना, अमीर, आम, काम, नाम आदि में।

सूचना—हिन्दी-लेखन में म् जब किसी ओष्ठ्य व्यञ्जन के पूर्व आता है, तो उसके स्थान पर विकल्प से प्रायः अनुस्वार-चिह्न का भी प्रयोग किया जाता है,

१ काद्री, हि० फो० पृ० ८६। डा० वा० रा० स०, ए० अ० § ६२। डा० घी० व०, हि० इ०, § ६१।

यथा—कम्पन, सम्पत्ति, चुम्बक, खम्भा आदि के स्थान पर क्रमशः कपन, सपत्ति, चु वक, खंभा आदि ।

[म्ह]—महाप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन ।

यह म् का उसी प्रकार महाप्राण रूप है, जिस प्रकार भ् व् का । यह हिन्दी में गव्दो के केवल मध्य में आता है, यथा—तुम्हारा, तुम्हें, सम्हालना (सँभालना की जगह), कुम्हार, जम्हाई आदि में ।

सूचना .—हिन्दी में म् और ह् का संयुक्त रूप भी मिलता है, किन्तु उसका उच्चारण महाप्राण म्ह् में भिन्न होता है, यथा—ब्रम्ह (ब्रह्म के स्थान में), ब्राम्हण (ब्राह्मण के स्थान में) आदि में । नागरी में महाप्राण म्ह् के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान पर भी संयुक्त म्ह् ही लिखा जाता है ।

[म्ञ्]—अल्पप्राण घोष कठोरतालव्य स्पर्शघर्षी अनुनासिक व्यञ्जन ।

यह हिन्दी में गव्दो के केवल मध्य में सदा स्पर्शघर्षी व्यञ्जनों के पूर्व आता है, यथा—चञ्चल, लाञ्छन, मञ्जन, पञ्जा, मञ्जर आदि में । कुछेक संस्कृत तत्सम गव्दो में यह शब्द के अन्त में भी आता है, यथा—नञ्, घञ् आदि ।

सूचना —स्पर्शघर्षी व्यञ्जनों के पूर्व आने पर ञ् के स्थान पर हिन्दी-लेखन में प्रायः अनुस्वार-चिह्न का भी प्रयोग किया जाता है, यथा—चचल, मजन, पजा, मजर, जंजा आदि में । किन्तु सूक्ष्म ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से ञ् एव अनुस्वार दो भिन्न ध्वनियाँ हैं ।

पार्श्विक व्यञ्जन

[ल्]—अल्पप्राण घोष वत्स्य पार्श्विक व्यञ्जन ।

प्रा० भा० आ० में यह अन्तःस्थ था, किन्तु हिन्दी में शुद्ध व्यञ्जन है । इसके उच्चारण में जिह्वान्त वर्त्स के मध्य का स्पर्श करता है, किन्तु उसके दाहिने-बायें पार्श्व में हवा के निकलने का मार्ग बचा रहता है । इसीलिए ल् का उच्चारण देर तक किया जा सकता है और यह सप्रवाह पार्श्विक व्यञ्जन कहा जाता है । हिन्दी में यह गव्द के केवल आदि और मध्य में आता है; यथा—लडका, लाभ, लोची, मोनह, माला, काल, गाल आदि में । संस्कृत के कुछेक शब्दों में यह अन्त में भी आता है; यथा—हल् (व्यञ्जन) आदि में ।

[ल्ह्]—महाप्राण घोष वत्स्यं पार्श्वक व्यञ्जन ।

यह ल् का महाप्राण रूप है । हिन्दी में यह शब्द के केवल मध्य में आता है; यथा—ढूल्हा, चूल्हा, आल्हा, कोल्ह आदि में ।

सूचना —हिन्दी में ल् और ह् का संयुक्त रूप भी मिलता है, किन्तु उसका उच्चारण महाप्राण ल्ह् से भिन्न होता है, यथा—जल्हण, कल्हण आदि में । नागरी में महाप्राण ल्ह् के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान पर भी संयुक्त ल्ह् ही लिखा जाता है ।

लुण्ठितप्रकम्पी व्यञ्जन

[र्]—अल्पप्राण घोष वत्स्यं लुण्ठितप्रकम्पी व्यञ्जन ।

प्रा० भा० आ० में यह अन्त स्थ था, किन्तु हिन्दी में यह शुद्ध व्यञ्जन है । इसके उच्चारण में जिह्वान्त लुण्ठित होकर वर्स का इस प्रकार स्पर्श करता है कि हवा के वेग से उसमें प्रकम्प उत्पन्न हो जाय । र् के उच्चारण में दो से तीन बार कम्पन होता है । यह हिन्दी में शब्दों के केवल आदि और मध्य में आता है, यथा—रस, राम, रेत, रूप, तारा, हरा, मारना, परी, चार, सूर आदि में ।

सूचना —(1) कुछ भाषाशास्त्रियों ने र् को केवल लुण्ठित (रौल्ड) माना है, किन्तु हिन्दी र् वास्तव में लुण्ठित होने के साथ प्रकम्पी भी है ।

सूचना —(11) बोलियों में र् का महाप्राण र्ह् भी मिलता है, किन्तु परिनिष्ठित हिन्दी में नहीं ।

उत्क्षिप्त व्यञ्जन

[ड्]—अल्पप्राण घोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित उत्क्षिप्त व्यञ्जन ।

इसके उच्चारण में जिह्वान्त प्रतिवेष्टित होकर झटके के साथ कठोर तालु के पिछले भाग तथा मूर्द्धा का स्पर्श कर लौट आता है । हिन्दी में यह शब्दों के केवल मध्य में आता है, यथा—झाड, घोडा, पेड, घडी, गडबड आदि में ।

सूचना — नागरी में ड् वर्ण का समावेश आधुनिक काल में हुआ है,

१. डा० घी० व०, हि० इ०, § ६६ ।

डा० उ० ना० ति०, हि० उ० वि०, § ३६ ।

नम्भवत् इमी आवार पर कुञ्च भाषाशास्त्रियो ने ड् को आधुनिक काल मे विकसित नवीन ध्वनि माना है।^१ किन्तु मेरा अनुमान है कि ड् वास्तव मे वैदिक ङ् का ही विकसित रूप है, जो प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० में दो स्वरो के बीच ड् के स्थान पर उच्चरित होता था। हिन्दी में भी ड् विदेशी ऋण शब्दो तथा उपसर्ग रहित शब्दो को छोडकर अन्यत्र दो स्वरो के बीच नहीं आता, जबकि ड् सदा दो स्वरो के बीच ही आता है।

[ढ्]—महाप्राण घोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित उत्क्षिप्त व्यञ्जन।

यह ड् का महाप्राण रूप है और हिन्दी में शब्दो के केवल मध्य में आता है, यथा—वाढ, बूढा, बढई आदि में।

सूचना—ड् की तरह ढ् वर्ण का समावेश भी नागरी मे आधुनिक काल में हुआ है, इमीलिए कुञ्च भाषाशास्त्रियो ने इसे भी आधुनिक काल में विकसित नवीन ध्वनि माना है,^२ किन्तु मेरा अनुमान है कि ढ् वास्तव मे वैदिक ङ् ह् का ही विकसित रूप है, जो प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० में दो स्वरो के बीच ढ के स्थान पर उच्चरित होता था। हिन्दी मे भी ढ् उपसर्ग युक्त शब्दो तथा विदेशी ऋण शब्दो को छोडकर अन्यत्र दो स्वरो के बीच नहीं आता, जबकि ढ् सदा दो स्वरो के बीच ही आता है।

सङ्घर्षी व्यञ्जन

[ह्]—महाप्राण घोष स्वरयन्त्रमुखी^३ (या काकल्य^४) सङ्घर्षी व्यञ्जन।

यह आर्यभाषा-त्रोट का परम्परागत व्यञ्जन है। इसके उच्चारण में अन्य नभी ध्वनियो की अपेक्षा अधिक प्रस्वासवायु वेग के साथ स्वरतन्त्रियो में कम्पन उत्पन्न करती हुई तथा स्वरयन्त्रमुख या काकल स्थान मे घर्षण करती हुई मुख-विवर के मार्ग मे बाहर निकलती है। हिन्दी में यह शब्दो के केवल आदि और मध्य में आता है, यथा—हल, हाथ, हिमात्र, हिन्दी, हीग, हुकुम, होली, राह, कटानी, महेश, महोदर, यह, वह, आदि में।

१. ङा० घा० व०, हि० इ० § ६८।

२. वही, § ६९।

३. ङा० घा०, व० हि० इ०, § ७१। ङा० भो० ना० ति० हि० भा०, पृ० ४०।

४. ङा० टा० ना० ति०, भा० रु०, पृ० १२१। ङा० कै० च० भा० मा० रु० (टा० ना० ति०), पृ० २१८।

सूचना (1) कुछ भाषाशास्त्रियों ने शब्द के आदि में आनेवाले ह् को अघोष माना है, किन्तु मैंने अपने अध्ययन में इसे सर्वत्र घोष पाया है ।

सूचना (11) कुछ भाषाशास्त्रियों ने स्पर्श महाप्राण व्यञ्जनो को ह् युक्त व्यञ्जन, यथा घ् = ग् + ह्, ढ् = ड् + ह् माना है^१, जो ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है । सयोग में दो या अधिक ध्वनियों में पूर्वापर सम्बन्ध होता है, क्योंकि उनका उच्चारण उसी क्रम से होता है, किन्तु स्पर्शमहाप्राण व्यञ्जनो के उच्चारण में आभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों प्रयत्न एक साथ होते हैं, अतः उनमें पूर्वापर सम्बन्ध नहीं होता । अघोष महाप्राण स्पर्श व्यञ्जनो के उच्चारण में ओठ या मुख-विवर के भीतर जिह्वा का कोई भाग जिस समय स्पर्श-प्रयत्न करता होता है, ठीक उसी समय स्वरतन्त्रियों के भीतर अघोष महाप्राण प्रयत्न होता रहता है, इसी प्रकार घोष महाप्राण स्पर्श के उच्चारण में जिस समय ओठ या जिह्वा का कोई भाग स्पर्श-प्रयत्न करता होता है, ठीक उसी समय स्वरतन्त्रियों के द्वारा घोष महाप्राण प्रयत्न होता है । ऐसी स्थिति में स्पर्श महाप्राण व्यञ्जनो में स्वतन्त्र ह् की सयुक्त स्थिति मानना समीचीन नहीं है ।

[ख्] अघोष महाप्राण अलिजिह्वीय^२ सङ्घर्षी व्यञ्जन ।

यह विदेशी स्रोत से आगत ध्वनि है । इसके उच्चारण में जिह्वामूल अलिजिह्वा के निकट ऊपर जाकर वायुमार्ग को सङ्कीर्ण बना देता है, जिसके फलस्वरूप वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है । यह व्यञ्जन हिन्दी में गृहीत अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के तत्सम ऋण शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—खत, खराब, खता, खर, खुश, अखबार, बुखार, दाखिल, सुख^३, दाख आदि में ।

सूचना (1) पूरबी प्रान्तों के सामान्य हिन्दीभाषी ख् के स्थान पर प्रायः ख् ही बोलते हैं । लेखन में भी अधिकांश लोग ख् की जगह ख् ही लिखते हैं । किन्तु, उर्दू के जानकार हिन्दी विद्वान भाषण एवं लेखन दोनों ही में ख् का शुद्ध प्रयोग करते हैं ।

[ग्] घोष अल्पप्राण अलिजिह्वीय सङ्घर्षी व्यञ्जन ।

यह विदेशी-स्रोत से आगत ध्वनि है और हिन्दी में गृहीत अरबी-फारसी के

१. डा० घो० व०, हि० इ०, § ७१ ।

२. डा० भीरेन्द्र वर्मा (हि० इ०, § ७२, ७३) आदि कुछ भाषाशास्त्रियों ने ख् एवं ग्

तत्सम ऋण शब्दों के आदि तथा मध्य में आती है; यथा—गम, गरीव, गलत, गालिव, चोगा, दाग, मुग़ल, अफगान, चिराग, मुर्ग आदि में ।

सूचना —ख् की तरह ग् का भी शुद्ध उच्चारण प्राय उन्ही हिन्दीभाषी विद्वानों के मुख से सुना जाता है, जो उर्दू के जानकार होते हैं, अन्यथा अधिकांश हिन्दीभाषी इसे प्राय. ग् ही बोलते एव लिखते हैं ।

[श्] अघोष अल्पप्राण तालव्य सङ्घर्षी व्यञ्जन ।

यह आर्यभाषा-श्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । यह हिन्दी में गृहीत संस्कृत तत्सम शब्दों तथा विदेशी ऋण शब्दों के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—शरीर, गाखा, शिक्षा, शुक्ल, शोपित, शहद, शराब, शायद, शेख; शेर, यश, पशु, विशेष, वश, गशि, लाश, नशा आदि में ।

सूचना —हिन्दी के तद्भव शब्दों में श् की उपस्थिति नहीं है । इसके स्थान पर सर्वत्र स् पाया जाता है ।

[प्] अघोष अल्पप्राण मूर्धन्य प्रतिवेष्टित सङ्घर्षी व्यञ्जन ।

यह प्रा० भा० आ० का व्यञ्जन है, जो म० भा० आ० में तो नहीं था, किन्तु हिन्दी में तत्सम शब्दों के साथ आ गया है । हिन्दी में भी इसका शुद्ध उच्चारण विरले संस्कृतजों के मुख से ही सुना जाता है, अन्यथा अधिकांश लोग इसका उच्चारण श् की तरह और अशिक्षित लोग स् की तरह करते हैं । यजुर्वेदी ब्राह्मण इसका उच्चारण ख् की तरह करते हैं, साथ ही कई बोलियों में भी इसका उच्चारण ख् की तरह ही होता है । यह हिन्दी में गृहीत संस्कृत तत्सम शब्दों के केवल मध्य में आता है, यथा—विषय, परिपद्, नष्ट, विष, निपाद, निषेध, आदि में ।

सूचना —प्राचीन ग्रन्थों में कहीं-कहीं ख् वर्ण की जगह प् वर्ण का प्रयोग मिलता है, यथा—आँपडियाँ (कबीर), लपन (तुलसी) आदि । इससे इस बात की सूचना मिलती है कि प् का ख् की तरह उच्चारण करने की परम्परा बहुत प्राचीन है ।

को जिद्दा मूल्य व्यञ्जन माना है, किन्तु जिह्मूल वास्तव में करण है, स्थान नहीं । इस कारण इत भनियों को अलिजिद्दाय करना अधिक समीचीन है ।

[स]—अघोष अल्पप्राण दन्त्य-वत्स्यं सङ्घर्षी व्यञ्जन ।

यह आर्यभाषा-स्रोत का परम्परागत व्यञ्जन है । हिन्दी में यह शब्द के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—सखी, सभी, सभा, साल, सेना, सोना, सुख, सूना, सीना, रस, ओस, पैमा, ऐसा, दासी, रासो, असली, कसैली, पास आदि में ।

[ज]—घोष अल्पप्राण वत्स्यं सङ्घर्षी व्यञ्जन ।

यह विदेशी स्रोत से आगत व्यञ्जन है और हिन्दी में गृहीत विदेशी ऋण शब्दों के केवल आदि और मध्य में आता है, यथा—जरा, जमाना, जर्रा, ज़रूरत, जालिम, जुर्म, सजा, राज, गुज़र, वाज, गजट, जू आदि में ।

सूचना —इसका शुद्ध उच्चारण प्रायः उर्दू के जानकार हिन्दी विद्वानों के मुख से ही सुना जाता है, अन्यथा सामान्य हिन्दीभाषी इसके स्थान पर ज् ही चालते एव लिखते हैं ।

[फ]—अघोष महाप्राण दन्त्योष्ठ्यं सङ्घर्षी व्यञ्जन ।

यह विदेशी स्रोत से आगत व्यञ्जन है और हिन्दी में गृहीत विदेशी ऋण शब्दों के केवल आदि और मध्य में आता है, यथा—फारसी, फायदा, फिजूल, सफर, सफेद, साफ, वफ़, फीवर आदि में ।

सूचना —इसका शुद्ध उच्चारण प्रायः उर्दू के जानकार हिन्दी विद्वानों के मुख से ही सुना जाता है, अन्यथा सामान्य हिन्दीभाषी इसके स्थान पर फ् ही बोलते एव लिखते हैं ।

मिश्र व्यञ्जन

क्ष्, त्र् और ज्ञ् को वैयाकरणों तथा भाषाशास्त्रियों ने सयुक्त व्यञ्जनों की कोटि में परिगणित किया है । इनमें त्र तो निश्चय ही सयुक्त व्यञ्जन है, किन्तु क्ष् और ज्ञ् हमारी समझ से सयुक्त व्यञ्जन न होकर मिश्र व्यञ्जन है । इस मान्यता के स्पष्टीकरण के लिए पहले व्यञ्जनों के संयोग तथा मिश्रण को स्पष्ट कर देना आवश्यक है ।

व्यञ्जनों के संयोग^१ के लिए दो बातें अनिवार्य हैं—(१) व्यञ्जनों के बीच

१. 'हलोऽनन्तरा-संयोगः।' पा० अष्टाध्यायी, १ १ ७. ।

कोई स्वर न हो तथा (२) उनका उच्चारण पूर्वापर क्रम से हो, यथा—त्र्=त्र्, प्=प्र्, म्प=म्प्, र्त् स्य्=त्स्य् आदि ।

व्यञ्जनो के मिश्रण के लिए केवल एक ही अनिवार्यता है, वह यह कि दो व्यञ्जनो का युगपत् अर्थात् एक ही साथ उच्चारण हो । ऐसी स्थिति में न तो उनके बीच किसी स्वर के आने का प्रश्न उठता है और न उनके उच्चारण में पूर्वापर सम्बन्ध का ही । इस प्रकार दो उच्चारण-स्थानो पर दो करणो के द्वारा एक ही साथ जब दो भिन्न व्यञ्जन ध्वनियो के उच्चारण का प्रयत्न होता है, तो उस स्थिति में जो व्यञ्जन उच्चरित होता है, हमने उसी के लिए मिश्र व्यञ्जन सजा का प्रयोग किया है । मिश्र व्यञ्जन में मूल व्यञ्जनो का प्रकृत रूप पारस्परिक मिश्रण के कारण प्रायः बदल जाता है । क्ष् और ज् ऐसे ही मिश्र व्यञ्जन हैं, जिनमें क्रमशः क् तथा प् एव ज् तथा ञ् का मिश्रण है ।

यहाँ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि उच्चारण में दो व्यञ्जनों का मिश्रण कठिन होने पर भी असम्भव नहीं है, किन्तु लेखन में उनके सूचक दो भिन्न वर्णों का ऐसा मिश्रण जिसमें पूर्वापर सम्बन्ध न हो, नितान्त असम्भव है । इमीलिए हमारे पूज्य पूर्वजो ने उक्त दोनों मिश्र व्यञ्जनो को सूचित करने के लिए दो नितान्त स्वतन्त्र वर्ण प्रतीको की सृष्टि की थी, जिनमें मूल व्यञ्जनो के सूचक वर्णों की प्रायः छाया भी नहीं है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि इन दोनों मिश्र व्यञ्जनो का उच्चारण अति प्राचीन काल से ही मिश्र व्यञ्जनो के रूप में होता आया है, क्योंकि नागरी वर्णमाला में इनका समावेश प्रायः प्रारम्भ से ही मिलता है । यदि ये मिश्रव्यञ्जन न होकर सयुक्त व्यञ्जन होते, तो इनके लिए भी उसी प्रकार स्वतन्त्र वर्णों की रचना नहीं की गयी होती, जिस प्रकार अन्य सयुक्त व्यञ्जनो के लिए नहीं की गयी ।

मिश्र व्यञ्जनो का उच्चारण अन्य सभी ध्वनियो के उच्चारण से कठिन होता है, इस कारण भिन्न भिन्न देश-कालो में क्ष् और ज् के उच्चरित स्वरूप में तथा इनसे विकसित ध्वनियो में, अन्य सभी ध्वनियो की अपेक्षा अधिक वैविध्य रहा है, जिनके सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थों में अनेक विद्वानो के द्वारा अलग-अलग पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है । अतः यहाँ उन सब की आवृत्ति उचित नहीं ।

१ ए० सी० बुननर, ग्रि० का० बो०, प्रकाशक—लि० सो० इ० लाहौर, १९३६ ई०,
पृ० ८६-१३ । पिगेल, प्रा० प्रा० § २७६ ।
मु० कृ० च०, वे० ले०, पृ० २४५

यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या वर्गीय महाप्राण व्यञ्जनो, यथा ख् घ् छ् झ् ठ् ढ् आदि को भी क्ष् और ज्ञ् की तरह ही मिश्र व्यञ्जन नहीं कहा जा सकता ? उत्तर स्पष्ट है, नहीं । कारण यह है कि वर्गीय महाप्राण व्यञ्जनो में जिन दो ध्वनियो का मिश्रण सुनाई पडता है, उनमें केवल एक का ही सम्बन्ध आभ्यन्तर प्रयत्न से है । दूसरे अर्थात् महाप्राणत्व का सम्बन्ध तो बाह्य प्रयत्न से है । इस प्रकार उनमें मिश्रण आभ्यन्तर तथा बाह्य प्रयत्न का है, जैसा कि अन्य व्यञ्जनो; यथा घोष, अघोष, अल्पप्राण आदि के उच्चारण में भी होता है । सत्य तो यह है कि आभ्यन्तर एव बाह्य प्रयत्न का मिश्रण प्रायः सभी ध्वनियो में होता है । ऐसी स्थिति में उस मिश्रण के कारण किसी ध्वनि को मिश्र ध्वनि नहीं कहा जा सकता । इसलिए वर्गीय महाप्राण वास्तव में मूलव्यञ्जन है, मिश्र या सयुक्त नहीं । किन्तु क्ष् और ज्ञ् के उच्चारण में दो भिन्न-भिन्न स्थानो पर दो भिन्न-भिन्न करणो के द्वारा दो भिन्न-भिन्न आभ्यन्तर प्रयत्न होते हैं, साथ ही अपेक्षित बाह्य प्रयत्न भी । इसलिए इन दोनो ध्वनियो की स्थिति मूल तथा सयुक्त सभी ध्वनियो से भिन्न है । इनका ध्वनि-वैज्ञानिक विवरण इस प्रकार है —

[क्ष्] अघोष महाप्राण कोमलतालव्य मूर्द्धन्य स्पर्शसङ्घर्षी मिश्र व्यञ्जन ।

इसमें क् और प् का मिश्रण है । इसका शुद्ध उच्चारण सुशिक्षित लोग ही कर पाते हैं । अधिकांश हिन्दीभाषी इसका उच्चारण क्छ, च्छ या कश् सयुक्त व्यञ्जनो की तरह करते हैं । यह हिन्दी में गृहीत केवल सस्कृत तत्सम शब्दो के आदि तथा मध्य में आता है, यथा—क्षत्रिय, क्षुधा, क्षोभ, परीक्षा, रक्षा, शिक्षा, मुमुक्षु, सक्षिप्त आदि में ।

[ज्ञ्]—घोषअल्पप्राण तालव्य स्पर्शसङ्घर्षी मिश्र अनुनासिक व्यञ्जन ।

इसमें ज् एव ज्ञ् का मिश्रण है । इसका शुद्ध उच्चारण विरले सस्कृतजो के मुख से ही सुना जाता है । भिन्न-भिन्न प्रान्तो में इसका उच्चारण भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है, यथा—गुजरात में गन् महाराष्ट्र में द्न्य्, तथा अन्य प्रान्तो में ग्य् और ग्यँ । कुछ सस्कृतज्ञ इसका उच्चारण प्रायः ज्यँ तथा ज्ञ् सयुक्त व्यञ्जनो के रूप में भी करते हैं । यह हिन्दी में गृहीत सस्कृत तत्सम शब्दो के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—ज्ञान, ज्ञापन, ज्ञेय, ज्ञात, विज्ञ, विज्ञान, आज्ञा, सज्ञा आदि में ।

सूचना — मिश्र व्यञ्जनो के उच्चारण-वैविध्य का मुख्य कारण उनकी उच्चारण-प्रक्रिया तथा उनके स्वरूप में ही निहित है ।

अन्तःस्थ

[यू] — अल्पप्राण घोष तालव्य सङ्घर्षहीन-सप्रवाह अर्द्धस्वर ।

इसके उच्चारण में जिह्वाग्र कठोर तालु के निकट स्वर-सीमा^१ का प्रायः अतिक्रमण करता हुआ प्रतीत होता है, किन्तु वह इतना ऊपर नहीं जाता कि शुद्ध व्यञ्जन का उच्चारण हो सके । इसीलिए यू को अन्तःस्थ अर्थात् स्वर एव व्यञ्जन के बीच की ध्वनि माना जाता है । परिनिष्ठित हिन्दी में यू में व्यञ्जनत्व की अपेक्षा स्वरत्व की मात्रा ही अधिक पायी जाती है, इसलिए इसे अर्द्धस्वर भी कहा जाता है,^२ किन्तु हिन्दी की बोलियों में यू के पश्चात् कोई घोष व्यञ्जन आने पर इसमें व्यञ्जनत्व की मात्रा अधिक आ जाती है, इसीलिए बोलियों में यदि, यद्यपि, यजमान आदि क्रमशः जदि, जद्पि, जजमान आदि की तरह सुनाई पड़ते हैं ।

परिनिष्ठित हिन्दी में अर्द्धस्वर यू शब्द के केवल आदि तथा मध्य में आता है, यथा—यदि, नियम, आय, गाय आदि में ।

[व] अल्पप्राण घोष द्वयोष्ठ्य सङ्घर्षहीन सप्रवाह अर्द्धस्वर ।

इसके उच्चारण में नीचे का ओठ ऊपर के ओठ का, दोनों छोरों पर तो स्पर्श करता है, किन्तु बीच में इतना मार्ग छोड़ देता है कि हवा बिना सङ्घर्ष के बाहर निकल सके । इसके अतिरिक्त जिह्वापश्च कोमल तालु के निकट स्वर-सीमा पर चला जाता है । यह भी यू की तरह स्वर और व्यञ्जन के बीच की ध्वनि है । परिनिष्ठित हिन्दी में इसमें व्यञ्जनत्व की अपेक्षा स्वरत्व की मात्रा अधिक पायी जाती है, इसलिए इसे भी अर्द्धस्वर ही कहा जाता है ।^३ यह मुख्यतः तद्भव शब्दों के आदि तथा मध्य में आता है, यथा—वह, वाह, देवर, नाव, राव आदि में ।

१ ध्वनि-उच्चारण के समय जिह्वा के ऊपर उठने की वह ऊँचाई, जिससे अधिक ऊपर जाने पर सङ्घर्षी व्यञ्जन का उच्चारण होता है ।

२ डा० विश्वनाथ प्रसाद, 'भारतीय साहित्य', अप्रैल १९५६ ई० ।

डा० एम खाँ, 'ए फोनेटिक ऐंड फोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द वर्ड इन उर्दू', पृ० ६ ।

३ डा० विश्वनाथ प्रसाद, भारतीय साहित्य, अप्रैल, १९५६ ई० ।

[व्.] अल्पप्राण घोष दन्त्योष्ठ्य अल्पसङ्घर्षी सप्रवाह अर्द्ध व्यञ्जन ।

इसके उच्चारण में नीचे के ओठ के दोनों छोर ऊपर की दन्तपक्ति का स्पर्श करते हैं, किन्तु बीच में अति सङ्कीर्ण मार्ग बचा रहता है, जिस होकर हवा कुछ सङ्घर्ष के साथ बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त जिह्वापश्च कोमल तालु के निकट स्वर-सीमा का प्रायः अतिक्रमण करता हुआ प्रतीत होता है। इसमें स्वरत्व की अपेक्षा व्यञ्जनत्व अधिक है, इसीलिए इसे अर्द्धस्वर नहीं मानकर अर्द्ध-व्यञ्जन मानना अधिक समीचीन है। बोलियों में इसके स्थान पर प्रायः व् व्यञ्जन सुनाई पड़ता है, किन्तु परिनिष्ठित हिन्दी में नहीं। कुछ भाषाशास्त्रियों ने इसे अर्द्धस्वर^१ और कुछ ने शुद्ध व्यञ्जन^२ माना है, किन्तु वास्तव में यह अर्द्धव्यञ्जन है। यह मुख्य रूप से नत्सम तथा कुछ विदेशी शब्दों के आदि तथा मध्य में आता है, यथा—विष्णु, वन, स विधान, व्यापार, सबल, वेद, सवेदना, बलबला, वाँयस आदि में।

अयोगवाह^३ .

इस वर्ग में अघोष महाप्राण स्वरयन्त्रमुखी सङ्घर्षी ध्वनि विसर्ग [·] तथा नासिक्य वर्गीय पाँच अनुस्वार ध्वनियाँ— [^१ - , ^२ - , ^३ - , ^४ - , ^५ -] आती हैं। इन ध्वनियों पर स्वर, व्यञ्जन तथा अन्त स्थ, इनमें से किसी के भी लक्षण पूर्णतः नहीं घटते। स्वर, व्यञ्जन तथा अन्त स्थ ध्वनियों का उच्चारण जहाँ मुख-विवर में स्थित करणों के प्रयत्नों से होता है, वही इन ध्वनियों का उच्चारण मुखेतर विवर में स्थित करणों के प्रयत्नों से। स्वर, व्यञ्जन तथा अन्त स्थ ध्वनियों के उच्चारण में उसके पूर्व स्वर की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, किन्तु इन ध्वनियों के उच्चारण के लिए इनके पूर्व स्वर की उपस्थिति अनिवार्य होती है। स्वर, व्यञ्जन एवं अन्त स्थ का परस्पर सयोग होता है, किन्तु इन ध्वनियों का न तो परस्पर और न किसी अन्य ध्वनियों से ही प्रकृत सयोग सम्भव है। इन्हीं कारणों से प्राचीन भारतीय

१. ङा० कै० च० भा०, भा० शा० रू० (ढा० उ० ना० ति०), पृ० २२०।

२. ङा० धो० व० हि० इ० ९ ७८।

ढा० भो० ना० ति०, हि० भा०, पृ० ३६।

३ न विध्यते योगः सयोगो वर्णान्तरेण येषां ते अयोगवाहाः। पा० शि० १६ पर पञ्जिकावृत्ति। 'अकारादिना वर्ण समाम्नायेन सहिता सन्त एते वहन्त्यात्मलाभ प्राप्नुवन्त्ययोगवाहाः'। वा० प्रा० ८ १८ पर उवटभाष्य विशेष द्रष्टव्य—डब्लू० एस० एलेन, फो० ए० इ०, पृ० १६-१७।

आचार्यों ने इन ध्वनियों को स्वर, व्यञ्जन एव अन्त स्थ मे एक पृथक् वर्ग में स्थान दिया था, तथा इन्हे अयोगवाह की सजा से अभिहित किया था। “न स्वरो मे मयोग, न व्यञ्जनो से, फिर भी अर्थवहन करते हैं। इसीलिए अयोगवाह।”^१ किन्तु कतिपय भाषाशास्त्रियों के अनुसार ये ध्वनियाँ विधेय प्रकार के व्यञ्जन ही हैं, क्योंकि ये व्यञ्जनो का ही प्रतिनिधित्व करती हैं।^२ मेरी ममज्ञ से ध्वनि-वैज्ञानिक स्तर पर तो इन ध्वनियों को स्वर, व्यञ्जन एव अन्त स्थ, इन तीनों वर्गों मे पृथक् चीये (अयोगवाह) वर्ग में स्थान देना ही अधिक उपयुक्त है, किन्तु स्वनिम शास्त्रीय स्तर पर ये ध्वनियाँ व्यञ्जन स्वनिमो के मस्वनो के रूप में व्यञ्जनो का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः स्वनिम शास्त्रीय दृष्टि मे हिन्दी ध्वनियों के स्वर, व्यञ्जन एव अन्त स्थ तीन ही मूल वर्ग हैं।

विसर्ग []—अघोष महाप्राण स्वरयन्त्रमुखी सङ्घर्षी अयोगवाह ध्वनि।

इसके उच्चारण मे मुख-विवर मे स्थित करणो की सहायता प्रत्यक्षत नहीं ली जाती। स्वरतन्त्रियाँ विवार-श्वास-अघोष प्रयत्न की स्थिति मे रहती हैं, किन्तु फेफड़े के द्वारा तीव्र वेग मे प्रेरित होने के कारण वायु स्वरयन्त्रमुख अर्थात् काकल मे सङ्घर्ष के साथ बाहर निकलती है। कतिपय विद्वानो के अनुसार यह [ह्] का ही अघोष रूप है,^३ किन्तु [ह्] के उच्चारण के लिए उसके पूर्व स्वर रहे सम्भव ही नहीं है। हिन्दी मे छि, हु, जैसे कुछेक शब्दो के अतिरिक्त यह ध्वनि केवल तत्सम मे हो मुनाई पडती है, यथा—दु ख, मन स्थिति, प्राय, अतः, पुन आदि मे।

अनुस्वार [ँ]—हिन्दी मे शब्द-स्तर पर अनुसार कोई एक ध्वनि नहीं, अपितु इसके पाँच भेद हैं। यहाँ संक्षेप मे उन भेदो के स्वरूप का परिचय देने के उपरान्त हम विधेय टिप्पणी मे उनका सविस्तर विवेचन करेंगे। नीचे अनुस्वार-चिह्न के ऊपर दी गयी संख्याएँ पाद-टिप्पणी की नहीं, अनुस्वार के प्रकार की हैं।

१ अनुस्वार [ँ]^१ :—अल्पप्राण घोष कण्ठीकृत नासिक्य अयोगवाह।

यह सदा स्वर के पश्चात् और [ह्] के पूर्व आता है, यथा—संहार, सिंहल, आदि मे।

२. अनुस्वार [ँ]^२ :—अल्पप्राण घोष तालव्यीकृत नासिक्य अयोगवाह।

१. कि० दा० वा०, हि० श० पृ० ६२।

२. वाकरनागल, अल्टि० ग्रा० १, पृ० २५६। मैकडॉनेल. वे० ग्रा०, पृ० ५४।

३. डॉ० धी० व० हि० इ० §, ७०।

यह सदा स्वर के पश्चात् और [य्] या [ग्] के पूर्व आता है, यथा—सयम, सशय आदि में ।

३ अनुस्वार []^३ :—अल्पप्राण घोष मूर्द्धन्यीकृत नासिक्य अयोगवाह ।

यह सदा स्वर के पश्चात् तथा [प्] के पूर्व आता है, दष्ट्रा,, दष्ट्राल आदि में ।

४ अनुस्वार []^४ —अल्पप्राण घोष वत्स्यीकृत नासिक्य अयोगवाह ।

यह सदा स्वर के पश्चात् तथा [र्], [ल्] या [स्] के पूर्व आता है; यथा—सरचना, सलाप, सहार आदि में ।

५. अनुस्वार []^५ :—अल्पप्राण घोष ओष्ठ्यीकृत नासिक्य अयोगवाह ।

यह सदा स्वर एवं [व्] के बीच आता है; यथा—सवाद, सविधान आदि में ।

विशेष टिप्पणी

अनुस्वार ध्वनि स्वर के पश्चात् तथा य् र् ल् ज् श् प् स् ह् से पूर्व आती है^१ किन्तु इसका संयोग न तो पूर्ववर्ती स्वर से और न तो परवर्ती किसी ध्वनि से ही होता है, इसीलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है ।^२ ऋ० प्रा० (१,५,) के अनुसार अनुस्वार स्वर भी हैं और व्यञ्जन भी, किन्तु तै० प्रा० (१,३०) के वैदिकाभरण भाष्य में उक्त मत का निराकरण करके यह स्थापित किया गया है कि यजुर्वेद की तैत्तिरीयशाखा में अनुस्वार केवल व्यञ्जन है और इसका उच्चारण अर्द्धगकार के सदृश है । इस सम्बन्ध में डा० सिद्धेश्वर वर्मा का मत है^३ कि तै० प्रा० (१,३२-३४) के नियमानुसार अनुस्वार का स्वरूप पूर्णतः व्यञ्जनात्मक नहीं है, क्योंकि इन नियमों में ह्रस्व स्वर के समान अनुस्वार का काल भी एक मात्रा का माना गया है ।

ध्वनि-वैज्ञानिक दृष्टि से अनुस्वार वास्तव में स्वर, व्यञ्जन एवं अन्तःस्थ तीनों से पृथक् श्रेणी की ध्वनि है; क्योंकि इसमें उक्त तीनों श्रेणियों से कुछ-कुछ साम्य होने पर भी किसी एक के लक्षण पूर्णतः घटित नहीं होते । अतः इसके अयोगवाह एव अनुस्वार^४ नाम पूर्णतः सार्थक एव युक्तियुक्त है ।

१. पा० शि०, २३ ।

२. पा० शि०, १६ पर पञ्जिकावृत्ति ।

३. डा० सि० ब०, कि० स्ट० प० १५१ ।

४. पा० शि०, ५ पर पञ्जिकावृत्ति ।

हिन्दी में भी अनुस्वार का प्रकृत क्षेत्र स्वर के उपरान्त एवं य् र् ल् व् श् प् स् ह् के पूर्व ही है, साथ ही इसका अपनी पूर्ववर्ती तथा परवर्ती ध्वनियों से संयोग भी नहीं होता, किन्तु परवर्ती ध्वनियों का प्रभाव इसके उच्चरित स्वरूप पर पड़ता अवश्य है। इस कारण भिन्न-भिन्न सुनिश्चित स्थितियों में इसके पृथक्-पृथक् पाँच प्रकार हो जाते हैं। ह् के पूर्व इसका उच्चारण प्रायः ड् के समान, प् के पूर्व ण् के समान, य् श् के पूर्व ञ् के समान; र् ल् व् स् के पूर्व प्रायः न् के समान, तथा व् के पूर्व प्रायः म् के समान होता है। इसके उच्चारण की इसी विविधरूपता तथा वर्गीय अनुनासिक व्यञ्जनो से साम्य के कारण, अतिप्राचीन काल में ही, स्पर्श से पूर्व आनेवाले अनुनासिक स्पर्शों के स्थान पर भी, विकल्प से इसका प्रयोग होने लगा था^१। इस सम्बन्ध में अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देनेवाले पाणिनीय सूत्रों (८, ३, ४—८, ४, ५९) ने अनुस्वार के प्रयोग क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया। आगे चलकर प्राकृत वैयाकरणों ने तो स्वरों से पूर्व भी अनुस्वार का विधान कर दिया।^२

अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र का दिनानुदिन विस्तार का एक प्रमुख कारण लेखन की दृष्टि में उसके चिह्न का अन्य अनुनासिक व्यञ्जन वर्णों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होना भी है। इसीलिए हिन्दी-लेखन में भी अनुस्वार-चिह्न उन सभी स्थितियों में वर्गीय अनुनासिकों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ता है, जहाँ वे अपने ही वर्ग के अन्य व्यञ्जनों के पूर्व आते हैं। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि अनुस्वार अनुनासिक व्यञ्जनों से या अनुनासिकता से अभिन्न है। कुछ पश्चात्य वैयाकरणों ने इसी भ्रम में पड़कर दोनों में अन्तर्भाव स्थापित करने का भी प्रयत्न किया है^३, जो भ्रामक है। वास्तव में दोनों के प्रयोग-क्षेत्र के विषय में ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि ने किसी प्रकार की भ्रान्ति के लिए अवकाश नहीं है। इसी प्रकार स्वरों की अनुनासिकता तथा अनुस्वार की ध्वनि-वैज्ञानिक भिन्नता में भी कही शङ्का या विकल्प के लिए स्थान नहीं है।

१. डा० रामगोपाल, वै० ग्रा० पृ० ४७।

२. वही।

३. शिवटनी, स० ग्रा०, पृ० १५।

२. स्वनिमशास्त्रीय विवेचन

किसी भाषा के सामान्य व्यावहारिक लेखन में प्रायः उतने ही वर्णों की अनिवार्यता होती है, जितने उसमें स्वनिम होते हैं। इस दृष्टि से, हिन्दी के स्वनिमात्मक या व्यावहारिक लेखन के लिए नागरी में कितने वर्णों की अनिवार्यता है, यह जानने के पहले इसे जान लेना आवश्यक है कि हिन्दी में कितने और कौन-कौन से स्वनिम हैं।

स्वनिमशास्त्रीय धरातल पर किसी भाषा की (ध्वनि-वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित) सभी ध्वनियों का महत्त्व एक समान नहीं होता। स्वनिमशास्त्री के लिए ध्वनिविज्ञान के आधार पर निर्धारित ध्वनि-समूह कच्चे माल के समान होता है। वह एक सुनिश्चित प्रविधि के द्वारा उस ध्वनि-समूह की प्रत्येक ध्वनि के भाषागत वितरण-परिवेश तथा पारस्परिक अर्थभेदकता का अनुसन्धान करता है और फिर सुनिश्चित सिद्धान्तों के आधार पर स्वनिमों तथा उनके सस्वनो का निर्धारण करने के पश्चात् भाषा को लेखबद्ध करने के लिए उसकी वर्णमाला के निर्धारण का व्यावहारिक आधार प्रस्तुत करता है।^१

यहाँ हमारा भी उद्देश्य हिन्दी के स्वनिमात्मक लेखन के अनुरूप नागरी वर्णमाला का निर्धारण तथा उसकी उपयुक्तता का विवेचन करना है। इस सन्दर्भ में हिन्दी-स्वनिमों के निर्धारणार्थ हमने ध्वनियों में परस्पर ध्वनिवैज्ञानिक असमानता, व्यतिरेकी वितरण की स्थिति, अर्थभेदक क्षमता तथा सङ्घटनात्मक प्रतिरूपता का समनुहार (पैटर्न काँड्ग्रुएस), इन चारों ही आधारों को समान रूप से महत्त्वपूर्ण माना है। किन्तु, हिन्दी में कतिपय ध्वनियाँ ऐसी भी हैं, जिनका वितरणजन्य परिवेश समान होने पर भी उनकी पारस्परिक अर्थभेदकता को सिद्ध करनेवाले स्वल्पान्तर शब्दयुग्मों (मिनिमल पेअर्स) का अभाव है। ऐसे स्थलों पर हमने अर्थभेदकता को महत्त्व न देकर केवल व्यतिरेक या वितरणजन्य परिवेश की समानता के आधार पर ही उन्हें पृथक्-पृथक् स्वनिमों के रूप में स्वीकार कर लिया है।

हिन्दी-स्वनिमों के निर्धारण में एक दूसरी समस्या ऋण शब्दों (लोन वर्ड्स) के साथ हिन्दी में गृहीत उन विदेशी ध्वनियों की है, जो हिन्दी के तद्भव शब्दों में नहीं पायी जाती, यथा—क, ग, ज, फ, आदि। इन ध्वनियों का शुद्ध तत्सम

1. K. L. Pike, Phonemics, 1964, P. 57.

उच्चारण केवल वे ही लोग करते हैं, जिन्हें इनसे सम्बद्ध भाषाओं या कम से कम उनके शब्दों का न्यूनाधिक ज्ञान होता है। निश्चय ही, देश में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं और न हिन्दी-शब्द-समूह में ऐसे ऋण शब्दों की ही संख्या कम है, जिनमें ये ध्वनियाँ वर्तमान हैं। ये ध्वनियाँ हिन्दी की अन्य समकक्ष ध्वनियों, यथा— क्, ग्, ज्, फ्, आदि से क्रमशः व्यतिरेकी वितरण की स्थिति रखती हैं, साथ ही, दोनों में परस्पर अर्थभेदक क्षमता का भी अभाव नहीं है। इन्हीं कारणों से हमने इन्हें हिन्दी के पृथक्-पृथक् स्वनिमो के रूप में स्वीकार कर लेना ही अधिक समीचीन समझा है। किन्तु, इनकी पारस्परिक अर्थभेदक क्षमता को स्पष्ट करने के लिए हमने जो स्वल्पान्तर शब्दयुग्म उदाहृत किये हैं, उनमें ऋणशब्दों को देखकर, सम्भव है कि कुछ विद्वान यह आपत्ति व्यक्त करें कि अन्य भाषाओं के शब्दों के आकार पर हिन्दी भाषा के स्वनिमो का निर्धारण स्वनिम शास्त्रीय सिद्धान्त के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में हमारा तर्क केवल यह है कि ऐसे स्थलों पर जो विदेशी शब्द उदाहृत किये गये हैं, वे ऋण शब्दों के रूप में अब हिन्दी के अङ्ग बन चुके हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हिन्दी के शब्दकोशों में उन्हें स्थान नहीं मिला होता। ऐसी स्थिति में, हिन्दी-स्वनिमो के निर्धारणार्थ स्वल्पान्तर युग्मों में उन ऋण शब्दों को हिन्दी के शब्दों के रूप में उदाहृत किया जाना, हमारी समझ से, कोई नियमविरुद्ध बात नहीं है। यों, यह विषय है विवादग्रस्त, इसमें सन्देह नहीं।

हिन्दी-स्वनिमो के निर्धारण में तीसरी समस्या अयोगवाह ध्वनियों से सम्बद्ध है। उनमें जहाँ तक अनुस्वार वर्गीय ध्वनियों का प्रश्न है, वे सभी स्वस्थानीय अनुनासिक व्यञ्जनो के साथ पूरक वितरण की स्थिति रखती हैं, साथ ही उनमें परस्पर अर्थभेदक क्षमता का भी अभाव है। किन्तु, उच्चारण सम्बन्धी ध्वनि-वैज्ञानिक विधिगुणता के कारण हमने अनुस्वारवर्गीय ध्वनियों को उनके समस्थानीय अनुनासिक व्यञ्जनो से पृथक् करके, एक स्वतन्त्र स्वनिम के अन्तर्गत समाविष्ट कर लिया है। किन्तु, जहाँ तक विसर्ग का प्रश्न है, उसकी स्थिति अनुस्वार से भिन्न है। विसर्ग और ह् में व्यतिरेकी वितरण की स्थिति है। इसी आकार पर हमने विसर्ग को ह् से पृथक् स्वनिम माना है। यों, दोनों में वितरण की उक्त स्थिति केवल मस्कृत के तत्सम शब्दों तक सीमित है, साथ ही, हिन्दी में दोनों में परस्पर अर्थभेदकता का भी अभाव है।

उम सन्दर्भ में एक और समस्या मिश्र व्यञ्जन क्ष् और ज् को लेकर है। हिन्दी के विद्वान अद्यावधि इनको संयुक्त व्यञ्जन मानकर इनकी उपेक्षा करते

आये हैं। किन्तु ये वास्तव में सयुक्त व्यञ्जन नहीं, मिश्र व्यञ्जन है। इसीलिए हिन्दी में उपलब्ध मिश्र स्वरों की तरह हमने इन मिश्र व्यञ्जनों को भी स्वतन्त्र स्वनिम के रूप में ही परिगणित किया है। पाइक ने सम्भवतः ऐसे ही स्वनिमों की गणना जटिल स्वनिम के रूप में करने की सलाह दी है।^१

हिन्दी-स्वनिम और नागरी-वर्णमाला

स्वनिमशास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर परिनिष्ठित हिन्दी का अध्ययन-विश्लेषण करने पर, मुझे इसमें कुल मिलाकर ६३ स्वनिम मिले हैं, जिनमें ६० खण्डीय स्वनिम हैं तथा ३ उपरिखण्डीय स्वनिम। खण्डीय स्वनिमों में १४ स्वर स्वनिम, जिनमें १२ मूल स्वर स्वनिम तथा २ मिश्र स्वर स्वनिम हैं, ४२ व्यञ्जन स्वनिम, जिनमें ४० मूल व्यञ्जन स्वनिम तथा २ मिश्र व्यञ्जन स्वनिम हैं, २ अन्तःस्थ स्वनिम, तथा २ अयोगवाह स्वनिम हैं। उपरिखण्डीय स्वनिमों में अनुनासिकता स्वर-सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम है, विराम संक्रमण सम्बद्ध तथा सुरलहर सुर सम्बद्ध। इन सभी स्वनिमों को एक साथ नागरी वर्णों के माध्यम से निम्नलिखित क्रम में उपस्थित किया जा सकता है.—

(१) खण्डीय स्वनिम .

(क) स्वर स्वनिम—

मूल स्वर—

ह्रस्व—[अ इ उ ए ओ]

दीर्घ—[आ ई ऊ ए ओ ऐ औ]

मिश्र स्वर—

दीर्घ—[ऐ औ]

(ख) व्यञ्जन स्वनिम—

मूल व्यञ्जन—

1. 'A sequence of two segments may in some languages constitute a single phonetically complex phoneme'. K. L. Pike, Phonemics, 1964, P. 62.

स्पर्श— [क्, क्, ख्, ग्, घ्]
 [ट्, ठ्, ड्, ढ्]
 [त्, थ्, द्, ध्]
 [प्, फ्, व्, भ्]

स्पर्शघर्षी— [च्, छ्, ज्, झ्]
 अनुनासिक स्पर्श [ङ्, ण्, न्, न्ह्, म्, म्ह्]
 अनुनासिक स्पर्शघर्षी— [ञ्]
 पार्श्विक— [ल्, ल्ह्]
 लुण्ठित प्रकम्पी— [र्]
 उद्विख्य— । ड्, ढ् ।
 सञ्चर्षी— । ह्, ख्, ग्, ग्, स्, ज्, फ् ।
 मिश्र व्यञ्जन— । क्ष्, ज् ।

(ग) अन्तःस्थ स्वनिम—

अर्द्धस्वर— [य्, व्]

(घ) अयोगवाह स्वनिम— अनुस्वार और विसर्ग [ँ]

(२) उपरिखण्डीय स्वनिम —

स्वरमम्बद्ध—अनुनासिकता [ँ]

मक्रमणसम्बद्ध—विराम [।]

सुरसम्बद्ध—सुरलहर । [~ ~ ~]

सूचना (१)—ऊपर जिन नवीन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका स्पष्टीकरण आगे के विवेचन में यथास्थान कर दिया गया है ।

सूचना (२)—ऊपर हिन्दी-स्वनिमों की जो सूची प्रस्तुत की गयी है, उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें यहाँ पहली बार हिन्दी स्वनिमों के रूप में उपस्थित किया गया है । यथा—ए ओ, ञ्, क्ष्, ज् आदि ।

सूचना (३)—हिन्दी के कतिपय विद्वानों ने [आँ] तथा [रह्] को भी हिन्दी का स्वनिम माना है^१, किन्तु मेरी समझ से [आँ] हिन्दी का स्वनिम नहीं, अपितु

१. 'हिन्दी में प्रत्ययविचार', डॉ० मु० ला० उ०, पृष्ठ ५-६ ।

'भाषाशास्त्र की रूपरेखा', (डॉ० उ० ना० ति०), डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया,
 'हिन्दी के ध्वनिग्राम', पृष्ठ २०७, २२१ ।

वह [अँ] स्वनिम का सस्वन मात्र है। इसी तरह [रह्] हिन्दी में [ढ्] से भिन्न कोई ध्वनि नहीं। यही कारण है कि हिन्दी-स्वनिमों की सूची में हमने इन दोनों को स्थान नहीं दिया है।

हिन्दी के खण्डीय स्वनिम^१ और उनके संस्वनो^२ का विवेचन —

(क) स्वर —

मूलस्वर—

(१) । अ । [अ, अ] पूरक वितरण^३ ।

[अ]—अर्द्धविवृत मध्य अपूर्णोच्चरित अतिह्रस्व उदासीन स्वर ।

आदि में —नहीं आता ।

मध्य में —बलाघात युक्त अक्षरों के बीच के असयुक्त व्यञ्जन के

साथ बलाघात रहित अक्षरों के रूप में, यथा—अनबन, हरदम,
मतलब, चितवन, किसमिस, बुलबुल, अपना, जनता, कितना,
चुनना, बिनती, सुन्दरतम, चञ्चलपन, डाकघर, बालचर
सोनपुर, कामना, साधना, डालडा, चेतना, खोजना, भारती,
आदि में ।

अन्त में —केवल असयुक्त व्यञ्जन के साथ बलाघात रहित अक्षर बनाता है, यथा —अब, हम, रात, भात, एक, राम, मोल, राय, यार, कमल, चन्दन, सुन्दर, मनोरम, मनोहर, अचानक, लडकपन, आदि में ।

[अ]—अर्द्धविवृत मध्य ह्रस्व स्वर ।

आदि में —व्यञ्जन के पूर्व यथा —अब, अपना, अनेक, अशोक, अग्नि, अश्रु, अन्त, अचानक, सरल, कमल, आदि में ।

1. 'Segmental phoneme' Barnard Block & G. L. Trager—Outline of Linguistic analysis, Linguistic Society of America, 1942 3.4
2. 'Allophone'—Daniel Jones—An outline of English phonetics, Cambridge, 1956, 197. Block & Trager—Outline of Linguistic analysis, 1942, 3 3.
3. 'Complementary distribution', M. A. Gleson—An Introduction to Descriptive Linguistics, 1861, P. 263.

मध्य मे .—बलाघातयुक्त अक्षरो मे, यथा—रोचक, अचानक, मतलब, हरदम, चितवन, मनोहर, चन्दन, सुन्दर, अलक्तक, मुअवसर, सरल, साधन आदि मे ।

अन्त मे —(१) सयुक्त व्यञ्जनो के साथ, यथा—सत्य, रक्त, चन्द्र, वत्स, भूकम्प, आनन्द, चक्र, पद्म, आदि मे ।

(२) एकाक्षरी शब्दो मे; यथा—न, व, आदि मे ।

(२) । आ । [आ]

[आ]—विवृत पश्च दीर्घ स्वर ।

आदि मे —आज, आम, आग, आधा, आशा, आकाश आदि मे ।

मध्य मे .—पुआल, समाज, मसाला, राजा, महाराज आदि मे ।

अन्त मे —सोआ, वडा, माला, मामा, अकेला, कलकत्ता आदि मे ।

सूचना .— [अ] को [आ] से पृथक् स्वनिम प्रमाणित करनेवाले स्वल्पान्तर युग्म निम्नलिखित हैं :—अज-आज, कम-काम, जल-जाल, तन-तान, कमल-कमला आदि ।

(३) । इ । [इ]

[इ]—संवृत अग्र प्रसृत ह्रस्व स्वर ।

आदि मे :—इतिहास, इतना, इसे आदि मे ।

मध्य मे .—भाइयो, अधिक, लौकिक, डाकिया अदि मे ।

अन्त मे —छवि, रवि, कवि, कपि आदि मे ।

(४) । ई । [ई]

[ई]—संवृत अग्र प्रसृत दीर्घ स्वर ।

आदि मे :—ईश्वर, ईद, ईख, आदि मे ।

मध्य में .—साईस, पीला, भतीजा, अधीन आदि में ।

अन्त में —भाई, भलाई, कसाई, हाथी, प्राणी आदि में ।

सूचना — [इ] एव [ई] का पृथक् स्वनिमत्व निम्नलिखित स्वल्पान्तर युग्मो से स्पष्ट है; यथा—दिन—दीन, पिला—पीला, कि—की आदि ।

(५) । उ । ... [उ]

[उ]—संवृत पश्च वतुल ह्रस्व स्वर ।

आदि मे —उग्र, उत्तर, उडद, उल्लू, उदार, उवाल, उत्कट,
उत्तेजना आदि में ।

मध्य में —बाउल, साबुन, आकुल आदि मे ।

अन्त में :—पशु, मधु, शत्रु आदि में ।

(६) । ऊ । ... [ऊ]

[ऊ]—संवृत पश्च वतुल दीर्घ स्वर ।

आदि मे —ऊपर, ऊसर, ऊखल, ऊर्जा आदि में ।

मध्य मे —कूल, फूल, चूक, बबूल, अधूरा, तन्दूरी आदि मे ।

अन्त मे :—ताऊ, चाकू, डाकू, आलू, कोल्हू, तराजू आदि मे ।

सूचना .— [उ] एवं [ऊ] का पृथक् स्वनिमत्त्व निम्नलिखित
स्वल्पान्तर युग्मो से स्पष्ट है, यथा—कुल-कूल, सुर-सूर, टुक-
टूक, उन-ऊन आदि ।

(७) । ए । ... [ए]

[ए]—अर्द्धसंवृत अग्र प्रसृत ह्रस्व स्वर ।

आदि मे —एकन्नी, एकट्ठा, एग्यारह, एक्कीस, एकतिस,
एकतालिस, एक्यावन, एकसठ एकहत्तर, एक्यासी, एक्यानवे,
एकतारा, एकहरा, एतवार, एकरार, आदि मे ।

मध्य मे —केवल शब्द के प्रथमाक्षर मे व्यञ्जन के साथ, यथा—
केतारी, केदारा, खेसारी, देखाना, खेलाना, खेतिहर, पेसकार,
मेहमान, मेहरवानी, मेहनत, ठेकुआ, खेलौना, बेलना, (सज्ञा),
ठेकना (सना), सेकना (सजा) आदि मे ।

अन्त मे —नही आता ।

सूचना —नागरी मे [ए] के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव है,
इसलिए हिन्दी-लेखन मे इसके लिए सर्वत्र दीर्घ [ए] को सूचित
करनेवाले वर्ण ए का ही प्रयोग किया जाता है । किसी-किसी
शब्द मे [ए] के स्थान पर [इ] बोलने और लिखने की प्रवृत्ति

भी चल पडी है, किन्तु ऐसा सभी शब्दों में सम्भव नहीं; यथा—
खेलाना को खिलाना करने में अर्थभेद हो जायगा ।

(८) । ए । [ए]

[ए] अर्द्धसवृत अग्र प्रसृत दीर्घस्वर ।

आदि में :—एक, एकता, एकत्र, एकाग्र, एकान्त आदि में ।

मध्य में —बेल, केला, वेणी, देवता, लेखनी, अकेला, नकेल, संवरा,
नवेली, चमेली, अमेली, सँपेरा, बेलना, (क्रिया), सेकना, (क्रिया)
आदि में ।

अन्त में .—हे, रे, हरे, दरे, हटवे, खतवे, आगे, पीछे, नीचे आदि में ।

सूचना — [ए] और [ए] का पृथक् स्वनिमित्त निम्नलिखित
स्वरूपान्तर युग्मों से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है —

[ए] बेलना—(सज्ञा)—रोटी बेलने के लिए निर्मित काठ का दण्ड ।

[ए] बेलना—(क्रिया) रोटी बनाने की क्रिया ।

[ए] ठेकना—(सज्ञा) वर्तन या किसी अन्य वस्तु को स्थिर करने के लिए
उसके नीचे रखी जानेवाली वस्तु ।

[ए]—ठेकना—(क्रिया)—स्पर्श होना ।

[ए]—सेकना—(सज्ञा)—वह वस्तु जिसमें रखकर या लगाकर किसी वस्तु
को सेका जाता है ।

[ए]—सेकना—(क्रिया)—सेकने की प्रक्रिया ।

(९) । ओ ।... ..[ओ]

[ओ]—अर्द्धसवृत पश्च वतुल लृस्व स्वर ।

आदि में .—ओसारा, ओहार, ओहदा, ओछावन, ओटना, (सज्ञा)
ओदनी, ओसाना, ओछाना आदि में ।

मध्य में —कोठार, कोठारी, सोनार, सोनारी, सोनारिन, बोलाना,
जोटाना, तोडाना, कोतवाल, रोजगार, कठफोडवा, आदि में ।

अन्त में —नहीं आता ।

सूचना —नागरी में ह्रस्व [ओ] को सूचित करने के लिए कोई स्वतन्त्र वर्ण नहीं है, इसलिए हिन्दी-लेखन में इसके स्थान पर सर्वत्र [ओ] को सूचित करनेवाले ओ वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों में लोण [ओ] के स्थान पर [उ] बोलते और लिखते हैं। लेकिन ऐसा सभी शब्दों में सम्भव नहीं है, यथा—कोठार को कुठार या बोलाना को बुलाना बोलने से अर्थ-भेद हो जायगा।

(१०)। ओ। [ओ]

[औ]—अर्द्धसवृत पश्च वतुल दीर्घ स्वर।

आदि में —ओज, ओस, ओठ, ओझल, औझा, ओला, ओजस्वी, ओढना (क्रिया) आदि में।

मध्य में —कोमल, गोबर, रोग, शोक, बोलना, तोलना, भूगोल, खगोल, कठोर, कल्लोल, भरोसा, सहोदर आदि में।

अन्त में —सरसो, कोदो, भादो, कादो, पोलो, तो, हो आदि में।

सूचना — [ओ] और [ओ] का पृथक् स्वनिमत्त्व निम्नलिखित स्वल्पान्तर युग्मों से सिद्ध है —

[ओ]—ओढना (सज्ञा)—ओढने के काम में लाया जानेवाला वस्त्र चादर, रजाई आदि।

[ओ] ओढना—(क्रिया)—वस्त्र से शरीर को आच्छादित करने की क्रिया।

[ओ] गोदना—(सज्ञा)—वह छाप या चित्र जो शरीर पर सूई या मशीन से बनाया जाता है।

[औ] गोदना—(क्रिया)—शरीर पर सूई या मशीन से छाप या चित्र बनाना।

(११)। ऐ। [ऐ, ऐँ] .. मुक्त परिवर्तन^१।

[ऐ] अर्द्धविवृत अग्र प्रसृत दीर्घ स्वर।

यह केवल तद्भव शब्दों तथा अरबी-फारसी से गृहीत ऋणशब्दों में आता है।

1. 'Free variation', Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics. 1961, P. 262.

आदि में —ऐसा, ऐनक ऐव आदि में ।

मध्य में :—कैसा, मैला, पैर, मैल, वील, विगडैल, रखैल,

अन्त में :—केवल एकाक्षरी शब्दों में; यथा—जै, है, कै, तै,
आदि में ।

[ऐँ]—अर्द्धविवृत अग्र प्रसृत अल्पदीर्घ स्वर ।

यह केवल अँगरेजी से गृहीत ऋण शब्दों में आता है ।

आदि में :—ऐँटम, ऐँक्टर, ऐँकन आदि में ।

मध्य में :—पैटन कैप्टन ट्रैक्टर, वैट, रैकेट आदि में ।

अन्त में :—नहीं आता ।

(१२) । औ । [औ, औँ] . मुक्त परिवर्तन ।

[औ]—अर्द्धविवृत पञ्च वर्तुल दीर्घ स्वर ।

यह केवल तद्भव तथा अरबी-फारसी से गृहीत ऋण शब्दों में आता है ।

आदि में :—और, औरत, औसत, औघड आदि में ।

मध्य में :—कौर, तौर, मौज, गौर, तौल, सुडौल, चौक, कचौडी ।

अन्त में :—केवल एकाक्षरी शब्दों में, यथा—सौ, नौ, पौ, जौ, छौ
आदि में ।

[औँ] अर्द्धविवृत पञ्च वर्तुल अल्प दीर्घ स्वर ।

यह केवल अँगरेजी से गृहीत ऋणशब्दों में आता है ।

आदि में —औफिस (ऑफिस), औडर (ऑडर), औल (ऑल)
औक्सीजन (ऑक्सीजन), आदि में ।

मध्य में :—कॉलेज (कॉलेज), हॉल (हॉल), कॉफी (कॉफी) लॉर्ड,
(लॉर्ड)

अन्त में —नहीं आता ।

मिश्र स्वर —

(१) । ऐ । [अइ, अड] मुक्त परिवर्तन ।

[अइ]—मवृत्तोन्मुखअर्द्धविवृत अग्रोन्मुखमध्यप्रसृत आरोही दीर्घ मिश्र
स्वर ।

यह केवल सस्कृत तत्सम तथा विदेशी ऋणशब्दो मे आता है ।
आदि मे —ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐरावत, ऐतिहासिक, ऐहिक, ऐयाश,
ऐयार आदि मे ।
मध्य मे —वैद्य, मतैक्य, दैत्य, सदैव ।
अन्त मे .—नही आता ।

[अइ]—सयुक्त स्वर ।

यह केवल तद्भव शब्दो मे आता है ।
आदि मे :—ऐआ, (अइया), ऐचा—(अइँचा)
मध्य मे .—मैया (भइया), मैया—(मइया), दैया (दइया), गैया
(गइया), आदि मे ।
अन्त मे .—नही आता ।

(२) [औ] [अउ, अउ]... मुक्त परिवर्तन ।

[अउ]—सवृतोन्मुखअर्द्धविवृत पश्चोन्मुखमध्यवर्तुल आरोही दीर्घ मिश्र-
स्वर ।

यह केवल सस्कृत तत्सम शब्दो मे आता है ।
आदि मे .—औचित्य, औत्सुक्य, औदार्य, औद्योगिक, औषध,
औपचारिक आदि मे ।
मध्य मे —शौर्य, वौद्धिक, मौर्य, भौगोलिक, कौशल, लौकिक,
आदि मे ।
अन्त मे :—नही आता ।

[अउ]—संयुक्त स्वर ।

यह केवल तद्भव तथा विदेशी ऋण शब्दो मे आता है ।
आदि मे .—औल(अउल), औलिया (अउलिया) आदि मे ।
मध्य मे .—लौका (लऊका), षौका, (बउका), वौआ (बउआ),
उठीआ (उठउआ), नौमी (नउमी) आदि मे ।
अन्त मे —नही आता ।

(ख) व्यञ्जन .—

मूल व्यञ्जन—

स्पर्श —

(१) । क । [क्]

[क्]—अल्पप्राण अघोष अलिजिह्वीय स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे —कतरा, कदम, करार, कलम, कसीदा आदि विदेशी ऋण शब्दो मे ।

मध्य मे —ताकत्, मुकाम, वकत्, ताक, गौक आदि विदेशी ऋण शब्दो मे ।

अन्त मे —नही आता ।

सूचना :—क् को क् से पृथक् स्वनिम मानने का मुख्य कारण यह है कि इन दोनों मे ध्वन्यात्मक असमानता तथा व्यतिरेकी वितरण के अतिरिक्त परस्पर अर्थभेदकता भी है, जो निम्नलिखित स्वल्पान्तर युग्मो से स्पष्ट है—

कतरा—फाँक आदि कई अर्थ ।

कतरा—बूँद ।

कदम—कदम्ब ।

कदम—पाँव आदि कई अर्थ ।

करार—कगार, नदी का ऊँचा तट ।

करार—चैन, धीरज, इकरार ।

कसीदा—बेलवूटे, गुलकारी

कसीदा—उर्दू-फारसी का वह पद्य, जिसमे किसी प्रगसा या निन्दा की गयी हो ।

कालीन—कालका (समासान्त मे), काल सम्बन्धी ।

कालीन—गलीचा ।

कौल—वाममार्गी, शाक्त आदि

कौल—प्रतिज्ञा ।

(२) । क् । [क्]

[क्]—अल्पप्राण अघोष कोमल तालव्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे —कम, काम, केवल, क्लास आदि मे ।

मध्य मे —थकान, अकेला, विकल, नाक आदि मे ।

अन्त मे —केवल मन्कृत तत्सम शब्दों मे, यथा—चतुर्दिक्, सम्यक् आदि मे ।

(३) । ख् । [ख्]

[ख्]—महाप्राण अघोष कोमल तालव्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे —खलिहान, खाट, खेत, खुशी आदि मे ।

मध्य मे :—सुख, दु.ख, भूख, घोखा आदि मे ।

अन्त मे —नही आता ।

(४) । ग् । [ग्]

[ग्]—अल्पप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे .—गति, गाल, गीत, गोह, गौ आदि मे ।

मध्य मे —नगर, सागर, आग, रोग आदि मे ।

अन्त मे .—नही आता ।

(५) । घ् । [घ्]

[घ्]—महाप्राण घोष कोमल तालव्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे —घर, घाट, घूँट, घेरा, घोडा आदि मे ।

मध्य मे .—राघव, सघन, घघरा, बाघ आदि मे ।

अन्त मे .—नही आता ।

(६) । ट् । [ट्]

[ट्] अल्पप्राण अघोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे .—टव, टमाटर, टमटम, टापू, टीला, टोला आदि मे ।

मध्य मे .—कटुता, स्टूल, खाट, हाट, आँटा, कट्टर आदि मे ।

अन्त मे :—केवल सस्कृत तत्सम शब्दो मे, यथा—सम्राट्, विराट् आदि मे ।

(७) । ठ् । [ठ्]

[ठ्]—महाप्राण अघोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे —ठग, ठठेरा, ठीक, ठोकर आदि मे ।

मध्य मे .—कठिन, कठोर, काठ, सोठ, राष्ट्रीय आदि मे ।

अन्त मे :— नही आता ।

(८) । ड् । [ड्]

[ड्]—अल्पप्राण घोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे —मुख्यतः स्वर के पूर्व, किन्तु अँगरेजी ऋण शब्दों में य् एव र् के भी पूर्व; यथा—डर, डमरू, डाल, डोर, डाकिनी; ड्यूटी, ड्रामा, ड्रिल, ड्रेन आदि में ।

मध्य में :—(१) व्यञ्जन और स्वर अथवा स्वर और व्यञ्जन के बीच, यथा—गण्डा, मण्डी, हड्डी, लड्डू, गड्ढा, आदि मे
(२) दो स्वरों के बीच, यथा—आडम्बर, निडर, अडिग, सुडौल, सोडा, रेडियो आदि में ।

अन्त मे —नहीं आता ।

(९) । ढ् । [ढ्]

[ढ्]—महाप्राण अघोष मूर्द्धन्थ प्रतिवेष्टित स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि में —स्वर के पूर्व; यथा—ढव, ढाल, ढीला, ढोल, ढकना, ढाव आदि में ।

मध्य में —(१) व्यञ्जन तथा स्वर के बीच, यथा—ठण्डा, गड्ढा, वुड्ढा आदि में । (२) दो स्वरों के बीच; यथा—ओढर, वेढव, कुढव, निढाल, गढ आदि में ।

अन्त में —नहीं आता ।

(१०) । त् । [त्]

[त्]—अल्पप्राण अघोष दन्त्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि में .—तकली, तराजू, ताला, तेल, तोल आदि में ।

मध्य में :—शीतल, वतासा, छाता, घोती आदि में ।

अन्त में :—केवल संस्कृत तत्सम शब्दों में; यथा—शरत्, साक्षात्, किञ्चित् आदि में ।

(११) । य् । [य्]

[य्] महाप्राण अघोष दन्त्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि में .—यकान, याली, याती, थोडा आदि में ।

मध्य में .—स्थिर, चौथाई, कया, साथी, रथ आदि में ।

अन्त में —नहीं आता ।

(१२) । द् । [द्]

[द्]—अल्पप्राण घोष दन्त्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे :—दल, दाल, दिन, दूध, देन, दोना आदि मे ।

मध्य मे .—आदमी, सुन्दर, यादव, दाद, दीदी आदि मे ।

अन्त मे :—केवल सस्कृत तत्सम शब्दो मे; यथा—परिषद्, सुहृद्, विद् आदि मे ।

(१३) । घ् । [घ्]

[घ्]—महाप्राण घोष दन्त्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे :—घन, घान, घूल, घेला, घ्यान आदि में ।

मध्य मे :—अधम, अधीर, साध, आधा आदि मे ।

अन्त मे :—प्रायः नहीं आता ।

(१४) । प् । [प्]

[प्]—अल्पप्राण अघोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे .—पल, पवित्र, पान, पुत्र, पिता आदि मे ।

मध्य मे .—सपना, कपडा, पापी, आप आदि मे ।

अन्त मे —प्रायः नहीं आता ।

(१५) । फ् । [फ्]

[फ्]—महाप्राण अघोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे :—फल, फागुन, फूल, फेन, फोडा आदि में ।

मध्य मे :—सफल, डफली, सफाई, नफा आदि मे ।

अन्त मे :—प्राय नहीं आता ।

(१६) । ब् । ... [ब्]

[ब्]—अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे :—बडा, बादल, बीस, बूट, वेटा आदि मे ।

मध्य मे :—अबीर, टेबुल, तम्बाकू, ताँवा आदि मे ।

अन्त मे :—प्राय. नहीं आता ।

(१७) । भ् । ... [भ्]

[भ्]—महाप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन ।

आदि मे .—भय, भात, भूत, भाला, भोला आदि में ।

मध्य मे —गम्भीर, आभीर, सभा, अभी, लोभ आदि मे ।
अन्त मे —प्राय नही आता ।

स्पर्शघर्षी —

(१८) [च्] [च्]

[च्]—अल्पप्राण अघोप कठोर तालव्य स्पर्श घर्षी व्यञ्जन ।
आदि मे —चमक, चाल, चिन्ता, चुम्बन, चोर आदि मे ।
मध्य मे —वच्चा, वचन, कचूमर, चाचा, नाच, आदि मे ।
अन्त मे —प्राय नही आता ।

(१९) [छ] [छ्]

[छ्]—महाप्राण अघोप कठोर तालव्य स्पर्शघर्षी व्यञ्जन ।
आदि मे —छत, छाप, छीक, छूत, छोटा आदि मे ।
मध्य मे —कछ्आ, मछली, विच्छ, रीछ आदि मे ।
अन्त मे —प्राय नही आता ।

(२०) [ज्] [ज्]

[ज्]—अल्पप्राण अघोप कठोर तालव्य स्पर्शघर्षी व्यञ्जन ।
आदि मे —जल, जाल, जीत, जूडा, जोड, जी आदि मे ।
मध्य मे —भोजन, पूजा, राजा, तेज आदि मे ।
अन्त मे —प्राय नही आता ।

(२१) [झ]...[झ]

[झ]—महाप्राण अघोप कठोर तालव्य स्पर्शघर्षी व्यञ्जन ।
आदि मे —झरना, झाल, झील, झूला, झोका आदि मे ।
मध्य मे.—मझला, साझा, साँझ, वाँझ आदि मे ।
अन्त मे —प्राय नही आता ।

अनुनासिक स्पर्श .—

(२२) । ङ् । ०० [ङ्]

[ङ्]—अल्पप्राण अघोप कोमल तालव्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन ।
आदि मे —नही आता ।

मध्य मे —(१) कवर्गी व्यञ्जनो के पूर्व यथा—गङ्कर, गङ्ग, सङ्गम,
सङ्घ आदि मे ।

- (२) अनुनासिक व्यञ्जनो (केवल न् एवं म्) के पूर्व, यथा—वाङ्मय, पराङ्मुख, दिङ्नाग आदि मे ।
- (३) तद्भव शब्दो मे जब ग् के पूर्व कोई अनुनासिक स्वर या व्यञ्जन आता है तो दोनो के स्थान पर केवल ङ् ही सुनाई पडता है, यथा—पलङ, लौङ, माङ, सङ, रङना, माङना, ताङा आदि मे । किन्तु, लेखन मे अभी इन रूपो को मान्यता नही मिली है ।

अन्त मे : —नही आता ।

सूचना (१) लेखन एवं मुद्रणादि मे अनुस्वार-चिह्न का स्वरूप ङ् की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होने के कारण, लोग प्राय ङ् के स्थान पर उस स्थिति मे अनुस्वार-चिह्न का ही प्रयोग करते है, जब वह अपने ही वर्ग के अन्य व्यञ्जनो के पूर्व आता है, यथा—रङ्क, शङ्ख, गङ्गा, सङ्घ आदि मे । इससे लेखन-मुद्रणादि मे चाहे सुविधा जितनी होती हो, किन्तु लिपि के ध्वन्यात्मक स्वरूप की वैज्ञानिकता नष्ट होती है ।

सूचना (२) डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया ने डॉ० उदयनारायण तिवारी द्वारा सम्पादित पुस्तक 'भाषाशास्त्र की रूपरेखा', पृ० २१९ मे ङ् को न् का संस्वन माना है, जो हास्यास्पद है ।

(२३) । ण् । • • [ण्, ण्,] • • पूरक वितरण ।

[ण्]—अल्पप्राण घोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन ।

आदि मे :—नही आता ।

मध्य मे :—(१) दो स्वरो के बीच, यथा—क्षण, प्रण, प्रणाम, क्षणिक, प्रणीत, प्राणी, रेणु, प्रणेता आदि मे ।

(२) स्वर एवं अन्त.स्थ के बीच, यथा—पुण्य, अरण्य, कण्व आदि मे ।

(३) स्वर एवं अनुनासिक व्यञ्जन के बीच, यथा—षण्मुख, विषण्ण आदि मे ।

अन्त मे —नही आता ।

[ण्]—अल्पप्राण घोष मूर्द्धन्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन ।

आदि मे :—नही आता ।

मध्य मे :—केवल ट् ठ् ङ् ढ् के पूर्व, यथा—कण्टक, कण्ठ, पण्डित, ठण्ढा आदि मे ।

अन्त मे —नही आता ।

सूचना :—(१) हिन्दी-लेखन में [ण्] के स्थान पर तो सर्वत्र ण् वर्ण का ही प्रयोग होता है, किन्तु [ण] के स्थान पर प्रायः अनुस्वार-चिह्न का भी प्रयोग प्रचलित है। इससे लेखन-मुद्रणादि में सुविधा तो होती है, किन्तु ध्वन्यात्मक लेखन की वैज्ञानिकता नष्ट होती है।

सूचना .—(२) ण् का न् से वितरण-व्यतिरेक तथा पृथक् स्वनिमत्त्व निम्नलिखित स्वल्पान्तर युग्मों से स्पष्ट हो जाता है —

पान—ताम्रूल-पत्र, जल आदि पेय के पीने की क्रिया आदि अनेक अर्थ।

पाण—व्यापार, जूआ, वाजी, प्रतिज्ञा आदि अनेक अर्थ।

पनिक—गराव बेचनेवाला।

पणिक—व्यापारी, जूए में प्राप्त, स्कन्द का एक अनुचर आदि।

अनुवाद—भाषान्तर, उलथा आदि।

अणुवाद—अणु को नित्य और प्रपंच का कारण माननेवाला सिद्धान्त, न्यायवैशेषिक दर्शन, बल्लभ का दर्शन आदि।

रण (अं०)—क्रिकेट के खेल से सम्बद्ध शब्द, दौड़।

रण—युद्धभूमि।

गन (अं०)—बन्दूक।

गण—सङ्घ, समूह आदि।

(२४) । न् । [न्]

[न्]—अल्पप्राण घोष दन्त्य-वत्स्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन।

आदि में —केवल स्वर या अर्द्धस्वर के पूर्व, यथा—नगर, नारी, निर्माण, नीति, नूतन, नेता, नैया, नोकर, नौकर, नौआ, न्याय, न्यारा आदि में।

मध्य में —(१) स्वरों के बीच, यथा—अनल, अनार, मानव, धनियाँ, मुनीता, कानून, अनेक आदि में।

(२) स्वर एव अर्द्धस्वर के बीच, यथा—अन्याय, धन्य, अन्वय, अन्वेषण आदि में।

(३) स्वर एव दन्त्य-वत्स्य स्पर्श व्यञ्जनो के बीच; यथा—चिन्ता, सन्यास, मन्दिर, अन्या, पन्ना आदि में।

(४) स्वर एव म् के बीच; यथा—चिन्मय, जन्म, तन्मात्रा आदि में।

(५) व्यञ्जन एव स्वर के बीच, यथा—अग्नि, विघ्न,
यत्न, चिह्न आदि मे ।

अन्त मे —केवल तत्सम शब्दो मे । यथा—विद्वान्, भगवान्,
आदि मे ।

सूचना —हिन्दी-लेखन मे त्, थ्, द्, एव ध् के पूर्व न् के स्थान पर भी लोग प्राय सुविधाजनक होने के कारण अनुस्वार-चिह्न का ही प्रयोग करते है । किन्तु, इससे नागरी लिपि की वैज्ञानिकता को आघात लगता है ।

टिप्पणी .—हिन्दी मे [न्] और [ञ्] मे पूरक वितरण की स्थिति होने के कारण अन्य विद्वानो ने [ञ्] को भी । न् । का ही सस्वन माना है । किन्तु इन ध्वनियो मे स्थान तथा प्रयत्न दोनो ही की भिन्नता है । [न्] स्पर्शदन्त्य है और [ञ्] स्पर्शघर्षी तालव्य । ऐसी स्थिति मे ध्वन्यात्मक दृष्टि से इन दो पूर्णतः असमान ध्वनियो को एक स्वनिम के वर्ग मे नही रक्खा जा सकता^१ । दूसरी बात यह भी है कि भाषा के सञ्चटनात्मक प्रतिरूपता के समनुहार (पैटर्न काडग्रुएंस) अर्थात् भाषा की पद्धति या ढाँचे की दृष्टि से भी [ञ्] को एक पृथक् स्वनिम मानना आवश्यक है, क्योंकि हिन्दी मे जब अन्य सभी वर्गीय स्पर्शों का एक-एक अनुनासिक स्वनिम है तो चवर्ग का भी एक होना ही चाहिए । इसीलिए हमने ष ञ् । को एक पृथक् स्वनिम माना है ।

(२५) । न्ह । .. [न्ह]

[न्ह]—महाप्राण घोष दन्त्य-वत्स्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन ।

आदि मे —परिनिष्ठित हिन्दी मे नही आता, किन्तु बोलियो मे आता है ।

मध्य मे :—केवल तद्भव शब्दो मे दो स्वरो के बीच, यथा—उन्हे,
उन्होने, जिन्हे, कन्हैया, रीन्हना, चीन्हना आदि मे ।

अन्त मे :—नही आता ।

सूचना —हिन्दी मे न् और ह का सयुक्तरूप भी मिलता है, किन्तु उसका उच्चारण न् के महाप्राण रूप मूल व्यञ्जन [न्ह] से भिन्न होता है, यथा—चिन्ह (चिह्न के लिए), नन्हाँ आदि मे । किन्तु नागरी मे मूल [न्ह] के लिए

1 'Every phonetically distinct segment of a language is a seperate phonem' K. L. Pike, Phonemics 1964, P. 68.

स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान पर भी सयुक्त न्ह वर्ण का ही प्रयोग होता है।

(२६) ।म्।. [म्]

[म्]—अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन ।

आदि मे :—स्वर तथा य्, र्, ल् के पूर्व, यथा—मन, माला, मिलन, मीत, मुक्ति, मूल, मेला, मेल, मोल, मौलवी, मृत्यु; म्यान, म्रियमाण, म्लान आदि मे ।

मध्य मे :—स्वर, ओष्ठ्य स्पर्श व्यञ्जन तथा य्, र्, ल् और ह् के पूर्व; यथा—समय, मामान, समिधा, अमीर, चम्पा, डम्फ, चुम्बक, गम्भीर, सम्मान, सम्यक्, सम्राट्, अम्लान, ब्रम्ह आदि मे ।

अन्त मे —केवल तत्सम शब्दो मे, यथा—एवम् (एव), अहम् (अह) आदि मे ।

सूचना .—हिन्दी-लेखन मे प्, फ्, ब् एव भ् के पूर्व म् के स्थान पर लोग प्रायः अनुस्वार-चिह्न का ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार मकारान्त तत्सम शब्दो के अन्त मे भी म् के स्थान पर अनुस्वार-चिह्न का ही प्रयोग प्रायः देखा जाता है। इससे लेखन मे सुविधा तो होती है, किन्तु यह स्थिति वैज्ञानिक नहीं है।

(२७) ।म्ह । [म्ह]

[म्ह]—महाप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन ।

आदि मे .—परिनिष्ठित हिन्दी मे नहीं आता, किन्तु बोलियो मे आता हैं।

मव्य मे —नुम्हे, तुम्हारा, कुम्हार, जम्हाई (जँभाई), सम्हालना (सँभालना) आदि मे ।

अन्त मे .—नहीं आता ।

सूचना —हिन्दी मे म् और ह् का संयुक्त रूप भी मिलता है, यथा—ब्रम्ह (ब्रह्म), ब्राम्हण (ब्राह्मण) आदि मे । किन्तु महाप्राण म्ह, संयुक्त म्ह से भिन्न ध्वनि है। फिर भी, स्वतन्त्र वर्ण के अभाव के कारण हिन्दी-लेखन मे महाप्राण म्ह के लिए भी संयुक्त म्ह, का ही प्रयोग किया जाता है।

अनुनासिक स्पर्शघर्षो—

(२८) ।ञ्।.... .[ञ्]

[ञ्]—अल्पप्राण घोष तालव्य स्पर्शघर्षी अनुनासिक व्यञ्जन ।

आदि मे —नहीं आता ।

मध्य मे —केवल तालव्य स्पर्शघर्षी व्यञ्जनो के पूर्व, यथा—चञ्चल,
लाञ्छन, मञ्जन, झञ्झा आदि मे ।

अन्त मे —केवल सस्कृत तत्सम शब्दो मे, यथा—नञ्, घञ्,
आदि मे ।

टिप्पणी .—हिन्दी के अनेक विद्वानो ने ञ् को स्वनिम न मानकर ।न्। का ही एक सस्वन मान लिया है ।^१ किन्तु इन दोनो ध्वनियो मे स्थान एव प्रयत्न दोनो ही दृष्टियो से इतनी स्पष्ट भिन्नता है कि इन्हे एक स्वनिम वर्ग मे सम्मिलित किया जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता । ध्वन्यात्मक दृष्टि से दो पूर्णत. असमान ध्वनियाँ कभी भी एक स्वनिम-वर्ग की नहीं हो सकती ।^२ इसलिए ।न्। तथा ।ञ्। मे पूरक वितरण की स्थिति होने पर भी हमने दोनो को अलग स्वनिम माना है । इस सम्बन्ध मे ।न्। की टिप्पणी द्रष्टव्य है ।

सूचना .—हिन्दी-लेखन मे सुविधाजनक होने के कारण लोग प्रायः ञ् के स्थान पर भी अनुस्वार-चिह्न का ही प्रयोग करते हैं । किन्तु, उससे नागरी लिपि और हिन्दी-लेखन की वैज्ञानिकता को आघात लगता है ।

पार्श्वक —

(२९) ।ल्। .. [ल्]

[ल्]—अल्पप्राण घोष वत्स्य पार्श्वक व्यञ्जन ।

आदि मे —लडका, लाभ, लिए, लीची, लुभावना, लू, लेख, लोहा,
लौह आदि मे ।

मध्य मे .—सोलह, कलह, मिलाप, माला, सम्मिलित, कालीन, शिल्प,
शुल्क, शुक्ल, काल आदि मे ।

१. डॉ० उदयनारायण तिवारी, भाषाशास्त्र की रूपरेखा, पृ० १२२ । डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया, वही, पृ० २१६ ।

२. "Every phonetically distinct segment of a language is a separate phoneme" K.L. Pike, Phonemics, 1964, P. 62.

अन्त मे —केवल कुछेक सस्कृत तत्सम शब्दो मे, यथा—हल् (व्यञ्जन)
आदि मे ।

(३०) ।ल्ह्, [ल्ह्]

[ल्ह्]—महाप्राण घोष वत्स्यं पार्श्विक व्यञ्जन ।

आदि मे —नही आता ।

मध्य मे —केवल तद्भव शब्दो मे, यथा—चूल्हा, दूल्हा, आल्हा, कोल्हू
आदि मे ।

अन्त मे —नही आता ।

सूचना .—हिन्दी मे ल् और ह् का सयुक्त रूप भी मिलता है, किन्तु वह महाप्राण
ल्ह् से भिन्न ध्वनि है । [ल्ह्] मूल व्यञ्जन है और ल्ह् सयुक्त, यथा—
जल्हण, कल्हण आदि मे । नागरी मे महाप्राण पार्श्विक मूल व्यञ्जन [ल्ह्]
के लिए स्वतन्त्र वर्ण का अभाव होने के कारण इसके स्थान पर हिन्दी-लेखन
मे सर्वत्र सयुक्त ल्ह वर्ण का ही प्रयोग होता है ।

लुण्ठित प्रकम्पी —

(३१) ।र्, [र्]

[र्]—अल्पप्राण घोष वत्स्यं लुण्ठित प्रकम्पी व्यञ्जन ।

आदि मे —केवल स्वरो के पूर्व; यथा—रस, राम, रिपु, रीति, रुकना,
रूप, रेत, रोग आदि मे ।

मध्य मे —सभी स्थितियो मे, यथा—प्यार, धारा, नीरज, आराम,
सरिता, शरीर, नारी, तर्क, खर्च, शर्त, सर्प, क्रय, अर्द्ध आदि मे ।

अन्त मे .—नही आता ।

सूचना .—र् को ड् से पृथक् स्वनिम प्रमाणित करनेवाले स्वल्पान्तर युग्म निम्न-
लिखित है —

तार—ताड़, हार—हाड, भार—भाड, लार—लाड,

सारी—साडी, नारी—नाडी, वरी—वडी, परती—पडती आदि मे ।

उत्क्षिप्त .—

(३२) ।ड्, [ड्]

[ड्]—अल्पप्राण घोष मूर्धन्य प्रतिवेष्टित उत्क्षिप्त व्यञ्जन ।

आदि मे .—नही आता ।

मध्य मे .—दो स्वरो के बीच, यथा—आड, पेड, पीडा, घडी, घोडा, अडियल, कडक, घडकन, पडोस, आदि मे ।

अन्त मे —नही आता ।

सूचना :— । ड् । का । ड् । से पृथक् स्वनिमत्व केवल व्यतिरेकी वितरण तथा ध्वनिवैज्ञानिक भिन्नता पर आश्रित है । हिन्दी मे ऐसे स्वल्पान्तर युग्मो का अभाव है, जिनसे इनमे पारस्परिक अर्थभेदकता सिद्ध की जा सके । किन्तु, चूँकि ये दोनो समान परिवेश मे आते है और दोनो मे सर्वत्र मुक्त परिवर्तन की स्थिति नही पायी जाती, इसिलिए अर्थभेदकता का अपेक्षित प्रमाण नही रहने पर भी हमने दोनो को अलग-अलग स्वनिम मान लिया है ।

(३३) । ढ् । [ढ्]

[ढ्]—महाप्राण घोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित उत्क्षिप्त व्यञ्जन ।

आदि मे —नही आता ।

मध्य मे —दो स्वरो के बीच, यथा—वाढ, बूढा, बढिया, ढाढस, चढाव आदि मे ।

अन्त मे —नही आता ।

सूचना — ढ् और ढ् की हिन्दी मे लगभग वही स्थिति है, जो ड् और ड् की अस्तु, जिन कारणो से हमने ड् और ड् को अलग-अलग स्वनिम माना है, उन्ही कारणो से ढ् और ढ् को भी । ऐसा मानना हिन्दी की सञ्चटनात्मक प्रतिरूपता के समनुहार (पेटर्न काडग्रुए स) की दृष्टि से भी आवश्यक था ।

सङ्घर्षी :—

(३४) । ह् । [ह्]

[ह्]—घोष महाप्राण स्वरयन्त्रमुखी (या काकल्य) सङ्घर्षी (ऊष्म) व्यञ्जन ।

आदि मे :—हल, हाथ, हिन्दी, होली, हृदय, ह्री, ह्, लादिनी, ह्वेल आदि मे ।

मध्य मे —(१) दो स्वरो के बीच, यथा—यह, राह, कहानी, महेश, सहोदर आदि मे ।

(२) स्वर एव व्यञ्जन, तथा व्यञ्जन एव स्वर के बीच,

यथा—ब्राह्मण, चिह्न, बाह्य, आह्लाद; ब्रह्मा, ब्राह्मन, चिह्न, कल्हण,
जल्हण आदि मे ।

अन्त मे :—नही आता ।

(३५) । ख् । [ख्]

[ख्]—अघोष महाप्राण अलिजिह्वीय सङ्घर्षी व्यञ्जन ।

आदि मे —खत, खता, खराव, खर, खुशी, आदि विदेशी ऋण
शब्दो मे ।

मध्य मे —अखवार, खुवार, दाखिल, मुख् 'आदि विदेशी ऋण शब्दो मे ।

अन्त मे —नही आता ।

मूचना :—ख् को ख् से पृथक् स्वनिम मानने का मुख्य कारण यह है कि इन दोनों
मे ध्वन्यात्मक असमानता तथा व्यतिरेकी वितरण के अतिरिक्त परस्पर
अर्थभेदकता भी है, जो निम्नलिखित स्वल्पान्तरयुग्मो से स्पष्ट है—

खर—तृण, घास ।

खर—गदहा, मूर्ख ।

खस—गढवाल के उत्तर का प्रदेश और वहाँ की एक विशेष जाति,
नेपाल आदि स्थानो मे बसने वाली एक विशेष (ब्रात्य) क्षत्रिय
जाति, पोस्ते का पीघा आदि ।

खम—एक विशेष प्रकार की घास (गाडर, कतरा) की जड़, जिसकी
टट्टियाँ गर्मी के दिनो मे कमरे को ठढा रखने के लिए खिड-
कियो एवं दरवाजो पर लगायी जाती हैं ।

खसरा—एक तरह की खुजली ।

खसरा—हिसाव का कच्चा चिट्ठा, पटवारी की वह वही, जिसमे
गाँव के हर खेत का नम्बर, क्षेत्रफल आदि लिखा रहता है
आदि ।

खान—भाण्डार, खजाना, वह जगह जहाँ से धातुएँ खोदकर निकाली
जाती हैं आदि ।

खान—स्वामी, सरदार, पठान, पठान शासको की उपाधि ।

खाना—भोजन ।

खाना—घर, स्थान आदि अनेक अर्थ ।

इसी प्रकार, खार-खार, खारा-खारा, खाल-खाल, खाला-खाला, खालिक-खालिक, खैर-खैर, खोजा-खोजा आदि अनेक ऐसे स्वल्पान्तर युग्म हैं, जिनसे ख् और ख् का पृथक् स्वनिमत्व प्रमाणित होता है ।

३६) । ग् । [ग्.]

[ग्.]—घोष अल्पप्राण अलिजिह्वीय सञ्चर्षी व्यञ्जन ।

आदि मे :—गम, गरीब, गालिब, गुरज, गुल, गौर आदि विदेशी ऋण शब्दो मे ।

मध्य मे —चोगा, मुगल, दाग् आदि विदेशी ऋण शब्दो मे ।

अन्त मे —नही आता ।

सूचना .—ग् को ग् से पृथक् स्वनिम प्रमाणित करनेवाले कुछ स्वल्पान्तर युग्म निम्नलिखित हैं .—

गम—पहुँच, गमन, राह आदि ।

गम—दुख, शोक, परवाह आदि ।

गरज—गम्भीर ऊँची आवाज, दहाड़, मेघ-ध्वनि आदि ।

गरज—प्रयोजन, चाह आदि ।

गरारा—घमडी, उद्धत ।

गरारा—कुल्ली, पाजामे की ढीली मोहडी आदि ।

गुल—फूल आदि ।

गुल—शोर, हल्ला ।

गोरी—गौर वर्णवाली, सुन्दरी ।

गोरी—गौर का रहनेवाला, शाहबुद्दीन गोरी की उपाधि ।

गोल—वृत्ताकार, आदि अनेक अर्थ ।

गोल—झुण्ड ।

गौर—गोरा, श्वेत आदि अनेक अर्थ ।

गौर—चिन्तन, ध्यान ।

(३७) । ग । ० ० ० ० [श्, प्]—पूरक वितरण ।

[श्]—अधोप अल्पप्राण तालव्य सङ्घर्षी व्यञ्जन ।

आदि मे ०—हिन्दी मे गृहीत सस्कृत तत्सम तथा विदेशी ऋण शब्दो मे, केवल स्वरो तथा सस्कृत अन्त स्थो के पूर्व, यथा—शरीर, गाखा, शिक्षा, शुक्ल, गोपण, गराव, शायद, गोख, शोर, शेयर, श्याम, श्री, श्लेष, ज्वेत आदि मे ।

मव्य मे ०—केवल मूर्द्धन्य व्यञ्जनो के पूर्व नही आता ।

अन्यत्र सभी स्थितियो मे, किन्तु केवल सस्कृत तत्सम तथा विदेशी ऋण शब्दो मे ही, यथा—यश, नगा, शशि, पशु, विशेष, लाश; कश्यप, अश्रु, अश्व, निश्चय, अश्क, निश्चल आदि मे ।

अन्त मे ०—नही आता ।

[प्]—अधोप अल्पप्राण मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित सङ्घर्षी व्यञ्जन ।

हिन्दी-लेखन मे प् वर्ण हिन्दी मे गृहीत सस्कृत तत्सम शब्दो के आदि तथा मव्य मे अनेक स्थितियो मे आता है, यथा—पष्ट, पष्ठ, पणमुख, विषय, निषेध, विशेष, विष्कम्भक, कुष्माण्ड, विप आदि मे । किन्तु ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से प् का श् से भिन्न उच्चारण केवल एक ही स्थिति मे और वह भी केवल सुशिक्षितो के द्वारा ही होता है, जब प् किसी मूर्द्धन्य व्यञ्जन के पूर्व आता है; यथा—कष्ट, निष्ठुर, विष्णु आदि मे । अन्यत्र सर्वत्र प् का उच्चारण श् से अभिन्न होता है ।

सूचना — यदि हिन्दी मे गृहीत सस्कृत तत्सम एवं विदेशी तत्सम शब्द हिन्दी के अपने शब्द न माने जायें, तो श् एवं प् मे से कोई भी ध्वनि हिन्दी की अपनी नहीं है, क्योंकि ये हिन्दी के अपने अर्थात् तद्भव एव देशज शब्दो मे नहीं आती । ऐसी स्थिति मे इनके स्वनिम होने या न होने का प्रश्न ही नहीं उठता । किन्तु, हिन्दी मे संस्कृत तथा विदेशी तत्सम शब्दो का प्रयोग इतना अधिक बढ गया है कि अब उनकी उपेक्षा सम्भव नहीं । इम कारण उन शब्दो के साथ आगत ऐसी ध्वनियो को भी जो हिन्दी की अपनी नहीं हैं, हिन्दी-ध्वनि-समूह

मे सम्मिलित करना तथा हिन्दी-ध्वनियों के विवेचन-क्रम में सभी दृष्टियों से उनका विवेचन करना अनिवार्य है। कुछ भाषाशास्त्रियों ने हिन्दी के स्वनिमशास्त्रीय विवेचन में ग् की चर्चा तो की है, किन्तु ष् की नहीं।^१ यह हमारी दृष्टि में समीचीन नहीं, क्योंकि उक्त दोनों ध्वनियाँ केवल सस्कृत तत्सम या विदेशी शब्दों में पायी जाती हैं, इस कारण हिन्दी में यदि विवेच्य है तो दोनों या नहीं तो कोई भी नहीं।

सस्कृत में श् और ष् दोनों पृथक् स्वनिम हैं, जो विशय-विषय, विश-विष आदि स्वल्पान्तर युग्मों के व्यतिरेक से स्पष्ट है। किन्तु हिन्दी में ष् का श् से भिन्न उच्चारण केवल मूर्द्धान्य ध्वनियों के पूर्व ही होता है, अन्यत्र नहीं। इस कारण एक ओर जहाँ दोनों में परिपूरक वितरण की स्थिति है, दूसरी ओर स्वल्पान्तर युग्मों का अभाव भी। इन्हीं कारणों से हमने श् और ष् को एक ही स्वनिम के दो सस्वनो के रूप में विवेचित किया है।

(३८) ।स् । [स्]

[स्]—अघोष अल्पप्राण दन्त्य वत्स्य सङ्घर्षी व्यञ्जन।

आदि में—सव, साल, सिकता, सीप, सुख, सूत, सेना, सैनिक, सैन्य, सोना, सौरभ, सृष्टि, स्नान, स्रोत, आदि में।

मध्य में—रस, रसाल, रसिक, रसीद, हसुआ, कसूर, पसेरी, कसैली, रासो, कस्तूर, सस्कार, वास्तव, वयस्क, हिस्सा नस्ल, हास्य, आदि में।

अन्त में :—केवल कुछेक सस्कृत तत्सम शब्दों में, यथा—हविस् आदि में।

सूचना :—स् का श् से पृथक् स्वनिम होना निम्नलिखित स्वल्पान्तर युग्मों के व्यतिरेक से स्पष्ट है, यथा—सादी-शादी, सेर-शेर, सान्त-शान्त, साल-शाल, साला-शाला आदि।

(३९) ।ज् । [ज्]

[ज्]—घोष अल्पप्राण दन्त्य वत्स्य सङ्घर्षी व्यञ्जन।

यह केवल विदेशी ऋण शब्दों के आदि तथा मध्य में आता है।

आदि मे —जरा, जमाना जालिम, जुर्म आदि मे ।

मध्य मे —राज, सजा, गुजर, गजट, जू आदि मे ।

अन्त मे —नही आता ।

सूचना —ज् को ज् से पृथक् स्वनिम प्रमाणित करने वाले कुछ स्वल्पान्तर युग्म निम्नलिखित हैं; यथा—जरा-जरा, जमाना-जमाना, राज-राज आदि ।

(४०) । फ । [फ्]

[फ्]—अघोप महाप्राण दन्तोष्ठ्य सञ्चर्पी व्यञ्जन ।

यह केवल विदेशी ऋण शब्दों के आदि और मध्य मे आता है; यथा—
आदि मे :—फन, फलक, फारसी, फेल आदि मे ।

मध्य —साफ, साफा, दफा, नफीस, सफ़री आदि मे ।

अन्त मे :—नही आता ।

सूचना.—फ् को फ् से पृथक् स्वनिम प्रमाणित करनेवाले कुछ स्वल्पान्तर युग्म निम्नलिखित हैं, यथा—फन-फन, फलक-फलक, सफ़री-सफ़री, दफा-दफ़ा आदि ।

मिश्र व्यञ्जन

(१) । क्ष । [क्ष्]

[क्ष्]—अघोप महाप्राण कोमलतालव्य मूर्द्धन्य सञ्चर्पी मिश्र व्यञ्जन ।

यह केवल संस्कृत तत्सम शब्दों मे ही आता है ।

आदि मे —क्षण, क्षर, क्षिति, क्षीण, क्षुधा, क्षेत्र, क्षोभ, क्षेम, क्षमा,
क्षवे, आदि मे ।

मध्य मे —रक्षक, रक्षा, शिक्षित, मुमुक्षु, आरक्षी, भक्ष्य, आदि मे ।

अन्त मे :—नही आता ।

(२) । ज् । [ज्]

[ज्]—अघोप अल्पप्राण तालव्य स्पर्शघर्षी अनुनासिक मिश्र व्यञ्जन ।

यह केवल संस्कृत शब्दों मे आता है ।

आदि मे —ज्ञप्ति, ज्ञान, ज्ञेय आदि मे ।

मध्य मे —विज्ञ, विज्ञान, आज्ञा, अज्ञेय, यज्ञोपवीत आदि मे ।

अन्त मे :—नहीं आता ।

(ग) अन्तःस्थ :

(१) । य् । [य्]

[य्] अल्पप्राण घोष तालव्य सघर्षहीन सप्रवाह अर्द्धस्वर ।

आदि मे —यह, यहाँ, यदि, याद, योग, ये आदि मे ।

मध्य मे .—प्यार, नियम, आयास, वियोग, प्रिय, साया, छाया आदि मे ।

अन्त मे :—नहीं आता ।

(२) । व् । [व्, व्] मुक्त परिवर्तन ।

[व्] अल्पप्राण घोष द्वयोष्ठ्य सङ्घर्षहीन सप्रवाह अर्द्धस्वर ।

यह मुख्यत तद्भव तथा विदेशी ऋण शब्दो मे आता है ।

आदि मे :—वह, वहाँ, वादा, वे आदि मे ।

मध्य मे —देवर, नाव, राव, ज्वार, क्वार आदि मे ।

अन्त मे .—नहीं आता ।

[व्] अल्पप्राण घोष दन्त्योष्ठ्य अल्पसङ्घर्षी सप्रवाह अर्द्धव्यञ्जन ।

यह केवल सस्कृत तत्सम और विदेशी ऋण शब्दो मे आता है ।

आदि मे —वेद, विष्णु, व्यापार, वजीर, वाँयस, वजन आदि मे ।

मध्य मे —सविधान, सवेदना, नैवेद्य, विवाह, देव आदि मे ।

अन्त मे —नहीं आता ।

(घ) अयोगवाह :

(१) अनुस्वार । ं । [ं १ ं २ ं ३ ं ४ ं ५]—पूरक वितरण ।

[ं १]—अल्पप्राण घोष कण्ठ्यीकृत नासिक्य अयोगवाह ।

आदि मे —नहीं आता ।

मध्य मे :—केवल स्वर और ह् के मध्य, यथा—सहार, सिंह, सिंहासन आदि मे ।

अन्त मे .—नहीं आता ।

[ं २]—अल्पप्राण घोष तालव्यीकृत स्पर्शघर्षी नासिक्य अयोगवाह ।

आदि मे —नहीं आता ।

मध्य मे —केवल स्वर तथा य् अथवा श् के मध्य; यथा—सयम,
मयोग, सशय आदि मे ।

अन्त मे :—नही आता ।

[३]—अल्पप्राण घोष मूर्धन्यीकृत नासिक्य अयोगवाह ।

आदि मे :—नही आता ।

मध्य मे .—केवल स्वर एवं प् के मध्य, यथा—दष्ट्रा, दष्ट्रल,
दष्ट्राल आदि मे ।

अन्त मे .—नही आता ।

[४]—अल्पप्राण घोष वत्स्यीकृत नासिक्य अयोगवाह ।

आदि मे .—नही आता ।

मध्य मे .—स्वर एव र्, ल् अथवा स् के मध्य; यथा—सरचना,
सलाप, संसार आदि मे ।

अन्त मे .—नही आता ।

[५]—अल्पप्राण घोष ओष्ठीकृत नासिक्य अयोगवाह ।

आदि मे .—नही आता ।

मध्य मे —केवल स्वर तथा व् के मध्य, यथा—संवाद, सविधान
आदि मे ।

अन्त मे .—नही आता ।

२ चिह्न [·] [:]

[·]—अघोष महाप्राण (स्वरयन्त्रमुखी) कण्ठ्य सङ्घर्षी अयोगवाह ।

आदि मे —नही आता ।

मध्य मे .—स्वर एवं व्यञ्जन के मध्य, यथा—दु.ख, अन्त.करण,
मन.स्थिति आदि सस्कृत तत्सम शब्दो मे ।

अन्त मे :—स्वर के उतरान्त, यथा—प्राय, अत, छि, हः आदि मे ।

हिन्दी के उपरिखण्डीय स्वनियों का विवेचन .—

(१) अनुनासिकता । १ । [१]

अनुनासिकता स्वर-सम्बद्ध गुण है, कोई स्वतन्त्र ध्वनि नहीं । किन्तु इसमे

खण्डीय स्वनिमो के समान अर्थभेदक क्षमता होने के कारण, यह हिन्दी के उपरि-खण्डीय स्वनिमो में परिगणनीय है। इसकी अर्थभेदकता निम्नलिखित स्वल्पान्तर-युग्मो से स्पष्ट है .—

काटा—काटना क्रिया का भूतकालिक कृदन्त रूप।

काँटा—शूल।

चाटा—चाटना क्रिया का भूतकालिक कृदन्त रूप।

चाँटा—तमाचा।

पूछ—पूछना क्रिया की धातु।

पूँछ—टुम।

उपर्युक्त स्वल्पान्तर शब्द-युग्मो में अर्थभेद का एकमात्र कारण अनुनासिकता ही है। इससे, हिन्दी में इसका स्वर-सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम होना सिद्ध है।

सूचना (१) अनुनासिकता का स्वर सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम सिद्ध हो जाने के बाद हिन्दी के अनुनासिक स्वरों को अलग-अलग स्वनिम मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

सूचना (२) हिन्दी के कतिपय नवीन भाषाविज्ञानियों ने अनुनासिकता की तरह अनुस्वार को भी हिन्दी का स्वरसम्बद्ध स्वनिम मान लिया है, जो ठीक नहीं। कारण यह है कि अनुनासिकता स्वर में अन्तर्लीन होकर उच्चरित होने वाला एक विशेष गुण मात्र है, जबकि अनुस्वार स्वर से पृथक् एक विशेष ध्वनि है। यह सही है कि अनुस्वार का उच्चारण बिना उसके पूर्व स्वर रहे सम्भव नहीं, किन्तु अनुस्वार उस स्वर का अङ्ग नहीं बनता, अपितु स्वतन्त्र ध्वनि के रूप में ही उच्चरित होता है। इसके अतिरिक्त अनुस्वार ऐसी विशिष्ट ध्वनि है, जिसका किसी व्यञ्जन से भी योग-सयोग नहीं होता—'न विद्यते योगः सयोगो वर्णान्तरेण येषां ते अयोगवाहा।' (पा० शि० १६)। ऐसी स्थिति में उसे स्वर सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम मानना युक्तिसङ्गत नहीं।

इस सम्बन्ध में एक अन्य उल्लेखनीय बात यह भी है कि अनुनासिकता का एक ओर यदि अनुस्वार से व्यतिरेक है, यथा, हँस-हस में, तो दूसरी ओर अनु-

नासिक व्यञ्जनो से भी, यथा—काँत-कान्त मे । इससे सिद्ध है कि अनुस्वार अनुनामिकता की तरह स्वरमन्त्र उपरिखण्डीय स्वनिम नहीं ।

(२) विराम' [।] [- - , , ।]

१—अत्यल्प विराम [- -] (खण्डित शीर्षरेखा)

२—अल्प विराम [,] (अल्पविराम-चिह्न)

३—पूर्ण विराम [।] (पूर्णविराम चिह्न)

हिन्दी मे विराम सङ्क्रमण^१ जन्य उपरिखण्डीय स्वनिम है । इसके उपयुक्त तीन संस्वन है, जिनमे परस्पर पूरक वितरण की स्थिति है ।

विराम कोई ध्वनि नहीं, प्रत्युत् वह भाषा की उच्चार-प्रक्रिया मे शब्द एवं वाक्य के स्तर पर, सङ्क्रमणजनित अन्तराल है ।

प्रत्येक भाषा की उच्चार-प्रक्रिया मे सङ्क्रमण की एक प्रकृत व्यवस्था पायी जाती है । उस व्यवस्था से अनभिज्ञ व्यक्ति का उच्चार स्वभावतः दूषित होने के कारण अर्थवोध की दृष्टि से तो अशक्त रहता ही है, उससे अर्थ के अनर्थ होने की भी सम्भावना रहती है । अस्तु सङ्क्रमण किसी न किसी स्तर पर, प्राय सभी भाषाओं मे अर्थभेदक हुआ करता है ।

सङ्क्रमण की मुख्यत दो स्थितियाँ होती हैं—युक्त सङ्क्रमण^२ और मुक्त सङ्क्रमण^३ । युक्त सङ्क्रमण का अर्थ है—दो खण्डो के बीच अन्तराल रहित सङ्क्रमण और मुक्त सङ्क्रमण का अर्थ है—दो खण्डो के बीच अन्तराल सहित सङ्क्रमण । इस आधार पर विराम की भी ऋणात्मक एवं घनात्मक दो स्थितियाँ

१ विराम शब्द का प्रयोग हमने पाणिनि के 'विरामोऽवसानम्' (अ० १ ४ १०६) से प्रायः मिलते-जुलते अर्थ में ही, जिसे ब्लूमफील्ड ने 'ओपेन ट्रांजिशन' (लैंग्वेज; लन्दन १९५६, § ७, ६) तथा ब्लाँख एव ट्रेगर ने 'ओपेन जङ्क्चर' (आस्टलाइन ऑफ लिन्विस्टिक एनेलायसिस १९४२, § २ १४ (३), § ३. ७ (१) कहा है; किया है ।

२ 'ट्रान्जिशन', 'जङ्क्चर', वही ।

३ 'Close transition', Leonard Bloomfield, Language, London, 1956 7. 9 'Juncture', Bernard Bloch & Trager, Outline of Linguistic Analysis, 1942. 2 14, (3). 3 7. (1)

4. Open Transition', 'Open Juncture', Ibid.

मानी जा सकती है। ऋणात्मक विराम का अर्थ होगा—दो खण्डों के बीच सङ्क्रमण में अन्तराल की अनुपस्थिति अर्थात् युक्तसङ्क्रमण। धनात्मक विराम का अर्थ होगा—दो खण्डों के बीच सङ्क्रमण में अन्तराल की उपस्थिति अर्थात् मुक्तसङ्क्रमण। परम्परागत पारिभाषिक शब्दावली में प्रायः इन्हीं अर्थों में क्रमशः 'सयोग' एवं 'विराम' शब्द का प्रयोग होता आया है।

हिन्दी में युक्तसङ्क्रमण अर्थात् ऋणात्मक विराम (सयोग) की उपस्थिति शब्दान्तर्गत ध्वनियों के बीच पायी जाती है तथा मुक्तसङ्क्रमण अर्थात् धनात्मक विराम (विराम) की उपस्थिति शब्दों तथा वाक्यों के बीच।

हिन्दी में युक्तसङ्क्रमण अर्थात् ऋणात्मक विराम (सयोग) के स्थान पर मुक्तसङ्क्रमण अर्थात् धनात्मक विराम (विराम) का, या इसके विपरीत प्रयोग करने पर अर्थभेद हो जाता है, यथा—खाली—गोली खाली गयी।

खा ली—गोली खा ली गयी।

इससे स्पष्ट है कि हिन्दी में युक्तसङ्क्रमण अर्थात् ऋणात्मक विराम (सयोग) तथा मुक्तसङ्क्रमण अर्थात् धनात्मक विराम (विराम) में परस्पर व्यतिरेक है। इस आधार पर इन दोनों को ही हिन्दी का सङ्क्रमणजन्य उपरिखण्डीय स्वनिम माना जा सकता है। किन्तु, भाषाविज्ञान के अधिकारी विद्वानों ने इनमें से प्रथम को भाषा के उच्चारण की सहज स्वाभाविक प्रकृति मानकर स्वनिम के रूप में स्वीकार करने की सलाह नहीं दी है। यही कारण है कि हमने भी केवल मुक्तसङ्क्रमण अर्थात् धनात्मक विराम (जिसे हमने केवल 'विराम' ही कहा है) को ही सङ्क्रमणजन्य उपरिखण्डीय स्वनिम के रूप में स्वीकार किया है।

हिन्दी में विराम के उपर्युक्त तीन सस्वन हैं, जिनका विवेचन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है.—

1. Muddy transition within a macrosegment is much more common than sharp transition, We do not call it still another phoneme, but simply say that it is the way a speaker gets from one vowel or consonant of a macrosegment to the next when no l x I is present."

Charles F Hockett, 'A Course in Modern Linguistics',
1960 P 55

अत्यल्प विराम [- -]—यह वाक्यान्तर्गत शब्दों के मध्य सामान्य स्थिति में आता है। हिन्दी-लेखन में इसे शीर्षरेखा को खण्डित करके सूचित किया जाता है, यथा—राम ने रावण को मारा।

अल्प विराम [,]—इसका कालमान अत्यल्प विराम से कुछ अधिक होता है।

(१) यह सयुक्त तथा मिश्रवाक्यों में उपवाक्यों या वाक्य-खण्डों के बीच आता है, यथा—उसे रोको मत, जाने दो। उसे रोको, मत जाने दो।

(२) यह वाक्यान्तर्गत पदों के बीच भी आता है, जत्र वहाँ किसी समुच्चयबोधक शब्द का लोप हो, यथा—राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दशरथ के पुत्र थे। इस वाक्य में जहाँ-जहाँ अल्प विराम चिह्न का प्रयोग है, वहाँ-वहाँ समुच्चयबोधक 'और' का लोप है।

पूर्णविराम [।]—इसका कालमान अल्पविराम से भी कुछ अधिक होता है। यह वाक्य के अन्त में आता है, यथा—दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनके चार पुत्र थे।

सूचना (१)—हिन्दी-लेखन में युक्त सङ्क्रमण अर्थात् ऋणात्मक विराम (सयोग) को अखण्डित शीर्ष रेखा के द्वारा सूचित किया जाता है।

सूचना (२)—हिन्दी-लेखन में कुछ लोग अल्पविराम-चिह्न के प्रयोग की समुचित जानकारी नहीं रखने के कारण प्रायः ऐसे स्थानों पर भी उसका प्रयोग कर देने हैं, जहाँ उच्चारण में अल्पविराम की स्थिति नहीं होती।

सूचना (३)—हिन्दी-लेखन में विराम सम्बन्धी उपर्युक्त चिह्नों के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के चिह्नों का प्रयोग प्रचलित है। किन्तु, उच्चारण के स्तर पर उनका कोई स्वनिमात्मक मूल्य नहीं।

सूचना (४)—वाक्यस्तर पर सुर-भेद से पूर्णविराम चिह्न के हिन्दी लेखन में दो और रूप मिलते हैं, यथा—प्रश्नवाचक चिह्न [?] तथा विस्मयादिबोधक चिह्न [!]। यह रूपान्तर सुर-लहर की भिन्नता पर आश्रित है, सङ्क्रमण पर नहीं। अस्तु, इसका विवेचन सुर के विवेचन-प्रसङ्ग में आगे किया जायगा।


(३) सुर-लहर — (— — —)

सुर-लहर से हमारा तात्पर्य वाक्य-स्तर पर सुर (पिच) के विभिन्न धरातलो के एकत्र सङ्घटन से है। सुर के मुख्य तीन धरातल होते हैं, जिन्हे परम्परागत पारिभाषिक शब्दावली में उदात्त^१, अनुदात्त^२ और स्वरित^३ कहा गया है। इन्हे ही हमने क्रमशः उच्च, निम्न और सम कहा है।

सुर के उपर्युक्त धरातलो की भिन्नता किसी भी भाषा में प्रायः आकस्मिक नहीं, अपितु उसकी गठन का अङ्ग हुआ करती है।^४ इस कारण, जिस भाषा में सुर-लहर अर्थभेदक न होकर भाव या आशयभेदक भी होती है, उसमें उसका उपरिखण्डीय स्वनिम के रूप में परिगणित किया जाना मेरी समझ से आवश्यक है।

यह कोई आवश्यक नहीं कि किसी भाषा के प्रत्येक वाक्य के उच्चारण में सुर के तीनों धरातल उपस्थित रहे ही। किन्तु, जिस वाक्य में एक से अधिक धरातल उपस्थित हों, वहाँ उनके स्थान-परिवर्तन मात्र से ही अर्थभेद या आशय-भेद हो जाया करता है।

हिन्दी में वाक्यस्तर पर सुर-लहर चाहे अर्थभेदक न हो, किन्तु भाव या आशय-भेदक अवश्य है, क्योंकि, हिन्दी-वाक्यों के उच्चारण में सुर के धरातलो के स्थान-परिवर्तन मात्र से ही भावभेद या आशयभेद हो जाता है, जो निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होगा। यहाँ हम उदाहरणों में सुर के विभिन्न धरातलो को रेखा तथा अङ्क दोनो से एक साथ इस क्रम में सूचित कर सकते हैं —



१ "उच्चैरुदात्तः"—अ० १. २. २६।

२ "नीचैरनुदात्तः"—वही, १ २ ३०।

३ "समाहारः स्वरितः"—वही; १. २. ३१।

४. डब्ल्यू० नेल्सन फ्रांसिस, "दो स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश", पृ० ११३-१४।

उदाहरण .

$\overset{२}{\text{कैकेयी}} \text{ ने } \overset{२}{\text{राम}} \text{ को } \overset{२}{\text{वनवास}} \text{ दिया } \quad | \quad \text{१। (सामान्य कथन)}$

$\overset{३}{\text{कैकेयी}} \text{ ने } \overset{२}{\text{राम}} \text{ को } \overset{२}{\text{वनवास}} \text{ दिया } \quad | \quad \text{१। (किसी और ने नहीं)}$

$\overset{३}{\text{कैकेयी}} \text{ ने } \overset{२}{\text{राम}} \text{ को } \overset{२}{\text{वनवास}} \text{ दिया } \quad | \quad \text{१। (किसी और को नहीं)}$

$\overset{३}{\text{कैकेयी}} \text{ ने } \overset{२}{\text{राम}} \text{ को } \overset{३}{\text{वनवास}} \text{ दिया } \quad | \quad \text{१। (शोक, विक्कारादि)}$

$\overset{२}{\text{कैकेयी}} \text{ ने } \overset{२}{\text{राम}} \text{ को } \overset{२}{\text{वनवास}} \text{ दिया } \quad | \quad \overset{३}{?} \text{ (सामान्य प्रश्न)}$

$\overset{३}{\text{कैकेयी}} \text{ ने } \overset{२}{\text{राम}} \text{ को } \overset{२}{\text{वनवास}} \text{ दिया } \quad | \quad \overset{३}{?} \text{ क्या (क्या कैकेयी ने दिया ?)}$

$\overset{३}{\text{कैकेयी}} \text{ ने } \overset{२}{\text{राम}} \text{ को } \overset{३}{\text{वनवास}} \text{ दिया } \quad | \quad \overset{३}{?} \text{ (क्या राम को दिया ?)}$

इस प्रकार मुर के घरातलो के परिवर्तन से उदाहृत वाक्य के द्वारा उपर्युक्त आशयो या अर्थों के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के आशय या भाव यथा— प्रसन्नतासूचक, विस्मयमूचक आदि व्यक्त किये जा सकते हैं।

इस तरह उपर्युक्त विवेचन से हिन्दी में वाक्य-स्तर पर सुर-लहर का उपरि-खण्डीय स्वनिम होना सिद्ध है।

सूचना—१ हिन्दी में सुर के विभिन्न घरातलो के प्रयोग में बलाघात (स्ट्रेस) के विभिन्न रूपों (यथा—प्रबल, सामान्य तथा निर्बल) का भी यत्किञ्चित् उपयोग किया जाता है। किन्तु, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रधानता

सुर की ही रहती है। इसीलिए हमने केवल सुर-लहर को ही हिन्दी का उपरिखण्डीय स्वनिम माना है, बलाघात को नहीं।

सूचना—२ हिन्दी में गव्द-स्तर पर बलाघात का प्रयोग तो होता है, किन्तु वह स्वतन्त्र रूप से अर्थभेदक नहीं। इस कारण उसे हिन्दी का स्वनिम नहीं माना जा सकता।

सूचना—३ हिन्दी-लेखन में प्रश्नसूचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों के अन्त में क्रमशः प्रश्नवाचक चिह्न (?) तथा विस्मयादिसूचक चिह्न (!) का प्रयोग किया जाता है, किन्तु अन्यत्र सर्वत्र पूर्णविराम चिह्न (।) का ही प्रयोग होता है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी-लेखन में सुर के विभिन्न घरातलो को सूचित करने की कोई सर्वाङ्गीण व्यवस्था नहीं। फलतः पाठको के लिए सुर के घरातलो की भिन्नता का पता पाने के लिए एकमात्र सन्दर्भ और अपने विवेक का ही अवलम्ब रहता है। यह दोष या अभाव केवल नागरी का ही नहीं, लिपि मात्र का है।

सूचना—४ हिन्दी में मात्रा अर्थभेदक है, किन्तु हिन्दी के ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरो में केवल मात्रा की ही नहीं, अपितु स्थानादि की भी भिन्नता है। इसीलिए उन स्वरो को अलग-अलग स्वनिम मान लिया गया है। ऐसी स्थिति में मात्रा को फिर अलग से एक उपरिखण्डीय स्वनिम मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसीलिए उसे स्वनिम के रूप में परिगणित नहीं किया गया है।



अध्याय

: १३ :

नागरी लिपि का प्रतिमानीकरण

प्रतिमानीकरण की आवश्यकता :

प्रस्तुत ग्रन्थ के दसवें अध्याय में यह विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जा चुका है कि नागरी-सुधार-आन्दोलन से नागरी को लाभ की तुलना में हानि ही अधिक हुई है। नागरी के स्वरूप में सुधार लाने के लिए भिन्न-भिन्न सस्थाओं, समितियों तथा विद्वानों के द्वारा जो तरह-तरह के सुझाव दिये गये या प्रस्ताव पारित किये गये; उनमें से उपयुक्त, वैज्ञानिक एवं सर्वमान्य अंश के चुनाव का, देश के विद्वानों के द्वारा, अखिल भारतीय स्तर पर कभी कोई समुचित प्रयास नहीं हुआ। इसके विपरीत, सरकार ने राज्य-मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाकर अपने लिए एक अलग नीति निर्धारित कर ली है और दूसरी ओर, देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों की साहित्यिक संस्थाएँ, समितियाँ, हिन्दी-प्रचार-सभाएँ तथा भिन्न-भिन्न विद्वान, अपने-अपने सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित पृथक्-पृथक् नीतियों पर चलते रहे हैं।

उपयुक्त स्थिति का ही यह परिणाम है कि आज नागरी के स्वरूप या प्रयोग में कहीं भी एकरूपता दृष्टिगोचर नहीं होती। कहीं अ की वारहखड़ी चलती दिखाई देती है, तो कहीं स्वर वर्णों के परम्परागत रूप का ही प्रचलन दीखता है। कहीं अ, ऎ, झ, ण, ञ आदि का प्रयोग दीखता है तो कहीं अ, छ, फ, ण, ञ आदि का। किसी पुस्तक में ख, घ, भ मुद्रित दीखता है तो किसी पुस्तक में ख, घ, भ। कहीं अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु दोनों का प्रयोग अपने-अपने स्थानों पर मिलता है तो कहीं चन्द्रबिन्दु के स्थान पर भी अनुस्वार ही प्रतिष्ठित दिखाई पड़ता है। कुछ विद्वान अनुस्वार को नासिक्य व्यञ्जनो से नितान्त भिन्न मानकर उनका प्रयोग ध्वनिशास्त्र के नियमानुसार पृथक्-पृथक् स्थानों पर करते हैं तो कुछ अनुस्वार को नासिक्य व्यञ्जनो से अभिन्न समझकर उसे उन्ही का प्रतिनिधि मानते हैं और नासिक्य व्यञ्जनो के स्थान पर भी अनुस्वार के प्रयोग को ही ठीक समझते हैं। शेष कुछ ऐसे भी विद्वान हैं, जो ङ्, ञ् एवं ण् की जगह अनुस्वार का और न् और म् की जगह पर क्रमशः न् और म् के ही प्रयोग को उचित मानते हैं। इसी प्रकार नागरी

वर्णों के सयोग की पद्धति में भी एकरूपता नहीं पायी जाती। कही प्रेम दिखाई देता है तो कही प्रेम, कही छात्र और कही छात्र, कही खट्टा तो कही खट्टा। संक्षेप में, आज नागरी के स्वरूप एवं प्रयोग, दोनों में सर्वत्र अनेकरूपता, अनिश्चितता तथा अनियमितता दृष्टिगोचर होती है। इस विपम स्थिति से नागरी को उबारने का एकमात्र समाधान इसका सर्वमान्य प्रतिमानीकरण ही है।

नागरी भारतवर्ष की राष्ट्रलिपि है। इसके अतिरिक्त, यह विद्वानों के द्वारा ससार की सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी गयी है। ऐसी स्थिति में इसकी वैज्ञानिकता की रक्षा के लिए आज इसके स्वरूप का सभी दृष्टियों से निर्दोष, सुनिश्चित, व्यापक एवं सर्वमान्य होना नितान्त आवश्यक है। यह कार्य इसके स्वरूप के प्रतिमानीकरण के द्वारा ही सम्भव है। इस प्रकार नागरी का प्रतिमानीकरण आज के युग की माँग है। इसकी उपेक्षा न तो उचित है और न हितकर ही।

प्रतिमानीकरण के सम्बन्ध में कुछ ध्यातव्य बातें :

नागरी के प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध कुछ बातें ऐसी हैं, जिनपर समुचित रूप से ध्यान दिये बिना प्रतिमानीकरण का निर्दोष एवं सर्वमान्य होना प्रायः असम्भव है। वे बातें संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

नागरी केवल हिन्दी की ही लिपि नहीं है। यह एक ओर यदि संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश जैसी समृद्ध प्राचीन भाषाओं के साहित्य की लिपि रही है तो दूसरी ओर मराठी, गुजराती एवं नेवारी (नेपाली) से लेकर हिन्दीभाषी प्रान्तों की प्रायः अधिकांश आधुनिक क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोलियों की भी लिपि है। अतः नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ में इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें जो भी परिवर्तन, परिवर्द्धन या सुधार लाये जायँ, वे न केवल हिन्दी, अपितु उन तमाम भाषाओं के लिए भी उपयोगी एवं उपयुक्त हों, जिनसे नागरी का सम्बन्ध है।

यह प्रायः सर्वमान्य तथ्य है कि भारतवर्ष में भाषा, जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय आदि की भिन्नता रहने पर भी इसकी सांस्कृतिक चेतना की अन्तर्धारा पुराकाल से ही एक रही है, जिसमें समस्त भिन्नताओं तथा अनेकताओं का समन्वयात्मक समाहार होता आया है। इस एकता को और अधिक परिपुष्ट एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, देश के अनेकानेक दूरदर्शी महापुरुषों ने, राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यान में रखकर, स्वतन्त्रता-आन्दोलन के साथ ही साथ नागरी को देश की सभी भाषाओं की लिपि के रूप में मान्यता दिलाने की दिशा में भी प्रयत्न प्रारम्भ कर

दिया था। वह प्रयत्न बीच-बीच में अनेकानेक कारणों से शिथिल तो अवश्य पड़ता रहा, किन्तु समाप्त कभी नहीं हुआ। वह आज भी जीवित है और उसे आगे भी अभीष्ट-सिद्धि तक जीवित रखने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में, नागरी के प्रतिमानीकरण का प्रयत्न केवल उन भाषाओं के सन्दर्भ में करना समीचीन नहीं है, जिनकी लिपि के रूप में इसका प्रयोग पहले से होता आया है या अभी हो रहा है, अपितु यह प्रयत्न देश की उन अन्यान्य भाषाओं को भी दृष्टि में रखकर करना चाहिए, जिनकी लिपि के रूप में इसे अद्यावधि मान्यता नहीं मिल पायी है।

नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ में इस बात पर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि भाषा के हित में लिपि की वैज्ञानिकता तथा टङ्कन-मुद्रणादि की यान्त्रिक सुविधा, इन दोनों में किसका महत्त्व अधिक है। किसी लिपि की वैज्ञानिकता एक पृथक् गुण है और उसका टङ्कन-मुद्रण-दूरालेखन आदि की यान्त्रिक दृष्टि से सुविधाजनक होना एक पृथक् गुण। यदि लिपि में ये दोनों ही गुण एक साथ हो तो कोई समस्या ही नहीं उठती, किन्तु कहीं-कहीं वैज्ञानिकता और यान्त्रिक सुविधा इन दोनों का एक साथ निर्वाह असम्भव भी हो जाया करता है। उस स्थिति में इन दोनों में से किसी एक का ग्रहण और दूसरे का परित्याग प्रायः अनिवार्य सा हो जाता है। तब वहाँ यह समस्या उठ खड़ी होती है कि वैज्ञानिकता और यान्त्रिक सुविधा में किसको अपनाया और किसको त्यागा जाय? हमारी समझ से यान्त्रिक सुविधा के लिए लिपि की वैज्ञानिकता का परित्याग कथमपि श्रेयस्कर नहीं हो सकता। इस बात को नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ में भी स्मरण रखना आवश्यक है ताकि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्द्धन या सुधार करते समय उसकी वैज्ञानिकता की रक्षा पर विशेष ध्यान रक्खा जा सके।

नागरी के प्रतिमानीकरण के सन्दर्भ में एक और बात ध्यान देने की यह भी है कि अबतक नागरी जिन भाषाओं की परम्परागत लिपि के रूप में मान्य रही है, उन भाषाओं का प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक सम्पूर्ण साहित्य इसी में लिपिवद्ध है। अतः ऐसी स्थिति में नागरी के प्रचलित स्वरूप में कोई भी ऐसा परिवर्तन वाञ्छनीय नहीं होगा, जिससे उन भाषाओं के लिपिवद्ध साहित्य का वाचन आगे चलकर प्राचीन लिपियों के आलेखों के वाचन की तरह दुरूह या असम्भव हो जाय।

सारांश यह कि नागरी लिपि का प्रतिमानीकरण इस रूप में होना चाहिए कि उसके प्रत्येक वर्ण तथा मात्रा का स्वरूप पृथक्-पृथक् सुनिश्चित हो जाय। उसके अक्षर-विधान तथा सयोगादि की पद्धति में सर्वत्र एकरूपता, निभ्रान्तता तथा

निश्चितता आ जाय । वह न केवल हिन्दी, अपितु हिन्दीतर अन्यान्य भारतीय भाषाओं की भी सर्वमान्य वैज्ञानिक लिपि बनने के उपयुक्त हो जाय । प्रतिमानीकरण के फलस्वरूप होनेवाले परिवर्तनों से, उसमें लिपिबद्ध प्राचीन साहित्य का वाचन दुरूह या असम्भव न हो जाय । उसकी वैज्ञानिकता पूर्णतः अक्षुण्ण रहे तथा उसका स्वरूप न केवल विशिष्ट जनवर्ग, अपितु सामान्य साक्षर समाज के लोगों के लिए भी सहज एवं सहर्ष स्वीकार्य हो ।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में आगे सर्वप्रथम हिन्दी की लिपि के रूप में और तदनन्तर भारत की अन्तर्देशीय भाषाओं की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण का एक प्रस्तावित रूप उपस्थित किया जायगा और अन्त में अन्तरराष्ट्रीय लिपि के रूप में उसकी योग्यता पर संक्षेप में विचार किया जायगा ।

हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी का प्रतिमानीकरण

हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण का प्रयास नागरी-सुधार के रूप में बहुत पहले से होता आया है, जिसका विवेचन प्रस्तुत पुस्तक के 'नागरी-सुधार-आन्दोलन' शीर्षक दसवें अध्याय में किया जा चुका है । किन्तु, अभी तक भिन्न-भिन्न विद्वानों, संस्थाओं या सरकार के द्वारा हिन्दी के वैज्ञानिक लेखन के लिए नागरी के जो पृथक्-पृथक् मानक रूप स्थिर किये गये हैं, उनमें से कोई भी रूप पूर्णतः मानक कहलाने योग्य नहीं है । इसका एक कारण तो यह है कि अब तक विद्वानों ने नागरी के प्रतिमानीकरण में यान्त्रिक सुविधा, लेखन-सुविधा, वर्णों एवं मात्राओं के रूप की वैज्ञानिकता, समरूप वर्णों की भ्रमोत्पादकता, कतिपय वर्णों की द्विरूपता या अनेकरूपता तथा कतिपय वर्णों की व्यतिरिक्तता (रिडण्डेंसी) आदि भिन्न-भिन्न पक्षों पर तो पृथक्-पृथक् विचार किया है, किन्तु हिन्दी में कुल कितनी ऐसी अर्थभेदक ध्वनियाँ अर्थात् स्वनिम (ध्वनिग्राम) हैं, जिनके लिए नागरी में वर्णों का अभाव है, इस प्रश्न पर समुचित रूप से विचार नहीं किया है । नागरी में जबतक हिन्दी के सभी स्वनिमों के लिए पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र एवं सुनिश्चित रूप वाले वर्णों का निर्धारण नहीं हो जाता, तबतक हिन्दी के सम्यक् लेखन की दृष्टि से नागरी के प्रतिमानीकरण का कार्य अपूर्ण ही माना जाता रहेगा । प्रस्तुत पुस्तक के चारहवें अध्याय में हमने इसी उद्देश्य से हिन्दी के ध्वनिवैज्ञानिक विवेचन के साथ उसका विस्तृत स्वनिमशास्त्रीय विवेचन भी किया है, ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि

हिन्दी के सम्यक् लेखन की दृष्टि से नागरी के प्रतिमानीकरण के लिए उसमें वस्तुतः कितने स्वतन्त्र वर्णों, मात्राओं तथा वर्णोत्तर चिह्नों की आवश्यकता है।

अवतक नागरी के प्रतिमानीकरण के अपूर्ण रहने या सर्वमान्य नहीं होने का एक कारण यह भी है कि इस दिशा में भिन्न-भिन्न विद्वानों, संस्थाओं या सरकार के द्वारा किये गये सारे प्रयत्न प्रायः पृथक्-पृथक् होते रहे हैं। अभी तक सरकार या किसी संस्था के द्वारा वैज्ञानिक स्तर पर उन प्रयत्नों के समन्वयात्मक एकीकरण का कोई समुचित एवं व्यापक प्रयास नहीं हुआ। अतः, इस समय नागरी के सर्वमान्य मानक रूप के निर्धारण के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि अवतक के सारे प्रस्तावित रूपों को एक साथ सामने रखकर, इस विषय के सभी क्षेत्रों के अधिकारी विद्वान तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक सोच-समझ कर उनमें से सर्वमान्य अक्षर का चुनाव करें तथा अन्यान्य आवश्यक पक्षों पर भी विचार करते हुए सर्वसम्मति से नागरी के पूर्ण मानक रूप को स्थिर करें। किन्तु यह कार्य सरकार या किसी बड़ी संस्था के प्रयास से ही सम्भव है।

वैयक्तिक दृष्टि में हिन्दी की मानकलिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण के लिए मैं निम्नलिखित बातें आवश्यक मानता हूँ —

(१) हिन्दी के जिन स्वनिमों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों का अभाव है, उनके लिए वर्णों का निर्धारण नितान्त आवश्यक है। हिन्दी में यो तो कई स्वनिम ऐसे हैं, जिनके लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं; किन्तु उनमें ह्रस्व ए तथा ह्रस्व ओ को छोड़कर शेष की अर्थभेदकता को सिद्ध करनेवाले स्वल्पान्तर युग्म (मिनिमल पेअर) प्रायः नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में यदि उन स्वनिमों को सन्दिग्ध मानकर छोड़ भी दिया जाय, तो कम से कम ह्रस्व ए तथा ह्रस्व ओ के लिए वर्ण एवं मात्राओं का निर्धारण अत्यावश्यक है। ये दोनों स्वनिम ऐसे हैं, जो यहाँ की कतिपय हिन्दीतर भाषाओं में भी मिलते हैं।

(२) वर्णों की अधिकता को नागरी का दोष नहीं माना जाना चाहिए; क्योंकि किसी लिपि की वर्ण-संख्या उससे सम्बद्ध भाषा की स्वनिम संख्या पर निर्भर होती है। लिपि की वैज्ञानिकता की यह पहली शर्त है कि उसमें सम्बद्ध भाषा के प्रत्येक स्वनिम के लिए स्वतन्त्र वर्ण हो। हिन्दी के स्वनिमों की दृष्टि से नागरी में केवल ऋ, ॠ, लृ, ल, एव प् ही ऐसे वर्ण हैं, जो प्रायः अनावश्यक या व्यतिरिक्त बड़े जा सकते हैं। किन्तु, इनमें से भी ऋ एव प् दो ऐसे वर्ण हैं, जिनका तत्सम षब्दों के साथ हिन्दी में प्रयोग होना आवश्यक ही है। हाँ, ऋ, लृ, एव ल का

प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में भी विरल ही होता है, इसलिए इन तीनों को वर्णमाला से हटाया जा सकता है। लृ के लिए स्वतन्त्र वर्ण की आवश्यकता यों भी नहीं है; क्योंकि इसका रूप ल् में ऋ की मात्रा लगाने से बनता है।

(३) हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण में शिरोरेखा के प्रयोग को आवश्यक माना जाना चाहिए; क्योंकि शिरोरेखा का प्रयोग नागरी में मात्र अलङ्कारण के लिए नहीं होता। शिरोरेखा के माध्यम से अनेक समरूप वर्णों का पारस्परिक अन्तर सूचित किया जाता है, जैसे—घ से घ का तथा म से भ का। घ और भ के ऊपर के दोनों छोर शिरोरेखा से सम्बद्ध नहीं किये जाते, जबकि घ और म के छोरों के शीर्ष शिरोरेखा से मिले रहते हैं। शिरोरेखा के प्रयोग से लेखन में शब्दों का पार्थक्य भी सूचित किया जाता है। शिरोरेखा न देने पर शब्दों को सटाकर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि उस स्थिति में दो शब्दों के बीच पर्याप्त अन्तराल नहीं रहने पर पूर्वशब्द का अन्तिम वर्ण परशब्द के प्रारम्भिक वर्ण के साथ मिलकर भ्रम उत्पन्न कर सकता है, यथा—कम ला कर को कोई कमलाकर भी पढ़ सकता है। शिरोरेखा शब्दों को अलग-अलग रखकर इस प्रकार के भ्रम की सम्भावना को दूर करती है। इसके अतिरिक्त वह सामासिक शब्दों को स्पष्ट करने का भी कार्य करती है। इस प्रकार शिरोरेखा हिन्दी-लेखन की दृष्टि से मात्र अलङ्कारण नहीं, नागरी की वैज्ञानिकता का अङ्ग है।

(४) नागरी में ख का प्रचलित रूप हिन्दी-लेखन की दृष्टि से निश्चय ही भ्रमोत्पादक है। उससे ख का भ्रम हो सकता है। इसलिए नागरी के प्रतिमानीकरण में ख के स्थान पर प्रस्तावित रूप ख को मान्यता दी जानी चाहिए जो सभी दृष्टियों से निर्दोष एवं उपयुक्त है।

(५) हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण में क्ष्, त्र्, ज्ञ् को यथावत् स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक क्ष् और ज्ञ् का प्रश्न है, ये दोनों हिन्दी की दो विशिष्ट मिश्रध्वनियों के सूचक स्वतन्त्र वर्ण हैं, और त्र्, त् एव एर् का, ल की अपेक्षा अधिक, सरल, उपयुक्त एवं वैज्ञानिक संयुक्तरूप हैं। इन तीनों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के 'नागरी-विरोधी आन्दोलन' शीर्षक आठवें अध्याय में किया जा चुका है।

(६) हिन्दी-लेखन में प्रचलित नागरी के द्विविध रूप वाले वर्णों के केवल-एक-एक रूप को ही मानक रूप में स्वीकृति मिलनी चाहिए। नागरी का प्रयोग, चूँकि इसके जन्मकाल से ही अनेक भाषाओं की लिपि के रूप में तथा एक बड़े

व्यापक क्षेत्र में होता आया है, जिसके फलस्वरूप इसके कई वर्णों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो गये हैं, यथा—अ-अ, भ्-भ्, ण्-ण्, क्ष्-क्ष् आदि। इनमें भ्, ण् को छोड़कर शेष के रूपों में यद्यपि अति सामान्य भिन्नता है, फिर भी नागरी के प्रतिमानीकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ण का केवल एक ही निश्चित रूप हो। हमारी समझ से, उक्त वर्णों के अ, भ्, ण् तथा क्ष् रूप अधिक स्पष्ट एवं विशेष प्रचलित होने के कारण मानक बनने के अधिक उपयुक्त हैं।

(७) हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण में चन्द्रविन्दु, अनुस्वार तथा वर्गीय पञ्चमो में से प्रत्येक को मान्यता मिलनी चाहिए; साथ ही, प्रत्येक का प्रयोग-क्षेत्र ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से सुनिश्चित होना चाहिए। उदाहरणार्थ, चन्द्रविन्दु का प्रयोग स्वरो की अनुनासिकता के लिए, अनुस्वार का प्रयोग स्वरोपान्त तथा अन्त स्थ और ऊष्म वर्णों के पूर्व केवल अयांगवाह नासिक्य ध्वनि के लिए तथा वर्गीय पञ्चमो का प्रयोग मयुक्ताक्षरो में स्ववर्गीय वर्णों के पूर्व तथा अन्यत्र जहाँ उनकी स्पष्ट श्रुति हो, किया जाना चाहिए। चन्द्रविन्दु के स्थान पर या वर्गीय पञ्चमो के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, क्योंकि वैसे प्रयोग ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है।

(८) नागरी अक्षरात्मक लिपि है, इसलिए इसमें वर्णों के संयोग की अक्षरात्मक पद्धति को ही मान्यता मिलनी चाहिए, वर्णात्मक पद्धति को नहीं। नागरी में वर्ण-संयोग की परम्परागत पद्धति पूर्णतः ध्वनिवैज्ञानिक एवं अक्षरात्मक है, जो इस प्रकार है—(क) व्यञ्जन के बाद आने पर स्वर वर्ण का स्थान उसकी मात्रा ले लेती है; यथा—क+आ=का, क्+इ=कि, क्+उ=कु आदि। नागरी में अ के लिए कोई मात्रा नहीं है। जब कोई व्यञ्जन अ से युक्त होता है तो उसमें हलन्त चिह्न नहीं लगाया जाता, अर्थात् हलन्त चिह्न से रहित व्यञ्जन वर्ण, जिसमें किसी अन्य स्वर की भी मात्रा न हो, अकारान्त होता है। (ख) व्यञ्जन वर्णों को सुविधानुसार ऊपर-नीचे या आमने-सामने के क्रम में भी संयुक्त किया जाता है। जब व्यञ्जन वर्ण ऊपर-नीचे के क्रम में संयुक्त होते हैं, तो उनके रूप केवल र् तथा त् को छोड़कर, प्रायः सबके ज्यो-के-त्यो रहते हैं, यथा—ट्ट, ड्ड आदि में। किन्तु उक्त स्थिति में र् का रूप कोणात्मक (,) तथा त् का रूप, ऊपर रहने पर, ञ की तरह हो जाता है; यथा—त्र् में। किन्तु, जब व्यञ्जन वर्ण आमने-सामने संयुक्त होते हैं, तो प्रारम्भिक वर्ण में खड़ी पाई रहने पर निकाल दी जाती है और उसका रूप ञ, च, ज, आदि की तरह हो जाता है और खड़ी पाई यदि वर्ण के मध्य में रहती है, तो खड़ी पाई के बाद का अक्षर छोटा कर दिया जाता है, यथा—क्, फ, आदि में।

जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती, उन्हें प्रायः सदा ऊपर-नीचे के क्रम में ही सयुक्त किया जाता है, जबकि खड़ी पाई वाले वर्णों को सुविधानुसार दोनों क्रमों में—ऊपर-नीचे या आमने-सामने-सयुक्त किया जाता है। र् जब किसी व्यञ्जन वर्ण के पहले आता है, तो रेफ के रूप में उस वर्ण के ऊपर जुड़ता है, यथा—धर्म, आर्त आदि में। जब बाद में आता है तो खड़ी पाई वाले वर्णों में अपने कोणात्मक रूप के आगे के अक्ष को खड़ी पाई में मिलाकर नीचे, यथा—प्रेम, क्रम आदि में और बिना खड़ी पाई वाले वर्ण में अपने पूरे कोणात्मक रूप में नीचे; यथा—द्राम, ड्रामा आदि में। इसी प्रकार त् जब र् या त् के पूर्व आता है तो अपने न रूप में ऊपर मिलता है, यथा—त्राण, पत्ता आदि में और अन्यत्र खड़ी पाई से वियुक्त रूप में, यथा—सत्य, सत्कार आदि में नागरी के प्रतिमानीकरण में वर्ण-सयोग के इसी प्रचलित रूप को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि यह पद्धति वैज्ञानिक होने के साथ ही नागरी के अक्षरात्मक स्वरूप के उपयुक्त भी है। हलन्त चिह्न लगाकर वर्णों को सयुक्त करने की पद्धति सन्धि-नियम की दृष्टि से अवैज्ञानिक है।

(९) नागरी के प्रतिमानीकरण में मात्रा-विधान को यथावत् मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि मात्राओं का विधान इसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। अपनी इसी विशेषता के कारण नागरी वर्णात्मक लिपियों से अधिक विकसित दशा की वैज्ञानिक लिपि बन सकी है। इसकी आक्षरिकता का मूल आधार मात्राएँ ही हैं। मात्राएँ स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं। वे स्वरो का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे वर्णोत्तर चिह्न हैं, जो व्यञ्जन वर्णों के साथ जुड़कर अपने से सम्बद्ध स्वरो की उनमें उपस्थिति सूचित करते हैं तथा व्यञ्जनों को अक्षरात्मक रूप देते हैं। इस प्रकार नागरी के लिए मात्राओं का महत्त्व सर्वोपरि है।

मात्रा-चिह्नों के प्रयोग की पद्धति साङ्केतिक है। वे व्यञ्जन वर्णों के चारों ओर लगते हैं और प्रत्येक स्थिति में व्यञ्जन के अन्त में अपने से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति के सूचक होते हैं। इस दृष्टि से वे व्यञ्जन वर्णों के किस ओर लगते हैं, इसका कोई महत्त्व नहीं होता। ऐसी स्थिति में मात्रा के स्थान को ही उससे सम्बद्ध स्वर का स्थान मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। यदि ऐसा होता तो मात्राएँ वर्णों के चारों ओर न लगकर केवल आगे ही आती, जैसा कि वर्णात्मक लिपि में मात्रा के स्थान पर स्वर आया करते हैं। इसे नहीं समझ पाने के कारण ही विद्वानों ने ह्रस्व 'इ' की मात्रा की प्रयोग-पद्धति को उसके स्थान की दृष्टि से अवैज्ञानिक समझ लेने की भूल की है, जो वस्तुतः अवैज्ञानिक नहीं, पूर्णतः वैज्ञानिक

है। इसका विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के आठवें अध्याय में विस्तार के साथ किया जा चुका है। अतः यहाँ संक्षेप में हमारा कथ्य मात्र इतना ही है कि नागरी का प्रचलित मात्रा-विधान जो सभी दृष्टियों से वैज्ञानिक है, उसे यथावत् रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का संशोधन वाञ्छनीय नहीं।

(१०) 'अ' की वारहखड़ी को पूर्णतः अमान्य घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सन्धि-नियम की दृष्टि से वह अवैज्ञानिक है, जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ के आठवें अध्याय में सप्रमाण सिद्ध किया जा चुका है। हाँ, उपर्युक्त दृष्टि से प्रचलित स्वर-वर्णों में 'ओ' का रूप निश्चय ही अवैज्ञानिक है, इसलिए उसके बदले या तो उसके प्राचीन शुद्ध रूप 'उ' को मानक रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए या उसके स्थान पर एक नये वर्ण का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(११) हिन्दी में संस्कृत के अतिरिक्त अँगरेजी, फ़ारसी आदि कतिपय विदेशी भाषाओं के तत्सम शब्दों का भी पर्याप्त संख्या में प्रयोग होता है, जिन्हें अनेकानेक विद्वान प्रायः तत्सम रूप में ही लिखना भी पसन्द करते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भाषाओं के प्रचलित तत्सम शब्दों की जिन ध्वनियों के लिए नागरी में वर्ण नहीं है, उनके लिए या तो नये वर्णों का निर्धारण होना चाहिए या उनकी समकक्ष ध्वनियों के लिए उपलब्ध वर्णों में कुछ विशेष चिह्न लगाकर उनके स्वरूप को निश्चित किया जाना चाहिए।

संस्कृत के तत्सम शब्दों के यथावत् लेखन की दृष्टि से नागरी में यो तो ऋ एव लृ दोनों को मान्यता मिलनी चाहिए, किन्तु इनमें लृ वस्तुतः ल् में ऋ की मात्रा जोड़ने में बना रूप है, इसलिए उसको स्वतन्त्र वर्ण के रूप में मान्यता देना आवश्यक नहीं। किन्तु, जहाँ तक ऋ का सम्बन्ध है, इसका उच्चारण हिन्दी में यद्यपि तत्सम शब्दों के अन्तर्गत भी स्वर की तरह नहीं होता, फिर भी लेखन में इसको मान्यता देना आवश्यक है, क्योंकि एक तो इसका प्रयोग परम्परा से होता आया है और दूसरे, इसके अभाव में ऋतु, ऋपि, ऋण आदि शब्दों को तत्सम रूप में लिखना सम्भव नहीं होगा। यही स्थिति ष् की भी है।

अँगरेजी, फ़ारसी आदि विदेशी भाषाओं के हिन्दी में प्रयुक्त होनेवाले तत्सम शब्दों की जिन ध्वनियों के लिए नागरी में वर्ण नहीं हैं, उनके लेखनार्थ उनके समकक्ष ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णों के नीचे विन्दी देकर स्वतन्त्र वर्ण बना लेने का प्रचलन हिन्दी-लेखन में पहले से ही है। हमारी सपन्न से वैसे पूर्व प्रचलित वर्णों, जैसे—क, ख, ग, ज, फ—को भी नागरी के प्रतिमानिकरण में

मान्यता मिलनी चाहिए। यो, जो लोग हिन्दी में विदेशी शब्दों को तत्सम रूप में बोलने तथा लिखने के हिमायती नहीं हैं, उनके लिए उक्त वर्णों के प्रयोग की अनिवार्यता निश्चय ही नहीं है। किन्तु बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं, जो हिन्दी में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग बोलने तथा लिखने, दोनों में तत्सम रूप में ही करना पसन्द करते हैं। वैसे विद्वानों के लिए नागरी में उक्त वर्णों का रहना नितान्त आवश्यक है।

(१२) हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण में पूर्ण विराम के चिह्न के रूप में परम्परागत खड़ी पाई (।) के चिह्न को ही मान्यता मिलनी चाहिए, अँगरेजी के विराम-चिह्न विन्दु (.) को कदापि नहीं। किन्तु अर्धविराम, अल्पविराम आदि के लिए अँगरेजी के गृहीत चिह्नों को स्वीकार कर लेने में कोई दोष नहीं। फिर, व्यञ्जनो के स्वर राहित्य के निर्देशार्थ उनके नीचे हलन्त चिह्न के प्रयोग को भी मान्यता देना आवश्यक है।

उपर्युक्त मान्यताओं एवं सुझावों के आलोक में हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण के लिए हम इसकी वर्णमाला को निम्नलिखित रूप में मान्य स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव करते हैं। इस सन्दर्भ में यहाँ यह भी स्मरण दिला देना आवश्यक है कि अक्षरात्मक लिपि होने के कारण नागरी-वर्णमाला परम्परा से आक्षरिक रूप में ही उपस्थित होती आयी है, जिसे नागराक्षर, नागरी-अक्षर, अक्षरी आदि नामों से अभिहित किया जाता रहा है। अतः, हम भी यहाँ उसे आक्षरिक रूप में ही उपस्थित करना उचित समझते हैं।

हिन्दी के लिए प्रस्तावित मानक नागरी-अक्षरमाला —

(क) स्वराक्षर एवं उनकी मात्राएँ :—

परम्परागत मूलस्वर—

ह्रस्व—अ	इ	उ	(ऋ)		
मात्राएँ—	×	ि	ु	े	
दीर्घ—आ	ई	ऊ	(ऋ)	ए ओ	(या जो)
मात्राएँ—	।	ी	ू	ै	ो

मिश्र स्वर—

दीर्घ—ऐ औ

मात्राएँ—^१ ी

नवविकसित मूल स्वर

ह्रस्व—ए ओ (या उँ)

मात्राएँ— \perp $\frac{1}{|}$ (प्रस्तावित रूप)

दीर्घ—ऐ ओँ आँ

मात्राएँ— $\perp\perp$ $\frac{11}{|}$ आँ (प्रस्तावित रूप)

स्वरानुनासिकता का चिह्न—

चन्द्रविन्दु—^० (यथा—अँ आँ आदि में)

स्वराभाव का अर्थात् हलन्त-चिह्न— (यथा—क् त् प् आदि में)

सूचना —‘अँ’ यद्यपि हिन्दी का स्वनिम नहीं, किन्तु हिन्दी-लेखन में अँगरेजी के तत्सम शब्दों, जैसे—डॉक्टर, कॉलेज आदि में इसे प्रायः मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इसीलिए हमने भी इसे स्वराक्षरों में परिगणित कर लिया है।

(ख) अकारान्त व्यञ्जनाक्षर—

परम्परागत मूल व्यञ्जनाक्षर—

स्पर्शवर्गीय—क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द धे न

प फ व भ म

अन्त स्थ—य र ल व

ऊष्म—श ष स ह

मिश्र—क्ष (त्र) ज्ञ

अयोगवाह—अनुस्वार (अ)

विसर्ग (अ)

नवीन मूल व्यञ्जनाक्षर—

उत्क्षिप्त—ड ढ

महाप्राण—न्ह म्ह ल्ह

अन्यान्य—क ख ग ज फ

(ग) विभिन्न स्वरान्त व्यञ्जनाक्षर :—

ह्रस्व स्वरान्त व्यञ्जनाक्षर—

क् + अ = क, क् + इ = कि, क् + उ = कु, (क् + ऋ = कृ), क् + ए = क^१,
क् + ओ = का^१

दीर्घ स्वरान्त व्यञ्जनाक्षर—

क् + आ = का, क् + ई = की, क् + ऊ = कू, (क् + ऋ = कृ), क् + ए = के,
क् + ओ = को, क् + ऐ = क^१, क् + औ = का^१, क् + आँ = काँ ।

मिश्र स्वरान्त व्यञ्जनाक्षर—

क् + ऐ = कै, क् + औ = कौ

सूचना :—व्यञ्जन के साथ स्वर का योग होने पर स्वरों का स्थान मात्राएँ ले लेती है, जो व्यञ्जन के आगे, पीछे, ऊपर और नीचे, चारों ओर लगती हैं। किन्तु किस स्वर की मात्रा व्यञ्जन में कहाँ लगेगी, यह पहले से निर्धारित है, उदाहरणार्थ—आ की मात्रा 'ा' आगे, इ की मात्रा 'ि' पीछे से ऊपर तक, ई, ओ, औ तथा आँ की मात्राएँ— 'ी, 'े, 'ै तथा 'ँ' आगे से ऊपर तक, ए तथा ऐ की मात्राएँ 'े, 'ै, ऊपर और उ, ऊ एव ऋ की मात्राएँ 'ु, 'ू एव ृ नीचे लगती हैं। उ एव ऊ की मात्राएँ 'र् के साथ उसके आगे जुड़ती है, नीचे नहीं, यथा—रू रू। अ की कोई मात्रा नहीं है। व्यञ्जन वर्ण के साथ अ स्वर की उपस्थिति हलन्त-चिह्न का लोप करके सूचित की जाती है, जैसे क, च, ट, त, प आदि। स्वर रहित व्यञ्जन वर्ण में हलन्त-चिह्न नीचे लगाया जाता है, यथा—क्, च्, ट्, त्, प् आदि। व्यञ्जन के साथ किसी भी स्वर की उपस्थिति अन्त में रहने पर हलन्त-चिह्न का लोप करके ही उस स्वर की मात्रा व्यञ्जन में लगायी जाती है। मात्रा-संयोग की यह परम्परागत पद्धति नितान्त वैज्ञानिक तथा नागरी लिपि के अक्षरात्मक स्वरूप के उपयुक्त है। अतः, हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण में इसे यथावत् स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

(घ) व्यञ्जनों के संयोगी रूप :

नागरी में जिस प्रकार व्यञ्जनों के साथ स्वरों के योग के लिए स्वरों के पृथक्-पृथक् प्रतीक के रूप में मात्राएँ निर्धारित हैं, उसी प्रकार व्यञ्जनों के साथ व्यञ्जनों के संयोग के लिए भी व्यञ्जनों के पृथक्-पृथक् रूप निर्धारित हैं। मात्राओं

की तरह ही व्यञ्जनों के सयोगी रूपों का निर्धारण भी पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति में हुआ है, जो आगे के विवेचन से स्पष्ट होगा ।

नागरी में व्यञ्जनो के संयोगी रूपों का निर्धारण निम्नलिखित नियमों के आधारे पर हुआ है :—

(१) जिन व्यञ्जन वर्णों के अन्त में खड़ी पाई है, उनमें से खड़ी पाई को निकाल कर, यथा .—

व्यञ्जन	सयोगी रूप	सयुक्त रूप
ख्	ख	ख्यात, आख्यान ।
ग्	ग	ग्यारह ।
च्	च	कच्चा, मच्छर ।
ज्	ज	ज्वार, ज्यामिति ।
ञ्	ञ	चञ्चल, मञ्जन ।
ण्	ण	पण्डित, पुण्य ।
त्	त	त्याग, पत्थर ।
थ्	थ	कथ्य, थ्योरी ।
व्	व	ध्यान, अध्याय ।
न्	न	न्याय, अन्त ।
प्	प	प्यार, नप्पल ।
व्	व	शब्द, कब्जा ।
म्	म	अभ्यास ।
म्	म	म्यान, चम्पा ।
ल्	ल	कल्याण, कल्प ।
व्	व	व्याकरण, व्यापार ।
श्	श	श्लिष्ट, पश्चात्ताप ।
प्	प	कष्ट, कृष्ण ।
स्	स	व्यस्त, स्थान ।
क्ष्	क्ष	भक्ष्य, साक्ष्य ।
ञ्	ञ	त्र्यम्बक ।

(२) जिन व्यञ्जन वर्णों के मध्य में खड़ी पाई है, उनमें खड़ी पाई के बाद के अक्ष को अन्त से थोड़ा काटकर; यथा .—

व्यञ्जन	सयोगी रूप	संयुक्त रूप
क्	क्	चक्का, मक्खन ।
फ़	फ	फ्यूचर ।

(३) जिन व्यञ्जन वर्णों में खड़ी पाई नहीं है, उनके रूप को यथावत् रखते हुए नीचे हलन्त-चिह्न लगाकर बाद में आने वाले व्यञ्जन को उसके बाद लिखकर या नीचे जोड़कर; यथा—

व्यञ्जन	सयोगी रूप	संयुक्त रूप
ङ्	ङ्	अङ्ग, रङ्ग, सङ्घ ।
ट्	ट्	सट्टा, नाट्य, पट्टा या पट्ठा ।
ठ्	ठ्	पाठ्य ।
ड्	ड्	हड्डी या हड्डी ।
ढ्	ढ्	ढ्योचा ।
ह्	ह्	वाह्य, आह्लाद ।

(४) र् के ' ' तथा ' ' दो संयोगी रूप हैं। जब 'र्' किसी व्यञ्जन के पूर्व आता है तो वह रेफ ' ' के रूप में परवर्ती व्यञ्जन के ऊपर जुड़ता है, यथा—शर्म, कर्त्ता, अर्क आदि में, और जब वह किसी व्यञ्जन के पश्चात् आता है, तो खड़ी पाई वाले व्यञ्जनो के नीचे अपने कोणात्मक रूप में इस प्रकार जुड़ता है कि उसके अन्त की रेखा खड़ी पाई में मिलकर अन्तर्लीन हो जाती है, जैसे—प्रेम, क्रिया आदि में। किन्तु जब वह ऐसे व्यञ्जनो के बाद आता है, जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, तो उनके नीचे अपने पूर्ण कोणात्मक रूप में मिलता है, यथा—ड्राम, ड्राम आदि में। ह् के बाद आने पर र् अपने कोणात्मक रूप में ह् के पेट में जुड़ता है, यथा—ह्लास में। श् के पश्चात् आने पर दोनों मिलकर श्र का रूप प्राप्त करते हैं।

(५) त् जब त् या र् के पूर्व आता है, तो उसका संयोगी रूप न जैसा हो जाता है, जैसे—पत्ता, पत्र आदि में।

सूचना.—व्यञ्जनो के उपर्युक्त संयोगी रूपों का प्रयोग केवल व्यञ्जनो के पूर्व ही होता है। स्वरों के पूर्व व्यञ्जनो के स्वरूप में कोई विकार नहीं होता।

(६) विराम-चिह्न :

हिन्दी-लेखन में शब्दों के बीच के सङ्क्रमणजन्य विराम (- -), अल्प विराम (,) तथा वाक्यों के अन्त में आने वाले पूर्ण विराम के सामान्य रूप (।),

विस्मयादिवोधक रूप (१) तथा प्रग्णवाचक रूप (२) के अतिरिक्त अन्य सारे विराम-चिह्न एव विरामेतर चिह्न ऐच्छिक हैं, अर्थभेदक नहीं। इसलिए वे अनिवार्य नहीं माने जा सकते। ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग लेखकों की अपनी इच्छा पर ही छोड़ देना उचित है।

हमारी समझ से हिन्दी की लिपि के रूप में नागरी का प्रतिमानीकरण यदि उपर्युक्त रूप में किया जाय, तो वह सभी दृष्टियों से मानक रूप सिद्ध हो सकता है।

भारतीय भाषाओं की अन्तर्देशीय लिपि के रूप में नागरी

भारतीय भाषाओं की अन्तर्देशीय लिपि के रूप में नागरी के प्रतिमानीकरण के लिए प्रयत्नशील होते समय, सर्वप्रथम, इस बात की जानकारी अनिवार्य है कि भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं में ऐसी कितनी और कौन-कौन सी ध्वनियाँ हैं, जिनके लिए प्रचलित नागरी में स्वतन्त्र वर्णों का अभाव है। इस दृष्टि से विचार करने पर हमें कुछ ही भाषाएँ ऐसी मिलती हैं, जिनकी कुछेक ध्वनियों के लिए प्रचलित नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं, अन्यथा अविकाश भाषाओं की प्रायः सभी अर्थभेदक ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण है।

जिन कुछेक भारतीय भाषाओं की कुछ ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों की वृद्धि की अपेक्षा है, उनमें दक्षिण की चार भाषाएँ—तमिल, तेलुगू, कन्नड एव मलयालम मुख्य हैं। तमिल में ए और ओ दो ह्रस्व स्वर एवं क् और न् दो विशेष व्यञ्जन ऐसे हैं, जिनके लिए प्रचलित नागरी में स्वतन्त्र वर्णों का अभाव है। इसी प्रकार तेलुगू में ए और ओ दो ह्रस्व स्वर तथा र्, च्, एव ज्, तीन व्यञ्जन ऐसे हैं, जिनके लिए नागरी में वर्ण नहीं है। कन्नड में केवल ए और ओ दो ह्रस्व स्वर ही ऐसे हैं, जिनके लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों की आवश्यकता है, किन्तु मलयालम में फिर ह्रस्व ए और ओ के अतिरिक्त क्, र्, एवं ट्, तीन व्यञ्जन भी ऐसे हैं, जिनके लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण अपेक्षित हैं।

उत्तर की भाषाओं में मराठी में च्, छ्, ज्, झ् का तालव्य के अतिरिक्त दन्तमूलीय उच्चारण भी होता है तथा सिन्धी में ग्, ज्, ड्, द्, ब् का अन्तर्मुखी। इन ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं। इसी प्रकार उर्दू की क्, ख्, ग्, ज् तथा फ् ध्वनियों के लिए भी नागरी में स्वतन्त्र वर्ण नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य जितनी भी भारतीय भाषाएँ हैं, उनकी प्रायः सभी ध्वनियों के लिए नागरी में वर्ण उपलब्ध है।

ऊपर जितनी ध्वनियों के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों के अभाव की बात कही गयी है, उनमें से भी अधिकांश का मूल्य संस्वनात्मक ही है, स्वनिमात्मक नहीं, अर्थात् वे अर्थभेदक नहीं हैं। उदाहरणार्थ, तमिल में न्, तेलुगू में च् और ज्, एव मराठी में च्, छ्, ज् और झ् ।

इन सस्वनो के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों की आवश्यकता नहीं। यो यदि इन्हें लिखना आवश्यक ही माना जाय, तो नागरी में उपलब्ध इनकी समकक्ष ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णों के नीचे बिन्दी या कुछ अन्य चिह्न लगाकर इन्हें सूचित किया जा सकता है। इसी प्रकार सिन्धी की अन्तर्मुखी ध्वनियों ग्, ज्, ड्, द्, व् को भी नागरी में इनके समकक्ष बहिर्मुखी ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णों के नीचे शून्य देकर रूपायित किया जा सकता है, यथा—गू, जू, डू, दू, और वू ।

अन्त में भारतीय भाषाओं में कुल ए ओ क् र् ट्, ये पाँच ध्वनियाँ ऐसी बच रहती हैं, जिनके लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों की अपेक्षा है। इनमें से ए ओ की आवश्यकता हिन्दी के लिए भी है, जिसका विवेचन हिन्दी की लिपि के प्रसङ्ग में पहले किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हिन्दी के लिए प्रस्तावित नागरी-अक्षर-माला में यदि क, र और ट तीन अक्षर और जोड़ दिये जायँ, तो वह समस्त भारतीय भाषाओं की अक्षर-माला बन जायगी।

समस्त भारतीय भाषाओं के लिए प्रस्तावित मानक नागरी-अक्षर-माला .—

स्वर .—

ह्रस्व— अ इ उ (ऋ) ए ओ
दीर्घ— आ ई ऊ (ऌ) ए ओ ऐ औ आँ
मिश्र— ऐ औ
अनुनासिक—अँ आँ इँ ईँ आदि ।

व्यञ्जन .—

स्पर्शवर्गीय— क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म

अन्त.स्थ—य र ल व

ऊष्म— श ष स ह

मिश्र— क्ष (त्र) ञ

अयोगवाह—अनुस्वार (अं)

विसर्ग . (अ)

उत्क्षिप्त—ड ढ

अन्यान्य व्यञ्जन—क ख ग ज फ र ट ठ न्ह म्ह ल्ह ।

सूचना —स्वरो की मात्राओं के जो रूप हिन्दी के लिए प्रस्तावित मानक नागरी-
अक्षर-माला में दिये गये हैं, उन्हें ही प्रस्तुत सन्दर्भ में भी हम प्रस्तावित
करते हैं ।

अन्तरराष्ट्रीय लिपि के रूप में नागरी

नागरी में ससार की समस्त उपलब्ध लिपियों की अपेक्षा अधिक वर्ण हैं ।
ससार की किसी भी भाषा में शायद ही ऐसी कुछ ध्वनियाँ होंगी, जिनसे मिलती-
जुलती या समकक्ष ध्वनियों के लिए नागरी में वर्णों का अभाव हो । यों, यदि
किसी भाषा में कुछेक ऐसी ध्वनियाँ हों भी, तो नागरी के उपलब्ध वर्णों में ही कुछ
विशेष चिह्नों का प्रयोग कर उनके लिए सरलता से वर्णों का निर्धारण किया जा
सकता है ।

नागरी का स्वरूप एक साथ ही वर्णात्मक एवं अक्षरात्मक दोनों है । यह
विशेषता संसार की अन्य किसी भी लिपि में नहीं पायी जाती ।

नागरी में स्वरो की मात्राओं का वैज्ञानिक विधान एक ऐसी अनोखी विशेष-
पता है, जो इसे संसार की सभी लिपियों से अधिक विकसित दशा की लिपि सिद्ध
करती है ।

नागरी एक ओर जहाँ संस्कृत-जैसी प्राचीन योगात्मक भाषा की सफल
लिपि रही है, वहीं यह हिन्दी, मराठी, नेपाली आदि कतिपय आधुनिक अयोगात्मक
प्रवृत्ति की भाषाओं की भी सफल वाहिका है ।

लिपि-विज्ञान के आचार्यों ने इस बात को मुक्तकण्ठ से घोषित किया है कि
नागरी में आदर्श वैज्ञानिक लिपि के प्रायः सभी गुण हैं ।

विद्वानों के अनुसार नागरी चीनी एवं जापानी-जैसी भाषाओं की भी अन्य
किसी भी लिपि की अपेक्षा, अधिक सफल लिपि बन सकती है ।

नागरी में अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि परिषद् की वर्ण तालिका (आइ० पी० ए० चार्ट) रोमन की अपेक्षा अधिक सरलता से प्रस्तुत की जा सकती है। यह बात इस अध्याय के अन्त में दी गयी तालिका को रोमन में उपस्थित प्रचलित तालिका के साथ मिलाकर देखने से स्वतः स्पष्ट हो जायगी।

नागरी की उपयुक्त विशेषताओं तथा पूर्व विवेचित कतिपय अन्यान्य विशेषताओं पर तटस्थ दृष्टि से सूक्ष्मतापूर्वक विचार करने पर लिपिशास्त्र का कोई भी पूर्वाग्रहरहित अधिकारी विद्वान यह सहज ही मान लेगा कि ससार की समस्त लिपियों में अन्तरराष्ट्रीय लिपि बनने की सबसे अधिक योग्यता यदि किसी लिपि में है, तो वह लिपि नागरी ही है।

अन्तरराष्ट्रीय ध्वनि परिषद् की नागरी वर्ण-तालिका :—

हिन्दी-वर्तनी

वर्तनी का स्वरूप-विवेचन —

परिभाषा — भाषा के शिष्ट उच्चारणानुरूप लेखन-विधान को वर्तनी कहते हैं ।

भाषा अपने प्रकृत रूप में श्रुतिग्राह्य ही होती है, चक्षुग्राह्य नहीं । लिपि के माध्यम से उसके श्रव्य रूप को दृश्य रूप में परिणत किया जाता है । उस प्रक्रिया में लेखन के कतिपय ध्वनिशास्त्रीय तथा लिपिशास्त्रीय नियमों, यथा—अनुक्रम^१ सयोग^२, द्वित्व^३, मिश्रण^४ तथा सन्धि^५ आदि का पालन अनिवार्य होता है । लेखन की यही नियमानुकूल प्रविधि लेखन-विधान या वर्तनी कहलाती है, जिसे अन्य शब्दों में लेख-नियम, हिज्जे, अक्षरी, अक्षर-विन्यास, वर्ण-विन्यास आदि भिन्न-भिन्न पर्यायों से भी अभिहित किया जाता है ।

- १ शब्दान्तर्गत युक्तसङ्क्रमणात्मक स्थिति में उच्चरित ध्वनियों अथवा अक्षरों के पूर्वापर क्रम को 'अनुक्रम' कहा जाता है ।
- २ ध्वनियों के अनुक्रम के उस विशेष रूप को, जिसमें स्वर के बाद स्वर अथवा व्यञ्जन के बाद व्यञ्जन ही हो सयोग कहते हैं । सयोग की यह परिभाषा पाणिनि की 'हलोऽनन्तरा' सयोग (अ० ११७) से व्यापक है । संस्कृत में व्यञ्जन के पश्चात् व्यञ्जन आता था, किन्तु स्वर के पश्चात् स्वर प्रायः नहीं । हिन्दी तथा अन्यान्य आधुनिक आर्यभाषाओं में यह स्थिति नहीं है । इनमें स्वर के पश्चात् स्वर भी प्रायः उसी प्रकार आता है, जिस प्रकार व्यञ्जन के पश्चात् व्यञ्जन । इसीलिए आधुनिक भाषाओं के सन्दर्भ में सयोग की परिभाषा को पूर्वापेक्षया अधिक व्याप्ति देने की आवश्यकता हुई है ।
- ३ सयोग का वह विशेष रूप, जहाँ एक ही ध्वनि की आवृत्ति हो, 'द्वित्व' कहलाता है ।
- ४ दो ध्वनियों के युगपत् उच्चारण को 'मिश्रण' कहते हैं ।
- ५ शब्दों में परसन्निर्कर्ष के कारण उत्पन्न ध्वन्यात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को 'सन्धि' कहते हैं ।

किसी भी भाषा का प्रयोग एक विस्तृत क्षेत्र के व्यापक जनसमुदाय के बीच होता है, जिसके अन्तर्गत शिक्षित, अल्पशिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के लोग होते हैं। इस कारण किसी एक काल में भी स्थानभेद, व्यक्तिभेद तथा कतिपय अन्यान्य कारणों से भिन्न-भिन्न शब्दों के उच्चारण में भिन्नरूपता होना एक सामान्य एवं स्वाभाविक बात है। उदाहरणार्थ; आज यदि कोई व्यक्ति भिन्न-भिन्न हिन्दी वक्ताओं के भाषण में केवल एक 'यद्यपि' शब्द के उच्चारण को ही ध्यान से सुने, तो उसे पता चलेगा कि हिन्दी में इस शब्द का उच्चारण यद्यपि, यद्दपि, जद्यपि, जद्दपि, जदपी, जदपि आदि अनेक रूपों में होता है। इस प्रकार हिन्दी या किसी भी भाषा में ऐसे हजारों-हजार शब्द मिलेंगे, जिनका उच्चारण उस भाषा के बोलने वाले सभी लोग समान रूप से नहीं करते। भाषा के सामान्य बोलचाल में तो शब्दों के उच्चारण की यह भिन्नरूपता, किसी तरह खप भी जाती है। किन्तु, लेखन में इस प्रकार की अनेकरूपता को प्रश्रय देना—खासकर जहाँ भाषा का प्रयोग साहित्यिक या शास्त्रीय विवेचन के माध्यम के रूप में हो—श्रेयस्कर नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि वर्तनी की अनेकरूपता न केवल विवेचन की स्पष्टता के लिए बाधक होती है, अपितु वह अनेक प्रकार के भ्रमों, उलझनों तथा अर्थभेदों का कारण बन जाया करती है। इसीलिए, वर्तनी की यह अनिवार्य शर्त होती है कि वह शिष्ट उच्चारणानुरूप ही हो। दूसरे शब्दों में, किसी भाषा के शिष्ट भाषित रूप में उसके शब्दों के अन्तर्गत ध्वनियों तथा अक्षरों का जो अनुक्रम होता है, लिखित रूप में तदनु रूप वर्णों एवं अक्षरों का उसी क्रम से नियोजन, वर्तनी का मुख्य उद्देश्य होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तनी, वस्तुतः भाषा को लिपिवद्ध करने का वह प्रक्रियागत विधान है, जिसकी शुद्धता या वैज्ञानिकता मुख्य रूप से शब्दों के शिष्ट उच्चारण की अनुरूपता पर निर्भर होती है।

इस प्रसङ्ग में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से वर्तनी की शुद्धता की मुख्य कसौटी यद्यपि शिष्ट उच्चारण की अनुरूपता ही है, किन्तु व्यावहारिक घरातल पर कतिपय भाषाओं में अनेकानेक शब्दों की वर्तनी की शुद्धता समकालीन शिष्ट उच्चारण की अनुरूपता पर निर्भर न होकर परम्परा के अनुगमन पर ही निर्भर होती है। रोमन में लिखित अँगरेजी के अनेकानेक शब्दों की वर्तनी इस कथन के ज्वलन्त प्रमाण हैं। अँगरेजी में हजारों-हजार शब्द ऐसे हैं, जिनका उच्चारण आज वैसा नहीं होता, जैसा कुछ शताब्दी पूर्व हुआ करता था। किन्तु उन शब्दों की वर्तनी आज भी वही है, जो शताब्दियों पहले प्रचलित थी, उदाहरणार्थ, *Though, Neighbour, Eight, Knowledge Psychology,*

Half आदि जैसे शब्दों की एक लम्बी सूची उपस्थित की जा सकती है, जिनके आधुनिक शिष्ट उच्चारण के साथ प्रचलित वर्तनी का यथोचित तालमेल नहीं बैठता। हिन्दी में भी ऐसे अनेकों शब्द हैं, जो लिखे तो तत्सम रूप में जाते हैं, किन्तु जिनके उच्चारण आज तत्सम नहीं रह गये हैं। उदाहरणार्थ, लिखा जाता है—ऋषि, ऋतु, कृपा, ज्ञान, यज्ञ, रक्षा, विष आदि और उच्चरित होता है—रिशि, रिनु, क्रिपा, ग्याँन, यग्यँ, रक्छा, विश आदि। सारांश यह कि वर्तनी की शुद्धता सैद्धान्तिक दृष्टि से यद्यपि मुख्यतः शिष्ट उच्चारण की अनुरूपता पर भी निर्भर होती है, किन्तु व्यवहार में वह कहीं-कहीं परम्परा के अनुगमन पर भी निर्भर होती है, जो भाषाशास्त्र एवं लिपिशास्त्र की दृष्टि से ही समीचीन नहीं है।

वर्तनी के स्वरूप में सम्बद्ध एक ज्ञातव्य बात यह भी है कि वर्णात्मक लिपि से अक्षरात्मक लिपि की वर्तनी का स्वरूप भिन्न होता है। यों तो स्वरों एवं व्यञ्जनो के लिए पृथक्-पृथक् वर्ण उक्त दोनों ही प्रकार की लिपियों में होते हैं, किन्तु अक्षरात्मक लिपि में स्वर वर्णों के पृथक्-पृथक् साङ्केतिक चिह्न भी होते हैं, जो वर्णात्मक लिपि में नहीं होते। नागरी में 'आ' के लिए 'ा', 'इ' के लिए 'ि', 'ई' के लिए 'ी' आदि ऐसे ही चिह्न हैं, जिन्हें मात्रा कहा जाता है। अक्षरात्मक लिपि में स्वर वर्णों का प्रयोग केवल वहाँ होता है, जहाँ स्वर स्वतन्त्र रूप में या किसी व्यञ्जन के पूर्व आकर अक्षर का निर्माण करता है, जबकि स्वर वर्णों के साङ्केतिक चिह्नो अर्थात् मात्राओं का प्रयोग वहाँ होता है, जहाँ स्वर किसी व्यञ्जन के पश्चात् आकर व्यञ्जनाक्षरों का निर्माण करता है, यथा—'आघा' में 'आ' स्वतन्त्र स्वराक्षर है, इसलिए उसके स्थान पर स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ है, जबकि 'घा' में भी 'आ' स्वर ही है, किन्तु वह घ् व्यञ्जन के अन्त में उच्चरित होकर व्यञ्जनाक्षर 'घा' का निर्माण करता है, इसलिए उसके स्थान पर स्वर वर्ण 'आ' का प्रयोग नहीं होकर उसके साङ्केतिक चिह्न अर्थात् मात्रा 'ा' का प्रयोग हुआ है।

अक्षरात्मक लिपि में स्वर वर्णों के साङ्केतिक चिह्न की ही तरह व्यञ्जन वर्णों के सयोगीरूप भी पृथक्-पृथक् होते हैं, यथा—क् के लिए क्, च् के लिए च्, प् के लिए प्, त् के लिए त् आदि। व्यञ्जन के साथ व्यञ्जन के सयोग में, पूर्व व्यञ्जन के लिए, इन संयोगी रूपों का प्रयोग होता है। अक्षरात्मक लिपि में स्वर वर्णों के साङ्केतिक चिह्न अर्थात् मात्राएँ यद्यपि अपने पृथक्-पृथक् नियमानुसार व्यञ्जन वर्णों के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सब ओर जुड़ती हैं, किन्तु उनसे सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति सदा व्यञ्जन के पश्चात् ही समझी जाती है। यही कारण है कि अक्ष-

रात्मक लिपि में अक्षरो की सङ्घट्टक ध्वनियों के पूर्वापर क्रम का निर्धारण मात्राओं के स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत वर्णात्मक लिपि में स्वरवर्णों के पृथक् सङ्केत होते ही नहीं, इस कारण उसमें प्रत्येक स्वर तथा व्यञ्जन के लिए पृथक्-पृथक् वर्णों का ही प्रयोग होता है। फलतः उसमें ध्वनियों के पूर्वापर क्रम का निर्वाह प्रायः यथावत् बना रहता है।

उपर्युक्त विवेचन के कारण ही वर्णात्मक लिपि में लेखन की इकाई वर्ण होता है और अक्षरात्मक लिपि में अक्षर। अक्षरात्मक लिपि में मात्राओं का विधान तथा व्यञ्जनों के संयोगी रूपों का विधान ही वस्तुतः वे मुख्य विवेचन हैं, जो उसकी वर्तनी को अक्षरात्मक रूप प्रदान करती हैं, साथ ही इन्हीं विवेचन के कारण वर्णात्मक तथा अक्षरात्मक लिपि की वर्तनी का स्वरूप भी परस्पर भिन्न हो जाता है।

हिन्दी की लिपि नागरी अक्षरात्मक लिपि है, इस कारण इसकी वर्तनी का भी स्वरूप अक्षरात्मक है। इससे भिन्न, अँगरेजी की लिपि रोमन वर्णात्मक है, इस कारण उसकी वर्तनी का स्वरूप वर्णात्मक है। वर्तनी के उक्त अक्षरात्मक और वर्णात्मक स्वरूप की भिन्नता को निम्नलिखित उदाहरणों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। यदि हम नागरी लिपि में, जिसका स्वरूप अक्षरात्मक है, 'चन्द्रिका' शब्द को वर्णात्मक वर्तनी में लिखें तो इसका रूप होगा—'च् अ न् द् र् इ क् आ'। अगर नागरी वर्णात्मक लिपि होती तो इसमें हिन्दी के चन्द्रिका शब्द की वर्तनी उपर्युक्त वर्णात्मक रूप में ही होती, जैसा कि रोमन में लिखित CHANDRIKA में पायी जाती है। किन्तु, नागरी चूँकि अक्षरात्मक लिपि है, इसलिए इसमें खण्डो शब्द 'च् अ न् द् र् इ क् आ' के आठ वर्ण-खण्डों में नहीं लिखा जाकर, 'चन्द्रिका' के कुल तीन ही अक्षर खण्डों में लेखवद्ध हो जाता है। ऐसा केवल नागरी के स्वर वर्णों के मात्रा-विधान तथा व्यञ्जन वर्णों के संयोगी रूपों के विधान के कारण सम्भव होता है। वर्णात्मक लिपि में उक्त दो बातें नहीं पायी जाती। इसीलिए उसमें अक्षरात्मक रूप का लेखन सम्भव नहीं हो सकता, जो रोमन की लेखन-पद्धति को देखकर सहज ही समझा जा सकता है। इसके विपरीत अक्षरात्मक लिपि का उपयोग वर्णात्मक लेखन के रूप में भी किया जा सकता है, जो नागरी के उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है। अक्षरात्मक तथा वर्णात्मक लिपि की वर्तनी के स्वरूप की मूलभूत भिन्नता यही है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अक्षरात्मक लिपि और उसकी वर्तनी, वर्णात्मक लिपि और उसकी वर्तनी में अविक विकसित दशा की लिपि और वर्तनी है।

वर्तनी की अनेकरूपता

किसी भी भाषा के लेखन में वर्तनी की अनेकरूपता को हम लेखन का सबसे-बड़ा दोष मान सकते हैं। इससे न केवल लेखन की शुद्धता को आँच आती है, अपितु यह अर्थबोध की सहजता और विवेचन की स्पष्टता को भी नष्ट कर देती है। यह भाषा के प्रकृत रूप की वैज्ञानिकता को दूषित करती है तथा उसके अध्ययन को जटिल बना देती है। इसलिए इसके परिहार का प्रयास प्रत्येक भाषा के प्रबुद्ध-लेखको का प्रधान कर्तव्य माना जाता है।

वर्तनी की अनेकरूपता का एक दूसरा पक्ष भी है। उस पर भी यहाँ सक्षेप-में प्रकाश डाल देना आवश्यक है। वर्तनी के स्वरूप-विवेचन के प्रसङ्ग में यह बताया जा चुका है कि वर्तनी की शुद्धता मुख्यतः शिष्ट उच्चारण की अनुरूपता पर निर्भर होती है। तात्पर्य यह कि हम शुद्ध वर्तनी उसे ही कह सकते हैं, जिसमें शिष्ट उच्चारण का अनुगमन हो। किन्तु भाषा में कभी-कभी कतिपय शब्द ऐसे भी मिलते हैं, जिनके शिष्ट उच्चारण में भी भिन्नरूपता श्रुतिगोचर होती है। उस स्थिति में वैसे शब्दों के सर्वमान्य शिष्ट उच्चारण का निर्धारण प्रायः दुष्कर-सा हो जाया करता है और तब वहाँ वर्तनी की अनेकरूपता एक स्वाभाविक अपरिहार्यता बन जाया करती है। यही कारण है कि सस्कृत-जैसी समृद्ध और अँगरेजी-जैसी विश्व-व्यापी भाषा का लेखन भी वर्तनी की अनेकरूपता से पूर्णतः मुक्त नहीं है। किन्तु, इससे वर्तनी की अनेकरूपता का औचित्य नहीं सिद्ध होता। वर्तनी की अनेकरूपता की उपस्थिति किसी भी भाषा के लेखन में, चाहे वह सस्कृत या अँगरेजी ही क्यों न हो, हितकर नहीं मानी जा सकती।

वर्तनी की अनेकरूपता के दोष से हिन्दी का लेखन भी ग्रस्त है, जो हिन्दी-लेखन के लिए एक ग्लानिजनक स्थिति है। इस विषय पर हिन्दी के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने विस्तार से प्रकाश डाला है, जिससे एतद्विषयक अनेक तथ्य सामने आये हैं। यहाँ हम उनमें से कुछेक के विचार सक्षेप में उपस्थित कर रहे हैं।

हिन्दी-वर्तनी की अनेकरूपता की चर्चा करते हुए आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि “हिन्दी वर्तनी में एकरूपता का अभाव बहुतेको खटकता है। वस्तुतः वह खटकने की चीज भी है, क्योंकि एकरूपता न रहने से यह सशय सदा बना रहता है कि कौन प्रयोग ग्राह्य है और कौन अग्राह्य। वर्तनी की अनेकरूपता के चलते सबसे अधिक उलझन उनको होती है जो भाषा सीखने का उपक्रम करते हैं। एक ही शब्द के विविध रूप भ्रम में डाल देते हैं और वे यह निर्णय नहीं कर

पाते कि किसे स्वीकार करना चाहिए। उसके चलते मुद्रण में भी कठिनाइयाँ होती हैं। जिस उलझन का अनुभव लिखने वाले को होता है, उसी का कम्पोजीटर को भी। वह अपनी धारणा के अनुसार किसी शब्द को एक रूप में कम्पोज कर भेजता है और प्रूफ देखने वाला जो सम्भवतः दूसरे रूप का आग्रही है, दूसरे रूप में संशोधन कर देता है। उदाहरणार्थ, यदि कम्पोजीटर ने 'चाहिये' कम्पोज कर दिया, तो प्रूफरीडर ने उमका संशोधन 'चाहिए' कर दिया। इसी तरह कोई 'जायगे' लिखता है तो कोई जायँगे, कोई 'जायेंगे' तो कोई जाएँगे। कभी-कभी 'जावेंगे' लिखने वाले भी मिल जाते हैं। यदि इन पर अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु के प्रयोग-विकल्प को सामने रखें, तो नौ-दस रूप हो जाते हैं। एक व्यक्ति 'गयी' लिखता है तो दूसरा 'गई'। जहाँ 'गये' लिखा जाता है, वहाँ 'गए' भी। लेखन की यह अनेकरूपता निश्चय ही ग्लान्य नहीं कही जा सकती।^१

इस विषय को और अधिक विस्तार देते हुए डॉ० कामेश्वर गर्मा ने लिखा है कि "हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो अतिशय ध्वन्यात्मक मानी जाती है। इसलिए इस लिपि में वर्तनी की विविधता जिस हद तक कयामत ढा सकती है, उस हद तक किसी और लिपि में नहीं। 'शंकर' को 'संकर' लिख देने मात्र से अनर्थ हो जा सकता है, अवट्टर शिव भी अपना तीसरा नेत्र खोलने को बाध्य हो जा सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी में कई शब्दों के अनेक रूप उपलब्ध हैं—रखा—रखवा, दीखते—दिखते, दुख—दुख, पहिले—पहले, पढिये—पढिए, नयी—नई आदि ऐसे हजारों शब्द हैं, जो बडतले से प्रयुक्त हैं। उस दिन कोरिया में युद्ध का नगाडा बजा, मेरे एक तमिल-भाषी मित्र और सहयोगी ने हिन्दी के कई पत्र खरीदे। एक पत्र में छपा था—'दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया का आक्रमण', दूसरे में छपा था—'दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया की चढाई' और यह रहा तीसरा—'इन दोउन राह न पाई' का फतवा देता हुआ अपनी डफली बलग बजा रहा था—'द० कोरिया पर उ० कोरिया का घावा'। चलो छुट्टी, द० के लिए दक्षिण अर्थ लो या दक्षिणी, दक्खिन या दक्खिनी। एक पत्र दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम 'सिगमन री' बतला रहा है, दूसरा 'सियोगमन र्ही'। दक्षिण कोरिया की राजधानी तो एक ही रही होगी, पर ज़रा इन पत्रों की ओर देखिये तो 'सिऊल', 'सियोल', 'स्योल' और 'सिबोल' आदि छपे हैं, रेडियो एक पाँचवाँ नाम रट रहा है—'साऊल'। आज भी हिन्दी के पत्रों पर सरसरी निगाह दी जाइये—आप कह नहीं सकते कि 'कम्युनिस्ट' या 'कम्यूनिस्ट', 'चीन' या 'चाइना' का अधिकार

१ दे० ना० श०, रा० हि० स० स०, पृ० ६६।

‘फरमोसा’ पर होना चाहिये कि ‘फारमोसा’ या ‘फोरमोसा’ पर। और यह ‘री’ महोदय आखिर क्या हैं ? ‘प्रोसिडेण्ट’, ‘प्रोसीडेण्ट’ या ‘प्रोजिडेण्ट’ ? क्या आप बता सकते हैं कि ‘ट्रूमैन’, ‘ट्रूमन’ और ‘ट्रमैन’ एक ही व्यक्ति का नाम है या तीन का ? रूस का सर्वोसर्वा ‘स्टालिन’ था कि ‘स्तालिन’ ? यह रूस, ‘सोवियट’ है कि ‘सोवियत या ‘सोभियट’ ? दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र है ‘अमेरिका’ कि ‘अमरिका’ या ‘अमरीका’ ? इंग्लैंड की राजधानी ‘लंडन’ है कि ‘लदन’ या ‘लण्डन’ ? प्रयाग हमारा पवित्र तीर्थस्थान है, तो ‘इलाहाबाद’, ‘अलाहाबाद’ या ‘एलाहाबाद’ किस-किस लोक में है ? केरल, केरल है कि ‘केराला’ कि ‘कराला’ ? केरल की राजधानी ‘तिरुवाकुर’ है कि ‘त्रावणकोर’, ‘त्रावनकोर’ या ‘ट्रावनकोर’ ? हिन्दी पत्रों को पढ़िये तो यह विविधता हैरान कर देनेवाली सिद्ध होगी। ‘हिन्देशिया’ के भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम है ‘सुकर्ण’ और ‘इण्डोनेशिया’ के राष्ट्राध्यक्ष का नाम है ‘स्योकारनो’। जमशेदपुर को बसाया था ‘टाटा’ ने और वहाँ लोहे का कारखाना खोला था ‘ताता’ ने। किंबहुना—रूस और चीन के प्रधान मंत्रियों के नाम तो दूर, भारत के मंत्रियों के नाम की वर्तनी में एकरूपता नहीं मिलती। शब्दों के अधिकृत उच्चारण उनके परिनिष्ठित रूप तथा उनसे सम्बन्धित स्वीकृत शब्दकोश के अभाव में वक्ताओं की स्वाभाविक भिन्नता तथा स्वच्छन्दता आज अराजकता का रूप धारण कर रही है। वस्तुतः, उच्चारण की त्रुटियाँ ही (नागरी लिपि की ध्वन्यात्मकता के कारण) हिन्दी में वर्तनी की त्रुटियों के प्रमुख कारण हैं।”

वर्तनी की अनेकरूपता केवल हिन्दी में पायी जाती है, अन्य भाषाओं में नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि ‘वर्तनी या लेखन की अनेकरूपता की चर्चा दो दृष्टियों से की जाती है—एक तो हिन्दी की अवैज्ञानिकता दिखाने के लिए और दूसरे सद्भावपूर्ण सुधार के लिए। वर्तमान समय में अधिकतर लोग पहली श्रेणी के ही मिलते हैं, जो सदा हिन्दी की आलोचना का अवसर ढूँढने को उत्सुक रहते हैं। उनके सन्तोष और समाधान के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि यह अनेकरूपता एकमात्र हिन्दी की ही विशेषता या त्रुटि नहीं है। जो लोग हिन्दी की निन्दा के लिए अवसर ढूँढते रहते हैं, उन्हें या तो दूसरी भाषाओं का ज्ञान नहीं है या जानबूझकर उस ओर से आँखें फेर लेते हैं। ऐसे लोगों में अंग्रेजी के समर्थक भी हैं, इसीलिए कुछ अंग्रेजी की वर्तनी की चर्चा अप्रासंगिक न होगी।

अंग्रेजी की वर्तनी नितान्त दोषपूर्ण और अवैज्ञानिक है, इसमें आज तक दो रायें नहीं हुईं । स्वयं अंग्रेजों ने भी इसे निःसंकोच स्वीकार किया है । अंग्रेजी ध्वनि-विज्ञान की शायद ही कोई पुस्तक मिलेगी, जिसमें अंग्रेजी वर्तनी की दोषपूर्णता का उल्लेख न किया गया हो । कुछ लेखकों ने तो बड़े उग्र शब्दों में इसकी भर्त्सना की है । यहाँ चूँकि अनेकरूपता का प्रसंग है, इसलिए यह देख लेना अच्छा होगा कि वह दोष अंग्रेजी में है या नहीं और यदि है तो कितना है । वात यह है कि अंग्रेजी के हजारों शब्दों का उच्चारण बदल गया, किन्तु उनकी वर्तनी आज भी वही है, जो आज से शताब्दियों पहले प्रचलित थी । उदाहरणार्थ, Daughter, Laugh, Eight, Through, Thought, Though, Neighbour, Thorough आदि शब्दों को ले लें । इनके आज के उच्चारण और वर्तनी में कितना अन्तर पड़ गया है ! इसका कारण यह है कि पहले ये शब्द जिस रूप में बोले जाते थे, उसी रूप में लिखे जाते थे । आज उनके लिखने का रूप तो वही रह गया है, किन्तु उच्चारण बदल गया है । उच्चारण और लिखने का यह भेद हिन्दी के कितने शब्दों में मिलता है ।

देश-भेद, काल-भेद, उच्चारण-भेद से एक शब्द के अनेक रूप हो जाना विलकुल स्वाभाविक है । दूसरी बात यह है कि उच्चारण का यथावत् अकन किसी भी लिपि के लिए सम्भव नहीं है । लिपि में उच्चारण को निकटतम रूप में अंकित करने की चेष्टा की जाती है, मगर वह रूप निकटतम ही है, विलकुल वही नहीं । अतः जहाँ उच्चारण में भेद होता है, वहाँ लेखन (वर्तनी) में भेद अनिवार्य हो जाता है । अक्सपियर के समय में अंग्रेजी वर्तनी का कोई रूप निश्चित नहीं था । स्वयं अक्सपियर अपना नाम विभिन्न रूपों में लिखा करता था । मिल्टन सर्वनामों के प्रयोग में बल की विभिन्न मात्राओं को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न वर्तनियों से काम लेता था, जैसे—Me और Mee, She और Shee, Ye और Yee । इस युग में कोई Many लिखता था तो कोई Manie । कहीं—less का प्रयोग होता था तो कहीं—les का, कहीं—ness का तो कहीं—nes का । सेमुअल जॉनसन के Dictionary of the English Language, (१७५५ ई०) में एक शब्द के अनेक रूप उल्लिखित हैं, जैसे—Moveable किन्तु immovable; downhill किन्तु uphill, distil किन्तु instill, install, किन्तु reinstal, sliness किन्तु slyly, interior और interieur किन्तु exterior और Posterior । ये विकल्प आज भी लुप्त नहीं हो गए हैं । ऑक्सफोर्ड में abridgement, acknowledgement और judgement प्रयोग प्रचलित हैं तो केम्ब्रिज में abridg-

ment, acknowledgment और judgment । इन विभिन्न प्रयोगों को देख कर किसी अन्य भाषा-भाषी का भ्रम में पड़ना अनिवार्य है । इसी तरह कुछ लोग biased लिखते हैं तो कुछ लोग biassed, कुछ focusing तो कुछ focussing । इंग्लैंड और अमेरिका की वर्तनी में जो अन्तर हो गया है, उससे सभी अंग्रेजी शब्द परिचित हैं । जैसे इंग्लैंड में Programme, dialogue, Centre, labour, traveller, आदि प्रयोग चलते हैं तो अमेरिका में Programe, dialog, center, labor और traveler । Full और fill में दो 'l' तो fulfil में एक रह जाता है, fulfillment में कोई दो 'l' लिखता है तो कोई केवल fulfilment । हम हिन्दी-भाषियों के लिए यह तय करना बहुत कठिन है कि इसमें किमको अपनाएँ । कहीं fantasy लिखा मिलता है तो कहीं Phantasy । कुछ ही दिन पहले तक horror, terror, music, physic, chemical आदि शब्द horroure, terrour, musick, physick, chymical लिखे जाते थे । किस क्रिया में -ise लगता है और किस में -ize, इसके निर्धारण का कोई आधार नहीं है । ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और टाइम्स (समाचार-पत्र) जहाँ एक ओर apologize, realize, characterize, economize, sympathize, organize, authorize, civilize, fertilize, nationalize, scrutinize, galvanize आदि प्रयोगों को स्वीकार करते हैं तो दूसरी ओर वे ही निम्नलिखित शब्दों को -ise से लिखते हैं—apprise, comprise, enterprise, surprise, devise, improvise, supervise, despise, disguise, surmise । ये कतिपय उदाहरण केवल यह दिखाने के लिए दिये गए कि वर्तनी की अनेकरूपता केवल हिन्दी की ही विशेषता नहीं है, वह उस भाषा में भी विद्यमान है, जिसकी वैज्ञानिकता का उद्घोष करने में इस देश के बहुत सारे लोग अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा रहे हैं । इसे पृष्ठभूमि में रखकर देखने पर हिन्दी की वर्तनी की अनेकरूपता किसी को नहीं खटकनी चाहिए ।^१

और तो और, वर्तनी की अनेकरूपता से संस्कृत भी मुक्त नहीं है । 'संस्कृत भाषा की, और विशेषतः पाणिनीय व्याकरण की वैज्ञानिकता सर्वसम्मत है, किन्तु वहाँ भी एक शब्द के अनेक रूपों की स्वीकृति दीखती है । जैसे, संस्कृती, संस्कृती, संस्कृती, संस्कृती । इनमें 'त' के वैकल्पिक द्वित्व को छोड़ दें और एक 'त' का प्रयोग करें तो उपर्युक्त चार रूप आठ बन जाएँगे । इस तरह एक संस्कृती शब्द आठ विभिन्न प्रकारों से लिखा जा सकता है और ये सभी प्रयोग पाणिनि-सम्मत

है। इसी प्रकार पु स्कोकिल, पुँस्कोकिन दोनो प्रयोग शुद्ध हैं। एक ही वाक्य तीन प्रकार से लिखा जा सकता है—नृँ.पाहि, नृ .पाहि और नृन्याहि। सत्गम्भुः की सन्धि चार रूपो मे हो सकती है अर्थात् उसे चार प्रकार से लिख सकते हैं—सञ्च्छम्भु, सञ्चगम्भु, सञ्छम्भु और सञ्गम्भु। अर्क-अर्क, ब्रह्मा-ब्रह्म्मा, कर्म-कर्म, शय्या-शय्या आदि दोनो प्रयोग माधु हैं। वैसे ही अप्सरा, अप्सराः तथा अप्सरा तीनों मे जो चाहिए लिखिये। सुधी उपास्य, सुध्युपास्य, मुध्युपास्यः तथा सुद्धयुपास्य. ये चारो सन्धि-रूप व्याकरण-सम्मत हैं, लेखक अपनी इच्छा मे जिसका प्रयोग चाहै कर सकता है। आप वाग्दरि और तद्दवि. भी लिख सकते हैं और वाग्हरि और तद्दहवि भी। सन्धि और कुछ नहीं, उच्चारण की सुविधा के अनुसार किया गया वर्ण-विकार है और चूँकि वह वर्ण-विकार कई रूपो मे हो सकता है, इसलिए उच्चारण के अनुकूल उमके लिखने के भी अनेक रूप हो जाते हैं। मस्कृत के सन्धि-प्रकरण से ऐसे सँकडो उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनमे एक ही शब्द के अनेक रूपों की स्वीकृति पायी जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि लेखन पर उच्चारण का प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव सभी भाषाओं मे देखा जा सकता है। अग्रे जी और मस्कृत के उगरिनिदिष्ट प्रयोगो को देखने पर हिन्दी की वर्तनी की अनेकरूपता खीन्नने की वस्तु नहीं रह जाती।^१

उपर्युक्त विवेचन का यह तात्पर्य नहीं कि हम हिन्दी-वर्तनी की अनेकरूपता का समर्थन करें। निश्चय ही वर्तनी की अनेकरूपता किसी भी भाषा के लिए स्वाभाविक होने पर भी साधक नहीं वाचक ही मानी जायगी। यह सही है कि वर्तनी मे अनेकरूपता का होना अस्वाभाविक या आश्चर्यकर नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भाषावैज्ञानिक कारण है। पर भ्रम या मशय की स्थिति उत्पन्न न हो और भाषा मे अविक से अविक सरलता बनी रहे, इस दृष्टि से अविक अभ्यहित एक-रूपता का पक्ष ही माना जायगा, अनेकरूपता का नहीं। अत वाञ्छनीय यह है कि जहाँ तक सम्भव हो, अनेकरूपता को दूर करने का प्रयत्न किया जाय।



अध्याय

: १५

हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण का ऐतिहासिक विवेचन

सामान्य परिचय —

हिन्दी-वर्तनी की अनेकरूपता की ओर विद्वानों का ध्यान उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से ही आकृष्ट होने लगा था। फलतः तभी से इसके स्वरूप के प्रतिमानीकरण की दिशा में प्रयत्न भी होने लगे थे।

प्रारम्भ में 'काशी पत्रिका', 'वैष्णव पत्रिका', 'बिहार बन्धु', 'हिन्दी बङ्ग वासी' आदि भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों तथा कतिपय अन्यान्य विद्वानों के बीच सर्वप्रथम इस बात को लेकर विवाद चला था कि हिन्दी में विभक्तियों (परसर्गों) को शब्दों से हटाकर लिखना चाहिए या सटाकर। उस विवाद से प्रासङ्गिक रूप में, हिन्दी-वर्तनी के कतिपय अन्य प्रश्नों पर भी प्रकाश पड़ा था। सन् १८८६ ई० में पटने के क्षत्रधारी सिंह ने 'लेखनियम' नाम की एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने उक्त विषय पर उस समय तक हुए विवाद का सारांश सङ्कलित करते हुए उस पर अपना भी निर्णय दिया था।

हिन्दी-वर्तनी विषयक उपर्युक्त विवाद में देश के जिन तत्कालीन विशिष्ट विद्वानों ने भाग लिया था, उनमें भागलपुर के प० अम्बिकादत्त व्यास का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। व्यास जी का कलकत्ते के 'हिन्दी बङ्गवासी' के सम्पादक के साथ उपर्युक्त विषय पर जम कर विवाद हुआ था। इस प्रसङ्ग में उन्होंने देश के प्रायः सभी तत्कालीन लब्धप्रतिष्ठ हिन्दी विद्वानों के पास पत्र भेजकर उनकी सम्मति माँगी थी, जिनमें से अधिकांश ने व्यास जी के मत का ही समर्थन किया था। सन् १८९० ई० में व्यास जी ने 'विभक्ति-विभाग' नाम की एक पुस्तिका भी प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने उक्त विवाद के दोनों पक्षों के तर्कों को अविकल रूप में सङ्कलित किया था।

उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होते-होते हिन्दी-वर्तनी सम्बन्धी अनेकरूपता विषयक विवाद पर्याप्त जोर पकड़ चुका था और विद्वानों के बीच उनके प्रायः सभी पक्षों पर सोचने-विचारने की शुरुआत हो चुकी थी। उन दिनों काशी की नागरी प्रचारिणी सभा ने हिन्दी-वर्तनी तथा व्याकरण सम्बन्धी कतिपय प्रश्नों पर देश के अधिकारी विद्वानों की सम्मति एकत्र करने तथा उसी आधार पर अपना निर्णय देने के उद्देश्य से सन् १८९८ ई० में एक उपसमिति का सङ्घटन किया था। बाद में उस समिति के अभिस्तावों को सभा ने भी स्वीकार कर लिया था तथा उन्हें सभा के वर्तनी विषयक निर्णय के रूप में सन् १९०० ई० में सर्वप्रथम हिन्दी में, और फिर कुछ अधिक स्पष्टता और विस्तार के साथ सन् १९०२ ई० में अँगरेजी में प्रकाशित किया था।

उन्ही दिनों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अपनी 'सरस्वती' के माध्यम से खड़ी हिन्दी के स्वरूप के साथ ही माथ उसकी वर्तनी के स्वरूप को भी स्थिर करने की दिशा में प्रयत्नशील थे। वस्तुतः यह उनका तथा उनके युग के महान लेखकों, कवियों, समीक्षकों, पत्रकारों तथा वैयाकरणों के अथक प्रयत्नों का ही परिणाम था कि बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण के समाप्त होते-होते हिन्दी भाषा तथा वर्तनी, इन दोनों के स्वरूप में बहुत कुछ स्थिरता आ गयी थी। उस युग में पं० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, तथा पं० कामता प्रसाद गुरु जैसे गम्भीर वैयाकरणों, गुप्त एवं हरिऔध प्रभृति कवियों तथा पं० रामचन्द्र शुक्ल एवं दाबू श्याममुन्दर दाम जैसे समीक्षकों ने अपनी सन्तुलित लेखनी से हिन्दी भाषा और साहित्य के साथ ही साथ हिन्दी-वर्तनी के स्वरूप को भी मर्यादित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। यही कारण था कि द्विवेदी-युग के पश्चात् छायावाद युग के आते-आते हिन्दी-वर्तनी के स्वरूप में बहुत कुछ निखार एवं स्वच्छता आ गयी।

आगे चलकर जैसे-जैसे साहित्य की विविध विधाओं का विकास होता गया और लेखकों एवं कवियों की संख्या में वृद्धि होती गयी, वर्तनी के क्षेत्र में शनैः शनैः पुनः अनेकरूपता एवं अराजकता बढ़ने लगी। इसका एक कारण तो हिन्दी का देश के व्यापक क्षेत्र में प्रचार एवं प्रसार पाना था और दूसरा कारण लेखकों में भाषा-लेखन की शुद्धता एवं वैज्ञानिकता के प्रति जागरूकता का अभाव था। यह स्थिति धीरे-धीरे जब अधिक जटिल होने लगी तो कुछ पत्र-पत्रिकाओं, यथा— 'कल्पना', 'हिन्दुस्तानी', 'हिन्दी अनुशीलन', 'परिपद-पत्रिका', 'भाषा', आदि ने पुनः इस विषय की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। 'कल्पना' ने विशेष विवाद में न पड़कर, अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने लिए एतद्विषयक एक

स्वतन्त्र नीति निर्धारित करली, जिसपर वह आज भी चल रही है। उन्ही दिनों अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-सङ्घ ने श्री देवराज के सयोजन में एक उपसमिति सङ्घटित की, जिसके सुझावों का प्रारूप सन् १९६० ई० में प्रकाशित हुआ। उस प्रारूप पर देश के अनेकानेक विद्वानों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आयी।

उन्ही दिनों भारतीय हिन्दी-परिषद् का भी ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट हुआ था, जिसके फलस्वरूप आनन्द-अधिवेशन में इस विषय पर सुझावों का एक प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ० रघुवश के सयोजन में एक समिति सङ्घटित की गयी, जिसके सदस्य डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० माताप्रसाद गुप्त तथा डॉ० हरदेव बाहरी थे। उस समिति के सुझावों का प्रारूप सन् १९६१ ई० में प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय का भी वर्तनी-विषयक निर्णय प्रकाश में आया। तब से अध्यावधि भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओं में देश के अनेकानेक विद्वानों के विचार एवं प्रतिक्रियाएँ छिटपुट रूप में प्रकाशित होती रही हैं। किन्तु अभी तक हिन्दी-वर्तनी का कोई एक ऐसा मानक रूप निर्धारित नहीं हो पाया है जो सर्वमान्य हो।

आज प्रकाशक वर्ग अपने सङ्घ की मान्यताओं के अनुसार, सरकारी कार्यालय शिक्षा-मन्त्रालय के निर्णयों के अनुसार तथा हिन्दी-लेखकों में से कुछ 'हिन्दी परिषद्', कुछ 'सभा', कुछ 'कल्पना', कुछ 'प्रकाशक सङ्घ' एवं अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार हिन्दी-वर्तनी का प्रयोग करते हैं, जबकि शेष अधिकांश लोग वर्तनी की एकरूपता अथवा वैज्ञानिकता से लापरवाह होकर हिन्दी के लेखन, टङ्कन एवं मुद्रणादि सभी में हिन्दी-वर्तनी को मनमाना रूप दे रहे हैं। फलतः हिन्दी-लेखन के क्षेत्र में वर्तनी की जैसी अनेकरूपता एवं अराजकता आज दृष्टिगोचर हो रही है, वैसी पहले कभी नहीं थी। यह स्थिति हिन्दी के वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से नितान्त घातक है। इस स्थिति से हिन्दी की रक्षा का एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि अबतक भिन्न-भिन्न विद्वानों, संस्थाओं तथा सरकार की ओर से हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण के लिए जितने सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं, उन सबको एक साथ सामने रखकर इस विषय के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के विद्वान एक साथ उच्चारण, परम्परा, सुविधा तथा वैज्ञानिकता, सभी दृष्टियों से तटस्थ रूप में विचार करें और उनमें से सर्वमान्य अंशों का समन्वयात्मक पद्धति से चयन करके पारस्परिक सहमति से हिन्दी-वर्तनी के एक ऐसे मानक रूप का निर्धारण करें, जो प्रायः सबके लिए मान्य हो तथा जिसके प्रयोग को सबके लिए सभी क्षेत्रों में अनि-

वार्य करार दिया जा सके । किन्तु यह महत् आयोजन सरकार या किसी बड़ी संस्था के द्वारा ही सम्भव है ।

यहाँ पाठको की जानकारी के लिए हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण के सम्बन्ध में प्रारम्भ से लेकर आज तक के सारे विवादों, सुझावों तथा निर्णयों के उल्लेख्य अंश ऐतिहासिक क्रम से अविकल रूप में उपस्थित किये जा रहे हैं ।

बाबू क्षत्रधारी सिंह का 'लेखनियम'

'लेखनियम' सन् १८८४ ई० में खड्गविलास प्रंस, वाँकीपुर से प्रकाशित हुआ था । यह कोई स्वतन्त्र कृति नहीं थी । इसे 'साधारण लोगों का हित विचार 'काशीपत्रिका', 'वैष्णवपत्रिका' आदि से बाबू क्षत्रधारी सिंह ने संग्रह किया' था । यह कुल १५-१६ पृष्ठों की लघु पुस्तिका थी, जिसका मूल्य मात्र दो आने रखा गया था । फिर भी, इससे हिन्दी-वर्तनी सम्बन्धी अनेक प्रश्नों पर तत्कालीन विद्वानों के मत-मतान्तरों का समुचित परिचय मिल जाता है । इसी दृष्टि से हम यहाँ विवेच्य पुस्तक के कुछ उल्लेख्य अंश को जिज्ञासुओं के अवलोकनार्थ अविकल रूप में उपस्थित कर रहे हैं । बाबू क्षत्रधारी सिंह ने पुस्तक का प्रारम्भ करते हुए लिखा था —

“ 'विहार वन्दु' के सम्पादक महाशय ने हमें एक चिट्ठी लिखी है जिसका अभिप्राय यह है कि लिखने का कोई नियम होता तो अच्छा था ।

समझना चाहिये कि संस्कृत सी भाषा और देवनागरी सी लिपि आज ब्रह्माण्ड में ढूँढने से भी न निकलेगी । इसकी इतनी प्रतिष्ठा इसी कारण से हुई कि जो इसमें लिखा जाता है वही पढा जाता है और अर्थ में कोई अनर्थ कदापि नहीं निकलता । वस यह गुण इसी भाषा और लिपि का माना गया है । यद्यपि इस भाषा और लिपि का देहान्त हुए बहुत दिन हो चुके थे तथापि ईश्वर की कृपा से अँगरेजी राज्य की सुवावृष्टि सी पाकर कुछ-कुछ हरी हो चली है । अब इसकी अनुवादक हिन्दीभाषा के समाचारपत्र और पुस्तकें जो छपती हैं उनमें से इस लिपि का वह गुण भी नष्ट होता जाता है । कोई किसी शब्द को विभक्ति के साथ लिखता है, कोई शब्द और विभक्तियों में अन्तर देता है । कोई एक शब्द को तालव्य शकार से लिखता है, कोई उसे दन्त्य बनाकर शुद्ध ठहराता है । कोई किसी शब्द को केवल स्वर से लिखकर कृतकृत्य हो जाता है, कोई उसी में य व्यंजन भी मिला देता है । बहुतेरे इकारान्त अपभ्रंश अकारान्त कर लेते हैं दूसरे उसी को

संस्कृत की रीति पर लिखते हैं। इसी प्रकार अब इस लिपि में कोई नियम नहीं रहा कि कौन शब्द कैसे लिखा जाय। सक्षेप जब ऐसा ही ठहरा तो इस बिचारी फारसी लिपि ने क्या अपराध किया था कि जो दण्डनीय समझकर यहाँ से निकाली जाती है। कुछ काल में यही दशा हिन्दी की भी हो जाय इस कारण आगे के लिए कोई नियम रहने के निमित्त सबको प्रयत्न करना उचित है, क्योंकि अभी यह मिट्टी के कच्चे वासन के समान है। जैसा संस्कार इस समय में हो वह अमिट रहेगा। कहा है 'यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्' नहीं तो ऐसा न हो कि सोच हाथ रहे और समय निकल जाय।"

बिहारबन्धु-सम्पादक के पत्र में पहले इस बात के विषय में लिखा है कि शब्दों को विभक्तियों के साथ मिलाकर लिखना अथवा नहीं? हमारी समझ में इसका उत्तर यही आता है कि नहीं, शब्दों के साथ विभक्तियों को मिलाकर कदापि लिखना न चाहिये, क्योंकि विभक्तियों के कारण न तो शब्द में कोई आदेश अर्थात् विकार होता न विभक्तियों में किसी अक्षर की अदल-बदल होती है, तो फिर क्यों एक में लिखें। जहाँ शब्द अथवा विभक्ति में परस्पर संयोग होने के कारण कुछ विकार होता है वहाँ अवश्य शब्द और विभक्ति दोनों मिलाकर लिखते हैं, जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम को कर्म, सम्प्रदान और सम्बन्ध कारक की विभक्तियों के कारण आदेश होता है। कर्म के चिह्न 'को' को 'एँ' और सम्प्रदान के चिह्न 'के लिये' के 'क' को 'रे' और सम्बन्ध के चिह्न 'का' को 'रा' से बदलकर हमें, हमारे लिये और हमारा बना लिया। ये तीनों विभक्तियों के साथ लिखे जाते हैं। इस से सिद्ध हुआ कि शब्द और विभक्ति के मिलाने वा अलग लिखने का तत्व इतना ही है कि जो विभक्तियों के कारण शब्द वा विभक्ति में किसी को कुछ आदेश किया जाय तो अवश्य दोनों एक में लिखे जायें, नहीं तो नहीं। यद्यपि श्रीयुत राजा शिव प्रसाद सी० एस० आई० कृत (हिन्दी व्याकरण) इस नवीन अद्भुत व्याकरण के मत से सम्बन्ध का चिह्न शब्द के साथ लिखना चाहिये क्योंकि ६ प्रकार के व्यक्तिवाचक में से सम्बन्ध सम्बन्धवान मिलकर एक प्रकार का व्यक्तिवाचक होता है, तो भी आदेश न होने के कारण अलग लिखना उत्तम है, क्योंकि और कारकों की विभक्तियों को इस मत वाले भी अलग ही लिखते हैं और सम्बन्ध के चिह्न को भी कुछ न कुछ अन्तर देते ही हैं। यह बात और भी दो प्रमाणों से सिद्ध हो सकती है (१) समास में शब्द सब एक में मिलाकर लिखे जाते हैं परन्तु जहाँ-जहाँ विभक्तियाँ आकर निकल जाती हैं वहाँ कुछ न कुछ अन्तर शब्दों के बीच रखते ही हैं नहीं तो रामजीवन को कोई राम जी वन न पढ़ले और अर्थ समझे कि राम जी

वन मे गये अथवा रामजी का जगल । (२) देखो संस्कृत मे विभक्तियाँ मिलाकर शब्द लिखते हैं, कारण यही है कि विभक्तियों के आने से कुछ न कुछ किसी न किसी को प्रत्येक शब्द मे आदेश हो ही रहता है और इसके सिवाय सवियाँ भी अवश्य होती है, इस कारण शब्द और विभक्ति दोनो मिलकर एक रूप हो जाते हैं फिर उन्हे एक मे वयो न लिखें ।

पहले हम लिख चुके हैं कि जब कोई आदेश होता है और शब्द के साथ विभक्ति मिलकर दोनो एक वचन बन जाते हैं तो अवश्य उन्हे एक मे मिला कर लिखते हैं । अब इसी क्रम के अनुसार इस बात को लिखते हैं कि बहुधा लोग सजा और क्रिया दोनो मे व्यञ्जन को सयुक्त करके लिखते हैं, जैसे उस्का, इस्मे, जिस्को, सक्ता है, वक्ता है, इत्यादि । हमारी समझ मे यह रीत अच्छी नही है, क्योंकि इन्ही के बहुवचन मे उनका, इनमे, जिनको, इत्यादि लिखने मे नकार को 'का, मे और को' के साथ मिलाकर नही लिखते । सोचना चाहिये कि वह, यह, और जो को बहुवचन मे जब आदेश हो तब पहले व्यञ्जन मे 'का, मे, को' न मिले और पहला 'न' नहल् हो, तो इन्ही वह यह और जो के एकवचन के समान आदेश मे पहला व्यञ्जन 'का, मे, को' से वयो मिले और स वयो हल् हो ?

इसी प्रकार 'सकना' 'वकना' दो धातु है । सब धातुओ मे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया बनाने का एक ही नियम है कि धातु के चिह्न 'ना' को 'ता' बनाकर उसके आगे 'है' लगा देते हैं, जैसे 'सकता है' 'वक्ता है' इसके सिवाय शक्ति के अर्थ मे 'सक्ता' और बोलने के अर्थ मे 'वक्ता' की भाँति क्रिया मे भी यदि 'क' और 'त' मिला के लिखा जाय तो फिर दोनो के अर्थ मे लोगो को कैसा भ्रम होगा । ऐसे ही 'करता' है वर्तमान काल की क्रिया को कितने लोग 'कर्ता' की तरह लिखते हैं समझने की बात है कि 'करता है' 'करना' धातु के 'ना' को 'ता' करके 'है' लगा देने से बना है, तो जब पहले ही से 'र' और 'ना' अलग अलग हैं तो अब किस नाते मिलाये जायँ । यदि इन दोनो शब्दो को एक ही भाँति लिखे तो लिपि-नियम न रहने से आकाश और पाताल का अन्तर मिट जायगा और अर्थ मे भी अनर्थ निकलेगा । देखो इसीलिये हिन्दी वालो ने हिन्दी शब्दो के बीच विशेष करके हल् का चिह्न ही नही माना और कदाचित् लगाते भी हैं, तो भाषान्तर के शब्दो मे लगाया करते हैं ।

'विहारखब्बु' के १२ वें नम्बर मे जो हमारे मत का खण्डन छपा था उसके उत्तर मे हमे कुछ लिखना पडता है । पद-विभाग की रीति जो इस समय बहुधा सरकारी पुस्तक और पत्रो मे प्रचलित है किसी न किसी बडे प्रयोजन से निकली

होगी। इसके बरतने का कोई न कोई नियम भी अवश्य बाँधा गया होगा। क्योंकि सरकारी राज के पहले जबतक यहाँ वालों ने छापने की युक्ति नहीं देखी सीखी थी, बराबर सहिता की रीति पर पद-विभाग का ध्यान न रखकर सबको एक ही साथ मिलाकर लिखते थे। डेढ़ वा दो सौ बरस की लिखी हुई पुस्तक के देखने से यह बात भली भाँति सिद्ध हो सकती है। इसके सिवाय जो लोग अँगरेजी स्कूल और पाठशाला से सम्बन्ध नहीं रखते वे अवश्य अबतक भी उसी अन्धपरम्परा पर चले जाते हैं।

एक में मिला के वा अन्तर देकर शब्दों के लिखने में कुछ न कुछ नियम अजस्य पूछा जायगा और वह आदेश छोड़कर दूसरा क्या ठहरेगा, क्योंकि सधि का अर्थ मेल-मिलावट है और इस सन्धि का प्रयोजन तभी पडता है जब अक्षरों में कुछ अदल-बदल होती है।

हमारे सम्पादक महाशय यदि सावधान होकर केवल विभक्ति शब्द के अर्थ पर भी ध्यान देते तो सहज में जान लेते कि आदेश बिना हुए विभक्ति किसी शब्द में नहीं मिलती। क्योंकि वि पूर्वक भञ् धातु से करण में क्तिन् प्रत्यय है और विग्रह उसका इस प्रकार करते हैं कि 'विभज्यन्ते अनया इति विभक्तिः।' यदि भाव में प्रत्यय माने तौ भी विभाग ही का अर्थ होगा। अच्छा इसे भी जाने दो। अब यह कहो कि क्यो अगले पद में पिछले शब्द को मिलाकर नहीं लिखते, विभक्ति को तो विभाजक मानते ही नहीं? प्राय सब शब्दों और धातुओं का शुद्ध रूप कर्त्ता कारक और विधि के एक वचनो में देख पडता है इस कारण नदियाँ तो आप कर्त्ता के बहुवचन में दीर्घ ईकार पर ह्रस्व इ आदेश और याँ वढाने से बना है और व्याकरण में सत्कृतप्रवृत्ति के लिए एक न्याय है कि जिस अक्षर में किसी सूत्र से एक बार आदेश हो चुका फिर उस सूत्र से उसी वर्ण पर आदेश नहीं होता, परन्तु महाशय 'याँ' पर 'यो' आदेश करते हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि यह आदेश वचन-प्रयुक्त है विभक्ति के कारण नहीं हुआ। यही दशा सर्वनामों की भी समझनी चाहिये।

संस्कृत में ऐसा कही होता ही नहीं कि सयोग होने पर विभक्ति और शब्द में से किसी को कुछ विकार न हो।

अब एक बड़ी विचित्रता है कि महाशय राम में विसर्ग को राम के साथ मिला हुआ बतलाते हैं। यह तो संस्कृत के छोटे विद्यार्थी भी जानते हैं कि विसर्ग अपने रूप में किसी से नहीं मिलता क्योंकि कौमुदी में लिखा है कि अ अ इत्यच. परावनुस्वार विसर्गाः।

प्रत्यय निश्चय को कहते हैं और यह प्रतिपूर्वक अय् धातु से बना है। फिर विभक्ति और प्रत्यय के अर्थ में अन्तर क्यों न होगा? प्रत्यय कर्ता, कर्म और भाव आदि अनेक अर्थ में होते हैं और विभक्तियाँ आठों कारकों ही में होती हैं। क्रिया में कारक नहीं होता। इस कारण इन सभी के नियम भिन्न-भिन्न रहते हैं।

सोचने की बात है कि बहुधा लोग इस पर भली भाँति ध्यान नहीं देते कि जहाँ 'य' व्यञ्जन सहित 'ई' लिखना आवश्यक होता है वहाँ भी केवल स्वर 'ई' लिख देते हैं जैसे 'विजयी' और 'वाजपेयी', के बदले 'विजई' और 'वाजपेई' यह अत्यन्त अनुचित है। पहला दोष तो इसमें यह आ पड़ता है कि जिस प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर शब्द बना रहता है उसकी ओर कदापि ध्यान नहीं जाने पाता, दूसरे परिपाटी विगड़ती है। जिनकी सामान्य भूत क्रिया में 'य' व्यञ्जन रहता है उन्हें यदि लाघव के लिए केवल स्वर 'ई' में लिखें तो कोई बड़ा दोष न होगा जैसा कि राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई के बनाये हुए व्याकरण में भी लिखा है, जैसे पाया से पाई, गया से गई, पर वहुतेरे ऐसा गडबड करते हैं कि भाव-वाचक का ध्यान न करके जहाँ किसी प्रकार 'य' व्यञ्जन का सम्भव नहीं है वहाँ भी उसे लगाकर लिखते हैं जैसे 'भलाई' का 'भलायी' इत्यादि। वह सर्वथा अनुचित है।

अब प्रत्यय और विभक्ति के अन्तर को स्पष्ट दिखलाते हैं। देखो प्रत्यय किमी सजा वा धातु के आगे कर्ता, कर्म, और भाव में जहाँ कही आवे (चाहे आदेश हो वा न हुआ हो) उसे शब्द के साथ मिलाकर अवश्य लिखना चाहिये, क्योंकि यौगिक शब्दों की उत्पत्ति प्रायः प्रकृति और प्रत्यय मिलकर होती है इस कारण प्रत्यय भी उस शब्द का एक अंग ही ठहरता है, फिर उसे शब्द के साथ मिलाकर क्यों न लिखें, जैसे कर्ता में 'मारनेवाला', 'होनहार', इत्यादि, कर्म में 'काटा हुआ', 'लिखा हुआ', इत्यादि, भाव में 'लडकपन, बुढ़ापा, रूकावट इत्यादि। परन्तु गुण वाचक बनाने में उपमा के लिये जो सा, सी, और से माना गया है वह प्रत्यय नहीं किन्तु 'ऐसा' का संक्षेप करके 'सा' बना लिया है। इसलिये यह एक अलग ही शब्द हुआ। इसी प्रकार 'होता है', 'करता था', 'खा गया', 'मार चुका', 'जाना पडा', 'रोने लगा' इत्यादि में है, था, गया, चुका, पडा, लगा, आदि अलग-अलग शब्द हैं, इस कारण मिलाकर नहीं लिखे जाते पर यदि बोलेगा, खोलेगा आदि में कोई गा को अलग लिखा चाहे तो अनुचित है क्योंकि यह प्रत्यय है शब्द नहीं ठहरता। कदाचित् कोई कहे कि है, था, गा, वर्तमान, भूत और भविष्यत् के समान चिह्न हैं तो पहले दो को क्यों जुदा लिखें, और तीसरे को एक में मिलावें?

इसका उत्तर हम यही देंगे कि 'गा' है और था की तरह काल का चिह्न तो है पर शब्द नहीं क्योंकि यह अकेला सार्थक नहीं होता। ऐसा तो बोलते हैं कि यह बात है, वह खेल था, पर यह किसी को कहते न सुना कि 'यह खेल गा।' इस कारण 'गा' प्रत्यय छोड़कर शब्द कदापि नहीं ठहर सकता।

फिर विकृतियों को एक साथ मिलाकर लिखने में बहुत से दोष भी निकलते हैं। देखो भूमि, मन, तिन आदि शब्दों के साथ यदि 'का' मिलाकर लिखा जाय तो भूमिका (दीवाचा), मनका (माले का दाना), तिनका (तृण) आदि शब्दान्तरोका भ्रम होगा।

संस्कृत में अनुस्वार के दो भेद और किये हैं, एक सानुनासिक, दूसरा परसवर्ण। ये तीनों जुदी जुदी तरह पर लिखे जाते हैं। अनुस्वार का स्वरूप स्वर के ऊपर की एक बिंदी है, जैसे—कस, वश, सहार, ससार आदि में। सानुनासिक अनुस्वार के नीचे अर्द्धचन्द्र लगाकर लिखा जाता है, जैसे डाँक, बाँस आदि में। परसवर्ण के लिए यह नियम है कि अनुस्वार के आगे यदि वर्णों का कोई अक्षर होता है तो अनुस्वार को उसी वर्ण का पंचम अक्षर बनाकर लिखते हैं जैसे अङ्कुर, अञ्चल आदि। आजकल हिन्दी में परसवर्णों को तो कोई-कोई मानते हैं पर सानुनासिक का पूरा अभाव है। हमारी समझ में यह अनुचित है क्योंकि आनुनासिक और अनुस्वार के उच्चारण में बड़ा अन्तर है; और जिस दशा में इनके चिह्न अलग-अलग पहले से नियत हैं तो इस पकी-पकाई खिचड़ी को हम किस दोष से छोड़ें और देवनागरी लिपि के उस उत्तम गुण को कि जो इसमें लिखा जाता है वही पढा भी जाता है नष्ट करे।^१

पुस्तक के अन्त में कुछ शब्दों के शुद्ध-अशुद्ध रूप की वर्तनी की सक्षिप्त तालिका भी दी गयी थी, यथा—

शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
ऐक्य	ऐक्यता	एकता
धैर्य	धैर्यता	धीरता
सौजन्य	सौजन्यता	सुजनता
जाड्य	जाड्यता	जडता

१ बाबू क्षत्रधारी सिंह, लेखनियम, पृ० १ से १४।

प० अम्बिकादत्त व्यास का 'विभक्ति-विभाग'

साहित्याचार्य पण्डित अम्बिकादत्त व्यास विरचित 'विभक्ति-विभाग' नामक पुस्तक १८९० ई० मे व्यास प्रेस, भागलपुर से प्रकाशित हुई थी। यह कुल २८ पृष्ठों की पतली सी पुस्तक थी, जिसका मूल्य मात्र दो आने रक्खा गया था। इसमें मुख्यत 'हिन्दी भाषा में विभक्तियों को अलग लिखना कि नहीं। इस विषय का विचार' किया गया था। यहाँ हम विवेच्य पुस्तक के कुछ अंश को अविकल रूप में उपस्थित कर रहे हैं ताकि जिज्ञासु पाठक यह जान सकें कि हिन्दी-वर्तनी के विभिन्न पक्षों पर उन्नीसवीं शताब्दी के विद्वानों की चिन्तन-धारा तथा मान्यताएँ क्या और कैसी थी।

पुस्तक के प्रारम्भ में व्यास जी ने सर्वप्रथम संसार की परिवर्तनशीलता का विस्तृत वर्णन किया था। तदनन्तर शब्द-परिवर्तन तथा भाषा-परिवर्तन के कारण नवीन भाषाओं के जन्म की चर्चा करते हुए लिखा था—

“देखिये तो कैसा आश्चर्य है कि किसी एक शब्द को दूसरे ढंग से प्रचार करने के लिए यदि चक्रवर्ती महाराज भी यत्न करे तो वह घर-घर आपामर के स्वाभाविक भाषण में नहीं आ सकता पर प्रकृति का ऐसा बल है कि बाल से वृद्ध तक को बिना सिखलाये एक नयी भाषा बुलवा देती है।

यह काम तो इतना भारी है कि सर्वांग सुन्दर एक नवीन भाषा की सृष्टि होना और उसका एक प्रदेश में घर-घर व्यवहार होना पर इसके प्रचारक एक साधारण लोग हैं अर्थात् बालक और मूर्ख। कैसा आश्चर्य है कि विद्वान् लोग तो बनी बनाई भाषा ही को पढ़ उसी के नियम और साहित्य में उलझे-पुलझे वहाँ ही रह जाते हैं और बालक तथा मूर्खगण नवीन भाषा बनाने की नींव डालते रहते हैं। विद्वानों का व्याकरण आदि द्वारा सदा यही उद्योग रहता है कि बस जो हुआ सो हुआ अब इतने ही पर रहो इसी नियम के अनुसार बोलो चालो और नवीन ढंग निकालो। पर बालमूर्ख मुनते सुनाते भी भगवती प्रकृति की सहायता से एक नयी भाषा बना ही डालते हैं।

भाषा शब्दों का केवल रूपान्तर ही नहीं करती है परन्तु दो अलग शब्दों को धीरे-धीरे जोड़ भी डालती है और फिर एक को कभी-कभी पहले शब्द का ऐसा दास बना देती है कि वह उस शब्द का प्रत्यय कहाने लगता है।

किसी-किसी की तो यह राय है कि सब भाषाओं में जितने प्रत्यय हैं वे एक-एक समय भिन्न शब्द ही थे पर मिलते-मिलते और प्रकृति के रगड़े से घसते-

घसते अब ऐसे छोटे और विचित्र हो गये हैं कि वे अकेले प्रयुक्त भी नहीं होते और विचारों क्रीतदास की भाँति कोरे प्रत्यय कहलाते हैं।

कौन जानता है कि यही बात ठीक हो और गम् और इष् दोनों धातुओं ने आपस में गट्ट पट्ट हो एक ही जिगमिष् विचित्र आकार धारण कर लिया हो और विचारा द्वितीय धातु कोरा प्रत्यय कहला गया होगा। जो कुछ हो इस समय यही चित्त में आ गया कि देखें तो बाबा हमारी अपनी हिन्दी भाषा में 'मे, से' आदि स्वतन्त्र अव्यय हैं कि पूर्व शब्दों के अनुचर हो गये ?

पहले यह देखा कि ये किसी भाषा के प्रत्ययों से उत्पन्न हैं कि स्वतन्त्र शब्दों से, क्योंकि यदि प्रत्ययों से उत्पन्न हो तब तो ये अनुचर शब्दों के वशपरम्परा ही में हुए, पर नहीं वहाँ प्रायः यही पता लगा कि संस्कृत भाषा के स्वतन्त्र शब्दों के विशुद्ध वशों में इनकी उत्पत्ति है। तब देखा कि प्राचीन पुस्तकों में लेख का व्यवहार क्या है, तब उधर तो कोरी शङ्खव्वनि ही मिली क्योंकि प्राचीन लेख में शब्दों को अलग-अलग लिखना था ही नहीं। यहाँ तक कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रन्थ में कहीं अवकाश (Space) नहीं लिखा [यह उनके स्वयं लिखित ग्रन्थ के अवलोकन से विदित होगा—जिसके नमूने का चित्र बाँकीपुर निवासी महाराज कुमार बाबू रामदीन सिंह ने छापा है] यदि बोलचाल में यह बात ढूँढी जाय तो हमारा स्वदेशीय तो हिचकी, खाँसी, छीक आदि के कारण से रुके तो रुके नहीं क्यों रुक-रुक के बोलैगा ? पर यदि विदेशी बोले तो न जानने के कारण से सोच-सोच के बोलैगा नहीं तो वह भी प्रतिशब्द पर क्यों रुकेगा ?

तब यह विचारा कि आजकल अँगरेजी भाषा की वासना से जो हमलोगों ने प्रतिशब्द भिन्न-भिन्न कर लिखना सीखा है इस अनुसार छपी पोथियों में क्या डीलडाल है। तो देखा कि जो पुस्तक सामने आवे उसमें अलग ही अलग। हाँ सौ मैं पाँच अथवा सात शब्द ऐसे मिलने लगे कि जो एक में मिला के लिखे गये हैं। तब यह निश्चय हुआ कि शब्द अलग है इसमें सन्देह नहीं पर यह विचार शेष रह गया कि जिनके कर कमलों से मिला के लिखे जाते हैं उनपर उस प्रकृति भगवती की मेलनी शक्ति का प्रभाव है अथवा असावधानता है ?

विशेष अनुसन्धान से यही विदित हुआ कि कितनों को तो इसकी आशङ्का भी नहीं कि दो शब्द हैं अथवा एक है जो हाथ आया लिख मारा, कितने प्राचीन लिखित पुस्तकों के पढ़ने-पढ़ाने वाले शब्दों को उसी सस्कार से ऐसा फसाफसा के लिखते हैं जैसे मकर के मेले में प्रयाग की गाड़ी पर यात्री ठूँसे जाँय और कितने ही इन चिह्नों का नाम विभक्ति सुनते ही संस्कृत का स्मरण कर मिलाने लगते हैं और

कितने अल्पज उनी की लकीर पर फकीर होते हैं। पाठकगण से यह कहना व्यर्थ है कि इन वर्ग वालों का लेख प्रामाणिक नहीं हो सकता। जब समझ के लिखने वालों के ग्रन्थ छानना आरम्भ किया तो एक दो उनमें भी कट्टर मिले जो भूल के नहीं, अज्ञता से नहीं, देखादेखी नहीं किन्तु अपने गम्भीर विचार से मिलाकर लिखना आरम्भ करते हैं। सर्वज्ञ कौन है, पर हमारी साधारण समझ में कदाचित् रेवरेण्ड जे पार्सन साहब सब का सङ्ग छोड़ मिला के लिखने में अग्रणी हुए और अनन्तर काशीवासी रेवरेण्ड डब्लू एथरेण्टन (मेरे परिचयी) ने अपने व्याकरण में इसे मिलाने पर बल दिया। और अपनी पुस्तक में एक छोटी टिप्पणी यों लिखी।^१

The signs of the cases being mere particles having now no meaning apart from the words whose cases they indicate, there seems to be no reason why the common method of writing them separate from their words should be adhered to. Like the Latin enclitics que, ae, ne, etc., they might be conveniently joined to their words. The Rev. J. Parsons, however, is the only writer, that I am aware of, who has ventured to depart from the common usage in regard to this matter. In his excellent versions of the New Testament, the Pilgrim's progress, and other books, the signs of the cases are joined to the nouns.

[Students grammar 2nd Edition of 1873-P. 44]

इस लेख से स्पष्ट प्रगट होता है कि इनी दोनों विद्वान पादरी साहबों ने 'मे से' आदि स्वतंत्र अव्ययों को प्रत्यय बनाकर शब्दों का गुलाम बनाने का साहस किया परन्तु उसी समय के वहाँ ही रहने वाले जगत् प्रसिद्ध हिन्दी लेखक बाबू हरिश्चन्द्र और राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द आदि महामहोदयों ने इसे अस्वीकार किया और अपने ग्रन्थ में अलग ही का प्रचार रक्खा।

एथरेण्टन साहब ने ४४ वें पृष्ठ में तो मिला के लिखने का लेक्चर झाड़ा है और ४५ वें पृष्ठ में लिखते हैं? (ब्राह्मण का पुत्र) चाहे यह मेल भ्रम हो अथवा सूक्ष्म बुद्धि हो पर इस मेल को हम प्रकृति कृत ही मान लेते हैं और यह नियम

१ पहले एडिशन में अलग ही अलग है पर दूसरे में सब मेलजोल है।

२ हे, अरे, पर आदि को भी वे मिलाना चाहते हैं इसका कारण वे ही समझें अथवा उनके शिष्य लोग जानें।

प्रचार करना उचित समझते हैं कि अलग लिखना बहुत उत्तम है और मिल जाय तो साधारण है ।

मैंने सोचा कि जैसे संस्कृत में “लोप शाकल्यस्य” “अवड स्फोटायनस्य” आदि द्वारा भिन्न सम्मति दिखाकर पाणिनीय ने कई विकल्प ओ विकल्प के कारण दिखला दिये वैसे ही महाशयो की सम्मति ले सम्मतिसहित नियम प्रकाशित किया जाय इस पर मैंने कई प्रधान पुरुषो को पत्र भेजा और उत्तर पाया सो अलग प्रकाशित किया है ।

‘हिन्दी बङ्गवासी’ नामक कलकत्ते के प्रसिद्ध मासिक पत्र ने हमारे पत्र पर एक लेख लिखा सो हमे विदित होता है कि लेखक ने कुछ शीघ्रता से गम्भीरता बिना सोचे लिखा है वे और चार हाथ लम्बा लेख लिखते तो भी हम इतना ही अर्थ निकालते कि उनकी सम्मति मिला के लिखने की है । हम इतना ही सार ग्रहण कर लेते परन्तु ऐसे बड़े पत्र का लेख है क्या जाने उसी का कथन ठीक हो और हमी लोग भूलते हो इसके परीक्षणार्थ हम वह लेख ज्यो का त्यो कुछ अपनी टिप्पणी सहित आगे प्रकाशित करते है, आशा है कि हमारे सहयोगिगण, तथा पाठकगण हमारे इस लेख का सदसद्विवेक करेंगे और ‘हिन्दी बङ्गवासी’ के सम्पादक ने जैसे अबकी परिश्रम किया वैसे ही सदा हमारे ऐसो के अज्ञानोन्मूलन का यत्न करते रहेगे ।

महाशयो की सेवा मे जो पत्र भेजा गया सो यह है .—

हेमचन्द्र आदिक कोऊ पण्डित नहि दरसात ।

तब भाषहु तजि आह को कासो पूछिय बात ॥

करण निधान्,

विनयपूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ कि निम्नलिखित विषय पर अपनी सम्मति देकर जितना शीघ्र हो सके मुझे कृतार्थ कीजिये और मैं ने जो आपको इस विषय मे कष्ट दिया है सो क्षमा कीजिये ।

हिन्दी भाषा मे ‘मे से के’ आदि विभक्तिचिह्न शब्दो के साथ मिला के लिखना चाहिये अथवा अलग-अलग ? मेरी समझ मे ये स्वतंत्र विभक्ति नामक अव्यय है सो इनका अलग ही रहना उचित है । इनके अलग रहने का और भी एक कारण देख पडता है कि इनकी उत्पत्ति भिन्न शब्दो ही से है जैसे मध्यम्, मज्झम्, माझ, मधि, माहि, मर्हि—मे इत्यादि ।

आपका अनुग्रहभिक्षु

अम्बिकादत्त व्यास

भागलपुर

डम प्रश्न पर महाशयो की सम्मति का साराश ।

नाम	सम्मति
[एसियाटिक मासाडटी से]—	ठीक है अलग ही
महाशय स्टडल्फ हारनली—	अलग लिखना चाहिये
महाशय जी, ऐ० ग्रेयर्सन—	”
रेवरेण्ड जे जे जान्सन—	”
राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द—	”
एडिटर क्षत्रिय पत्रिका—	”
” विहार बन्धु	”
” खिचरी समाचार—	”
” हिन्दी प्रदीप—	”
” द्विज पत्रिका—	”
” भारत जीवन—	”
” हिन्दोस्थान—	”
” कवि व चित्रकार—	”
” मित्र विलास—	”
(पण्डित लक्ष्मीशंकर मिश्र एम० ए० बनारस के स्कूलों के इन्सपेक्टर)	अलग ही लिखना चाहिए जो मिला के लिखेगा उसे मैं पण्डित न समझूँगा ।
मुन्शी नवलकिशोर साहव—	अलग ही लिखना चाहिये
पण्डित मुखवामी तिवारी—	”
वावू अयोध्या प्रसाद—	”
श्री राधाचरण गोस्वामी—	विभाषा से काम लिया जाय ।
वावूरामचरण सिंह—	अलग ही लिखना चाहिए ।
वावू तारापद घोपाल—	एक ही में लिखना चाहिये अथवा कुछ अलग ही सही अथवा एक छोटा [-] डैस देके लिखा जाय ।
हिन्दी बङ्गवासी —	मिला ही के लिखना चाहिये
मौलवी यासिन ^१ —	अलग लिखना चाहिये ।

१ इस बात पर बहुतां की सम्मति मिलती है कि सर्वनाम में मिला के लिखना चाहिये । यह सम्मति इनकी भी है ।

सम्पादक 'ब्राह्मण'	—	अलग लिखना चाहिए ।
व्यास रामशङ्कर शर्मा	—	” ”
बाबू बदरीनारायण चौधरी		
(स० आनन्द कादम्बिनी)	—	” ”
बाबू दुर्गा-प्रसाद मिश्र	—	” ”

'वङ्गवासी' ने घटाटोप लेख लिखा है सो टिप्पणी सहित यह है ।

“उक्त चिट्ठी में पण्डित जी ने लिखा है, कि 'रामने' 'कृष्णको' आदि पदों को 'राम ने' 'कृष्ण को' आदि रूप से लिखना चाहिये और इस व्यवस्था को समर्थन करने के लिए दो युक्तियाँ बतायी हैं (१) ने, को आदि विभक्ति स्वतन्त्र अव्यय है, और (२) उनकी उत्पत्ति स्वतन्त्र संस्कृत शब्दों से है । बड़े शोक के साथ हमको कहना पड़ता है कि पण्डित जी की इस व्यवस्था का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं ।

पाठको ने देखा होगा, कि 'हिन्दी वङ्गवासी' में सदा^२ शब्द और विभक्ति एकत्र ही लिखे जाते हैं, और शायद इसी कारण^२ पण्डित जी ने इस विषय का एक सर्वसम्मत सिद्धान्त करने की इच्छा से यह छपी चिट्ठी वितरित की है । इस प्रकार अन्यान्य लेखकों के विपरीत एक भिन्न ही प्रणाली अवलम्बन करने के समय हमलोगों को जो कारण सूझें थे, उनको आज अवसर पाकर यहाँ प्रकाशित करते हैं ।

सबसे पहले हम एक बात चेता देना चाहते हैं कि हम उनलोगों में नहीं हैं, जो हिन्दी को संस्कृत के पैर में बाँधकर उसे उसकी दासी बनाये रखना चाहते हैं ।^३

१ सदा !!! शिव शिव इससे बढ़के अनर्गल क्या होगा ? आप इधर की कई सख्या छोड़ उधर की फाइल तो उलटिये, देखिये तो कि हजारों शब्द आपने अलग-अलग लिखे हैं और कै गण्डा मिलाये हैं अथवा सो भी नहीं । छोटे अक्षर शीघ्र दृष्टिगोचर न हों तो मोटे-मोटे अक्षर “टाइप का कारखाना” यह आप प्रतिवार छापते आये हैं देखिए तो ? यों सीधा-सीधा कहिये न साहब कि हमारा बड़ा आफिस है सदा लेखकों का हेरफेर रहता है, पुराने लेखक सदा वैसा ही लिखते थे नये लेखक सदा ऐसा ही लिखते हैं और और नये आवेगे तो और भी नये ढग निकालेंगे ।

२. नहीं नहीं, यह कुछ भी कारण नहीं है, ऐसा होता तो मैं आपसे गुप्त पत्रों ही में बात चीत करता, प्रत्युत स्वयं इसके सिद्धान्त की आवश्यकता है और ऐसे ही जब जब आवश्यकता होगी तब-तब मैं ऐसी बातें पूछूँगा, तब जिनकी सम्मति मुझसे न मिलती हो वे स्वप्न में भी ऐसा न समझें कि उनी पर आक्षेप के लिए वह पत्र गया है ।

३. तब क्यों संस्कृत के प्रातिपदिक और विभक्ति के नियमों के अनुसार हिन्दी में विभक्ति मिलाने का हठ करते हैं ?

इसमें कुछ शङ्का नहीं, कि हिन्दी के बहुत से शब्द तथा उसके बहुत से नियम संस्कृत भाषा से लिये गये हैं, हम यह भी मानते हैं कि संस्कृत हिन्दी की माता है, परन्तु इसीलिये हिन्दी को सदा संस्कृत के अधीन रखना हमारी राय नहीं है।^१ लङ्गडे मनुष्य का पैर जबतक सीधा नहीं हो जाय और जबतक वह अपने पैर के बल नहीं चल सके, तबतक उसे लाठी पर भार देके चलना आवश्यक और उचित है, पर जब उसकी टङ्गडी सीधी हो जाय और वह बिना छड़ी कोसो दौड़ सके तब भी उसे लाठियों का गुलाम बनाये रखना किस सच्चे डाक्टर का उपदेश होगा ? सो हिन्दी की भी वही दशा है। जिस दिन इसके शब्द नहीं थे, इसका व्याकरण नहीं था, उस दिन अलवत्ते यह संस्कृत की शरण में गयी थी^२ पर अब तो इसके हजारों शब्द हैं, इसका स्वतन्त्र व्याकरण है,^३ सब प्रकार के भाव इसमें प्रकट हो सकते हैं, तब भी यह संस्कृत के भरोसे या किसी अन्य भाषा के भरोसे क्यों रहे ? आजकल इसे जितना सम्पर्क फारसी, अङ्गरेजी आदि भाषाओं से है उतना ही संस्कृत से भी है।^४ संस्कृत के बहुत से शब्दों का रूप तथा लिङ्ग हिन्दी में बदलकर ग्रहण किया गया है, बहुत सी बातें इसमें ऐसी विचित्र पँठ गयी हैं कि उनके सामने संस्कृत व्याकरण कोई काम नहीं कर सकता, और नित्य इसमें विविध भाषाओं के इतने शब्द सम्मिलित हो रहे हैं कि 'कौमुदी' और 'भुगवोश' उनके लिये बेकार हैं। संस्कृत के 'मुख' का हिन्दी रूप 'मुह' और 'प्रावृट्' का 'पावस' तथा संस्कृत के पुल्लिङ्ग शब्द 'अग्नि' को हिन्दी में स्त्रीलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग 'देवता' शब्द को पुल्लिङ्ग देखकर पाठक लोग हमारे कहने का अभिप्राय समझ जायेंगे।^५ ऐसी अवस्था में हिन्दी भाषा सम्बन्धी नवीन परिवर्तनों के विषय में संस्कृत व्याकरण की सहायता

१. इस समय तो हिन्दी को संस्कृत के पैर में बाँधने को केवल आपही उत्तर दे रहे हैं।
२. वह कौन दिन था जब शरण में गई ? क्या कोई झोखी और अब क्यों संस्कृत की अकृतज्ञ हुई ? कुछ स्पष्ट तो लिखिये।
३. किस व्याकरण को आप हिन्दी का पूरा व्याकरण समझते हैं, जिसके अनुसार आपने इस परिपाटी की शिक्षा पाई।
४. हा ! जिस 'हिन्दी बङ्गवासी' से हमलोग अपने गौरव की आशा करते थे उसकी यह समझ कि हिन्दी भाषा का जितना सम्बन्ध संस्कृत से है उतना ही अङ्गरेजी फारसी से। हिन्दी भाषा जानने वाला संस्कृत के 'जल, आकाश, भूमि आदि सहस्रों शब्द जानता है पर अङ्गरेजी वाला सौ भी वहीं जानता। पर हमारे बङ्गवासी के लेखक कौन जाने कौसी हिन्दी को लक्ष्य किये बैठे हैं।
५. आप ही के ऐसे महामहोपाध्याय आपके तात्पर्य समझे होंगे पर हमारे ऐसे साधारण लोगों की समझ ही कितनी कि समझे ?

लेना हमारी समझ से उचित नहीं है।^१ परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं, पण्डित जी ऐसा नहीं समझते हैं। उनकी राय है कि सस्कृत सूत्रों के अनुसार ही हिन्दी लिखी और बोली जाय।^२ शायद 'भाषा प्रभाकर' नामक हिन्दी व्याकरण में पण्डित जी ने इस बात को प्रगट रूप से लिखा है और^३ उक्त सूत्रों का एक हिन्दी व्याकरण बनाने की प्रतिज्ञा भी की है, परन्तु आज तक उस सूत्रवाले हिन्दी व्याकरण को देखने का अवसर हमलोगों को नहीं मिला।^४ यदि उस भविष्यत् व्याकरण में पण्डित जी कुछ नवीन युक्ति के द्वारा हमलोगों की युक्ति का खण्डन कर सके,^५ तो अलबत्ते हमलोग उनकी बात मान सकेंगे, परन्तु अभी पण्डित जी की बात इस विषय में नहीं मान सकते। इसलिये विभक्तियों को शब्द से अलग लिखने के विषय में जो उनकी दूसरी युक्ति है, सो हमारी समझ से उपयुक्त नहीं है।^६

१. सब अलग लिखते हैं आप ही मिला के लिखने का नवीन परिवर्तन करते हैं, सब अपने अनुभव से लिखते हैं आप ही सस्कृत की शरण लेते हैं। आप ही वही करते हैं जो आप ही की समझ में उचित नहीं।
२. छी छी यह आपसे किसने कहा? क्या आपने इसी दीन की वह सम्मति समझी है कि 'मेरी अपनी उत्तम पोथी ऊपर आलमारी में अलग रक्खी है।' इस वाक्य को सस्कृत के व्याकरण सूत्र लगाकर "मेर्यपन्युत्तम पोथ्युपरालमारेमयलगरक्खी है" यों बोलना चाहिये? नहीं नहीं। सस्कृत से हिन्दी का जो सम्बन्ध आप समझते हैं वही उतना ही वैसा ही मैं भी समझता हूँ। भेद इतना है कि आप हिन्दी का अङ्गरेजी, फारसी, सस्कृत सबसे समान सम्बन्ध समझते हैं और मैं सस्कृत, शौरसेनी, मागधी, पेशाची आदि भाषाओं से इसका कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध समझता हूँ और यह भी मुझे निश्चय है कि सोचिये-समझियेगा तो आप भी इसको स्वीकार कीजिएगा।
३. किन सूत्रों का?
४. महामान्य, आप ऐसे उदार प्रकृति पुरुष उसाका कारण स्वयं स्वयं समझ सकते हैं। यदि ऐसे ही मेरे स्वच्छ हृदय के लेखों पर निरर्थक खङ्ग उठाइयेगा तो देखने का अवसर कभी नहीं मिलेगा।
५. खण्डन की आवश्यकता नहीं, आपही ऐसे निष्पक्षपाती महाशयो की सम्मति से वह व्याकरण पूरा और साझ होगा। आप हमारी बात अवश्य माने इसकी क्या आवश्यकता है? जिस विषय में दो आचार्यों की भिन्न दो सम्मति होती है वही विषय बेकल्पिक हो जाता है यह प्रकृति है। यदि हम आपके लेख पर कुछ लिखे भी तो औरों के लिये पर आपको समझाने की न हममें शक्ति ही है न हम उसका ठोका ही ले सकते हैं।
६. लेखक की समझ में तो उपयुक्त नहीं है पर क्या यह लेख पाठकों को भी कुछ समझा सका?

वाकी रही उनकी पहिली युक्ति । सो, 'ने' 'को' आदि शब्द स्वतन्त्र अव्यय हो, परन्तु जब शब्दों के साथ विभक्ति होकर आते हैं, तो वे उन शब्दों के एक अङ्ग हो जाते, उनकी स्वतन्त्रता जाती रहती है, और उनके अलग लिखे जाने का कारण भिट जाता है ।^१ हाँ, अगर वाक्य में विभक्ति होकर वे नहीं आवें, तो स्वतन्त्र अव्यय होने के कारण स्वतन्त्र लिखे जा सकते हैं ।^२

अलावे इसके, वाक्य में शब्दों का अर्थ विभक्तियों पर निर्भर करता है और विभक्तियाँ उन्हीं शब्दों के कारण आती हैं । विभक्ति के बिना शब्दों में कुछ काम नहीं चल सकता और शब्दों के बिना विभक्तियों का कुछ अर्थ ही नहीं होगा । इसमें प्रत्यक्ष है कि शब्द और विभक्ति के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । शब्दों का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध वाक्य में और किसी पद के साथ नहीं रहता । सो यह सम्बन्ध उनको एकत्र ही लिखने से प्रगट होता है । उन्हें अलग-अलग लिखने से वाक्य के सब शब्दों का सम्बन्ध समान ही हो जाता है ।^३

हिन्दी के सर्वनाम शब्दों में 'हमें, हमारा, हमारी, हमारे', शब्दों में विभक्ति और शब्द दोनों एकत्र ही रहते हैं, तब 'हमको, तुमको' आदि शब्दों को एकत्र लिखने में विघ्न डालने का क्या कारण है ?^४ गौर करके विचारने से मालूम होता है कि वाक्य के उच्चारण करने में भी शब्द और विभक्ति का उच्चारण एक ही बार होता है, तब उन्हें एकत्र लिखते क्यों नहीं ? क्या उच्चारण और लिखावट में भेद रखना ही उचित है ।^५

१. क्यों ? क्यों ? क्यों ?

२. क्या कारण ?

३. यह क्या ! क्या कर्ता और क्रिया से सम्बन्ध नहीं है अथवा कर्म और क्रिया से सम्बन्ध नहीं है ? कुछ-कुछ वैशिष्ट्य तो सभी के सम्बन्ध में है । यह कौन कहता है कि इन विभक्ति नामक अव्ययों का कुछ अर्थ नहीं है ? 'ऊपर, नीचे, लिये, भीतर' आदि अव्ययों का तो स्वतन्त्र अर्थ है और विभक्ति अव्ययों का नहीं ।[॥] क्यों ? आप अपनी इसी सख्या में 'लिये' को शब्द से अलग लिखते हैं पर कौन जाने आपने जिस व्याकरण को प्रामाणिक समझा हो उसने 'कै लिये' एक ही विभक्ति मानी हो ।[॥] 'भी, ही,' आदि तो विभक्ति नहीं हैं, इन्हें आप क्यों मिला के लिखते हैं, आपके ऐसे शब्द रेखाङ्कित है देख लीजिये ।

४. सब शब्द एक ही प्रकार के हों इस आग्रह का भी क्या कारण है ? क्या जिस कारण से वहाँ 'क' से 'र' हो गया वह कारण कहीं चला गया है ?

५. आप हीरे के मुकद्दमे के लेख में (लाख पर) (विश्वास पर) इत्यादि अलग अलग लिखते हैं वहाँ कितनी देर में उच्चारण करना आपको अच्छा लगता है और (लाख में) में कितनी शीघ्रता अच्छी लगती है यह आप ही समझें ।

पण्डितजी सस्कृत की शरण लेते हैं, पर यदि वह सस्कृत भाषा ही का उदाहरण लें, तो हमारी व्यवस्था का उत्तम समर्थन हो जायगा। कहने की जरूरत नहीं है कि सस्कृत में विभक्ति सदा शब्दों में सटे रहने की कौन बात है, मिले लिखे जाते हैं।^१ अङ्गरेजी, बङ्गला आदि प्रायः सब भाषाओं का भी यही नियम है; सो हिन्दी क्यों सबसे विलग नियम के अनुसार चले ?^२

इन्हीं सब कारणों से हम समझते हैं कि शब्दों को और उनकी विभक्तियों को अलग अलग नहीं लिखना चाहिये।^३”

हिन्दी भाषा के विद्वान् लोग जानते ही हैं कि ‘बङ्गवासी’ के इस लेख को किसी अच्छे पत्र-सम्पादक ने समर्थित न किया पर ‘बङ्गवासी’ के मान्य किसी पण्डित ने एक लम्बा-चौड़ा लेख भेजा उसे ‘बङ्गवासी’ ने बड़े बड़े झोक-झाक से छापा और यह दिखलाया मानो हमलोग परम मूर्ख हैं और ‘बङ्गवासी’ और उनके परममान्य पण्डितजी दो ही विद्वान् हैं और दो ही हिन्दी भाषा-रक्षक हैं। हमें इस विषय में कुछ नहीं कहना है, हम उनकी विद्वत्ता और अपनी मूर्खता ही का स्वीकार करते हैं और भाषा तत्त्ववेत्ताओं के चरणों में उनकी विद्वत्ता और अपनी मूर्खता प्रगट करते हैं।

उनके पण्डितजी का लेख भी अपनी टिप्पणी सहित प्रकाशित किया जाता है रसिक जन एक बेर पढ़ जाने का कष्ट उठावे।

- १ सस्कृत की शरण नहीं लेते हैं यह तो आप ही सिद्ध कर रहे हैं। और मुझे सस्कृत की ही शरण लेनी होती तो मैं अपने पत्र के आरम्भ में ‘पाणिनीय आदिक कोऊ पण्डित नहीं दरसात’ लिखता परन्तु हेमचन्द्र का नाम लिख मैं तो स्वयं दिखलाता हूँ कि प्राकृत, शौरसेनी, पेशाची आदि भाषाओं के मर्मज्ञ से इन बातों का निर्णय होगा। क्या आप कह सकते हैं! बताइए तो मेरी चिट्ठी के किस अक्षर से सस्कृत का आग्रह झलका ? और यह भी तो देखिये यदि सस्कृत के अनुसार भी विभक्ति रख दे तो विभक्ति और प्रातिपदिक के बीच में दूसरा अव्यय कैसे आवेगा जैसा आपने लिखा है (भाषा ही का)।
२. सस्कृत में विभक्ति ही के भाई कर्मप्रवचनीय नामक अव्यय भी हैं जो अलग हैं और अगरेजी की भाँति द्वितीयान्त के साथ प्रयुक्त होते हैं। और अगरेजी वगला आदि सब भाषा पर हाथ फेरना आप ऐसे पुरुष को उचित नहीं। इन दिनों और लोग भी इन भाषाओं को कुछ-कुछ जानते हैं। हाँ वगला के लिये कुछ आपका कहना सज सकता है सो अपनी ही प्रकाशित पोथियाँ एक बेर भली भाँति देख तो लीजिए।
- ३ हिन्दी के रसिक लोग न्यायपूर्वक देखे कि बङ्गवासी ने कहाँ तक ठोक कारण दिखलाये। महाशयगण हमने यह लेख केवल आप ही लोगों को अक्षपात दृष्टि के लिये लिखा है बङ्गवासी के हठोले लेखकों को समझाने से हमें कुछ फल नहीं।

हिन्दी बङ्गवासी ता० ४. १, ९२.

हिन्दी भाषा के परम प्रेमी एक पण्डित जी महाशय ने विभक्ति-बखेडों के विषय में यह लेख भेजा है। हम उसे ज्यों का त्यों यहाँ प्रकाशित कर देते हैं।^१

लेख इस प्रकार है —

पूर्व ऋषिपिन के ग्रन्थ सो कीजँ शब्द-विवेक ।

हिन्दी गन्दी होय नहिं यही हमारा टेक ॥

परम सुजान ।

पण्डित अम्बिका दत्त व्यास जी ने यह विचार आरम्भ किया है कि हिन्दी की लेख-प्रणाली में विभक्ति शब्दों से भिन्न लिखी जानी चाहिये वा शब्दों में मिलाकर? पण्डित जी की सम्मति में शब्दों से भिन्न ही विभक्ति लिखनी उचित है, क्योंकि हिन्दी 'को, में' आदि विभक्तियाँ स्वतन्त्र अव्यय हैं जैसा कि उनके मूल 'मध्यम' आदि को विचारने में सिद्ध होता है।

किन्तु पण्डित जी की सम्मति व्याकरण से विरुद्ध होने के कारण मानने के योग्य नहीं जान पड़ती है। क्योंकि भगवान् पाणिनि ने दो प्रकार की विभक्ति मानी हैं, एक सुवादि जो प्रातिपदिक अर्थात् नाम के पञ्चात् लगायी जाती है और दूसरी तिवादि जो क्रिया के पीछे लगायी जाती है। सस्कृत की लेख-प्रणाली में कोई विभक्ति शब्दों से जुड़ी नहीं लिखी जाती है, क्योंकि सुवन्त और तिङन्त की पद सज्ञा है, और भाष्यकार की आज्ञा है कि 'अपदन्नप्रयुञ्जीत', विभक्ति रहित शब्द का प्रयोग मत करो।^२ यदि व्यास जी 'सुप्तिटन्तम्पदम्' इस सूत्र का अर्थ सुप् है अन्त में (परे) जिसके ऐसा करे और रामेण आदि प्रयोगों में विभक्ति रहित राम की पदसज्ञा मानें, तो सहिता के अभाव से सन्धि नहीं हो सकेगी।^३ यदि व्यास जी हिन्दी की कारक विभक्तियों को भिन्न लिखने की व्यवस्था करते हैं, तो क्रिया की विभक्ति भी जुड़ी ही लिखनी चाहिये, जैसे गमनार्थक हिन्दी की 'जा' धातु से

१ देखिये बगवामी जी सस्कृत से भागते हैं और उनके परम प्रेमी पण्डित जी महाशय यों लिखते हैं।

२ आपके मत से 'दूध पीओ' यहाँ अपट प्रयोग कैसे हुआ? कोई युक्ति है तो वही अन्यत्र क्यों नहीं लगती?

३ लीजिये माहव्र हिन्दी बङ्गवासी के महामहोपाध्याय की यह सम्मति है कि सस्कृत में भिन्न पद होने से सन्धि नहीं हो सकती। उनकी समझ में प्रकृति-प्रत्यय ही से सन्धि ठीक है और भिन्न पदों में सन्धिवाले आज तक के सस्कृत ग्रन्थ सब अशुद्ध हैं। हमको बङ्गवासी के अध्यक्षों की असावधानता पर दुःख होता है कि इतने बड़े आदमी होके ऐसी भद्दी और तुच्छ बात छापते हैं।

भविष्यत् काल में 'जायगा' ऐसा रूप बनता है, तो इसको ऐसा लिखना होगा जाय—गा, इसी की विधिलिङ् में जा—ओ । परन्तु यह लेख-प्रणाली सर्वथा अशुद्ध और हिन्दी को बिगाडनेवाली है ।^१

व्यास जी ने जो हिन्दी विभक्तियों को प्रकृति से पृथक् लिखने में यह हेतु दिया है कि यह स्वतन्त्र अव्यय है और उनकी पृथक्ता में मध्यम, माँझ, माँहि आदि से बनाना प्रमाण लिखा है, वह भी विचारने योग्य है । क्योंकि हिन्दी के प्राचीन और नवीन लेखों में जहाँ देखते हैं वहाँ माँझ और माँहि शब्दों के पूर्व-पद में पठ्ठी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है, परन्तु जहाँ 'मे' लिखा रहता है, वहाँ दूसरी विभक्ति का प्रयोग कदापि नहीं रहता है, जैसे "पावस के माँझ" 'पावस मे' ।^२ इससे जान पड़ता है कि 'मे' 'माँझ' आदि का अपभ्रंश नहीं किन्तु सप्तमी विभक्ति का चिह्न है । अतएव उसे शब्द से भिन्न लिखना अशुद्ध है । यदि व्यासजी के वचनानुसार हिन्दी विभक्तियों को किसी शब्द का अपभ्रंश भी मान लिया जाय तो भी उन्हें प्रकृति से जुदा लिखना अशुद्ध होगा, क्योंकि ऐसे मूल सस्कृत विभक्तियों के भी निकल सकते हैं, जैसे, सु उत्तमार्थक उपसर्ग, और अव्यय, यश का अपभ्रंश जस, आम् का ऊम इत्यादि । तब तो चाहिये कि राम को राम और रामी को राम—ी सब लोग लिखा करै । जहाँ कहीं माँझ आदि शब्दों के पूर्व पद में पठ्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, वहाँ समास समझा जाता है । यदि हिन्दी की विभक्तियों को भिन्न पद (अव्यय) मानके दूर लिखने की व्यवस्था की जायगी तो मध्यम पदलोपी समास के अतिरिक्त हिन्दी में कोई दूसरा समास नहीं हो सकेगा, परन्तु हिन्दी व्याकरणों में तत्पुरुषादि समासों का विधान भी है; अतएव विभक्ति पद से अलग नहीं लिखी जा सकती ।^३

जान पड़ता है कि व्यास जी अँगरेजी चाल पर हिन्दी को बनाना चाहते हैं । जैसे अँगरेजी में फ़ोम और टू आदि शब्द भिन्न लिखे जाते हैं, ऐसे ही से और को आदि को शब्द से अलग रखने का विचार करते हैं । परन्तु यह भी उनकी भूल

१ हम जो युक्ति प्रातिपदिक विभक्ति में दिखलाते हैं वह क्रिया विभक्ति में नहीं बैठ सकती ।

२ "घर माँहि वनश्याम" "को वाँचत ब्रज माँही" इत्यादि जैसे उदाहरण चाहिये तै सौ निकाल दिये जाँय ॥

३ इसका अर्थ उनी छोकड़ों को समझाइये जो झूठी बाह से जल भुन कर पागल हो गये हों और आपने हमें तो प्रतिपक्षी ही समझा है पर भना अपने पत्र के मालिक को ही तो समझाइये ॥

ही जान पड़ती है, क्योंकि अँगरेजी व्याकरण में फ़ोम और टू आदि को विभक्ति नहीं माना है, वरन्^१ प्रीपोजीशन ही लिखा है। वास्तव में अँगरेजी में तीन ही कारक होते हैं, उनमें से कर्ता और कर्म की कोई विभक्ति नहीं होती, केवल सम्बन्ध की विभक्ति आपसट्राफी और एस है सो शब्द से मिलाकर लिखी जाती है। वह रीति अँगरेजी में ही शोभा देती है, हिन्दी को उस रीति पर चलाना स्वयम् दूसरे के दोष को ग्रहण करने के समान है। भला यह तो समझिये, कि अस्मद् शब्द के पष्ठी विभक्ति में जो मेरा और मेरे वा हमारा और हमारी प्रयोग वनते हैं, उनमें कौन से भाग को जुदा लिखियेगा? ऐसे ही 'हमें' इस द्वितीयान्त को भी लिखना कठिन होगा^२—समासक्रम तभी ठीक हो सकता है, जब विभक्ति शब्द में युक्त समझा जायगा। 'युक्ति का खण्डन' उन दो शब्दों को एकत्र लिखने की जो आपत्ति देते हैं उन्हें मोचना चाहिये कि वह समास होने के पूर्व एक पद नहीं हो सकते हैं, एक मग क्यों लिखे जाएंगे? व्याकरण के अनुसार कदापि एक शब्द नहीं ठहर सकता है।^३ समास सिद्धि के वास्ते विभक्ति को शब्द के मग ही लिखना उचित है।^४

इसे भी पढ़ लीजिये।

(१) यदि 'मे' आदि विभक्ति सज्ञक प्रत्यय होते और भिन्न अव्यय न होते तो —

(क) एक शब्द के आगे ये एक से अधिक कभी न होते जैसे 'जल में से सीप निकालो'।

(ख) वचन विकार इनके पूर्व वाले शब्द में न होता किन्तु इनी में होता जैसे 'बालक को, बालको को'।

(ग) इनके और इनके पूर्व शब्द के बीच में तीसरा अव्यय न आता जैसे 'घर ही में रहो'।

(घ) क्रिया विभेदण अव्ययों के साथ ये न आते जैसे 'झट से'।

(च) इनका अपने पूर्व शब्दों ही से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता न कि पर शब्दों से जैसे 'घोड़ों का कान, घोड़े की आँख, घोड़े के बच्चे'।

१ जी हाँ महाराज व्यास जी तो हिन्दी और संस्कृत भी नहीं जानते और अँगरेजी की तो चर्चा ही क्या है पर प्री-पो-जी श-न का मर्म तो आप ही समझे हैं।

२ सर्वनामों के तो विलक्षण रूप सभी भाषाओं में होते हैं।

३ किस व्याकरण के अनुसार?

४ आप लोगों के आग्रह से?

(छ) बहुवचनान्त प्रकृति मे एक वचनान्त और एक वचनान्त प्रकृति मे बहुवचनान्त प्रत्यय न होते, जैसे 'लडके के खिलौने, लडको की पोथी' इत्यादि ।

अम्बिकादत्त व्यास

प्रार्थना

आरम्भ मे भी मैंने अपनी सम्मति प्रगट कर विद्वानो की सम्मति की भिक्षा मांगी थी, मध्य मे भी मैं 'बङ्गवासी' को पत्र लिख चुका हूँ कि मैं व्यवस्था नही चेता हूँ, मैं आपकी सम्मति माँगता हूँ और अब अत मे भी आप सबकी सेवा मे यही निवेदन करता हूँ कि जो मैंने समझा सो लिखा और कुछ भूलता हूँ तो वतला क्षीजियेगा, अप्रसन्न न होइएगा । 'बङ्गवासी' के आचार्यों से मेरा इतना ही निवेदन है कि मेरे ऊपर क्रोध शान्त करे और फिर भी क्रोध नही मिटे तो वावा यह दास उपस्थित है जो हुकुम, परन्तु अपने अध्यक्ष और हमलोगो के परम मान्य भारत के भूपण मर्यादासागर श्रीयुत् योगीन्द्र बाबू महाशय से पूछ के । क्योंकि हमे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ लिखा पढी हुई है वह उनकी सम्मति से नही हुई है ।

इस इतनी लिखा पढी से हम इतना ही निचोड निकालना चाहते हैं कि—

विभक्ति और उनके पूर्व के शब्दो को अलग ही लिखना उत्तम है और मिला के लिखना साधारण है, परन्तु जहाँ विभक्ति का रूपान्तर हो गया हो वहाँ अलग नही लिखना और जहाँ विभक्ति के पहले कोई दूसरी विभक्ति अथवा अव्यय हो वहाँ मिला के नही लिखना चाहिये ।”^१

निवेदक

अम्बिकादत्त व्यास

नागरी प्रचारिणी सभा के वर्तनीविषयक निर्णय^२

हिन्दी की वर्तनी तथा व्याकरण से सम्बद्ध कतिपय प्रश्नो पर अधिकारी विद्वानो की सम्मति एकत्र कराने के उद्देश्य से सभा ने सन् १८९८ ई० मे एक उप-

१ प० अम्बिकादत्त व्यास, विभक्ति विभाग, पृ० १ २८

२ Conclusions arrived at by the Nagari Pracharini Sabha, Benaras, On certain questions, connected with the style and grammar of Hindi. Published by the Nagari Pracharini Sabha, Benaras Printed at the Lahiri Press, Benaras, 1902.

समिति का सञ्चालन किया था। उस समिति ने विद्वानों से प्राप्त सम्मतियों पर गम्भीरतापूर्वक सोच-विचार करने के उपरान्त अपने कतिपय अभिस्ताव सभा के सम्मुख उपस्थित किये थे, जिन पर सभा ने भी अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी थी। सन् १९०० ई० में सभा ने उक्त समिति के प्रतिवेदन को पहले हिन्दी में छपाकर प्रकाशित किया था। किन्तु, उस प्रतिवेदन में हिन्दी-वर्तनी के सम्बन्ध में सभा के मन्तव्य पर विस्तृत एवं समुचित प्रकाश नहीं पड़ता था। इसलिए, सन् १९०२ ई० में सभा ने सरकार, शिक्षाधिकारियों तथा हिन्दी के उत्थान एवं विकास में रुचि रखने वाले लोगों को हिन्दी वर्तनी तथा व्याकरण के कतिपय प्रश्नों से सम्बद्ध अपने निर्णयों से सम्यक् रूपेण अवगत कराने के उद्देश्य से एक दूसरी पुस्तिका अँगरेजी में प्रकाशित की। यह प्रश्नोत्तरी जूली में लिखी गयी कुल मोलह पृष्ठों की पुस्तिका थी, जिसमें वर्तनी तथा व्याकरण से सम्बद्ध कुल आठ प्रश्नों पर सभा के निर्णय उपस्थित किये गये थे। पुस्तिका के अन्त में निर्णायक समिति के सदस्यों की नामावली भी दी गयी थी, जिनमें ग्र्यामसुन्दर दास, किशोरीलाल गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, इन्द्रनारायण सिंह, एडविन ग्रीव्स, सुधाकर द्विवेदी, कार्तिक प्रसाद, हनुमन्त मिह, लक्ष्मीशङ्कर मिश्र तथा जगन्नाथ दास के नाम थे। पुस्तिका की भूमिका सभा के तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मीशङ्कर मिश्र ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने उपर्युक्त सारी बातों की सूचना दी थी।^१

-
- 1 "About 4 years ago, a sub committee was appointed by the Sabha for the purpose of collecting the opinion of competent persons regarding certain questions connected with the style and grammar of Hindi. The sub committee carefully considered the opinion received and made certain recommendations to the Sabha, which were duly accepted. In 1900 the report of the subcommittee was published in Hindi. However, the attitude of the Nagari Pracharini Sabha with reference to the style in which Hindi should be written has not been widely explained. Hence in order that no sorts of doubts regarding the definite opinions of the Sabha be entertained, it has been decided to publish an English Translation of the sub committee's Hindi report for the information of the government, educational

(१) पुस्तिका में विवेचित आठ प्रश्नों में से पहले प्रश्न का सम्बन्ध, हिन्दी-वर्तनी से न होकर हिन्दी के स्वरूप से था। 'हिन्दी का स्वरूप कैसा हो ? इसमें अधिक सस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाय या केवल ठेठ (तद्भव) शब्दों का, या इसमें फारसी के शब्दों का भी मिश्रण अपेक्षित है ?'^१

उपर्युक्त प्रश्न से सम्बद्ध अपने निर्णय के प्रारम्भ में समिति ने हिन्दी गद्य के विकास का सक्षिप्त परिचय देते हुए यह स्पष्ट किया था कि हिन्दी के स्वरूप से सम्बद्ध प्रस्तुत प्रश्न पर सर्वप्रथम १८६६-६७ ई० में कुछ अँगरेज विद्वानों का ध्यान गया था, जिनमें बीम्स तथा ग्राउज मुख्य थे। बीम्स हिन्दी में अधिकाधिक विदेशी शब्दों के प्रयोग के पक्ष में थे, किन्तु ग्राउज का मत था कि अरबी फारसी के ऐसे शब्दों का, जो हिन्दी में घुल-मिलकर उसके अपने रूप में नहीं ढल गये हैं, हिन्दी में कतई प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि हिन्दी के लिए किसी अन्य भाषा से शब्द लेना अनिवार्य ही हो जाय तो उसे निश्चय ही, केवल सस्कृत से सहायता लेनी चाहिए, किसी अन्य भाषा से नहीं। विद्वानों के बीच यह विवाद वर्षों तक चलता रहा था और अन्त में निर्णय यह हुआ था कि इस प्रश्न को हिन्दी के सुधी लेखकों पर ही छोड़ देना उचित है।^२

officers and others who take an interest in the growth and development of the Hindi language" Conclusions arrived at Nagari Pracharini Sabha, etc 1902 prefatory note

1 Q 1 "What should be the language of Hindi ? Should it contain more of sanskrit words or should it be homely or should it contain an admixture of Persian ?"—Ibid

2 No sooner was the prose style born than it had its votaries, who all commenced to write according to their own fancies. Seeing this state of confusion, European Hindi scholars began to discuss whether this language should import its words from Persian or Sanskrit The chief persons among those scholars were Beams and Growse and the controversy between, the Parties commenced in 1866-67 Beams was in favour of importing Persian and Arabic words, where as Growse supported the view that those Persian and Arabic words which have not,

समिति के मतानुसार किसी भी साहित्य के लिए भाषा का कोई एक निर्धारित रूप नहीं हो सकता। विषय तथा लेखक की रुचि के अनुसार भाषा का रूप परिवर्तित होता रहता है। साहित्य में सरल और क्लिष्ट दोनों प्रकार की भाषा रहती है। इसलिए भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में किसी निश्चित नियम का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार विवेच्य प्रश्न से सम्बद्ध सारी बातों पर पूर्ण रूप में सोच-विचार करने के बाद समिति ने अन्त में अपना यह निर्णय दिया था कि हिन्दी-लेखन में उन विदेशी शब्दों का, जिनके पर्याय हिन्दी में उपलब्ध है, प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु, वे विदेशी शब्द, जो हिन्दी के सामान्य व्यवहार में प्रचलित हो चुके हैं और उनके पर्याय हिन्दी में नहीं है, तथा जिनके स्थान पर यदि संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाय तो वे सरलता से बोधगम्य होनेवाले नहीं हों, उन्हें निश्चय ही हिन्दी में यथावत् ग्रहण कर लेना चाहिए। सारांश यह कि प्रथम स्थान और महत्त्व तो शुद्ध हिन्दी शब्दों को दिया जाना चाहिए, फिर बहुप्रचलित सरल संस्कृत शब्दों को, तब सामान्य व्यवहार में प्रचलित विदेशी शब्दों को और अन्त में कठिन संस्कृत शब्दों को। अरबी, फारसी या अन्य विदेशी भाषाओं के

assumed, so to say, a Hindi form, should not be used and in case the Hindi vocabulary should fail to supply words necessary for the exigencies of the language and help be required from another source then surely Sanskrit alone should be the helper. This controversy between the scholars raged for some time and finally it was resolved that good writers of Hindi would themselves decide the question as the occasion would arise — Ibid P 3.

४. There can never be one fixed form of language for any literature. The language varies according to the subject matter and the taste of the writer. In the world of letters there is an easy and a difficult language of writing. No hard and fast rules can be laid down for the standard of a language — Ibid. P. 6

कठिन शब्दों का प्रयोग हिन्दी में किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए ।'

(२) समिति द्वारा विवेचित दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध वर्तनी से था, जिसमें पूछा गया था कि परसर्गों को शब्दों के साथ मिला कर लिखा जाना चाहिये या अलग ? 'इस सम्बन्ध में सज्ञा और सर्वनाम दोनों के लिए एक ही नियम होना चाहिए या पृथक्-पृथक् ? फिर, सामासिक शब्दों के सङ्घटक खण्डों को पृथक्-पृथक् लिखा जाना चाहिए या एक साथ ?'

उक्त प्रश्न पर तत्कालीन विद्वानों की मत-भिन्नता की चर्चा करते हुए समिति ने अपने प्रतिवेदन में पहले तो यह स्पष्ट किया था कि कतिपय विद्वानों के

1. Fully considering the question in all its bearings, the conclusion arrived at is that in writing Hindi attention should be directed to the fact that, as far as possible the use of those Persian, Arabic and foreign words which have a vernacular equivalent should be avoided, but that those words of a foreign origin which have come into common use in the language and which have no Hindi equivalent and which would not be easily understood if Sanskrit word is used in their stead, should surely be bodily retained in the language. In short, the first consideration and Place should be given to pure Hindi words, then to easy Sanskrit words of frequent use and then to words of Persian and Arabic that are in common use and lastly to unusual words of Sanskrit. No difficult and uncommon words of Persian Arabic or foreign languages should on any account be used.—Ibid, P. 9.

२. Q २ Should the ending be written with the words to which they belong or should they be written separately ? Is the same rule to be observed in case of both nouns and pronouns or should there be some difference ? Are compound words to be written in one or are the components 'to be separated ?'—Ibid, P 10.

मतानुसार परसर्गों को सज्ञा और सर्वनाम दोनों से अलग लिखा जाना चाहिए तथा कुछ के अनुसार उन्हें उनके साथ ही लिखा जाना चाहिए, क्योंकि परसर्ग सम्बद्ध शब्दों के अङ्ग होने हैं, उनसे पृथक् स्वतन्त्र शब्द नहीं। किन्तु विद्वानों के एक तीसरे वर्ग के मतानुसार परसर्गों को सज्ञा से अलग और सर्वनाम के साथ लिखना उचित है, क्योंकि मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा आदि सर्वनाम रूपों में परसर्ग जिस प्रकार सर्वनामों के साथ एकीभूत हो चुके हैं, जैसा रूप-परिवर्तन सज्ञाओं के साथ कही नहीं देखा जाता ! अशुभकाश विद्वान इस तीसरे मत का ही समर्थन करते हैं। इस प्रश्न को एक बार प० अशुभकादत्त व्यास ने भी उठाया था और उस समय भी अशुभकाश विद्वानों ने डमी मत का समर्थन किया था। अतः इस विषय में समिति का भी निर्णय यही है कि परसर्गों को सज्ञा से अलग, किन्तु सर्वनाम से मिलाकर लिखा जाना चाहिए। जहाँ सर्वनाम के साथ दो परसर्ग हों, वहाँ एक को मिलाकर और दूसरे को अलग और जहाँ शब्द और परसर्ग के बीच ही निपात का प्रयोग हो, वहाँ परसर्ग को 'ही' से भी अलग ही लिखा जाना चाहिए।¹

1 "Opinion —On this point the opinion of some people is that the endings should be written separate from both, noun and pronouns; according to others they should not be written apart from the words, being not separate words in themselves but only a part of and thus belonging to the words with which they come There is also a third party who says that the endings should be written with the pronouns but not with the nouns, for as regards pronouns in some of the words as मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा etc They have become incorporated with the words, where as with nouns the endings should be written separately in as much as they have in no case changed there forms. This third view has the majority in its favour The above question was once raised by Pandit Ambika Dutta Vyasa and even then the majority was of the same opinion. The conclusion arrived at on this point is that in connection with nouns the case endings should be written separately but

इसी प्रकार, सामासिक शब्दों के विषय में समिति ने अपने निर्णय में यह बताया था कि दो-एक को छोड़कर अन्य सभी विद्वानों का यही मत है कि जहाँ सामासिक शब्द केवल दो सङ्घटक खण्डों का हो, वहाँ दोनों को एक ही साथ, किन्तु जहाँ दो से अधिक खण्डों का हो, वहाँ उनके बीच सयोजक चिह्न देकर 'प्रत्येक खण्ड' को अलग-अलग लिखा जाना चाहिए।^१

(३) समिति के सम्मुख तीसरा प्रश्न था कि 'होना' और 'जाना' क्रिया के पुलिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग तथा एकवचन-बहुवचन में पाये जाने वाले हुआ-हुवा, हुए-हुवे, हुई-हुवी और इसी प्रकार गई-गयी आदि रूपों में से किस रूप को और उसे किम सिद्धान्त के अनुसार लिखा जाना चाहिए।^२

उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में समिति ने यह निर्णय दिया था कि यदि उच्चारण एवं अर्थ में भ्रम की सम्भावना न हो तो व्यञ्जन की अपेक्षा स्वर को ही प्राथमिकता देना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि स्वर ही वे मूल ध्वनियाँ हैं, जिनकी सहायता से व्यञ्जनों का भी उच्चारण सम्भव होता है। कोई भी व्यक्ति हुवा, हुवी या गयी

that they should be incorporated with the pronouns and whenever there may come two case endings with pronouns one of them should be incorporated with the word and the other written separately or wherever the particle ही should intervene between the word, and the case ending, the case ending should be written separate from ही"—
Ibid P 10.

१. "With regards to compound words all the opinions agree with the exception of one or two. The majority hold that when the components are two words only they should be written in one, but in case of more words than two, each of the components should be separated by a hyphen. This seems to be right view." Ibid P 10-11.

२. Q. 3. "Which form of हुआ or हुवा, हुए or हुवे, हुई or हुवी and similarly गई or गयी etc. Should be written for the masculine, feminine, singular and plural of the verbs होना and जाना, and according to what principle?"—Ibid, P. 11.

का उच्चारण अन्तिम व्यञ्जन पर स्पष्ट रूप से बल देकर नहीं करता। अतः उनके स्थान पर यदि 'आ' या 'ई' लिखा जाय तो उच्चारण में कोई भिन्नता नहीं होगी।'

(४) समिति के सम्मुख चौथा प्रश्न यह था कि सस्कृत के वे शब्द जो हिन्दी में परिवर्तित होकर तद्भव रूप में गृहीत हो चुके हैं, उन्हें तद्भव रूप में ही लिखा जाना चाहिए या शुद्ध तत्सम रूप में? इस प्रश्न पर विचार करते समय हिन्दी-कविता में प्रयुक्त शब्दों के रूप पर भी ध्यान रखना अपेक्षित है।^२

इस प्रश्न पर दिये गये अपने निर्णय में समिति ने लिखा था कि प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर बहुत कुछ पूर्व विवेचित प्रथम प्रश्न के उत्तर में सम्बद्ध है। हिन्दी में सस्कृत से परिवर्तित होकर आनेवाले शब्द मुख्यतः (तद्भव एवं अर्द्धतत्सम) दो प्रकार के हैं। उनमें से एक प्रकार के शब्द वे हैं, जिनका रूप पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है, यथा—हाथी, घी, दही आदि और दूसरे प्रकार के शब्द वे हैं, जिनके उच्चारण में नाम मात्र का परिवर्तन हुआ है, यथा—कारन, जसोदा आदि। विवेच्य प्रश्न में हमलोगों का सम्बन्ध मुख्यतः पहले प्रकार के (तद्भव) शब्दों से है। इस विषय पर पहले प्रश्न के सन्दर्भ में जो निर्णय दिया जा चुका है, उसके अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी में सस्कृत के केवल शुद्ध तत्सम शब्दों

1. "Opinion.—The conclusion arrived at on this point is that if there be no confusion in pronunciation and meaning, preference should be given to vowels over the consonants, in as much as the former are the primary sounds and it is with their help alone that the latter can be pronounced. No one pronounces हुवा or हुवी or गयी with a distinct stress on the last consonant and so if they are written with आ or ई, there would be no difference in pronunciation." Ibid, P 11

2 "Q. 4. Should those Sanskrit words which appear in Hindi in a degenerate form as heretofore, or should they be written in their correct Sanskrit form? In answering this question the form of words in Hindi poetry should also be taken into consideration." Ibid, P. 11.

का प्रयोग हो या केवल तद्भव शब्दों का । यह बहुत कुछ लेखक की भाषा के रख या शैली पर निर्भर करता है ।'

दूसरे प्रकार के (अर्द्धतत्सम) शब्दों के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि गद्य में उनका प्रयोग श्रेयस्कर नहीं है । जहाँ तक पद्य में उनके प्रयोग का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आगे निर्णय दिया जायगा ।^२

(५) समिति के सम्मुख पाँचवाँ प्रश्न यह था कि हिन्दी कविता में संस्कृत-तद्भव शब्दों का प्रयोग तद्भव रूप में ही होना चाहिए या तत्सम रूप में ? उदाहरणार्थ, यश, यशोदा, यमुना, कारण, कुशल आदि शब्दों का प्रयोग तत्सम रूप में किया जाना चाहिए या इनके तद्भव रूप जस, जसोदा, जमुना, कारन, कुसल आदि के रूप में ? फिर, गद्य में इन शब्दों का प्रयोग किस रूप में होना चाहिए ?^३

1 "Opinion —The answer to this question is related in a great measure to the answer to question 1. In Hindi there are two principal sorts of degenerate Sanskrit words, one of whom have completely changed their forms (for instance हाथी, घी, दही etc). In the other sort there is only a change in the pronunciation as for instance in कारन, जसोदा etc In this question we are chiefly concerned with the first sort of degenerate words only. In accordance with our opinion as laid down in the answer to Q 1 it can not be positively said whether only pure Sanskrit words should be used in Hindi or their degenerate forms. Much depends on the general drift of the language of the author." Ibid, P. 11.

2 "With regard to the second sorts of degenerate words it is enough to state here that in prose the use of this form of words is not preferable. We shall give further on our opinion with regard to the use of the words in poetry" Ibid P. 12.

3. "Q 5 Should Sanskrit words in their degenerate forms be used in poetry or should they be used in their correct form ? For instance, should such skt words as यश, यशोदा, यमुना, कारण, कुशल etc be used in their original forms or should the Hindi form जस, जसोदा, जमुना, कारन, कुसल etc be used ? How should such words be used in prose ?"—Ibid P. 12

यह प्रश्न प्रायः चौथे प्रश्न के समान ही था। इसके सम्बन्ध में समिति ने अपने निर्णय में यह बताया था कि कवियों को शब्द-प्रयोग में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है, इसलिए उन्हें नियमों के बन्धन में बाधना उचित नहीं। उनका शब्द-ग्रहण या शब्दों का चुनाव अपनी कविता के रसगत भाव से सम्बद्ध छन्दगत उपयुक्तता तथा भावगत अनुरूपता पर निर्भर होता है। जहाँ तक गद्य में इस तरह के शब्दों के प्रयोग का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में चौथे प्रश्न के उत्तर में विवेचन किया जा चुका है।^१

(६) समिति के सम्मुख छठा प्रश्न था कि प्रतिरूप पर्याय वाले शब्दों के किस रूप का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? उदाहरणार्थ, 'और' तथा 'औ', 'न' तथा 'नहीं' आदि में से किस रूप का प्रयोग कहाँ करना चाहिए?^२

इस प्रश्न से सम्बद्ध अपने निर्णय में समिति ने लिखा था कि 'औ' एक सयोजक मात्र है, जबकि 'और' सयोजक एवं सर्वनाम दोनों हैं। 'औ' का प्रयोग प्रायः कविता में होता है तथा 'और' का गद्य में। ऐसा उचित भी है, क्योंकि कविता में छन्द को निर्दोष बनाने के लिए कभी-कभी (किसी शब्द में) एकाध वर्ण घटा या बढ़ा देना आवश्यक हो जाया करता है, जबकि गद्य में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए गद्य में केवल 'और' का प्रयोग होता है और पद्य में जहाँ छन्द की जैसी माँग रहती है, तदनुसार 'औ' तथा 'और' दोनों का प्रयोग होता है।^३

-
1. "Opinion —Poets have a free license and to fetter them with rules is improper. Their choice of words depends on the appropriateness of words as regards their fittings as well as on the suitability of the sense which they bear to the idea of the Poet. As regards the use of such words in prose, it has already been discussed in the answer of Q. 4."—Ibid P. 12-13.
 - 2 Q 6 Which one of the forms of words having a duplicate should be used and in what place? For instance, where should और be used and where औ, where नहीं and where न, and so forth." Ibid, P 13.
 3. "Opinion .—औ is a conjunction where as और is both a conjunction and pronoun. औ is frequently used in poetry and और in Prose. This is proper, for in poetry it is often found

उपर्युक्त विवेचन के पश्चात् 'न' और 'नहीं' के सम्बन्ध में समिति ने अपने निर्णय में प० अम्बिका दत्त व्यास का मत उद्धृत करते हुए लिखा था कि उनके अनुसार 'न' का प्रयोग वर्तमान, पूर्णवर्तमान, अपूर्णभूत तथा आसन्न भूत में नहीं होता और इसी प्रकार 'नहीं' का प्रयोग आजार्थ में नहीं होता। अन्यत्र दोनों का प्रयोग वैकल्पिक अर्थात् ऐच्छिक होता है। अन्त में इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करते हुए समिति ने लिखा था कि 'न' तथा 'नहीं' का प्रयोग वस्तुतः निश्चित नियमों पर उतना निर्भर नहीं करता, जितना अच्छे लेखकों के प्रयोगों पर तथा प्रयोगकर्त्ताओं की विवेक-युक्त-रुचि या पसन्द पर। इस कारण से विवेच्य शब्दों के प्रयोग की समुचित जानकारी हिन्दी साहित्य के सम्यक् ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए किसी निश्चित नियम का निर्धारण सम्भव नहीं।'

(७) समिति के निर्णयार्थ सातवाँ प्रश्न यह था कि अङ्क—अक, अञ्जन—अजन, सम्भव—सभव, परन्तु—परतु, तुम्हारा—तुमारा, उसने—उसने, सभी—सब ही, आप ने ही—आप ही ने, देखें—देखौं, सोचें—सोचौं, पावें—पाएँ, आवें—आएँ, होवें—होए, कोशाध्यक्ष—कोषाध्यक्ष, उनने—उन्होंने, इनने—इन्होंने आदि जैसे द्विविध रूप वाले शब्दों के किस रूप को मान्यता दी जाय? अनुस्वार तथा चन्द्रविन्दु का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाय? क्या अनुस्वार का प्रयोग, 'म'

necessary to slide or insert a letter for the sake of metre. But such is not the case with Prose. और is used in prose and both औ and और in verse as exigencies of metre demand"—Ibid, P. 13.

१. "Pandit Ambika Dutta's opinion with regard to the use of न and नहीं are given below. न is not used in Present, Present perfect, Past imperfect and immediate Past. In the imperative mood नहीं is not used. In other places the usage of these two are optional. The use of न and नहीं does not depend so much on fixed rules as on the uses of them by good writers and the discriminating choice of the person using them. For this reason since a knowledge of their use depends on a thorough acquaintance of the Hindi literature, no hard and fast rule can be laid down." Ibid, P. 13.

तथा 'न' जैसे अनुनासिक वर्णों के साथ करना उचित है ?^१

समिति ने उपर्युक्त प्रश्न के तीनों खण्डों का एक-एक कर विवेचन किया था और अपने निर्णय में सर्वप्रथम 'अङ्क' और 'अक' जैसे शब्दों के सम्बन्ध में तत्कालीन विद्वानों के मत-मतान्तर का उल्लेख करते हुए लिखा था कि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार अनुस्वार जिस वर्ण के पूर्व आता है, उसके वर्ग के (पञ्चम) नासिक्य वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कुछ लोग हिन्दी-लेखन में सर्वत्र इसी नियम के पालन का समर्थन करते हैं। किन्तु, कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार हिन्दी में उक्त नियम का पालन नहीं करके सर्वत्र अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। तदनन्तर समिति ने 'तुम्हारा' 'उसने' आदि रूपों को शुद्ध और उनसे भिन्न रूपों को अशुद्ध बताया था। इसी प्रकार 'आप ने ही' और 'आप ही ने', इन दोनों प्रयोगों को शुद्ध तथा 'इनने', 'उनने' जैसे प्रयोगों को अशुद्ध करार दिया था। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार के सन्देहास्पद समरूप शब्द और भी अनेक हैं, जिनके शुद्ध रूप का निर्णय उनके उच्चारण तथा सुवी लेखकों के प्रयोग को देखकर करना चाहिए।^२

1. "Q. 7 How should the following and similar words be written ?—अङ्क, or अंक, अञ्जन or अजन, सम्भव or संभव, परन्तु or परंतु, तुम्हारा or तुमारा, उसने or उसने, सभी or सब ही, आपने ही or आपही ने, देखें or देखो, सोचें or सोचो, पावें or पाएँ, आवें or आएँ, होवें or होएँ, कोणाव्यक्ष or कोपाव्यक्ष, उनने or उन्होंने, इनने or इन्होंने etc. How should the nasal dot and the dot with the circumflex be used ? Should the dot be used with the nasal letters like म and न ?"—Ibid, P. 13.

2. "According to Sanskrit grammar, the rule is to change the nasal dot into the nasal letter of the same class of letter which follows it and this is the opinion of some of the people. There are others who urge that this rule should not be observed in Hindi but that the nasal dot alone should be used. Both the views are correct, but we would advise writers to adhere to any one of the forms throughout the whole of their composition and not to mix up the two together तुम्हारा, उसने etc are

चन्द्रबिन्दु के प्रयोग के सम्बन्ध में समिति ने अपने निर्णय में बताया था कि हिन्दी में निश्चय ही इसका प्रयोग होना चाहिए। किन्तु इसके सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। इसका प्रयोग पूर्णतः इसके उच्चारण पर निर्भर करता है। हिन्दी के शब्द-कोश में इस बात पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुस्वार एवं चन्द्रबिन्दु में, उच्चारण के आधार पर, किसका प्रयोग किस शब्द में कहीं हो।^१

अन्त में 'म' तथा 'न' के साथ अनुस्वार तथा चन्द्रबिन्दु के प्रयोग के सम्बन्ध में समिति ने अपने निर्णय में लिखा था कि ये दोनों वर्ण स्वयं नासिक्य हैं, ऐसी स्थिति में उनके साथ अनुस्वार या चन्द्रबिन्दु का प्रयोग कर उन्हें पुनः नासिक्य बनाना कोई अर्थ नहीं रखता। किन्तु, लेखन में ऐसा प्रयोग बहुत पहले से होता आया है। ऐसी स्थिति में इस दिशा में कुछ भी अन्यथा करना वाञ्छनीय नहीं है।^२

(८) समिति के सम्मुख आठवाँ प्रश्न यह था कि हिन्दी-वर्णमाला में कतिपय विदेशी शब्दों की जिन ध्वनियों, यथा—अंगरेजी A, E, O, फ़ारसी ئی نی

correct, then other forms are incorrect आप ने ही and आप ही ने etc, are both of them correct इनने and उनने are not correct. There are similar doubtful words Any decision with regard to them should be based on their pronunciation and their use by good writers"—Ibid, P 14

1. 'In Hindi the nasal dot with their circumflex should certainly be used, but we can not make any rule about it. Its use wholly depends upon pronunciation It would be proper in a Hindi dictionary to pay attention to the fact that words should be differentiated according to pronunciation into those with nasal dot and those with nasal dot with circumflex"—Ibid, P. 14.
2. "म and न are usually nasals and to make them nasal again by adding the anuswar or the auunasika would be tantalogous, but this mode of writing has come down from a long time and for this reason it is not advisable to do anything in this direction" Ibid, P 14

आदि के लिए वर्ण नहीं है, उन्हें हिन्दी-लेखन में किन चिह्नों के माध्यम से प्रकट किया जाय ? क्या हिन्दी में अँगरेजी के विराम-चिह्नों का प्रयोग वाञ्छनीय है ?

उक्त प्रश्न से सम्बद्ध अपने निर्णय में समिति ने लिखा था कि किसी-किसी भाषा में कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें केवल उस भाषा की वर्णमाला में उनके लिए निर्धारित वर्णों से ही प्रकट किया जा सकता है। किन्तु, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो उन विदेशी ध्वनियों को अपनी भाषाओं में प्रकट करने का प्रयास करते हैं। वैसे स्थिति में उनके लिए कुछ नये वर्णों (या चिह्नों) का आविष्कार आवश्यक हो जाता है। इसी दृष्टिकोण से यहाँ हिन्दी में कुछ विदेशी ध्वनियों के सूचक चिह्नों की सारिणी नीचे उपस्थित की जा रही है^२ —

a	—	Cat	—	कैट
”	—	Cart	—	कार्ट
”	—	Cater	—	केटर
”	—	Care	—	केर
”	—	Call	—	कॉल
e	—	Red	—	रेड
ea	—	Read	—	रीड
”	—	Read	—	रेड

1. “Q. 8 There are in Hindi no representations of certain sounds of certain letters, as for instance A, E and O of English and of and of Persian, as well as of certain sounds of foreign languages By what signs these be denoted in Hindi ? Should the English marks of punctuation be adopted in Hindi ?”—Ibid, P. 14
2. “Opinion —The fact is that certain sounds are peculiar to certain languages and can be represented by the letters of the alphabet of that language alone. But there are people who try to denote these foreign sounds in their own vernaculars. This necessitates the invention of certain signs In accordance with this view we append below a table of representations of certain sounds in Hindi.”—Ibid, P. 15.

ee	—	Reed	—	रीढ
ie	—	Receipt	—	रेसीट
i	—	Pin	—	पिन
	—	Pint	—	पैण्ट
ie	—	Pier	—	पिअर
o	—	Not	—	नाट
”	—	None	—	नन्
”	—	Note	—	नोट
oa	—	Moat	—	मोट
oi	—	Moist	—	मोइण्ट
ou	—	Mouse	—	माँउस
u	—	But	—	बट्
”	—	Pull	—	पुल्ल
”	—	Truth	—	ट्रूथ
”	—	Tutor	—	ट्यूटर
ue	—	Sue	—	स्यू
x	—	Box	—	बाक्स
v	—	Five	—	फाइव
		نی ذ ض ظ	—	ज
		ژ	—	ज
		س ص ث	—	स
		ش	—	श
		غ	—	ग
		ف	—	फ
		ق	—	क

अन्त मे अँगरेजी के विराम-चिह्नो के सम्बन्ध मे अपना निर्णय देते हुए समिति ने यह सलाह दी थी कि हिन्दी मे, केवल कोलन को छोडकर, जिससे निश्चय ही विसर्ग का भ्रम हो सकता है, अँगरेजी के अन्य सारे चिह्नो को ले लिया जाना चाहिए ।¹

1. "As regards the use of English marks of Punctuation in Hindi we would advise the adoption of all of them except the colon which is sure to be mistaken for visarga"—Ibid, P. 16.

अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक-सङ्घ के सुझाव

हिन्दी-लेखन-मुद्रण में वर्तनी की एकरूपता लाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-सङ्घ ने श्री देवराज के सयोजन में नीति-निर्धारणार्थ एक उपसमिति सङ्घटित की थी। उस समिति की ओर से उसके सयोजक ने अगस्त, १९६० ई० के 'प्रकाशन समाचार' तथा 'पुस्तक जगत' में हिन्दी-वर्तनी सम्बन्धी सुझावों का एक प्रारूप प्रकाशित किया था तथा देश के विद्वानों से उन सुझावों के सम्बन्ध में अपनी-अपनी सम्मति सङ्घ के कार्यालय, ८ फौज वाजार, दिल्ली के पते पर भेजने का आग्रह किया था।

उक्त प्रारूप को हम यहाँ अविकल रूप में उपस्थित करने के साथ ही भिन्न-भिन्न विद्वानों की तत्सम्बन्धी सम्मतियों को भी संक्षेप में उपस्थित कर रहे हैं।

सुझावों का प्रारूप —

१ संयुक्त और वियुक्त (पृथक्) शब्द

(क) विभक्तियाँ शब्दों से अलग लिखी जानी चाहिएँ, जैसे 'इन्सान ने', 'कुतूहल से', 'घर पर', 'दीवार में' आदि।

किन्तु स्थानबोधक सर्वनामों को छोड़कर (उदाहरण, 'वहाँ की', 'यहाँ से',) शेष सर्वनामों के साथ ('पर' के अलावा शेष, उदाहरण, 'उस पर') विभक्तियाँ जुड़ी रहनी चाहिएँ, जैसे 'हमको', 'उसने', 'इसीलिए', 'सबके', 'उन्हीका' आदि।

(ख) पूर्वकालिक क्रियाओं का 'कर' साथ में जुड़ा रहना चाहिए, जैसे 'पीकर', 'खोलकर', 'समझाकर', आदि।

(ग) संयुक्त क्रियाओं के दोनों अंश अलग-अलग लिखे जाने चाहिएँ, जैसे 'जी गया', 'ले आए', 'कह बैठा', 'कर देगा' आदि।

(घ) हीन, विहीन, रहित, सहित, युक्त, दायक, ग्रस्त, पूर्वक, चकित, जनक, जन्य, जनित, परक, पूर्ण, कृत, चिन्तक, स्वरूप, निष्ठ, गत, प्रद, मय, च्युत, सूचक, सिद्ध आदि शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ लगाए जाने पर उसके साथ जुड़े रहने चाहिएँ, जैसे 'पदच्युत', 'हितचिन्तक', 'कोलाहल-मय', 'उपहारस्वरूप', 'कलापूर्ण', 'शान्तिपरक', 'तुलमीकृत', 'शोकग्रस्त', 'भावहीन', आदि।

- (ड) सख्यावाचक विशेषण 'प्रति' सज्ञा के साथ जुडा रहना चाहिए, जैसे 'प्रतिक्षण', 'प्रतिदिन', 'प्रतिशत' प्रतिव्यक्ति' आदि ।
- (च) 'वाला' के प्रयोग से बनी कर्तृवाचक सज्ञा के दोनो खण्ड अलग-अलग लिखे जाने चाहिएँ, जैसे 'बांसुरी वाला', 'दौडने वाला', 'दुपट्टे वाली' आदि ।
- (छ) आदरसूचक 'जी' मूल सज्ञा के साथ जुडा रहना चाहिए, जैसे 'महात्माजी', 'बहनजी', 'हसरामजी', 'बाबूजी' आदि ।
- (ज) दो भिन्न शब्दो के सयोग से बने हुए प्रचलित शब्द जुडे रहने चाहिएँ, जैसे 'वादविवाद', 'निम्नलिखित' 'चालचलन', 'ग्रामवासी', 'यथास्थान', 'आत्महत्या', 'देखभाल' आदि ।
- (ञ) निम्न परिस्थितियो मे शब्दो के बीच मे हाइफन (-) का प्रयोग होना चाहिए .
- (१) जब दो शब्दो का सम्बन्ध दिखाते हुए बीच की विभक्ति का लोप कर दिया जाए, जैसे 'स्वरूप-विश्लेषण', 'कृपि-मन्त्री', 'नदी-किनारे', 'साहित्य-समारोह', 'अशोक-सम्बन्धी', 'शब्द-चमत्कार', 'ममता-भरी', 'सिगरेट-केस', 'पाँव-तले', 'सरकार-विरोधी' आदि ।
- (२) जब अतिरिक्त प्रभाव के लिए किसी विशेषण को दोहराया जाए अथवा समानार्थक या विपरीतार्थक शब्दो को मिलाकर चमत्कार की सृष्टि की जाए, जैसे 'कैसे-कैसे', 'दो-चार', 'किसी-न-किसी', 'रोज-रोज', 'पति-पत्नी', 'सब-के-सब', 'पढ-लिखकर', 'हूँसी-मजाक', 'निराशा-पर-निराशा', 'झुक-झुककर', 'लिया-दिया', 'आचार-विचार', 'नये-से-नये', 'थोडा-बहुत', 'लेन-देन' आदि ।
- (३) जब 'विशेष' विशेषण को संज्ञा से मिलाकर एक ही संज्ञा की रचना की जाए, जैसे 'व्यक्ति-विशेष', 'कार्य-विशेष' आदि ।
- (४) जब किसी शब्द के साथ 'भर' अथवा 'मात्र' लगाकर पूर्णता या सीमा का आभास दिया जाए, जैसे 'दिन-भर', 'जीवन-भर', 'शक्ति-भर', 'भर-पेट', 'घर-भर मे', 'अनुभूति-मात्र', 'स्वप्न-मात्र' आदि ।
- (५) जब किसी शब्द के साथ 'जैसा', या 'जैसे, जैसी', के अर्थ मे 'सा', 'से', या 'सी' का प्रयोग किया जाए, जैसे 'फूल-सी कोमल', 'एक-से चेहरे', 'सागर-सा गहन', 'गेंद-सा गोल', 'पत्थर-सा अटल' आदि ।

२. शब्दों में प्रयुक्त 'ये', 'यी', अथवा 'ए', 'ई'

(क) 'या' से अन्त होने वाली भूतकालिक कृदन्त क्रियाओं के स्त्रीलिंग और बहुवचन रूप में 'ये' और 'यी' का प्रयोग होना चाहिए, जैसे 'आये', 'गयी', 'किये', 'गये', 'दिये', 'पिलायी', 'दिखायी' (क्रिया), 'ललचायी' (क्रिया) आदि ।

किन्तु सयुक्त क्रियाओं के अन्त में 'ए' और 'ई' का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे 'हँसते गए', 'रोती आई' 'रख दिए', 'चली गई' आदि ।
जहाँ-कहीं सयुक्त क्रिया के दोनों शब्दों के अन्त में 'ये', 'ए' अथवा 'यी', 'ई' व्वनि हो वहाँ पहले शब्द में 'ये' और 'यी' तथा दूसरे में 'ए' और 'ई' का प्रयोग होना चाहिए, जैसे 'बताये गए', 'उठायी गई', आदि ।

(ख) जिन विशेषणों का अन्त 'या' से होता है उनके स्त्रीलिंग और बहुवचन रूप में 'यी' और 'ये' का प्रयोग होना चाहिए, जैसे 'नयी', 'नये', 'परायी' आदि ।

(घ) 'लिये' और 'लिए' में विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होने पर 'ए' तथा क्रिया 'लिया' के बहुवचन के रूप में 'ये' रहना चाहिए, जैसे 'आपके लिए यह मधुर आम', 'हाथ में पुस्तक लिये पहुँचा' आदि ।

(घ) उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए 'ए' तथा 'ई' व्वनि से युक्त सब शब्दों में, चाहे वे आज्ञार्थक व संभावनार्थक क्रियाएँ हो अथवा आदरसूचक आज्ञा के या क्रियाओं के भविष्यत् रूप हो, 'ए' और 'ई' का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे 'आइए', 'जाएगा', 'खाएँगे', 'चाहिए', 'पिएँ', 'हँसिएगा', 'दीजिए', 'जाइए', 'जगहँसाई', 'अच्छाई', 'ललचाई' (विशेषण), 'दिखाई' (सज्ञा-रूप) आदि ।

३ हिन्दी में संस्कृत के शब्द

(क) जो संस्कृत-शब्द हिन्दी में कुछ रूप बदलकर प्रचलित हैं उन्हें (शास्त्रीय लेखन को छोड़कर) उनके हिन्दी रूप में ही लिखा जाना चाहिए, जैसे 'महत्त्व', 'कर्तव्य', 'उज्ज्वल', 'तत्त्व', 'दुःख', 'निस्सकोच' आदि, न कि महत्त्व, कर्तव्य, उज्ज्वल, तत्त्व, दुःख, निस्सकोच आदि ।

(ख) सस्कृत व्याकरण के नियमानुसार 'हल्' का प्रयोग यथास्थान अवश्य होना चाहिए, जैसे 'भगवान्', 'महान्', 'विद्वान्', 'किञ्चित्', 'पृथक्' आदि ।

४. हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्द और ध्वनि-चिह्न

(क) साधारणतया 'ज' और 'ज' ध्वनि में भेद करने के लिए नुक्ते का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए । विशेष रूप से जहाँ-कहीं मिलते-जुलते हिन्दी शब्दों के कारण अर्थ-भेद को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो, उर्दू के शब्दों में नुक्तों का प्रयोग होना ही चाहिए, जैसे 'तेज', 'बाज', 'ताक', 'जरा', 'जीना', 'राज आदि ।

(ख) अन्य भाषाओं के अनेक शब्द, जिनके उच्चारण में वीच के अक्षर की अर्ध-ध्वनि और पूर्ण-ध्वनि सन्देहास्पद हो, पूरे अक्षर से ही लिखे जाने चाहिएँ, जैसे 'गरमी', 'सरदी', 'शरम', 'बरफ', 'बिलकुल', 'कुरसी', 'बरामदा', 'भरती', 'बरदास्त', 'हलका', 'गरदन', 'वरतन', 'फुरसत', आदि ।

(ग) अंग्रेजी शब्दों में उच्चारण की आवश्यकताओं को देखते हुए अर्धचन्द्र का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, जैसे 'काँफी', 'नाॅर्मल', 'डॉक्टर', 'ऑपरेशन' आदि ।

५. अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु

(क) जहाँ कहीं अनुस्वार-ध्वनि से अगला अक्षर टवर्ग तवर्ग या पवर्ग का हो वहाँ विशिष्ट प्रचलित शब्दों को छोड़कर (विशेषकर सस्कृतजनित शब्द, उदाहरण, 'सत्रस्त', 'ससभ्रम) शेष में अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग के पाँचवें वर्ण के अर्धाक्षर का प्रयोग करना चाहिए, अन्य सत्र परिस्थितियों में अनुस्वार का, जैसे 'पगु', 'अकिञ्चन', 'सुन्दर', 'सम्बन्ध', 'संवर्धन', 'अन्त', 'गुण्ठन' आदि ।

(ख) अनुस्वार से ध्वनि-भेद को स्पष्ट करने के लिए चन्द्रबिन्दु का प्रयोग यथास्थान अवश्य किया जाना चाहिए, जैसे, 'हँसमुख', 'जाएँगे', 'दिखाएँ', 'सँवारकर', 'दाँयाँ', 'चाहिएँ' (वहुवचन), 'महँगा', आदि । किन्तु मुद्रण और लेखन की अमुविधा को देखते हुए 'ि', 'ी', 'ँ', 'ँ', 'ी', और 'ी', की मात्राओं के साथ चन्द्रबिन्दु का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।

आरूप पर विद्वानों की सम्मतियाँ

डॉ० नगेन्द्र

डॉ० नगेन्द्र ने प्रकाशक-सङ्घ के हिन्दी-वर्तनी सम्बन्धी मुझावों के प्राप्त की केवल तीन बातों पर अपनी असहमति प्रकट करते हुए उनके सम्बन्ध में अपने निम्न-लिखित मुझाव दिये थे —

- १ 'सयुक्त और वियुक्त शब्द' के अन्तर्गत (च) में 'वाला' से बनी कर्तृ-चाचक सज्ञा अलग-अलग न लिखकर, वाला शब्द के साथ जुड़नी चाहिए।
२. शब्दों में प्रयुक्त 'ये', 'यी', अथवा 'ए', 'ई' के अन्तर्गत (क) में संयुक्त क्रियाओं के अन्त में तथा सयुक्त क्रियाओं के दोनों शब्दों के अन्त में 'ये', 'यी', ही होना चाहिए।

३. 'हिन्दी में संस्कृत शब्द' के अन्तर्गत (क) में 'उज्ज्वल' के उच्चारण के अनुसार भी 'ज' में द्वित्व है—ज्ज्व अतः 'उज्ज्वल' ही शुद्ध है। दुख और दुख, दोनों ही हिन्दी में प्रचलित हैं। केवल दुख लिखने में छन्दोभङ्ग होगा।

इसी शीर्षक के (ख) में जिन शब्दों का संस्कृतत्व प्रायः लुप्त हो चुका है और जो सामान्य हिन्दी-शब्द बन चुके हैं, उनमें हल् का प्रयोग व्यर्थ है। 'भगवान' 'महान', 'विद्वान' लिखना ही उचित होगा।

उपर्युक्त बातों को छोड़कर सङ्घ के अन्य सभी सुझावों के प्रति डॉ० नगेन्द्र ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की थी।

श्रीरामलाल पुरी

आत्माराम एण्ड सस, दिल्ली के व्यवस्थापक श्री रामलाल पुरी ने अपनी प्रतिक्रिया निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की थी —

१ 'सयुक्त और वियुक्त शब्द' शीर्षक के अन्तर्गत नियम झ (३) और (४) से हम सहमत नहीं हैं। हमारे विचार में हिन्दी को सरल बनाने के लिए और भ्रष्टण की सुविधा के लिए भी हाइफन का प्रयोग कम-से-कम होना चाहिए। 'विशेष' विशेषण को सज्ञा से मिलाकर एक ही सज्ञा की रचना की जाए तो उसमें हाइफन न लगाया जाए। आज भी कई पत्र-पत्रिकाओं में 'कार्यविशेष' और 'व्यक्तिविशेष' छपता है। 'भर' अथवा 'मात्र' किसी शब्द के बाद आएँ तो उन्हें

अलग ही रखा जाए। अधिकतर व्याकरण-सम्बन्धी पुस्तकों में इनको अलग ही लिखा गया है।

२. नियम २ (ग) के अन्तर्गत कही पर 'लिये' और कही 'लिए' चलाना सर्वथा अनुचित होगा। प्रूफ रीडिंग करने वालों के लिए यह शब्द सिर-दर्द बन जाएगा। साथ ही लिपि में एकरूपता भी न आ सकेगी। सर्वत्र 'लिए' का ही प्रयोग होना चाहिए।

३. नियम ३ (क) के अनुसार 'महत्त्व', 'उज्ज्वल', और 'तत्त्व' शब्द हिन्दी में 'महत्त्व', 'उज्ज्वल' और 'तत्त्व' नहीं लिखे जाते। उनका शुद्ध रूप ही चलना चाहिए।

४. नियम ४ (क) के अन्तर्गत उर्दू तथा अन्य भाषाओं के शब्दों में नीचे-नुक्तों का प्रयोग अनावश्यक है। प० किशोरी दास वाजपेयी तथा रामचन्द्र वर्मा दोनों ही इसके विरोधी हैं। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के शिमला अधिवेशन में भी इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि हिन्दी में ऐसे शब्दों के नीचे बिन्दी लगाकर लिखना गलती है। केवल जहाँ उर्दू-फारसी का शेर आये वही पर नुक्ता लगाया जाए। ४ (ग) के अनुसार अर्धचन्द्र का भी प्रयोग आवश्यक नहीं।

५. नियम ५ (ख) के अनुसार चन्द्रबिन्दु का प्रयोग आवश्यक नहीं माना जाना चाहिए। आजकल प्रमुख पत्रिकाओं में केवल बिन्दी का प्रयोग होता है। कई प्रकाशकों ने भी अपने यहाँ नियम बना रखा है कि चन्द्रबिन्दु की जगह केवल बिन्दी ही लगायी जाए।

बलराम शास्त्री

'बुक्स एण्ड बुक्स', पटना-४ से बलराम शास्त्री ने विवेच्य प्रारूप पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा था.—

मेरी समझ में यह नहीं आता कि व्याकरण से सम्बन्धित किसी मामले में 'क्यों, किसलिए' की सफाई को बिना प्रस्तुत किये ही कुल दो छपे पृष्ठों पर हिन्दी की धातु, नाम, सर्वनाम, समास, कृदन्त, प्रत्यय, उपसर्ग आदि सभी विषयों पर ये निष्कर्ष क्योंकर दिये गये हैं? पचास पृष्ठ की अष्टाध्यायी को भी विषद करने के लिए महाभाष्य-सारस्वतादि बड़े-बड़े विवाद-ग्रन्थ बने। मगर प्रकाशक-सङ्घ के ये सूत्र तो इतने अध्याहार-व्यवहार विहीन हैं कि इन्हें पढ़कर समझना भी दुरूह है।

मसलन, शुरू होता है 'सयुक्त और वियुक्त शब्द' से। 'शब्द' शब्द का अर्थ बिना समझे ही उसे 'सयुक्त और वियुक्त' समझने का साहस किया गया है,

यद्यपि हर शब्द अपने उपसर्ग-परसर्ग को लेकर ही वाक्य में एक समूचा शब्द होता है और उसमें सयुक्त-वियुक्त जैसा प्रश्न नहीं हुआ करता। यह नियम तो समझ में आता है कि उपसर्ग को शब्द में एक ही शिरोरेखा के अतर्गत होना चाहिए और परसर्ग को भी, तथा जहाँ दो परसर्ग हों, वहाँ अंतिम को शिरोरेखा से अलग किया जा सकता है, किन्तु यह समझ में नहीं आता कि 'यहाँ' 'वहाँ' जैसे 'स्थानबोधक' (यद्यपि ये 'स्थानबोधक' नहीं भी हैं—जैसे, 'वहाँ बहुत कहा गया मगर यहाँ कुछ पल्ले ही नहीं पडा' आदि) शब्दों की शिरोरेखा के अतर्गत किसी काम्य परसर्ग को दे देने से हिन्दी को क्या कष्ट हो जायगा? गायद उक्त 'एकरूपता' की बात करनेवालों ने उपसर्ग का भी तात्पर्य नहीं समझा है, तभी तो धारा १ के (ङ) खड में 'प्रति' को 'सख्यावाचक' कहते हुए कह देते हैं कि इसे अपने परवर्ती की शिरोरेखा के अतर्गत ही रह जाना चाहिये। जबकि सीधी बात यह है कि सभी उपसर्गों को ही ऐसे प्रयुक्त होना चाहिये; चाहे वह 'प्रति' हो, 'परा' हो या 'उप' हो। इसी धारा के (घ) खड का अर्थ समझ में नहीं आता है, क्योंकि 'हीन, विहीन, रहित' वगैरह शब्दों के बाद 'आदि' की छूट को जोड़ते हुये कहा गया है कि ये सारे शब्द अपने साथ मिलनेवाले शब्दों की शिरोरेखा के अतर्गत ही रहेंगे। यहाँ एक यह प्रश्न पैदा होता है कि नियम या व्याकरण में 'आदि', की छूट देने से कितनी दूर तक कौन-कौन से शब्द समेटे जायेंगे? दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि इस धारा में किन विशिष्ट समासों के उदाहरण दिये गये हैं? चाहिये तो यह था कि अव्ययी-भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु जैसे समासों के लिए यह तरीका निश्चित किया जाना न कि शब्द गिनाये जाने चाहिये। नियम बनाने के लिये लक्षणलघु सिद्धांत नहीं देने से सारी बात अनाप-सनाप कही जायेगी। इस धारा में उपधारा (ख) के देने का कोई अर्थ नहीं है, जबकि 'त्वा' और 'तुमुन' जैसे परसर्गों का अपने शब्दों की शिरोरेखा के अतर्गत होने का स्पष्ट निर्देश ही वाञ्छित था, जैसे 'कहकर' 'कहने को' आदि। इस धारा की (ग) उपधारा में कहा गया है कि 'सयुक्त क्रिया' के दोनों अंग अलग-अलग रहेंगे, जैसे—कह बैठा, कह चुका, कहने लगा, ले बैठा, ले चुका, लेने लगा आदि। हिन्दी क्रिया की इस विशेषता का लक्षण न देकर अपनी बात सिद्ध करने में 'क्यों' का प्रश्न लगा करता है। हिन्दी में या किसी भाषा में क्रियाएँ ही होती हैं, उनकी धातु के बाद लगे हुये शब्दों को अधिक-से-अधिक परसर्ग कह सकते हैं। धातु और परसर्ग समेत जो क्रियारूप बनते हैं, उन्हें 'सयुक्त क्रिया', से नामांकित करना नितांत परिभाषा-विहीनता ही कही जायेगी। हम इस धारा का समर्थन इसलिए करते हैं कि हिन्दी धातुरूपों में धातुरूप और उसके परसर्ग दो-अलग शिरोरेखाओं में होने चाहिये, क्योंकि लिङ्ग, काल, वचन और पुरुष का

दोनों पर अलग-अलग आरोप होता है, और इसका प्रमुख कारण यह है कि क्रियाओं के पुरुष बनानेवाले सर्वनामों में हिन्दी में लिङ्ग नहीं हुआ करता तथा विशेषणों में भी लिङ्ग नहीं देने की छूट है, और इस अभाव और छूट की पूर्ति क्रिया अपने लिङ्गों द्वारा करती है। यह बात कृदन्त में भी लागू होती है, जैसे 'दौड़ता हुआ' 'दौड़ती हुयी', 'दौड़ते हुये'; अतः इस प्रथा को निर्दिष्ट करने के लिये अलग से (च) उपधारा को जोड़ना निरर्थक ही है। इस धारा की (झ) उपधारा में षष्ठी-तत्पुरुष के उदाहरण दिये गये हैं, जिसे अवैयाकरणी ढंग पर वच्चो की तरह आदेशित किया गया है कि 'जब दो शब्दों का संबन्ध दिखाते हुए बीच की विभक्ति का लोप कर दिया जाय'। हम मानते हैं कि तत्पुरुष में हर हालत में समस्त शब्दों को हाइफन के द्वारा जोड़ा जाय, वल्कि हम इस विषय में संबन्ध या षष्ठी को ही नहीं प्रत्युत हर विभक्ति को ही इस पद्धति के अतर्गत लाना चाहते हैं। हाँ, जहाँ ऐसे समास में संधि पड़ जाय वहाँ इस हाइफन से उतना ही अनर्थ होगा, जैसे 'पटाक्षेप'। द्वन्द्व में तो हाइफन होना ही चाहिये; जैसे 'शिव-पार्वती' और इसका भी निर्देश उपर्युक्त धारा में अपेक्षित था। इस उपधारा (झ) में यह बात समझ में नहीं आयी कि 'कृषी-मन्त्री' में 'कृषी' का अत्य ईकार किन कारणों से ह्रस्व नहीं किया गया। उपधारा (झ) के खड दो में वीप्सा-विवीप्सा वाले हिन्दी समासों में हाइफन का निर्देश किया गया है, जैसे 'कैसे-कैसे', 'लिया-दिया', 'किसी-न-किसी' आदि में। किन्तु 'बारंबार' के लिए वहाँ क्या निर्देश है? यहाँ चाहिये तो था कि संधि की स्थिति में हाइफन नहीं देने का भी स्पष्ट निर्देश कर दिया जाता। 'बारंबार' तो संस्कृत की संधि है, मगर 'कुछेक' 'हरेक' जैसी हिन्दी संधियों का भी इससे समाधान हो जाता। उपधारा (झ) का खड तीन और चार एक ही बात है, क्योंकि दोनों खडों में सामाजिक उदाहरण एक ही हैं। मेरे विचार से तो दोनों खडों के उदाहरणों में बीचवाले हाइफन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इस समास के शब्द यदि एक ही शिरोरेखा में आवें तो इस लाघव से कोई भी अर्थहानि नहीं होने जाती है। जैसे, व्यक्तिविशेष, दिनभर जैसे समास तो क्या 'देवेभर' जैसे कृदन्त को भी एक शिरोरेखा में दिये जाने से शब्द, धातु, लिङ्ग या वचन आदि के द्वारा कोई व्याघात नहीं होने जा रहा है। इस उपधारा के पाँचवें खड के तात्पर्य का मैं समर्थन करता हूँ, किन्तु वहाँ मैं, व्याकरण-नियम के ही नाते, हाइफन देने की बात का समर्थन नहीं करूँगा वल्कि अँगरेजी में पड़नेवाले लुप्तचिह्न को ही हाइफन के बजाय उचित समझूँगा। वहाँ यह प्रणाली होनी चाहिए : मूल कथ्य है—'फूल के जैसा', समासरूप हुआ—'फूल-जैसा', समास-लाघव हुआ—'फूल' 'सा'। मेरा तर्क यह है कि यहाँ षष्ठी विभक्ति के लोप के नाते जबकि समास को

व्यक्त करने के लिये हाइफन दिये जाने की प्रथा है, तो समास को व्यक्त करने के साथ-साथ मात्रा या शब्द के लोप जैसे लाघव को व्यक्त करनेवाला, जैसे कि 'जैसा' से 'जै' का लोप 'सा'-मात्र शेष में प्रकट करने के लिये 'सा' के पहले ' ' लुप्ति-चिह्न भी आवश्यक है।

दूसरी धारा में उपधारा (क) और (ख) नितांत नियमविहीन है, क्योंकि पहले तो मैं कह ही चुका हूँ कि हिन्दी क्रियायें धातुरूप के साथ-साथ अपने परसर्ग-रूपों को लेकर ही पूर्ण होती हैं, अतः उनकी मूलधातु और परसर्ग में लिङ्ग-वचन-पुरुषादि के कारण अलग-अलग अंतर पडता है और इस अंतर के आने के ही कारण उन्हें 'संयुक्त क्रिया' कह देने में कोई त्रुटि नहीं है। रूपावली के अनुसार 'दिखायी दिये' को 'दिखाई दिए' या 'दिखायी दिए' या 'दिखाई दिये' लिखने का, धातुरूप चलाने का, कोई नियम नहीं बन सकता है। अतः धातुरूप के परसर्ग के अंतिम यकारापात का 'ए' या 'ई' में लाघव करना निरर्थक और साथ-ही-साथ निरनियम भी है। यह सत्य है कि ससे मुद्रण या लेखन में लाघव होता है, किन्तु इन लाघवों को व्याकरण में मुचार सिद्ध करते समय जितने अपवादसाधक सूत्र बनाने पड़ेंगे और उनकी फक्किकायें देनी पड़ेगी, उसकी स्थूलता पर शायद बिना सोचे ही यह धारा बना दी गयी है। यदि इस धारा की उपधारा (क) में धातुरूप के परसर्ग के अंत को ये-यी की जगह ए-ई के आपात द्वारा लघु करने की बात की जाती है, तो क्या कारण है कि उपधारा (ख) में कृदंत के साथ वैसी ही बात क्यों नहीं की जाती, जबकि धातुरूप के मुकाबले कृदंत में ऐसा करने से इतनी अधिक आसानी होती है कि उसके लिये कम या नहीं के बराबर ही अपवादसाधक सूत्र बनते हैं। इस धारा की उपधारा (ग) का भी अर्थ समझ में नहीं आता है। क्योंकि विभक्ति के अर्थ में या क्रिया के अर्थ में आनेवाले 'लेना' धातु के अर्थ में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। जैसे, 'राम के लिये' में 'लेना' धातु के अर्थ में ही के 'लिये' विभक्ति बनी है, दूसरे अर्थ में नहीं, यह बात तात्पर्यगत है। इसलिए, कोई कारण नहीं है कि धातुरूप में 'लिये' और विभक्तिरूप में 'लिए' का प्रयोग किया जाय। इस धारा की उपधारा (घ) में भी वैसी ही अनत-अव्याख्य अपवादों की सृष्टि की गयी है। 'आइये', 'पिये', 'हँसियेगा'—इस प्रकार के यकारी प्रत्ययों में ही लोट या विधि के रूप चलाने में आसानी है, न कि 'आइए', 'पिएँ', 'हँसिएगा' जैसे एकारी प्रत्ययों में। यदि लोट या विधि में एकारी प्रत्यय चलाये जा सकें तो इस अपवाद को भी सिद्ध करने के बहुतेरे अनुशासन-सूत्र और अलग से उनकी फक्किकायें देनी पड़ेंगी। हाँ, जब धातु से कृदंत या तद्धित रूप बनें तो वह गुणवाची संज्ञा के रूप में हो जाता है,

और तब यकार प्रत्यय को एकार किया जा सकता है, क्योंकि तब एक ही अपवाद-साधक सूत्र इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है, जैसे 'जगहँसाई' 'मुँहदिखाई' आदि। इस उपधारा को देने में, 'आइये' और 'जगहँसाई' के प्रत्ययार्थी में फर्क को बिना समझो, एक ही नियम की लाठी से दोनो रूपों को हाँकने जैसी भूल अक्षम्य ही कही जायेगी।

धारा तीन की उपधारा (क) तो हिन्दी के नाते अवश्य-मान्य है, जहाँ कि सस्कृत के 'उज्ज्वल' को हिन्दी का 'उज्वल' और 'दुख' को 'दुख' किया है। किन्तु यहाँ भी, छद्मों के लिये 'दुख' जैसे त्रिमात्रिक की गु जाइश छोडनी चाहिये थी। और, हिन्दी के इसी प्रचलन की शर्त के नाते, कोई कारण नहीं है कि इस धारा की उपधारा (ख) के द्वारा सस्कृत के हलत शब्दों को हलत में ही लिखा-पढा जाय। क्योंकि, मान लीजिये कि हमने इस शर्त के अनुसार 'विद्वान्' को 'विद्वान्' लिखना ही उचित ठहराया, तो इसमें शब्दरूपों वाले हिन्दी के परसर्ग अर्थात् विभक्तियाँ कैसे जुटेंगी? क्या 'विद्वान्से' 'विद्वान्मे' 'विद्वान्पर' या 'विद्वान्के लिये' लिखा जायगा? इस उपधारा में दूसरा मजाक तो यह है कि 'महान' और 'विद्वान' जैसे शब्दों को इस नियम में भुक्त करने के साथ-साथ 'किञ्चित्' और 'पृथक्' जैसे अव्ययों को भी भुक्त कर दिया गया है, जबकि अव्ययों में हलत रहने से, उनमें परसर्ग लगने की कोई गु जाइश न होने के कारण, कुछ आता-जाता नहीं, वल्कि परसर्ग लगने की योग्यता वाले शब्दों में ऐसी विधि से बहुत-कुछ बुद्धिविभ्रम का घाटा है। धन्य है ऐसे नियम बनानेवाले जो अनेकाकारी शब्दों और एकाकारी अव्ययों तक का प्रायोगिक अंतर नहीं समझ सकते।

धारा चार की उपधारा (क) और (ग) के विषय में हमारा मतभेद यह है कि हिन्दी के अक्षर स्वस्थ कठ के उच्चारण के आधार पर ही बने हैं, वातज, पित्तज, कफज उच्चारण-विकारों को लेकर नहीं। कठ की जिस कफात्मक गल-गलाहट को लेकर उर्दू के ख, ग, फ, ज आदि अक्षर बनते हैं या अंगरेजी के वातज कठ-विकार के कारण जो अर्धोकारी उच्चारण बना करता है, यदि उन तमाम के लिये अपनी चलती भाषा में चिह्न जारी किये जायें, तो चार दिन के बाद फ्रेंच, लैटिन, दक्षिण अफ्रीकी, चीनी आदि जितने पक्षी-चतुष्पदों जैसे विकारी उच्चारण हिन्दी में आने लगेंगे, सबके लिये चिह्न-विशेष नियुक्त करना असंभव ही होगा। यदि यह देश यो ही स्वतंत्र और सर्व सह रहा तो अंगरेजी और उर्दू के अलावा दूसरी भाषाओं के शब्द तो अपने यहाँ आयेंगे ही। हाँ, शब्द-कोषों में या व्याकरण में उच्चारण-अपभ्रंशों के चिह्न देने की बात सोची जा सकती है। जहाँ तक अर्थ-

अनर्थ का प्रश्न है, वह तो बहुतेरे बहुर्थको के साथ जिस तरह प्रसंग-मापेक्ष है, उसी तरह इनमे भी होगा। इस धारा की उपधारा (ख) ठीक ही है, मगर वहाँ भी हठ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कविता की प्रसंग-प्रमुख शब्दध्वनि के नाते 'शर्म' और 'शरम' दोनों के प्रयोग का विकल्प तो देना ही होगा।

धारा पाँच के विषय मे मेरा विचार यह है कि 'पगु' 'अकिचन' या 'अत' मे सभी शब्द 'संस्कृत-जनित' नहीं, बल्कि संस्कृत के ही हैं और इन जैसे सभी शब्दों मे अनुनासिक हलाक्षरो की जगह अनुस्वार ही प्रयुक्त होना चाहिये। यदि इसमे कहीं छूट या अपवाद किया जा सकता है तो वह मात्रोत्तर अनुनासिक हलाक्षरो के लिये ही। क्योंकि मात्रा के बगल मे अनुस्वार, छपाई के बीच टूटने या दबने के कारण, अस्पष्ट हो जाता है, इसलिये उसे अगले अक्षर के वर्ग का पचम वर सयुक्त किया जाय। 'मैं' 'हैं' आदि शब्दरूप या क्रियारूप, स्वयंपूर्णत्व की लाचारी के नाते, अपवाद किये जा सकते हैं। इस प्रकार 'सुंदर', 'अत', 'अकिचन', 'मैं' आदि रूप ही अनुस्वार-प्रयोग के सही रूप होंगे।

अगस्त ६० वाले 'प्रकाशन-समाचार' मे डॉ० नगेन्द्र के इस विषय के विचार मे मेरे विचार से दो-एक दोष हैं। उन्होंने 'सयुक्त और वियुक्त शब्द' वाले उक्त प्रस्ताव मे एक सशोधन उपस्थित किया है कि हिन्दी के 'वाला' जैसे कृदंत परसर्ग को धातुरूप से अलग न रखकर साथ कर देना चाहिये। यहाँ मैं कुछ उदाहरण रखता हूँ। 'नामवाला' मे तो डाक्टर साहब की बात सगत लगती है, किन्तु 'देखने वाला' 'देख लेने वाला' 'दिखवा लेने वाला' जैसे कृदंतो को क्या 'देखनेवाला' 'देखलेनेवाला' 'दिखवालेनेवाला' या 'देखने वाला' 'देख लेनेवाला' 'दिखवा लेनेवाला' इस प्रकार लिखा जायगा? चाहिये तो यह कि ऐसे प्रयोगो मे आये हुये शब्दो के सभी टुकड़े अलग-अलग ही रखे जायें, क्योंकि धातु और उसके सभी परसर्गों में लिङ्ग-वचन-पुरुष-काल के अनुसार स्वतंत्र प्रत्ययो के लगाने की जबकि गु जाइश बनी रहती है, तो उन्हें प्रत्ययो के समेत समस्त पद बनाना व्याकरण के हिसाब से ठीक नहीं होता।

'प्रकाशन-समाचार' के उक्त अंक मे ही रामलाल पुरी जी का एक यह विचार है कि नियम ५ (ख) के अनुसार चंद्रविट्टु का प्रयोग आवश्यक नहीं माना जाना चाहिये। मुझे इस विचार से विरोध है, क्योंकि एक शब्द है 'मँदरा'। यदि इसे 'मदरा' लिखा जाय तो इसका उच्चारण 'मन्दरा' होगा जो कि 'मँदरा' वाला उच्चारण कतई नहीं है। 'मँदरा' मे जो एक छ्वादसिक मिठास के साथ-साथ चार मात्रा वाला लाघव है, वह मँदरा' मे पाँच-मात्रकता जैसी-गुरूता तथा उच्चारण

मे आये हुये झटके के कारण; अपने स्थान पर कदापि शुद्ध नहीं है। वेदमन्त्रों की बात तो विशेष है, हिन्दी के साधारण लोकगीतों या लोकोक्तियों की ह्रस्वात्मकता की हानि, शायद पुरीजी भी, अपने उक्त विचार को लागू करते हुये, नहीं करना चाहेंगे।

डॉ० इन्द्रनाथ मदान

पञ्जाब विश्वविद्यालय से डॉ० मदान ने लिखा था .—

‘पुस्तक-जगत्’ में प्रकाशित अक्षरी नियमों के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि .—

२ (क) गया का गये ही होना चाहिये। इससे जटिलता कम होती है। गया का गए होने से जटिलता बढ़ती है।

३ (ख) सस्कृत व्याकरण के नियमानुसार हलन्त का यथास्थान प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं है, हानि है। महान् के स्थान पर महान, जगत् के स्थान पर जगत, वरन् के स्थान पर वरन, किञ्चित् के स्थान पर किञ्चित होना चाहिये।

आप ‘पुस्तक-जगत्’ को ‘पुस्तक-जगत्’ क्यों नहीं लिखते? नहीं लिखते तो ठीक करते हैं। श्री देवराज के सुझाव परम्परावादी न होकर हिन्दी के लिये रुढ़िवादी है। एकरूपता ही उद्देश्य नहीं है, प्रगतिशीलता भी होनी चाहिए।

श्री सुधीरचन्द्र मजूमदार

रामदयालु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गगेया, मुजफ्फरपुर के प्राचार्य सुधीरचन्द्र मजूमदार ने लिखा था —

अब हिन्दी सर्व-भारतीय भाषा बन गई। अतः इसे सर्वमान्य करने के लिए तथा इसमें एकरूपता लाने के लिए तत्सम शब्दों का शुद्ध सस्कृत विवरण रखना चाहिए। हिन्दी भी अपने शब्द-भंडार के लिए सस्कृत की ही अधिक ऋणी है और वही हिन्दी से दूसरी भारतीय भाषाओं का योगसूत्र है। सस्कृत-व्याकरणानुसार जब दो पदों में सन्धि होनी है तो अनुस्वार या परसवर्ण दोनों शुद्ध हैं, परंतु लिखने की सुविधा के लिए लोग अनुस्वार ही अधिक लिखते हैं। यथा, अलकार, भयंकर, घनजय, किंतु। किंतु जब एक ही पद के भीतर सन्धि हो तो केवल परसवर्ण ही विहित है। अतः शका, शात आदि भूल है।

यहाँ, हूँ आदि में चन्द्रविन्दु सब कोई लिखते हैं, किंतु धरो, में, नहीं, हूँ आदि लिखने में अनुनासिक स्वरमात्र के उच्चारण होने पर भी चन्द्रविन्दु के स्थान -

भाव के कारण अनुस्वार लिखा जाता है। अतः एकरूपता के लिए अनुस्वार का हमारा रूप सोचना चाहिए।

हिन्दी में हल्-चिह्न का भी निर्विचार प्रयोग होता है। स्मरण रहे कि क=क्+अ है और इस अन्तिम अकार को काटने के लिए ही हल्-चिह्न का प्रयोग होता है। प्रायः देखा जाता है कि श्रीमान्, भगवान्, जगत् लिखने में लोग हल्-चिह्न देते ही नहीं (यथा, 'पुस्तक-जगत'), पर उधर गत, सन, दशम, मव्यम लिखने में कसकर हल्-चिह्न दे देते हैं।

संस्कृत के नियमानुसार रोदन, मनस्काम, अन्ताराष्ट्रीय तथा रणजित् शुद्ध प्रयोग हैं। इनके हिन्दी रूप रुदन, मनोकाम, अन्तर्राष्ट्रीय तथा रणजीत दूसरे प्रान्तों के लोगों को जरूर खटकेंगे।

एकवार मुजफ्फरपुर से पटने तक जाते-जाते ही ऐसी नोटिसें नज़र आई — स्टेशन पर 'मुफ्त सेवा प्राप्त किजिए' ट्रेन पर 'पैखाना मुफ्त सफाई किया जाता है', फिर स्टीमर पर 'मव्यम् श्रेणी'। अंगरेजी राज्य में अथवा आज भी नोटिसों में कभी गलत अंगरेजी देखी, ऐसा ब्याल नहीं होता है। क्या यह हिन्दी-प्रान्तों के लिए लज्जा की बात नहीं है?

श्री देवनारायण द्विवेदी

ज्ञानमण्डल, वाराणसी के श्री देवनारायण द्विवेदी ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे :—

१ (क) विभक्तियाँ मिलाकर लिखी जानी चाहिए। यह सिद्धान्त ठीक नहीं है कि सर्वनामों के साथ विभक्तियाँ जुड़ी रहे और अन्यत्र वे अलग रहे। हर जगह जुड़ी रहना ही सङ्गत है। (च) 'वाला', 'वाली' आदि शब्द से जुड़ा रहना चाहिए। (ज) जहाँ तक हो सके हाइफन का प्रयोग कम होना चाहिए।

२ (क) प्रायः हर जगह 'ये', 'यी' का ही प्रयोग होना चाहिए। 'हँसता गया', 'हँसते गये', वस यही ठीक है। किन्तु कुछ स्थानों में 'ए' अथवा 'ई' का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे—'इसलिए', 'दिखाई पड़ना' आदि में।

३ (क) यदि कोई संस्कृत शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना पसन्द करे तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए।

४ (क) अक्षर के नीचे नुक्ते का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ अर्थ में भ्रम हो, वहाँ किया जा सकता है। (ग) जो शब्द हिन्दी में घुलमिल गये हैं, उनके लिए अर्द्धचन्द्र लगाना उचित नहीं, जैसे—'डाक्टर'।

५ (क) अनुस्वार के आगे का अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पञ्चम वर्ण के रूप में अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। पर ऐसे स्थानों पर, जहाँ पञ्चम वर्ण मिलाने में अधिक अड़ गा सा हो; जैसे गङ्गा। पर अनुस्वार लगाने से उस शब्द के यथार्थ उच्चारण में किसी तरह का भ्रम न हो, वहाँ अनुस्वार से काम लेना उत्तम है, जैसे गगा।

श्री हर्षनारायण

२०, शिवगढ क्वाटर्स, शिवाजी मार्ग, लखनऊ से श्री हर्षनारायण जी ने लिखा था —

१. (क) विभक्तियाँ सर्वनामों से भी असयुक्त ही रहनी चाहिए। (ख) पूर्वकालिक क्रियाओं का 'कर' भी उनसे असयुक्त रहना चाहिए, अन्यथा एक के बाद एक कई पूर्वकालिक क्रियाओं का प्रयोग करने पर प्रत्येक के साथ अनावश्यक रूप से 'कर' की आवृत्ति करनी पड़ेगी। हम 'खा, पी और खेल कर सोया' लिख सकते हैं, तब 'खाकर, पीकर और खेलकर सोया' क्यों लिखें? 'कर' के क्रिया का अग बन जाने पर तो इसे 'खा' और 'पी' से वियुक्त क्रिया ही नहीं जा सकता। और 'कर' तो एक स्वतंत्र क्रिया ही है। वह अन्य क्रियाओं के साथ पर्याप्त कारण के अभाव में क्यों मिले? (ड) मैं सख्यावाचक 'प्रति' को भी सज्ञा के साथ मिलाकर लिखने का औचित्य नहीं देखता। 'प्रतिक्षण' और 'प्रतिदिन' जैसे शब्दों में तो ऐसा करने में कठिनाई नहीं जान पड़ती, किन्तु 'प्रति दो सहस्र' में क्या करेंगे? इन तीन शब्दों को मिलाये बिना प्रारूपस्थ सुझाव का पालन होगा नहीं और इन्हें मिलाकर लिखने में 'प्रतिदोसहस्र' जैसा बेडौल पद बनता है, अतः प्रति को पृथक् ही रहने दीजिए। अंग्रेजी में भी तो 'per' पृथक् ही रहता है। (च) 'वाँसुरी वाला', 'दौड़ने वाला', आदि में 'वाला' पृथक् ही रहना चाहिए। डॉ० नगेन्द्र का मिलाकर लिखनेवाला सुझाव मान लेने पर 'मैं ही गाने, बजाने और नृत्य करने वाला हूँ' में 'वाला' किस शब्द के साथ मिलायेंगे? क्या उसकी तीन बार आवृत्ति करेंगे? लेखक, पाठक और मुद्रक को आवश्यक कष्ट क्यों दिया जाय? (छ) 'जी' को मूल सज्ञा से पृथक् रखना ही श्रेयष्कर है। अन्यथा कहीं 'पखावजी', 'भट्टाचारजी', जैसे शब्दों के 'जी' को आदर सूचक न समझ लिया जाय। इसके अतिरिक्त 'मोहन दास करमचन्द गांधी', में 'जी' कहीं किस शब्द के साथ मिलाकर लिखेंगे? आलोच्य सज्ञा के तीनों शब्द अलग-अलग लिखे जाते हैं, जिनमें से किसी एक शब्द के साथ 'जी' लगाना 'असमीचीन' होगा। (ज) निम्नलिखित और 'यथास्थान' जैसे विशेषण और क्रियाविशेषणों में युग्मेखा (हाइफन) की

आवश्यकता नहीं, उनके सघटक शब्दों को मिलाकर ही लिखना चाहिए। 'आत्महत्या' जैसी सजा के संघटक शब्द भी मिले ही रहने चाहिए। किन्तु 'रहन-सहन' जैसी सजाओं के सघटक शब्द युग्रेखा से ही जुड़े हों तो अच्छा। 'रहन-सहन' और 'आत्महत्या' में अन्तर यह है कि पहले में 'रहन' और 'सहन' दोनों शब्द अपने मूल रूप में सुरक्षित और पहचाने जाने योग्य हैं, जबकि दूसरे में 'आत्मा' अथवा 'आत्मन्' 'हत्या' से समस्त होने के साथ ही अपना मूलरूप खोकर 'आत्म' बन चुका है और इसी कारण अपनी पूर्णता में पहचाने जाने योग्य नहीं है। अतः उसे युग्रेखा द्वारा संयुक्त करना व्यर्थ है। युग्रेखा तो वहाँ आवश्यक है, जहाँ शब्द अपने प्रकृत रूप में स्थित हो।

२. (क) 'या' से अन्त होनेवाली सभी क्रियाओं के स्त्रीलिङ्ग और बहुवचन रूप में 'यी' और 'ये' का प्रयोग होना चाहिए, 'ई' और 'ए' का नहीं। जब 'हँसता गया' लिखते हैं तो 'हँसते गये' क्यों नहीं? (ग) इस सुझाव से मैं सर्वथा सहमत हूँ कि क्रिया और विभक्ति के रूप में क्रमशः 'लिये' और 'लिए' होने चाहिए।

३. (क) 'महत्त्व', 'तत्त्व' और 'उज्ज्वल' ही शुद्ध रूप हैं, संस्कृत ही में नहीं, हिन्दी में भी। हाँ, 'कर्त्तव्य' लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि यहाँ 'त' का द्वित्व इस प्रकार के किसी समास का परिणाम नहीं। 'दु.त्त्व' ही ठीक है, 'दुत्त्व' नहीं।

४ (क) ऊर्ध्व तथा अन्य भाषाओं के शब्दों के नीचे यथावसर विन्दु का प्रयोग सर्वथा ग्लान्य है, अन्यथा हम 'जलील' (नीच) को 'जलील' (श्रेष्ठ) लिखने की भूल कर बैठेंगे। हम हिन्दी वाले अन्य भाषाओं से गृहीत शब्दों की ध्वनि जान बूझकर क्यों विकृत करें, जबकि हमारी लिपि, केवल विन्दु का प्रयोग कर, उसे अक्षुण्ण रखने में समर्थ है।

५ (क) अनुस्वार का ही सर्वत्र प्रयोग होना चाहिए न कि ण, म और ञ के अर्धांशों का। (ख) चन्द्रविन्दु अनावश्यक है, अनुस्वार ही पर्याप्त है। ध्वनि-भेद तो पाठक स्वयमेव, अनायास ही कर लेगा। आखिर कतिपय मात्राओं के साथ चन्द्रविन्दु का प्रयोग प्रारूप में भी वर्जित किया ही गया है।

प० मु० डाँगरे

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति से पं० मु० डाँगरे ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे —

अब हिन्दी भाषा तथा लिपि से सम्बन्धित विषयो पर प्रदेश-सीमित मलिप्तता से सोचने के दिन नहीं रहे हैं। विभक्तियाँ सटाकर लिखी जायँ या अलग से, इस प्रश्न पर विचार करते समय हमारे लिए अन्य भाषाओं की लेखन-परिपाटियों पर भी विचार करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, मराठी में विभक्ति प्रत्यय शब्दों से सटाकर ही लिखे जाते हैं, वैसे ही गुजराती, बंगला आदि भाषाओं की परिपाटियों को बारीकी से, भाषाविज्ञान की दृष्टि से देखलेना लाभकारी है। अखिल भारतीय ढंग से सोच-सुलझा लेना परम आवश्यक हो गया है, नहीं तो प्रदेश-प्रदेश के अपने अलग-अलग राग सुनने को मिल जाते हैं।

१. (घ) सस्कृत की सामासिकता हिन्दी में नहीं लानी चाहिए। 'पदच्युत', 'हितचिन्तक' आदि शब्द बीच में हाइफन देकर ही लिखे जाने चाहिए। जैसे 'पदच्युत', 'हित-चिन्तक' आदि। (ङ) 'प्रतिक्षण', 'प्रतिदिन' शब्द भी अलग-अलग ही लिखे जायँ। (च) 'वाला' के प्रयोग से बनी कतृवाचक सज्ञाओं के दोनों खंड सयुक्त लिखे जायँ, जैसे—दौड़नेवाला। (ज) वाद-विवाद, चाल-चलन आदि शब्द हाइफन देकर लिखे जायँ।

२. (क) सर्वत्र एक ही रूप का निश्चय होना जरूरी है।

३. (क) हिन्दी में सस्कृत के शब्द शुद्ध रूप में ही लिखने चाहिए। महत्त्व, उज्ज्वल, तत्त्व, नि सकोच ही ठीक हैं। तत्सम की ओर प्रवृत्ति ही ठीक है।

गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्त शास्त्री

श्री गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्त शास्त्री (वाराणसी) के सुझाव इस प्रकार थे .—

१. (क) 'चाहिए' शब्द अव्यय है। जिसका व्यय, क्षय परिवर्तन या वृद्धि न हो वही अव्यय है। 'आम खाना चाहिए', 'आम खाने चाहिए', 'लीची खानी चाहिए', 'लीचियाँ खानी चाहिए'। यहाँ 'खाने' और लीचियाँ शब्दों से बहुत्व प्रकट हो गया है। 'चाहिए' शब्द में चन्द्रबिन्दु देना अनावश्यक है, बल्कि व्याकरण के नियम से वह अशुद्ध है। जिस शब्द की वह विभक्ति है, उसके साथ उसे सयुक्त रखना ही उचित है। सस्कृत और बंगला में यही नियम है। सर्वनाम के साथ विभक्ति युक्त रहेगी, सज्ञा के साथ अलग—इस मत के पक्ष में कोई युक्ति नहीं है, 'राम ही को' न लिखकर 'राम को ही' लिखने से भाव में कोई अन्तर नहीं पड़ता। सस्कृत वाले विभक्तियों को शब्द में मिलाकर ही लिखते हैं।

(घ) समास युक्त पद मिलित रहेंगे—इतना कहने से ही काम चल सकता है। बीच की विभक्ति या शब्द का लोप करके ही समास बनता है। जैसे—पद से च्युत = पदच्युत, हित का चिन्तक = हितचिन्तक, कला से पूर्ण = कलापूर्ण, तुलसी द्वारा कृत = तुलसीकृत, शोक से ग्रस्त = शोकग्रस्त, भाव से हीन = भावहीन, साम और समुद्र के पदों की पूजा = सामसमुद्रपदपूजा।

प्रत्यय भी शब्द से मिले रहते हैं—जैसे—कोलाहलमय, द्रुततर, चपलतम, पागलपन, समझदार, मकानवाला, वावूगीरी, मददगार, पीलवान आदि।

(ङ) उपसर्ग भी शब्द से संयुक्त रहते हैं। जैसे प्रशिक्षण, प्रतिदिन, अपवाद, निर्लौभ, दुर्दशा, विपक्ष, अधिरथी, सन्यास आदि।

(च) (ज)—नियम (घ) में दिया गया है।

(झ)—(घ) में लिखित समासयुक्त शब्दों में भी (-) हाइफन लिखा जा सकता है, जैसे—कला-पूर्ण, शान्ति-रक्षक, तुलसी-कृत, शोक-ग्रस्त, भाव-हीन आदि तथा कृपिमत्री, शब्दनागर, सिगरेटकेस आदि हाइफन न देकर मिलाकर भी लिखे जा सकते हैं।

(२) (क) गया से गये, गयी और हुआ से हुए, हुई होना ही स्वाभाविक है। गए, गई, या हुआ, हुयी लिखना अशुद्ध है। गया से 'य' उड़ जाए, और स्वर का 'ए' या 'ई' आ जाए तथा 'हुआ' से 'अ' उड़ जाए और व्जजन का 'ये' या 'यी' आ जाए, इसे व्याकरण के किसी नियम से सिद्ध नहीं किया जा सकता।

बच्चे को चुप करने के 'लिए' माँ उसे गोदी में 'लिये' टहल रही है—इस प्रकार दो प्रकार के 'लिए' में रूप-भेद होना ही चाहिए। लिये क्रिया है, माने—'लेकर' है। 'एक आम लिया', 'दो आम लिये', यहाँ 'लिए' लिखना अशुद्ध है।

३. (क) तत् + त्व = तत्त्व, सत् + त्व = सत्त्व, महत् + त्व महत्त्व भी शुद्ध रूप हैं। त, स, या मह कोई सार्थक शब्द या उपसर्ग नहीं है कि उनमें त्व जोड़ दिया जाए। सम्भ्रन से केवल तीन ही तो त-कारान्त शब्द हिन्दी में आये हैं। इन्हें याद रखना कोई कठिन बात नहीं है।

'उत्' उपसर्ग है। उसमें 'ज्वल' शब्द लगने से उज्ज्वल होता है। त् उड़ नहीं जा सकता, केवल उ उपसर्ग भी नहीं है। प्र + उत् + ज्वल = प्रोज्ज्वल। किन्तु प्र + ज्वनित = प्रज्वनित शुद्ध है। रेफाक्रान्त वर्ण विकल्प में द्विगुणित होता है। एक वर्ण लिखने में ही काम चल सकता है। जैसे—कर्म, धर्म, कार्य, पर्वत, कर्तव्य आदि।

(ख) हिन्दी में अकारान्त शब्द हलन्त उच्चारित होता है। अतः भगवान्, श्रीमान्, किञ्चित्, पृथक् आदि शब्दों में 'हल' चिह्न लगाकर—रूप, सूचक, अलग, शरीर, आदि से पृथक् करना अनावश्यक है।

५. (क) हिन्दी शब्द में अनुस्वार और संस्कृत शब्द में पचम वर्ण—ऐसा एक नियम बन जाए तो हजारों शब्दों को छाँटना न पड़ेगा। जैसे—अंडबड, ऊटपटाग, ढंग, तग, नगा, पखा, गज, झंझट, अदाज, फदा, खंडहर, आदि तथा गङ्गा, मङ्गल, शङ्ख, शङ्का, काञ्चन, लाञ्छना, पञ्चाङ्ग, कण्ठ, दण्ड, पण्डित, अन्त, चन्द्र, मन्दिर, अन्ध, गन्ध, कम्पन, दम्भ, सम्बन्ध, आदि। शुद्ध और सुन्दर शब्द संस्कृत के हैं, यह सहज ही जाना जा सकता है।

क्रिया के भविष्यत् काल में 'ग' के पूर्व अनुस्वार लिखना ही उचित है। वहाँ 'ङ्ग' का ही उच्चारण होता है। जैसे खाऊँगा, जायेंगे, आयेगी। खाऊँ, जाये, आयें आदि में चन्द्रबिन्दु का जैसा उच्चारण है, इसके आगे 'गा' उच्चारण करने से भविष्यत् काल का ठीक उच्चारण नहीं होता, 'ग' के पूर्व स्पष्ट ड् की ध्वनि निकलती है।

श्री कृष्ण विकल

विवेच्य प्रारूप पर श्री कृष्ण 'विकल' ने कुछ विस्तार से विचार करते हुए लिखा था .—

हिन्दी में लेखन-मुद्रण की जो बहुरूपता चल रही है। उससे न केवल प्रेस और प्रकाशक को दिक्कत होती है, बल्कि हिन्दी सीखने वालों को बड़ी भारी द्रुविधा का सामना करना पड़ता है। अभी तक अपनी डफली अपना राग चल रहा था। इधर अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सघ ने इस ओर ध्यान देकर बड़ी भारी खटक को सुधारने की जो कोशिश की है, वह स्वागत-योग्य है।

१. 'उसपर' आदि को मिलाने की बात समझ में नहीं आई, यह भी तो 'ने' की तरह अधिकरण की विभक्ति है।

घ, ड, ज ओर झ पाँच (१-५) उपभागों में समस्त शब्दों पर विचार किया गया है। पर सभी कुछ गड्-डमगड् है। क्या सख्यार्थक 'प्रति' उपसर्ग से बने शब्द ही मिले रहेंगे, 'प्रतिकूल', 'प्रतिदान', 'प्रतिरूप' आदि विपरीतार्थक प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द नहीं? क्या 'यथास्थान' 'अनुक्षण' आदि सभी सोपसर्ग शब्द इस नियम में नहीं आ सकते थे? घ में जो शब्द गिनाये गये हैं, उनके रटने से क्या काम बन सकता है? चाहिए तो यह था कि समस्त शब्दों की स्थिति पर गभीरता

पूर्वक विचार करके, समास की प्रकृति को देखकर एक शिरोरेखा में रखने या युग्मेखा (-) डालने का विधान किया जाता ।

वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दी में समास हो जाने पर पृथक्-पृथक् शब्दों के स्थान पर मिलित रूप एक शब्द बन जाता है । इससे स्पष्ट है कि हिन्दी में समस्त शब्द मिले रहने चाहिएँ या उससे वे हाइफन से परस्पर सम्बद्ध बने रहने चाहिएँ ।

संस्कृत में समस्त शब्दों को मिलाकर लिखने का ही विधान है । संस्कृत में भी युग्मेखा का प्रयोग दिखाई देता है, पर वही जहाँ कोई शब्द या समस्त शब्द एक ही पक्ति में पूरा न आकर दूसरी पक्ति में उसका शेष भाग चला जाता है । युग्मेखा के अन्यान्य प्रयोग हिन्दी में अंग्रेजी से आये हैं । पर अंग्रेजी में हाइफन का वैसे प्रयोग वाहुल्य नहीं है, जैसा हिन्दी में है । वे 'पब्लिकेशन डिपार्टमेंट', 'ह्यूमैन सर्विस', 'स्लोली स्लोली' आदि अनेकानेक समस्त शब्दों में हाइफन नहीं लगाते, पर हिन्दी में प्रकाशन-विभाग, मानव-सेवा, वीरे-वीरे आदि में युग्मेखा लगाने का आग्रह है ।

यहाँ किसी भाषा के अधानुकरण से काम नहीं चलेगा । हिन्दी भाषा की प्रकृति में समस्त शब्दों की समस्तता तबतक अखण्डित रहेगी, जबतक उन्हें एक शिरोरेखा में रखा जायगा अथवा उन्हें युग्मेखा से सम्बद्ध रखा जायगा ।

अब प्रश्न यह है कि कहाँ समस्त शब्द को एक शिरोरेखा में रखा जाए और कहाँ युग्मेखा से सम्बद्ध किया जाय ।

यद्यपि समग्र रूप से इसके लिए कोई अपरिवर्तनीय विधान लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी कई दशाएँ ऐसी हैं, जहाँ समस्त पद को अनिवार्य रूप से एक शिरोरेखा में रखना ही उचित है या अनिवार्य रूप से युग्मेखा से ही सम्बद्ध किया जाना चाहिए । उस पर विचार करने से पहले मोटे रूप से हमें यह जान लेना चाहिए कि एक शिरोरेखा में रखने का और युग्मेखा देने का मूल उद्देश्य क्या है ।

स्मरण रखना चाहिए कि समस्त शब्दों में युग्मेखा वही दी जानी चाहिए, जहाँ समास करते हुए भी उन्हें पृथक् देखने वाले शब्दों के रूप में रखना अभीष्ट हो । इसी प्रकार वही शब्द एक शिरोरेखा में मिले हुए आते हैं, जो या तो सन्धि से जुड़े रहते हैं या फिर बहुधा जो मिलकर एक अलग अथवा विशिष्ट अर्थ प्रस्तुत करते हैं ।

इस विषय पर समास-भेद की दृष्टि में विचार करना चाहिए ।

(१) बहुव्रीहि समास एक शिरोरेखा के भीतर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ किसी पद-विशेष का महत्त्व नहीं होता, बल्कि उन पदों को मिलाने पर एक पृथक् अर्थ निकलता है। जैसे दशमुख, चतुर्भुज, कमलनेत्र, घनश्याम, बारहसिंगा, सरलहृदय आदि।

(२) इसके विपरीत द्वन्द्व की प्रकृति ऐसी है कि इसमें अनिवार्य रूप से युग्मेखा का प्रयोग करना चाहिए—जैसे, पति-पत्नी, लेन-देन आदि।

(३) अव्ययीभाव समास में जब अव्यय जुड़ता है तो शब्द एक ही शिरोरेखा में मिले रहने चाहिए। जैसे—यथाशक्ति, अनुक्षण, आजीवन, प्रतिकूल आदि। किन्तु जब अव्यय या शब्द, शब्द के बाद जुड़ता है तो हाइफन लगाना उपयुक्त रहेगा। जैसे—दिन-भर, स्वप्न-मात्र, साफ-साफ, रोज-रोज आदि।

(४) तत्पुरुष समास के बारे में।

कर्मधारय समास में जहाँ (क) विशेषण विशेष्य में समास किया जाता है, वहाँ मिला रहना चाहिए। क्योंकि इस समास के हो जाने पर दोनों पद आपस में घुलमिल जाते हैं। जैसे लालमिर्च, शीतयुद्ध, उषाकाल, उभयपद आदि।

(ख) पर जहाँ उपमान-उपमेय में समास किया जाता है, वहाँ युग्मेखा प्रयोग करना अधिक संगत है। क्योंकि यहाँ समास हो जाने पर भी दोनों शब्दों का 'पृथक्त्व' बना रहता है। जैसे—चरण-कमल, मुख-चन्द्र आदि।

द्विगु समास में समस्त पद शिरोरेखा में रहना चाहिए। [क्योंकि प्रायः इस समास में पूर्व सख्या पद में कुछ विकार हो जाता है या परस्पर सन्धि हो जाती है, जिससे दोनों पद पृथक्-पृथक् नहीं रह पाते।] जैसे—इकन्नी, दुवन्नी, अठन्नी, त्रिलोकी, तिराहा, इकहरा, दुहरा, पसेरी, आदि। इसमें पदसमूह मिलकर ऐसे-एकरूप हो गये हैं कि युग्मेखा की गु जाइश ही नहीं रह पाई।

अब रह गया तत्पुरुष (कारको में) समास। ऐसे तत्पुरुष में जो शब्द परस्पर बहुत घुले मिले न हों, उनमें हाइफन का प्रयोग अच्छा रहेगा। जैसे—हवन-सामग्री, देश-निकाला, कृषि-मन्त्री, शब्द-चमत्कार, सिग्रेट-केस, पाँव-तले, सरकार-विरोधी, नदी-किनारे, मुझ-सा, उस-जैसा आदि।

किन्तु उक्त समास में ऊपर शब्द या शब्दांश जब पूर्वपद के अर्थ से घनिष्ठ-रूप से सम्बद्ध रहते हैं, वहाँ समस्त पद एक शिरोरेखा में आने चाहिए। जैसे—रसहीन, न्याययुक्त, फलप्रद, लाभदायक, क्षतिग्रस्त, स्नेहपूर्वक, आश्चर्यजनक, साहसपूर्ण, परिणामस्वरूप, एकनिष्ठ, प्रेममय, पदच्युत, हानिकारक, जलद आदि।

साथ ही जहाँ समस्त पद में सन्धि रहती है, वहाँ हाइफन नहीं आ सकता। जैसे चञ्चाहत, प्राणाधार, कथनानुसार।

जहाँ तत्पुरुष में समस्त पद के पूर्व पद में विकार आ जाता है, वहाँ हाइफन की गुंजाइश नहीं रह जाती, जैसे घुडदीड, लखपति, राजपुरुष आदि।

मक्षेप में कहा जा सकता है कि तत्पुरुष समास में न तो अपरिहार्य रूप में युग्मका का विधान ही किया जा सकता है और न ही वहिष्कार। इसके लिए दृष्टि ही प्रधान है। इसके मूल में यही सिद्धान्त काम करता है कि समस्त पद घुले-मिले हों तो एक शिरोरेखा में दे देने चाहिए। और यदि अप्रचलित या लम्बे-लम्बे समस्त पद हों तो सुविधा के लिए उनमें हाइफन का प्रयोग करना चाहिए जैसे—

एक शिरोरेखा में—मातृसेवा, देशप्रेम, अनारदाना, जेवखर्च, मोरपख, तत्संबंधी आदि।

युग्मका से सम्बद्ध —समाज-मुधारक, मानवता-प्रेम, होटल-खर्च, शिल्प-कला-विशारद आदि।

(२) क्रिया के रूपों के सम्बन्ध में—संयुक्त क्रियाओं के अंत में 'ए' और 'ई' का प्रयोग उचित नहीं। 'रोती गयी' 'रख दिये' को 'रोती गई' 'रख दिए' लिखने से अव्यवस्था और बढ़ेगी।

(३) महत्त्व, कर्तव्य, उज्ज्वल, तत्त्व, दुःख, किंचित्, पृथक्, ये रूप ही शुद्ध हैं। हाँ भगवान, महान, विद्वान इन शब्दों में हल् न करना अधिक व्यवहार्य है।

(४) अंग्रेजी शब्दों में अर्ध चन्द्राकार (~) लगाने की आवश्यकता नहीं — जैसे 'डाक्टर, काँफी' को डाक्टर, काफी लिखना ही ठीक है, क्योंकि उच्चारण इसी रूप में होता है।

अनुस्वार और पञ्चमाक्षर प्रयोग दोनों ही विकल्प से चलने देने चाहिए, इनमें उच्चारण की मही विधि का ज्ञान सरलता से हो जायगा। 'ड्, ङ्' के स्थान पर अनुस्वार लगा देने में ड् और ङ्, वित्कुल निरर्थक हो जाएँगे। तब तो वर्ण-माला में उनका कोई स्थान ही नहीं रह जायगा। मान लीजिए, उन्हें वर्णमाला में ही निकाल दिया गया तो पञ्चमाक्षर नियम से अनुस्वार जो ड् और ङ् की ध्वनि देता है, उसको किसी वर्ण की अभिधा न दी जा सकेगी या उच्चारण ही भ्रष्ट हो जाएगा।

रह गई चन्द्रबिन्दु की बात । सो चन्द्रबिन्दु का पूरा लाभ नागरी लिपि में प्राप्त किया नहीं जा सकता । 'ी' 'ै' 'ौ' पर इन्हे फिट नहीं किया जा सकता, तो फिर जिस अन्दाजे से 'खिच' भिच', 'खेच' 'होठ' आदि ठीक पढ लिये जाते हैं वैसे ही हस, उंह, फाक, माग, मुंह, मूंग आदि शुद्ध पढ लिये जा सकते हैं । स्पष्ट हैं कि चन्द्रबिन्दु के प्रयोग से कोई विशेष लाभ नहीं ।

भारतीय हिन्दी परिषद् :

वर्तनी की एकरूपता के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप

[फरवरी, १९६१ ई० में परिषद् का वर्तनी विषयक यह 'प्रारूप' प्रकाशन-समाचार तथा अन्य कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था—लेखक]

प्रस्तावना—अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सघ ने लेखन-मुद्रण में एकरूपता के लिए वर्तनी सम्बन्धी नियमों का एक प्रारूप प्रचारित किया है । भारतीय हिन्दी परिषद् का ध्यान भाषा की एकरूपता तथा स्थिरीकरण की व्यापक समस्या पर आज से दस वर्ष पहले ही गया था । उसके पटना अधिवेशन में इस विषय की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से विचार भी किया गया था । हिन्दी अनुशीलन का भाषा-अंक भाषा और लेखन-शैली के स्थिरीकरण के उद्देश्य से ही निकाला गया था । परन्तु इस विषय में भारतीय हिन्दी परिषद् ने अब तक अपना कोई निश्चय नहीं प्रकट किया है । प्रकाशक-सघ के उपर्युक्त प्रारूप के प्रचारित होने पर परिषद् की कार्यकारिणी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया कि कम-से-कम उन समस्याओं पर भारतीय हिन्दी परिषद् को अपना मत निर्धारित कर ही लेना चाहिए जिनके बारे में प्रकाशक सघे निर्णय कर लेना चाहता है । और इस उद्देश्य से उसने एक प्रारूप तैयार करने का कार्य एक समिति को सौंपा, जिसके सदस्य डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, डॉ० हरदेव बाहरी और डॉ० रघुवन्श (संयोजक) रखे गए । समिति ने कुछ बैठकें कर निम्नलिखित प्रारूप परिषद् के विचारार्थ निर्मित किया है ।

उद्देश्य—वस्तुतः वर्तनी के प्रश्न पर केवल यात्रिक सुविधा तथा उपयोगिता की दृष्टियों से विचार करना उचित नहीं माना जा सकता । वर्तनी भाषा से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होती है और भाषा की शैली तथा प्रवाह पर भी उसका प्रभाव पड़ता है । वर्तनी के नियमों का निर्धारण करने में इस कारण भाषा की मौलिक प्रकृति को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है । इधर कुछ साहित्यिक प्रकाशन

सस्याएँ छपाई की सुविधा के नाम पर वर्तनी की जिस पद्धति का अनुसरण कर रही है, वह भाषा की प्रकृति के सर्वथा अनुकूल नहीं है और उसमें भाषा की गैली बोझिल होती है तथा गति रुद्ध होती है। लेखन-गैली अथवा वर्तनी में सशोधन करने का एक मात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह भाषा की मूल प्रकृति को अक्षरो तथा अको के माध्यम से व्यक्त करने में अधिक-से-अधिक सहायक हो सके।

नियमों का आधार—भाषा की मूल प्रकृति की रक्षा करने हुए इस सम्बन्ध में नियमों का निर्धारण १—भाषा वैज्ञानिक प्रमाण २—स्पष्टता—वर्तनी के साथ अर्थ की ३—परम्परा तथा ४—सुविधा के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि भाषा का मूल रूप उसके प्रयोग करने वाले लेखकों, विचारकों, साहित्यिकों के द्वारा निरूपित होता है, नियमों को बनाने वाले वैयाकरणों से नहीं, वे उनके निरूपक मात्र होते हैं। ऐसी स्थिति में उपयुक्त आधारों का निरूपण भाषा का प्रयोग करने वालों की दृष्टि से ही होना चाहिए।

नियमावली

१. वियुक्त शब्द, सयुक्त शब्द या हाइफन का प्रयोग

१—हिन्दी की मूल प्रकृति विश्लेषणात्मक है, संस्कृत के समान संश्लिष्ट नहीं। समास-युक्त शब्दों का प्रयोग भी संस्कृत की शैली है, हिन्दी की नहीं। हिन्दी में सजा शब्दों का विशेषण रूप में प्रयोग सर्व प्रचलित है, इस कारण संस्कृत के समान दो सजा शब्दों में विभक्ति चिह्नों का प्रयोग हुए बिना भी उनका समास-युक्त होना उसमें आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में हिन्दी में प्रयोग के आधार पर संस्कृत से भिन्न नियमों का अनुसरण आवश्यक है।

(क) हिन्दी की परम्परा कर्मवारय समास से शब्दों को पृथक्-पृथक् रखने की है। जैसे कृष्ण सर्प, गम्भीर पुरुष, शुद्ध जल। यह हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रकृति के अनुकूल है, माय ही विशेषण तथा विशेष्य की स्पष्ट अलग स्थिति को भी व्यक्त करती है। अतः इसे ही मान्य माना जाय।

(ख) हिन्दी की इसी प्रकृति के अनुसार द्वन्द्व समास की स्थिति में भी शब्दों को अलग-अलग (कामा देकर) रखना उचित है, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध आदि।

(ग) तत्पुन्य समास की वर्तनी प्रयोग के अनुसार विविध रहनी चाहिए, यथा

(अ) दो छोटे-छोटे शब्दों को जोड़ देना अपेक्षित होगा—जैसे, भूदेव, नरपति आदि ।

(आ) पहला तत्त्व यदि विकृत है या अपने मूल रूप में है तो भी दोनों शब्दों को जोड़कर लिखना उचित है—जैसे, वाक्कलह, द्विजार्थ, राजपुरुष, पितृसम आदि । वास्तव में ऐसे शब्द सस्कृत के नियमानुसार ही सिद्ध हैं, अतः इनका प्रयोग उसी रूप में करना चाहिए ।

(इ) दो बड़े-बड़े शब्दों को अलग रखना ही उचित होगा—जैसे, साहित्य समारोह, शब्द चमत्कार आदि । उन्हें मिलाकर लिखने से भाषा बोझिल होगी ।
(कर्मधारय)

(ई) दो से अधिक शब्दों के समासयुक्त शब्द पृथक् ही रखे जाएँ—जैसे, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा ।

(घ) द्विगु समास जोड़कर लिखना उचित होगा—जैसे पंचजन्य, त्रिभुवन आदि । ये शब्द भी सस्कृत से ही सिद्ध हैं, हिन्दी में भी इस प्रकार समास जुड़कर एक शब्द बन गए हैं, जैसे दुचिता, चौराहा, छपेटी, सतनजा आदि ।

(ङ) बहुव्रीहि समास तो वास्तव में सस्कृत में भी अर्थ की दृष्टि से एक ही शब्द हो जाता है, हिन्दी में तो वह इस रूप में माना ही जाना चाहिए—जैसे, मेघनाद, महाबाहु, जलजात, अपुत्र, सपत्नीय आदि ।

(च) अव्ययीभाव समास की स्थिति में भी शब्दों को जुड़ा ही रखना चाहिए—जैसे, यथास्थान, यथासम्भव आदि ।

२—(क) हिन्दी के अपने शब्दों में इस प्रकार का समास करना उसकी अपनी प्रकृति के विरुद्ध होगा । हिन्दी में ऐसे शब्द अलग-अलग रहेंगे अथवा हाइफन से जोड़े जाएँगे, जैसे सिगरेट-केस, देख-भाल ।

(ख) प्रति (अलग)—प्रति दिन, हर रोज ।

वाला (अलग)—बाँसुरी वाला, दौड़ने वाला ।

अपवाद—किन्तु जब 'वाला' लगाकर एक वस्तु या व्यक्ति का अर्थ घोषित होता हो, तो उसे मिलाकर लिखना चाहिए, जैसे झुन-झुनवाला, शोरेवाला, अगर-वाला ।

(ग) 'जी' का प्रयोग अलग होना चाहिए, जैसे हिन्दी में 'श्री' का हो रहा है ।

३—(क) परसर्ग अलग रहने चाहिए। वास्तव में इनको विभक्ति कहना गलत है। हिन्दी में कारको को गलत ढग से कहा जाता रहा है। वस्तुतः ये अन्य परसर्गों के समान ही हैं। अन्य परसर्गों को अलग रखने के बारे में कोई समस्या नहीं है—जैसे, समान, नीचे, ऊपर, तले, भर आदि। अतः ने, को, से, के लिए, का, की, के, मे, पर आदि को सज्ञा और सर्वनाम दानो से अलग रखा जाना चाहिए।

(ख) पूर्वकालिक क्रियाओं का 'कर' अलग रहना चाहिए। ऐसा करने से अधिक स्पष्टता रहेगी, क्योंकि इस प्रकार के अन्य शब्द भी बनते हैं जिनमें भ्रम हो सकता है। साथ ही, उच्चारण में आघात का अन्तर पडता है। पूर्वकालिक क्रियाओं के रूप में 'कर' का उच्चारण क्रिया के अक्षर के बाद अलग, स्वतन्त्र हो जाता है—जैसे, सी कर, और सीकर के उच्चारण में अन्तर है, यहाँ अर्थ में भी अन्तर है। मिला देने से उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा। मिला देने से 'कर' के 'क' का उच्चारण हिन्दी की प्रकृति के अनुसार स्वरहीन हो जायगा और यहाँ 'कर' का स्पष्ट उच्चारण आवश्यक है—जैसे जा कर, खा कर, पी कर, सो कर।

(ग) सयुक्त क्रियाओं में दोनों क्रियाएँ अलग होती हैं, उनको अलग रखना चाहिए। वस्तुतः ऐसा ही होता है, यहाँ कोई समस्या नहीं है।

२ या, ये, अथवा आ, ए, ई अन्त्य ध्वनियों के रखने की समस्या

इस विषय में पहले हिन्दी में लगभग सर्वमान्य मत था कि इनका वर्तनी में प्रयोग उच्चारण के अनुसार किया जाय। अर्थात् बिना इस बात को ध्यान दिए कि सज्ञा, विशेषण अथवा भूतकालिक कृदन्त आदि का पुलिग या एकवचन रूप केवल स्वर में अन्त होता है अथवा 'य' के साथ, इसकी बहुवचन तथा स्त्रीलिङ्ग की वर्तनी में उच्चारण के अनुसार स्वर का ही प्रयोग किया जाता था—अर्थात्, गाय-गाएँ, नया-नई, गया-गए। इधर वर्तनी की एकरूपता की दृष्टि से यह नियम प्रतिपादित किया गया कि जो शब्द पुलिग एकवचन में केवल स्वरात हो, वे बहुवचन और स्त्रीलिङ्ग रूपों में भी स्वरात रहने चाहिए, किन्तु जिनके पुलिग एकवचन रूप में अतः में—'य' अथवा 'या' आता हो, उनके बहुवचन और स्त्रीलिङ्ग रूपों में 'ये'- 'यी' होना चाहिए। यह नियम अपनी स्पष्टता के कारण इधर कुछ स्वीकृति भी पा रहा है।

परन्तु ध्वनियों के नियम तथा उच्चारण की स्पष्टता की दृष्टि से उच्चारण के अनुसार वर्तनी में अन्त्य स्वरों का ही प्रयोग अधिक संगत जान पडता है। अन्ततः यह नियम ही अधिक सुगम सिद्ध होगा, क्योंकि वर्तनी का सम्बन्ध उच्चारण से भी

मानना पड़ेगा। वर्तनी के आधार में सुविधा हो, यह भी एक विचारणीय बात है। साथ ही, य-या के स्थान पर -ई-ए का परिवर्तन समझना भी कठिन नहीं है। क्योंकि अर्धस्वर 'य' और स्वर 'इ' में निकटता का सम्बन्ध है।

(इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय प्रकाशक सघ के प्रस्ताव तो और भी अधिक भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं)

३. हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का प्रयोग

१—हिन्दी में संस्कृत मूल के तद्भव शब्दों का प्रयोग होना तो स्वाभाविक ही है, और इस प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए।

२—संस्कृत तत्सम रूपों का प्रयोग शुद्ध रूप में ही होना चाहिए। इससे शब्द-रूपों को भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से समझने में आसानी होगी, सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त तत्सम शब्दों में एकरूपता रहेगी तथा शब्दों की व्याख्या करना आसान होगा—यथा

महत् + त्व प्रत्यय = महत्त्व, न कि महत्व

उत् + ज्वल प्रत्यय = उज्ज्वल न कि उज्वल

तत् + त्व प्रत्यय = तत्त्व, न कि तत्व

३—हलन्त शब्दों में हलन्त रखना भी उपर्युक्त दृष्टि से आवश्यक होगा। यथा, विद्वान्, महान् आदि।

४. विदेशी ध्वनियों की समस्या

१—फारसी-अरबी की कुछ ध्वनियाँ हिन्दी में आ गई हैं। विशेषकर उत्तर-भारत के पच्छिमी क्षेत्रों में उनका प्रयोग बहुत होता है। यो फारसी-अरबी की सारी ध्वनियाँ उर्दू में भी तद्वत् नहीं रही हैं। जैसे 'क' ध्वनि का उच्चारण उर्दू में भी शुद्धतावादी ही बोलते हैं। ऐसी स्थिति में ख, ज, ग, फ, ध्वनियों को हिन्दी में स्वीकार कर लेना चाहिए। इनके विरोधी जोड़ें भी हिन्दी में हैं। ज, फ, अग्नेजी से भी प्राप्त हैं। अतः शुद्धता के नाते इन ध्वनियों को हिन्दी में रखना चाहिए।

२—अन्य भाषाओं के अनेक शब्द जिनके उच्चारण में बीच के अक्षर की अर्ध-ध्वनि और पूर्ण-ध्वनि सन्देहास्पद हो, उन्हें पूरे अक्षर से ही लिखना चाहिए—जैसे, गरमी, सरदी, शरम, वरफ, गरदन, बरतन, फुरसत आदि।

३—शुद्धता की दृष्टि से अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण की आवश्यकता के अनुसार वर्तनी में अर्धचन्द्र का प्रयोग करना अपेक्षित है—जैसे, डॉक्टर, नॉर्मल, ऑपरेशन आदि ।

५. अनुस्वार और चन्द्रविन्दु

१—संस्कृत में अनुस्वार तथा पंचम वर्ण का विकल्प से प्रयोग होता है । हिन्दी में भी यही प्रवृत्ति प्रचलित है । परन्तु लेखन तथा छपाई में अनुस्वार की बिन्दी के छूट जाने, मिट जाने तथा गिर जाने की बहुत सम्भावना रहती है । हिन्दी में अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग की वैसे भी बहुत प्रवृत्ति है, इस कारण भी यदि वर्तनी में विन्दुओं का प्रयोग कम किया जा सके तो सुविधाजनक होगा ।

(क) पचमवर्गीय व्यंजनों की अनुनासिक ध्वनियों में ङ तथा ञ का यो भी ह्रास हो चुका है, ऐसी स्थिति में इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए—जैसे, अर्किचन, पगु आदि ।

(ख) अन्य पचमवर्गीय व्यंजनों की अनुनासिक ध्वनियों ण, न तथा म का प्रयोग इसी रूप (पंचम वर्ण) में किया जाना चाहिए—जैसे, सम्बन्ध, अन्त, गुण्ठन ।

(ग) अन्यत्र (ऊपर तथा अन्तस्थ व्यंजनों के पूर्व) अनुस्वार के रूप में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग होना चाहिए—जैसे, समय, सरक्षण आदि ।

(घ) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी शब्दों में उच्चारण के अनुसार वर्णों के पंचम वर्ण का प्रयोग किया जा सकता है—जैसे, सेन्ट, पेन्टर आदि ।

२—अनुस्वार तथा चन्द्रविन्दु का अन्तर उच्चारण के कारण है और वह रहना चाहिए । अर्थ की स्पष्टता की दृष्टि से भी आवश्यक है—जैसे, सवार-सँवार हस-हँस आदि ।

परन्तु सुविधा की दृष्टि से स्वरो में अ, आ, उ, ऊ, के साथ, जिनकी मात्राएँ ऊपर नहीं लगती हैं, चन्द्रविन्दु आना चाहिए, परन्तु अन्य स्वरो में विन्दु से चन्द्रविन्दु का काम लिया जा सकता है । स्वरो में अनुनासिकता की समस्या हिन्दी की अपनी है, इस कारण इस विषय में भ्रम की गुँजाइश नहीं होगी—जैसे, हँस, काँस, कुँवर, सूँत, जाँगी, नही, साई आदि ।

भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा नियुक्त

वर्तनी-समिति के निर्णय

शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा नियुक्त वर्तनी समिति की अन्तिम बैठक शिक्षा-मन्त्रालय के सयुक्त सचिव श्री रमाप्रसन्न नायक के कमरे में तारीख १९-४-६१ को हुई ।

बैठक में सर्वप्रथम गत बैठक का कार्य-वृत्त पढकर सुनाया गया, जो स्वीकृत हुआ । इसके बाद सक्षेप में गत दोनो बैठको में हुए सभी निर्णयो पर एक बार पुनर्विचार हुआ और अन्तिम रूप से निम्नलिखित निर्णय स्वीकृत किये गए :

(१) हिन्दी के विभक्ति-चिह्न सर्वनामो के अतिरिक्त सभी प्रसंगो में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ, जैसे राम ने, स्त्री को, उससे, मुझको । परन्तु प्रेस की सुविधाओ को ध्यान में रखकर पत्र-पत्रिकाओ में सज्ञादि शब्दो में भी विभक्तियाँ मिलाने की छूट रहेगी ।

अपवाद : (क) सर्वनामो के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्न हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए, जैसे उसके लिए, इसमें से ।

(ख) सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए, जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को ।

(२) सयुक्त क्रियाओ की सभी अगभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँ, जैसे पढा करता है, आ सकता है ।

(३) 'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ, जैसे आपके साथ, वहाँ तक ।

(४) पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर ।

(५) द्वन्द्व समास में हाइफन रखा जाए, जैसे राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती सवाद ।

(६) 'सा', 'जैसा' आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे तुम-सा, राम-जैसा ।

(७) तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहाँ किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की सम्भावना हो, अन्यथा नहीं ।

(८) जहाँ श्रुतिमूलक य-व का प्रयोग विकल्प में होता है वहाँ न किया जाए, अर्थात् गए-गये, नई-नयी, लिए-लिये आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों में माना जाए।

(९) हिन्दी में ऐ ([^]), औ ([ी]) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनि 'है', 'और' आदि में है तथा दूसरे प्रकार की 'गवैया', 'कौआ' आदि में। इस विषय में यह निर्णय हुआ कि दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों का प्रयोग किया जाए। 'गवडया', 'कववा' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं।

(१०) सस्कृत-मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी के विषय में यह निर्णय हुआ कि उन्हें सामान्यतः सस्कृत-रूप में ही लिखा जाए। परन्तु जिन शब्दों के प्रयोग में हिन्दी में हलन्त चिह्न लुप्त हो चुका है उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए, जैसे 'महान्', 'विद्वान्' आदि में।

(११) पञ्चमाक्षर और अनुस्वार के प्रयोग के विषय में यह निर्णय हुआ कि जहाँ पञ्चमाक्षर के बाद उसीके वर्ग के शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए, अन्यथा उस व्यंजन का यथावत् प्रयोग किया जाए; जैसे अत, अन्य, गगा, वाङ्मय, सपादक, साम्भ्य, सम्मति।

(१२) चन्द्रविट्टु के विषय में यह निर्णय हुआ कि चन्द्रविट्टु का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है; जैसे हम-हँस अथवा अगना-अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चन्द्रविट्टु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। परन्तु जहाँ चन्द्रविट्टु के प्रयोग में छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चन्द्रविट्टु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे वहाँ चन्द्रविट्टु के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग को भी छूट दी जा सकती है। जैसे नहीं, मैं, में, परन्तु कविता आदि के ग्रन्थों में छन्द की दृष्टि से चन्द्रविट्टु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए, जैसे नदनदन।

(१३) हलका, हल्का, भरती, भर्ती, एकाई, इकाई, ठडा, ठंढा; गर्मी, गरमी, गर्दन, गरदन आदि शब्दों की अक्षरी के विषय में विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया कि हिन्दी की वर्तमान प्रवृत्तियों का विचारपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही यह निर्णय सम्भव है कि इन शब्दों के प्रचलित एकाधिक रूपों में से किस रूप को अधिक प्रामाणिक माना जाए।

(१४) अरबी-फारसीमूलक वे शब्द, जो हिन्दी के अग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिन्दी ध्वनियों में रूपान्तर हो चुका है, हिन्दी रूप में ही स्वीकार किये जाएँ, जैसे ज़रूर। परन्तु जहाँ पर उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो वहाँ उनके हिन्दी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाएँ जाएँ, जिससे उनका विदेशीपन स्पष्ट रहे, जैसे राज, गज़ल।

(१५) अग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध-विवृत 'औ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिन्दी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' (।) की मात्रा के ऊपर अर्ध-चन्द्र का प्रयोग किया जाए=आ, ँ।

(१६) संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे 'दु.खानुभूति' में। परन्तु यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे 'दुख-मुख के साथी'।

समिति की बैठक सभापति को धन्यवाद देकर विसर्जित हुई।

आचार्य किशोरी दास वाजपेयी

'हिन्दी की वर्तनी तथा शब्द-विश्लेषण'

वाजपेयी जी की 'हिन्दी की वर्तनी तथा शब्द-विश्लेषण' शीर्षक पुस्तक मार्च, १९६८ ई० में राजधानी ग्रन्थागार, ५९ एच० ४ लाजपत नगर, नयी दिल्ली-१४ से प्रकाशित हुई। इसमें कुल नौ अध्याय हैं, जिनमें क्रमशः १. हिन्दी की वर्तनी और वाक्य-विन्यास-पद्धति, २. हिन्दी की कुछ क्रियाएँ, ३. नाम, यानी सज्ञाएँ, ४. कुछ तद्धित शब्द, ५. हिन्दी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार, ६. कुछ अव्ययों की वर्तनी, ७. समास में वर्तनी की स्थिति, ८. अन्यत्र से शब्द ग्रहण करने की विधि और ९. वाक्य-विन्यास में वर्तनी का विवेचन है। उक्त पुस्तक में वाजपेयी जी की वर्तनी विषयक मान्यताएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं.—

१. फारसी लिपि के बन्धन से छूटकर जब हिन्दी अपने परिधान (नागरी लिपि) में आयी और फारसी-अरबी आदि शब्दों की जगह संस्कृत शब्द दिये जाने लगे, तब कुछ उत्साही हिन्दी-प्रेमी हिन्दी को संस्कृत के नियमों का अनुसरण कराने की सोचने लगे। वे संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिन्दी में 'प्लेशन मास्टर', 'मजिस्ट्रेट', 'मिस्टर' जैसे शब्द लिखने-चलाने लगे। परन्तु हिन्दी ने अपना रूप स्वतः निखार लिया और देश भर में अन्ततः 'स्टेशन मास्टर', 'मजिस्ट्रेट', 'मिस्टर'

जैसे रूप गृहीत हुए। कारण, हिन्दी की प्रकृति ने 'प' को स्वीकार ही नहीं किया है। 'पण्डि' को 'साठ' बना लिया और 'पट्' के प्रातिपदिक 'पप्' को 'सस' करके 'छह' बना लिया है। हिन्दी में संस्कृत के सिक्के चलते हैं, आदर के साथ। परन्तु संस्कृत का व्याकरण यहाँ न चलेगा।^१

२. 'आये'—'आयी' और 'आए'—'आई'—ये दोनों तरह की वर्तनी (प्रयोग) शुद्ध है। परन्तु दोनों में से एक ही अभीष्ट—अपेक्षित ही—एकरूपता चाहिए; तो फिर 'आए'—'आई' और 'रोए'—'रोई' जैसे प्रयोग ही रहेंगे; 'आये'—'आयी' आदि नहीं, क्योंकि की, ली, दी, पी आदि क्रियाओं में 'य' का लोप अनिवार्य है।

'उठिए' और 'उठिये' आदि :—प्रार्थना या निवेदन करने के लिए ऐसी क्रियाएँ द्विविध वर्तनी में चल रही हैं। उठिये, बैठिये, लीजिये, पीजिये, कीजिये, चाहिये आदि और उठिए, बैठिए, लीजिए, पीजिए, कीजिए, चाहिए आदि। इनमें से दूसरी तरह की क्रियाएँ शुद्ध है और पहली गृह्यला की अशुद्ध। हमने गये-गयी और गए-गई जैसे प्रयोगों को वैकल्पिक बतलाया है, क्योंकि 'य' प्रमाण-प्राप्त है, 'गया' के बहुवचन और स्त्रीवर्गीय प्रयोगों में 'य' का होना ठीक है और उसका लोप होकर 'गए'—'गई' रूप भी ठीक है, प्रवाह-प्राप्त हैं, वैज्ञानिक पद्धति पर है और एकरूपता लाने की अपेक्षा होने पर ये ही रहेंगे। साधारणतः दोनों तरह के प्रयोग सही हैं। परन्तु 'उठिये' 'बैठिये' आदि प्रयोग एकदम गलत है, प्रामादिक है। यहाँ 'य' बीच में यो ही आ कूदा है, न जाने कैसे। इसे हटाकर 'उठिए' 'बैठिए' जैसे पदों की अर्चना करनी चाहिए।^२

३ नाम यानी सजावों में कभी रद्दोवदल नहीं होता। 'विश्वामित्र' और 'वैजू वावरे' शुद्ध, 'विश्वमित्र' और 'वैजू वावरा' अशुद्ध।

सजावों के बहुवचन सभी भाषाओं की तरह हिन्दी भी अपने विशेष ढंग पर बनाती है। चार फुट, इन्द्रियाँ, दर्शन हुए, दम्पति आए, राष्ट्रीय, विस्तार, जरूरी, एकत्रित (विशेषण), राजनीतिक, छह तथा दस शुद्ध और चार फीट, इन्द्रियों, दर्शन हुआ, दम्पती आए, राष्ट्रिय, विस्तर, जरूरी, एकत्र (विशेषण), राजनीतिक, छः तथा दश अशुद्ध।

१ 'हिन्दी की वर्तनी तथा शब्द-विश्लेषण', आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, पृ० ३-४।

२ 'हिन्दी की वर्तनी और शब्द विश्लेषण', आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, पृ० १६-१७।

नये—नए और नयी—नई.—यो इस शब्द के बहुवचन में द्विधा वर्तनी चलती है। 'नूतन' का पर्याय संस्कृत में 'नव' है। इसमें पुंप्रत्यय लगकर 'नवा' रूप पूरव में चलता है, पर हिन्दी ने 'व' की जगह 'य' कर लिया है—'नया रूप'। बहुवचन में 'नये छात्र'। स्त्रीवर्ग में 'नयी समस्या'। परन्तु 'य' का वैकल्पिक लोप होकर 'नए छात्र', 'नई समस्या' रूप। ये दोनों तरह के विन्यास ठीक हैं। परन्तु एकरूपता अपेक्षित हो तो 'नए—नई' रूप ही रहेंगे। परन्तु यह लोप-व्यवस्था हिन्दी विशेषणों के ही लिए है, संज्ञा शब्दों के लिए नहीं। 'गाय' का बहुवचन 'गायें' होगा, 'गाएँ' नहीं।

अनेक—अनेको :—कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया है कि 'अनेको' गलत है, क्योंकि 'अनेक' शब्द तो स्वयं बहुत्व का वाचक है, तब उसमें 'ओ' लगाने की क्या जरूरत? सीधा सा उत्तर तो यह है कि 'दवा' शब्द स्वतः स्त्रीवर्गीय है, तब फिर उसमें स्त्री प्रत्यय 'ई' लगाकर 'दवाई' बनाना जैसे गलती नहीं है, उसी तरह 'अनेक' में 'ओ' लगाकर 'अनेको' बनाना भी गलती नहीं है। यह तो हुआ सीधा सा उत्तर। परन्तु इसे विशेष समझना भी चाहिए। हिन्दी के दो तद्धित प्रत्यय हैं—'ओ' तथा 'क'। 'ओ' का प्रयोग कुछ आधिक्य सूचित करता है—'बोसो लोग जमा थे', 'पचासो लोग इकट्ठे हो गए' इत्यादि। गिनती कर ली हो तो बीस। गिनती न की हो तो बीसो। इसी तरह 'पचासो' और 'पचासक'। सैकड़ो, हजारो, और करोड़ो का भी प्रयोग इसी तरह होता है, पर 'सैकड़ाक', 'करोड़क' नहीं होता 'हजारक' तो चलता है—'सभा में हजारक उपस्थिति थी'। 'हजारक'—लगभग एक हजार। 'हजार-एक' अशुद्ध प्रयोग है। संस्कृत में 'क' प्रत्यय अल्पाधिक है—'हरिणः'—हिरन और 'हरिणकः'—छोटा सा हिरन। हिन्दी में भी यह है। 'ढोल' का छोटा रूप 'ढोलक'। साथ ही हिन्दी इसे न्यूनार्थक रूप में भी लेती है—'पचासक जन'। इसी तरह 'अनेक' का तर्कसंगत अर्थ 'दो' ही होगा। परन्तु सामीप्य लक्षण के बल पर चार, पाँच, छह तक दौड़ लग सकती है। क्योंकि दो संख्या ही अभिप्रेत हो, तो अनेक कोई कहेगा क्यों? सीधे 'दो' कहेगा—'दो बगीचे देखें'। चार-छह बगीचे देखे हो, तो कहेगा 'अनेक बाग-बगीचे देखें'। और अधिक संख्या बतलानी हो, तो 'अनेको बाग-बगीचे देखें'। सीधी बात यह कि 'अनेक' और 'अनेको' दोनों ठीक हैं। यथास्थान इन दोनों का प्रयोग होता है।

१. 'हिन्दी की वर्तनी और शब्द विश्लेषण', आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, पृ० २१-

४. तद्वितीय प्रयोगो मे प्रकृति का प्रथम दीर्घस्वर लृस्व हो जाता है । 'ऊँचा' से 'ऊँचाई' और 'नीचा' से 'निचाई' । ऊँचाई, नीचाई, मीठाई, मीठास आदि जैसे प्रयोग अशुद्ध हैं और उँचाई, निचाई, मिठाई, मिठास आदि शुद्ध । इसी प्रकार—

शुद्ध	अशुद्ध
दुपहर	दोपहर
दुपहरी	दोपहरी
इकमुश्त	एकमुश्त
इकतरफा	एकतरफा
इकतारा	एकतारा
इकलीता	एकलीता
इकवारगी	एकवारगी
उपरला	ऊपरला
निचला	नीचला
पिछला	पीछला
पिछड़ा वर्ग	पीछड़ा वर्ग आदि ।

'इक्का' और 'एका' दो भिन्न-भिन्न शब्द हैं । 'इक्का' को पूरव मे एक्का' बोलते हैं । यहाँ भी 'ए' लृस्व उच्चरित होता है, पर अर्द्धलृस्व । चेहरा, मोहरा, मेहरा, खेतिहर आदि मे 'ए' का जैसा उच्चारण है, वैसा ही 'एक्का' का 'ए' पूरव मे उच्चरित होता है । हिन्दी मे 'ए' को 'इ' और 'ओ' को 'उ' हो जाता है—यानी पूर्ण लृम्बता । सम्भव है, कभी सस्कृत भाषा का भी कोई प्रादेशिक उच्चारण अर्द्धलृस्व होता हो और तभी सार्वदेशिक उच्चारण तथा लेखन की व्यवस्था पाणिनि को करनी पड़ी हो । एक सूत्र है पाणिनि का—'एच इग् लृस्वादेशे ।' इसका अर्थ है कि 'ए' को लृस्व हो तो पूर्ण हो—'इ' और 'ओ' को लृम्ब रूप देना हो, तो भी पूर्ण लृस्व 'उ' ।

एगियाई, हिन्दूमभाई, भापाई आदि जैसे प्रयोग शुद्ध हैं और एगियायी, हिन्दूमभायी, भापायी आदि जैसे प्रयोग अशुद्ध ।

'महँगाई, और महँगी' .—'महँगाई' भाववाचक सज्ञा है और 'महँगी' 'महँगा' विशेषण का स्त्री रूप । सो, 'महँगी बढ़ रही है', इस तरह के प्रयोग गलत हैं । शुद्ध प्रयोग होगा—'महँगाई बढ़ रही है', 'सभी चीजें महँगी हो रही हैं ।

‘तत्व’ और ‘तत्त्व’ —शुद्ध संस्कृत तद्रूप शब्द है—‘तत्त्व’ । ‘तत्’ शब्द में ‘त्व’ प्रत्यय होकर ‘तत्त्व’ बना है । ‘तत्त्व’ भाववाचक सज्ञा है—‘तत्त्व इसमें यह है’—सार इसमें यह है । परन्तु सब लोग तत्त्व से परिचित नहीं । वे ‘तत्त्व’ लिख देते हैं । उन्हें यह समझ कर माफ किया जा सकता है कि इसे ‘तत्त्व’ का हिन्दी में तद्भव रूप समझ ले । संस्कृत में शब्द है ‘चञ्चल’, ‘चचल’ वहाँ गलत है । परन्तु हिन्दी के अपने गठन में ड, ञ तथा ण इन तीनों अनुनासिक वर्णों का कोई योग नहीं है । इसलिए यहाँ ‘चचल’ तद्भव-रूप में गृहीत है । कोई तद्रूप ‘चञ्चल’ लिखे, तो उसकी इच्छा । इसी तरह ‘तत्व’ का भी समर्थन कर दें, सरलता के लिए ।’

५. हिन्दी में ‘अनुनासिक वर्ण’ और ‘अनुस्वार’ —‘अनुनासिक वर्ण !’ अनुनासिक विघेषण है ‘वर्ण’ का । ‘अनुस्वार वर्ण’ नहीं कह सकते, क्योंकि ‘अनुस्वार’ विघेषण नहीं, सज्ञा है, एक स्वतन्त्र ध्वनि का नाम है—‘अनुस्वार’ । अनुस्वार का उच्चारण स्वरों के बाद ही होता है, इसीलिए नाम ‘अनुस्वार’ । ‘स्वरात् अनु’—‘अनुस्वर’ । स्वरों के अनन्तर आनेवाली स्वतन्त्र ध्वनि । ‘अनुस्वर’ ही फिर ‘अनुस्वार’ ।

‘अँ’ अनुनासिक है । यानी, अनुनासिकता वर्ण-धर्म है । ‘हँसमुख’ को ‘हंसमुख’ कहना-लिखना गलत है । ‘हँसमुख’ में ‘अँ’ अनुनासिक है और ‘हंसमुख’ में ‘अ’ सानुस्वार है ।

अनुनासिकता प्रकट करने के लिए ‘चन्द्रबिन्दु’ ऊपर दिया जाता है, परन्तु जो मात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर जाती हैं, उनके साथ केवल बिन्दु का ही प्रयोग होता है जैसे ‘छोट’, ‘ईंट’ आदि में । यहाँ यह बिन्दु अनुस्वार नहीं है, अनुनासिकता प्रकट करने का चिह्न है । सो, कहीं-कहीं चन्द्रबिन्दु की जगह केवल बिन्दु से ही अनुनासिकता प्रकट होती है ।

अनुनासिक व्यञ्जन हिन्दी की वर्णमाला में पाँच है—ड, ञ, ण, न, म । प्रारम्भ के तीनों व्यञ्जन संस्कृत तद्रूप शब्दों में ही काम आते हैं—हिन्दी के अपने रूप-गठन में उनका कोई योग नहीं है । अन्त के दोनों वर्ण हिन्दी के गठन में सम्मिलित हैं । परन्तु ‘वाङ्मय’, ‘पाञ्चजन्य’, ‘षाण्मासिक’ जैसे संस्कृत शब्द तद्रूप ही हिन्दी में लिखे जाते हैं, किसी भी तरह इन्हें बदल नहीं सकते, तद्भव रूप दे ही नहीं सकते, इसलिए हिन्दी वर्णमाला में इनका सन्निवेश है ।

१. ‘हिन्दी की वर्तनी और शब्द-विरलेषण’, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, पृ० ५३-

कभी-कभी व्यञ्जन अनुनासिक और उसका स्वर भी अनुनासिक होना है। कुछ लोग कहते हैं कि 'मा' की जगह 'माँ' लिखना गलत है, क्योंकि 'मा' तो स्वर्य अनुनासिक है। वे नहीं जानते कि अनुनासिक व्यञ्जन के साथ अनुनासिक स्वर भी काम आता है, जैसे—

व्यञ्जन मात्र अनुनासिक

- १ नाद
२. माद
- ३ नीव
- ४ माला

व्यञ्जन और स्वर दोनों अनुनासिक

१. नाँद
- २ माँद
- ३ नीद
- ४ माँगना आदि ।

अनुस्वार और अनुनासिक व्यञ्जन —दन्त, कन्त, सन्त, हिन्दी, हिन्दू आदि को दंत, कंत, संत, हिंदी, हिंदू आदि रूपों में तथा कम्पन, चम्पू, लम्प, पम्प, चम्पा आदि को कपन, चपू, लप, पंप, चंपा आदि रूपों में लिखना ठीक नहीं। इसी तरह कच्चा, टण्डा, जञ्जीर, टण्डन वर्तनी गलत है, ठीक वर्तनी हैं—कघा, डडा, जंजीर, टडन आदि ।

संस्कृत में अनुस्वार मभी अनुनासिक व्यंजनों की जगह काम देता है, दे सकता है और इसीलिए उसका परिवर्तन ड्, ञ्, ण् न् और म् के रूप में चर्चित हो जाता है। 'प्रणाम करोति' की जगह वैकल्पिक रूप 'प्रणामङ्करोति' भी होता है और इसी तरह देव जयति—देशञ्जयति, देशं पालयति—देशम्पालयति यो द्विविध प्रयोग होते हैं। परन्तु 'चन्द्र' का रूप 'चद्र' कभी नहीं होता और न 'चम्पकम्' का ही रूप 'चपकम्' होगा। इसी तरह 'कङ्कणम्' का रूप 'ककणम्' वहाँ न होगा।

हिन्दी में ट, ञ, ण की वह स्थिति नहीं है, जो 'न' और 'म' की है। हिन्दी में 'कघा' में पूरा काम चल जाता है, तब फिर 'कटघा' की कोई जरूरत नहीं। और 'टण्डा' लिखने में 'ण' अपनी श्रुति देता है क्या? स्पष्ट ही 'न्' की श्रुति है और जञ्जीर में 'ञ्' भी 'न' की श्रुति देता है। टण्डन में भी 'ण्' न् जैसी श्रुति देता है। जब उनकी कोई अपनी आवाज ही नहीं, तब उन्हें रखना बेकार है।

प्रश्न हो सकता है कि जब 'न' की ही श्रुति है, तब फिर (अनुस्वार न रखकर) 'टण्डा', 'जञ्जीर' आदि ही क्यों न लिखा जाय? उत्तर में निवेदन है कि संस्कृत में 'न' का योग परवर्षी तवर्ग के ही किसी वर्ण में होता है; अपने वर्ण में

मेल होता है। अन्य किसी 'वर्ग' के वर्ण से उसका योग नहीं होता। इसी पद्धति का ध्यान रखकर 'न्' का योग हिन्दी भी किसी अन्य वर्ग के वर्ण से नहीं पसन्द करती।

अनुस्वार और अनुनासिक स्वर —संस्कृत में अनुनासिक व्यंजनो का अधिक प्रयोग होता है, हिन्दी में अनुनासिक स्वरों का जोर है। संस्कृत 'दन्त' यहाँ 'दाँत' हो गया है, और 'अन्त्र' का रूपान्तर आँत है। लोग भूल से कभी-कभी अनुनासिक स्वर के स्थल में अनुनासिक व्यंजन काम में ले आते हैं। 'दाँत' को 'दान्त' लिखा मैंने देखा है, पर कभी किसी लेखक ने ऐसा नहीं लिखा। वाजारू प्रयोग है। किन्तु, 'हँसी आती है' की जगह 'हसी आती है' जैसे प्रयोग तो 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' जैसे पत्र में भी आप नित्य देख सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि वहाँ अनुस्वार में और अनुनासिक स्वर में कोई भेद ही नहीं समझा जाता। 'हँसी आती है' की जगह 'हसी आती है' जैसे प्रयोग कितने भद्दे हैं।

'कँगना' को 'कंगना' और 'अँगूठी' को 'अगूठी' लोग लिख देते हैं। 'रँग-ढँग' को 'रग-ढग' लिखते हैं। शब्द 'ढँग' है, 'ढंग' नहीं। 'रग' और 'रँग' में भी अन्तर है। 'क्या रंग है?' मतलब मौज-बहार से है। रग-रजन। रगशाला-मनोरजन की जगह। 'रँग' दूसरी चीज है।

६. कुछ अव्ययों की वर्तनी.—लिए-लिये—'राम के लिए'—'राम के लिये', यो 'लिए' अव्यय को 'लिये' भी लिखते हैं। परन्तु प्रकृत रूप है—'लिए'। 'लिये' गलती से चल पडा है। 'लिए' शुद्ध है, 'लिये' सविकार है।

किए-किये.—'किए' कृदन्त अव्यय है, जैसे कि जब, तब, जहाँ, तहाँ आदि तद्धित अव्यय है। अव्ययों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता—

लडका काम किए ही जा रहा है।

लडके क्रियाएँ किए ही जा रहे हैं।

लडकी काम किए ही जा रही हैं।

लडकियाँ काम किए ही जा रही हैं।

इसी तरह—लडकी फल लिए ही जा रही हैं।

वह मूर्ख शराब पिए ही जा रहा है।

ये सब—किए, लिए, पिए, दिए आदि कृदन्त अव्यय हैं। 'दान दिए ही चला गया'—'दान दिए ही चली गई' आदि। इनमें 'य' लगाकर किये, लिये, पिये, दिये जैसी वर्तनी में लिखना भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है।

७. समास मे वर्तनी की स्थिति —‘ससत्सदस्य’ और ‘ससद्सदस्य’ दोनो तरह की वर्तनी शुद्ध है, परन्तु ससद् सदस्य लिखना अधिक अच्छा । मस्कृत व्याकरण के अनुसार समास-विधि मे ‘सन्धि’ का होना जरूरी है—‘ससत्सदस्य’ । ‘द्’ को ‘त्’ हो गया है । यानी ‘ससत्सदस्य’ मस्कृत का वना-वनाया सामासिक पद हिन्दी मे तद्रूप चलता है । परन्तु ‘ससद्’ तथा ‘सदस्य’ इन दोनो संस्कृत शब्दो को लेकर हिन्दी अपने ढंग से भी समास करती है । बीच मे आडी योजक-रेखा (हायफन) देने की सरल विधि समास की सरलता के लिए हिन्दी ने ग्रहण कर ली है और अपने ढंग से सामासिक पद ‘ससद्सदस्य’ आदि बनाती चलती है । ‘ससद्’ स्पष्ट है । ‘ससत्सदस्य’ मे ‘ससत्’ रूप उनको अट पटा जान पड़ता है, जो मस्कृत व्याकरण के उम सन्धि-नियम से अपरिचित हैं । और संस्कृत पद्धति से ही, योजक-रेखा के बिना ही, समास चलाना है, तो फिर ‘ससदधिवेगन’ जैसे पद भी चलेंगे, जो और कठिन जान पड़ेंगे । ‘ससद्-अधिवेगन’ एकदम साफ है ।

‘शरच्चन्द्र’ को कभी भी ‘शरद्-चन्द्र’ न लिखा जाएगा । इसी तरह ‘रामेश्वर’ को कभी भी ‘राम-ईश्वर’ न लिखा जाएगा । ‘मधुवन’ आदि सजाएँ शिरोरेखा अविच्छिन्न रखती है; पर ‘गोविन्द दास’ आदि मे शिरोरेखा विच्छिन्न भी लिखते हैं, पर योजक-रेखा (हायफन) नहीं दे सकते । पहले तो कहीं भी शिरोरेखा के वारे मे कोई पावन्दी न थी । ‘पिता वचन मनतेऊँ नहि ओहू’ जैसी वर्तनी पुरानी प्रतियो मे उपलब्ध है और यह भी स्पष्ट है कि ‘पिता वचन’ समस्त पद है—पिता का वचन—‘पिता वचन’ । शिरोरेखा के वारे मे मस्कृत व्याकरण मे भी कोई विधान नहीं है, पर चलन है अविच्छिन्न शिरोरेखा देने का । वात समझ मे आ जाए, इतने मे प्रयोजन । ‘पिता वचन’ का मनलव सब समझ लेते है । विच्छिन्न शिरोरेखा कोई गडबडी नहीं डालनी । परन्तु ‘पितृवचन’ लिखना ठीक नहीं, ‘पितृ-वचन’ ठीक है ।

‘नेतृ विश्वास’, ‘नेतृ निर्वाचन’ या ‘नेतृ-विश्वाम’, ‘नेतृ-निर्वाचन’ जैसे सामासिक पद ठीक नहीं । हिन्दी मे ‘नेता’ प्रातिपदिक है । सो, हिन्दी अपने प्रातिपदिक ‘नेता’ से ममाम करके ‘नेता-विश्वास’, ‘नेता-निर्वाचन’ जैसे सामासिक पद बनाती है । ‘नेतृ-निर्वाचन’ लोग न समझेंगे, क्योंकि सब यह नहीं जानते कि ‘नेता’ का प्रातिपदिक ‘नेतृ’ है । पितृ-वचन, मातृ-पूजन, पितृ-पक्ष आदि मस्कृत के समस्त पद तो अनन्त काल मे चले आ रहे हैं, रम गये है । सब आसानी से समझ लेते है । ‘नेतृ’ ममजना कठिन है ।

प्रचलित शब्द 'मन्त्रि-परिपद', 'मन्त्रि-मडल' आदि ठीक, पर 'विद्यार्थि-जीवन' ठीक न रहेगा। हिन्दी का अपना प्रातिपदिक 'विद्यार्थी' है, जिसका समास में प्रयोग 'विद्यार्थी-जीवन' होगा।

धातुओं का भी परस्पर समास होता है और क्रियाओं का भी—खा-पीकर चलेंगे। खूब खाएँ-पिएँगे। 'खा' और 'पी' का समास पहले वाक्य में है और 'खाएँ-पिएँ' क्रियाओं का समास दूसरे में। 'आवाजाई' लगी है। 'आव' धातु अवधी वजभाषा आदि में चलती है। 'आव' के साथ हिन्दी की 'जा' धातु का समास है—'आवाजाई', एक कृदन्त भाववाचक सज्ञा। 'आव' धातु का संस्कृत 'गमन' कृदन्त शब्द से समास होकर—'आवागमन' हिन्दी का अपना शब्द। पूर्वधातु के अन्त्य स्वर को दीर्घता मिल जाती है—आवाजाई, लिखापढी, खावापी आदि। 'खावापी' में 'व' का आगम हो गया है, क्योंकि धातु 'खा' है। 'आवाजाई' के वजन पर 'खावापी'।

सज्ञाओं में भी कहीं-कहीं (पूर्व सज्ञा का) अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता है—दीनानाथ, मूसलाघार, सत्यानाश आदि इसके उदाहरण हैं। समास में कभी-कभी बड़े उलट-फेर हो जाते हैं। 'पीहर' और 'नैहर' उदाहरण हैं। 'पितृ-गृह'—'पीहर'। पृथक् 'घर' के अर्थ में 'हर' नहीं चल सकता और न 'पितृ' के लिए 'पी' आ सकता। वजभाषा आदि में 'प्रिय' का विकास जरूर 'पी' चलता है। इसी तरह 'नैहर' है। संस्कृत में एक शब्द है 'ज्ञाति'। 'ज्ञाति' का अर्थ है—मा-बाप, भाई-बन्धु आदि। इस 'ज्ञाति' का रूपान्तर 'नै' है और 'गृह' का 'हर' है—'नैहर'। ज्ञाति > नाति > नाइ > नै। पृथक् 'नै' का प्रयोग कहीं देखा-सुना नहीं गया। इसी तरह 'घौरहरा' है। 'धवल' का रूपान्तर 'घौर' है। 'धवलगृह'—'घौरहरा'। कह सकते हैं कि ये शब्द हिन्दी की समास-रचनाएँ नहीं हैं, संस्कृत के 'ज्ञातिगृह', 'पितृगृह' तथा 'धवलगृह' के विकास हैं। ठीक है, पर है समास की ही विचित्रता।

हिन्दी-टुकसाल के भी सामासिक शब्दों में बहुत परिवर्तन देखा जाता है—'भगदड' है—'भाग + दौड'। 'हुडदग'—होली का सा दगा। 'होली' का रूप 'हुड' हो गया है। संस्कृत में 'नभोमण्डल' सामासिक पद है, हिन्दी में 'नभ-मडल' है। 'नभोमण्डल' हिन्दी में नहीं चलता। हिन्दी में 'नभ' प्रातिपदिक है, 'नभस्' नहीं कि यहाँ भी 'नभोमण्डल' चले। इसी तरह संस्कृत में 'छन्दोनिर्णय' नाम किसी कृति का ठीक, पर हिन्दी में नाम होगा—'छन्द-निर्णय'।

'छन्दोनिर्णय', 'नभोमण्डल' तो नहीं, पर 'मनोदशा', 'मन-स्थिति' आदि साहित्य में चलते हैं। 'मनोरथ' खूब चलता है। अपना शब्द 'मनोकामना' है।

‘उपर्युक्त’ शब्द भी हिन्दी में चलता है, तद्रूप सस्कृत सामासिक शब्द । परन्तु ‘उपरोक्त’ भी गलत नहीं है । यदि ‘उपर्युक्त’ का ही रूपान्तर ‘उपरोक्त’ होता तो भी गलत न कहा जाता ।

हिन्दी की यह पद्धति है कि प्रयोग भेद के लिए शब्द-भेद कर लेती है । ‘द्वी’ का रूपान्तर ‘दो’ स्वतन्त्र प्रयोग के लिए और वच्चे हुए ‘व’ को सस्वर करके ‘व’ रूप ममामार्थ—वारह, वयालीस, वत्तीस आदि में ‘व’ उसी ‘द्वी’ का अवशेष है ।

हिन्दी में ‘अन्त राष्ट्रीय’, ‘अन्तर्राष्ट्रीय’, या ‘अन्ताराष्ट्रीय’ प्रयोग गलत हैं, शुद्ध प्रयोग ‘अन्तर-राष्ट्रीय’, अन्तर-प्रान्तीय’ आदि हैं । ‘अन्तर’ शब्द अब किसी शब्द के अन्त से लगता है तो ‘अन्य’ अर्थ देता है—‘ज्ञानु देशान्तरीया पद्धति’—वह नो हमरे देशों की पद्धति है । परन्तु जब अन्तर का पूर्व प्रयोग हो, तो ‘अन्य’ अर्थ रहते हुए भी विक्षेपता आ जाती है—‘यह अन्तरदेशीय व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है, जिसका सम्बन्ध इस देश से भी है, और अन्य देशों से भी । अर्थ ‘अन्तर-राष्ट्रीय’ का है ।

८ अन्यत्र से शब्द ग्रहण करने की विधि :—जब किसी भाषा का कोई शब्द हमारी भाषा में जाता है, तो वहाँ के नियमों का—व्याकरण का—पालन तो करता ही है, नाय ही अपना रग-रूप भी कुछ बदल देता है, यदि ग्राहक भाषा की प्रकृति में अलग पड़ता हो । ‘कोट’ और ‘वटन’ आदि हिन्दी में ज्यों के त्यों ले लिए; पर ‘कॅन्टर्न’ और ‘हॉस्पिटल’ वमेल पड़ते थे । इन्हें ‘लालटन’ और ‘अस्पताल’ जैसे रूप देकर अपनाया गया । इसी तरह अंग्रेजी में हमारे ‘धी’, ‘धोती’ आदि शब्द ज्यों-के-त्यों गए, पर गंगाजी’ को, गेंजिज’ रूप मिला । सस्कृत के ‘जल’, ‘फल’ आदि शब्द जनभाषा में ज्यों-के-त्यों गृहीत हुए, पर ‘पृष्ठ’ को ‘पीठ’ रूप में लिया गया ।

सस्कृत में शब्द-ग्रहण :—हिन्दी में अपने मभी शब्द स्वाराज्ज है और इसी लिए सस्कृत के स्वाराज्ज शब्द ही गृहीत हुए हैं । सस्कृत का ‘नभस्’ कट-छँट कर ‘नभ’ बन गया है । इसी तरह ‘कर्मन्’ के ‘न्’ को हटाकर ‘कर्म’ हिन्दी का प्रातिपदिक है । न यहाँ ‘नभम्’ में होता है और न ‘कर्मन्’ में । भाषा की यह प्रकृति न जानने के कारण ही पाश्चात्य भाषा विज्ञानियों ने हिन्दी में ‘घास’ तथा ‘मान’ जैसे शब्दों को व्यजनान्त मान लिया है । उनके अनुयायी भारतीय भाषा विज्ञानी भी कहते हैं कि ‘घास’ आदि है तो हिन्दी में व्यजनान्त ‘घाम्’ आदि ही, परन्तु प्रयोग-अवस्था में अकारान्त ‘घाम’ जैसे हो जाते हैं ।

व्यजनान्त की तरह ही ऋकारान्त प्रातिपदिक भी हिन्दी नहीं रखती, यद्यपि सस्कृत के ‘ऋण’ आदि चरते हैं । अन्त में ‘ऋ’ नहीं गृहीत है । सस्कृत प्रातिपदिकों

से वने पद—माता, पिता, नेता आदि यहाँ प्रातिपदिक है, 'मातृ' आदि नहीं। परन्तु कई पण्डितमन्य 'आधृत' जैसे शब्दों की जो नई भरती कर रहे हैं, हिन्दी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। 'अधृत' तो सस्कृत में भी 'दुर्दर्श' है। 'आश्रित' जल्द चलता है, हिन्दी में भी। 'आधृत' गलत प्रयोग है। 'आधारित' चाहिए। विसर्गान्त भी प्रातिपदिक हिन्दी में नहीं लिए गए हैं। 'राजन्' का प्रथमा एकवचन 'राजा' यहाँ प्रातिपदिक है, इसी तरह 'पयस्' तथा 'नभस्' का प्रथमा-एकवचन 'पय' और 'नभ.' भी प्रातिपदिक बनने के दावेदार हैं; परन्तु विसर्गान्त होने से गृहीत नहीं। विसर्ग हटा देने पर 'पय'—'नभ' रह जाते हैं, जो हिन्दी के प्रातिपदिक हैं ही। सो, सस्कृत तद्रूप शब्द हिन्दी लेती है, पर वे यदि व्यजनान्त या विसर्गान्त हुए, तो काट-छाँट कर के स्वरान्त बना लिए जाते हैं।

ऊपर जो कुछ प्रातिपदिकों के बारे में कहा गया है वही धातु-व्यवस्था में भी है। सब धातु स्वरान्त हैं। ऋकारान्त कोई चीज हिन्दी नहीं रखती, पर शब्द में अन्यत्र कहीं 'ऋ' हो, तो उसे हटाती नहीं है। ऋण, कृपा आदि तदवस्थ चलते हैं।

अव्ययो में विसर्ग गृहीत हैं—प्रायः, पुनः आदि हिन्दी में विसर्गान्त चलते हैं और 'पश्चात्' आदि व्यजनान्त भी। 'भगवान्' और 'भगवान' दोनों चलते हैं। स्वतन्त्र रूप से 'भगवान्', और समास में 'भगवान्'—भगवान दास। इसी तरह 'भगवत्' भी तकारान्त होकर चलता है—'भगवत शरण'। परन्तु 'सद्गुरु प्रसाद' 'सत्' सस्वर नहीं और इसीलिए सस्कृत-व्याकरण के अनुसार वह 'द्' बन गया है—'सद्गुरु'। यह 'सद्गुरु' सस्कृत का सामासिक शब्द है। हिन्दी ने वही से तद्रूप ले लिया है। कहीं 'सतगुरु' भी चलता है।

उच्चारण और वर्तनी —किसी भी व्यापक भाषा की वर्तनी सबसे अधिक सहृत्त्व की चीज है। उच्चारण-भेद भले ही हो, वर्तनी-भेद ठीक नहीं। सस्कृत के अनेक शब्दों का उच्चारण सस्कृत के विद्वानों में भी अनेक रूप होता है। उत्तरप्रदेश के पूर्वाञ्चल में—काशी आदि में बड़े-बड़े सस्कृत के विद्वान् भी शब्द के आदि में आए हुए 'य' का उच्चारण 'ज' जैसा करते हैं। परन्तु लिखने में 'यव' को 'जव' नहीं करते। बंगाली विद्वान् भी 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते' का उच्चारण 'जे जोथा मा प्रोपद्यन्ते' जैसा करते हैं, परन्तु लिखते वैसा ही है, जैसा कि हम सब। परन्तु वर्तनी में यदि भेद हो जाए, तो फिर सब गया। सस्कृत 'ऋ' का उच्चारण हमलोग 'रि' जैसा करते हैं, गुजरात-महाराष्ट्र आदि में लोग 'रु' जैसा उसका उच्चारण करते हैं, किन्तु लिखते सर्वत्र 'ऋ' ही हैं।

विदेशी भाषाओं के शब्द —फारसी, अंग्रेजी आदि के बहुत-से शब्द हिन्दी ने लिए हैं—कागज, बाजार, गरीब, डाक्टर, कालेज आदि। कुछ लोग कहते हैं, इन्हे यो लिखो—कागज, बाजार, गरीब, डॉक्टर, कॉलेज आदि। बाजपेयी जी के अनुसार यदि नागरी में उर्दू भाषा लिखनी हो तो कागज, बाजार, गरीब आदि ठीक हैं, इसी तरह यदि नागरी में अंग्रेजी भाषा लिखनी हो तो डॉक्टर, कॉलेज लिखेंगे? किन्तु हिन्दी में जरूर, बाजार, कागज, डाक्टर, कालेज आदि ही शुद्ध वर्तनी हैं और जरूर, बाजार, कागज, डॉक्टर, कॉलेज आदि गलत वर्तनी है।

९. वाक्य-विन्यास में वर्तनी.—संस्कृत में विभक्तियाँ सटाकर लिखी जाती हैं, इसलिए हिन्दी में भी वही पद्धति चले, यह कोई तर्क नहीं है। परन्तु विभक्तियों को कोई सटाकर लिखता है, तो हमें कोई एतराज नहीं। हाँ एक ही पद्धति रखनी हो, तो व्यंजनादि विभक्तियाँ हटाकर और स्वरादि विभक्तियाँ सटाकर लिखी जाएँगी—‘उम के’ और ‘उसे’ तथा ‘उस का’ और ‘तेरा’ आदि।

‘आपकी आज्ञानुसार’ और ‘आपके आज्ञानुसार’ में बाजपेयी जी के अनुसार पहला ही ठीक है, क्योंकि ‘आप की आज्ञानुसार’, ‘अपनी इच्छानुसार’ जैसे प्रयोगों में भेदक ‘की’ स्त्रीवर्गीय भेद्य ‘आज्ञा’ तथा ‘इच्छा’ के अनुसार है। इनमें तत्पुरुष समास नहीं, अव्ययीभाव समास है। संस्कृत के ‘यथा’ अव्यय की जगह हिन्दी का ‘अनुसार’ अव्यय है। ‘यथादेश सर्व भविष्यति’—‘आदेशानुसार सब होगा’। संस्कृत अव्यय ‘यथा’ का पूर्वप्रयोग है और हिन्दी अव्यय ‘अनुसार’ का पर प्रयोग।

‘राम के वगल में गोविन्द बैठा था’—‘राम की वगल में गोविन्द बैठा था’ में पहला प्रयोग ही शुद्ध है। ‘वगल’ शब्द निश्चय ही स्त्रीवर्गीय है और इसीलिए उसका भेदक स्त्रीवर्गीय—‘राम की वगल में’ लोग बोलते हैं। परन्तु प्रयोग-भेद में कुछ और चीज है। ‘राम की वगल में फोडा हो गया है’, ‘रावण की वगल में बालि दवा रहा था’—यहाँ भेदक में स्त्रीत्व ठीक है—‘राम की’, ‘रावण की’। रावण का जो रूप प्रकट किया गया है, उसके अनुसार बालि का उमकी वगल में दवा रहना ठीक, परन्तु राम की ‘वगल’ में गोविन्द कैसे बैठेगा? ‘वगल’ कुछ इंचों की जगह और गोविन्द का आकार-प्रकार कई गज-मीटरों का। वह ‘वगल’ में कैसे बैठेगा? गलत प्रयोग है—‘राम की वगल में गोविन्द बैठा है’। शुद्ध प्रयोग है—‘राम के वगल में गोविन्द बैठा है’। ‘वगल’ का प्रयोग अग-विशेष के रूप में हो, तो ‘राम की वगल में फोडा’ और ‘दिशा’ के रूप में हो, तो ‘राम के वगल में गोविन्द’, इस तरह प्रयोग-व्यवस्था है। इसी तरह जिम्मे ‘दाहिनी ओर’ या ‘बाईं ओर’ कहना हो, उसका प्रयोग ‘के’ विभक्ति के साथ होता है—‘राम के दाहिनी

ओर', 'गोविन्द के बाई ओर', यानी 'राम' तथा 'गोविन्द' यहाँ 'ओर' के विशेषण नहीं है। विशेषण तो 'दाहिनी', 'बाई' है। परन्तु 'राम की ओर वह देख रहा है', यहाँ 'राम' का प्रयोग एक दिशा के रूप में है। इसीलिए स्त्रीवर्गीय प्रयोग है, 'ओर' विशेष्य के अनुसार। 'उसकी ओर' भी ऐसा ही है।

'सुमित्रा के कन्या हुई है'—'सुमित्रा की कन्या हुई है' में पहला प्रयोग ही शुद्ध है। यहाँ कन्या 'भेद्य' नहीं है कि उसके अनुसार 'भेदक' रूप से 'सुमित्रा की' प्रयोग हो। यहाँ 'सम्बन्ध' के दो भेद समझने के लिए प्रयोगों के दो वर्ग देखें—

१. राम के एक भैंस है। गोविन्द के दो घोड़े हैं। सीता के दो पुत्र थे। सुशीला के चार लडकियाँ हैं। तेरे भी गौ है। मेरे न गौ है, न बकरी है। राम के एक पुत्र हुआ। गोविन्द के एक लडकी हुई।

२. राम की भैंस खूब दूध देती है। गोविन्द का एक घोडा ठीक है। सीता की पुत्री पढती है। तेरी गौ कितना दूध देती है? मेरी गौँ अच्छी है। राम का लडका खेलता बहुत है। गोविन्द की चारो लडकियाँ ब्याही गईं। सीता का लडका चतुर है।

प्रयोग के उपर्युक्त दोनो वर्गों में अन्तर हैं। एक वर्ग में 'के' तथा 'रे' विभक्तियाँ हैं। विभक्ति सदा एकरस रहती है। 'वचन' या 'वर्ग'-भेद नहीं करती। प्रथम वर्ग के प्रयोगों में 'के' तथा 'रे' विभक्तियाँ हैं। दूसरे वर्ग के प्रयोगों में 'क' तथा 'र' सम्बन्ध-प्रत्यय हैं, जो कि भेद्य के अनुसार बदलते हैं। 'क', 'र' तथा 'न' सम्बन्ध प्रत्यय है—तद्धित्य सम्बन्ध-प्रत्यय। भेद्य-भेदक भाव जहाँ सम्बन्ध में है, प्रत्यय लगते हैं और जहाँ भेद्य-भेदक भाव न हो, वहाँ 'के', 'रे' तथा 'ने' विभक्तियाँ लगती हैं—'अपने तो चार गौँ है', 'तेरे कितनी है'? संस्कृत में भी यही स्थिति है। वहाँ भी प्रयोग-भेद है। भेद्य-भेदक भाव न होने पर विभक्ति से सम्बन्ध-प्रकटन—

तव पुत्रः जातः—तेरे लडका हुआ है।

तव कन्या जाता—तेरे लडकी हुई है।

तव एक गौ अस्ति—तेरे एक गौ है।

तव चत्वारः अश्वाः सन्ति—तेरे चार घोड़े हैं।

तस्य एकः पुत्र आसीत्—उसके एक लडका था।

तस्य चतस्रः कन्या अभवन्—उसके चार लडकियाँ हुईं।

परन्तु भेद्य-भेदक भाव से भेदक भेद्य के अनुसार रहेगा। ऐसी जगह तद्धित प्रत्यय लगते हैं—

त्वदीय. पुत्र पठति—तेरा लडका पढता है।

त्वदीया कन्या पठति—तेरी लडकी पढती है।

युष्मदीय. अञ्च. क्व गत.—तुम्हारा घोडा कहाँ गया ?

अस्मदीयानि भवनानि जीर्णानि—हमारे घर पुराने हो गये।

सो, 'राम के लडकी हुई' प्रयोग शुद्ध है, 'राम की लडकी हुई' गलत है। हाँ 'राम की लडकी कही गई है', 'यह राम की लडकी नहीं है' ये प्रयोग शुद्ध हैं—भेद्य-भेदक भाव है। भेद्य 'लडकी' के अनुसार भेदक 'राम की' है।

'हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगा'—'हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगी', इनमे से दूसरा प्रयोग ही शुद्ध है। 'हिन्दी' उद्देश्य है, 'माध्यम' विधेय है। जिसका विधान किया जाता है, उसे विधेय कहते हैं। क्रिया के वर्ग-वचन आदि उद्देश्य के अनुसार रहते हैं—'मिट्टी मोना बन जाती है', 'सोना राख बन जाता है', 'वह राख फिर मोना बन जाती है'। सर्वत्र 'उद्देश्य' के अनुसार क्रिया है। इसी तरह 'हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगी', 'शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रहेगी', ये प्रयोग हैं।

'कलम मेज पर रखी है', 'कलम मेज पर रखी है', 'मे पहला प्रयोग ही शुद्ध है, क्योंकि क्रिया का मूलरूप 'रख' है, 'रखल' नहीं।

'हमे कुछ नीकर चाहिए', 'हमे कुछ नीकर चाहिए' मे पहला प्रयोग ही शुद्ध है। 'चाहिए' भाववाचक क्रिया है। इसमे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता—हमे एक नीकर चाहिए, हमे एक घाय चाहिए, हमे एक गाडी चाहिए, हमे चार गाडियाँ चाहिए। इस तरह भाववाचक क्रिया मदा एकलप रहती है—'लटकों ने बहनों को बुनाया', लडकियो ने सहेलियो को बुनाया'। यह कृदन्त भाववाच्य है और 'चाहिए' तिङन्त भाववाच्य—हमे नीकर चाहिए', 'तुम्हें नीकर चाहिए', 'मालिकों ने नीकर चाहिए'।

डाँ० वावूगम सक्सेना

'भापा', १९६२ ई० के वसन्त अङ्क मे डाँ० सक्सेना ने ध्वनि अनुसूचि वर्तनी की समझा पर विचार करते हुए लिखा था कि 'सबसे भारी भ्रम व्यजन वर्णों के विषय मे सम्भव है। उदाहरणार्थ 'क' का अभिप्राय (मूल्य) कही क् + थ (कमल) है तो कही केवल क् (कि)। यदि ह्रस्व अकार स्वर की भी कोई मात्रा होती तो

हम इतना कहकर समाधान कर लेते कि यदि व्यजन के साथ स्वर-मात्रा लगी हो तो उस व्यजन का मूल्य स्वररहित समझना चाहिए । पर अकार की कोई मात्रा अभी तक नहीं खोजी जा सकी है ।

एक पुराना सुझाव यह है कि व्यजन वर्णों को हम नि स्वर समझे और अकार को बराबर लेख में प्रकट करें (क अ म अ ल अ) । किन्तु इसका कार्य में परिणत होना दुःसाध्य है ।

यह भी प्रस्ताव किया गया था कि जहाँ 'अ' का उच्चारण न होता हो, वहाँ हल् का चिह्न लगाया जाया करे, जैसे 'सकता' के स्थान पर 'सकृता' ।

हिन्दी के परिनिष्ठित रूप में शब्दों के अन्त का अकार उच्चरित नहीं होता, केवल सयोग (सयुक्त व्यजन) के उपरान्त सुनाई पड़ता है, इसलिए लेखन में विना सशोधन किए हम हिन्दी के उच्चारण का, शब्दान्त 'अ' के विषय में, यह नियम स्पष्ट रूप से समझा दें, तो हिन्दी भाषा-भाषी अथवा हिन्दीतर भाषा-भाषी को कोई कठिनाई नहीं होगी ।

जटिल समस्या शब्द के मध्य के अकार की है, जहाँ कभी तो उसका उच्चारण होता है, कभी नहीं । उदाहरणार्थ 'कमल' में 'क' और 'म' दोनों के अकार का उच्चारण होता है, किन्तु 'बकता', 'सकता' में 'क' के अकार का नहीं । सूक्ष्म अध्ययन करके गायद यह कह सकते हैं कि विवृत अक्षर के व्यजन के अकार का कही उच्चारण होता है, कही नहीं, पर सवृत अक्षरों में अकार का उच्चारण नहीं होता । इस भेद को भी अक्षर की मात्रा (लघु, गुरु) और शब्द के अक्षरों की संख्या के निर्धारण पर कस कर नियमबद्ध कर सकते हैं, पर वे नियम ऐसे होंगे, जिनका बोध सामान्य जन को कराना मुश्किल होगा । इसलिए मेरी समझ में तो यही आता है कि शब्द के मध्य में आनेवाले व्यजन की वर्तनी उच्चारणानुकूल हो, तथा शब्दान्त के विषय में हम नियम बता दें और परम्परागत वर्तनी चलने दें ।

डॉ० भोलानाथ तिवारी

'भाषा', १९६१ ई० के अगस्त अङ्क में हिन्दी की एकरूपता के प्रश्न पर विचार करते हुए डॉ० भोलानाथ तिवारी ने लिखा था कि 'किसी भाषा का ज्यो ज्यो प्रचार-प्रसार एवं विकास होता जाता है, त्यो-त्यो उसमें विभिन्न प्रकार की अनेकरूपताएँ विवसित होती जाती हैं । हिन्दी भी इस समय इसी स्थिति में है । उसही कुछ अनेकरूपताएँ तो परम्परागत हैं, जिनके पीछे अज्ञान एवं अनियमन का हाथ है और कुछ ऐसी हैं, जो प्रचार-प्रसार के साथ-साथ विभिन्न प्रदेशों से रिक्त

रूप में प्राप्त हो रही है। इस सदी के प्रारम्भ में आचार्य द्विवेदी की प्रतिभा ने नाना रूपों में हिन्दी के तत्कालीन स्वरूप को व्यवस्थित और प्रनिष्ठित किया था; किन्तु, आज फिर वह व्यवस्था समाप्त होती दिखाई देती है और कई स्रोतों से अनेकरूपताएँ प्रवेश करती जा रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्रायः सभी दृष्टियों से इसमें एकरूपता लाकर इसके मानक रूप निश्चित कर दिये जाएँ।

हिन्दी की वर्तमान अनेकरूपताएँ प्रमुखतः तीन प्रकार की कही जा सकती हैं—लेखन सम्बन्धी, शब्द-रूप सम्बन्धी एवं प्रयोग सम्बन्धी।

लेखन सम्बन्धी एकरूपता —कोई शिरोरेखा विहीन लिखता है तो कोई शिरोरेखा युक्त, कोई 'अ' लिखता है तो कोई 'अ', कोई अ-इ-उ तो कोई अ-अ-अ, इमी प्रकार कोई इ, उ, ए, न्, म् लिखता है तो कोई उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करता है। किशोरी दास जी तत्सम में पञ्चमाक्षर और शेष में अनुस्वार का प्रयोग उचित मानते हैं। अङ्को के प्रयोग में भी एकरूपता नहीं है। कोई नागरी के साथ नागरी अङ्क लिखता है तो कोई अन्तरराष्ट्रीय अङ्क का प्रयोग करता है। नागरी में भी ७, ८, ९ आदि के कई रूप मिलते हैं।

हिन्दी-लेखन में शिरोरेखा को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उससे भ, घ आदि में म, घ के भ्रम की सम्भावना हो सकती है। अ इ उ की अपेक्षा अ अि अु सम्भवतः अधिक अच्छा होगा। ल ण क्ष अपने अन्य प्रतिरूप की अपेक्षा अधिक ग्राह्य हैं।

लेखन से सम्बद्ध अन्तिम मुख्य समस्या वर्तनी की है, जिसमें सर्वत्र अव्यवस्था है। इसके लिए ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन अच्छा होगा, यथा—ऋषि, पुल्लिङ्ग, कर्ता, संन्यासी, ज्ञान, बलदेव, उज्ज्वल, सींग, प्राय, हरदम, चिह्न, ब्रह्म, कृपया, छह, झूठ, शेष, पक्ष, भूख, दुःख आदि के स्थान पर क्रमशः रिशि, पुलिंग, कर्ता, संन्यासी, ग्यान, बलदेव, उज्वल, सीङ्, प्रायह्, हर्दम, चिन्ह, ब्रम्ह, क्रिप्या, छे, झूट, शेष, पवग, भूक, दुख आदि लिखना अच्छा होगा।

परसर्ग प्रायः तीन प्रकार से लिखे जाते हैं—

१. सज्ञा से मिलाकर सर्वनाम से अलग।
२. सज्ञा और सर्वनाम दोनों से मिलाकर।
३. दोनों में अलग।

इनमें तीसरी पद्धति सर्वाधिक वैज्ञानिक है। सयोगात्मक भाषाओं में विभक्तियों मित्राकर और वियोगात्मक में अलग लिखी जाती है। हिन्दी वियोगात्मक भाषा है,

इसलिए इसमें परसर्गों को अलग लिखना ही उपयुक्त है। प्राचीन जर्मन की तुलना में अँगरेजी इसी प्रकार वियोगात्मक भाषा है, इसीलिए उसमें टू, फ़ोम, इन, बाइ आदि पूर्वसर्ग सज्ञा तथा सर्वनाम दोनों से अलग लिखे जाते हैं। १८०० ई० के पूर्व हिन्दी में भी पूरा वाक्य या छन्द का एक चरण मिलाकर एक साथ लिखा जाता था। १८५० ई० तक आते-आते सज्ञा से मिलाकर और सर्वनाम से अलग लिखने की परम्परा चली, जो अबतक है। किन्तु दोनों से अलग करके लिखने की पद्धति अधिक वैज्ञानिक होगी।

शब्दरूप सम्बन्धी एकरूपता.—हिन्दी-लेखन में शब्दरूप सम्बन्धी अनेकरूपता की भी भरमार है उदाहरणार्थ सख्या में इक्किस-इक्कीस, पच्चिस-पच्चीस, सताइस-सत्ताईस, पचपन-पिचपन, पच्चावन-पचावन, पचहत्तर-पिचहत्तर आदि रूप-भेद मिलते हैं। इसी तरह चपरासी-चपडासी, घबराना-घबड़ाना आदि अनेक रूप-भेद प्रचलित हैं। इनकी सूची बनाकर युग्म या त्रिक में से एक रूप को मानक मान लेना आवश्यक है।

प्रयोग सम्बन्धी एकरूपता.—हिन्दी में प्रयोग सम्बन्धी अनेकरूपताएँ भी कम नहीं हैं, जैसे—घन्यवाद देना या घन्यवाद करना, दरअसल या दरअसल में, दरहकीकत या दरहकीकत में, मेज के बाई ओर या मेज की बाई ओर, दुपट्टा गले में या दुपट्टा गले पर आदि। इन अनेकरूपताओं का निराकरण भी आवश्यक है।

श्री राजेन्द्र द्विवेदी

‘भाषा’, १९६१ ई० के नवम्बर अङ्क में श्री राजेन्द्र द्विवेदी ने ध्वनि अनुरूप लेखन का समर्थन करते हुए लिखा था कि ‘हिन्दी में आज अनेक शब्दों की वर्तनी ध्वन्यनुकूल नहीं रह गयी है। वैज्ञानिकता की यह माँग है कि हम ऐसे शब्दों की वर्तनी सुधार लें।’ उन्होंने ऋ, ष, ज्ञ को हिन्दी-लेखन की दृष्टि से अनावश्यक प्रतीक माना था तथा भाँग के लिए भाड्, सीग के लिए सीड् आदि रूपों का समर्थन किया था। उनके कुछ अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं—

मध्य स्वर लोप—सक्ता, लगना, कर्को, इम्ली, जितना आदि।

अन्त्य स्वर लोप—मन्, घर्, विलास्, केवल् आदि।

आदि स्वरागम—इस्कूल, अस्तुति, अस्थान आदि।

व्यंजन विपर्यय—ब्रम्हा, चिन्ह, ब्राम्हण आदि।

व्यंजन का बदल जाना—भूक, झूट आदि।

व्यंजन का उड़ जाना—कर्ता, अर्घ, उज्वल आदि।

श्री रमेशचन्द्र महरोत्रा

‘भापा’, १९६३ ई० के मितम्बर अङ्क में उच्चारण और वर्तनी के सम्बन्ध का विवेचन करते हुए श्री रमेशचन्द्र महरोत्रा ने लिखा था कि ‘उच्चारण कोई भी दोषपूर्ण नहीं होता, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति ममान उच्चारण वाले प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। इसका अर्थ है कि यदि एक भी व्यक्ति गलत उच्चारण वाला माना गया तो हर व्यक्ति का उच्चारण गलत होगा। लेकिन पढ़े-लिखे लोगों का चूँकि शिक्षा पर स्वाधिकार होता है, इसलिए वे भापा के हर अग को अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं, अपने द्वारा प्रयुक्त रूपों को अधिक शिष्ट मानते हैं और उच्चारण और अन्य प्रयोगों में प्रामाणिकता निकाला करते हैं, जिसका कारण स्पष्ट यही है कि वे उच्चरित होते ही गायब होने वाले उच्चारण का स्थिरीकरण चाहते हैं—उमें सँजोने के लिए, भविष्य में भी उससे अपने काम निकालने के लिए।

यदि वर्तनी के अनुसार ध्वनि को निश्चित करना सही और सरल होता, तो किसी भी लिखित भाषा में कोई परिवर्तन न हुआ करता, क्योंकि सब पढ़े-लिखे लोग भाषा के लिखित रूप को यथावत् उच्चरित करते रहते। लेकिन नहीं कानिदास की संस्कृत आज जीवित नहीं, शेक्सपियर की अंग्रेजी की वर्तनी आज की अंग्रेजी के लिए बेकार हो चुकी है। स्पष्ट है कि समस्या वर्तनी को काफी बदले हुए उच्चारण के अनुरूप ढालने की होती है, वर्तनी के अनुरूप उच्चारण को लाँटाना, भाषा के विकास में अडगा लगाने का दुष्परिणामपूर्ण प्रयास है।

वर्तनी में भी अनिवार्य परिवर्तन बिना किसी विशेष प्रयत्न के स्वयमेव होते चलते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से। ज वर्तनी से साफ हो गया, लाया का लाए, लाई रूप प्रचलित हैं। लायेगा का लाएगा। अँगुली से उँगली, तेल से तेल, बाधा में बाधा, भैया से भइया—सभी इसी तथ्य को उद्घोषित कर रहे हैं कि वर्तनी उच्चारण की अनुगामिनी होती है।

उच्चारण की अनेकरूपता असन्दिग्ध है। इसलिए वर्तनी की एकरूपता के लिए हमें किसी त्रिशिष्ट वर्ग के भी विभिन्न उच्चारणों के ‘एक निचोड़’ उच्चारण को आधार मानकर चलना होगा। चूँकि लिखित भाषा पढ़े लिखे लोगों के काम की वस्तु है, इसलिए पढ़े-लिखे लोगों का उच्चारण ही इसके लिए उपयुक्त है। जब यदि पढ़े-लिखे लोगों के उच्चारण में—स्कूल, इस्कूल, अस्कूल कई रूप प्रचलित हैं, तो उनमें से सर्वाधिक हिन्दीभाषियों द्वारा मान्य रूप को मान्यता दी जानी चाहिए।

अब यदि अधिकांश लोगो ने चिह्न की जगह चिन्ह लिखना शुरू कर दिया है तो कोई तूफान नहीं आ गया और यदि ब्राह्मण का अधिक प्रचलित उच्चारण ब्राम्हण हो जाए और इसे अधिकांश लोग इसी प्रकार एकरूपता के साथ लिखना आरम्भ कर दे तो कोई पाप नहीं होगा। प्रगति के लिए पुरातनता और जिद छोड़नी ही पड़ती है।

जब हम संस्कृत का व्याकरण आज की हिन्दी पर ज्यो का त्यो घटित करके नहीं दिखा सकते, तो फिर उसकी वर्तनी और उच्चारण को इस वक्त की हिन्दी पर थोपने को क्यों परेशान है ?

हर दृष्टि से अच्छी वर्तनी वह है जो रटनी न पड़े, अर्थात् उच्चारण से जैसे-जैसे ध्वनि तत्त्व निकलते जाएँ, वैसे ही वैसे एक-एक के लिए एक-एक लिपि-चिह्न लिख दिया जाए। देवनागरी को हिन्दी के लिए ऐसा बनाने के लिए हमें त्याग करना ही पड़ेगा, हमें वेकार के लिपि-चिह्नों की बलि देनी ही पड़ेगी, हमें अनेक शब्दों के लिखित रूप को बदलना ही पड़ेगा।

डॉ० सियाराम तिवारी

‘परिपद् पत्रिका’ १९६१ ई० के अप्रिल अङ्क में श्री सियाराम तिवारी ने वर्तनी की एकरूपता पर विचार करते हुए लिखा था कि ‘सब, परिषद् एवं अन्य विद्वानों के विचारों को देखने पर उनकी मूलभूत धारणा स्पष्ट हो जाती है। सबका ध्यान प्रथमतः और सर्वांशतः लेखन-मुद्रण की सुगमता पर है।

किसी भाषा की वर्तनी की योजना उस भाषा की तमाम ध्वनियों को ठीक-ठीक उच्चरित कर लेने के लिए ही होती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को पकड़ पाने की जितनी ही अधिक क्षमता होगी, उसकी वर्तनी पूर्णता की ओर उतना ही अधिक अग्रसर होगी। इसी तरह वर्तनी उच्चारण के जितना ही निकट होगी, उसकी वैज्ञानिकता उतनी ही अधिक होगी। अतः, लेखन-मुद्रण की एकरूपता हो जाने पर यदि वर्तनी उच्चारण से रचमात्र भी दूर हो गई तो यह सिद्धि दूषित हो जायगी। उदाहरण के लिए अनुनासिक वर्णों को, विशेषतः उनके अर्द्ध रूपों को लिया जा सकता है। उच्चारण के अतिरिक्त अन्य किसी भी नियम से उन्हें अनुशासित करने पर उच्चारण-भेद की पूर्ण सम्भावना है। इस सम्भावना का अनुमान हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी दृष्टि केवल हिन्दी भाषियों तक सीमित है। सर्वथा भिन्न परिवार की भाषाएँ

बोलने वाले भी हिन्दी सीखेंगे और सीखते हैं। उनकी कठिनाई का अनुमान नहीं किया जा रहा है। हिन्दी प्रकाशक सघ के विचार को मानकर अगर 'पंगु' और 'अकिचन' दोनों की अनुनासिकता को अनुस्वार से अभिव्यक्त करें तो क्या यह आशंका नहीं है कि कोई अहिन्दी भाषी 'पंगु' को 'पन्गु' या 'अकिचन' को 'अकिङ्चन' पढ़ ले ? इसी तरह 'सम्बन्ध' और 'सर्वधन' में क्रमशः 'म्' और 'अनुस्वार' का प्रयोग क्या यह प्रश्न नहीं खड़ा करेगा कि एक ही ध्वनि के लिए एक स्थान पर 'म्' और दूसरे स्थान पर अनुस्वार कैसे हो गया ? हिन्दी भाषी 'पंगु', 'अकिचन', 'सवध', 'सर्वधन' की ध्वनियों से परिचित हैं, अतः हिन्दी में ये किसी भी रूप में लिखे जायेंगे तो हिन्दीवाले ठीक ही पढ़ेंगे। हिन्दी-भाषियों के लिए वर्तनी में एकरूपता लाने का प्रश्न केवल एक अव्यवस्था को मिटाने का प्रयास है, लेकिन हिन्दी के साथ-साथ अन्य भाषा-भाषियों को भी ध्यान में रखकर देखने पर यह लिपि और भाषा की सुगमता एवं वैज्ञानिकता को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न हो जाता है। अगर एकरूपता निर्धारण में उच्चारण की अवज्ञा कर दी जायगी, तो अहिन्दी भाषियों के लिए हिन्दी सुगम के बदले दुरूह हो जायगी। जब 'पंगु' और 'अकिचन' को एक ही ढंग से लिखा जायगा, तो जिनकी मातृभाषा में ये दोनों शब्द नहीं हैं, वे अगर हिन्दी सीखें, तो इन दोनों शब्दों की भिन्न-भिन्न ध्वनियों को कैसे पकड़ पायेंगे ? अतएव, केवल लेखन-मुद्रण की सुविधा के लिए वर्तनी की एकरूपता का प्रयास अनपेक्षित ही नहीं, अहितकर भी है।

यंत्र की सुविधा इतना लचर आधार है कि इसके अनुसार की गई कोई भी व्यवस्था चिरस्थायी नहीं हो सकेगी। इससे मुद्रण में एकरूपता आये तो आये, लेखन में समानता कभी संभव नहीं होगी। व्यक्तिगत अभ्यास, रुचि एवं सौकर्य के कारण अनेकत्वता के लिए सदा द्वार खुला रहेगा। इसीलिए, एकरूपता को किसी नियम के सूत्र में ग्रथित करना ही होगा। और, यह नियम भाषा के लिखित रूप के मामले में उच्चारण के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा का मूल-रूप उच्चरित रूप ही होता है। उसी उच्चरित रूप को स्थान एवं काल की सीमा में मुक्त कर देने का प्रयत्न उसके लिखित रूप का अन्वेषण है। स्थान और समय के साथ भाषा अगर मूल उच्चारण से भी मुक्त हो गई, तब तो एक ही भाषा का लिखित और उच्चरित रूप भिन्न-भिन्न हो जायगा।

वर्तनी मवधी अन्य प्रसंगों में यंत्र की सुविधा का स्थान किसी तरह कुछ हद तक ही भी नकता है, लेकिन अनुनासिकता के सवध में सुविधा का ख्याल करने पर हमारी भाषा अवश्य त्रुटिपूर्ण हो जायगी। अनुस्वार, चन्द्रविन्दु तथा पञ्चमाक्षरो

के अर्द्धरूप परस्पर उलझ गये हैं। इनका उच्चारण अवश्य ही अपने निजी रूप में है, क्योंकि उच्चारण के प्राकृतिक होने के कारण वहाँ प्रमाद के लिए अवकाश नहीं है। उनका लिखित रूप तभी सुलझ पायगा, जब उसका आधार उच्चारण होगा, न कि मुद्रण, लेखन और टकन की सुगमता। हँसना और हंस में अनुनासिकता समान नहीं है। अतः 'हँसना' और 'हंस' दोनों की अनुनासिकता को अनुस्वार से व्यक्त करना ध्वनि और लिपि का सम्बन्ध-विच्छेद करना है। चन्द्र-बिन्दु और अनुस्वार का पृथक् अस्तित्व अनिवार्य है।

फिर, अगर 'दम्पति' और 'अङ्क' दोनों में अनुस्वार का ही प्रयोग करें और पढनेवाला अगर इनका उच्चारण 'दन्पति' और 'अन्क' करता है, तो दोष किसके मत्थे जायगा, यह विचारणीय है। सभी पचमाक्षरो का उच्चारण कदापि एक नहीं है। फिर सभी के अर्द्धरूप के लिए अनुस्वार का प्रयोग वाञ्छनीय नहीं कहा जा सकता। 'ञ्' और 'ण्' के अर्द्धांश 'न्' के सदृश हो गये हैं, 'कुञ्ज' और 'पण्डित' दोनों क्रमशः कुन्ज और पण्डित ही उच्चरित होते हैं। लेकिन 'ङ्' का उच्चारण न् से विल्कुल भिन्न है। 'अङ्क', 'सङ्ग' को 'अन्क', 'सन्ग' कभी नहीं पढते। इसीलिए, पचमाक्षरो के अर्द्धरूप लिखते समय 'ञ्', 'ण्' और 'न्' को मिला दिया जा सकता है लेकिन 'ङ्' और 'ङ्' को पृथक्-पृथक् रखना ही होगा। इनमें 'ङ्' के उच्चारण में अनुनासिकता चन्द्रबिन्दु से कुछ अधिक और 'न्' से कुछ कम है। इस तरह इसके लिए न तो चन्द्रबिन्दु का व्यवहार किया जा सकता है और न अनुस्वार का। उसमें हल् लगाकर या उसके नीचे अन्य वर्ण को मिलाकर लिखा जा सकता है। हल् लगाकर लिखना मुद्रण के लिए सुविधाजनक होगा।

अब सोचना यही है कि अनुस्वार और 'न्' का सम्बन्ध क्या हो। अगर दोनों को एक मान लेते हैं, तो विचारना पड़ेगा कि 'मै' में अनुस्वार लिखना कहाँ तक उचित है तथा कन्या को क्या 'कया' लिख सकते हैं। 'मै' में अनुनासिकता 'न्' के बराबर विल्कुल नहीं है, वही चन्द्रबिन्दु के बराबर है। अतः वैसे सभी शब्दों में चन्द्रबिन्दु का ही प्रयोग किया जाना चाहिए—'मै', 'रहे', 'उन्हे' आदि में अनुस्वार के स्थान पर चन्द्रबिन्दु का ही प्रयोग उचित होगा। यह मत अव्यावहारिक एवं नवीन नहीं है। कई पुस्तकों में सफलतापूर्वक इसका प्रयोग हो चुका है और उसकी छपाई सफाई अपेक्षया किसी भी तरह हीन नहीं है। 'कुञ्ज' और 'कुण्ड' में अनुनासिकता तो बराबर है ही, उसका उच्चारण भी 'न्' के समान ही होता है। अतः दोनों की अनुनासिकता को 'न्' से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि 'ण्' को अगर एक स्थान पर 'न्' कर देते हैं तो क्यों नहीं 'पुण्य'

को 'पुन्य' लिखा जाय। किंतु थोड़ा गौर करने पर यह प्रश्न निरावार ठहरता है। 'ण' अपने पूर्ण रूप में रहने पर तो अपने मूल रूप में उच्चरित होता ही है, अपने अर्द्धरूप में वह किसी स्वर का पूर्ववर्ती होकर भी अपने मूल उच्चारण में हटता नहीं है। इसलिए 'कुण्ड' में 'न' को स्वीकार कर लेने पर भी 'पुण्य' में 'ण' को अक्षुण्ण रखने पर नियम का व्यतिक्रम नहीं होता है। उच्चारण के आधार पर ही यह व्यवस्था दी जा रही है और उच्चारण यहाँ खडित नहीं होता। इसी तरह 'कन्या' और 'कंज' में जो अनुनासिकता है, उसकी मात्रा में सूक्ष्म अंतर विद्यमान है। 'कन्या' में, स्वरान्त होने के कारण 'न' के उच्चारण में अधिक बल पड़ता है, जबकि 'कंज' में 'न' का परवर्ती व्यजन उसके उच्चारण को अधिक फैलने न देकर दबा देता है। अतः, क्या हर्ज है कि स्वरांत शब्दों में 'न' और 'ण' लिखे तथा शेष जगहों में अनुस्वार का प्रयोग करें? इस स्थिति में 'म्' का लोप कर अनुस्वार का प्रयोग युक्तिमग्न नहीं कहा जायगा। 'दम्पति', 'सम्बल' आदि में 'म्' ही शुद्ध है, अनुस्वार का प्रयोग भ्रान्त है।

एक दूसरी अव्यवस्था है 'ये' और 'ए' तथा 'यी' और 'ई' के सम्बन्ध में। ये 'य' और 'अ' क्रमशः अर्द्धस्वर और स्वर के ही अन्यरूप हैं। इन दोनों के स्वरूप में मात्रा का ही अन्तर होने के कारण इनके विकृत रूपों का उदाहरण परस्पर उलझ जाता है। 'नयी' का उच्चारण 'नई' नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अतः यहाँ उच्चारण के आधार पर कोई व्यवस्था सम्भव नहीं है। जहाँ उच्चारण का कोई निश्चित और पृथक् अस्तित्व ही नहीं रह गया है, वहाँ उसे आधार कैसे बनाया जा सकता है? यहाँ यह नियम बनाया जाय कि जिस शब्द के एकवचन के रूप में जिस वर्ण का प्रयोग हो उसके अन्य रूपों में उसी वर्ण के विकृत रूपों का प्रयोग हो, यथा 'नया'-'नये'-'नयी', 'हुआ'-'हुए'-'हुई'। कुछ ऐसी भी क्रियाएँ हैं, जिनके मूल रूप में 'अ' अथवा 'य' नहीं होता, लेकिन उनके विकृत रूपों में इनका समावेश हो जाता है, यथा जाना क्रिया के अन्य रूप 'जाओ' 'जाएँ', 'जाएँगे', तथा लेना क्रिया के 'लिया', 'लिये' हो जाते हैं। इस प्रसंग में कोई एक नियम बनाना सम्भव नहीं प्रतीत होता। इसमें यही किया जा सकता है कि विकृत रूपों में जो रूप स्थिर हैं, उसी के अनुसार अन्य रूपों को स्थिर किया जाय। 'जाना' का 'जाओ' रूप स्थिर है, इसको 'जायो' कोई नहीं लिखता। वन 'जाएँ', 'जाएँगे' को इसी रूप में लिखना चाहिए। इसी तरह 'लेना' का 'लिया' रूप स्थिर है, अतः 'लिये' ही होना चाहिए 'लिए' नहीं। 'लिए' कारक-चिन्ह है। लोग इस माथारण वात को अभावधानी में नहीं समझ पाते। जिन्हें

‘लिए’ के पूर्व ‘के’ हो, वह सम्प्रदान कारक की विभक्ति है और उसमें ‘ए’ ही उचित है, लेकिन इसके क्रियारूप में होने पर इसमें ‘ये’ होना ही चाहिए। ‘चाहिए’ को ‘चाहिये’ लिखनेवाले भी कम नहीं हैं। यह अव्यय है। इसमें ‘ए’ लिखना ही संगत लगता है, जो उच्चारण से भी समर्थित है।

आज वर्तनी की एकरूपता का जो प्रश्न उठा है, वह मुद्रण सम्बन्धी असुविधाओं के कारण ही, अन्यथा स्वच्छन्दताप्रिय हिन्दी भाषियों के ध्यान में शायद ही यह बात आती। इस तरह, इस पर विचार करते हुए अनेक ऐसे प्रश्न भी आते हैं, जिन पर मुद्रण की दृष्टि से ही अधिक विचार करना अपेक्षित है। उदाहरणार्थ हाइफन के प्रयोग को लिया जा सकता है। हाइफन पूर्णतः अर्थयुक्त है, इसलिए उचित तो यह है कि चाहे दो पदों को समस्त किया जाय अथवा दस को, उनके मध्य हाइफन का प्रयोग आवश्यक है। लेकिन दो से अधिक शब्दों को समस्त करने पर उनके बीच हाइफन देना असुविधाजनक है। इसलिए, दो पदों को समस्त करने पर हाइफन का प्रयोग किया जाय और दो से अधिक पदों की स्थिति में इन्हें अलग-अलग लिखा जाय। शब्द-चमत्कार और राम-कृष्ण को शब्द चमत्कार और रामकृष्ण लिखने से अर्थ-भ्रम की सम्भावना है, अतः दो पदों के बीच अवश्य हाइफन दिया जाय। भारतीय हिन्दी परिषद् के प्रारूप में जो यह कहा गया है कि द्वन्द्व समास की स्थिति में भी शब्दों को (कौमा देकर) अलग-अलग रखना उचित है, उसमें भी यह सशोधन आवश्यक है कि जब दो पद हों तो अर्द्ध विराम देकर लिखा जाय। ‘प्रति’, ‘हर’ ‘वाला’, ‘जी’, पूर्वकालिक क्रियाओं का ‘कर’ एवं सारे परसर्ग सर्वनाम तथा सज्ञा, दोनों में अलग लिखे जाने चाहिए। इससे अर्थ में कोई बाधा भी नहीं होती और मुद्रण में सौन्दर्य भी होगा। भारतीय हिन्दी परिषद् के प्रारूप में भी यही कहा गया है।

इस सन्दर्भ में अन्तिम विचारणीय बात है सस्कृत शब्दों और विदेशी ध्वनियों को लेने की। सस्कृत तत्सम शब्दों को जैसा भारतीय हिन्दी परिषद् के प्रारूप में कहा गया है, मूलरूप में ही लिखना उचित है। लेकिन विदेशी ध्वनियों का समावेश अनर्गल है। हर भाषा की निजी ध्वनियाँ होती हैं। उनमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसका कारण आन्तरिक होता है, बाह्य नहीं। अतः विदेशी ध्वनियों को ग्रहण कर लेने पर उन्हें हमारी भाषा पचा नहीं सकेगी। हमारी भाषा पर भारस्वरूप लदी रहेगी। इस तरह विदेशी ध्वनियाँ सर्वथा त्याज्य हैं।

यहाँ यह स्मरणीय है कि वर्तनी की एकरूपता की समस्या को व्याकरण के स्तर पर हल करना होगा, मुद्रण सम्बन्धी सुविधा का ध्यान रखा भी जायगा, तो-

वहीं, जहाँ व्याकरण की अल्प अवज्ञा हो और अर्थ-भ्रम या उच्चारण भ्रम की सम्भावना बिल्कुल नहीं हो। यह परम चिन्ता की बात है कि हम अपनी भाषा और लिपि के अनुरूप नया यत्र तैयार कराने की बात न सोचकर, दूसरो ने अपने लिए जो यत्र बनाया है, उसी में अपनी भाषा और लिपि को काट-छाँट कर फिट कर देना चाहते हैं।

डॉ० गोपाल राय

‘समीक्षा’ के सम्पादक डॉ० गोपाल राय ने अपनी पत्रिका के अक्टूबर, १९७० ई० तथा जुलाई, १९७१ ई० के अङ्को के ‘सम्पादकीय’ में क्रमशः हिन्दी में ‘हाइफन’ (योजक चिह्न) तथा ‘विन्दी’ के प्रयोग के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किये हैं, जो इस प्रकार हैं —

हाइफन मूलतः लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ‘एक साथ करना’ या ‘जोड़ना’ होता है। ग्रीक वैयाकरण ‘हाइफन’ के लिए चन्द्राकार चिह्न (~) का प्रयोग करते थे जो किमी समस्त पद के नीचे इस आशय से लगाया जाता था कि उसे दो शब्दों के रूप में न पढ़ा जाए। अँगरेजी में इसके लिए छोटी पड़ी पाई (-) का प्रयोग होता है। मुख्यतः दो शब्दों को समस्त पद के रूप में जोड़ने के लिए उनके बीच में हाइफन (-) का प्रयोग किया जाता है। हाइफन का प्रयोग पक्ति के अन्त में किमी शब्द के अक्षर रह जाने पर उसके अलग हो गये अक्षरों को जोड़ने के लिए भी होता है। किमी शब्द की व्युत्पत्ति समझाने या इस तरह के किसी अन्य उद्देश्य में शब्द को कई भागों में बाँटने के लिए भी हाइफन का प्रयोग प्रचलित है।

हिन्दी में हाइफन का प्रयोग अँगरेजी के प्रभाव से आया है, यह निर्विवाद है। इसका प्रयोग कब से आरम्भ हुआ, यह शोध निबन्ध का रोचक विषय है, पर अठारहवीं शताब्दी तक हिन्दी का लेखक निश्चित रूप से इस प्रयोग से अपरिचित था। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में, सम्भवतः, इसका प्रयोग हिन्दी में शुरू हुआ। और आज यह हिन्दी का एक अत्यन्त प्रचलित सामान्य प्रयोग बन गया है। जहाँ तक इसके अन्तिम दो प्रयोगों का सम्बन्ध है, वहाँ स्थिति सामान्य है, पर समस्त पद बनाने के लिए हाइफन का प्रयोग बहुत ही अविचारित रूप में होने लगा है। सामान्य लेखकों की बात तो जाने दें, हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक और शैलीकार भी हाइफन के प्रयोग में माववानी नहीं बरतते। हमारे सामने जो छपी कित्तबों आती हैं, उनमें हम पाते हैं कि एक ही लेखक एक ही समस्त पद में कहीं तो हाइफन (-) लगाता है, कहीं हाइफन का प्रयोग नहीं करता और कहीं उन्हें मटाकर लिखता

है। कुछ लेखक जो लिखने में विशेष सावधानी बरतते हैं अधिकतर समस्त पदों का निर्माण हाइफन लगाकर करते हैं। यथा शोध-प्रबन्ध, प्रकाशन-व्यवसाय, पाठक-वर्ग, सर्व-सुलभ, शिक्षा-हीन, जन-सानान्य, पुस्तक-संग्रह, पाँच-दस, आने-जाने, सांस्कृतिक-बौद्धिक, साहित्य-सर्जन, विहित-अविहित, सस्थापन-व्यय, ज्ञान-निरपेक्ष, माता-पिता, पठन-पाठन, शिक्षा-दीक्षा, हो-हल्ला, तुक-साम्य, कार्य-कारण-भाव-सम्बन्ध, हिन्दी-भाषियो, कुछ-न-कुछ, आदि। ये ही लेखक जब हाइफन का प्रयोग नहीं करते तो दो शब्दों को मिलाकर लिखते हैं। जैसे अविद्याव्यसनी, विक्रीकर, आयकर, तबतक, समाजवाद, सन्तोषप्रद, शिक्षासम्बन्धी, दृष्टिकोण, व्यस्तताजन्य, देखभाल, निराशाजनक, कष्टप्रद, असन्तोषजनक, आपत्तिमुक्त, हतप्रभ, अकल्पितपूर्व, दृष्टिगोचर, अन्तरिक्षयात्राओं आदि।

इन उदाहरणों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनमें हाइफन-प्रयोग के किसी निश्चित नियम का पालन नहीं किया गया है। यह दोष लेखकों का है या मुद्रकों का, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर इतना स्पष्ट है कि हिन्दी में हाइफन के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है।

इस अव्यवस्था का कारण हिन्दी पर दो भाषाओं का प्रभाव है। एक तरफ हिन्दी सस्कृत का विकास है तो दूसरी तरफ उस पर अँगरेजी का भी प्रभाव पड़ा है। सस्कृत में समस्त पदों को सटाकर ही लिखने की परिपाटी है। अँगरेजी से हाइफन (-) के आयात के बाद समस्त पदों को सटाकर लिखने के बदले उनके बीच हाइफन (-) का प्रयोग प्रचलित हुआ। यह प्रयोग भाषा या व्याकरण के सरलीकरण की प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम था। कुछ इस कारण से और कुछ नवीनता के प्रति स्वाभाविक झुकाव के कारण हाइफन का प्रयोग बढ़ता गया, उधर पुरानी पद्धति भी अपनी जगह पर कायम रही। इसका परिणाम यह हुआ कि कहीं शब्दों को सटाकर लिखा जाए और कहीं उनके बीच हाइफन का प्रयोग किया जाए इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं रह गया है।

हिन्दी में समस्त पदों के निर्माण में हाइफन का प्रयोग किस सीमा तक युक्ति संगत है, इस पर विचार करने के पूर्व हमें अँगरेजी में हाइफन की स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि हाइफन अँगरेजी भाषा से आया है, पर किसी अँगरेजी पुस्तक को आप उलटें तो आपको बहुत ढूँढने पर हाइफन का प्रयोग मिलेगा। अँगरेजी का लेखक school boy, ballad poetry, school master, arts graduate, mass revolution, library building, city fathers, income tax, college girl, town dwellers, village inn, town hall, school fee, reve-

due stamp, horse back, horse cloth, horse course, horse fair, house wife, आदि अनेक समस्त शब्दों के बीच हाइफन का प्रयोग नहीं करता और ये शब्द सटाकर भी नहीं लिखे जाते। वस्तुतः अंगरेजी में हाइफन किसी समस्त पद की आयु का परिचायक है। जो समस्त पद अत्यन्त रूढ़ या प्रचलित हो जाते हैं उनसे हाइफन अपने आप उठ जाता है। जब तक दो शब्दों का सम्बन्ध कच्चा होता है तब तक हाइफन उन्हें जोड़ने का काम करता है और जब यह सम्बन्ध पक्का और स्वाभाविक हो जाता है तो हाइफन फालतू हो जाता है। जैसे, शल्यक्रिया के बाद शरीर के दो कटे हिस्सों को वागे से सी दिया जाता है और सीयन की उपयोगिता तभी तक रहती है जब तक दोनों अंग आपस में जुड़ नहीं जाते। अंगों के आपस में जुड़ जाने के बाद धागा काट दिया जाना है। हाइफन की स्थिति भी बहुत कुछ ऐसी ही है। बहुत से अंगरेजी शब्दों में पहले हाइफन का प्रयोग होता था पर अब नहीं होता। बहुत से अंगरेजी शब्द ऐसे हैं—जैसे non-bailable, balled-region, god-like, neo-classical, fairy-tale आदि—जिनमें हाइफन का प्रयोग आज भी होता है। कुछ समस्त पद ऐसे मिलेंगे जिनसे हाइफन लुप्त होने की प्रक्रिया में है, यानी कुछ लोग उनमें हाइफन का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अंगरेजी में हाइफन का प्रयोग वही होता है, जहाँ उसके बिना काम नहीं चलता। ३ फरवरी १८९४ के 'सडे स्कूल टाइम्स' (फिलाडेल्फिया) ने लिखा था कि सिद्धान्ततः जब तक नितान्त आवश्यक न हो, दो शब्दों के बीच हाइफन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसमें भी पहले १८८४ ई० में 'न्यू इंग्लिश डिक्शनरी' के सम्पादकीय में कहा गया था कि अनेक विशेषीकृत मामलों में प्रायः हाइफन का प्रयोग नहीं होता। यह इस बात का परिचायक है कि अंगरेजी में हाइफन का प्रयोग बहुत समय के साथ होता है। जैसा हम देख चुके हैं, हिन्दी में स्थिति इससे भिन्न है।

अब हम हाइफन के प्रयोग के औचित्य पर विचार करें। मितव्ययिता का यह सामान्य सिद्धान्त है कि जो वस्तु अनावश्यक हो, उसे त्याग दिया जाए। जिस वस्तु के बिना भी हमारा काम सुचारु रूप से चल जाए उसे ढोने से क्या लाभ? यह सिद्धान्त हाइफन के प्रयोग में भी लागू होना चाहिए। हाइफन लिखने में हमें कम से कम आधा अक्षर निखाने के बराबर श्रम तो पड़ता ही है। वह आधे अक्षर के बराबर स्थान भी घेरता है। मुद्रण में हाइफन के लिए भी एक टाइप का खाना रखना पड़ता है। इस प्रकार हाइफन को बनाये रखने में जो गैलनों स्याही, रीमों कागज और टनों टाइप तथा अवरिमिन मानव श्रम का दुरुपयोग होता है, उसको कोई औचित्य नहीं दीजता।

अतः मेरे विचार से दो तत्सम शब्दों के मेल से बने समस्त पदों को सटाकर ही लिखा जाना चाहिए। मेरा अनुभव है कि हिन्दी में छह अक्षरों तक का समस्त पद नहीं खटकता। उदाहरणार्थ 'शोधप्रबन्ध', 'पाठकवर्ग', 'सर्वसुलभ', 'जनसामान्य', 'असन्तोषजनक', 'निराशाजनक', 'वशपरम्परा', 'साहित्यसर्जन', 'ज्ञाननिरपेक्ष' जैसे शब्द बिना हाइफन का प्रयोग किये सुविधाजनक रूप से लिखे जा सकते हैं। इससे अधिक अक्षरोंवाले समस्त शब्द कदाचित् खटक सकते हैं, जैसे, 'प्रकाशन-व्यवसाय', 'संस्थापनव्यय विश्वविद्यालयपरीक्षा, अर्थशास्त्रसम्मेलन, राज्याध्यक्ष-सम्मेलन आदि। ऐसे शब्दों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जा सकती है कि या तो इनके बीच हाइफन (-) का प्रयोग किया जाए अथवा इन्हें अलग अलग बिना हाइफन के ही लिखा जाए।

असली कठिनाई वहाँ पैदा होती है जहाँ दो से अधिक शब्दों के मेल से समस्त पद बनाने की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए लिखना है, 'देशकाल निरपेक्ष', 'बालवृन्द समागम', 'भारतीय हिन्दी परिषद् अधिवेशन', 'बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी', 'दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय सभ' आदि। ऐसे शब्दों को एक साथ मिलाकर नहीं लिखा जा सकता, हिन्दी समस्त पदों का इतना बजनी अलकरण नहीं सँभाल पाती। तब हमारे सामने दो विकल्प बचते हैं या तो इनके बीच हाइफन (-) लगाये जाएँ या इन्हें बिना हाइफन (-) लगाये ही लिखा जाए। कुछ लोग 'भारतीय-हिन्दी-परिषद्-अधिवेशन' के प्रत्येक शब्द के बीच हाइफन लगाने के पक्षपाती हैं, पर अब बहुमत इसे बिना हाइफन लगाये लिखने के पक्ष में हो गया है। वाक्य में दो शब्दों या व्याकरणिक कोटियों का सम्बन्ध दिखाने के लिए हाइफन लगाना जरूरी नहीं होता। उनका साथ साथ रहना ही उनमें सम्बन्ध स्थापन के लिए पर्याप्त होता है। संस्कृत में विभक्तियाँ शब्दों से सटा सटा ढर लिखी जाती हैं। हिन्दी में आज विभक्तियाँ शब्दों से अलग हो गयी हैं और उनके बीच सम्बन्ध दिखाने के लिए हाइफन का प्रयोग नहीं होता। यही बात समस्त पदों के साथ क्यों नहीं हो सकती? अतः यदि 'देशकाल निरपेक्ष', 'बालवृन्द समागम', 'महाराष्ट्र हिन्दी प्रचार सभा' में हाइफन का प्रयोग किये बिना ही उनके खंडों को अलग अलग लिखा जाए तो कोई हानि नहीं होगी। सच पूछें तो यही बात, 'पाँच दस', 'आने जाने', 'विहित अविहित', 'माता पिता', 'हो हल्ला', 'कुछ न कुछ', 'चाँद सा', 'कोई न कोई', 'वार वार', 'धीरे धीरे', आदि शब्दों के बारे में भी सही हो सकती है। इन शब्दों के बीच हाइफन का प्रयोग न कर यदि उन्हें अलग अलग ही—पर बहुत दूर दूर पर नहीं—लिखा जाए तो अर्थबोध में कोई बाधा पड़ने की सम्भावना नहीं होगी।

इसका यह मतलब कदापि नहीं कि हिन्दी से हाइफन (-) को विल्कुल निष्कामित कर दिया जाना चाहिए। मेरी सिफारिश केवल इतनी भर है कि इसका प्रयोग अविचारित रूप में मनमाने तौर पर न किया जाए। इससे दो नुकसान होते हैं। प्रथम, लेखन में अनेकरूपता आती है, जो किसी भी परिनिष्ठित भाषा के लिए गोभनीय नहीं है। दूसरे, हाइफन के रूप में श्रम और अर्थ का दुरुपयोग होता है। लिखने और कम्पोजिंग करने से लेकर प्रूफ देखने तक में समय का कितना दुरुपयोग होता है, इस की तो बात ही छोड़ दें। अतः हाइफन का प्रयोग वही होना चाहिए जहाँ या तो दो भिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हों या जहाँ अगल बगल के शब्दों के कारण अर्थबोध में बाधा उत्पन्न होती है। जहाँ दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से किसी समस्त पद के निर्माण की आवश्यकता पड़े, वहाँ शुरू में सम्भवतः हाइफन का प्रयोग आवश्यक होगा। जैसे 'टेलीफोन-केन्द्र', 'रेल-पथ', 'सिनेमा-टिकट', 'राकेट-यान', 'अपोलो-अभियान, राडार-केन्द्र, आदि। पर यह भी शब्द-निर्माण की शुरुआत में ही। हाइफन उन शब्दों को जोड़ने का काम करे जो प्रकृतिः एक दूसरे से भिन्न हैं। जब वे जुट जाँएँ तो हाइफन को उनके बीच से विदा ले लेनी चाहिए।

'हिन्दी में विन्दी' के प्रयोग पर विचार करते हुए डॉ० राय ने लिखा है कि हिन्दी में विन्दी के प्रयोग की बाढ़ सी आयी दीखती है। टाइम्स ऑफ इंडिया से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा यह विन्दी की बीमारी इतने जोरो से फैल रही है, और इसमें निकट भविष्य में हिन्दी का इतना बड़ा अहित होनेवाला है, जिसकी सम्भवतः अभी कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरफ जहाँ भारतीय हिन्दी परिपद् जैसी अखिल भारतीय हिन्दी की संस्थाओं में वर्तनी की एकरूपता पर बहस होती है और सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं वहाँ दूसरी तरफ पूँजीपतियों का एक संस्थान, सम्भवतः अपने नफे के लिए, अपनी भीषण शक्ति का उपयोग करके हिन्दी लिपि का गला घोट रहा है। यह बीमारी पहले दिल्ली तक सीमित थी, पर धीरे-धीरे अपने मूल स्थान में भयानक रूप धारण करने के बाद यह चारों ओर फैल रही है। हम यह स्वीकार करते हैं कि इस बड़ी पूँजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इस मन्वन्ध में, हम कुछ नहीं कर सकते, पर हिन्दी के हित में इसके खिलाफ आवाज़ उठाना अपना कर्तव्य समझते हैं।

यों तो विन्दी का विवेकगून्य प्रयोग बहुत दिनों से मन को सालता आ रहा था, पर कल जब ११ अक्टूबर १९७० के धर्मयुग में कुवेरनाथ राय के लेख पर अचानक नजर पड़ गयी और उसे अनायाम ही पढ़ने लगा तो यह श्लोक पढ़कर

रोना आ गया . 'हसो यथा राजत पंजरस्थ सिंहो यथा मदर कदरस्थ / वीरो यथा गर्वित कुजरस्थचद्रोपिभ्राज तथाऽम्बरस्थ ।' इस उद्धरण में संस्कृत की कैसी फजीहत की गयी है, यह बताने की जरूरत नहीं । 'पजर', 'मदर', 'कदर', 'कुजर' तथा 'चंद्र' क्या संस्कृत में ऐसे ही लिखे जाते हैं ? और इसी श्लोक में 'तथाऽम्बरस्थः' न छापकर 'तथाऽम्बरस्थ' अपने शुद्ध रूप में क्यों मुद्रित किया गया है ? ऐसी अराजकता क्यों ? यही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया वालो ने अपने प्रकाशनो से पूर्ण विराम (।) को धक्का देकर निकाल दिया है और उष्के स्थान पर अंगरेजी के फुल स्टॉप (.) को प्रतिष्ठित कर दिया है । उनकी रोटी तोड़नेवाले हिन्दी के तथाकथित महारथी अपनी नाक के नीचे यह अनर्थ होते देखते रहे और उनके कान पर जूँ तक नहीं रेंगी, विरोध करने की बात तो अलग रहे । आज हालत यह है कि यह प्रयोग आज टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशनो तक सीमित न रहकर आसपास और दूर तक फैलने लगा है । अक्षर प्रकाशन की एक पुस्तक (परत दर परत) में पूर्णविराम के रूप में बिन्दी का प्रयोग हुआ है । वाराणसी से निकलनेवाली कहानी-पत्रिका 'कहानीकार' भी इसका अनुकरण कर रही है । और तो और, आर० डी० एंड डी० जे० कॉलेज मुंबई की वार्षिक मैगजिन में इसी पद्धति का अनुकरण किया गया है । यह बड़ी भारी चिन्ता का विषय है, क्योंकि हिन्दी के किशोर पाठक और छात्र इस पद्धति का अनुसरण करेंगे और फलस्वरूप हिन्दी-लेखन में अनेक समस्याएँ पैदा होंगी ।

पहले हम शब्दों के ऊपर बिन्दी के प्रयोग के औचित्य पर विचार करें । बिन्दी का प्रयोग आज प्रायः छह ध्वनियों (ड्, ज्, ण्, न्, म् और चन्द्रबिन्दु) के स्थान पर होने लगा है । यह स्वयं में एक अवैज्ञानिक बात है कि जहाँ पहले छह ध्वनियों के लिए छह वर्ण थे वहाँ उनका काम एक चिह्न से चलाया जाए । आखिर इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी ? उधर से तर्क पेश किया जायगा कि इतने अधिक वर्णों का समावेश वर्तमान मुद्रण और टंकन यन्त्रों में सम्भव नहीं है । माना कि यह बात कुछ हद तक सही है, पर जहाँ तक उपर्युक्त छह ध्वनियों के स्थान पर बिन्दी के प्रयोग की बात है, यह तर्क बहुत विश्वसनीय नहीं है । आधा ण (ण), आधा म (म) और आधा न (न) तो हिन्दी में बहुत आसानी से बन जाते हैं और यदि अन्य वर्णों के आधे रूप समस्या नहीं पैदा करते तो ण, म और न के आधे रूप भी कोई समस्या नहीं खड़ी करते । अब रह गये ड् और ज् के आधे रूप । यद्यपि इनमें भी हलन्त लगाकर इनके आधे रूप बनाये जा सकते हैं, पर इनकी बनावट कुछ गड़बड़ है, और चूँकि मुद्रण और हस्तलेखन में हलन्त दिक्कतें

पदा करता है, अत इन्हें हटाने की बात सोची जा सकती है। इनके स्थान पर यदि विन्दी का प्रयोग किया जाए तो कोई विशेष हानि नहीं है। आखिर संस्कृत में भी 'म्' के स्थान पर विकल्प के रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता ही है। इसी को थोड़ा और ढीला करके हम उसका प्रयोग ड् और ञ् के लिए भी करें तो नुकसान की तुलना में फायदा ज्यादा है। आधा ञ् का उच्चारण तो अनुस्वाररूप में होता भी है, हाँ ड् की उच्चारणशुद्धता अल्प मात्रा में जरूर बाधित होगी। हम चाहें तो 'ण' के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग की छूट भी ले सकते हैं। क्योंकि 'पण्य', 'कण्व' आदि शब्दों में तो 'ण' का उच्चारण होता है, पर 'कण्टक', 'ठण्ड' आदि में उसका उच्चारण अनुस्वार या न् के रूप में ही होता है। अतः हमारे विचार में ड्, ञ् और ण के स्थान पर विन्दी का प्रयोग स्वीकार किया जा सकता है, पर न् और म के स्थान पर इसका प्रयोग बिलकुल नासमझी का द्योतक है। हिन्दी में 'न्' और 'म्' की ध्वनियाँ बिलकुल सुरक्षित हैं और उनके आवे रूप भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं। जहाँ ड्, ञ्, और 'ण' के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग से हमें प्रयत्नलाघव का लाभ मिलता है वहाँ न् और म् के स्थान पर विन्दी के प्रयोग से हमें लाभ तो कुछ नहीं होता, उल्टे दो प्रकार के नुकसान अवश्य होते हैं। प्रथमतः 'न' और 'म' ध्वनियों का भेद मिट जाता है और दूसरे मुद्रण की प्रक्रिया में अनुस्वार के टूट जाने का डर बराबर बना रहता है। अतः न् और म् के स्थान पर विन्दी के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं दीखता। निरुद्देश्य एकरूपता के नाम पर भाषा की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता को नष्ट कर डालना बुद्धिमानी की बात नहीं है।

इसी प्रकार चन्द्रविन्दु (॰) के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग सर्वथा अवाञ्छनीय है। अनुस्वार और चन्द्रविन्दु सर्वथा दो ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं और हिन्दी में अभी तक ये दोनों ध्वनियाँ सुरक्षित हैं। माँग, चाँद, गाँठ आदि की अनुनासिक ध्वनि के लिए 'चन्द्रविन्दु' का तथा सप्तार, संयम, मवत् आदि की अनुनासिक ध्वनि के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता रहा है। यदि हम चन्द्रविन्दु के बदले में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो कालान्तर में माँग, चाँद, गाँठ, हँसी आदि 'मान्', 'चान्द', 'गान्ठ', 'हन्सी' आदि की तरह उच्चरित होने लगेंगे। यह चतरा क्यों मोल लिया जाए, यह समझ में नहीं आता। सुविधा ? पर सुविधा लेने की भी एक सीमा होती है। सुविधा के लिए अपने अस्तित्व को नष्ट या विरुद्ध कर देना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अनुस्वार की तुलना में चन्द्रविन्दु का प्रयोग थोड़ा अमुविवाजनक जरूर होता है, पर अनुनासिक ध्वनि की रक्षा के लिए इसे बनाये रखना नितान्त आवश्यक है।

ऊपर हमने बार बार 'सुविधा' और 'असुविधा' की चर्चा की है। यह बात विचारणीय है। ड्, ङ्, ण, न्, म् और ँ की तुलना में लिखना निश्चित रूप से प्रयत्नलाघव की दृष्टि से सुविधाजनक है। पर मुद्रण में ण, न्, म्, ँ में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सभी के लिए अलग अलग टाइप होते हैं और कम्पोजीटर को अनुस्वार लगाने में उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है जितना ण, न्, म् या अनुस्वार में। बल्कि अनुस्वार की एक असुविधा यह है कि छोटा होने के कारण छपने के क्रम में अनुस्वार का टाइप टूट जाता है और वह उग नहीं पाता। अतः कम से कम मुद्रण में ण, न्, म् और ँ के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग से कोई भी सुविधा नहीं होती। हाँ 'ड्' और 'ङ्' के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग से सुविधा अवश्य होती है क्योंकि 'ड्' और 'ङ्' के आधे रूप बिना हल् लगाये नहीं बन पाते और पत्रस वर्ण के साथ ये संयुक्त होते हैं और उसके लिए अलग ही टाइप ढालना पड़ता है। इस प्रकार टाइपो की संख्या बढ़ने से कम्पोजीटरों का श्रम भी बढ़ जाता है।

अतः मेरे विचार से सभी पंचमाक्षरो के आधे रूपों तथा चन्द्रबिन्दु के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग वाञ्छनीय नहीं है। न्, म्, और ँ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हरगिज नहीं होना चाहिए। ड्, ङ्, और ण के स्थान पर अनुस्वार का विकल्प स्वीकार किया जा सकता है, पर संस्कृत के उद्धरणों में इसे मान्यता नहीं दी जा सकती।

अब बात रह गयी पूर्ण विराम के स्थान पर बिन्दी के प्रयोग की। समझ में नहीं आता कि यह किसके दिमाग का फितूर है, और इससे क्या लाभ है? हम चाहेगे कि कोई इमका फायदा हमें बताए। यदि यह अंगरेजी की शुद्ध नकल है तो हम केवल इतना ही पूछेंगे कि अंगरेजी के शासनकाल में इसकी आवश्यकता किसी को नहीं जान पड़ी, पर आज क्यों ऐसा करना जरूरी हो गया? फिर पूरी तौर से नकल भी कहाँ हुई? अंगरेजी का प्रत्येक नया वाक्य फुलस्टॉप () के बाद कैपिटल लेटर से आरम्भ होता है। हिन्दी में फुलस्टॉप की नकल की गयी और 'कैपिटल लेटर' की नहीं, यह भी अजीब बात है। इस नकल से होने वाला चुकसान साफ है। मुद्रण में तो खैर किसी प्रकार बिन्दी से काम चल जायगा, पर हस्तलेखन में किसी वाक्य की समाप्ति और दूसरे वाक्य के आरम्भ का पता बिन्दी से जल्दी नहीं चलेगा। बिन्दी के अस्पष्ट होने, टूट जाने या टेढ़ी होकर अर्धविराम बन जाने की पूरी सम्भावना है। अंगरेजी में नये वाक्य के आरम्भ में कैपिटल लेटर देने का नियम होने के कारण बिन्दी से कोई दिक्कत नहीं होती, पर हिन्दी

मे ऐसा नियम न होने से बहुत कठिनाई पैदा हो जायगी। वस्तुतः 'धर्मयुग', 'दिनमान,' 'नवभारत टाइम्स' आदि पढते समय दिक्कत महसूस होती है, पर हम कर ही क्या सकते हैं ? इन पत्रों का प्रकाशन बड़े पैमाने पर होता है और हमें झुझ मारकर इन्हें पढना ही होता है।'

उपसंहार :

हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण की दिशा में विगत सौ वर्षों से अद्यावधि भिन्न-भिन्न विद्वानों, संस्थाओं एवं सरकार के द्वारा जो प्रयत्न हुए हैं, सबका सार-सक्षेप यथासाध्य प्रामाणिक रूप में ऊपर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उपर्युक्त विवरण निश्चय ही अपेक्षित रूप से पूर्ण नहीं है, क्योंकि वर्तनी के सम्बन्ध में और भी अनेकानेक विद्वान भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं, जिन सबका उल्लेख अनेक कारणों से सम्भव नहीं हो सका। फिर भी विवेच्य विषय पर अद्यावधि प्रकाशित उल्लेखनीय अधिकांश मतमतान्तर इसमें आ गये हैं। अगले अध्याय में इन मतमतान्तरों के आलोक में हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण के लिए एक वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक मसविदा प्रस्तुत किया जायगा।'



हिन्दी-वर्तनी का प्रतिमानीकरण : एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान

सामान्य परिचय —

हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण की दिशा में लगभग विगत सौ वर्षों से निरन्तर प्रयत्न होते आये हैं, जिनमें विभिन्न विद्वानों के वैयक्तिक प्रयत्नों से लेकर नागरी प्रचारिणी सभा, अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सङ्घ, भारतीय हिन्दी परिषद् तथा भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय तक के प्रयत्न भी शामिल हैं। फिर भी, आज तक इसका कोई ऐसा मानक रूप निर्धारित नहीं हो सका, जो सभी दृष्टियों से वैज्ञानिक, व्यावहारिक, सर्वाङ्गीण एवं सर्वमान्य हो। इसका प्रधान कारण यह रहा है कि इस दिशा में अभी तक भिन्न-भिन्न विद्वानों, पत्र-पत्रिकाओं, साहित्यिक अथवा प्रकाशन संस्थाओं तथा सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न, एक साथ सामूहिक रूप से तथा सुनियोजित एवं सुविचारित ढङ्ग से न होकर, पृथक्-पृथक् और प्रायः अपूर्ण एवं अव्यवस्थित रूप से होते आये हैं, जिनमें निर्णयों के प्रतिमान भी प्रायः अलग-अलग ही रहे हैं। किसी एक ही शब्द की वर्तनी के सम्बन्ध में यदि एक ने अपना निर्णय प्रचलित उच्चारण के आधार पर दिया है तो दूसरे ने परम्परागत प्रयोग के आधार पर, तीसरे ने मुद्रणादिक सुविधा के आधार पर और चौथे ने अपनी वैयक्तिक मान्यता के आधार पर। आज तक कोई भी ऐसा प्रयत्न सामने नहीं आया, जिसमें अपेक्षित गम्भीरता के साथ, आद्यन्त हिन्दी की प्रकृति एवं प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, शुद्ध वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से एतद्विषयक सारे सम्भव प्रश्नों पर दो टूक निर्णय दिये गये हों।

दूसरे, आज तक न तो सरकार ने और न ही किसी साहित्यिक या प्रकाशन संस्था ने इस विषय से सम्बद्ध अबतक के सारे प्रस्तावों, सुझावों एवं निर्णयों को एक

माथ सामने रखकर, इस विषय में रुचि रखने वाले सभी खेवों के विद्वानों की सम्मिलित सभा के द्वारा वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से उनमें से सर्वमान्य अंश के चुनाव का या उनके समन्वयात्मक समाहार का कोई आयोजन किया है। ऐसी स्थिति में आज यदि हिन्दी-लेखन में वर्तनी के धरातल पर हिन्दी के लेखक, प्रकाशक, मरकार एवं सामान्य जनता, सभी अलग-अलग अपनी डफली और अपना ही राग अलाप रहे हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं।

आज हिन्दी में वर्तनी विषयक अराजकता किस सीमा तक पहुँची हुई है और उसके कारण समझदारों की कैसी मौत हो रही है, इसका एक अच्छा परिचय 'समीक्षा', दिसम्बर १९७२ ई० के अङ्क के 'सम्पादकीय' में आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने दिया है, जो इस प्रकार है—“हिन्दी के एक नवप्रकाशित उपन्यास के मुद्रण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉ० कामिल बुल्के ने एक पत्र लिखा है। उसमें उनका एक वाक्य है ‘मैंने कुछ ही पृष्ठ पढ़े और ऐसी वितृष्णा हुई कि आगे पढ़ने का उत्साह समाप्त हो गया।’ डॉ० बुल्के की यह कड़वी टिप्पणी हिन्दी की वर्तनी विषयक तथा प्रयोग विषयक अराजकता को लेकर है। डॉ० बुल्के ने अपने कथन के मर्मथन में पुस्तक से बीसो उदाहरण दिये हैं। एक ही शब्द में कहीं अनुस्वार का प्रयोग है तो कहीं चन्द्रबिन्दु का, कहीं हलन्त का तो कहीं सस्वर का। सन्धि के नियम यादृच्छिक हैं, जैसे कहीं ‘वहिवँतना’ है तो कहीं ‘अन्तश्चेतना’, ‘अन्तर्पट’ और ‘मनोपीडा’ सन्धि के समस्त नियमों का अतिक्रमण करके ही निष्पन्न हो सकते हैं। ‘अन्तर्दृष्टि’, अनेकत्र ‘अर्तदृष्टि’ मुद्रित है। अन्त में डॉ० बुल्के लिखते हैं कि ‘इस युग में एक नवीन महावीर प्रसाद द्विवेदी की अत्यन्त आवश्यकता है।’”

डॉ० बुल्के के कथन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शर्मा जी ने लिखा है कि ‘मेरी धारणा है कि इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी होते तो उनकी बात कोई नहीं मुनता। जिस भाषा में शुद्धि और संस्कार महत्त्वहीन हो, जिस भाषा में प्रत्येक व्यक्ति अपने को भाषा का नियामक माने, जिस भाषा में वर्णमाला के वर्णों की ठीक-ठीक सख्या बताने में असमजस का अनुभव करने वाले अपने को लिखनाट समझ बैठें, जिस भाषा में भाषिक परम्परा, इतिहास, विकास एवं स्वरूप में अनवगत प्रकाशन-संस्थाएँ अपनी-अपनी मरजी और सुविधा के अनुसार वर्तनी निर्धारित करलें, उस भाषा में व्याप्त अराजकता महज अनुमेय है। आज महावीर प्रसाद द्विवेदी होते भी तो कुछ नहीं कर पाते। महावीर प्रसाद द्विवेदी की उपलब्धि में जिनना श्रेय उनका है, उसमें अधिक श्रेय उस युग के लेखकों का है, जिन्होंने द्विवेदी जी के द्वारा किये गये भाषागत परिवर्तन-परिमार्जन का स्वागत किया और

उनके सुझावों को स्वीकार किया। अभी तो स्थिति यह है कि भाषा विषयक सशोधन के सुझाव, चाहे कितने भी उपयोगी और सद्भावना से प्रेरित वयो न हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में अवाञ्छनीय हस्तक्षेप कहकर ठुकरा दिये जाते हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की यह परिभाषा हिन्दी के अतिरिक्त और किसी भाषा में देखने को नहीं मिलती।”

शर्मा जी का क्षोभ वाजिब है। निश्चय ही हिन्दी की 'वर्तनी' तथा प्रयोग विषयक अनेकरूपता का बहुत कुछ दायित्व आज के उन अहम्मन्य लेखकों पर भी है, जो साहित्य की तरह भाषा में भी वैयक्तिक प्रयोग का समर्थन कर उसकी ओट में अपने भाषाविषयक अज्ञान को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम इसीलिए निराश होकर हिन्दी में वर्तनी विषयक एव प्रयोग विषयक अराजकता को रोकने का प्रयत्न छोड़ दें और अराजकता को ही अपनी भाषा के लिए इस युग का स्वीकृत सिद्धान्त मान लें? ऐसा सोचना या करना निश्चय ही उचित नहीं कहा जा सकता। जब किसी भाषा के विकास की या उसके प्रचार एवं प्रसार की गति तीव्र होती है तो उस प्रक्रिया में ऐसी स्थितियों का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक बात रहती है। आज हिन्दी जिस गति से विकसित हो रही है और उसके साहित्य का जिस गति से प्रचार और प्रसार हो रहा है, उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की अनेकरूपताओं की प्रवृत्ति का जन्म अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि इस भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति का सूक्ष्म ज्ञान रखनेवाले अधिकारी विद्वान, साहित्यिक सस्थाएँ, प्रकाशन सस्थाएँ एव सरकार, सब मिलकर सामूहिक रूप से इसमें व्याप्त अनेकरूपता और अराजकता को रोकने के लिए इसकी वर्तनी तथा प्रयोगादि सम्बन्धी सर्वमान्य वैज्ञानिक एव व्यावहारिक नियमों का निर्धारण कर, सबके लिए, सभी क्षेत्रों में उनके पालन को अनिवार्य घोषित करें तथा स्वयं भी उनके पालन को कृतसङ्कल्प हों। इस प्रकार आज के युग में यह कार्य सामूहिक प्रयत्न से ही सम्भव हो सकता है, वैयक्तिक प्रयत्न से नहीं।

प्रकृत अध्याय में हमारा उद्देश्य हिन्दी की प्रकृति और प्रवृत्ति पर अपेक्षित रूप से ध्यान रखते हुए, शुद्ध वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से, हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण की दिशा में आज तक हुए सारे प्रयत्नों का समन्वयात्मक समाहार कर एक ऐसा मसविदा तैयार करने का है, जो हिन्दी भाषा और नागरी लिपि की वैज्ञानिकता के अनुकूल हो, साथ ही व्यावहारिक भी हो।

हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध समस्याएँ :

हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण से सम्बद्ध समस्याएँ अनेक प्रकार की हैं, जिन्हें विवेचन की युविधा के लिए, उनके विषय के आधार पर, निम्नलिखित दस वर्गों में बाँटा जा सकता है।

- १ नागरी-वर्णमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ
- २ उच्चारण-भिन्नता से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ
- ३ मस्कृत शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ
- ४ विदेशी शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ
- ५ परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ
- ६ व्याकरण से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ
- ७ ध्वनिशास्त्र से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ
- ८ लेखन-पद्धति में सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ
- ९ रचना-शैली से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ
१०. वर्णोत्तर चिह्नों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ

विवेचन की स्पष्टता के लिए इनमें से प्रत्येक समस्या पर अलग-अलग विचार करना आवश्यक है।

(१) नागरी-वर्णमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ .

हिन्दी-लेखन में कुछ अनेकरूपताएँ ऐसी भी पायी जाती हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध नागरी की वर्णमाला से है। वे निम्नलिखित हैं —

(क) द्विरूप वर्ण — हिन्दी-लेखन के लिए प्रयुक्त नागरी वर्णमाला के अनेक वर्ण द्विविध रूप के हैं, जिनमें से कुछ तो पहले से प्रचलित हैं, और कुछ भारत सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा नागरी लिपि के लिए निर्धारित नयी नीति के परिणाम स्वरूप प्रचलित हो गये हैं। पहले से प्रचलित मुख्य द्विरूप वर्ण अ—अ, ज—झ, ण—ण, तथा क्ष—क्ष हैं, और सरकारी निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न घ—घ और भ—भ है। इस समय हिन्दी में उक्त वर्णों के दोनों रूप प्रचलित हैं, जो एक-रूपता की दृष्टि से उचित नहीं। अतः एकरूपता के लिए आवश्यक है कि उन द्विविध रूपों में से किसी एक को मानक मानकर दूसरे के प्रयोग को वर्जित कर दिया जाय। यहाँ प्रश्न उठता है कि उक्त रूपों में से किसको और किस आधार पर मान्य एवं अमान्य घोषित किया जाय ? इसका निर्विवाद उत्तर होगा, उस रूप को जो अधिक प्रचलित, अधिक मरल और अधिक निर्भ्रान्त है। इस दृष्टि से उपर्युक्त शब्दों के प्रथम रूप को ही मान्यता मिलनी चाहिए। व और भ से घ और म का भ्रम होने

की सम्भावना के आधार पर जो उनके भिन्न रूप सरकार के द्वारा मान्य ठहराये गये हैं, वे व्यर्थ हैं; क्योंकि घ और भ का घ और म से अन्तर, विच्छिन्न शिरोरेखा से निभ्रान्त रूप में प्रकट हो जाता है। इस सम्बन्ध में सैंकड़ों साल से आज तक कभी किसी को कोई भ्रान्ति नहीं हुई। अतः सरकार को घ और भ के सम्बन्ध में अपने उक्त निर्णय को त्याग ही देना चाहिए। सामान्य जनवर्ग अपने प्रयोग में घ और भ के भिन्न रूप को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

(ख) हिन्दी की कतिपय ध्वनियों के लिए वर्णों एवं मात्राओं का अभाव.— नागरी-वर्णमाला में हिन्दी की अपनी कतिपय ध्वनियों के लिए स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं, जैसे—ह्रस्व स्वर ए, ओ, मूल स्वर ऐ, औ और महाप्राण व्यञ्जन न्ह, म्ह और र्ह। परिणामतः उक्त ध्वनियों का प्रयोग जिन शब्दों में होता है, उनके लेखन में अनेकरूपता पायी जाती है। यह बात निम्नलिखित उदाहरणों से भली भाँति स्पष्ट हो जायगी।

(१) ह्रस्व 'ए' के लिए वर्ण एवं मात्रा के अभाव के कारण वर्तनी की अनेकरूपता —

एकाई	—	इकाई
एर्यारह	—	इग्यारह
एककोस	—	इक्कीस
एकतालिस	—	इकतालिस
एककावन	—	इक्कावन
एकसठ	—	इकसठ
एखत्तर	—	इखत्तर (या इकहत्तर)
एक्यासी	—	इक्यासी
एकयानवे	—	इकयानवे
एकन्नी	—	इकन्नी
एक्का	—	इक्का
एकट्ठा	—	इकट्ठा
एकतरफा	—	इकतरफा
एकमुश्त	—	इकमुश्त
एकतारा	—	इकतारा
एकलौता	—	इकलौता
मेहमान	—	मिहमान

मेहरवानी	—	मिहरवानी
मेहनत	—	मिहनत
खेलाडी	—	खिलाडी आदि ।

इस प्रकार, हिन्दी-वर्णमाला में ह्रस्व 'ए' के लिए स्वतन्त्र वर्ण नहीं रहने के कारण हिन्दी-लेखन में उसके लिए या तो दीर्घ 'ए' के लिए निर्धारित वर्ण 'ए' और इमी की मात्रा 'ँ' का प्रयोग होता है या हिन्दी वैयाकरणों के आदेशानुसार 'इ' और इसकी मात्रा 'ि' का, जबकि दोनों ही स्थितियों में प्रकृत उच्चारण ह्रस्व 'ए' का ही होता है। प्रश्न है कि इस अनेकरूपता का समाधान क्या हो सकता है? एक समाधान हिन्दी वैयाकरणों का है—ह्रस्व 'ए' के स्थान पर 'इ' आदेश। किन्तु दुर्भाग्य से इस 'आदेश' से सर्वत्र हमारा काम नहीं चलता, जैसे—'खेलाना' को 'खिलाना' करने से अर्थभेद हो जायगा। दूसरी ओर खेतिहर, बेलना (सजा), खेमारी, बेतिया, कँकडा, आदि सजाओं में ह्रस्व 'ए' की जगह 'इ' आदेश का पालन किया ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में इसका एकमात्र वैज्ञानिक समाधान ह्रस्व ए के लिए स्वतन्त्र वर्ण एव मात्रा का विधान ही हो सकता है।

इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि ह्रस्व 'ए' को यदि 'ए' के नीचे त्रिन्दी देकर 'ए' के रूप में और इसकी मात्रा को शिरोरेखा के ऊपर खड़ी पाई देकर 'ँ' के रूप में सर्व स्वीकृति से मान्यता दे दी जाय तो इस समस्या का समाधान सहज ही हो जा सकता है और वर्तनी की एतद्विषयक अनेकरूपता भी सहज ही समाप्त हो सकती है। हमारे उपर्युक्त सुझाव को मान लेने पर हिन्दी-लेखन में ह्रस्व 'ए' का रूप इस प्रकार का होगा—एकन्नी, एकतरफा, खलाडी, महमान, वनिया आदि। इस स्थिति में दीर्घ 'ए' से ह्रस्व 'ए' की भिन्नता लेखन में स्वतः स्पष्ट हो जायगी, साथ ही, इसे समझना या समझाना भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि दोनों के रूप भिन्न होकर भी एकदूसरे के नितान्त निकट हैं।

(२) ह्रस्व 'ओ' के लिए वर्ण एव मात्रा के अभाव के कारण वर्तनी की अनेकरूपता —

ओढाना	—	उढाना
ओखली	—	उखली
ओसारा	—	उसारा
ओहार	—	उहार
ओहदा	—	उहदा (या वहदा)

ओछावन	—	उछावन
ओढनी	—	उढनी
सोहाग	—	सुहाग
सोनार	—	सुनार
लोहार	—	लुहार आदि ।

इस प्रकार, हिन्दी-वर्णमाला में ह्रस्व 'ओ' के लिए स्वतन्त्र वर्ण नहीं रहने के कारण, हिन्दी-लेखन में उसके लिए या तो दीर्घ 'ओ' के लिए निर्धारित वर्ण 'ओ' और इसी की मात्रा 'ो' का प्रयोग होता है या हिन्दी वैयाकरणों के आदेशानुसार 'उ' और इसकी मात्रा 'ु' का, जबकि दोनों ही स्थिति में प्रकृत उच्चारण ह्रस्व 'ओ' का ही होता है। ह्रस्व 'ए' की तरह ही यहाँ भी, हिन्दी वैयाकरणों के ह्रस्व 'ओ' के स्थान पर 'उ' आदेश से हमारा काम सर्वत्र नहीं चलता, जैसे 'बोलाना' को 'बुलाना' या 'कोठार' को 'कुठार' कर देने से स्पष्ट ही अर्थ-भेद हो जाता है। ऐसी स्थिति में ह्रस्व 'ए' की तरह ही ह्रस्व 'ओ' के लिए भी एकमात्र वैज्ञानिक-समाधान स्वतन्त्र वर्ण एवं मात्रा का विधान ही हो सकता है।

अतः इसके सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि ह्रस्व 'ओ' को यदि 'ओ' के नीचे बिन्दी देकर 'ओ' के रूप में, और इसकी मात्रा को खड़ी पाई की शिरोरेखा के ऊपर भी खड़ी पाई ही देकर '⊥' के रूप में, सर्व स्वीकृति से मान्यता दे दी जाय तो इस समस्या का समाधान हो जायगा। इस सुझाव को मान लेने पर वर्तनी की एतद्विषयक अनेकरूपता भी स्वतः समाप्त हो जायगी और हिन्दी-लेखन में ह्रस्व 'ओ' का रूप इस प्रकार का हो जायगा—ओखली, ओसारा, ओहदा, कातवाल, लाहार, कठफारवा आदि। ऐसी स्थिति में दीर्घ 'ओ' से ह्रस्व 'ओ' की भिन्नता लेखन में स्वतः स्पष्ट हो जायगी, साथ ही, इसे लोगो के लिए समझना एवं समझाना भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि दोनों के रूप एक दूसरे से बहुत भिन्न भी नहीं पड़ते।

(३) मूल एवं मिश्र स्वर 'ऐ' तथा 'औ' के लिए नागरी में पृथक्-पृथक् वर्णों या मात्राओं के अभाव के कारण हिन्दी-वर्तनी की अनेकरूपता.—हिन्दी-लेखन में नागरी के 'ऐ' तथा 'औ' वर्णों का प्रयोग तीन-तीन विभिन्न ध्वनियों के लिए होता है, उदाहरणार्थ (क) मूल स्वरो के लिए, जैसे—ऐसा, ऐनक, ऐब, पैर, मैल, कै आदि में तथा और, औसत, कौर, तौर, सुडौल, सौ, नौ, पौ आदि में, (ख) मिश्र स्वरो के लिए, जैसे—ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐयाश, ऐयार, वैद्य, दैत्य, सदैव आदि में तथा औचित्य, औत्सुक्य, औद्योगिक, औपचारिक, शौर्य, बौद्धिक, मौर्य, भौगो-

पलक, लौकिक आदि में तथा (ग) क्रमशः अइ एवं अउ सयुक्त स्वरों के लिए, जैसे—ऐया (अइया), भैया (भइया), मैया (मइया), दैया (दइया), गैया (गइया) आदि में तथा औलिया (अउलिया), लौका (लउका), वौका (वउका), वौआ (वउआ), उठीआ (उठउआ), नौमी (नउमी) आदि में। यह स्थिति लिपि की वैज्ञानिकता तथा वर्तनी की एकरूपता दोनों ही दृष्टियों से अवाञ्छनीय है। अतः इनका निराकरण आवश्यक है।

प्रस्तुत समस्या के सम्बन्ध में, हमारी समझ से एक मात्र वैज्ञानिक समाधान यही हो सकता है कि चूँकि हिन्दी में मूल स्वर के रूप में ऐ—औ का विकास नया है, इसलिए इनके लिए स्वतन्त्र वर्ण एवं मात्राओं का विधान किया जाय। दूसरे, मिश्र स्वर 'ऐ'—'औ' के लिए नागरी के ऐ—औ वर्ण तथा इनकी प्रचलित मात्राओं का प्रयोग चूँकि प्राचीन काल से ही होता आया है, इसलिए इन्हें यथावत् रहने दिया जाय और तीसरे, सयुक्त स्वर 'अइ'—'अउ' के लिए 'ऐ'—'औ' के प्रयोग को वर्जित कर, सर्वत्र 'अइ'—'अउ' के प्रयोग को ही मान्यता दी जाय। ऐसा करने से लिपि की वैज्ञानिकता और वर्तनी की एकरूपता दोनों की रक्षा ही जायगी। तब प्रश्न रह जाता है मूल स्वर 'ऐ'—'औ' के लिए स्वतन्त्र वर्ण और मात्रा के विधान का। इस विषय में हमारा सुझाव है कि इन मूल स्वरों के लिए नितान्त नये वर्णों का निर्माण न करके, 'ऐ'—'औ' के नीचे त्रिन्दी देकर ही काम चलाया जाय; यथा— 'ऐ'—'औ', और 'ऐ' की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर दो छोटी खड़ी पाइयो जैसे $\overset{||}{\underset{|}{\text{ऐ}}}$ के रूप में तथा 'औ' की मात्रा शिरोरेखा वाली खड़ी पाई के ऊपर दो छोटी खड़ी पाइयो, जैसे— $\overset{||}{\underset{|}{\text{औ}}}$ के रूप में मान ली जाय। ऐसा मान लेने से मिश्र स्वर ऐ—औ और मूल स्वर ऐ—औ के वर्णों एवं मात्राओं की भिन्नता तो स्पष्ट हो ही जायगी, नाय ही दोनों में इतना साम्य भी बना ही रह जायगा कि समझने-समझाने में अधिक कठिनाई न हो। इस प्रस्ताव को मान लेने पर हिन्दी-लेखन में उक्त स्वरों के वर्ण एवं मात्राओं के रूप निम्नलिखित प्रकार के होंगे —

मूल स्वर 'ऐ'—वर्ण के रूप में ऐ सा, ऐ नक, ऐ व आदि में।

मात्रा के रूप में कसा, जसा, आदि में।

मिश्र स्वर 'ऐ'—वर्ण के रूप में ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐयार आदि में।

मात्रा के रूप में मतैक्य, वैद्य, दैत्य आदि में।

मूल स्वर 'औ'—वर्ण के रूप में और, औसत, औरत आदि में।

मात्रा के रूप में कार, तार, आदि में।

मिश्र स्वर 'औ'—वर्ण के रूप में औचित्य, औदार्य आदि में ।

मात्रा के रूप में : बौद्धिक, भौगोलिक आदि में ।

इनके अतिरिक्त सयुक्त स्वर 'अइ' और 'अउ' सयुक्त स्वर के रूप में ही लिखे जायेंगे, यथा—अइया, मइया, भइया, दइया, गइया आदि के रूप में तथा अउलिया, वउआ, कउआ, वउका, नउमी आदि के रूप में ।

(४) हिन्दी के तीन नवकिसित मूल महाप्राण अनुनासिक व्यञ्जनो—'न्ह्', 'म्ह्' और 'ल्ह्' के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों का अभाव है । हिन्दी-लेखने में इनके लिए क्रमशः सयुक्त व्यञ्जन 'न्ह्', 'म्ह्' और 'ल्ह्' का प्रयोग होता है, जबकि इन सयुक्त एवं मूल व्यञ्जनो के उच्चारण में पर्याप्त भिन्नता है । यह बात निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण पर ध्यान देने से स्वत स्पष्ट हो जायगी :—

मूल व्यञ्जन 'न्ह्'—उन्हे, जिन्हे, कन्हाई आदि में ।

सयुक्त व्यञ्जन 'न्ह्'—नन्हाँ, चिन्ह आदि में ।

मूल व्यञ्जन 'म्ह्'—तुम्हे, तुम्हारा, कुम्हार आदि में ।

सयुक्त व्यञ्जन 'म्ह्'—ब्रम्ह, ब्रम्हा आदि में ।

मूल व्यञ्जन 'ल्ह्'—चूल्हा, दूल्हा, आल्हा, कोल्हू आदि में ।

सयुक्त व्यञ्जन 'ल्ह्'—जल्हण, कल्हण आदि में ।

नागरी में मूल व्यञ्जन 'न्ह्', 'म्ह्' एवं 'ल्ह्' के लिए स्वतन्त्र वर्णों के अभाव के कारण कहीं-कहीं किसी-किसी शब्द की वर्तनी में भी अनेकरूपता दृष्टि-गोचर होने लगी है, जैसे कन्हाई—कँघाई, जम्हाई—जँभाई, सम्हालना—सँभालना, कल्ह—कल आदि में । अतः भाषा एवं लिपि की वैज्ञानिकता तथा हिन्दी-वर्तनी की एकरूपता की रक्षा के लिए उपर्युक्त मूल व्यञ्जनो के लिए नागरी में स्वतन्त्र वर्णों का विधान आवश्यक है ।

इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि नागरी में जबतक सर्वसम्मति से उपर्युक्त मूल महाप्राण अनुनासिक व्यञ्जनो के लिए स्वतन्त्र वर्णों का विधान नहीं हो जाता, तब तक संयुक्त व्यञ्जन 'न्ह्', 'म्ह्' और 'ल्ह्' से उनकी भिन्नता प्रकट करने के लिए इनके नीचे विन्दी के प्रयोग को मान्यता दी जाय, यथा—'न्ह्', 'म्ह्' और 'ल्ह्' । इसे स्वीकार कर लेने पर हिन्दी-लेखन में इनके रूप निम्नलिखित प्रकार के होंगे :—

मूल व्यञ्जन 'न्ह'—उन्हे, जिन्हें, कन्ह आदि ।

संयुक्त व्यञ्जन 'न्ह'—नन्हाँ, चिन्ह आदि ।

मूल व्यञ्जन 'म्ह'—तुम्हे, कुम्हार आदि ।

संयुक्त व्यञ्जित 'म्ह'—ब्रम्ह, ब्रम्हा आदि ।

मूल व्यञ्ज 'ल्ह'—चूल्हा, दूल्हा, कोल्हू आदि ।

संयुक्त व्यञ्जन 'ल्ह'—जल्हण, कल्हण आदि ।

(५) कुछ विद्वानों के अनुसार नागरी में 'अ' स्वर के लिए कोई मात्रा निर्धारित नहीं रहने के कारण भी हिन्दी-लेखन की वैज्ञानिकता को कुछ आँच आती है। उदाहरणार्थ; डॉ० बाबूराम सक्सेना के अनुसार हिन्दी में 'क' का मूल्य कही क् + अ है, जैसे 'कमल' में तो कही केवल क्, जैसे 'किताब' में। इस आधार पर उन्होंने यह लिखा है कि अन्य स्वरों की तरह यदि 'अ' के लिए भी कोई स्वतन्त्र मात्रा होती तो अच्छा होता।

इस विषय में उपर्युक्त विचार रखने वाले विद्वानों से मेरी पूर्णतः असहमति है। नागरी में स्वरों का मात्रा-विधान सभी दृष्टियों से पूर्ण वैज्ञानिक है और इसमें 'अ' के लिए मात्रा के विधान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात नागरी के मात्रा-विधान और उसके अक्षरात्मक स्वरूप की वैज्ञानिकता सम्बन्धी निम्नलिखित बातों पर सूक्ष्मतापूर्वक ध्यान देने से स्वतः स्पष्ट हो जायगी।

यह सभी जानते हैं कि नागरी में किसी व्यञ्जन को स्वर-रहित रूप में उपस्थित करने के लिए उसके नीचे हल् चिह्न (्) का प्रयोग होता है। यह चिह्न उम स्थिति में लुप्त हो जाता है, जब व्यञ्जन में किसी स्वर की उपस्थिति दिखलाने के लिए उस वर्ण के साथ स्वर की मात्रा लगायी जाती है। नागरी के मात्रा-विधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें किसी भी व्यञ्जन वर्ण के साथ एक से अधिक स्वर की मात्रा का एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता और उसमें जिस स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उस स्वर की उपस्थिति व्यञ्जन के अन्त में मानी जाती है। इन नियमों के आलोक में अब हमें यह देखना है कि नागरी के आविष्कर्ताओं ने अन्य स्वरों की तरह 'अ' के लिए स्वतन्त्र मात्रा का निर्धारण क्यों नहीं किया ?

इस विषय पर सूक्ष्म व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर यह स्वतः स्पष्ट हो जायगा कि नागरी के आविष्कारकों ने जहाँ अन्य स्वरों के लिए प्रत्यक्ष मात्राओं यथा— ा, ि, िी, आदि का विधान किया, वहाँ 'अ' के लिए अप्रत्यक्ष मात्रा

निर्धारित की, जिसका रूप शून्य माना जा सकता है। व्यवहार में इस (शून्य) अप्रत्यक्ष मात्रा पर भी वे ही सारे नियम घटित होते हैं, जो प्रत्यक्ष मात्राओं पर। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार किसी प्रत्यक्ष मात्रा के जुड़ने पर व्यञ्जन वर्ण के नीचे से हल् चिह्न का लोप हो जाता है, जैसे—का, कि, की आदि में, उसी प्रकार 'अ' की शून्यमात्रा के जुड़ने पर भी, यथा—क, च, ट, त, प आदि में। इस प्रकार यहाँ बिना कुछ चिह्न लगाये हल् चिह्न का लोप करने मात्र से ही व्यञ्जन में 'अ' की उपस्थिति प्रकट करने का कार्य हो जाता है। इसके विपरीत यदि अन्य स्वरों की तरह 'अ' की भी कोई प्रत्यक्ष मात्रा होती तो अकारान्तता सूचित करने के लिए हल् चिह्न के लोप के अतिरिक्त अनावश्यक रूप से व्यञ्जन वर्ण के साथ उस मात्रा का प्रयोग भ्रम अनिवार्य होता। यह अनावश्यक श्रम, अर्द्धमात्रा लाघव को पुत्रजन्म के समान अह्लादकर समझने वाले हमारे आचार्यों को भला कैसे स्वीकार्य होता? यहाँ फिरी यह प्रश्न उठ सकता है कि उनलोगों ने शून्य मात्रा का विधान 'अ' के लिए ही क्यों किया? इसका उत्तर है कि 'अ' आदि स्वर हैं, प्रथम स्वर हैं, इसीलिए।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नागरी में 'अ' के लिए किसी प्रत्यक्ष मात्रा के स्थान पर शून्य मात्रा का विधान इसका दोष नहीं, अपितु इसकी पूर्ण वैज्ञानिकता का प्रमाण है। इस सम्बन्ध में डॉ० सक्सेना का यह कथन कि 'क' का मूल्य कही क् + अ है, जैसे कमल के 'क्' में और कही मात्र 'क' है, जैसे 'किताब' के 'कि' में, उपयुक्त नहीं है। 'क' जहाँ कही भी मात्र 'क' के रूप में ही, उसका मूल्य क् + अ होगा, क्योंकि शून्य मात्रा केवल 'अ' स्वर की है। किन्तु उसके साथ यदि कोई प्रत्यक्ष मात्रा होगी तो वहाँ 'क' के साथ केवल उस मात्रा से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति मानी जायगी, किसी अन्य स्वर की नहीं, यथा—कि = क् + इ, कु = क् + उ, को = क् + ओ आदि। इसके विपरीत प्रत्यक्ष मात्रायुक्त व्यञ्जनाक्षरों में, मात्रा के प्रयोग से एक स्वर की उपस्थिति का, और हल् चिह्न के लोप से दूसरे (अ) स्वर की उपस्थिति का, इस प्रकार एक ही व्यञ्जन में एक साथ दो स्वरों की उपस्थिति के भ्रम होने का कोई यौक्तिक आधार नहीं है।

सक्षेप में, इस सम्बन्ध में नियम ये हैं कि (क) जब किसी व्यञ्जन वर्ण के साथ किसी प्रत्यक्ष मात्रा का प्रयोग होता है, तो वहाँ उस व्यञ्जन के साथ केवल उस मात्रा से सम्बद्ध स्वर की उपस्थिति मानी जाती है, (ख) जब व्यञ्जन में किसी प्रत्यक्ष मात्रा का प्रयोग न हो और न हल् चिह्न का ही प्रयोग हो, तो वहाँ उस व्यञ्जन में 'अ' स्वर की उपस्थिति होती है और (ग) जब व्यञ्जन वर्ण में किसी प्रत्यक्ष मात्रा का प्रयोग न हो, पर हल् चिह्न का प्रयोग हो, तो वहाँ केवल उस

व्यञ्जन की ही उपस्थिति होती है। इस प्रकार नागरी में स्वरों का मात्रा-विधान इतना स्पष्ट और पूर्ण है कि उसमें 'अ' के लिए अलग से किसी प्रत्यक्ष मात्रा के निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) उच्चारण-भिन्नता से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ .—

वर्तनी सिद्धान्त उच्चारण का अनुगमन करती है। इस कारण, उन शब्दों की वर्तनी में अनेकरूपता की सम्भावना प्रायः कम होती है, जिनके उच्चारण स्थिर होते हैं, अर्थात् जिनके उच्चारण में अनेकरूपता नहीं होती। इसके विपरीत, जिन शब्दों के उच्चारण में अनेकरूपता होती है, उनकी वर्तनी में अनेकरूपता आ जाना एक स्वाभाविक बात है।

हिन्दी का प्रयोग चूँकि एक ऐसे विस्तृत क्षेत्र के व्यापक जनसमुदाय के बीच होता है, जिसके अन्तर्गत हिन्दी-भाषी से लेकर अहिन्दी भाषी तक तथा शिक्षित से लेकर अशिक्षित तक, सभी प्रकार के लोग सम्मिलित हैं, इसलिए स्थान-भेद, व्यक्ति-भेद तथा अनेकों अन्यान्य कारणों से इसके अनेकानेक शब्दों के उच्चारण में द्विरूपता या वहु रूपता श्रुतिगोचर होती है। इसका प्रभाव स्वाभावतः हिन्दी-लेखन पर भी पडा है, जिसके फलस्वरूप आज हिन्दी-लेखन में सैकड़ों शब्दों की वर्तनी में अनेकरूपता दिखाई देती है, उदाहरणार्थ अमेरिका—अमरिका—अमरीका, रूस—रसा—रसिया, चीन—चाइना, सोवियत—सोवियट—सोभियट, स्तालिन—स्टालिन, इलाहाबाद—एलाहाबाद—अलाहाबाद, कलकत्ता—कैलकटा, केरल—केरला—केराला, तिरुवाङ्कुर—ट्रावनकोर—त्रावनकोर, टाटा—ताता, पहला—पहिला, उँगली—अँगुली, पञ्चावन—पञ्चावन, छह—छी—छै, पचहत्तर—पिचहत्तर—पछत्तर—पिछत्तर, चपरासी—चपडासी, घवडाना—घवराना, दीवाल—दीवार, पीपल—पीपर आदि। सामान्य बोलचाल में तो शब्दों के उच्चारण की यह भिन्न-रूपता किमी तरह खप जाती है, किन्तु लेखन में इस प्रकार की अनेकरूपता को प्रश्रय देना—खासकर जहाँ भाषा का प्रयोग साहित्यिक या शास्त्रीय विवेचन के माध्यम के रूप में हो, श्रेयष्कर नहीं माना जा सकता। कारण यह है कि वर्तनी की अनेकरूपता न केवल विवेचन की स्पष्टता के लिए बाधक होती है, अपितु वह अनेक प्रकार के भ्रमों एवं अर्थभेदों का भी कारण बन जाया करती है। इसके विपरीत, अगर किसी भाषा के शब्दों की वर्तनी का रूप एक बार स्थिर हो जाता है तो उसका बहुत कुछ प्रभाव उच्चारण पर भी पडता है, जिससे धीरे-धीरे उस भाषा के बहूत नारे शब्दों के उच्चारण की भिन्नरूपता समाप्त हो जाती है। इसीलिए किसी भी व्यापक भाषा की वर्तनी उसके लिए सबसे अधिक महत्त्व की चीज मानी जाती है।

यहाँ प्रश्न यह है कि उच्चारण-भिन्नता के कारण आज हिन्दी में जिन शब्दों की वर्तनी में अनेकरूपता आ गयी है, उनके लिए मानक वर्तनी के निर्धारण का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक आधार क्या हो सकता है ? इसका एकमात्र सही उत्तर होगा—शिष्ट उच्चारण अर्थात् किसी शब्द का वह उच्चारण, जो हिन्दी की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का समुचित ज्ञान रखने वाले अधिकांश विद्वानों को मान्य हो। उदाहरणार्थ, ऊपर जो कुछ थोड़े से भिन्नरूप-वर्तनी वाले शब्द उपस्थित किये गये हैं; उनके विविध रूपों में क्रमशः अमेरिका, रूस, चीन, सोवियत, स्टालिन, इलाहाबाद, कलकत्ता, केरल, ट्रावनकोर, टाटा, पहला, उँगली, पच्चावन, छह, पचहत्तर, चपरासी, घबडाना, दीवाल तथा पीपल आदि की वर्तनी हिन्दी के अधिकांश विद्वानों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण मानक रूप में स्वीकार कर लेने के योग्य है। किन्तु, ऐसे भिन्नरूप-वर्तनी वाले शब्दों का सम्यक् प्रतिमानीकरण अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हिन्दी विद्वानों के किसी महासम्मेलन के द्वारा ही सम्भव है, जो कोई बड़ी साहित्यिक संस्था, प्रकाशन संस्था या सरकार ही करा सकती है।

हिन्दी में शब्दों की उच्चारण-भिन्नता के कारण वर्तनी-भिन्नता की समस्या बहुत से संस्कृत एवं विदेशी तत्सम एवं तद्भव शब्दों के कारण भी है, जिनका विवेचन आगे संस्कृत एवं विदेशी शब्दों के प्रसङ्ग में किया जायगा।

(३) संस्कृत शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ .—

हिन्दी में संस्कृत के शब्द मुख्यतः तीन रूपों में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम रूप में, जैसे—महत्त्व, उज्ज्वल, प्राण आदि; अर्द्धतत्सम रूप में, जैसे—जमुना, जसोदा, प्राण, कारन, विकास, दस आदि तथा तद्भव रूप में, जैसे—आँख, हाथ, घी, दही, हाथी आदि। इनमें जहाँ तक तद्भव रूप वाले शब्दों का प्रश्न है, वे मूलतः हिन्दी के अपने शब्द हैं और लेखन में उनकी वर्तनी प्रायः स्थिर हो चुकी है। इसलिए उनकी वर्तनी के सम्बन्ध में अनेकरूपता की कोई जटिल समस्या प्रायः नहीं पायी जाती। किन्तु तत्सम एवं अर्द्धतत्सम शब्दों की वर्तनी के सम्बन्ध में हिन्दी-लेखन में अनेक प्रकार की समस्याएँ पायी जाती हैं, जिनका समुचित रूप से निराकरण नितान्त आवश्यक है।

(क) तत्सम शब्दों के सम्बन्ध में एक समस्या उनके हिन्दी उच्चारण और वर्तनी की भिन्नता के कारण है। आज हिन्दी में बहुत सारे तद्भ्रम शब्दों का उच्चारण ठीक उसी रूप में नहीं होता, जिस रूप में वे लिखे जाते हैं या यों कहे कि उनकी जैसी परम्परागत संस्कृत-वर्तनी है, हिन्दी में आज उनका वैसा उच्चारण

नहीं रह गया है। उदाहरणार्थ, हिन्दी में सस्कृत के ऋतु, ऋषि, विष, कृपया, रक्षा, ज्ञान, महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, चिह्न, ब्राह्मण, दुःख, निःसङ्कोच आदि का उच्चारण वर्तमान समय में अविकाश लोगों के द्वारा क्रमशः रिःतु, रिःशि, विःश, क्रिपया, रक्छा, ग्याँन, महत्त्व, तत्त्व, उज्वल, चिन्ह, ब्राम्हण, दुःख, निःसङ्कोच आदि के रूप में श्रुतिगोचर होता है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों का यह प्रस्ताव है कि हिन्दी-लेखन में उक्त कोटि के शब्दों की वर्तनी उनके तत्सम रूप की वर्तनी के समान न होकर हिन्दी उच्चारण के अनुरूप ही होनी चाहिए, जबकि अनेक अन्य विद्वान उन्हें तत्सम रूप में ही लिखा जाना श्रेयष्कर मानते हैं।

इस विषय पर सूक्ष्मता पूर्वक ध्यान देने से पता चलेगा कि सस्कृत के ऐसे तत्सम शब्द, जिनकी वर्तनी से आज उनका हिन्दी-उच्चारण भिन्न हो गया है, मुख्यतः तीन प्रकार के हैं—(१) वे शब्द, जिनसे सम्बद्ध कतिपय ध्वनियाँ हिन्दी में लुप्त हो चुकी हैं और आज जिनका शुद्ध उच्चारण भी प्रायः विस्मृत हो चुका है। उदाहरणार्थ हम ऋषि, ज्ञान तथा रक्षा शब्द को लें। हिन्दी के अपने (तद्भव) शब्दों में इन शब्दों के ऋ, प्, क्ष् तथा ज्ञ् वर्णों से सम्बद्ध ध्वनियाँ नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त इनके तद्रूप उच्चारण करनेवाले भी प्रायः विरले ही मिलते हैं। अविकाश लोग इनका उच्चारण क्रमशः रि, श्, क्छ् या क्श् तथा ग्यँ के रूप में करते हैं। ऐसी स्थिति में उच्चारणानुरूप वर्तनी के सिद्धान्त के समर्थक यदि इनके तत्सम रूप में लिखे जाने का विरोध करते हैं तो वह उचित ही है, किन्तु इसके सम्बन्ध में अन्तिम निष्कर्ष देने के पूर्व कुछेक बातें और सोच लेने की हैं। एक तो यह कि हिन्दी में अनेकत्र सस्कृत से उद्धरण दिये जाते हैं, जहाँ उक्त ध्वनियों से युक्त शब्दों की वर्तनी बदली नहीं जा सकती। दूसरी बात यह कि खड़ी हिन्दी के अब तक के परिनिष्ठित साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान के शास्त्रीय विवेचन में उनका प्रयोग तत्सम रूप में ही होता आया है। तीसरी बात यह कि परिनिष्ठित हिन्दी में तत्समता की ओर झुकाव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति सी है और चौथी बात यह कि हिन्दी के अविकाश विद्वान हिन्दी में उपर्युक्त तत्सम शब्दों को तत्सम रूप में ही लिखे जाने के पक्षधर हैं। ऐसी स्थिति में उक्त कोटि के शब्दों की तत्सम वर्तनी को मानक न मानकर उनके उच्चारणानुरूप वर्तनी को मानक रूप में स्वीकार करना न तो व्यावहारिक होगा और न समीचीन ही। तब इतना अवश्य है कि जिन लोगों की भाषा-शैली तद्भवता एवं आञ्चलिकता की ओर उन्मुख होगी, वे अपने लेखन में उक्त कोटि के शब्दों को उच्चारणानुरूप वर्तनी में ही डालना पसन्द करेंगे और उन्हें वैसा करना भी चाहिए। क्योंकि, तत्सम से तद्भव के विकास की यही

प्रक्रिया है और इसीलिए कवि एव लेखको को समाज ने 'पोयटिक लाइसेंस' भी दे रखा है। किन्तु जहाँ तक उक्त प्रकार के शब्दों की वर्तनी के प्रतिमानीकरण का प्रश्न है, अभी उनकी परम्परागत तद्रूप वर्तनी को ही मानक रूप में स्वीकार करना पड़ेगा।

(२) उच्चारण और वर्तनी की भिन्नता वाले दूसरे प्रकार के सस्कृत तत्सम शब्द वे हैं, जिनमें व्यञ्जनद्वित्व पाया जाता है; जैसे—महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, कर्तव्य, कर्ता आदि। ऐसे शब्दों का उच्चारण हिन्दी के अधिकांश अधिकारी विद्वान अभी भी प्रायः तत्सम रूप में ही करते हैं तथा लिखते भी तद्रूप ही है। किन्तु सामान्य शिक्षित जन तथा कुछेक शिष्ट विद्वान भी उक्त शब्दों का उच्चारण प्रायः महत्त्व, तत्त्व, उज्वल, कर्तव्य, कर्ता आदि के रूप में करते हैं और इसीलिए, वे इन्हें लिखना भी प्रायः इसी रूप में पसन्द करते हैं। इस सम्बन्ध में हिन्दी की प्रवृत्ति पर ध्यान देने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जनजीवन में हिन्दी की सामान्य प्रवृत्ति व्यञ्जनद्वित्व में से एक के लोप की ओर है, जबकि परिनिष्ठित भाषण एवं लेखन में इसकी प्रवृत्ति तत्समता के ही संरक्षण की ओर है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त शब्दों की वर्तनी के प्रतिमानीकरण में जहाँ शिष्ट उच्चारण की दृष्टि से तत्सम रूपों को ही मानक रूप में स्वीकार करना उचित है, वही भाषा की सामान्य प्रवृत्ति की दृष्टि से व्यञ्जनद्वित्व में से एक के लोप वाले रूपों को भी शब्दान्तर के रूप में अर्द्ध तत्सम कहकर मान्यता देना आवश्यक है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है कि हिन्दी में सस्कृत-स्रोत के तत्सम, अर्द्धतत्सम तथा तद्भव—तीनों प्रकार के शब्द प्रारम्भ से ही प्रचलित रहे हैं और तीनों को समान रूप से लेखको एव विद्वानों की मान्यता भी प्राप्त रही है। जहाँ तक उक्त तीनों प्रकार के शब्दों के प्रयोग का प्रश्न है, वह कुछ तो लेखक एव विद्वानों की रुचि एव शैली पर निर्भर करता है कि वे कहीं किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें और कुछ विषय तथा सन्दर्भ पर भी निर्भर करता है। उदाहरणार्थ . कोई भी लेखक जिस प्रकार 'चन्द्रलोक' या 'चन्द्र-ग्रहण' को 'चाँदलोक' या 'चाँदग्रहण' कहना पसन्द नहीं करेगा, उसी प्रकार वह 'चन्दा मामा' या 'चाँद की चाँदनी' को 'चन्द्र मामा' या 'चन्द्र की चाँदनी' कहना या लिखना उचित नहीं समझेगा। किन्तु, अन्यत्र जहाँ ऐसी विषयगत या सन्दर्भगत वाध्यता नहीं होती, वहाँ लेखक या विद्वान को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता होती है कि वह अपनी रुचि एव शैली के अनुसार चन्द्र एवं 'चाँद' में से किसी का भी प्रयोग करे। इसी तरह यदि हम एकबार महत्त्व, तत्त्व, उज्वल आदि को क्रमशः महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, आदि से विकसित अर्द्धतत्सम रूप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर यह लेखक एवं विद्वानों की रुचि, शैली, विषय एव सन्दर्भ आदि पर निर्भर करेगा कि

उक्त तत्सम एव अर्द्धतत्सम रूपों में से कहीं किसका प्रयोग हो। उस स्थिति में यदि कोई लेखक 'महत्त्व' नहीं लिखकर 'महत्व' ही लिखेगा तो वहाँ वर्तनी की भिन्नता नहीं मानी जायगी, अपितु शब्दान्तर माना जायगा अर्थात् उस प्रयोग को 'अर्द्धतत्सम' प्रयोग कहा जायगा तथा उसकी व्युत्पत्ति समझाते समय यह स्पष्ट किना जायगा कि 'महत्त्व' अर्द्धतत्सम शब्द है, जिसका तत्सम रूप 'महत्व' है, जो 'महत्' के साथ 'त्व' प्रत्यय के योग में बना है।

मक्षेप में निष्कर्ष यह कि द्वित्व व्यञ्जन वाले ऐसे जितने भी तत्सम शब्द हैं, जिनके द्वित्व में से एक के लोप वाले अर्द्धतत्सम रूप हिन्दी में प्रचलित हो गये हैं, उनके तत्सम एव अर्द्धतत्सम दोनों रूपों की वर्तनी को हिन्दी-लेखन में मानक रूप में स्वीकृति मिलनी चाहिए, यथा, तत्सम—महत्त्व, तत्त्व, उज्ज्वल, कर्तव्य आदि और अर्द्धतत्सम—महत्व, तत्व, उज्वल, कर्तव्य आदि। यहाँ फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त दोनों प्रकार के रूपों की वर्तनी की भिन्नता वस्तुतः शब्दान्तर के कारण है न कि वर्तनी की अनेकरूपता के कारण।

(३) हिन्दी में वर्तनी की भिन्नता वाले तीसरे प्रकार के संस्कृत शब्द वे हैं, जो तत्सम रूप में हलन्त होते हैं, जैसे—विद्वान्, महान्, भगवान्, पृथक्, किञ्चित्, परिपद्, विराट् आदि। इन शब्दों का उच्चारण हिन्दी में भी प्रायः वैसे ही होता है, जैसा संस्कृत में। किन्तु, हिन्दी-लेखन में जहाँ संस्कृतनिष्ठ विद्वान् इन्हें तद्रूप लिखना पसन्द करते हैं, वहाँ अन्यान्य विद्वान् इन्हें अकारान्त रूप में लिखना उचित समझते हैं, जैसे—विद्वान, महान, भगवान, पृथक, किञ्चित, परिपद, विराट आदि। तत्सम रूप में लिखने वालों का सीधा सा तर्क यह है कि चूँकि ये शब्द संस्कृत में हलन्त हैं, अतः हिन्दी लेखन में भी इनका प्रयोग तद्रूप ही होना चाहिए। इसके विपरीत इन्हें अकारान्त रूप में लिखने वालों का तर्क यह है कि जब उच्चारण की दृष्टि से इन्हीं के वजन के धान, पान, मकान, अथक, सिञ्चित, हरिपद, ललाट आदि शब्द अकारान्त रूप में लिखे जाते हैं तो फिर विद्वान, महान, भगवान, पृथक, किञ्चित, परिपद, विराट आदि को हलन्त रूप में क्यों लिखा जाय ?

कुछ लोग इस सम्बन्ध में एक व्यावहारिक कठिनाई यह भी बताते हैं कि यदि उक्त तत्सम शब्दों को हलन्त रूप में लिखा जायगा तो उनके साथ परसर्ग या प्रत्यय जुड़ने पर जो रूप बनेंगे, वे हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं होंगे और न वे जनग्राह्य ही हो सकेंगे, यथा—विद्वान् + ने = विद्वान्ने, विद्वान् + को = विद्वान्को, विद्वान् + में = विद्वान्से, महान् + ता = महान्ता, पृथक् + ता = पृथक्ता आदि। दूसरी ओर, हलन्त रूप के प्रयोग का समर्थन करने वाले यह तर्क देते हैं कि हिन्दी में

चूँकि अपने अकारान्त शब्दों का उच्चारण भी हलन्त रूप में ही होता है, इसलिए उचित तो यह होता कि हिन्दी के अपने अकारान्त शब्दों को भी हलन्त रूप में ही लिखा जाता। किन्तु, यदि यह सम्भव न हो, तो कम से कम सस्कृत के हलन्त शब्दों के तत्समत्व की रक्षा तो होनी ही चाहिए।

अब हम उपर्युक्त दोनों पक्षों के तर्कों पर तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टि से एक-एक कर विचार करें। पहले हम हलन्त रूप के समर्थकों के तर्कों को लें। इस पक्ष के लोगो का यह कहना कि चूँकि उपर्युक्त शब्द सस्कृत में हलन्त हैं, इसलिए हिन्दी-लेखन में भी उनका तत्सम प्रयोग ही होना चाहिए, समीचीन नहीं प्रतीत होता। कारण यह है कि हिन्दी में सस्कृत के शब्द तत्सम, अर्द्धतत्सम तथा तद्भव—तीनों ही रूपों में प्रचलित हैं और हिन्दी के लिए ऐसा कोई बन्धन नहीं कि वह उनमें से किसी एक रूप को ले और दूसरे रूप को नही ले। जैसा पहले बताया जा चुका है कि यह लेखक की रुचि, शैली, विषय, सन्दर्भ आदि पर निर्भर करता है कि वह तत्सम, अर्द्धतत्सम तथा तद्भव में से कहीं किस रूप का प्रयोग करे। सस्कृत हलन्त शब्दों के अकारान्त रूप हिन्दी में अर्द्धतत्सम या तद्भव माने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दी में लेखकों को इस बात की पूरी छूट देनी ही पड़ेगी कि वे अपनी रुचि एवं शैली के अनुसार उक्त तत्सम एवं अर्द्धतत्सम रूपों में से जिसका भी चाहे प्रयोग करें।

हलन्त रूप के समर्थकों का यह दूसरा तर्क भी निर्बल ही है कि हिन्दी में चूँकि अकारान्त शब्द हलन्त उच्चरित होते हैं, इसलिए उचित यह है कि उन्हें भी हलन्त रूप में ही लिखा जाय और यदि वह सम्भव न हो तो कमसे कम संस्कृत के हलन्त शब्दों को हिन्दी में अनिवार्य रूप से हलन्त रहने दिया जाय। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि हिन्दी के अकारान्त शब्द हलन्त रूप में उच्चरित होते ही नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि उनके अन्त में उच्चरित होनेवाला 'अ' अति ह्रस्व और निर्बल रहता है, पर वह रहता अवश्य है। ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टि से प्रायः यही स्थिति हिन्दी में प्रयुक्त सस्कृत के हलन्त शब्दों की भी होती है, जहाँ उनका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से होता है। ऐसी स्थिति में सस्कृत के हलन्त शब्दों को भी हिन्दी के अकारान्त शब्दों की तरह यदि अकारान्त रूप में ही लिखा जाय तो ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टि से इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से हलन्त शब्दों को अकारान्त रूप में लिखे जाने की सिफारिश करने वालों की यह युक्ति निश्चय ही ध्यान देने योग्य है कि मकान की तरह महान, अथक की तरह पृथक, सिञ्चित की तरह किञ्चित तथा ललाट या सपाट की तरह विराट आदि जैसे समान वजन वाले

शब्दों में से एक अकारान्त रूप में और दूसरे को हलन्त रूप में लिखना भला ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे समीचीन माना जा सकता ? आशय यह कि हिन्दी में संस्कृत के हलन्त शब्दों को अकारान्त रूप में लिखने में कोई भाषा शास्त्रीय बाधा नहीं है ।

किन्तु, जो लोग हलन्त शब्दों को हिन्दी में तद्रूप ही लिखते हैं, निश्चय ही उनपर वैसे न करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हिन्दी में संस्कृत के तत्सम शब्दों के तद्वत् लेखन को मान्यता प्राप्त है । फिर, जहाँ तक उनके साथ प्रत्यय और परसर्गादि लगाने में व्यावहारिक कठिनाई की बात है, वह निराधार है । हिन्दी में परसर्ग सजा से अलग लिखे जाते हैं, इसलिए 'विद्वान्' ने' आदि रूपों को 'विद्वान्ने' आदि जैसे रूपों में बदल जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इसी प्रकार 'महानता' 'पृथकता' आदि जैसे शब्दों के सम्बन्ध में यह स्वतः स्पष्ट है कि ये शब्द अर्द्धतत्सम 'महान' एवं 'पृथक्' के साथ हिन्दी के अपने 'ता' प्रत्यय के योग से बने हैं, न कि तत्सम महान् एवं पृथक् के साथ 'ता' के योग से ।

निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन का सारांश यही है कि हिन्दी में महान, विद्वान् पृथक्, विराट् आदि को क्रमशः महान्, विद्वान्, पृथक्, विराट् आदि का अर्द्ध-तत्सम रूप माना जाना चाहिए और हिन्दी लेखन में उक्त दोनों ही रूपों को शब्दान्तर के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए । उस स्थिति में उक्त रूप में वर्तनी की भिन्नता को वर्तनी की अनेकरूपता न कहकर, शब्दान्तर अर्थात् तत्सम-अर्द्धतत्सम की भिन्नता कहा जायगा जैसे, कारण—कारन, यशोदा—जसोदा, विकाश—विकास, दश-दस, आदि के सम्बन्ध में कहा जाता है ।

(४) विदेशी शब्दों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ —

हिन्दी में संस्कृत के अतिरिक्त अरबी, फ़ारसी, अँगरेजी, पोर्तुगीज, आदि कतिपय विदेशी भाषाओं के शब्द भी अपने तत्सम तथा तद्भव रूप में प्रयुक्त होते हैं । जहाँ तक विदेशी तद्भव शब्दों का प्रश्न है, उनकी वर्तनी हिन्दी की ध्वनि-प्रक्रिया के अनुरूप हो जाने के कारण प्रायः स्थिर हो गयी है, जैसे—लालटेन, कोतवाल, ठाकिया, पैंटमैन, लाटसाहव, कचहरी, जिला आदि । इसी प्रकार विदेशी तत्सम शब्दों में भी, जिनकी सभी ध्वनियाँ हिन्दी में उपलब्ध हैं, उनकी वर्तनी में अनेकरूपता प्रायः नहीं पायी जाती, जैसे—स्कूल, बस, क्लास, रूम, कोट, टेबुल, पाउडर, म्नी, रेल, ट्रेन आदि । किन्तु हिन्दी में सँकड़ो विदेशी तत्सम शब्द ऐसे भी प्रचलित हैं, जिनकी कुछ ध्वनियाँ हिन्दी में नहीं पायी जाती और न जिनके

लिए नागरी मे पहले से स्वतन्त्र वर्ण ही है। हिन्दी मे इसी प्रकार के विदेशी शब्दों की वर्तनी मे प्रायः अनेकरूपता पायी जाती है। इसका कारण यह है कि कुछ लोग, जो उन शब्दो का उच्चारण तत्सम रूप मे करते है, उन्हे तद्रूप लिखने के लिए कतिपय वर्णों के साथ विन्दी (नुक्ता), अर्द्धचन्द्र आदि विशेष चिन्हो का प्रयोग करते है और जो लोग उनका उच्चारण तत्सम से भिन्न रूप में हिन्दी की अपनी ध्वनि-प्रणाली के अनुरूप करते हैं, वे उन्हे लिखना भी अपने उच्चारणानुरूप ही पसन्द करते है। इस प्रकार एक ही शब्द की वर्तनी के दो, और कभी-कभी दो से भी अधिक रूप हो जाते हैं; जैसे, कॉलेज—कौलेज—कालेज, डॉक्टर—डौक्टर—डाक्टर, ताकत—ताकत, अखबार—अखवार, गरीब—गरीब, जालिम—जालिम, फारसी—फारसी आदि।

उपर्युक्त कोटि के विदेशी शब्दो की वर्तनी मे एकरूपता लाने के लिए कुछ विद्वानो का सुझाव यह है कि उन्हे तत्सम रूप मे ही लिखा जाय और उस रूप मे लिखने के लिए उन शब्दो की जिन ध्वनियो के लिए नागरी मे स्वतन्त्र वर्ण नहीं है, उनकी समकक्ष ध्वनियो के लिए निर्धारित वर्णों के साथ विशेष चिह्नो, यथा व्यञ्जन के नीचे विन्दी (नुक्ता) और स्वर के ऊपर अर्द्धचन्द्र का प्रयोग किया जाय, जैसे—आँडर, कॉलर, डॉक्टर, ताकत, अखबार, गरीब, गजट, नफीस आदि।

इसके विपरीत कतिपय अन्य विद्वानो का सुझाव यह है कि विदेशी शब्दो को उनके तत्सम रूप मे लिखने का झमेला मोल न लिया जाय अर्थात् उन्हे तद्रूप लिखने के लिए जिन विदेशी-ध्वनियो के लिए नागरी मे वर्ण नहीं है, उनकी समकक्ष ध्वनियो के लिए निर्धारित वर्णों के साथ विशेष चिह्नो—नुक्ता, अर्द्धचन्द्र आदि का प्रयोग न किया जाय, अपितु उन्हे हिन्दी के सामान्य उच्चारण के अनुरूप ही लिखा जाय, जैसे—कालेज, डाक्टर, ताकत, अखबार, गरीब, गजट, नफीस आदि।

इस सम्बन्ध मे सोचने की बात यह है कि यदि हिन्दी के कुछ विद्वान विदेशी शब्दो का उच्चारण शुद्ध तत्सम रूप मे करते है और उन्हे हिन्दी मे तद्रूप ही लिखना भी पसन्द करते है तो निश्चय ही वे कोई अपराध नहीं करते कि उनको वैसा करने से रोका जाय। बल्कि हिन्दी मे तो कतिपय विदेशी शब्द ऐसे स्वल्पान्तर युग्म वाले भी है, जिन्हे यदि शुद्ध तत्सम रूप मे न बोला-लिखा जाय तो अर्थभेद और कही-कही तो अर्थ का अनर्थ भी हो जा सकता है। यहाँ नीचे इसके कुछ उदाहरण दिये जा रहे है :—

आँ—आ :	कॉल = पुकार	—	काल = समय
	बॉल = गेद	—	बाल = केश

	हाँल = बडा कमरा	—	हाल = समाचार
क-क :	कतरा = वूँद	—	कतरा = फाँक
	कदम = चरण	—	कदम = कदम्व
	करार = चैन, धीरज	—	करार = कगार
	कालीन = गलीचा	—	कालीन = काल सब धी
	कील = प्रतिज्ञा	—	कील = शाकत, वाममार्गी
ख-ख	खर = गदहा	—	खर = तृण
	खमरा = हिसाव का कच्चा- चिट्ठा	—	खसरा = एक तरह की खुजली
	खान = मरदार	—	खान = खजाना
	खाना = स्थान, घर	—	खाना = भोजन
ग-ग	गरज = प्रयोजन	—	गरज = ऊँची आवाज
	गुल = शोर	—	गुल = फूल
	गोल = झुण्ड	—	गोल = वृत्ताकार
	गौर = ध्यान	—	गौर = शुभ्र, गोरा
ज-ज	जरा = थोडा	—	जरा = वृद्धावस्था
	जलील = नीच	—	जलील = श्रेष्ठ
	सजा = दण्ड	—	सजा = सुसज्जित
फ-फ	फन = हुनर	—	फन = सर्प का फँला सिर
	फलक = आकाश	—	फलक = तीर की गाँमी आदि
	दफा = दूर करना	—	दफा = वार, कानून की घारा

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि अर्थभ्रम से बचने के लिए हिन्दी में अनेक विदेशी शब्दों का शुद्ध तत्सम रूप में प्रयोग आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जिन विदेशी ध्वनियों के लिए नागरी में वर्ण नहीं हैं, उनके लेखन के लिए यदि उनकी समकक्ष ध्वनियों के लिए निर्धारित वर्णों के साथ विशेष चिह्नो—यथा नुक्ता, अर्द्ध-चन्द्र आदि का प्रयोग किया जाता है, तो उसे अनुचित या अनावश्यक नहीं कहा जा सकता।

किन्तु, दूसरी ओर यह भी सत्य है कि हिन्दी में अधिकांश लोग उक्त कोटि के विदेशी शब्दों का उच्चारण तत्सम रूप में न करके हिन्दी की अपनी ध्वनि-

प्रणाली के ही अनुरूप करते हैं; यथा कॉल को कौल या काल, जरूर को ज़रूर, अखवार को अखवार, गरीब को गरीब, फारसी को फारसी आदि, और उन्हें अपने ही उच्चारणानुरूप लिखना भी पसन्द करते हैं। यहाँ भी, न तो यह सम्भव है और न उचित ही होगा कि ऐसे सभी लोगो को विदेशी शब्दो को शुद्ध तत्सम रूप मे ही बोलने और लिखने को बाध्य किया जाय।

तब प्रश्न यह उठता है कि यदि हिन्दी मे विदेशी शब्दो को शुद्ध तत्सम रूप मे बोलना और लिखना भी उचित है और उन्हें हिन्दी की अपनी ध्वनि-प्रणाली के अनुरूप बोलना और अपने ही उच्चारणानुरूप लिखना भी उचित है, तो फिर दोनो का भाषा शास्त्रीय औचित्य कैसे सिद्ध किया जा सकता है और दोनो की वर्तनी की भिन्नता का समर्थन कैसे और किस आधार पर किया जा सकता है ?

हमारी समझ से इसका एक मात्र व्यावहारिक समाधान यही सम्भव है कि हम हिन्दी मे सस्कृत शब्दो की तरह विदेशी शब्दो के भी तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव तीन वर्ग मान लें और जिस प्रकार हिन्दी लेखको को सस्कृत के उक्त तीनों ही प्रकार के शब्दो के प्रयोग की स्वतन्त्रता है, उसी प्रकार उक्त तीनों प्रकार के विदेशी शब्दो के प्रयोग को भी मान्यता दे दे; फिर यह लेखक की रुचि, शैली, विषय, सन्दर्भ, अभिज्ञता आदि पर निर्भर होगा कि वह विदेशी तत्सम, अर्द्धतत्सम एव तद्भव शब्दो मे से कहाँ किसका प्रयोग करे। विदेशी अर्द्धतत्सम से हमारा तात्पर्य हिन्दी मे प्रयुक्त उन विदेशी शब्दो से है, जिनके रूप मे तत्सम से नाम मात्र का अन्तर पाया जाता है, यथा अखवार से अखवार मे, गरीब से गरीब मे, जरूर से जरूर आदि मे। फिर विदेशी तद्भव से हमारा तात्पर्य उन विदेशी शब्दो से है, जिनके रूप मे तत्सम से पर्याप्त अन्तर पाया जाता है, जैसे लैण्टर्न से लालटेन, प्वायण्ट्समैन से पैटमैन, लाइवरी बूटन से लिवरी वर्तन, फेहरिस्त से फिरीस्त, जियादह से ज्यादा, दारोगह से दरोगा आदि मे।

हमारी समझ से हिन्दी मे यदि विदेशी शब्दो के सम्बन्ध मे उपर्युक्त व्यवस्था को मान्यता दे दी जाय तो उनकी वर्तनी की भिन्नता को वर्तनी की अनेकरूपता नहीं, अपितु शब्दान्तर अर्थात् तत्सम, अर्द्धतत्सम तथा तद्भव का अन्तर कहा जायगा और इस प्रकार वर्तनी के एतद्विषयक विवाद का अन्त हो जायगा। यह व्यवस्था हिन्दी के बिकास की प्रक्रिया को स्वाभाविक गति के संरक्षण एवं पोषण की दृष्टि से भी आवश्यक है।

(ख) हिन्दी मे कतिपय विदेशी शब्द ऐसे भी पाये जाते हैं, जिनके मध्य मे आने वाले 'र' तथा 'ल' की अकारान्तता सन्दिग्ध सी लगती है, जैसे सरद—सर्द,

गरम—गर्म, शरम—शर्म, वरफ़—वर्फ़, हलका—हल्का, उलटा—उल्टा आदि । 'प्रकाशक-सङ्घ' तथा 'परिपद्' ने ऐसे शब्दों को पूरे अक्षर से लिखे जाने की सिफारिश की है जैसे—शरम, वरफ, गरदन, वरतन, फुरसत हलका आदि । हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के अनुकूल होने के कारण यह प्रस्ताव मान लेने योग्य अवश्य प्रतीत होता है, किन्तु व्यवहार में निरपवाद नियम के रूप में इसका सर्वत्र पालन सम्भव नहीं है । इसका एक कारण तो यह है कि उपर्युक्त श्रुतिसम शब्दों में से अनेक का प्रयोग अब हिन्दी में प्रायः भिन्नार्थक शब्दों के रूप में भी होने लगा है, जैसे—'सर्द' का प्रयोग संज्ञा के रूप में 'शरद् ऋतु' के अर्थ में तथा 'सर्द' का विशेषण के रूप में 'ठंडा' के अर्थ में, 'हल्का' का विशेषण के रूप में 'कम भारी' के अर्थ में और 'हलका' का हलका अर्थात् महल्ले के अर्थ में, 'उलटा' का भूतकालिक क्रिया के रूप में और 'उल्टा' का विशेषण के रूप में, आदि । दूसरे, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके प्रयोग रुढ़ से हो गये हैं; जैसे 'उसका शरीर भय से सर्द पड़ गया' में 'सर्द' के स्थान पर 'सरद' प्रयोग नहीं चल सकता । तीसरे, कुछ शब्दों में उक्त प्रकार के रूपान्तर से उनके शब्दान्तर का बोध होता है, जैसे—शर्म तत्सम और 'शरम' तद्भव, फलतः 'शर्म' का प्रयोग अधिक शिष्ट जैसा और 'शरम' का प्रयोग कम शिष्ट जैसा लगता है; उदाहरणार्थ—'उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया' के स्थान पर 'उसका चेहरा शरम से लाल हो गया' कहना या लिखना कम शिष्ट प्रतीत होता है ।

उपर्युक्त दृष्टियों से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्बन्ध में 'प्रकाशक सङ्घ' तथा 'परिपद्' का यह सुझाव कि 'उक्त प्रकार के विदेशी शब्दों को पूरे अक्षर से ही लिखना चाहिए', हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रकृति के अनुकूल होकर भी पूर्णतः व्यावहारिक नहीं है । इसलिए, हमारी समझ से उपर्युक्त प्रकार के विदेशी शब्दों के रूप-भेद को भी शब्दान्तर मानकर उनके प्रयोगों को लेखकों की रचि, शैली, विषय एवं सन्दर्भ आदि पर ही रहने देना अधिक उपयुक्त होगा ।

(५) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ :—

(क) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की एक समस्या नागरी के ऋ, ॠ, लृ, लृ, स्वर वर्णों को लेकर है । इनसे सम्बद्ध ध्वनियों का हिन्दी में लोप हो चुका है और ये सब क्रमशः रि, री लि, ली के रूप में उच्चरित होते हैं । इनमें अन्तिम तीन से युक्त शब्दों का प्रयोग हिन्दी में प्रायः नहीं होता, किन्तु ऋ से युक्त शब्द पर्याप्त सख्या में मिलते हैं, यथा—ऋतु, ऋषि, कृपा, कृष्ण आदि । ये शब्द हिन्दी में क्रमशः रि, री लि, ली के रूप में बोले जाते हैं ।

इसी आधार पर कुछ लोगों का यह कहना है कि जब वर्तना का कार्य उच्चारण का अनुगमन करना है, तो फिर उपर्युक्त शब्दों को भी आधुनिक उच्चारण के अनुरूप ही लिखा जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में यहाँ सर्वप्रथम यह स्मरण करा देना आवश्यक है कि सिद्धान्ततः वर्तनी का कार्य शिष्ट उच्चारण का ही अनुगमन करना है; किन्तु व्यवहार में कहीं-कहीं अनेक कारणों से परम्परा का अनुसरण भी अनिवार्य हो जाता है। इसके सैकड़ों उदाहरण अँगरेजी भाषा में भरे पड़े हैं। हिन्दी में ऋ वर्ण से युक्त शब्दों की वर्तनी को परम्परागत रूप में बनाये रखना इसलिए आवश्यक है कि वे सारे शब्द सस्कृत-स्रोत के हैं, जो हिन्दी का मूलस्रोत है। आज यदि उक्त शब्दों की वर्तनी को आधुनिक उच्चारणानुरूप ढाँचे में ढाल दिया जाय तो हिन्दी के लिए ऋ की ध्वनि की तरह ही यह वर्ण भी विस्मृत होकर अपरिचित हो जायगा, और तब हिन्दी विद्वानों के लिए प्राचीन वाङ्मय में प्रयुक्त इस वर्ण से सम्बद्ध सारे-सारे शब्द भी अपरिचित हो जायेंगे। इसीलिए उपर्युक्त शब्दों की वर्तनी को आधुनिक उच्चारणानुरूप न बनाकर परम्परागत रूप में ही रहने देना आवश्यक है।

(ख) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की दूसरी समस्या हिन्दी के नवविकसित मूल स्वर ह्रस्व ए—ओ तथा दीर्घ ऐ,—औ एव संयुक्त स्वर ऐ—औ की लेकर है। इन सबका विस्तृत विवेचन 'नागरी-वर्णमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ' के अन्तर्गत पहले ही किया जा चुका है तथा सबके लिए समाधान भी उपस्थित किये जा चुके हैं। अतः यहाँ उसकी आवृत्ति अनावश्यक है।

(ग) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की तीसरी समस्या मिश्र व्यञ्जन क्ष् और ज्ञ् को लेकर है। इनका उच्चारण अधिकांश लोग आजकल क्रमशः क्श् या क्श तथा ग्यँ, न्य या ज्यँ के रूप में करते हैं और इसी आधार पर कुछ लोग इनकी वर्तनी को आधुनिक उच्चारणानुरूप ढाँचे में ढालने की भी बात करते हैं। किन्तु, एक तो इन वर्णों से युक्त शब्द सस्कृतस्रोत से सम्बद्ध होने के कारण प्राचीन वाङ्मय में भरे पड़े हैं, जिन्हें विस्मृत करना हितकर नहीं हो सकता, दूसरे, उक्त वर्णों के आधुनिक उच्चारण में एकरूपता भी नहीं है, और तीसरे, अनेक अधिकारी विद्वान उक्त वर्णों का उच्चारण शुद्ध मिश्र व्यञ्जन के रूप में भी करते हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त वर्णों से युक्त शब्दों की वर्तनी को आधुनिक उच्चारणानुरूप बनाने की अपेक्षा परम्परागत रूप में ही बनाये रखना श्रेयष्कर है।

(घ) परम्परागत लेखन से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की चौथी समस्या नवविकसित मूल महाप्राण व्यञ्जन ङ्ह् ङ्ह् और ङ्ह् को लेकर है, जिनका उच्चारण

सो मूल व्यञ्जन की तरह होता है, किन्तु जो लिखे जाते हैं सयुक्त व्यञ्जन की तरह। इनका विस्तृत विवेचन 'नागरी-वर्णमाला से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ' शीर्षक के अन्तर्गत पहले ही किया जा चुका है तथा वहाँ इनके लिए समाधान भी उपस्थित किये जा चुके हैं। अतः यहाँ उनकी आवृत्ति करना आवश्यक नहीं है।

(६) व्याकरण से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ .—

हिन्दी-लेखन में कतिपय शब्दों की वर्तनी की अनेकरूपता के मूल में प्रायः लेखकों का व्याकरण सम्बन्धी अपर्याप्त ज्ञान भी हुआ करता है, जिसका निराकरण व्याकरण के सम्यक् ज्ञान तथा भाषा की प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा ही सम्भव है। व्याकरण के अपर्याप्त ज्ञान के परिणामस्वरूप पायी जानेवाली वर्तनी की कतिपय भूलों एवं अनेकरूपताओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :—

अशुद्ध		शुद्ध
राम को लडका हुआ है	—	राम के लडका हुआ है
गीता की लडकी हुई है	—	गीता के लडकी हुई है
राम की बगल में श्याम था	—	राम के बगल में श्याम था
हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगा	—	हिन्दी शिक्षा का माध्यम बनेगी
हमें कुछ पुस्तकें चाहिए	—	हमें कुछ पुस्तकें चाहिए
मैंने लिया हुआ हूँ	—	मैं लिये हुआ हूँ
हमने खाया हुआ है	—	हम खाये हुए हैं
राष्ट्रीय	—	राष्ट्रीय
अन्तर्राष्ट्रीय	—	अन्तरराष्ट्रीय
लिये (अव्यय के रूप में)	—	लिए (अव्यय के रूप में)
इसलिये	—	इसलिए
चाहिये (अव्यय)	—	चाहिए
शरच्चन्द्र	—	शरच्चन्द्र
अन्तर्चेतना	—	अन्तश्चेतना
अन्तर्दृष्टि	—	अन्तर्दृष्टि
अन्तर्पट	—	अन्तर्पट
वशतें कि	—	वशतें
दरअसल में	—	दरअसल
भाइयो ! (सम्बोधन)	—	भाइयो ! (सम्बोधन)

हिन्दी में अनेकत्र वैयाकरणों के बीच मत-मतान्तर के कारण भी वर्तनी की प्रयोगगत भिन्नता मिलती है, जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :—

राजनैतिक	—	राजनीतिक
ऐतिहासिक	—	इतिहासिक
भौगोलिक	—	भूगोलिक
आगरे से	—	आगरा से
आपकी आज्ञानुसार	—	आपके आज्ञानुसार
अपनी इच्छानुसार	—	अपने इच्छानुसार
राम के दाहिनी ओर	—	राम की दाहिनी ओर
राम के बगल में श्याम	—	राम की बगल में श्याम
पुस्तकें छात्र की सच्ची मित्र हैं	—	पुस्तकें छात्र के सच्चे मित्र हैं
रिहा करना मूर्खता होगी	—	रिहा करना मूर्खता होगा
झूठ बोलना उसकी आदत थी	—	झूठ बोलना उसकी आदत था

इन प्रयोगों के पक्षधर के जो तो अपने-अपने अलग-अलग तर्क हैं, किन्तु व्याकरण की दृष्टि से सूक्ष्मतापूर्वक विचार करने पर उपर्युक्त पहली कतार के प्रयोग ही अधिक उपयुक्त कहे जा सकते हैं ।

व्याकरण सम्बन्धी हिन्दी वर्तनी की एक अन्य मुख्य समस्या यकारान्त तथा याकारान्त शब्दों के लिङ्ग-वचनादि सम्बन्धी रूपान्तरों से सम्बन्ध रखती है । उदाहरणार्थ; कुछ लोग 'गाय' का बहुवचन 'गायें' और कुछ लोग गाएँ लिखते हैं । कुछ लोग 'नया' विशेषण के बहुवचन में 'नये' और स्त्रीलिङ्ग में 'नयी' रूप को शुद्ध मानते हैं तथा कुछ लोग 'नए' तथा 'नई' को । इसी प्रकार कुछ विद्वान 'आया', 'गया' आदि कृदन्तों के क्रमशः 'आये-आयी' तथा 'गये-गयी' रूपों को और कुछ विद्वान 'आए-आई', 'गए-गई' रूपों को सही ठहराते हैं । इस तरह हिन्दी-लेखन में उक्त कोटि के शब्दों की वर्तनी में सर्वत्र अनेकरूपता दृष्टिगोचर होती है । इस विषय में 'प्रकाशक-सङ्घ', 'परिषद्' तथा 'शिक्षा-मन्त्रालय' के निर्णय भी परस्पर मेल नहीं खाते और न भिन्न-भिन्न विद्वानों के मतों में ही सामञ्जस्य दीखता है । हिन्दी में ऐसे शब्द संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय—चार वर्गों के हैं । अतः यहाँ प्रत्येक पर अलग-अलग विचार करना उपयुक्त होगा ।

१. संज्ञा .—हिन्दी में यकारान्त संज्ञाएँ बहुत कम हैं, जैसे—गाय, राय, निकाय आदि । इनके मूल तथा तिर्यक बहुवचन रूप क्रमशः गायें—गायी, रायें—रायो तथा निकायें—निकायो होते हैं, जो उच्चारणानुरूप तथा व्याकरण सम्मत भी

हैं। इनके स्थान पर गाएँ, राएँ, निकाएँ आदि रूप शुद्ध नहीं माने जा सकते।
हाँ, गौ का बहुवचन अवश्य गौएँ—गौओ होगा।

हिन्दी में इकारान्त तथा ईकारान्त सज्ञाओं के साथ जब बहुवचन प्रत्यय—
आँ या ओ जुड़ता है, तो पूर्वस्वर 'इ' या 'ई' के प्रभाव से 'आँ' के स्थान पर 'याँ'
तथा 'ओ' के स्थान पर 'यो' हो जाता है; साथ ही, हिन्दी के सन्धि-नियम के कारण
दीर्घ 'ई' स्वर ह्रस्व 'इ' में परिवर्तित हो जाता है, जैसे—छवि + आँ = छवियाँ,
नदी + आँ = नदियाँ, लड़की + ओ = लड़कियो, साथी + ओ = साथियो आदि।
इस प्रकार के शब्दों को भी छविआँ, नदिआँ, लडकियो, साथियो आदि के रूप में
लिखना शुद्ध नहीं माना जा सकता।

हिन्दी में कुछ शब्द आकारान्त भी हैं, जैसे—जुआ, पुआ, कुआँ आदि।
इनके बहुवचन रूप जुए, पुए, कुएँ ही माने जायेंगे, जृये, पुये, कुयें नहीं, क्योंकि
इनकी प्रकृति तथा प्रत्यय में से किसी में भी 'य' की उपस्थिति नहीं है।

२. विशेषण :—हिन्दी में 'नया' विशेषण का बहुवचन 'नये' हो या 'नए'
तथा स्त्रीलिङ्ग रूप 'नयी' हो या 'नई', इसपर विद्वानों में मतभेद है। हमारी
समझ से किसी शब्द के रूपान्तर में उसके मूल का जितना अधिक अंश सुरक्षित
रहता है, वह उतना ही बोधगम्य होता है। इस दृष्टि से तथा शब्दरूपों की वर्तनी
की एकरूपता की दृष्टि से भी नया के नये—नयी रूप निश्चय ही नए—नई की
अपेक्षा अधिक ग्राह्य तथा मानक माने जाने योग्य हैं।

हिन्दी में अनेक याकारान्त कृदन्तों का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता
है। उनके रूपान्तरों में भी एकरूपता तथा सुबोधता की दृष्टि से 'या' की जगह
'ये—यी' रूपों को ही मानक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, 'ए—ई' को नहीं।
उदाहरणार्थ :—

खोया लडका	खोये लडके	खोयी लडकी
गया वक्त	गये दिन	गयी सम्पत्ति
सोया वच्चा	सोये वच्चे	सोयी वच्ची
रटाया ग्रन्थ	रटाये उत्तर	रटायी बातें आदि।

इन रूपों में से य का लोप करके उन्हें खोए—खोई, गए—गई आदि रूपों में
मान्यता देने का कोई व्याकरणगत औचित्य नहीं है।

३. क्रिया :—हिन्दी में केवल 'हो' तथा अकारान्त धातुओं, जैसे—पढ, लिख,
उठ, बैठ आदि को छोड़ कर शेष सभी धातुओं के भूतिकालिक कृदन्त रूप याकारान्त

होते हैं, जैसे—आया, गया, लाया, दिया, लिया, पिया, सिया, जिया, सोया, रोया, खोया आदि। अकारान्त में भी 'कर' का रूप 'किया' होता है। इन याकारान्त कृदन्त क्रियाओं में से जिनमें 'या' के पूर्व 'इ' स्वर होता है, उनमें स्त्री-प्रत्यय 'ई' के जुड़ने पर ध्वनिवैज्ञानिक कारणों से 'य' का लोप हो जाता है और दोनों स्वरो में हिन्दी के पूर्वस्वर लोपी स्वरसन्धि के अपने नियम के अनुसार सन्धि हो जाती है, जैसे—किया + ई = कियो = की, लिया + ई = लियो = ली, पिया + ई = पियो = पी, दिया + ई = दियो = दी आदि।

अन्य याकारान्त कृदन्त क्रियाओं में उपर्युक्त ध्वनिवैज्ञानिक स्थिति नहीं होने के कारण उनके साथ बहुवचनसूचक प्रत्यय 'ए' तथा स्त्री प्रत्यय 'ई' के जुड़ने पर 'य' के लोप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन प्रत्ययों के जुड़ने पर हिन्दी के पूर्वस्वर लोपी स्वरसन्धि के नियमानुसार 'या' के केवल 'आ' स्वर का लोप होता है और 'यू' अपने आगे के स्वर में मिल जाता है, जैसे—आया + ए = आये, आया + ई = आयी, गया + ए = गये, गया + ई = गई आदि। इस प्रकार याकारान्त कृदन्त क्रियाओं के रूपान्तरों में ये—यी के स्थान पर ए—ई के प्रयोग का प्रस्ताव नितान्त भ्रामक, अविवेकपूर्ण एवं व्याकरणविरुद्ध है। इस सम्बन्ध में उच्चारण का दुहाई देनेवाले जो लोग 'य' का लोप कर ए—ई वाले रूपों का समर्थन करते हैं, वे निश्चय ही भ्रम में हैं, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से भी यह कहना कि आये—आयी, गये—गयी आदि का उच्चारण निभ्रान्त रूप से सभी हिन्दी विद्वान आए—आई, गए—गई ही करते हैं, सही नहीं माना जा सकता।

अतः हिन्दी-वर्तनी के प्रतिमानीकरण की दृष्टि से याकारान्त कृदन्त क्रियाओं के रूपान्तरों में ये—यी वाले रूपों को ही मानक माना जाना चाहिए, यथा—आया—आये—आयी, गया—गये—गयी आदि।

हिन्दी-लेखन में मध्यमपुरुष आदरार्थक क्रियाओं की द्विधावर्तनी प्रचलित है, जैसे—आइये—आइए, खाइये—खाइए, लीजिये—लीजिए, चलिये—चलिए, बैठिये—बैठिए, साइये—साइए आदि। इन क्रियाओं के उक्त द्विविध रूपों में से कौन रूप शुद्ध है और कौन अशुद्ध, इसका उत्तर इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर है कि उपर्युक्त क्रियाओं में धातुओं के साथ जुड़नेवाला प्रत्यय—'इये' है या 'इए' ? यदि वैयाकरणों के अनुसार उपर्युक्त आदरार्थक क्रियाओं में जुड़नेवाला प्रत्यय—'इय' है तो आइये, जाइये, बैठिये आदि रूप शुद्ध माने जायेंगे, और यदि उनके साथ जुड़ने वाला प्रत्यय—'इए' है तो आइए, जाइए, खाइए, सोइए आदि रूप। हमारी समझ से उपर्युक्त रूपों में जुड़ने वाला प्रत्यय—'इये' ही हो सकता है;

क्योंकि अपभ्रंश में किञ्जिय, करिञ्जिय आदि रूप ही मिलते हैं, जिनके 'इये' का हिन्दी में 'इये' के रूप में विकास सहज ही बोधगम्य है। इस दृष्टि से हिन्दी-लेखन में आदरार्थक क्रियाओं के 'इये' वाले रूपों को ही मान्यता मिलनी चाहिए, जैसे—आइये, खाइये, बैठिये, रहिये आदि।

इस प्रसङ्ग में यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हिन्दी में अनेक कृदन्त अव्यय भी होते हैं, जिनके रूप का आदरार्थक क्रिया रूप से साम्य होता है। किन्तु दोनों के प्रत्यय पृथक्-पृथक् हैं। आदरार्थक क्रिया का प्रत्यय—'इये' है और कृदन्त अव्यय का—'इए'। इसे जान लेने पर दोनों की भिन्नता को समझने में कठिनाई की सम्भावना नहीं रह जाती। उदाहरणार्थ, 'चाह' धातु में—'इये' प्रत्यय लगने पर जो 'चाहिये' रूप बनता है, वह आदरार्थक क्रिया का है, जैसे—'आप चाहिये या न चाहिये, मैं तो चाहूँगा ही'। फिर 'चाह' धातु में—'इए' प्रत्यय लगकर जो 'चाहिए' रूप बनता है, वह अव्यय का है, जैसे—'किसी को अधिक रुपये चाहिए, किसी को सुन्दर लड़की चाहिए और किसी को धन या रूप नहीं, केवल लड़की का गुण चाहिए।' इन प्रयोगों को ध्यानपूर्वक देखने पर यह समझना कठिन नहीं कि हिन्दी में आदरार्थक क्रिया तथा कृदन्त अव्यय, जो प्रायः क्रिया के रूप में ही व्यवहृत होते हैं, पृथक्-पृथक् वर्ग के तथा पृथक्-पृथक् अर्थ के शब्द हैं। इसलिए उनकी वर्तनी की उपर्युक्त भिन्नता को, जो मूलतः पृथक्-पृथक् प्रत्ययों के कारण है, हिन्दी में बनाये रखना नितान्त आवश्यक है।

हिन्दी की मध्यमपुरुष आदरार्थक क्रियाओं में जुड़नेवाले प्रत्यय का रूप निर्णीत हो जाने पर आदरार्थक भविष्य के रूपों की वर्तनी के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। क्योंकि मध्यमपुरुष आदरार्थक रूप में भविष्य-सूचक 'गा' जोड़ देने मात्र से मध्यम पुरुष पुल्लिङ्ग आदरार्थक भविष्य का रूप बन जाता है। उदाहरणार्थ, जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि हिन्दी में आदरार्थक क्रिया का प्रत्यय—'इये' है, जिसके जुड़ने पर आइये, बैठिये आदि जैसे रूप बनते हैं। इनमें 'गा' जोड़ देने मात्र से जो रूप बनेगा वही अन्य पुरुष पुल्लिङ्ग भविष्य आदरार्थक का रूप होगा,—आइयेगा, बैठियेगा आदि। हाँ, यदि आदरार्थक प्रत्यय—'इये' नहीं मानकर 'इए' माना जाय तो उस स्थिति में आइएगा, बैठिएगा जैसे रूप ही मानक होंगे।

हिन्दी में मध्यम पुरुष स्त्रीलिङ्ग आदरार्थक भविष्य का रूप अन्यपुरुष स्त्री के समान होता है, जिसका विवेचन आगे किया जायगा।

हिन्दी-लेखन में अन्यपुरुष सम्भावना या आज्ञादि के क्रियारूपों की वर्तनी के चार रूप प्रचलित हैं, जैसे—आय-आये-आए-आवे, लाय-लाये-लाए-लावे, सोय-सोये-सोए-सोवे, जाय-जाये-जाए-जावे आदि । इनके आदरार्थक रूप भी इसी तरह चार प्रकार के मिलते हैं, जैसे—आयँ-आयेँ-आएँ-आवेँ, लायँ-लायेँ-लाएँ-लावेँ आदि ।

व्याकरण की दृष्टि से सम्भावनादि में धातु के साथ—‘ए’ प्रत्यय और आदरार्थक में—एँ प्रत्यय होता है । इसकी पुष्टि अकारान्त धातुओं से बने रूपों को देखने से स्वतः हो जाती है, जैसे करे-करें, पढ़े-पढ़ें, उठे-उठें, देखे-देखें आदि । अतः व्याकरण की दृष्टि से अकारान्तेतर धातुओं से बने रूपों में भी ए-एँ का ही प्रयोग होना चाहिए । जैसे—आए-आएँ, होए-होएँ आदि । किन्तु वर्तमान समय में इन रूपों में से कुछ के उच्चारण आय-आयँ, जाय-जायँ, सोय-सोयँ, रोय-रोयँ जैसे भी होने लगे हैं । इसलिए यदि उच्चारणानुरूप वर्तनी का ही आग्रह हो, तो उक्त रूपों को ही मानक माना जा सकता है । किन्तु, उक्त उच्चारण वाले रूप सभी धातुओं में समान नहीं हैं, जैसे—पिए-पिएँ को पिय-पियँ कोई नहीं बोलता और न लिखता ही है । इसके अतिरिक्त जो एकारान्त धातु है, उनमें ए-एँ जुड़ने पर हिन्दी की पूर्व स्वरलोपी स्वरसन्धि के नियमानुसार पूर्वस्वर का लोप हो जाता है और उनके रूप ले-लें, दे-दे जैसे हो जाते हैं ।

कुल मिलाकर उपर्युक्त सभी रूपों में ए-एँ वाला रूप ही मानक बनने के अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, यद्यपि लेखन में उच्चारणानुरूप वर्तनी का ही विशेष प्रचलन है ।

हिन्दी में भविष्यत् के रूप सम्भावनार्थक तथा आदरार्थक रूपों के साथ भविष्यत् सूचक प्रत्यय—‘ग’ के रूपान्तरों के योग से बनते हैं । अतः सम्भावना तथा आदर के लिए जो क्रियारूप मानक माने जायँगे, वे ही रूप भविष्यत् के लिए मानक रहेंगे, यथा—आयगा या आएगा, आयँगे या आएँगे आदि ।

(४) अव्यय .—हिन्दी में लिए, किए, पिए, जिए, दिए आदि कृदन्त अव्यय हैं, जो भूतकालिक कृदन्त क्रियाओं के बहुवचन रूपों, यथा—लिये, किये, पिये, जिये, दिये आदि से नितान्त भिन्न हैं । कृदन्त क्रिया के रूप में लिङ्ग-वचनादि के कारण विकार होता है, जैसे—लडका आया, लडके आये, लडकी आयी, लडकियाँ आयी आदि । किन्तु कृदन्त अव्यय के रूप में किसी भी स्थिति में कोई विकार नहीं होता; जैसे—

लडका शराब पिए जा रहा था ।

लडके शराब पिए जा रहे थे ।

लडकी शराव पिए जा रही थी ।

लडकियाँ शराव पिए जा रही थी ।

हिन्दी में कृदन्त अव्ययो का प्रयोग अनेक रूपों में होता है । उदाहरणार्थ; (क) सयुक्त क्रिया की मुख्य क्रिया के रूप में; जैसे—लडका काम किए ही जा रहा है, लडकी काम किए ही जा रही है, लडके काम किए ही जा रहे हैं, लडकियाँ काम किए ही जा रही हैं आदि । (ख) क्रियाविशेषण के रूप में, जैसे—लडका विना खाए चला गया, लडकी विना खाए चली गयी, लडके विना खाए चले गये, लडकियाँ विना खाए चली गयी आदि । (ग) 'लिए' अव्यय का सम्प्रदान के परसर्ग के रूप में भी प्रयोग होता है; जैसे—मेरे लिए, अपने लिए, राम के लिए, सीता के लिए आदि । 'लिए' के पूर्व ही इस, किस, जिस आदि लगाकर इसलिए, किसलिए, जिसलिए आदि बनते हैं । इसीलिए, उक्त शब्दों को भी इसलिये, किसलिये, आदि जैसे रूपों में लिखना उचित नहीं है । (घ) 'चाहिए' अव्यय का प्रयोग विविध के रूप में होता है; जैसे—उसे पढ़ना चाहिए, चाहिए तो यह था कि वह सुलह कर ले, आदि ।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिन्दी में उपर्युक्त कृदन्त अव्ययों के रूप पूर्णतः स्थिर हैं, और उनसे भूतकालिक कृदन्त क्रियाओं के बहुवचन रूप भिन्न हैं । अतः अव्ययों को लिए, किए, पिए, जिए, दिए, आदि एकारान्त रूपों में, तथा भूतकालिक कृदन्त क्रियाओं के बहुवचन रूपों को लिये, किये, पिये, जिये, दिये, आदि यकारान्त रूप में मानक माना जाना चाहिए ।

(७) ध्वनिशास्त्र से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ .—

य हिन्दी-वर्तनी में ध्वनिशास्त्र से सम्बद्ध मुख्य समस्या अनुनासिक व्यञ्जन, अनुस्वार एवं स्वरानुनासिकता के चिह्न चन्द्रबिन्दु के अविचारित प्रयोग को लेकर है । इस समय हिन्दी-लेखन में इनके प्रयोग में चारों ओर घोर अराजकता दिखाई देती है । उस अराजकता को दूर करने के लिए नागरी प्रचारिणी सभा, प्रकाशक-सङ्घ, हिन्दी परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय तथा भिन्न-भिन्न विद्वानों ने आज तक जो सुझाव या प्रस्ताव दिये हैं, उनमें से कोई भी प्रस्ताव ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः सुविचारित नहीं है । अतः अनुस्वरादि के प्रयोग के प्रतिमानीकरण के लिए सर्वप्रथम उनमें से प्रत्येक के ध्वनिशास्त्रीय स्वरूप को सम्यक् रूप से समझ लेना आवश्यक है ।

(क) अनुनासिक व्यञ्जन .—हिन्दी में—ङ्, ञ्, ण्, न् और म्—ये पाँच अनुनासिक व्यञ्जन हैं, जिनके ध्वनिशास्त्रीय स्वरूप निम्नलिखित प्रकार के हैं ।

(१) ड्—यह हिन्दी का अल्पप्राण घोष कोमलतालव्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन है। यह शब्दो के प्रारम्भ मे नही आता। मध्य मे यह एक तो स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आता है, जैसे—शङ्कर, पङ्क, सङ्गम तथा सङ्घ आदि मे। दूसरे, न् एवं म् के पूर्व आता है, जैसे—वाङ्मय, दिङ्नाग आदि मे और तीसरे, तद्भव शब्दो मे जब ग् के पूर्व कोई अनुनासिक स्वर रहता है, जैसे—पलंग-पलड, लौंग-लौड, मांग-माड, तांगा-ताडा आदि मे। किन्तु लेखन मे अभी उपर्युक्त दूसरे रूपो को मान्यता नही मिल पायी है। शब्दान्त मे यह प्रायः नही आता।

लेखन एवं मुद्रणादि मे अनुस्वार का स्वरूप ड् की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होने के कारण, लोग ड् के स्थान पर, उस स्थिति मे जहाँ वह स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आता है, प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग करते है, जैसे—रक, पंख, गगा, सघ आदि मे। इससे लेखन-मुद्रणादि मे चाहे सुविधा जितनी होती हो, किन्तु लिपि एव वर्तनी की वैज्ञानिकता नष्ट हो जाती है, क्योंकि ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से ड् एव अनुस्वार (ँ) दो नितान्त भिन्न ध्वनियो के सूचक वर्ण हैं।

(२) ङ्—यह अल्पप्राण घोष तालव्य स्पर्श-घर्षी व्यञ्जन है। यह शब्द के प्रारम्भ मे नही आता। मध्य मे केवल स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आता है; जैसे—चञ्चल, लाञ्छन, मञ्जन, झञ्जा आदि मे और शब्दान्त मे केवल कुछेक संस्कृत शब्दो मे, जैसे—नञ्, घञ् आदि मे। हिन्दी के अनेक विद्वानो ने ङ् को स्वनिम न मानकर न् का ही एक सस्वन मान लिया है। किन्तु इन दोनो मे स्थान तथा प्रयत्न की दृष्टि से इतनी भिन्नता है कि इन्हे एक स्वनिम-वर्ग मे सम्मिलित किया जाना उचित नही कहा जा सकता। ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से दो पूर्णतः असमान ध्वनियाँ एक स्वनिम-वर्ग की नही हो सकती। इसलिए ङ् एव न् मे पूरक वितरण की स्थिति होने पर भी दोनो को अलग-अलग स्वनिम मानना ही उचित है।

हिन्दी-लेखन मे ङ् की अपेक्षा अनुस्वार का स्वरूप सुविधाजनक होने के कारण लोग प्रायः ङ् के स्थान पर, जहाँ वह स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आता है, अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, जैसे—चचल, लाछन, मजन, झजा आदि मे। किन्तु, इससे नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी दोनो की वैज्ञानिकता नष्ट होती है, क्योंकि ङ् एव अनुस्वार (ँ) दो भिन्न ध्वनियो के सूचक वर्ण हैं।

(३) ण्—अल्पप्राण घोष मूर्द्धन्य प्रतिवेष्टित स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन है। किन्तु, यह जब स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आता है, तो इसका प्रतिवेष्टित उच्चारण नही होता। यह शब्द के प्रारम्भ मे नही आता। मध्य मे (क) दो स्वरो के बीच; जैसे—प्राण, प्रणाम, अणिक, प्रणीत, प्राणी, रेणु, प्रणेत आदि मे, (ख) स्वर एवं

अन्त स्थ के बीच, जैसे—पुण्य, अरण्य, कण्व आदि मे । (ग) स्वर एव अनुनासिक व्यञ्जन के बीच, जैसे—पण्मुख, विपण्ण आदि मे, (घ) स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व, जैसे—कण्टक, कण्ठ, पण्डित आदि मे । शब्दान्त मे यह प्राय नही आता ।

हिन्दी-लेखन मे ण् की अपेक्षा अनुस्वार का स्वरूप अधिक सुविधाजनक होने के कारण, लोग ण् के स्थान पर, जहाँ वह स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आता है, अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, जैसे—कटक, कठ, भडार आदि मे । इससे लेखन मे सुविधा तो होती है, किन्तु लिपि एव वर्तनी की वैज्ञानिकता को आघात लगता है; क्योंकि ण् एव अनुस्वार () दो नितान्त भिन्न ध्वनियो के सूचक वर्ण है ।

(४) न्—यह अल्पप्राण घोष दन्त्य-वत्स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन है । यह शब्द के प्रारम्भ मे स्वर एवं य् के पूर्व आता है, जैसे—नगर, नारी, निर्माण, नीति, नुकीला, नूतन, नेता, नैया, नोक, नीकर, न्याय आदि मे । मध्य मे—(क) दो स्वरों के बीच, जैसे—अनल, अनार, सुनीता, अनेक आदि मे, (ख) स्वर एवं अन्त म्य के बीच, जैसे—अन्याय, अन्वय आदि मे, (ग) स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व; जैसे—चिन्ता, मन्यन, मन्दिर, अन्वा, पन्ना आदि मे, (घ) म् के पूर्व; जैसे—चिन्मय, जन्म आदि मे और (ङ) व्यञ्जन एव स्वर के बीच, जैसे—अग्नि, विघ्न, यत्न, चिह्न आदि मे । अन्त मे यह केवल संस्कृत शब्दो मे आता है, जैसे—विद्वान्, महान् आदि मे ।

हिन्दी-लेखन मे अनुस्वार का स्वरूप न् की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होने के कारण लोग न् के स्थान पर, जहाँ वह स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व आता है, अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं । किन्तु इससे सुविधा चाहे जितनी हा, लिपि एवं वर्तनी की वैज्ञानिकता बाधित होती है, क्योंकि न् एव अनुस्वार () दो नितान्त भिन्न ध्वनियो के सूचक वर्ण है ।

(५) म्—यह अल्पप्राण घोष ओष्ठ्य स्पर्श अनुनासिक व्यञ्जन है । शब्दों के प्रारम्भ मे यह स्वर अथवा अन्त स्थ के पूर्व आता है, जैसे—मन, माला, मिलन, मोत, मुक्ति, मूक, मेला, मूल, मोल, मौलवी, मृत्यु, म्यान, म्रियमाण, म्लान आदि मे । मध्य मे—(क) दो स्वरों के बीच, जैसे—कमल, समान आदि मे, (ख) स्ववर्गीय व्यञ्जनो के पूर्व, जैसे—चम्पा, डम्फ, चुम्बक, गम्भीर, सम्मान आदि में; (ग) अन्त न्य, ह और न के पूर्व, जैसे—सम्यक्, सन्नाट्, अम्लान, ब्रम्ह, समाम्नाय आदि मे । अन्त मे केवल संस्कृत शब्दो मे ही आता है ।

हिन्दी-लेखन मे म् की अपेक्षा अनुस्वार का स्वरूप लेखन की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक होने के कारण, लोग म् के स्थान पर, जब वह स्ववर्गीय व्यञ्जनो के

पूर्व आता है, प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। इससे, लेखन में चाहे जो भी सुविधा होती हो, नागरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी की वैज्ञानिकता नष्ट होता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी में ड्, ज्, ण्, न् और म् पृथक्-पृथक् अनुनासिक व्यञ्जन हैं, जिनके लिए नागरी में अलग-अलग स्वतन्त्र वर्ण है। अतः इनमें से किसी के भी स्थान पर किसी अन्य ध्वनि के सूचक वर्ण का प्रयोग उचित नहीं कहा जा सकता और न इनमें से किसी के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग उचित माना जा सकता है, जो आगे अनुस्वार के ध्वनिवैज्ञानिक स्वरूप के विवेचन से स्पष्ट होगा।

(ख) अनुस्वार () .—यह अल्पप्राण घोष नासिक्य अयोगवाह है। इसे अयोगवाह कहने का कारण यह है कि इसमें स्वर, व्यञ्जन तथा अन्त स्थ में से किसी के लक्षण पूर्णतः घटित नहीं होते। स्वर-व्यञ्जनादिक के उच्चारण में उनके पूर्व स्वर की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, किन्तु अनुस्वार के उच्चारण के लिए उसके पूर्व स्वर की उपस्थिति अनिवार्य होती है। दूसरे, स्वर-व्यञ्जनादिकों का तो परस्पर संयोग होता है, किन्तु अनुस्वार का किसी से संयोग नहीं होता। इन्हीं कारणों से अनेक प्राचीन आचार्यों ने इसे और विसर्ग को स्वर-व्यञ्जनादिक से अलग अयोगवाह सज्ञक एक पृथक् ध्वनिवर्ग में स्थान दिया था। पर अनेक भाषाशास्त्रियों ने अनुस्वार को भी व्यञ्जन ही माना है, क्योंकि उनके अनुसार यह व्यञ्जन का ही प्रतिनिधित्व करता है।

अनुस्वार का प्रकृत उच्चारण स्वर तथा अन्त स्थ या ऊष्म व्यञ्जनों के बीच होता है, किन्तु इसका संयोग न तो अपने पूर्ववर्ती स्वर से होता है और न परवर्ती किसी ध्वनि से ही। यही इसके 'अयोगवाह' नाम की सार्थकता है।

हिन्दी में भी अनुस्वार का प्रकृत क्षेत्र स्वर के उपरान्त तथा य्, र्, ल्, व्, श्, ष्, स् एव ह् के पूर्व ही है। इसके अतिरिक्त इसका अपनी पूर्ववर्ती या परवर्ती ध्वनियों से संयोग भी नहीं होता। किन्तु, इसके उच्चरित स्वरूप पर परवर्ती ध्वनियों का यात्किञ्चित् प्रभाव पड़ता अवश्य है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न परिवेश में इसके उच्चारण में पाँच प्रकार की भिन्नताएँ श्रुतिगोचर होती हैं। उदाहरणार्थ, ह् के पूर्व इसका उच्चारण प्रायः ड् के समान, य् एव श् के पूर्व ज् के समान, ष् के पूर्व प्रायः ण् के समान, र्, ल्, व्, और स् के पूर्व प्रायः न् के समान तथा व् के पूर्व प्रायः म् के समान होता है। इसके उच्चारण की इसी भिन्नरूपता तथा वर्गीय पञ्चमों से किञ्चित् साम्य के कारण प्राचीन काल में ही स्ववर्गीय स्पर्श से पूर्व आने वाले अनुनासिक व्यञ्जनों के स्थान पर भी विकल्प से

इसका प्रयोग होने लगा था। इस सम्बन्ध में अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देने वाले पाणिनीय सूत्रों (८-३-४, ८-४-५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया। आगे चलकर प्राकृत वैयाकरणों ने तो स्वरों से पूर्व भी अनुस्वार का विधान कर दिया।^१

अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र के दिनानुदिन विस्तार का मुख्य कारण लेखन की दृष्टि में उसके चिह्न का अन्य अनुनासिक व्यञ्जन वर्णों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होना ही रहा है। इसलिए हिन्दी-लेखन में भी अनेकों विद्वान इसका प्रयोग उन स्थितियों में वर्गीय अनुनासिकों के स्थान पर भी करते आये हैं, जहाँ वे स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व आते हैं। किन्तु शुद्ध ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से, साथ ही, लिपि एवं वर्तनी की वैज्ञानिकता की रक्षा की दृष्टि से भी, उक्त प्रयोग नितान्त चिन्त्य है, क्योंकि अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यञ्जन में ध्वनिविज्ञान के आधार पर अभिन्नता स्थापित करना सम्भव नहीं। इसके अतिरिक्त लेखन में उनके प्रयोग-क्षेत्र भी इस प्रकार स्पष्ट है कि उनमें भ्रान्ति की कहीं कोई सम्भावना ही नहीं। ऐसी स्थिति में मात्र थोड़ी सुविधा के लिए भाषा एवं लिपि की वैज्ञानिकता को नष्ट करना श्रेयष्कर नहीं हो सकता।

इसी प्रकार अनुस्वार एवं स्वरानुनासिकता की ध्वनिवैज्ञानिक भिन्नता में भी कहीं शङ्का या विकल्प के लिए स्थान नहीं है, जो आगे के विवेचन से स्पष्ट होगा।

(ग) अनुनासिकता और उसका चिह्न चन्द्रबिन्दु (°) —अनुनासिकता स्वर-सम्बद्ध गुण है, कोई स्वतन्त्र ध्वनि नहीं। स्वरों के निरनुनासिक तथा अनुनासिक दो भेद होते हैं, यथा अ, आ, इ, ई आदि निरनुनासिक स्वर हैं और अँ, आँ, इँ, ईँ आदि अनुनासिक स्वर। निरनुनासिक तथा अनुनासिक स्वरों में भिन्नता केवल इतनी होती है कि निरनुनासिक स्वरों के उच्चारण में कोमलतालु ऊपर उठा होता है, जिसके फलस्वरूप नामिकाविवर बन्दप्राय हो जाता है और पूरी हवा मुखविवर के मार्ग से ही बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में कोमल तालु के कुछ नीचे झुक आने से नामिकाविवर भी कुछ खुल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ हवा उम मार्ग से भी बाहर निकलती है, जिससे स्वर में अनुनासिकता का समावेश हो जाता है। हिन्दी में निरनुनासिक तथा अनुनासिक स्वर परम्परण अर्थभेदक मूल्य रखते हैं, जैसे—आधी—आँधी, काटा—काँटा, गोद—गोद आदि में।

नागरी में अनुनासिकता सूचित करने के लिए स्वरों तथा उनकी मात्राओं के ऊपर चन्द्रबिन्दु के प्रयोग का विधान है। हिन्दी-लेखन में चन्द्रबिन्दु के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रचलित नियम यह है कि जिन स्वरों की मात्राएँ ऊपर नहीं लगती हैं, उनमें पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग होता है, जैसे—अँधेरा, हँसी, आँधी, काँटा, उँचाई, ऊँट, पूँछ आदि में, किन्तु जिनकी मात्राएँ ऊपर लगती हैं, उनमें केवल बिन्दु का प्रयोग होता है, जैसे—हिँचकी, ईँख, सीँचना, कँकड़ा, में, मैं, चोँच, औँधा, चौँकना आदि में। उक्त स्थिति में चन्द्रबिन्दु के स्थान पर मात्र बिन्दु के प्रयोग के मूल में केवल सुविधावादी दृष्टिकोण है, वैज्ञानिकता नहीं। बिन्दु और अनुस्वार के स्वरूप में मूलतः किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होने के कारण बिन्दु से अनुस्वार का बोध होना ही अधिक स्वाभाविक है, चन्द्रबिन्दु का बोध होना नहीं। इसीलिए अनेक पुराने लेखक चन्द्रबिन्दु के स्थान पर वहाँ भी चन्द्रबिन्दु का ही प्रयोग करते थे, जहाँ स्वरों की मात्राएँ ऊपर लगती हैं, जैसे—मेँ, मैँ, चेँच, आदि में। इसके विपरीत वर्तमान समय में कतिपय पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक तथा लेखक चन्द्रबिन्दु के स्थान पर सर्वत्र बिन्दु अर्थात् अनुस्वार चिह्न का ही प्रयोग करने लगे हैं, जो भाषा, लिपि तथा वर्तनी—तीनों के लिए अहितकर है।

हिन्दी के कतिपय नवीन भाषाशास्त्रियों ने अनुनासिकता की तरह ही अनुस्वार को भी हिन्दी का स्वर-सम्बद्ध उपरिखण्डीय स्वनिम ही मान लिया है, जो सही नहीं है। अनुनासिकता स्वर में अन्तर्लीन होकर उच्चरित होनेवाला एक विशेष गुण मात्र है, जबकि अनुस्वार स्वर एवं व्यञ्जन दोनों से पृथक् एक विशिष्ट ध्वनि है। यह सही है कि अनुस्वार का उच्चारण बिना उसके पूर्व स्वर रहे सम्भव नहीं होता, किन्तु अनुस्वार उस स्वर का अङ्ग बनकर स्वतन्त्र ध्वनि के रूप में उच्चरित होता है, न कि अनुनासिकता की तरह स्वर के गुण के रूप में। इस प्रकार अनुनासिकता एवं अनुस्वार में ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट भिन्नता होने के कारण लेखन में अनुनासिकता के चिह्न चन्द्रबिन्दु के स्थान पर किसी भी स्थिति में अनुस्वार के चिह्न बिन्दु के प्रयोग को उचित नहीं कहा जा सकता।

निष्कर्ष .—उपर्युक्त विवेचन का सारांश यही है कि ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से अनुनासिक व्यञ्जन, अनुस्वार एवं अनुनासिकता में परस्पर स्पष्ट भिन्नता है। इसलिए लेखन में वैज्ञानिकता की रक्षा के लिए इनमें से किसी एक के लिए निर्धारित वर्ण या चिह्न का प्रयोग किसी भी स्थिति में दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए और

न इनके प्रयोग में कही किसी प्रकार के विकल्प को ही स्थान दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त दृष्टि से हिन्दी-लेखन में अनुनासिक व्यञ्जन, अनुस्वार एवं अनुनासिकता में सम्बद्ध शब्दों की वर्तनी के वैज्ञानिक प्रतिमानिकरण के लिए निम्न-लिखित नियमों का पालन आवश्यक है—

१ अनुनासिक व्यञ्जन ड्, ङ्, ण्, न और म् के स्थान पर तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी सभी प्रकार के शब्दों में सर्वत्र सभी स्थितियों में—उस स्थिति में भी जबकि वे स्वर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व आयें—क्रमशः ड्, ङ्, ण्, न्, और म् का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे—रङ्ग, पङ्क, ढङ्ग, सङ्ग, चञ्चल, लाञ्छन, अञ्जन, अञ्जा, कण्टक, कण्ठी, टण्डन, ठण्डा, कन्त, पन्थ, छन्द, अन्धा, पम्प, डम्फ, कदम्ब, रम्भा आदि में।

इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का यह सुझाव कि ड्, ङ् और ण् जब स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व आयें, तो उनके स्थान पर अनुस्वार का और न् तथा म् जब स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व आयें, तो उनके स्थान पर क्रमशः न् और म् का ही प्रयोग होना चाहिए, समीचीन नहीं है। क्योंकि जिन कारणों से स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व न् और म् के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उन्हीं कारणों से स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व ट्, ङ् और ण् के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग अनुचित है। मात्र सुविधा के लिए लिपि तथा वर्तनी की वैज्ञानिकता को नष्ट करना श्रेयकर नहीं हो सकता।

इसी प्रकार, कुछ विद्वानों का इस सम्बन्ध में यह सुझाव भी ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से समीचीन नहीं है कि तत्सम शब्दों में स्ववर्गीय व्यञ्जनों के पूर्व अनुनासिक व्यञ्जनों के स्थान पर अनुनासिक व्यञ्जनों का ही, किन्तु तद्भव, देशी तथा विदेशी शब्दों में उक्त स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। इस सम्बन्ध में ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि में जो स्थिति तत्सम शब्दों की है, वही तत्समेतर शब्दों की भी है। उदाहरणार्थ—अङ्कन और अङ्कल में ट्, अञ्जन और अञ्जिन में ङ्, कुण्डल और वण्डल में ण्, मुन्दर और मन्दूक में न् तथा चम्पक और पम्प में म् के उच्चारण में ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं है कि तत्सम शब्दों में उक्त स्थितियों में अनुनासिक व्यञ्जन वर्णों का और तत्समेतर शब्दों में उनके स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार चिह्न का प्रयोग किया जाय। हाँ, इतना सत्य है कि वर्तमान समय में तत्समेतर शब्दों में उक्त स्थितियों में सर्वत्र अनुस्वार चिह्न के प्रयोग का ही प्रचलन है। इसलिए उनमें अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक व्यञ्जनों का प्रयोग लोगों को असुविधाजनक तथा अटपटा लगेगा; किन्तु भाषा,

लिपि एव वर्तनी की वैज्ञानिकता के प्रति जागरूक विद्वान जब उनका प्रस्तावित रूप से प्रयोग करने लगेंगे, तो धीरे-धीरे अन्य लोगो के लिए भी वे प्रयोग अजनबी नहीं रह जायेंगे ।

अनुनासिक व्यञ्जन वर्णों में ङ्, ण्, न्, तथा म् के सयोगी रूप हैं, यथा—
ङ्, ण्, न्, म्, किन्तु ड् का सयोगी रूप नहीं है । इसलिए इसके साथ व्यञ्जनो का सयोग ऊपर-नीचे के क्रम में होता है, जैसे—अङ्गद, सङ्घ आदि में । इस प्रकार की सयोगपद्धति निश्चय ही असुविधाजनक होती है । अतः टङ्कन-मुद्रणादि में सुविधा के लिए इस बात की छूट दी जा सकती है कि ड् के साथ अन्य व्यञ्जन का सयोग आगे पीछे के क्रम में किया जाय, जैसे—रङ्क के स्थान पर रङ्क, सङ्गह के स्थान पर सङ्ग्रह, सङ्घ्या के स्थान पर सङ्ख्या आदि ।

(२) अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग केवल—य्, र्, ल्, व्, श्, ष् स् तथा ह् के पूर्व अयोगवाह नासिक्य ध्वनि के लिए हो, यथा—सयम, सरचना, सलाप, सवाद, सशय, दष्टाल, सहार, सिंह आदि में ।

(३) अनुनासिकता के चिह्न चन्द्रबिन्दु का प्रयोग सर्वत्र सभी स्थितियों में—उस स्थिति में भी जहाँ स्वरों की मात्राएँ ऊपर लगती हैं—पूरे चन्द्रबिन्दु के रूप में ही होना चाहिए, जैसे—मेँ, मैँ, केँकडा, कौँची, खौँच, चौँकना आदि में ।

किन्तु, जिन स्वरों की मात्राएँ ऊपर लगती हैं, उनके साथ पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग कुछ असुविधाजनक अवश्य होगा, साथ ही, चन्द्रबिन्दु के चन्द्र अक्ष से लेखन में एकार की मात्रा का भ्रम भी सम्भव है । इन कारणों से विद्वानों को ऊपर मात्रा वाले स्वर वर्णों के साथ पूरे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग यदि नितान्त अमान्य हो, और वहाँ चन्द्रबिन्दुसूचक बिन्दु का प्रयोग ही अभीष्ट हो, तो अनुस्वारसूचक बिन्दु से उसकी भिन्नता प्रकट करने के लिए हमारा दूसरा प्रस्ताव यह है कि चन्द्रबिन्दु सूचक बिन्दु का प्रयोग ऊपरवाली मात्रा के ऊपर तथा अनुस्वारसूचक बिन्दु का प्रयोग ऊपर की मात्रा से हटाकर उसकी बगल में—दो वर्णों के बीच—किया जाना चाहिए, जैसे—हिचकी—हिँसक, सिचाई—सिह आदि में । किन्तु वह व्यवस्था केवल ऊपर मात्रा वाले स्वरों के लिए ही हो, अन्यत्र चन्द्रबिन्दु के स्थान पर पूरे चन्द्रबिन्दु का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे—हँसी, फाँसी आदि में ।

हिन्दी में चूँकि अनुनासिकता तथा अनुस्वार परस्पर अर्थभेदक हैं, जो सँवार—सवार, हँसी—हसी आदि जैसे स्वल्पान्तर शब्दयुग्मों से स्पष्ट है, इसलिए चन्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार-चिह्न का प्रयोग पूर्णतः अवैज्ञानिक होने के कारण सर्वथा वर्जित माना जाना चाहिए ।

अगर हिन्दी-लेखन में अनुनासिक व्यञ्जन, अनुस्वार तथा अनुनासिकता सम्बन्धी उपर्युक्त प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाय तो एतद्विषयक वर्तनी की सारी अनेकरूपताएँ स्वतः समाप्त हो जायेंगी तथा हिन्दी-लेखन में अधिक परिष्कार एवं वैज्ञानिकता का समावेश हो जायगा ।

(८) लेखन-पद्धति से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ —

हिन्दी में एक से अधिक खण्डवाले अनेकानेक शब्दों तथा पदों की लेखन-पद्धति के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद नहीं है कि उन्हें एक साथ सञ्जित रूप में अर्थात् एक शिरोरेखा के अन्तर्गत लिखा जाय या पृथक्-पृथक् विञ्जित रूप में लिखा जाय या उनके बीच योजक चिह्न (हाइफन) देकर लिखा जाय । 'प्रकाशक-सङ्घ' तथा 'भारतीय हिन्दी परिषद्' ने इस प्रकार की समस्याओं को 'अनुक्त तथा वियुक्त शब्दों की समस्याएँ' कहा है । ये कई प्रकार की हैं, अतः इनके सम्बन्ध में यहाँ अलग-अलग ही विचार करना उचित होगा ।

(क) परसर्गों के लेखन की पद्धति .—हिन्दी में परसर्गों को सजाओ में अलग लिखा जाय या साथ-साथ, यह विवाद बहुत पुराना है । पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण में प० अम्बिका दत्त व्यास ने देश के तत्कालीन अधिकांश विद्वानों की सम्मति लेकर अपना यह निर्णय दिया था कि परसर्गों को मञ्जाओं से अलग और सर्वनामों के साथ मिलाकर लिखना उचित है । तब से अधिकांश विद्वान प्रायः उक्त नियम का ही पालन करते आये हैं । किन्तु इसके विपरीत कतिपय विद्वान् सस्कृत विभक्तियों की तरह हिन्दी परसर्गों को सजा एवं सर्वनाम, दोनों से मिलाकर ही लिखना उचित मानते आये हैं । इधर कुछेक दशाब्दियों में अनेक विद्वान हिन्दी परसर्गों को सजा एवं सर्वनाम—दोनों ही में अलग लिखे जाने की बात पर जोर देते आ रहे हैं । इस प्रकार परसर्गों की लेखन-पद्धति के सम्बन्ध में कुल मिलाकर तीन प्रकार के मत मिलते हैं, यथा—(१) मञ्जा में अलग सर्वनाम में मिलाकर, (२) दोनों से मिलाकर तथा (३) दोनों से अलग ।

उपर्युक्त मतों में से पहले को बहुत पहले में 'नागरी प्रचारिणी सभा' का समर्थन प्राप्त है । इसके अतिरिक्त कुछ अपवादों के साथ उसे 'प्रकाशक-सङ्घ' तथा 'शिक्षामन्त्रालय' ने भी अपनी मान्यता दे रखी है । इसी प्रकार तीसरे मत को 'भारतीय हिन्दी परिषद्' का समर्थन प्राप्त है । किन्तु दूसरे मत को आज तक किसी सस्था विशेष का समर्थन नहीं मिला है । इस प्रकार कुल मिलाकर पहला और

तीसरा दो ही मत ऐसे हैं, जिन्हे अखिल भारतीय स्तर की सस्थाओ का समर्थन-प्राप्त होने के कारण विचारणीय माना जा सकता है ।

उक्त दोनो ही मतों के समर्थक इस बात से सहमत हैं कि संज्ञाओ से परसर्गों को अलग ही लिखा जाना चाहिए, जैसे—राम ने, मोहन को, आँख से, सोहन के लिए, आलमारी से, आदि । इस प्रकार संज्ञा के सन्दर्भ में परसर्गों की लेखन-पद्धति के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है । विवाद केवल सर्वनामों के सन्दर्भ में है । अतः यहाँ उचित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हमें हिन्दी में सर्वनामों की स्थिति पर एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए ।

कारकीय रूप-रचना की दृष्टि से हिन्दी में सर्वनामों की स्थिति संज्ञाओं से यत्किञ्चित् भिन्न है । उदाहरणार्थ, हिन्दी में संज्ञाओं के कारकीय रूपों की रचना के लिए जितने कारक-प्रत्ययों अर्थात् परसर्गों का उपयोग होता है, सर्वनामों के कारकीय रूपों की रचना में उससे अधिक संख्या में कारक-प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं । इसके प्रमाण-स्वरूप हम सर्वनामों के कर्म तथा सम्बन्ध कारक के रूपों को ले सकते हैं । संज्ञाओं के साथ कर्म कारक में केवल 'को' का प्रयोग होता है, जबकि सर्वनामों में कर्म कारक के 'को' तथा—'ए' दो प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं, जिनमें 'को' का रूप (विश्लिष्ट) परसर्ग का है और 'ए' का रूप (संश्लिष्ट) विभक्ति का । यही कारण है कि कर्म में सर्वनामों के दो प्रकार के रूप बनते हैं, जैसे—मुझे-मुझको, हमें-हमको, उसे-उसको आदि इनमें से मुझको, हमको आदि 'को'—युक्त रूपों को 'मुझ को', 'हम को' जैसे विश्लिष्ट रूपों में लिखा जा सकता है, क्योंकि संज्ञाओं के साथ 'को' विश्लिष्ट रूप में ही जुड़ता है, जैसे—राम को, लडके को आदि । किन्तु मुझे, तुझे आदि 'ए'—युक्त रूपों को कोई 'मुझ ए' 'तुझ ए' जैसे विश्लिष्ट रूपों में लिखने की बात सोच ही नहीं सकता । इसमें स्पष्ट है कि हिन्दी में सर्वनामों के कर्मकारकीय रूप संश्लिष्ट तथा विश्लिष्ट दोनों ही प्रकार के होते हैं । ऐसी स्थिति में सर्वनामों के साथ कारकीय प्रत्ययों के योग की पद्धति के सम्बन्ध में कोई एक नियम—कि सभी कारकीय प्रत्ययों का योग संश्लिष्ट रूप में ही हो या विश्लिष्ट रूप में ही हो—बनाया ही नहीं जा सकता ।

हमारी उपर्युक्त स्थापना की पुष्टि सम्बन्ध के रूपों से भी होती है । हिन्दी में सम्बन्ध कारक का परसर्ग 'के' तथा सम्बन्धप्रत्यय का-के-की का प्रयोग संज्ञाओं के साथ सर्वत्र विश्लिष्ट रूप में होता है, यथा—'राम के लडकी हुई है, राम का घर, राम के लडके, राम की लडकी आदि । अतः प्रयोग की एकरूपता के लिए सर्वनामों के साथ भी उक्त परसर्ग तथा प्रत्ययों का प्रयोग विश्लिष्ट रूप में किया-

जा सकता है, जैसे—‘उस के लडकी हुई है’ उस का घर, उस के लड़के, उस की लडकी आदि। किन्तु, सम्बन्धप्रत्यय रा-रे-री तथा ना-ने-नी को, जो केवल सर्वनामों में जुड़ते हैं, जैसे—मेरा-मेरे-मेरी, अपना-अपने-अपनी आदि में, यदि कोई में रा—में रे—में री, अप ना—अप ने—अप ना आदि जैसे विश्लिष्ट रूपों में लिखे जाने का प्रस्ताव करे, तो वह हास्यास्पद ही माना जायगा।

संक्षेप में, उपर्युक्त विवेचन का सारांश यह है कि हिन्दी में सर्वनामों के साथ कारकीय परसर्गों या प्रत्ययों के प्रयोग की लेखन-पद्धति के सम्बन्ध में न तो यह मत व्यावहारिक है कि सबका प्रयोग विश्लिष्ट रूप में ही होना चाहिए और न यह कि सबका प्रयोग संश्लिष्ट रूप में ही होना चाहिए। इस विषय में वस्तु स्थिति पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए सज्ञाओं तथा सर्वनामों के लिए अलग-अलग नियमों का निर्धारण आवश्यक है। हमारी समझ से इस विषय में निम्नलिखित व्यवस्था वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से मानक मानी जा सकती है —(१) सज्ञाओं के साथ परसर्गों का प्रयोग सर्वत्र विश्लिष्ट रूप में होना चाहिए, जैसे—मोहन ने, लडके को, हाथ से आदि। (२) सज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होनेवाले परसर्गों का प्रयोग सर्वनामों के साथ भी विश्लिष्ट रूप में ही होना चाहिए, जैसे—मैं ने, तुम को, उस से आदि, किन्तु जो कारकप्रत्यय केवल सर्वनामों के ही साथ आते हैं, सज्ञाओं के साथ नहीं, उनका प्रयोग संश्लिष्ट रूप में ही किया जाना चाहिए, जैसे—मुझे, हमें, तुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें आदि में—‘ए’ का, अपना-अपने-अपनी में ‘ना-ने-नी’ का तथा मेरा-मेरे-मेरी आदि में ‘रा-रे-री’ का। (३) सज्ञा तथा सर्वनाम दोनों के साथ एक से अधिक परसर्गों का प्रयोग विश्लिष्ट रूप में ही होना चाहिए, जैसे—‘लडकी में मे एक ने कहा’, ‘उन में से एक ने कहा’ आदि।

(ख) आदरसूचक शब्द —हिन्दी में ‘श्री’ तथा ‘जी’ आदि आदरसूचक या मान्यतात्मक शब्दों को सम्बद्ध सज्ञाओं से विश्लिष्ट रूप में लिखे जाने का निर्णय हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के अनुकूल होने के कारण सर्वमान्य होने के योग्य है।

(ग) सयुक्त क्रिया —हिन्दी में सयुक्त क्रियाओं के प्रत्येक खण्ड का अपना पृथक् एवं सार्थक अस्तित्व भी होता है। अतः हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग लिखना ही उचित है, जैसे—‘वह खा चुका था’, ‘मैं देखता रह गया’, ‘शिकारी ने बाघ को मार डाला’ आदि।

(घ) भविष्यत् सूचक कृदन्त गा-गे-गी :—हिन्दी में भविष्यत् सूचक कृदन्त गा-गे-गी का वही भी स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता। ये वस्तुतः भविष्यत् सूचक प्रत्यय-चन चुके हैं। अतः इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ—हूँ, है, हो, है या था, थे, थी

के समान विश्लिष्ट रूप में न होकर सश्लिष्ट रूप में ही होना चाहिए; जैसे—जाऊँगा, करेंगे, पढ़ेंगे आदि।

(ड) पूर्वकालिक क्रिया :—पूर्वकालिक क्रियाओं में 'कर' या 'के' का उच्चारण मुख्य क्रिया से पृथक् होता है, इसलिए उन्हें विश्लिष्ट रूप में ही लिखना उचित है; जैसे—खा कर, पी कर, रो कर, पढ़ कर या खा के, पी के, रो के, पढ़ के आदि। इन्हें सश्लिष्ट रूप में लिखने से अनेकत्र अर्थभ्रम हो सकता है, जैसे—सीकर, खाके आदि में।

(च) 'सा' का प्रयोग.—हिन्दी में 'सा' के प्रयोग की दो स्थितियाँ पायी जाती हैं। एक स्थिति वह है, जहाँ सम्बद्ध शब्द से हिन्दी सन्धि के नियमानुसार उसकी सन्धि हो जाती है। उस स्थिति में उसे विश्लिष्ट रूप में लिखे जाने का प्रवृत्ति ही नहीं उठता, जैसे—जिस + सा = जैसा, किस + सा = कैसा, उस + सा = वैसा, इस + सा = ऐसा आदि में। दूसरी स्थिति वह है, जहाँ सम्बद्ध शब्द से उसकी सन्धि नहीं होती और वह पृथक् उच्चरित होता है। उस स्थिति में उसे सर्वत्र विश्लिष्ट रूप में ही लिखा जाना चाहिए, जैसे—मुझ सा, तुझ सा आदि में। 'सा' के अन्य रूप 'सी' तथा 'से' के लेखन के सम्बन्ध में भी उपर्युक्त व्यवस्था का ही पालन होना चाहिए, यथा—जैसा—जैसे—जैसी, कैसा—कैसे—कैसी, मुझ सा—मुझ से मुझ सी, तुझ सा—तुझ से—तुझ सी आदि।

(छ) 'वाला' प्रत्ययान्त शब्द—व्युत्पादक प्रत्यय सामान्यतः शब्दों के साथ सश्लिष्ट रूप से ही जुड़ते हैं। 'वाला' भी चूँकि एक व्युत्पादक प्रत्यय है, इसलिए नियमतः इसे भी शब्दों के साथ सश्लिष्ट रूप से ही जुड़ना चाहिए। किन्तु अन्य व्युत्पादक प्रत्ययों से इसमें यह भिन्नता पायी जाती है कि यह परसर्गों की तरह अनेक शब्दों के बाद एक बार ही अन्त में प्रयुक्त होकर सबसे अपनी उपस्थिति का बोध करा देता है, जैसे—'मैं ही गाने, बजाने और नाचने वाला हूँ', 'ईश्वर ही बनाने और मिटाने वाला है' आदि। इस तरह की योग्यता सामान्यतः अन्य व्युत्पादक प्रत्ययों में नहीं पायी जाती। उदाहृत प्रयोगों में 'वाला' को अन्तिम शब्द के साथ सश्लिष्ट रूप में जोड़े जाने में कोई तुक नहीं। इसलिए एकरूपता की दृष्टि से सर्वत्र इसका प्रयोग विश्लिष्ट रूप में ही किया जाना उचित है, जैसे—टोपी वाला, दौड़ने वाला, काबुली वाला आदि।

(ज) उपसर्गों की लेखन-पद्धति—संस्कृत की तरह ही हिन्दी में भी उपसर्गों को शब्द से सश्लिष्ट रूप में ही लिखना उचित है, जैसे—सुमार्ग, कुमार्ग, अनजान, अपरिचित, बाकायदा, दरअसल, बशते' आदि। उपसर्ग किसी भी भाषा

में शब्द से विश्लिष्ट रूप में नहीं लिखे जाते। कारण यह है कि भाषा में उपसर्ग की धारणा मूलतः समीप-स्थापन की ओर ही इङ्गित करती है, जो उसके अपने अर्थ में ही स्पष्ट है। शब्द से पृथक् उपसर्गों का न तो कोई मूल्य होता है और न कोई उपयोगिता ही।

(क्ष) सामासिक शब्दों की लेखन-पद्धति —समास की धारणा मूलतः एकाधिक शब्दों तथा उनके अर्थों को एकीभूत करने की प्रक्रिया से सम्बन्ध रखती है। इसीलिए सस्कृत में, जो कि एक योगात्मक वर्ग की भाषा है, सामासिक शब्दों को—चाहे वे जितने भी सङ्घटक खण्डों से निर्मित हों, एक ही शिरोरेखा के अन्तर्गत लिखने की परम्परा रही है। इसके अतिरिक्त सस्कृत में समासान्तर्गत सन्धि का घटित होना भी अनिवार्य माना गया है। ये बातें हिन्दी के समासों में अनिवार्य नहीं हैं। इसका कारण मूलतः सस्कृत से हिन्दी की आकृति-प्रकृति की भिन्नता में निहित है। सस्कृत योगात्मक भाषा है और हिन्दी विश्लेषणात्मकता की ओर उन्मुख है। इसीलिए दोनों की समास-धारणा में समानता होते हुए भी उनकी समास-रचना के स्वरूप में किञ्चित् भिन्नता है। हिन्दी में यदि कुछ सामासिक शब्दों के सङ्घटक खण्ड सस्कृत के सामासिक शब्दों की तरह एक शिरोरेखा के अन्तर्गत लिखे जाते हैं, तो कुछ के सङ्घटक खण्ड पृथक्-पृथक् शिरोरेखाओं के अन्तर्गत भी, जहाँ वे खण्ड संयोजक चिह्न (हाइफन) से जुड़े होते हैं। हिन्दी के कुछ सामासिक शब्दों में अपने सन्धि-नियम के अनुसार सन्धि होती है और कुछ में नहीं भी होती। हिन्दी में सस्कृत की तरह लम्बे-लम्बे समास भी प्रायः नहीं बनते। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी की समास-रचना का स्वरूप सस्कृत से भिन्न है। ऐसी स्थिति में हिन्दी के सामासिक शब्दों की लेखन-पद्धति में भी यदि सस्कृत से किञ्चित् भिन्नता पायी जाती है, तो वह स्वाभाविक ही है।

हिन्दी में सामासिक शब्दों के लेखन की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिनमें पहली है एक शिरोरेखा के अन्तर्गत लिखने की और दूसरी है योजक चिह्न (हाइफन) देकर लिखने की। हिन्दी साहित्य परिषद् ने द्वन्द्व समास को अल्पविराम (कामा) देकर लिखे जाने का जो प्रस्ताव किया था, वह हास्यास्पद था। इसी प्रकार वा से अधिक सङ्घटक खण्ड वाले सामासिक शब्दों को बिना योजक चिह्न लगाये अलग-अलग लिखे जाने का प्रस्ताव भी समास की रूपगत धारणा की दृष्टि से भ्रामक है, क्योंकि उस स्थिति में रूप के घरातल पर वाक्यांश और समास में अन्तर करना सम्भव नहीं होगा। हाँ, यदि कोई नामवाची शब्द अनेक खण्डों का हो, तो वहाँ निश्चय ही प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग लिखा जा सकता है।

जैसे—‘हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग’, ‘नागरी प्रचारिणी सभा, काशी’, ‘भारतीय हिन्दी परिषद्’, ‘अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक सङ्घ’ आदि । ऐसे नाम वस्तुतः व्यक्तिवाचक नामो की तरह होते हैं, जिनमें समास मानना आवश्यक नहीं और जिस प्रकार व्यक्तिवाचक नामो, जैसे—‘महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गाँधी’, श्रीकुमार राघवेन्द्र प्रसाद नारायण सिंह’ आदि के सभी खण्डो को एक शिरोरेखा में या योजक चिह्न देखर लिखना आवश्यक नहीं माना जाता, उसी प्रकार उपर्युक्त सस्थाओ, समितियो या सभाओ के नामो के विभिन्न खण्डो को भी एक शिरोरेखा में या योजक चिह्न देकर लिखना आवश्यक है । किन्तु, उक्त स्थितियो में भी जहाँ समास अभीष्ट हो, वहाँ योजक चिह्न का प्रयोग होना ही चाहिए ।

साराश यह कि हिन्दी के सामासिक शब्दो को, चाहे वे दो खण्डो के हो या दो से अधिक खण्डो के, शिरोरेखा अथवा योजक चिह्न से युक्त करके लिखना अनिवार्य है । तब प्रश्न यह रह जाता है कि सामासिक शब्दो के लेखन में किन स्थितियो में शिरोरेखा का प्रयोग होना चाहिए और किन स्थितियो में योजक-चिह्न का ? इस प्रश्न पर अलग-अलग निर्देश देना उचित होगा ।

(१) एक शिरोरेखा का प्रयोग.—हिन्दी में प्रचलित अनेकानेक सामासिक शब्द ऐसे हैं, जिनकी सामासिकता मूलतः उनके रूप की सश्लिष्टता या अखण्डता पर निर्भर है । अतः उनके रूप की सश्लिष्टता या अखण्डता को सुरक्षित रखने के लिए उनके सङ्घटक खण्डो को एक शिरोरेखान्तर्गत लिखा जाना अनिवार्य है । ऐसे सामासिक शब्दो को सङ्घटक खण्डो के स्वरूप के आधार पर दो व्यापक वर्गों में बाँटा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं.—

(अ) विकारी संश्लिष्ट सामासिक शब्द —जिस सामासिक शब्द के किसी सङ्घटक खण्ड के स्वरूप में सन्धि के परिणामस्वरूप अथवा किसी अन्य कारण से किसी प्रकार का विकार पाया जाय, उसे हम विकारी संश्लिष्ट सामासिक शब्द कह सकते हैं । इस वर्ग के सामासिक शब्दो की एक शिरोरेखान्तर्गत संश्लिष्ट रूप में लिखा जाना आवश्यक है, जैसे—हिन्दी के सामासिक शब्द—हथकड़ी, कठपुतली, अधपका, भडभूजा, कनकटा, भिखमङ्गा, दुधमुहाँ, घुडदौड, पतझड, पनडुब्बी, मिठवोला, बहुरुपिया, इकन्नी, चौराहा, दुधारा, तिवारा, इकतारा, तिपाई, दुपट्टा, भगदड, हुडदङ्ग आदि । संस्कृत के सामासिक शब्द—जगदीश, सज्जन, मिष्टान्न, विद्यालय, ज्ञानोदय, लम्बोदर, पीताम्बर, सूर्योदय, वाग्यन्त्र, महर्षि, मनोव्यथा, मनोविज्ञान, शिरोरेखा, दिग्गज, सन्मार्ग आदि ।

(आ) अविकारी सञ्जिष्ट सामासिक शब्द .—जिस सामासिक शब्द के सञ्चटक खण्डों में किसी प्रकार का विकार न पाया जाय, किन्तु जिसका अभीष्ट सामासिक अर्थ उन खण्डों के सञ्जिष्ट अर्थात् अखण्ड रूप पर ही आश्रित हो, उसे हम अविकारी सञ्जिष्ट सामासिक शब्द कह सकते हैं। इस प्रकार के सामासिक शब्दों को भी एक शिरोरेखान्तर्गत ही लिखा जाना अनिवार्य है जैसे—हिन्दी के सामासिक शब्द —मोतीचूर, मक्खीचूस, गिरहकट, लट्टवारी, सङ्कटमोचन, बैलगाड़ी, घोडागाड़ी, रसोईघर, घरजमाई, डाकघर, बगुलाभगत, मुँहमाँगा, कामचोर, गोवरगणेश, रामकहानी, कालावाजार, एकसाथ, एकरस, इसलिए, वारहसिद्धा, जन्मरोगी आदि। संस्कृत के सामासिक शब्द —अश्रुमुख, कार्यपटु, दशमुख, दृष्टिकोण, चन्द्रमुख, मुखचन्द्र, श्यामपट, घनव्याम, चरणकमल, कमलनयन, पापाणहृदय, रोगग्रस्त, रमसिक्त, ईश्वरदत्त, पदच्युत, वचनवद्ध, पथभ्रष्ट, भूदेव, प्राणप्रिय यथाशक्ति, आदि। विदेशी भाषाओं के सामासिक शब्द .—खुशकिस्मत, दिलफेंक, दिलजला, दस्तखत, राहखर्च, मालिकमकान, शाहजहाँ, गरीबनिवाज, हमउम्र, वदमिजाज, आइसक्रीम, फुटवॉल, मनीबैंग, क्लासरूम, वाथरूम, न्यूजपेपर आदि।

(०) योजक चिह्न (हाइफन) का प्रयोग —हिन्दी में प्रचलित बहुत सारे सामासिक शब्द ऐसे भी हैं, जिनका समासगत अर्थवैशिष्ट्य उनके सञ्चटक खण्डों के एक शिरोरेखान्तर्गत अखण्ड रूप से लेखन पर ही अनिवार्यतः निर्भर नहीं करता। ऐसे सामासिक शब्दों के सञ्चटक खण्डों को अलग-अलग लिखकर उनके बीच मात्र योजक चिह्न का प्रयोग कर देने में भी उनकी सामासिकता अधुण्ण बनी रह जाती है। यह पद्धति हिन्दी के विश्लेषणात्मक स्वरूप के अनुकूल भी पडती है, इमीलिए हिन्दी में इस पद्धति का खूब प्रचलन भी है। किन्तु इस पद्धति, यानी सामासिक शब्दों के सञ्चटक खण्डों को पृथक्-पृथक् लिखकर उनके बीच योजक चिह्न देने की पद्धति—का उपयोग केवल उन्हीं सामासिक शब्दों के लेखन में किया जाना चाहिए जो सञ्जिष्ट विकारी या सञ्जिष्ट अविकारी वर्ग के नहीं हों, जिनका विस्तृत परिचय पहले ही दिया जा चुका है।

हिन्दी में योजक चिह्न का प्रयोग केवल निम्नलिखित समासों तथा समासेतर स्थितियों में किया जाना चाहिए —

(अ) द्वन्द्व समास में योजक चिह्न का प्रयोग —द्वन्द्व समास की सामासिकता उसके सञ्चटक खण्डों की अविच्छिन्नता या अखण्डता पर आश्रित नहीं होती; क्योंकि उसका प्रत्येक खण्ड अपने आप में स्वतन्त्र तथा समान प्रधानता का

अधिकारी होता है। इसीलिए हिन्दी में द्वन्द्व समास के सङ्घटक शब्दों को एक शिरोरेखा में न लिखकर योजक चिह्न लगाकर लिखने का प्रचलन है, जो उचित भी है। द्वन्द्व के लेखन में इसी पद्धति को मानक माना जाना चाहिए, जैसे—सुख-दुख, रात-दिन, पति-पत्नी, ऊपर-नीचे, आलू-मटर, नाच-गाना, भूत-प्रेत, भाई-बहन, माता-पिता, हाथ-पाँव आदि में।

(आ) षष्ठी अर्थात् सम्बन्ध तत्पुरुष में योजक चिह्न का प्रयोग.—हिन्दी में षष्ठी तत्पुरुष के सङ्घटक खण्ड जहाँ अविकृत रहते हैं, वहाँ उनकी सामासिकता अविच्छिन्न शिरोरेखा पर आश्रित नहीं होती। इसलिए षष्ठी तत्पुरुष में भी योजक चिह्न के प्रयोग की पद्धति को ही मान्यता मिलनी चाहिए, जैसे—सरस्वती-वन्दना, कर-निर्धारण प्रचार-कार्य, शोध-संस्थान, निर्वाचन-सूची, सैन्य-नियोजन, युद्ध-स्थान, जयद्रथ-वध, अधिकार-पत्र, क्षमा-याचना, भाषा-विज्ञान, हिन्दी-वर्तनी, ताप-नियन्त्रक, मुद्रा-स्फूर्ति, गृह-निर्माण, सिगरेट-केस आदि में।

(इ) पुनरुक्त शब्दों के बीच योजक चिह्न :—जहाँ किसी विशेष कारणवश किसी शब्द की पुनरुक्ति हो, वहाँ योजक चिह्न का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, जैसे—धीरे-धीरे, रोज-रोज, बार-बार, गरम-गरम, कैसे-कैसे, नये-नये, हाय-हाय, तोबा-तोबा, सच-सच, रोम-रोम, कौड़ी-कौड़ी, जन-जन, जब-जब, तब-तब आदि में।

(ई) समानार्थक शब्दों के बीच योजक चिह्न.—जहाँ प्रायः एक ही अर्थ के दो शब्दों का प्रयोग एक साथ हो, वहाँ उनके बीच योजक चिह्न का प्रयोग आवश्यक है, जैसे—काला-स्याह, लाल-सूख, पीला-जर्द, चिट्ठी-पत्री, हँसी-मजाक, घन-दौलत, बासन-वर्तन, साग-पात, जी-जान, कूड़ा-कचड़ा, कील-काँटा, काम-काज, नाते-रिश्ते आदि।

(उ) सार्थक शब्दों के साथ उन्हीं के सादृश्य या वजन पर ढले निरर्थक प्रायः शब्दों के आने पर उनके बीच योजक चिह्न.—गलत-सलत, मेज-वेज, काम-वाम, होना-हवाना, टालना-टूलना, भागना-भूगना, टीम-टाम, ठीक-ठाक आदि में।

(९) 'रचना-शैली से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ' :—

यदि 'वर्तनी' शब्द का प्रयोग 'लेख-नियम' या 'लेखन-विधान' के व्यापक अर्थ में किया जाय, तो उसके अन्तर्गत लेखन की रचना-शैली भी आ जाती है। हिन्दी-लेखन की रचना-शैली से सम्बद्ध निम्नलिखित बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं :—

(क) सुलेख—हिन्दी-लेखन में नागरी वर्णों के आकार को सर्वत्र समानुपातिक, स्पष्ट और सुडौल रहना चाहिए। सर्वत्र शिरोरेखा का समुचित प्रयोग होना चाहिए। दो शब्दों के बीच का अवकाश (दूरी) हमेशा समान रहना चाहिए। परसर्गों तथा 'ही' 'जी' जैसे अव्ययों को सम्बद्ध शब्दों के कुछ अविक निकट लिखा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लेखन में वर्णों का झुकाव उसकी अपनी रुचि तथा सुविधा के अनुसार ही हो, किन्तु वह एक ही ओर होना चाहिए। प्रत्येक परिच्छेद या सर्गादि के प्रारम्भ के शीर्षको तथा मध्य के उपशीर्षको एवं उनकी सख्या आदि की लेखन-पद्धति में एकरूपता का निर्वाह होना चाहिए। लेखन, मुद्रण या टङ्कन में उपर्युक्त बातों पर यदि समुचित रूप से ध्यान न दिया जाय, तो वाचन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती हैं।

(ख) पाद-टिप्पणी :—हिन्दी में पाद-टिप्पणी के लेखन में भी एकरूपता नहीं पायी जाती। कुछ लोग लेखक का नाम पहले और पुस्तक का नाम बाद में और कुछ पुस्तक का पहले और लेखक का ही बाद में देते हैं। नाम में भी कुछ लोग उपाधि पहले और मुख्य नाम बाद में और कुछ लोग मुख्यनाम पहले और उपाधि बाद में देते हैं। इसी प्रकार पुस्तक का प्रकाशन वर्ष, संस्करण, प्रकाशक, मूल्य अध्याय, पृष्ठ-संख्या आदि के लेखन के पूर्वापर क्रम में भी लोग एकरूपता नहीं वरतते। हमारी समझ से पाद-टिप्पणी में उद्धरण सम्बन्धी उल्लेख्य सूचनाओं को निम्नलिखित क्रम में लिखने का नियम होना चाहिए—लेखक-नाम, पुस्तक-नाम अध्याय या परिच्छेदादि का शीर्षक, पृष्ठ-सख्या, प्रकाशन-वर्ष, संस्करण, प्रकाशक, मूल्य। यो, यह विषय पूर्णतः लेखक के अपने विवेक, रुचि एवं इच्छा पर निर्भर होता है, इसलिए उन्हें किसी एक नियम से बाँधना सम्भव या उचित नहीं है। फिर भी लेखक का यह कर्तव्य तो है ही कि अपने लेख या ग्रन्थादि में वह सर्वत्र क्रम की एकरूपता का निर्वाह करे।

(१०) वर्णोत्तर चिह्नों से सम्बद्ध हिन्दी-वर्तनी की समस्याएँ :—

हिन्दी-लेखन में वर्णोत्तर चिह्नों के अन्तर्गत विराम-चिह्न तथा विरामेतर चिह्न आते हैं। इनमें से विरामेतर चिह्नों का हिन्दी में कोई वाचिक या अर्थभेदक मूल्य नहीं होता। इस कारण वे प्रायः विकल्पात्मक होते हैं। इसके विपरीत विराम-चिह्न अर्थभेदक विरामो के लिखित दृश्य प्रतीक होने के कारण वाचिक एवं अर्थभेदक दोनों प्रकार के मूल्य रखते हैं। इसलिए, लेखन में वे वर्णों के समान ही महत्त्वपूर्ण तथा अनिवार्य होते हैं। यहाँ उक्त दोनों प्रकार के वर्णोत्तर चिह्नों के स्वरूप एवं प्रयोगों का अलग-अलग विवेचन करना उचित होगा।

(क) विराम-चिह्न :—ध्वनिशास्त्रीय दृष्टि से हिन्दी में विराम के मूल्य एवं उपयोगिता का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक में पहले ही (पृ० २४० से २४२ तक) किया जा चुका है। अतः यहाँ उसकी आवृत्ति न करके केवल इतना बता देना पर्याप्त होगा कि हिन्दी-लेखन की वैज्ञानिकता की दृष्टि से पूर्ण विराम एवं अल्प विराम के चिह्नों का प्रयोग मुख्य रूप से; तथा अर्द्धविराम के चिह्न का प्रयोग गौण रूप से अनिवार्य माना जाना चाहिए।

(१) पूर्ण विराम :—भाषा का पूर्ण सार्थक खण्ड या इकाई वाक्य होता है, इसलिए उसके अन्त को सूचित करने के लिए जिस वर्णोत्तर चिह्न का प्रयोग किया जाता है, उसे पूर्ण विराम का चिह्न कहा जाता है। हिन्दी के वाक्य अर्थ या भाव की दृष्टि से मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं—१. सामान्य विधिनिषेधात्मक वाक्य, २. प्रश्न बोधक विधिनिषेधात्मक वाक्य और ३. विस्मयादि बोधक विधिनिषेधात्मक वाक्य। इसीलिए, हिन्दी-लेखन में उक्त तीनों प्रकार के वाक्यों की समाप्ति के सूचक पूर्ण विराम के चिह्न भी तीन प्रकार के हैं, यथा—सामान्य पूर्ण विराम—‘।’, प्रश्नबोधक—‘?’ और विस्मयादि बोधक—‘!’।

सामान्य पूर्ण विराम का प्रयोग सामान्य विधि-निषेधात्मक वाक्यों के अन्त में होता है; जैसे—‘रावण मारा गया।’ ‘रावण नहीं मारा गया।’ सामान्य पूर्ण विराम का यह चिह्न परम्परागत है और हिन्दी-लेखन के नितान्त उपयुक्त है। किन्तु, इधर कुछेक वर्षों से कई हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में तथा यत्र-तत्र अन्यत्र भी, इस परम्परागत पूर्णविराम-चिह्न (खड़ी पाई) के स्थान पर अंगरेजी के पूर्णविराम-चिह्न ‘.’ के प्रयोग का प्रचलन दृष्टिगोचर होने लगा है, जो हिन्दी-लेखन के लिए नितान्त अनुपयुक्त एवं भ्रामक है। अंगरेजी-लेखन में पूर्णविराम-चिह्न के रूप में बिन्दु के प्रयोग से किसी प्रकार के भ्रम की सम्भावना नहीं रहती, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वाक्य का प्रारम्भ ‘कैपिटल लेटर’ से होता है। दूसरे, रोमन में किसी भी वर्ण के नीचे बिन्दु नहीं लगाना पडता जिसको देखकर पूर्णविराम-चिह्न का भ्रम हो। किन्तु, नागरी में एक तो रोमन की तरह ‘कैपिटल’ और ‘स्मॉल’ दो प्रकार के वर्ण हैं ही नहीं, और दूसरे, हिन्दी-लेखन में विदेशी ध्वनियों के सूचनार्थ नागरी के कतिपय वर्णों के नीचे बिन्दु के प्रयोग का भी प्रचलन है। इन कारणों से हिन्दी-लेखन की वैज्ञानिकता की दृष्टि से पूर्णविराम के रूप में बिन्दु का प्रयोग नितान्त भ्रामक एवं अनुपयुक्त है। इसलिए, हिन्दी में पूर्णविराम के रूप में बिन्दु के प्रयोग का विरोध होना चाहिए और पूर्णविराम के रूप में परम्परागत चिह्न खड़ी पाई को ही मानक माना जाना चाहिए।

प्रश्नबोधक चिह्न '?' का प्रयोग प्रश्नबोधक विधि-निर्पेधात्मक वाक्यों के अन्त में होता है, यथा—'क्या रावण मारा गया ?' 'क्या रावण नहीं मारा गया ?' इसके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है ।

इसी तरह, विस्मयादिवोधक चिह्न '!' का प्रयोग विस्मयादिवोधक विधि-निर्पेधात्मक वाक्यों या शब्दों के अन्त में होता है, यथा—'काश, आज गाँधी जी जीवित होते !' 'आश्चर्य, तू ने तो अपने भाई को भी नहीं पहचाना !' इसके सम्बन्ध में भी कोई विवाद नहीं, किन्तु, कुछ लोग इसके स्थान पर प्रायः सामान्य विराम-चिह्न का ही प्रयोग करते हैं, जो उचित नहीं है ।

(२) अल्पविराम ' , ' .—हिन्दी में अल्प विराम का अर्थभेदक मूल्य है । अतः लेखन में यथास्थान इसके प्रयोग को अनिवार्य माना जाना चाहिए । उदाहरणार्थ—(अ) जहाँ समुच्चयबोधक 'और', 'एवं' आदि का लोप अपेक्षित हो, और वहाँ ममास नहीं करना हो, जैसे—'इस वर्ग में राम, मोहन, सोहन और गणेश सज्जन छात्र हैं ।' (आ) जहाँ विकल्प सूचक 'या', 'अथवा' आदि शब्द का लोप अपेक्षित हो, जैसे—'इस जमीन में धान, गेहूँ, चना या अरहर, जो चाहो उपजा सकते हो ।' (इ) वाक्यांशों के बाद, जैसे—'तुम्हारा देर से उठना, रोज बाजार घूमना, पढ़ने से जी चुराना, झूठ बोलना, सभी इस बात के प्रमाण हैं कि तुम तवाही और बर्बादी की राह पर बढ़ रहे हो ।' (ई) संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों में वाक्य-खण्डों या उपवाक्यों के बाद; जैसे—'उसे रोको मत, जाने दो ।' 'उसे रोको, मत जाने दो ।' 'पुण्य तो किया ही नहीं, तो उद्धार कैसे होता ।' 'पुण्य तो किया ही, नहीं तो उद्धार कैसे होता ।'

उपर्युक्त स्थितियों तथा उन्हीं के समान अन्य स्थितियों में, जहाँ अल्पविराम के चिह्न के प्रयोग के बिना अर्थभ्रम की सम्भावना हो, वहाँ उसका प्रयोग अनिवार्य माना जाना चाहिए । अन्यत्र अल्पविराम के प्रयोग को विकल्पात्मक माना जा सकता है ।

(३) अर्द्धविराम ' , ' .—अर्द्धविराम के चिह्न का प्रयोग हिन्दी-लेखन में प्रायः विकल्पात्मक ही होता है; क्योंकि, अर्थभेदकता की दृष्टि से अल्पविराम से अर्द्धविराम में कोई भिन्नता नहीं होती । फिर भी, कुछेक स्थितियों में इसके प्रयोग को आवश्यक माना जा सकता है । उदाहरणार्थ—(अ) जहाँ संयुक्त वाक्य के प्रधान वाक्यों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो, जैसे—'मैं क्या करूँ, वह तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं और न उसे घर की ही कोई चिन्ता है ।' (आ) उन आश्रित वाक्यों के बाद, जो एक ही मुख्य वाक्य पर अवलम्बित हो, जैसे—जब

तक हमारे देश में शिक्षा का समुचित प्रसार न होगा; यहाँ की पैदावार न बढ़ेगी; लोगों के लिए आवास और वस्त्र की समुचित व्यवस्था न होगी, तब तक हमारी स्वतन्त्रता अधूरी मानी जायगी।' (इ) किसी स्थापना या नियम के बाद आने वाले उदाहरण सूचक 'जैसे', 'यथा' आदि शब्दों के पूर्व, जैसे—'दीर्घ ईकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग होते हैं, जैसे—नदी, पोथी, घोती आदि।' (ई) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन के वाक्यों के बीच, जैसे—'शिक्षक ने मुझसे कहा; "तुम पढते नहीं हो।" इसी प्रकार कुछ अन्य स्थितियों में भी, जहाँ वैयाकरणों ने अर्द्धविराम के प्रयोग को आवश्यक माना है, या जहाँ लेखक उसके प्रयोग को आवश्यक समझता हो, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ख) विरामेतर चिह्न :—हिन्दी-लेखन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विरामेतर चिह्न निम्नलिखित हैं :—

१. उद्धरण-चिह्न— “ ”
२. अर्द्धोद्धरण-चिह्न— ‘ ’
३. निर्देशक रेखा —
४. द्विबिन्दुयुक्त निर्देशक रेखा :—
५. कोष्ठक—(क) वृत्त्याकार : छोटा—()
(ख) वर्गाकार : बड़ा—[]
(द) धनुषाकार : मध्य—{ }
६. छूट-चिह्न (हसपद)— ^
७. अपूर्णतासूचक चिह्न— × × ×
८. पुनरुक्तिसूचक चिह्न— ” ”
९. तुल्यतासूचक चिह्न— =
१०. पादाङ्कन-रेखा —

जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, इन विरामेतर चिह्नों का हिन्दी में कोई प्रत्यक्ष अर्थभेदक मूल्य नहीं है; इस कारण ये विकल्पात्मक हैं। फिर भी निर्दिष्ट स्थानों पर इनके प्रयोग से हिन्दी-लेखन में अधिक वैज्ञानिकता का तथा अर्थबोध की दृष्टि से अधिक स्पष्टता का समावेश हो जाता है। अतः हिन्दी-लेखन में इनका यथास्थान प्रयोग आवश्यक माना जाना चाहिए।

सन्दर्भ-ग्रन्थ और उनकी सङ्केत-तालिका

- आ० सं०
 आ० सं० इ०—आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की वार्षिक रिपोर्ट, ११०२-३ ।
 आ० सं० रि०
 आ० सं० वे० इं—आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया ।
 आ० सं० सं० इं०—आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सदरन इण्डिया ।
 इं० ऐ०—इण्डियन ऐण्टिक्वेरी ।
 इ० मे०—इण्डिका ऑफ मेगास्थनीज ।
 उ० ति०, भा० रु०—डॉ० उदय नारायण तिवारी, भाषाशास्त्र की रूपरेखा ।
 उ० ति०, हि० उ० वि०—डॉ० उदयनारायण तिवारी, हिन्दीभाषा का उद्भव
 और विकास ।
 ए० इं०—एपिग्राफिया इण्डिका ।
 एडवर्ड क्लॉट—द हिस्ट्री ऑफ अल्फावेट ।
 ए० त्रि०—एनसाइक्लोपीडिया त्रिटानिका ।
 ए० रि०—एशियाटिक रिसर्चज
 क०, आ० सं० रि०—कनिङ्गम की आकियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट ।
 क०, इ० इं०—कनिङ्गम, इण्डियन ईराज ।
 क०, क्वा० मि० इ०—कनिङ्गम, क्वाइस ऑफ मिडिएवल इण्डिया ।
 क०, क्वा० ए० इं०—कनिङ्गम, क्वाइस ऑफ एंसेण्ट इण्डिया ।
 का० गु०, हि० व्या०—प० कामता प्रसाद गुरु, हिन्दी व्याकरण ।
 का० श०, हि० सं०—कामेश्वर शर्मा, हिन्दी की समस्याएँ ।
 की०, लि० इ० सं० इ०—कीलहॉर्न, लिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ सदरन इण्डिया ।
 की०, मि० ए०—कीलब्रुक, मिसलेनियस एसेज ।
 प०, क्वा० ग्री० इं० वै० इ०—पर्सिंगार्डनर, द क्वाइस ऑफ ग्रीक ऐण्ड इण्डोसीथिक
 किंगज ऑफ वैक्ट्रिया ऐण्ड इण्डिया ।
 गो०, सो० प्रा० इ०—गोरीशङ्कर हीराचन्द ओझा, सोलङ्कियो का प्राचीन इतिहास ।

- गौ०, प्रा० लि०—गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा, प्राचीन भारतीय लिपिमाला ।
ज० ए० सो० वं०—जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बङ्गाल ।
ज० व० ए० सो०—जर्नल ऑफ द बम्बे ब्राञ्च ऑफ द रोमायल एशियाटिक
सोसाइटी ।
जो०, ति०, दे० लि०—डॉ० ना० चि० जोगलेकर, डॉ० भगवानदास तिवारी,
देवनागरी लिपि स्वरूप, विकास ओर समस्याएँ ।
आ० टे०, अ०—आइजक टेलर, अल्फाबेट ।
ट्रा० आ० सि०—ट्रावनकोर आर्कियोलोजिकल सिरीज ।
ड०, क्रो० इं०—मिस डफ, क्रोनोलोजी ऑफ इण्डिया ।
डे०, बु० इं०—राइस डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया ।
न्यु० क्राँ०—न्युमिसमेटिक क्राँनिकल ।
दे० ना० श०, रा० स० स०—देवेन्द्रनाथ शर्मा, राष्ट्रभाषा, समस्याएँ और समाधान,
भा० भू०—भाषाविज्ञान की भूमिका ।
प्रि० ए०—प्रिसेप, एण्टिक्विटीज ।
प्रो० रि० ऑ० स० वे० इं०—प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ
वेस्टर्न इण्डिया ।
फो०, ए० चं० स्टे०—फोगल, एण्टिक्विटीज ऑफ द चम्बा स्टेट ।
फ्ली०, गु० इं०—फ्लीट, गुप्त इंसक्रिपशन्स ।
ब०, आ० स० वे० इं०— आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया ।
ब०, सा० इं० पे०—बर्नेल, साउथ इण्डियन पेलियोग्राफी ।
वा०, ए० इं०—बार्नेट, एण्टिक्विटीज ऑफ इण्डिया ।
वा० स०, सा० भा० वि०—डॉ० वाबूराम सक्सेना, सामान्य भाषाविज्ञान ।
वा०, बु० रे० वे० व०—सेम्युअल वील, बुद्धिस्ट रेकर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ।
वू०, इ० पे०,—बूलर, इण्डियन पेलियोग्राफी ।
डू०, इं० स्ट०—बूलर, इण्डियन स्टडीज ।
वे०, ज० ने०—सिसिल बण्डाल, जर्नी इन नेपाल ।
बं० ग०—बम्बे गजेटियर ।
बी० ब्लॉख, जी० एल० ट्रैगर—आउट लाइन ऑफ लिग्विस्टिक एनेलायसिस ।
भा० इं०—भावनगर, इंसक्रिपशन्स ।
भो० ति०, भा० वि०—डॉ० भोलानाथ तिवारी, भाषाविज्ञान ।
भं० क० वो०—भण्डारकर कममेशोरेशन वोल्यूम ।
मू०, रि० ए० इं० सी०—मूलर, रिपोर्ट ऑन एंसिएण्ट इंसक्रिपशन्स ऑफ सीलोन ।

- मै०, हि० ए० स० लि०—मैक्समूलर, हिस्ट्री ऑफ एसिएण्ट संस्कृत लिटरेचर ।
 र०, ए० ड०—रप्सन, एसिएण्ट इण्डिया ।
 रा०, ए० क०—राइस, एपिग्राफिया कर्नाटिका ।
 र०, कै० कवा० आ०—रप्सन, कैटलग ऑफ द कवाइस ऑफ द आन्ध्र डाइनेस्टी,
 द ब्रैकूटक डाइनेस्टी एण्ड द वोवि डाइनेस्टी ।
 रा० गो०, वै० व्या०—रामगोपाल, वैदिक व्याकरण ।
 रि० रा० म्यू० अ०—रिपोर्ट ऑफ द राजपुताना म्यूजियम औफ अजमेर ।
 वे०, ड० स्ट०—वेवर, इण्डियन स्टडिअन ।
 सु०, ग० त०—मुवाकर द्विवेदी, गणक तरङ्गिणी ।
 मै०, से० वु० ई०—मैक्समूलर, सेक्रोड बुक्स ऑफ द ईस्ट ।
 स्मि०, अ० हि० इ०—स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री औफ इण्डिया ।
 स्मि० कै० कवा० इ० म्यू०—स्मिथ, कैटलग ऑफ द कवाइस इन द इण्डियन
 म्यूजियम ।
 ह०, कै० पा०—हरप्रसाद शास्त्री, कैटलग ऑफ पामलीफ ऐण्ड सेलेक्टेड पेपर
 मैनुस्क्रिप्ट्स विलाङ्गिग टु द दरवार लाइब्रेरी नेपाल ।
 हु०, सा० इ० इ०—हुल्ग, साउथ इण्डियन इस्क्रिपशन्स ।
 ह्वा०, हु० कवा० प० म्यू०—कैटलग ऑफ द कवाइस इन द पञ्जाब म्यूजियम,
 लाहौर ।
 पाणिनि—अष्टाध्यायी
 पतञ्जलि—महाभाष्य
 नारदस्मृति, छान्दयोग्य उपनिषद्, तैत्तिरीय उपनिषद्, ऐतरेय आरण्यक आदि ।

परिभाषिक शब्द

अकर्मक क्रिया	Intransitive Verb
अङ्क	Figure, Number
अक्षर	Syllable
अग्रागम	Prothesis
अघोष	Voiceless, Breathed
अतीतकाल	Past tense
अधिकरण कारक	Locative Case
अनाक्षरिक	Non Syllabic
अनिश्चयकारक	Indefinite
अनुक्रम	Sequence
अनुनासिक	Nasal
अनुनासिकता	Nasalisation
अनुलेखन	Transliteration
अन्तरराष्ट्रीय ध्वनिपरिषद्	International phonetic Association, I. P. A.
अन्तः प्रत्यय	Infix
अन्त स्थ	Sonant, Semivowel
अन्त्य	Final
अन्य पुरुष	Third person
अन्यापवर्गी	Exclusive
अपादान कारक	Ablative Case
अपूर्ण	Imperfect
अर्थविज्ञान	Semantics
अर्थवान तत्त्व	Meaningful element
अर्ध विवृत	Half open

अर्धविराम	Colon
अर्धसवृत	Half closed
अल्पप्राण	Non aspirated
अल्प विवृति	Pausal juncture
अर्धस्वर	Semi vowel
अर्धोद्धरण-चिह्न	Semi Inverted commas
अलिजिह्वा	Uvula
अलिजिह्वीय	Uvular
अयोगात्मक	Isolating
आक्षरिक लिपि	Syllabic Script
आक्षरिक प्रणाली	Syllabic Pattern
आसन्न घटक	Immediate Constituent
उपसर्ग	Preposition, Prefix
उदात्त	Acute
उत्तम पुरुष	First person
उद्धरण	Quotation, citation
उद्धरण-चिह्न	Inuverted commas
उपालिजिह्वा	Pharynx
उच्चारण स्थान	Plauor point of articulation
उच्चारणावयव	Vocal organ
ऋप्म	Sibilant, Spirant
ऋष्मीकरण	Assibilation
एकवचन	Singular
एकाक्षर	Monosyllable
कर्म	Object
कर्म कारक	Accusative Case
कर्त्ता कारक	Nominattve Case
कर्तृवाचाक सज्ञा	Agent
बलीव लिङ्ग	Neuter gender
कर्त्तरि प्रयोग	Active use
कर्मणि प्रयोग	Passive use

कण्ठ्य	Guttural
कृत् प्रत्यय	Primary suffix
कृदन्त	Participle
करण	Articulator
करण कारक	Instrumental Case
कारक	Case
काल	Tense
काकल्य	Glottal
क्रम	Order
क्रिया	Verb
क्रिया विशेषण	Adverb
कीलाक्षर लिपि	Cuneiform script
कोष्ठक	Bracket
कौआ	Uvula
कोमल तालु	Velum
कोमल तालव्य	Velar
खण्डीयस्वनिम (ध्वनिग्राम)	Segmental phoneme
गठन	Structure
गुच्छ	Cluster
घटमान वर्तमान	Present progressive
घोष	Voiced
चित्र लिपि	Pictorial script, Picture writing
जिह्वाग्र	Front of the tongue
जिह्वान्त	Tip of the tongue
जिह्वाफलक	Blade of the tongue
जिह्वा मूल	Root of the tongue
ढाँचा	Structure
तालव्य	Palatal
तुमन्त	Infinitive
तुलनात्मक भाषाशास्त्र	Comparative philology
दन्त्य	Dental

दन्त्योष्ठ्य	Labio Dental
द्वयोष्ठ्य	Bilabial
द्रव्यवाचक सज्ञा	Material Noun
द्वित्व	Reduplication
दीर्घता	Length
धातु	Root
ध्वनिग्राम (या स्वनिम)	Phoneme
ध्वन्यात्मक शब्द	Phonetic word
ध्वनिविज्ञान	Phonetics
ध्वनिलहर	Intonation
नव्य वैयाकरण	Neo grammarian
नपु सक लिङ्ग	Common gender
नाम	Nouns
नामधातु	{ Nominal root, Denominative
नासिका विवर	Nasal Cavity
नासिक्यध्वनि	Nasal sound
निश्चयवाचक सर्वनाम	Definite Pronoun
निपात	Particle
निर्देशक रेखा	Dash
पदग्राम या पदिम	Morpheme
पदविज्ञान	Morphology
परसर्ग	Post position
पद-क्रम	Word-order
पार्श्विक	Lateral
परस्पर विनिमय	Metathesis
पार् रिभाषिक	Technical terms
परिपूरक वितरण	Complimentary distribution
पुरुष	Person
पुनर्निर्माण	Reconstruction
पुनरुक्ति	Repetition
पुल्लिङ्ग	Masculine

पुराघटित वर्तमान	Present perfect
प्राग्भारोपीय	Proto Indo European
प्रत्यय	affix, Suffix
प्रतिमानीकरण, मानकीकरण	Standardisation
प्रयत्नलाघव	Economy of efforts
प्रेरणार्थक	Causative
पुरुषवाचक सर्वनाम	Personal pronoun
बलाघात	Stress
बहुवचन	Plural
बोली	Dialect
बोलीशास्त्र	Dialectology
भविष्यत् काल	Future tense
भाषाविज्ञान	Linguistics
भाषाशास्त्र	Philology
भाषाविद्	Linguist, philologist
भाषा-सर्वेक्षण	Linguistic Survey
भाववाचक संज्ञा	Abstract noun
भोजन-नलिका	Food pipe
महाप्राण	Aspirate
मात्रा	Length, Quantity
मानक रूप	Standard form
मानस्वर	Cardinal vowel
मिश्र स्वर	Diphthong, Mixed vowel
मुखविवर	Mouth cavity, Buccal Cavity, Oral cavity
मुक्त रूप	Free form
मुक्त परिवर्तन	Free variation
मुहावरे	Idioms
मूर्धन्य	Retroflex, Cerebral
मूर्धा	Cerebrum
योगात्मक	Agglutinative

रूप	Form
रूपरचनाशास्त्र	Morphology
रूप-साधन	Inflection
लघुतम इकाई	Minimum Unit
लिखित आलेख	Written Record
लिपि	Script
लुण्ठित	Rolled
लिङ्ग	Gender
लेख, लेखन, लिखावट, लेखनकला	Writing
लोप	Elision
वचन	Number
वर्गाकार कोष्ठक	Square Bracket
वर्गीकरण	Classification
वर्ण	Letter
वर्णमाला	Alphabet
वर्णात्मक लिपि	Alphabetic Script
वत्स्य	Alveolar
वर्तमान काल	Present tense
वर्तनी	Spelling
व्यञ्जन	Consonant
व्यतिरेक	Contrast
व्यतिरेकी वितरण	Conarstive distribution
व्युत्पादक	Derivational
व्यवच्छेदक ध्वनि	Disjunctive sound
वाक्	Speech
वाक्य	Sentence
वाक्याश	Phrase
वाक्य-विन्यास	Syntax
वागिन्द्रिय	Vocal organ
वाग्ध्वनि	Speech sound
विराम	Pause
विशेषण	Adjective

विश्लेषणात्मक	Analytic
विस्मयादि बोधक	Interjection
व्युत्पत्ति	Etymology
वृत्ति, प्रकार, अर्थ	Mood
विषमीकरण	Dissimilation
विस्मयादिबोधक	Interjection, Exclamation
विभक्ति	Inflexion
शब्द-क्रम	Word Order
शब्द-रूपावली	Paradigm
श्वास नालिका	Wind pipe, Trachea
शिलालेख	Inscription
शून्य रूप	Zero morph
शिक्षा	Phonetics
'श्लिष्ट	Inflexional
स्वन	Phone
स्वर	Vowel
स्वरतन्त्री	Vocal chord
स्वरयन्त्र	Larynx
स्वरयन्त्रावरण	Epiglottis
स्वर-लहर	Intonation
स्वर-क्रम	Vowel Sequence
सर्वनाम	Pronoun
सकर्मक क्रिया	Transitive Verb
सम्प्रदान कारक	Dative Case
समानाधिकरण	Apposition
सम्बन्ध कारक	Genitive Case
सम्बोधन कारक	Vocative Case
सजातीय कर्म	Cognate object
सहायक क्रिया	Auxiliary Verb
समापिका क्रिया	Finite Verb
समानाधिकरण	Apposition
समास	Compound

नानरी लिपि और हिन्दी-वर्तनी

समस्त पद	Compound word
समीकरण	Assimilation
समूह वाचक	Collective
स्पर्श, स्पृष्ट	Plosive, stop, occlusive
स्पर्श सङ्गर्षी या घर्षी	Affricate
सहपद	Allomorph
महस्वत	Allophone
मरच ना	Construction
सङ्घर्षी	Fricative
सन्धि	Morphophonemics
सन्धि-विवृति	Juncture
सम्बन्ध कारक	Genitive case
सयोजक	Conjunction
सयोगात्मक भाषा	Inflecting language
सज्ञा	Noun
संवृत	Close
सञ्ज्ञेपणात्मक भाषा	Synthetic language
सार्य इकाई	Meaningful unit
सुर	Pitch
सख्या-चिह्न	Numeral Symbol
सयुक्त वाक्य	Compound Sentence
सयुक्त क्रिया	Compound Verb
समुच्चय बोधक	Conjunction
सम्प्रसारण	Extension
सार्वनामिक विशेषण	Pronominal adjective
स्पर्श संघर्षी	Affricate
स्वर भक्ति	Anaptyxis
स्वराघात	Pitch, Accent
स्वल्पान्तर युग्म	Minimal Pair

